VISIONIAS

www.visionias.in

VISION IAS

नीतिशास्त्र

2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह - संबंध

विषय सूची

1. भूमिका (Introduction) 3

2. नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध – नीतिशास्त्र का सार तत्व 4

2.1. प्रमुख शब्दावलियाँ: विश्वास, मूल्य, मानदंड, सिद्धांत, नैतिकता, नीतिशास्त्र 6

2.2. नीतिशास्त्र के निर्धारक (Determinants of Ethics) 12

2.3. नीतिशास्त्र के परिणाम 15

2.4. नीतिशास्त्र के आयाम (Dimensions of Ethics) 15

3. अनुप्रयुक्त/फलित नीतिशास्त्र : विशिष्ट उदाहरण 19

3.1. पर्यावरणीय नीतिशास्त्र (Environmental Ethics) 19

3.2. व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र (Business Ethics) 20

3.3. नैतिक प्रबंधन (Ethical Management) 21

3.4. विश्वबंधुता संस्कृति और शहरीकरण के संदर्भ में नैतिक संघर्ष 21

4. निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र 23

4.1. निजी संबंधों में नीतिशास्त्र (Ethics in Private Relationships) 23

4.2. सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र 23

4.3. सार्वजनिक तथा निजी नीतिशास्त्र में संबंध 25

5. नैतिक द्वंद्व/संघर्ष का निराकरण: रास्ता क्या है? 26

6. मानवीय मूल्य (Human Values) 26

6.1. मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका 27

6.1.1. मूल्य विकसित करने में परिवार तथा समाज की भूमिका 27

6.1.2. मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका 28

7. विगत वर्षों में UPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न 30

8. विगत वर्षों में UPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 32

9. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न 33

10. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 48

VISION IAS

1. भूमिका (Introduction)



जजमेंट एट नूरम्बर्ग नामक एक ऐतिहासिक फिल्म में मुख्य नायक प्रधान न्यायाधीश डेन हेवुड के सम्मुख एक अजीब कठिन परिस्थिति थी। वह जर्मनी के चार न्यायाधीशों से संबद्ध एक मुकदमे की सुनवाई करने जा रहे एक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे। आरोप यह था कि इन चारों न्यायाधीशों ने हिटलर के नाज़ी शासन के दौरान कुछ समूहों (यहूदियों, समलैंगिकों आदि) की बलात नसबंदी और जातीय नरसंहार को बढ़ावा देने के लिए अपने पदों का उपयोग किया था। वहीं दूसरी ओर, यह तर्क दिया जा रहा था कि चूंकि न्यायाधीश और सिविल सेवक कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि बस अपने देश के कानूनों को कार्यान्वित करते हैं, इसलिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल यह था कि क्या सचमुच वे उक्त अन्याय और क्रूरता के लिए उत्तरदायी थे, जबकि राज्य मशीनरी का उनके विरूद्ध भलीभांति उपयोग किया जा सकता था? या 'अपने कर्तव्यों के निर्वहन' का बहाना बस एक पर्दा था जिसके पीछे वे अपने नैतिक और कानूनी उत्तररदायित्व से पल्ला झाड़ सकते थे? खैर जो भी हो, उधर शीत-युद्ध में तीव्रता आ रही थी, जिसके कारण कोई भी यह नहीं चाहता था कि जर्मनी में कोई और मुकदमा चले, क्योंकि इससे नकारात्मक लोकमत बन सकता था। अतः यह अपेक्षा की जा रही थी कि न्यायाधिकरण द्वारा न्यायाधीशों को कारावास का दंड दिए बिना रिहा कर दिया जाएगा। अतः न्यायाधिकरण के समक्ष दुविधा यह थी कि क्या अतीत को भूल जाना और उसे जाने देना सही था या इस प्रकार के अमानवीय कृत्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाले सभी न्यायाधीशों को दंडित करना सही था? मुकदमा यह दिखाने के लिए जारी रहा कि "संकट की स्थिति में, यहाँ तक कि असाधारण, करूणावान और समानुभूति रखने वाले लोग भी कल्पना से परे जघन्य अपराध करने से अपने आपको नहीं रोक सकते हैं।" न्यायाधीश हेवुड दबाव के आगे नहीं झुके और मुकदमे में उसके गुण-दोषों के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया जिनके विरूद्ध सरकार द्वारा प्रायोजित क्रूरता और अन्याय में सचेत भागीदारी का आरोप सिद्ध किया जा सकता था।

2005 में अफगानिस्तान में, यू.एस. नेवी सील के एक कमांडो मार्कस लुट्रेल को एक दुविधा का सामना करना पड़ा - "कि क्या उन निर्दोष नागरिकों को मार देना चाहिए, जिनपर उनके दल के साथियों को यह संदेह था कि वे उनके छुपे होने का स्थान बता देंगे, या उन्हें जाने देना चाहिए"। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, उसने उन्हें जाने देने का निर्णय लिया। कुछ घंटों बाद, उन्हें तालिबान ने घेर लिया और हमला कर दिया। लुट्रेल बच गया और बाद में उसने स्वीकार किया कि यह प्रेम, विश्वास और आशा की उसकी ईसाई मान्यताएं थीं, जिन्होंने उस पल उसका मार्गदर्शन किया। हालांकि, उसने यह भी कहा कि, काश उसने अपने दल के साथियों की बात सुनी होती और अपना निर्णय बदल दिया होता। आईये, अब हम जम्मू कश्मीर की एक घटना से इसकी तुलना करें। 2016 में मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन के एक आरोपी मेजर गोगोई ने पत्थरबाजी करनेवाली भीड़ से एक व्यक्ति को पकड़ लिया और सैन्यकर्मियों को खतरा वाले क्षेत्र से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए उसका मानव ढाल के रूप में उपयोग किया। सेना की जाँच में उन्हें निर्दोष ठहराया गया, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या मेजर गोगोई को व्यक्ति के प्राण के अधिकार का उल्लंघन करते हुए, एक व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने का अधिकार था? उपरोक्त वर्णित 2005 एवं 2016 की इन दोनों घटनाओं को देखें तो, निश्चय हीं लुट्रेल या गोगोई द्वारा लिए गए निर्णयों की अंतहीन आलोचना की जा सकती है। लेकिन यह आलोचना तर्कसंगत रूपरेखा में की जानी चाहिए। वे मार्गदर्शक कारक क्या थे जिसके चलते उन्होने ऐसा निर्णय लिया? पश्च दृष्टि के लाभ के साथ, क्या बेहतर किया गया होता?

VISION IAS



एक सिविल सेवक के तौर पर, व्यक्ति को न केवल ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं, अपितु साथ ही उन्हें अपने लिए भी विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- क्या किसी संबंधी द्वारा संचालित फर्म से निविदाएं स्वीकार करने का परिणाम हितों का संघर्ष है? इसी तरह, हम विभिन्न प्रकार के विषयों पर राय रखते हैं। वह राय कैसे आकार लेती है? हम कैसे परिभाषित करते हैं कि कोई विशेष घटना, निर्णय या तथ्य, भले ही वह हमसे संबंधित न हो, अच्छा या बुरा है, सही या गलत है? बहुत से लोग इस बात से चिंतित नहीं होंगे कि भारत में क्रिकेटर कितना पैसा कमाते हैं। लेकिन हम क्रिकेटर के समान आय की मांग करने वाले अन्य खेलों से संबद्ध खिलाडियों की मांग से कैसे तादात्म्य बैठाते हैं, भले ही वह खेल दूसरों के लिए उतना सम्मोहक नहीं हो, यह सोचने वाली बात है? या किसी परिश्रमी यातायात पुलिसकर्मी को मुंबई में किसी वातानुकूलित कार्यालय में काम करने वाले परिश्रमी कॉर्पोरेट कर्मचारी के साथ कैसे सह-संबंधित करते हैं? क्या बच्चे को जन्म देने के अधिकार में उसका जीवन समाप्त करने का भी अधिकार सम्मिलित है? क्या एक जीवन की कीमत पर कई जीवन बचाना न्यायोचित है? इन प्रश्नों का हाँ या नहीं में उत्तर उतना सरल नहीं है, जितना हम सामान्य ढंग से सोचते हैं। लेकिन इन प्रश्नों का मूल्यांकन करने के लिए हम जिस ढांचे का उपयोग करते हैं, वह मनमाना नहीं हो सकता। उसे तर्कसंगत होना चाहिए। ऐसी विसंगतियों के पक्ष में या के विरूद्ध क्या नैतिक तर्क हो सकते हैं?

नीतिशास्त्र क्या है? (What are Ethics?)

- अपने सरलतम रूप में, नीतिशास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है। यह 'क्या करना सही है/होगा?' (अर्थात् उचित आचार) का एक अन्वेषणात्मक अध्ययन है। यह इस बात को प्रभावित करता है कि लोग निर्णय कैसे लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। 'एथिक्स (Ethics)' अर्थात् नीतिशास्त्र शब्द ग्रीक शब्द 'एथिकोज' (ethikos) से निकला है जिसका अर्थ परंपरा, आदत, चरित्र या स्वभाव हो सकता है। नीतिशास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो सही और गलत, अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित के बीच अंतर करने में हमारी सहायता करता है। नीतिशास्त्र को मानव आचरण के लिए मार्गदर्शक प्रकाश कहा जा सकता है। नैतिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण मानव व्यवहार और कार्यों में परिवर्तन वस्तुतः मानवीय समाज के निर्माण में हमारी सहायता करते हैं जहां सभी शांति और समरसता के साथ रह सकते हैं।
- क्या ऐसा कोई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है या नहीं, जिसे व्यक्ति या परिस्थिति से निरपेक्ष लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसा विषय है जिसपर दार्शनिकगण संपूर्ण इतिहास के दौरान बहस करते रहे हैं। सभी समाजों ने अतीत में कई बार अच्छे या स्वीकार्य आचरण के सिद्धांतों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया है। बुरे या अस्वीकार्य आचरण को हतोत्साहित या दंडित किया गया है। उदाहरण के लिए- नीतिशास्त्र पर धार्मिक विचार सार्वभौमिक होते हैं। इमैनुएल कांट द्वारा यथा प्रस्तावित निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) की अवधारणा (इसपर आगे चर्चा की गयी है) कृत्य/क्रियाकलाप की सार्वभौमिकता निर्धारित करने की कसौटी प्रस्तुत करती है।

2. नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध – नीतिशास्त्र का सार तत्व

(Ethics and Human Interface – The essence of ethics)

- सार किसी चीज की अंतर्निहित प्रकृति या अनिवार्य गुण है जो उसका चरित्र निर्धारित करता है। यह मूल या वास्तविक भाग, किसी चीज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण को इंगित करता है। नीतिशास्त्र का सार समाज में शांति, समरसता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता में निहित है। यह जवाबदेही (accountability), ईमानदारी

VISION IAS

(honesty), सहानुभूति (empathy), सत्यनिष्ठा (integrity), प्रोबिटी/ईमानदारी (probity), संवेदना/करुणा (compassion) इत्यादि के मूल्यों में सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है।



- नीतिशास्त्र के लिए सबसे आधारभूत आवश्यकता इस तथ्य में निहित है कि हम स्वत: यह नहीं जानते हैं कि किससे हमारा जीवन लाभान्वित होगा और क्या हानिकारक होगा। हमें निरंतर चयन संबंधी ऐसी समस्यायों का सामना करना पड़ता है जिनसे हमारे जीवन का विस्तार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। हमें अपने मूल्यों का अवश्य चयन करना चाहिए, कि कहां रहना है, अपना समय कैसे व्यतीत करना है, किसके साथ सहयोग करना है, किस पर विश्वास करना है? हमें अवश्य् चयन करना चाहिए कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में क्या करना चाहिए, किन साधनों का उपयोग करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। किन चारित्रिक लक्षणों को प्राप्त करना चाहिए और किनको समाप्त करना चाहिए? हमारी कौन-सी भावनात्मक अनुक्रियाएं लाभप्रद हैं और कौन-सी हानिकारक हैं? किस मानदंड से हमें दूसरों को आंकना चाहिए और किस आधार पर उनके साथ अंतर्क्रिया करनी चाहिए? जिस हद तक हम विचार-विमर्श में चूक करते हैं, हम सामाजिक और भावनात्मक कारकों की दया पर होते हैं जो इष्टतम से दूर हो सकते हैं।
- नीतिशास्त्र हमारे द्वारा किए जाने वाले चयन या चयन में विफलता के संबंध में है। हम अपने सचेत विचारों और सूचित होने की क्षमता और उचित विकल्प के चयन की अपनी क्षमता से अवगत होते हैं। यही वह चीज है जिसे हम स्वतंत्र इच्छा (free will) कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाले चयन का अपने लिए और दूसरों के लिए कोई न कोई परिणाम होता है। हम उस उत्तरदायित्व से अवगत होते हैं जो हमारे क्रियाकलापों से संबद्ध होते हैं। लेकिन, हमारे पास विश्वसनीय अंतर्निहित ज्ञान या प्रवृत्तियां नहीं होती हैं जो स्वचालित रूप से हमारे अस्तित्व और विकास को बढ़ावा देती है। हमारी जीवित रहने और पीड़ा से बचने की अंतर्निहित भावनात्मक इच्छा हो सकती है, लेकिन हमारे पास उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के संबंध में अंतर्जात ज्ञान नहीं होता है। तर्कसंगत, गैर विरोधाभासी नीतिशास्त्र अपने जीवन के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के संबंध में बेहतर विकल्प के चयन में हमारी सहायता कर सकती है।
- व्यक्तियों द्वारा चुने जाने वाले विकल्प समाज की मान्यताओं और मूल्य प्रणाली में समय के साथ अश्मीभूत हो सकते हैं। किसी देश की कानूनी व्यवस्था इन मूल्यों और मान्यताओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जरा सरोगेसी कानूनों के विषय में सोचें: क्या जैविक माता-पिता बनने की स्वतंत्रता मातृत्व जितना अंतर्निहित किसी चीज पर मौद्रिक मूल्य को महत्व देता है? भारत में सरोगेसी पर कानून भारतीय मूल्य प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है जबकि अन्य देशों में उनकी मूल्य प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है।
- नीतिशास्त्र या नैतिक दर्शन इस बात पर विचार करता है कि क्या गलत है या सही है। अध्ययन के एक विषय के रूप में इसकी तीन शाखाएं हैं: अधिनीतिशास्त्र (Meta ethics), नियामकत्व/मानकीय/निर्देशात्मक नीतिशास्त्र (Normative ethics) और अनुप्रयुक्त/फलित नीतिशास्त्र (Applied ethics)। अधिनीतिशास्त्र व्यापक प्रश्नों का अनुसंधान करता है, जैसे कि 'नैतिकता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है?', 'न्याय क्या है?' आदि। नियामकत्व/मानकीय नीतिशास्त्र इस बात से संबंधित है कि हमें क्या करना चाहिए। यह क्या सही है या क्या गलत है, को तय करने की एक रूपरेखा प्रदान करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने तर्क के माध्यम से यह रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उदाहरण के लिए - कांट की कर्तव्यवादी/कर्तव्यविज्ञान/कर्तव्य-परकतावादी नीतिशास्त्र (Deontological ethics of Kant), जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद (Utilitarianism), अरस्तु का सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue ethics of Aristotle)। अंत में, अनुप्रयुक्त/फलित नीतिशास्त्र नैतिक महत्व के व्यावहारिक मुद्दों से संबंधित है, जैसे- मृत्युदंड, सरोगेसी और दैनिक जीवन की दुविधाएं इत्यादि। (नीतिशास्त्र के आयामों के अंतर्गत इनकी आगे चर्चा की गयी है।)

VISION IAS

2.1. प्रमुख शब्दावलियाँ: विश्वास, मूल्य, मानदंड, सिद्धांत, नैतिकता, नीतिशास्त्र



(Key Terms: Beliefs, Values, Norms, Principles, Morals, Ethics)

विश्वास, मूल्य, मानदंड, सिद्धांत, नैतिकता और नीतिशास्त्र जैसे शब्दों का कई बार एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर भी हैं। इस अंतर को महसूस करने के लिए विकासवादी ढांचे में इन शब्दों के विषय में सोचें - अर्थात्, एक व्यक्ति के विश्वास से लेकर सामाजिक मानदंडों तक और सामाजिक मानदंडों से लेकर किसी देश के कानून तक। मनुष्य जिन बातों पर विश्वास करता है, वह उन्हीं के आधार पर उन्नति करता है। समुदाय जो बात स्वीकार्य मानता है, उसके अनुसार चलता है। समाज इस आधार पर कार्य करता है कि उससे किस प्रकार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इन्हें क्रमशः विश्वास, मानदंड और मूल्य कहा जाता है।

विश्वास/मान्यताएं/धारणा (Beliefs)

- मेरी मेज पर कॉफी का एक मग रखा है। यह वस्तुतः मेरा विश्वास है कि मेरी मेज पर कॉफी का एक मग रखा है। रामायण के अनुसार राम ने रावण को मारा। एक व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कि राम ने वास्तव में रावण को मारा। विश्वास वस्तुतः किसी विशेष समूह या समाज का विचार, दृष्टिकोण और अभिवृत्ति होती है। विश्वास (या मान्यताओं) का सृजन वस्तुतः नीतिकथाओं, मिथकों, लोकगीतों, परंपराओं और अंधविश्वासों से मिलकर होता है। ये सत्य और सत्यापन योग्य तथ्य, इतिहास या किंवदंतियां भी हो सकते हैं। विश्वास एक सांस्कृतिक समूह की नींव रखता है, लेकिन प्राय: इन्हें बनाए रखने वाले समूह के लिए यह अदृश्य होता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें दिलासा देता है। मनुष्य जिन बातों पर विश्वास करता है, उनके आधार पर वह उन्नति करता है। हालांकि, विश्वास को चुनौती दी जा सकती है। सतही विश्वास बदल भी सकते हैं। एक ही परिघटना के विषय में दो लोगों का अलग-अलग विश्वास हो सकता है, जैसे- एक साधारण सा सवाल कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, से लेकर जटिल धार्मिक प्रश्नों तक कि पृथ्वी या जीवन कैसे अस्तित्व मे आया? विश्वास भावनाओं को जन्म देते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से किसी कार्यवाही को नहीं।

मूल्य (Values)

- मूल्य अच्छे या बुरे के लिए वरीयता दर्शाते हैं। मूल्य वस्तुतः अच्छे या बुरे और वांछनीय या अवांछनीय के संबंध में एक व्यक्ति के भीतर महत्वपूर्ण और स्थायी विश्वास या विचार हैं। मूल्य बाह्य वातावरण, परिवार, अनुभव आदि के माध्यम से एकत्रित होते हैं। सामान्यत: 'चाहिए' के रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। रामायण में कही गयीं बातों पर विश्वास कर एक व्यक्ति बुजुर्ग के प्रति सम्मान, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि का पालन कर सकता है। एक व्यक्ति अपहरण और अपमान जैसे कृत्यों के लिए नकारात्मक मूल्य भी निर्दिष्ट कर सकता है। इससे हम इस विषय पर निर्णय लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी वांछनीय या अवांछनीय है। इस प्रकार मूल्य आगे बढ़ने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। इसका व्यक्ति के व्यवहार और अभिवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

मानदंड (Norms)

- मानदंड व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाली सामाजिक अपेक्षाएं हैं, अर्थात्, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार के तरीकों को मानदंड कहा जाता है। मानदंड सामान्यत: सही या गलत सामाजिक व्यवहार के संबंध में किसी विशेष समूह या समुदाय के अनौपचारिक दिशानिर्देश होते हैं। मानदंड एक-दूसरे से समुदाय के सदस्यों की सामूहिक अपेक्षाओं का एक रूप है। मानदंड समरूपता की पुष्टि करने, प्रेरित करने और विचलित व्यवहार की रोकथाम करने के लिए व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक दबाव का एक रूप है। मानदंड सामाजिक रीति-रिवाजों,

VISION IAS

सार्वजनिक तौर-तरीकों या आचार-विचार के माध्यम से व्यक्त होते हैं। मानदंड समाज में व्यवस्था प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, पारंपरिक समाज में, यह एक मानदंड है कि पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए और उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए।



- मानदंडों के अनुरूप न चलना दंड को आकर्षित करता है। यह दंड नीचा देखे जाने, उपहास, डांट-फटकार, बहिष्कार, प्रायश्चित आरोपण आदि के रूप में हो सकता है। कानून मानदंडों के विकास का उत्तरवर्ती चरण हैं, जहां समाज ने अपने सदस्यों से अपेक्षित और अनापेक्षित व्यवहार की शर्तों को संहिताबद्ध किया है। विचलित लोगों पर कानूनी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और तदनुसार दंडित किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के लिए, मानदंड बाह्य रूप से आरोपित होते हैं जबकि विश्वास और मूल्य आंतरिक होते हैं। मानदंड व्यवहार के विशिष्ट मार्गदर्शक हैं जबकि मूल्य केवल अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

सिद्धांत (Principles)

- मूल्य, विश्वास, नैतिकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग-अलग होते हैं। नीतिशास्त्र भी अलग-अलग समुदायों और संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। जबकि, सिद्धांत प्रकृति में सार्वभौमिक नियम या कानून होते हैं। सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य और मानकों, जैसे- निष्पक्षता, सत्यता, समानता, न्याय इत्यादि के विषय में होते हैं।

नैतिकता (Morals)

- नैतिकता क्या सही या क्या गलत है, क्या स्वीकार्य या क्या अस्वीकार्य है, इसके संबंध में व्यक्ति या समूह का विश्वास है। जहां एक ओर नैतिकता यह निर्धारित करता है कि सही आचरण क्या है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्तिगत दिक्सूचक, व्यक्तिगत चयन भी है। नैतिकता सदाचरण का सिद्धांत है जिसका उपयोग हम मानव चरित्र की अच्छाई या बुराई का आकलन करने के लिए करते हैं। नैतिकता आचरण के प्रचलित मानक हैं जो लोगों को समूह में सहकारी रूप से रहने में समर्थ बनाते हैं। अधिकतर लोग नैतिक रूप से कार्य करते हैं और सामाजिक दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। सही या गलत के प्रति उदासीन लोगों को नैतिकता-निरपेक्ष (amoral) कहा जाता है, जबकि बुरा कर्म करने वाले लोगों को अनैतिक (immoral) कहा जाता है।
- समय के साथ नैतिकता परिवर्तित हो सकती है। ऐतिहासिक रूप से, धर्म नैतिकता का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। नए ज्ञान के साथ व्यक्ति की नैतिकता बदल सकती है। उदाहरण के लिए, समलैंगिकता को अप्राकृतिक माना गया है और इसलिए यह अनैतिक कृत्य है, लेकिन यह अब विश्व भर में अधिकाधिक स्वीकृति प्राप्त करता जा रहा है। कुछ नैतिकताएं समय और संस्कृतियों से श्रेष्ठ होती हैं। उदाहरण के लिए, स्वार्थपरायणता को अनैतिक माना जाता है, जबकि निष्ठा और सत्यवादिता को नैतिक माना जाता है।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि, चूंकि नैतिकता सामान्यत: व्यक्तिगत पसंद होती है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। इस प्रकार, नैतिकता सुसंगत कार्य की गारंटी नहीं देती है। वास्तविक व्यवहार के दौरान एक व्यक्ति अपनी नैतिकताओं से विचलित हो सकता है। यहां वस्तुनिष्ठता से आशय कृत्यों में सुसंगतता से है। व्यक्ति भिन्न-भिन्न संदर्भों में अलग-अलग चयन कर सकता है, जैसे- एक व्यक्ति नकल करने के कृत्य को अनैतिक मान सकता है, लेकिन जब उसे अवसर दिया जाए तो वह परीक्षा में नकल कर सकता है। इसलिए नैतिकता वह विश्वास है जो सही मानी जाती है लेकिन यह अनिवार्य नहीं कि व्यक्ति अपने कृत्यों में उसे अपनाये। जो बात नैतिक रूप से सही हो सकती है वह वस्तुनिष्ठ रूप से सही नहीं भी हो सकती है।

VISION IAS

नीतिशास्त्र (Ethics)



- नीतिशास्त्र वस्तुतः नैतिक सिद्धांतों व दुविधाओं की जाँच, अन्वेषण, विश्लेषण एवं अनुप्रयोग का वर्णन करती है। नीतिशास्त्र व्यक्तिगत विश्वास (नैतिकता के समान) या आचरण नियमावली या नैतिक दर्शन के अध्ययन (एक अकादमिक विषय के रूप में) से संबंधित हो सकती है। नीतिशास्त्र किसी समूह या समाज में सही और गलत को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। नीतिशास्त्र भिन्न-भिन्न होते हैं क्योंकि तर्क-वितर्क तथा आलोचनात्मक विश्लेषण का मूलतत्त्व हीं स्वीकार्य या अस्वीकार्य आचरण एवं निर्णय पर पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है।
- नीतिशास्त्र (नैतिक दर्शनशास्त्र के तौर पर ज्ञात) इस बात से संबद्ध है कि लोगों को कैसे कृत्य करने चाहिए तथा सदाचरण एवं अच्छे जीवन की परिभाषा क्या है। यहाँ, नीतिशास्त्र में सही तथा गलत व्यवहार की अवधारणाओं को सुव्यवस्थित करना, बचाव करना एवं अनुशंसा करना सम्मिलित है। सदाचरण अर्थात् नैतिक व्यवहार पर पहुंचने के लिए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। हालांकि, ये सभी दृष्टिकोण तर्कबद्ध ढाँचे में होने चाहिए। ज्यादातर दृष्टिकोण धर्म आधारित, कर्तव्य आधारित तथा उपयोगिता आधारित होते हैं।
- व्यावहारिक अर्थ में, नीतिशास्त्र, न्यायोचित व्यवहार से संबंधित नियमों का उल्लेख करती है। कई संगठनों में उनके कर्मचारियों से अपेक्षित व्यवहार के मानकों से संबंधित नियम होते हैं। उदाहरण के लिए, एक अस्पताल से अपेक्षा की जाती है कि डॉक्टर वह उपचार निर्देशित करें जो रोगी की आवश्यकता, प्रभावशीलता तथा लागत को संतुलित करता हो। इसकी कोई कानूनी मांग नहीं है, परंतु एक डॉक्टर के कार्य करने का यही तरीका होना चाहिए। चिकित्सा व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि डॉक्टरों को रोगियों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए (स्वयत्तता अर्थात् उपलब्ध साधनों के आधार पर उपचार के प्रकार को चुनने का अधिकार, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का अधिकार आदि)। एक वित्तीय कंपनी से अपेक्षा कि जाती है कि इसके कर्मचारियों द्वारा इसके ग्राहकों के निवेश विवरणों को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। तथाकथित 'नीतिपरक आचार संहिता' (codes of ethics) इसलिए निर्मित की गई है क्योंकि इन पहलुओं पर किसी व्यक्ति की नैतिकता मौन हो सकती है। इस प्रकार ये संहिता, उचित आचरण के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करतीं हैं।
- नीतिशास्त्र, क्या सही है या क्या गलत है, यह तय करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करती है। ये वे मानक हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यहाँ 'मार्गदर्शक सिद्धांत' पद पर इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि नीतिशास्त्र, बाह्य रूप से लागू की जाती है। चूंकि ये बाह्य स्रोत से आती हैं, अतः वे सुसंगत तथा उद्देश्यपूर्ण होते हैं। वे किसी व्यक्ति से विशिष्ट तरीकों से कार्य करने की अपेक्षा रखती हैं। इन मानकों से विचलन को अनैतिक समझा जाता है तथा इसे अनौपचारिक रूप से अस्वीकृत किया जाता है या इसकी निंदा की जाती है। सत्यता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सम्मान, निष्पक्षता आदि नैतिक सिद्धांतों के उदाहरण हैं।

नीतिशास्त्र तथा नैतिकता (Ethics and Morality)

- नीतिशास्त्र तथा नैतिकता, समान अर्थ को प्रस्तुत करती प्रतीत होती हैं तथा आम तौर पर परस्पर अदला-बदली कर इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग भी किया जाता है। हालांकि, कुछ दार्शनिक दोनों के मध्य अंतर प्रस्तुत करते हैं।
- नीतिशास्त्र नैतिकता से भिन्न है क्योंकि नीतिशास्त्र न्यायोचित कार्य तथा बृहद शुभ के सिद्धांतों को दर्शाती है, जबकि नैतिकता व्यक्तिगत स्तर पर इनके अनुपालन को दर्शाती है। नीतिशास्त्र वस्तुतः नैतिकता का विज्ञान है और नैतिकता नीतिशास्त्र का अभ्यास (व्यवहार में लाना) है।

VISION IAS



- **विस्तार (Elaboration):** विज्ञान पर विचार करें - यह विज्ञान प्रकृति में व्यवस्थित तौर पर नहीं है। इसे अवलोकनों तथा अभ्यास के आधार पर उत्पन्न किया जाना चाहिए। एक बार वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा परिणामों पर पहुँचने के उपरांत, उन्हें वास्तविक दुनिया में परीक्षण के अधीन किया जाता है। प्रमाणित होने के उपरांत, इन्हें कार्यों के करने के लिए उचित तरीके के रूप में निर्धारित किया जाता है, जैसे- किसी बहुस्तरीय इमारत का निर्माण भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। नीतिशास्त्र वह स्थान है जहां कोई व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों के विषय में अध्ययन करता है। नैतिकता इस ज्ञान का अभ्यास है। इस प्रकार नीतिशास्त्र वे नियम हैं जो किसी समूह (जैसे- डॉक्टरों, वकीलों, पुलिसकर्मियों, सांस्कृतिक समूह या समाज) के सभी सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करते हैं। नैतिकता वे मानदंड हैं जो कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए स्थापित करता है। नीतिशास्त्र तथा नैतिकता दोनों को आचरण नियमों में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें कानून द्वारा दबाव बनाया जा सकता है। अन्यथा, नैतिकता व्यक्तिगत प्रस्थापना से संबद्ध हो जाएगी जिसकी प्रकृति व्यक्ति-निष्ठ (subjective) होती है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। जबकि नीतिशास्त्र, समाज की सामूहिक प्रस्थापना से संबद्ध है तथा यह नैतिकता की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ (objective) है।
- नैतिकता वे सिद्धांत हैं जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के विषय में मार्गदर्शन करने में सहायता करते हैं। नीतिशास्त्र उचित आचरण के सिद्धांत हैं- अर्थात् किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के व्यवहार करने का उचित तरीका क्या होना चाहिए। इस अंतर को स्पष्ट रूप से हम बचाव पक्ष के वकील के मामले से जोड़कर समझ सकते हैं। एक वकील हत्या को एक निंदनीय कार्य समझ सकता है, जिसके लिए कठोर सजा का प्रावधान होता है। परंतु बचाव पक्ष के प्रतिनिधि को निष्पक्ष होना पड़ता है तथा उसकी पेशेवर नीतिशास्त्र उससे अपेक्षा रखती है जहां तक उसकी क्षमता हो, उसे अपने मुवक्किल की रक्षा करनी चाहिए, भले ही उसे ज्ञात हो कि उसका मुवक्किल दोषी है। प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि आतंकवादी भी, न्यायालय में एक निष्पक्ष जाँच/सुनवाई के हकदार होते हैं, परंतु किसी कंगारू कोर्ट (गैर-कानूनी न्यायालय) या मॉब जस्टिस (भीड़ तंत्र का न्याय) के अधीन नहीं।
- किसी व्यक्ति के नैतिकता को नीतिशास्त्र के व्यापक नियमों द्वारा अवगत कराया जा सकता है। यह मानना कि चोरी करना गलत है, लेकिन हो सकता है कि इस विचार की उत्पत्ति दूसरों की निजी संपत्ति का सम्मान करने के नीतिपरक सिद्धांत से हुई हो। दो भिन्न-भिन्न गैर-कानूनी कृत्यों में संलिप्त एक सिविल कर्मचारी का उदाहरण लें। अपना कर्तव्य निभाने के लिए रिश्वत लेना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक अपराध है। यह सिविल सेवा नीतिशास्त्र का उल्लंघन भी है। दूसरी तरफ, जहाँ विवाहेत्तर संबंध में शामिल होना व्यभिचार कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है, वहीं यह नैतिक पतन का एक उदहारण भी है। इसी प्रकार, एक पुलिस अधिकारी पर विचार करें जो नशीली दवाओं के उपभोग में शामिल हो। समाज ऐसे व्यक्ति को ख़राब नैतिकता वाला व्यक्ति मानता है। इसके अतिरिक्त, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नशा करना एक अनैतिक कृत्य भी है। इसके अतिरिक्त, विभाग से ऐसी गतिविधियों में अपनी सहभागिता के विषय में जानकारी को छिपाना, विभागीय नीतिशास्त्र का उल्लंघन भी होगा। अंत में, कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित पदार्थों का उपभोग करना भी गैर-कानूनी कृत्य है।
- एक और उदाहरण लें। प्रत्येक समाज एक निश्चित आचार संहिता अर्थात् अपने सदस्यों के लिए नीतिशास्त्र में विश्वास कर सकता है। एक व्यक्ति इनमें से कुछ संहिताओं से सहमत या असहमत हो

VISION IAS

सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्तिगत रूप से पूर्ण व निर्बाध वाक् स्वतंत्रता में विश्वास कर सकता है। दूसरी ओर, समाज की यह मान्यता हो सकती है कि धार्मिक या राष्ट्रीय प्रतिमाओं/प्रतीकों की निंदा करना अनुचित है। ऐसे में एक व्यक्ति जो धार्मिक प्रतिमाओं की निंदा करता है, वह स्वयं के अनुसार तो नैतिक रूप से व्यवहार कर रहा होता है परंतु समाज के अनुसार वह अशिष्ट रूप से व्यवहार कर रहा होता है। दूसरी ओर, मध्ययुगीन काल के दौरान, दासत्व में कुछ भी अनैतिक नहीं था; वास्तव में इसे प्रतिष्ठा का एक प्रमाण माना जाता था। आज, इसे समाप्त कर दिया गया है तथा इसे एक घृणित कृत्य माना जाता है, परंतु मध्यकाल मे तो यह एक स्वीकार्य आचरण था। यहाँ संभव है कि एक व्यक्ति की नैतिकता ने उसे अपने दासों के साथ मानवीय तरीके से व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शित किया हो। इसके अतिरिक्त, यह भी संभव है कि किसी ने दासत्व को व्यक्तिगत रूप से अनुचित माना हो, तथा अपने इन विचारों के कारण उसे समाज के क्रोध का सामना करना पड़ा हो।

नीतिशास्त्र तथा विधि/कानून (Ethics and Laws)

- नीतिशास्त्र वस्तुतः किसी समाज में क्या करना सही है/होगा? अर्थात् उचित आचार से संबंधित एक तर्कसंगत रूपरेखा है। किसी समाज के सदस्यों तथा समूहों से इस प्रश्न के भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तथापि, किसी समाज में व्यवहार के न्यूनतम प्रवर्तनीय मानक होने अनिवार्य हैं। यही न्यूनतम मानक विधि या क़ानून कहलाते हैं। किसी भी समाज की स्थिरता तथा स्थायित्व हेतु विधि की आवश्यकता होती है ताकि समाज की समरस ढंग से प्रगति हो सके। विधि को सर्वत्र स्वीकृति तथा मान्यता प्राप्त होती है तथा यह प्रवर्तनीय होती है। इसका निर्माण समाज में व्यवस्था, शांति तथा न्याय कायम करने के लिए, सामान्य जन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए होता है। इसका निर्माण नीतिगत सिद्धांतों तथा नैतिक मूल्यों पर विचार के पश्चात् किया जाता है।





- विधि, नियम तथा विनियम उपयुक्त प्राधिकरण के द्वारा बनाये जाते हैं जिनके पास इन्हें लागू करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र होता है तथा विधि का उलंघन करने वालों को दण्डित करने की शक्ति भी होती है। इस प्रकार विधि या क़ानून सरकारों के द्वारा स्थापित एक संस्थागत नियम सारणी होते हैं। जबकि, नीतिशास्त्र दिशा-निर्देशों की एक ऐसी सारणी होती है जिसका व्यक्ति के द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। हालांकि, जब कुछेक नीतिगत सिद्धांतों को व्यापक स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें संहिताबद्ध कर विधि/क़ानून का रूप दे दिया जाता है।
- विधि की सीमा नीतिशास्त्र की अपेक्षा सामान्यतः संकीर्ण होती है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधि या तो अस्तित्व में नहीं होती या अस्तित्व में होने पर भी कार्यवाही के मामले में कोई दिशा-निर्देश प्रदान नहीं करती। परंतु, नीतिशास्त्र तथा नैतिकता के विषय-क्षेत्र व्यापक होते हैं। वे सभी दृष्टान्तों में कार्यों को दिशा प्रदान करते हैं। वस्तुतः, नीतिशास्त्र के वभिन्न स्कूल (संप्रदाय) अपने विचारों के सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते प्रतीत होते हैं।
- ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि, विधि तथा नीतिशास्त्र के बीच क्या संबंध है? क्या विधि नीतिशास्त्र को निर्धारित करते हैं या नीतिशास्त्र विधि को?
- लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उद्भव संबंधी अधिकांश मामलों में हम देखते हैं कि नैतिक मानदंडों से विधियों का विकास हुआ और जिसे समाज द्वारा अपने ऊपर लागू किया गया। हालांकि, सभी मामलों में ऐसा ही नहीं होता। उदाहरण के रूप में 19वीं शताब्दी तक प्रचलित सती-प्रथा को ही लें। इसे व्यापक स्तर पर स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानक व्यवहार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। किन्तु समाज सुधारकों के प्रयास से इस प्रथा को गैर-क़ानूनी घोषित करने के लिए एक विधान पारित किया गया। उस वक़्त विधि और नीतिशास्त्र के मध्य संघर्ष की स्थिति विद्यमान थी। यह इस बात का उदाहरण है कि कुछ लोगों की नैतिकता विधि के अधिनियमन का कारण बनी, जिसने बाद में समाज के नीतिशास्त्र को आकार प्रदान किया। अब स्त्रियों द्वारा अपने पति की चिता पर स्वयं को जला कर भस्म कर लेना सामान्य व्यवहार संबंधी मानक नहीं समझा जाता।
- IPC की धारा 377 का दृष्टांत लें, जो समलैंगिकता को विधि के विरुद्ध या गैर-कानूनी करार देता है। उल्लेखनीय है कि IPC के कार्यान्वयन के समय समलैंगिकता को समाज के लिए अस्वाभाविक, भ्रष्ट, तथा अनैतिक समझा जाता था। इसलिए इस धारा को व्यापक स्वीकृति प्राप्त थी। अब भी इस धारा को भारतीय समाज में काफी समर्थन प्राप्त है (जिसका अंदाज़ा सरकार द्वारा इसे निरस्त किए जाने में अनिच्छा प्रदर्शित करने से लगाया जा सकता है)। इसलिए, यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ नीतिशास्त्र से प्रेरित होकर विधि अधिनियमित की गयी। तथापि, समाज की प्रगति के साथ-साथ, एक तर्कसंगत ढाँचे में धारा 377 पर परिचर्चा या वाद-विवाद हो सकता है जिसका परिणाम धारा 377 को निरस्त किए जाने के रूप में भी हो सकता है।
- भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने वाले क़ानून पर समाज के नीतिशास्त्र का बड़ा प्रभाव है। हमारे समाज में मातृत्व को परमपावन समझा जाता है, इसलिए धन से इसका मूल्य चुकाना यहाँ स्वीकार्य नहीं माना जाता। इसी नैतिक सिद्धांत ने यहाँ सरोगेसी को नियंत्रित करने वाले क़ानून को (अधिकाँश पाश्चात्य देशों में भी) दिशा-निर्देश प्रदान किया है। हो सकता है भविष्य में जब हम किसी व्यक्ति को जैविक रूप से बच्चा पाने के अधिकार को मातृत्व से अधिक महत्व देना आरम्भ करें तो इस मान्यता के संबंध में थोड़ा उदार हो कर सोच पाएं। सरोगेसी को ले कर भारत में होने वाले वाद-विवाद में सामान्यतः मानव पर धन के बदले संतान-उत्पादक कारखाना बनने का आरोप लगता रहा है। इसका व्यक्ति के मूल अधिकारों से कदाचित ही कोई लेना-देना है। अति-निर्धनता की स्थिति में अवचेतन सहमति का एक संविदात्मक क़ानूनी आधार हो सकता है, किन्तु इसमें कदाचित ही कोई मूल्य अन्तर्निहित है। हो सकता है कि लोगों के एक वृहद् वर्ग की नैतिक मान्यताएं वर्तमान किसी विधि/कानून के विरुद्ध हों, यथा- IPC की धारा 377 या सरोगेसी। वाक्

VISION IAS

एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले IT अधिनियम की धारा 66A एक ऐसा क्लासिक दृष्टांत था जिसमें लोगों की प्रगतिशील नैतिक मान्यताओं ने एक प्रतिगामी क़ानून को निरस्त करने में सहायता की। इस प्रकार उपर्युक्त दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि विधि तथा नीतिशास्त्र एक-दूसरे के विरोधाभासी भी हो सकते हैं तथा एक-दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले भी।



2.2. नीतिशास्त्र के निर्धारक (Determinants of Ethics)

- जब हम नीतिशास्त्र के निर्धारकों की बात करते हैं तो हम उन कारकों की चर्चा करते हैं जिन्हें हम उस तर्कसंगत ढाँचे में बिठा पाएं। वे कारक उस रीति या व्यवहार का सृजन करते हैं जिसके अनुसरण की अपेक्षा समाज अपने सदस्यों से करता है। बहुत सारे कारक इन नैतिक सिद्धांतों के निर्धारक हो सकते है, जैसे:

ईश्वर और धर्म (God and Religion)

- ईश्वर और धर्म से संबंधित नीतिशास्त्र सार्वभौम तथा आदर्श नैतिक मानदंडों की वकालत करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख होता है कि एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए तथा समाज को कैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसाई नैतिकता पश्चिम में आदर्श व्यक्तिगत व्यवहार के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। भारत में 'राम राज्य' की अवधारणा शासन की एक प्रणाली से कहीं अधिक एक नैतिक समाज से संबंधित है। धर्म आधारित नीतिशास्त्र के स्रोत को ईश्वर (या ईश्वरीय कथन) से संबद्ध किया जाता है, जैसे– ईश्वर ऐसा कहते हैं इसलिए यही अनुकरणीय है, ईश्वर की इच्छाओं का अनुपालन ही अच्छे जीवन का मार्ग है। हालांकि, हमें नीतिशास्त्र को धर्म से सम्बद्ध कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में नीतिशास्त्र केवल धार्मिक लोगों पर ही लागू होगा। किन्तु नीतिशास्त्र तो नास्तिक व्यक्तियों के व्यवहार पर भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त जब हम वैज्ञानिक शोध की बात करते हैं तो पाते हैं कि धर्म के स्रोत मानव तक ही सीमित हैं। इस प्रकार, यह संदर्भ, स्थिति तथा अनुभव पर आधारित रहा है तथा इसमें त्रुटि एवं सुधार की भी गुंजाइश शेष रहती है।

मानव अंतःकरण/अंतर्रात्मा/विवेक तथा अंतःप्रज्ञा/अंतर्दृष्टि (Human Conscience and Intuition)

- इसके समर्थकों के अनुसार, जो अच्छा है वह इसलिए अच्छा है कि वह अच्छा ही है। इसकी अच्छाई तथा बुराई को प्रमाणित किए जाने या उचित ठहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अनुसार अच्छाई तथा बुराई का पता अंतर्दृष्टियुक्त नैतिक ज्ञान के सहारे लगाया जा सकता है। आधारभूत नैतिक सत्य उस व्यक्ति के समक्ष स्वयं प्रकट हो जाता है जो अपने मन को नैतिक विषय पर केन्द्रित करता/करती है। कृपया ध्यान दें कि अंतःप्रज्ञा से युक्त एक व्यक्ति के अनुसार नैतिक सच्चाई की प्राप्ति युक्तियुक्त तर्कों के आधार पर या किसी अज्ञात भावना के आधार पर नहीं की जा सकती। उनकी अनुभूति नैतिक विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने से ही संभव है। यह अनुभूति के 'अहा!' क्षण की भांति ही है।

अंतःकरण तथा अंतःप्रज्ञा के मध्य अंतर (Difference between Conscience and Intuition):

- मनुष्य अपने द्वारा अर्जित ज्ञान तथा अपने जीवन में प्राप्त अनुभव के अनुसार व्यवहार करता है। हमारा चेतन मन पहले किसी भी स्थिति का सक्रिय मूल्यांकन करता है उसके पश्चात् निर्णय लेता है। हालांकि, हमारा अवचेतन मन हमारे सभी पूर्व के अनुभवों तथा निर्णयों का भंडार होता है। यद्यपि, हम अपने अवचेतन मन को सक्रियता से जागृत नहीं करते हैं, तथापि, लाक्षणिक रूप से अत्यधिक तीव्र गणनाएं हमारे मस्तिष्क में मौजूद होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए।
- किसी भी चीज को सहजता से समझने की क्षमता को **अंतःप्रज्ञा (intution)** कहते हैं, इसमें चेतन तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हमारी अंतःप्रज्ञा पूर्ण रूप से यादृच्छिक (स्वाभाविक

VISION IAS

रूप से) प्रतीत होती है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति क्रिकेट मैच देख रहा है और वह देखता है कि जब भी सचिन मुस्कुराता है तो वह आउट हो जाता है। अगली बार, यदि वह व्यक्ति सचिन को बल्लेबाजी करते समय मुस्कुराते हुए देख ले, तो संभवतया उसे यही लगेगा कि अब सचिन आउट हो जाएगा। इसी को अंतःप्रज्ञा कहते हैं। हालांकि, यह पूर्णतः यादृच्छिक होता है, जो कि हमारे पूर्व के अनुभवों, अवलोकनों या अन्य द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होती है। इसलिए अंतःप्रज्ञा में किसी भी प्रकार का नैतिक विकल्प शामिल नहीं होता है, यह केवल एक अपेक्षा का ही परिणाम है।

- **अंतःकरण (Conscience)** वस्तुतः सही अथवा गलत के प्रति एक व्यक्ति की नैतिक समझ होती है, जिसे किसी व्यक्ति के व्यवहार हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। यह भी हमारे अनुभवों तथा ज्ञान के भंडार से हीं संचालित होता है। प्रायः इसे विवेक की पुकार के रूप में संदर्भित किया जाता है। मनुष्य के विवेक की इस पुकार में विस्तृत तार्किकता शामिल हो भी सकती है अथवा नहीं, परंतु यह स्थिति के उचित अथवा अनुचित के तौर पर निर्णय देने पर केंद्रित होती है अर्थात् इसमें नैतिक विकल्प शामिल होता है। अंतःकरण को स्वेच्छा से दबाया भी जा सकता है।
- हो सकता है एक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी पड़े, क्योंकि व्यक्ति को अपने से उच्च प्राधिकारी के कारण भी ऐसा विकल्प चुनना पड़ सकता है अथवा उसे वांछित कार्यवाही के विरुद्ध भय दिखा कर भी ऐसा कराया जा सकता है । इससे **अंतःकरण के संकट (crisis of conscience)** का उद्गम होता है।

संस्कृति (Culture)

- किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों पर संस्कृति तथा जिस देश में वह निवास करता या करती है, का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, पाश्चात्य संस्कृति व्यक्ति प्रधान प्रतीत होती है जबकि भारतीय संस्कृति सार्वभौमिकता तथा बहुलवाद के मूल्यों पर आधारित है। साहित्य तथा ग्रन्थ भी व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए – वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य इत्यादि।

समाज (Society)

- किसी भी समाज में लोग वस्तुतः नैतिक मानदण्डों को ही स्वीकार करते हैं। तथापि हमें नैतिकता को समाज के स्वीकृत मान्यताओं के आधार पर नहीं परखना चाहिए क्योंकि एक समाज नैतिकता से पथभ्रष्ट भी हो सकता है। सम्पूर्ण समाज या इसका एक बड़ा भाग नैतिक रूप से भ्रष्ट भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, नाज़ी जर्मनी तथा स्टालिन के समय के रूस ने अपने नागरिकों पर रहन-सहन के ख़ास मानदण्ड आरोपित किए तथा उन्हें उन सिद्धांतों के बारे में विश्वास दिलाने की चेष्टा भी की गयी। समाज के प्रभावशाली वर्ग की स्वीकृति के कारण ही भारत में जाति प्रथा हज़ारों वर्षों से चलती आ रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर सामाजिक सहमति नहीं बन पाती। अतः नीतिशास्त्र को हमेशा समाज के स्वीकृत मान्यताओं से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

परिवार, शिक्षक तथा जीवन के अनुभव (Family, Teachers and life experiences)

- माता-पिता, परिवार तथा शिक्षक एक बच्चे की मूल्य प्रणाली को आकार देते हैं। उनके व्यवहार, आचरण तथा शिक्षाओं के अनुसार बच्चों के जीवन के मार्ग निर्धारित होते हैं। वस्तुतः सामान परिवार में सामान धर्म, रीति-रिवाज़ों तथा परम्पराओं का पालन किया जाता है। यद्यपि कुछ लोग अपने माता-पिता के विश्वासों, धारणाओं तथा विचारों से स्वयं को मुक्त कर अपनी इच्छानुसार अपने सिद्धांतों के समुच्चयों का चयन करते देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बालक स्वयं तथा

VISION IAS

अपनी बहन के प्रति अपने परिवार में बरते जाने वाले भेद-भाव को देख कर भी एक बालिका को एक बालक के समान समझ सकता है।



विधि/क़ानून (Law)

- विधि में प्रायः नैतिक मानदण्डों का समावेश होता है, जिनका अनुपालन अधिकांश नागरिक करते हैं। तथापि, व्यक्ति को विधि के अनुपालन की बराबरी नीतिशास्त्र के अनुपालन से नहीं करना चाहिए। विधि, कभी-कभी नैतिकता से दूर भी चली जाती है। उदाहरण के लिए, US में दासप्रथा से संबंधित विधियाँ दासप्रथा को अनैतिक घोषित करती हैं। दूसरी ओर, दासप्रथा को प्रतिबंधित कर सबको समान अधिकार देने वाली विधियाँ सही मायने में विधि तथा नीतिशास्त्र की सुसंगतता को प्रदर्शित करती हैं। (विधि तथा नीतिशास्त्र के बीच संबंधों का विवरण पहले ही विस्तार से दिया जा चुका है।)

नेतृत्व (Leadership)

- किसी समाज, संगठन या देश का नेतृत्व यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि उसके अनुयाइयों या प्रशंसकों का आचरण नैतिक है या नहीं। उदाहरण के लिए, भारतीय लोकतांत्रिक, उदार, पंथ-निरपेक्ष तथा सहिष्णुतापूर्ण परम्पराएं हमारे पूर्वजों तथा आधुनिक भारतीय समाज के निर्माताओं के द्वारा हमें प्रदत्त एक उपहार है। हालांकि, नेतृत्व के भी अनैतिक आचरणों में लिप्त होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन यह स्वयं नेतृत्वकर्ताओं के गुणों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, नेतृत्वकर्ताओं के अनुसरण का अर्थ सदा नैतिक होना ही नहीं हो सकता।

दर्शन या दार्शनिक मान्यताएं (Philosophies)

- भिन्न-भिन्न दार्शनिक तथा चिन्तक अलग-अलग नैतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। उदाहरणस्वरुप, एक परिणामवादी (consequentialist) के लिए किसी कार्यवाही में नीतिशास्त्र का निर्धारण उसके परिणामों के आधार पर होता है, जबकि किसी कर्तव्यवादी (कर्तव्य-परक) (deontologist) के लिए यह स्वयं उस कृत्य की प्रकृति पर निर्भर होता है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य वस्तुतः उसके बौद्धिक विकास के दौरान उसके संपर्क में आए दार्शनिक मान्यताओं के द्वारा प्रभावित होंगे।

संविधान (Constitution)

- विभिन्न देशों का संविधान भी उनके समाज की नैतिक प्रवृत्ति को स्थापित करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए – जहाँ अधिकांश देशों के संविधान में समानता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं, वहीं कुछ देशों के संवैधानिक ढाँचे में निरंकुशता, अति हस्तक्षेप और गैर-सहभागितापूर्ण मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं।
- चूंकि विधि, समाज, धर्म आदि नैतिक मार्ग से भटक सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को अपने नैतिक मानकों का निरंतर परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित और अच्छी तरह से स्थापित हैं। नैतिक बनने के लिए अपने नैतिक विश्वासों और अपने नैतिक आचरणों का निरंतर अध्ययन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी दिनचर्याओं में इसका पालन करें। इसलिए व्यक्ति स्वयं नीतिशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है, जैसे- हर व्यक्ति किसी निर्दोष की हत्या, गर्भपात करने या बाल शोषण को अनैतिक मानता है या उसके प्रति गहन अंतर्बोध रखता है।
- यदि हम नैतिक मुद्दों को संबोधित करने के कौशल को महत्ता दें तो इन्हें सीख और विकसित कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम नैतिक समस्याओं से व्यवहार करने की अपनी पद्धति को अपने द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट स्थितियों हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित करने की निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया के रूप में देखें। इसके लिए आवश्यकता यह होती है कि हम

VISION IAS

नीतिशास्त्र को स्थैतिक दृष्टिकोण के स्थान पर गतिशील रूप से समझने के लिए एक ढांचा स्थापित करने में सक्षम हों।



2.3. नीतिशास्त्र के परिणाम

(Consequences of Ethics)

- नीतिशास्त्र के परिणाम का अर्थ नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित मानवीय गतिविधियों/कार्यवाहियों/क्रियाकलापों के परिणाम से है। इसका अर्थ यह है कि कोई गतिविधि (क्रियाकलाप/कार्यवाही) कितनी अच्छी या बुरी थी, इसका निर्धारण उसके परिणाम करते हैं। किसी भी कार्यवाही के परिणाम को उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप होने वाले मानवीय सुख, दुख, पीड़ा, खुशी आदि से मापा जा सकता है। मानवीय क्रियाकलाप/कार्यवाही के परिणाम किसी व्यक्ति को कुछ चीजें करने या नहीं करने के लिए प्रेरित या निषेध करते हैं। उदाहरण के लिए– माता-पिता अपने बच्चों को उपहारों का लालच देकर कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- मानवों में सामान्य रूप से अपनी कार्यवाहियों के माध्यम से अपना आनंद बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन, कुछ लोग दीर्घकालिक परिणामों का विचार किए बिना अल्पकालिक सुख को वरीयता देते हैं जबकि कुछ लोग भविष्य में दीर्घकालिक आनंद सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी दुख झेलने को वरीयता देते हैं। उदाहरण के लिए– कोई व्यक्ति स्वास्थ्य लाभों की अनदेखी करते हुए अत्यधिक मीठा खाने की अपनी प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सकता है या अपनी स्वाद लोलुपता के वशीभूत हो सकता है, जिससे भविष्य में उसको दुख झेलना पड़ सकता है। अन्य व्यक्ति भविष्य में रोगमुक्त जीवन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम कर सकता है और आत्म संयम का अभ्यास कर सकता है।
- लेकिन, मानवीय कार्यवाहियों के परिणामों का अनुमान लगाना कठिन है।
- कृपया ध्यान दीजिए कि "परिणामवाद" (Consequentialism) 'नीतिशास्त्र के परिणाम' का केवल एक भाग मात्र है। परिणामवाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका यह कहना है कि किसी कार्यवाही को उस अवस्था में नैतिक माना जाना चाहिए यदि इसके फलस्वरुप अच्छे परिणाम उत्पन्न होते हों।

2.4. नीतिशास्त्र के आयाम (Dimensions of Ethics)

- नैतिक सिद्धांत क्या है? यह एक दार्शनिक सिद्धांत है जो हमें नैतिक निर्णय के अनुशीलन (व्यवहार) को समझने, समझाने और संभवत: मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। नैतिक सिद्धांत व्यक्तियों, समाज या संस्कृतियों के नैतिक विश्वासों का केवल वर्णन मात्र नहीं है। नीतिशास्त्र पर विचार करने वाला एक व्यक्ति निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है:
  - A. **नैतिकता की प्रकृति और उसकी स्थिति (The very nature and status of morality):** क्या नैतिकता वही है जिसकी बात धर्म (या ईश्वर) करता है? या यह नियमों का एक ऐसा समुच्चय है जिसे मनुष्य ने अपने पारस्परिक हितों को पूरा करने हेतु अपने लिए अभिकल्पित किया है? तो ऐसे में सवाल यह है कि फिर, नीतिशास्त्र, इसकी परिभाषा और इसकी परिधि वास्तव में क्या है?
  - B. **नैतिक निर्णय की प्रकृति और उसका अर्थ (The nature and meaning of moral judgments):** क्या नैतिक निर्णयों की प्रकृति केवल भावनात्मक होती है अर्थात् क्या वे उचित और तर्कसंगत होने के बजाये केवल हमारी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं? क्या नैतिक निर्णयों को सार्वभौमिक रूप से सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या फिर वे केवल संदर्भ पर निर्भर होते हैं? उदाहरण के लिए, यह सुविख्यात है कि

VISION IAS

'ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है'; लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या ईमानदारी किसी व्यक्ति में केवल एक वांछनीय विशेषता है या यह कथन एक सार्वभौमिक सत्य है? यदि यह सत्य है, तो क्या इससे कोई संदर्भ जुड़ा हुआ है?



C. **नैतिक निर्णयों को सही ठहराने वाले मौलिक नियम, सिद्धांत और मूल्य (The fundamental rules, principles and values justifying moral judgments):** क्या कोई निर्णय लेने में एकमात्र परिणाम ही मायने रखते हैं या कुछ ऐसे अन्य सिद्धांत हैं जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए? क्या मानवीय सुख कर्तव्य पालन से अधिक महत्वपूर्ण है? या सदाचारी होना दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से कोई भी सिद्धांत नैतिक निर्णय में निहित हो सकता है।

D. **नीतिशास्त्र के व्यावहारिक अनुप्रयोग (Practical application of ethics):** क्या बच्चों को खिलाने के लिए चोरी करना उचित है? क्या जीव विज्ञान में उन्नति निर्बाध जारी रहनी चाहिए या आनुवंशिक रूप से संशोधित शिशुओं पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए? क्या विश्वविद्यालयों में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए या अपेक्षाकृत पिछड़े सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? योग्यता तय करने के मानदण्ड क्या होने चाहिए?

प्रश्न A-D ऐसे विभिन्न आयाम हैं जिनके आधार पर नीतिशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इन्हें और अधिक विशेष रूप से अधिनीतिशास्त्र (Meta ethics), नियामकत्व/मानकीय/निर्देशात्मक (Normative ethics) और अनुप्रयुक्त/फलित नीतिशास्त्र (Applied ethics) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) अधिनीतिशास्त्र (Meta-ethics): यह नैतिक निर्णयों की प्रकृति से संबंधित है। (A&B में दिए गए प्रश्न)। यह नैतिक सिद्धांतों के उद्भव और अर्थ का अन्वेषण करता है। उदाहरण के लिए, जब हम जैव-नीतिशास्त्र (bioethics) की बात करते हैं, तो अधिनीतिशास्त्र सही या गलत के प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। बल्कि यह चर्चा की जा रही समस्या के मूलभूत अर्थ एवं प्रकृति को परिभाषित करने का प्रयास करता है। यहाँ यह परीक्षण करेगा कि 'यह पूछने का अर्थ क्या है कि क्या जेनेटिक रिसर्च नैतिक रूप से स्वीकार्य हैं या नहीं?' 'जेनेटिक इंजीनियरिंग के नैतिक स्वरूप का निर्धारण करने में हमें किन स्रोतों पर विचार करना चाहिए? – यह ईश्वर निर्मित नियम है या मानव निर्मित नियम?'

(ii) नियामकत्व/मानकीय/निर्देशात्मक नीतिशास्त्र (Normative ethics): (C में दिए गए प्रश्न) यह नैतिक निर्णय की विषयवस्तु तथा सही एवं गलत के मापदंडों से संबंधित है। यह सही और गलत आचरण को विनियमित करने वाले नैतिक मानकों पर पहुँचने को समाविष्ट करता है। एक अर्थ में, यह उचित व्यवहार की कसौटी हेतु की जाने वाली खोज है। यह नीतिशास्त्र की वह शाखा है जो यह स्थापित करती है कि कार्यपद्धतियाँ कैसीं हो या होनी चाहिए, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए और कौन-सी कार्यवाही गलत है तथा कौन-सी सही है। यह मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समुच्चय, या कार्यवाही हेतु मानदंडों के समुच्चय का विकास करने का प्रयास करता है। मानकीय/निर्देशात्मक नीतिशास्त्र के अंतर्गत हम नैतिक प्रश्नों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करते हैं। किसी प्रदत्त परिस्थिति का कोई एक आदर्श समाधान नहीं होता है, अपितु अलग-अलग सिद्धांतों को अलग-अलग महत्व देने के कारण हम विभिन्न निर्णय पर पहुंचेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं:

VISION IAS



- **परिणामवादी दृष्टिकोण (Consequentialist approach):** इस दृष्टिकोण के अनुसार, किसी कार्यवाही की नैतिकता का निर्धारण उसके परिणामों, परिणति या फलों से किया जाता है। किसी कार्यवाही के परिणाम जितने अच्छे होते हैं, वह कार्यवाही उतनी अच्छी मानी मानी जाती है। उपयोगितावाद (Utilitarianism) इसका एक रूप है। यह कहता है कि लोगों को उपयोगिता में वृद्धि करनी चाहिए। इसे मानव कल्याण या भलाई के रूप में मापा जा सकता है। सुखवाद (hedonism) में यह कहा जाता है कि लोगों को अपने सुख में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार, इनके अनुसार, जो कार्यवाहियाँ सुख या कल्याण में बढ़ोत्तरी करती हैं और कष्ट या पीड़ा में कमी करती हैं वे नैतिक हैं।
- **कर्तव्यवादी/कर्तव्यविज्ञान/कर्तव्य-परकतावादी दृष्टिकोण (Deontological approach):** इस दृष्टिकोण के अनुसार, नीतिशास्त्र इसपर निर्भर होता है कि लोग क्या करते हैं, न कि उन कार्यवाहियों के परिणामों पर। यह गैर-परिणामवादी होता है क्योंकि हम अपनी कार्यवाहियों को सही ठहराने के लिए अच्छे परिणाम नहीं दर्शा सकते। इसके अनुसार, हमें सही कार्य करना चाहिए क्योंकि वे सही हैं और गलत कार्य से दूर रहना चाहिए क्योंकि वे गलत हैं। कुछ कृत्य अपने आप ही अनैतिक होते हैं, जैसे- लोगों की हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना आदि। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत (Natural Rights Theory) (थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक द्वारा समर्थित) यह मानता है कि मनुष्य को निरपेक्ष प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। सार्वभौमिक अधिकार के अर्थ में ये नैतिकता की प्रकृति में निहित हैं और मानव कार्यों या विश्वासों पर निर्भर नहीं हैं। ये अंततः ऐसे अधिकारों के रूप में विकसित हुए हैं जिन्हें हम आज मानव अधिकार कहते हैं। इमैनुएल काण्ट का निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative), नैतिकता की जड़ को मानवता की तर्कसंगत क्षमता मे निहित करता है और कुछ अनुल्लंघनीय नैतिक कानूनों का दावा करता है। काण्ट का यह निरूपण कर्तव्यवादी है और वह तर्क प्रस्तुत करता है नैतिक रूप से सही कार्य करने हेतु लोगों को कर्तव्य भावना के अनुसार कार्य करना होगा और कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रयोजन (आशय/नीयत) ही उसे सही या गलत बनाते हैं, कार्यों के परिणाम नहीं। सरल रूप से कहा जाए तो निरपेक्ष आदेश यह कहता है कि व्यक्ति को इस प्रकार आचरण करना चाहिए कि व्यक्ति अपने आचरण के सूत्रवाक्य (या सिद्धांत) को सार्वभौमिक नियम बनाना चाहे और व्यक्ति को मानवता से सदैव साध्य के रूप में व्यवहार करना चाहिए, साधन के रूप में नहीं।
- **सद्गुण नीति-शास्त्र (Virtue ethics):** यह कार्यवाही आधारित होने के बजाये व्यक्तिपरक है। यह किसी विशिष्ट कार्यवाही की प्रकृति या परिणामों के स्थान पर व्यक्ति के अंतर्निहित चरित्र पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, सच्चरित्र व्यक्ति सदैव सही कार्य करता है। वह समान परिस्थितियों में सदैव समान आचरण करेगा। सद्गुण नीति-शास्त्र न केवल व्यक्तिगत कार्यवाहियों की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता की समस्या का समाधान करता है, अपितु यह ऐसी विशेषताओं और व्यवहारों के प्रति मार्गदर्शन भी प्रदान करता है जो अच्छा व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार, इसके अनुसार, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए लोगों को सच्चरित्र बनने में सहायता की जानी चाहिए। यद्यपि गुणों की सूची में समय के साथ परिवर्तन

VISION IAS

होते रहते हैं, लेकिन कुछ गुण जो अधिकतर सूची में बने रहते हैं, वे हैं: न्याय, धैर्य, आत्म-संयम, आत्म-निरीक्षण, सत्यनिष्ठा आदि।

- **संदर्भात्मक/प्रासंगिक दृष्टिकोण (Contextualist approach):** यह निर्देशात्मक नियमों (prescriptive rules) को अस्वीकार करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सही और गलत वस्तुतः परिस्थिति पर निर्भर करता है क्योंकि कोई भी सार्वभौमिक नैतिक नियम या अधिकार नहीं है। इस प्रकार, प्रत्येक परिस्थिति विशिष्ट होती है और विशिष्ट हल के पात्र होती है।
- **अलौकिक दृष्टिकोण (Supernaturalist approach):** इस दृष्टिकोण के तहत नीतिशास्त्र के लिए ईश्वर को उत्तरदायी ठहराया जाता है, अर्थात् नैतिक नियमों का एकमात्र स्रोत ईश्वर है। इसके अनुसार ईश्वरीय कथन नैतिक हैं। इस प्रकार, अपने जीवन में नैतिक होने का अर्थ है - ईश्वरीय कथन का अनुसरण करना।

(iii) अनुप्रयुक्त/फलित नीतिशास्त्र (Applied ethics): (D में दिए गए प्रश्न) यह नैतिक सिद्धांत को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास करता है, जैसे कि यह विवादास्पद विषयों, यथा- युद्ध, पशु अधिकार, मृत्युदंड आदि पर विचार करता है। इसके कई विशिष्ट क्षेत्र हैं, जैसे- इंजीनियरिंग नीतिशास्त्र, जैव-नीतिशास्त्र (bioethics), भू-नीतिशास्त्र (geoethics), लोक सेवा नीतिशास्त्र (public service ethics) एवं व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र (business ethics)। इसका उपयोग सार्वजनिक नीति के निर्धारण में किया जाता है।



3. अनुप्रयुक्त/फलित नीतिशास्त्र : विशिष्ट उदाहरण

(Applied Ethics: Specific Examples)



3.1. पर्यावरणीय नीतिशास्त्र (Environmental Ethics)

- पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानवीय कार्यवाहियों और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र पर्यावरण से समाज के एक भाग के रूप में व्यवहार करता है। यह जैव विविधता और पारिस्थितिकीय प्रणालियों को बनाए रखने और उनके संरक्षण से जुड़े पर्यावरणीय मूल्यों और सामाजिक अभिवृत्ति से संबंधित है।
- बढ़ता प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, क्षीण होती पादप और जन्तु जैव विविधता, वनों का नाश, पारिस्थितिक तंत्र का निम्नीकरण और जलवायु परिवर्तन सभी "हरित" मुद्दों के भाग हैं। इन्होंने हाल के वर्षों में अपने आपको लोक चेतना और लोक नीति दोनों में समाविष्ट कर लिया है। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र का कार्य ऐसी चिंताओं के आलोक में हमारे नैतिक दायित्वों को रेखांकित करना है। दो मूलभूत प्रश्न, जिन्हें पर्यावरणीय नीतिशास्त्र को अवश्य संबोधित करना चाहिए, हैं: पर्यावरण के संबंध में मनुष्यों के क्या कर्तव्य हैं और क्यों? यहाँ क्यों (उत्तरवर्ती प्रश्न) से पहले सामान्यत: क्या (पहला प्रश्न) पर विचार किया जाना चाहिए। अभी हमारे जो दायित्व हैं, उनसे निपटने के लिए, पहले सामान्यत: इस बात पर विचार करना आवश्यक माना जाता है कि ये हमारे कर्तव्य क्या हैं। उदाहरण के लिए, क्या हमारा पर्यावरणीय दायित्व वर्तमान समय में विश्व में रहने वाले मनुष्यों के प्रति है या भविष्य की पीढ़ियों के लिए है या पारिस्थितिकी तंत्र की देख-भाल करने के संदर्भ में किसी भी मानवीय लाभ से निरपेक्ष, स्वयं पर्यावरण के विभिन्न घटकों के निमित्त है? अलग-अलग नैतिक दृष्टिकोण इस मूलभूत प्रश्न का नितांत भिन्न-भिन्न उत्तर देते हैं और इसने नितांत भिन्न पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया है।
- पारिस्थितिकीय मूल्य भारतीय परंपरा के अंग रहे हैं जहां मानव जाति के प्रति अपनी सेवाओं के लिए प्रकृति को पूर्ण सम्मान दिया गया था। बाबा आम्टे जैसे विभिन्न पर्यावरणविदों ने भी पारिस्थितिकीय संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाई। उनका मानना था कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहना चाहिए, न कि प्रकृति का शोषण करके। उन्होंने लोगों को संधारणीय विकास का प्रतिमान अपनाने के लिए प्रेरित किया जो मानव जाति और प्रकृति दोनों के लिए लाभप्रद होगा। कुछ पारिस्थितिकीय मूल्य इस प्रकार हैं:
  - **संधारणीयता:** यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि हम प्रदूषण के स्तर को कम करें और प्राकृतिक संसाधनों के अपव्ययपूर्ण उपभोग में कमी लाएँ।
  - **सह-अस्तित्व:** इसके अंतर्गत पौधों और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व तथा उनसे मनुष्य के समान व्यवहार करने की बात की गयी है।
  - **संरक्षण:** प्राकृतिक विकल्प ढूंढकर संसाधनों को संरक्षित करने पर बल।
  - **पर्यावरण-केंद्रित:** नैतिक सिद्धांतों को मनुष्य और उसकी आवश्यकताओं के चारों ओर ही नहीं बल्कि पर्यावरण और उसकी आवश्यकताओं के चारों ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - **सामूहिकवाद के साथ-साथ व्यक्तिवाद (Collectivism as well as individualism):** यह व्यक्तिगत मानवीय क्रियाकलाप/कार्यवाही के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास की बात करता है।
  - **समग्रता (Holistic):** पर्यावरण का समग्र रूप से संरक्षण किया जाना चाहिए, न कि टुकड़ों और भागों में जिसका परिणाम संरक्षण के प्रयासों की बर्बादी होती है।

VISION IAS

3.2. व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र (Business Ethics)



- व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र वस्तुतः व्यावसायिक माहौल में लागू होने वाले नैतिक सिद्धांतों के समुच्चय को निरूपित करता है। यह किसी संगठन की सभी गतिविधियों और व्यक्तियों पर लागू होता है। कई फर्में अपने संगठन में नियोजित लोगों के कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए विस्तृत आचार संहिता विकसित करती हैं। इस प्रकार, व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र को इन आचार संहिताओं की सामग्री और प्रभावशीलता का अध्ययन कहा जा सकता है।
- व्यापारिक संस्थाएं जिन गतिविधियों में संलग्न होती हैं, उनके प्रति उनका नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। उदाहरण के लिए - अपने कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करने का उत्तरदायित्व, जिस पर्यावरण से वे संसाधन प्राप्त करते हैं उसके प्रति सम्मान का उत्तरदायित्व, उपभोक्ताओं पर अपने उत्पाद के प्रभाव के प्रति उत्तरदायित्व आदि। कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा कॉर्पोरेट के संचालन में अपनाई गई नैतिकता के स्तर पर निर्भर करती है। व्यापार में नैतिक व्यवहार के कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं:
    - दूसरों को धोखा देने, छल करने या चालाकी से काम निकालने के लिए प्रलोभित न होना।
    - बाजार और संगठनों की रचना करने वाले कानूनों और विनियमों का भावना के साथ-साथ अक्षरश: पालन करना।
- चूंकि, कानून सभी व्यापारिक व्यवहारों को अच्छादित नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसे में कानून कई बार कुछ बातों को अलिखित छोड़ देते हैं, जिसका सदुपयोग/दुरुपयोग किया जा सकता है। यहीं व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र आता है। जब बाजार बाह्यताओं या अपूर्ण सूचना के कारण विफल हो रहा हो तब किसी व्यावसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठान को बाजार का शोषण नहीं करना चाहिए।

उपभोक्ताओं के संबंध में व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र (Business ethics with respect to consumers)

उपभोक्ताओं के साथ अपने व्यवसाय में फर्मों को कुछ नैतिक व्यवहारों का पालन करना चाहिए, जैसे:

- स्वास्थ्य देखभाल और फार्मा आदि जैसी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में इसका उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानकों को बनाए रखना।
- विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को उत्पाद का वास्तविक परिचय देना।
- गैर-कानूनी रूप से प्राप्त अंगों, दवाओं आदि जैसे अनुचित उत्पादों की बिक्री नहीं करना। ऐसी गतिविधियाँ मानव को केवल लाभ का एक साधन मानती हैं।

कर्मचारियों के संबंध में व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र (Business ethics with respect to employees)

अपने कर्मचारियों से व्यवहार करते समय फर्मों को निम्नलिखित तत्त्वों का ध्यान रखना चाहिए:

- **गैर-भेदभाव (Non-discrimination):** कर्मचारियों से काम के संबंध में उनकी योग्यता के आधार पर यथोचित व्यवहार करना चाहिए।
- **कर्मचारियों को उनके प्रयासों के अनुरूप भुगतान करना (Pay commensurate to their efforts):** कर्मचारी को संगठन की सफलता के प्रति उसके द्वारा किए गए योगदान के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

नोट: व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र के अन्य पहलुओं का "कॉर्पोरेट प्रशासन" शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया जाएगा।

VISION IAS

3.3. नैतिक प्रबंधन (Ethical Management)



- प्रबंधन में नीतिशास्त्र के समावेश को नैतिक प्रबंधन कहते हैं अर्थात् व्यक्ति को प्रबंधन में बुरी परिपाटियों से बचना चाहिए। प्रबंधकीय नीतिशास्त्र वस्तुतः कार्यस्थल पर परिचालन में संलग्न प्रबंधक के आचरण को निर्देशित करने वाले मानकों का एक समुच्चय है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी कानून या नियम तैयार नहीं किए गए हैं। इसके बजाए, कंपनी द्वारा अपने प्रबंधकों का मार्गदर्शन करने के लिए नीतिशास्त्रीय संहिताएँ तैयार की जाती हैं। यह सामान्यत: मूलभूत आचरण के संबंध में साझा मूल्यों, सिद्धांतों और कंपनी की नीतियों का एक सेट होता है तथा कर्मचारियों, कंपनी और उसके हितधारकों के प्रति प्रबंधक के कर्तव्यों को रेखांकित करता है। इनकी अप्रवर्तनीयता के बावजूद भी, कंपनी की कुछ आचार नीति की उपेक्षा करने वाले प्रबंधकों से पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। प्रबंधकीय नीतिशास्त्र के कुछ उदाहरण- कंपनी की चीजों का व्यक्तिगत इस्तेमाल न करना, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी के टेलीफोन या कैब सेवा का इस्तेमाल न करना, शिकायतें व्यक्त करने के लिए अपने अधीनस्थों को उचित अवसर प्रदान करना, हितों के संघर्ष की किसी भी स्थिति की पूर्व घोषणा करना (जैसे- विक्रेताओं से उपहार स्वीकार करना) आदि।
- कृपया ध्यान दें: व्यावसायिक/व्यापार नीतिशास्त्र और नैतिक प्रबंधन (प्रबंधकीय नीतिशास्त्र) दोनों में थोड़ी भिन्नता हैं। व्यावसायिक नीतिशास्त्र वस्तुतः व्यावसायिक कार्यवाही से प्रभावित पक्षों से जुड़ा है। यह किसी उद्यम के निर्णय निर्माण और कार्यवाही का एक मानक है। जबकि नैतिक प्रबंधन कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से व्यवहार करने में प्रबंधकों के लिए व्यक्तिगत व्यवहार के मानकों के साथ अधिक संबंध रखता है।
- यह भी ध्यान दें: नीतिशास्त्र का प्रबंधन एक अलग विषय है। नीतिशास्त्र के प्रबंधन का अर्थ वस्तुतः नैतिक व्यवहार के अनुपालन हेतु सभी के लिए सिद्धांतों का एक समुच्चय या संहिता तैयार करने से है। इसके चलते एक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा निर्णय लेने के लिए हितों के टकराव और दुविधाओं से निपटता है, इसी तरह व्यक्ति नैतिक मार्ग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने कार्यों को निर्देशित करने और अपने अंत:करणक को संतुष्ट करने का प्रबंध करता है।

3.4. विश्वबंधुता संस्कृति और शहरीकरण के संदर्भ में नैतिक संघर्ष

(Ethical Conflicts in Cosmopolitan Culture and Urbanisation)

- आर्थिक विकास और सुख की इच्छा ने द्रुत शहरीकरण की परिघटना और विश्वव्यापीकरण (cosmopolitanism) की संस्कृति को आधुनिक समाज का वास्तविक तथ्य बना दिया है। इससे काम के अवसर में वृद्धि हुई है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, देश की आर्थिक प्रगति हुई है, जागरूकता में वृद्धि देखने को मिली है, सरकार विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे इसे लेकर लोगों के मांग में वृद्धि हुई है।
- विश्वव्यापीकरण की संकल्पना के अनुसार सभी मनुष्य नैतिक सिद्धांतों के समान समुच्चय के साथ एक ही समुदाय से संबंधित हैं। सैद्धांतिक रूप से, यहां हर कोई वृहत्तर विश्व के लिए अपने आपको खुला रखते हुए अपनी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अखंडता बनाए रख सकता है। विश्वव्यापीकरण और शहरीकरण निम्नलिखित मूल्यों से जुड़े हैं:
    - समावेशिता, एकता, मानवाधिकार और गरिमा, सांस्कृतिक विविधता, एकजुटता, समानता;
    - खुलापन, सुशासन, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, लोकतंत्र;
    - वैश्वीकरण, आधुनिकता, औद्योगिकीकरण, उपभोक्तावाद, उदारीकरण;
    - अंध देशभक्ति का विरोध, सामाजिक न्याय, शांति; और
    - सूचना के माध्यम से सामूहिक बुद्धिमत्ता/समझ (Collective Intelligence)।

VISION IAS



हालांकि, ये (विश्वव्यापीकरण और शहरीकरण) विभिन्न नैतिक संघर्षों को भी जन्म देते हैं, जैसे:

- **विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संसाधनों का उपयोग बनाम पर्यावरणीय संधारणीयता:** लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए खनन, बांध निर्माण, विद्युत परियोजनाओं आदि जैसी बड़ी परियोजनाओं की आवश्यकता है। इसका संधारणीयता (अर्थात् वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का इष्टतम उपयोग ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें) के प्रश्न के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष है।
- **बढ़ती असमानता और निर्धन एवं सुभेद्य वर्गों की स्थिति:** वैश्वीकरण के कारण यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि आर्थिक विकास का फल केवल कुछ ही लोगों द्वारा प्राप्त किया जा है जिसके कारण असमानता में तीव्र वृद्धि हुई है। शहरी मलिन बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की स्थितियों और महानगरों में आलिशान भवनों एवं व्यापक सुविधाओं का लाभ उठाने वाले वर्गों के बीच स्पष्ट अंतर देखने को मिला है और यह स्थिति निरंतर बनी हुई है।

सामाजिक समृद्धि/शुभ (Social Well-Being)

सामाजिक समृद्धि/शुभ का तात्पर्य स्वस्थ संबंध, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक शांति से है। मनुष्य स्वभाव से ही अपनी समृद्धि के लिए सामाजीकरण पर निर्भर होता है। यही कारण है कि मनुष्य अनेक समूहों का गठन करता है। इन संगठनों की प्रकृति ही मनुष्य की सामाजिक समृद्धि को निर्धारित करती है। सामाजिक समृद्धि के निम्नलिखित विभिन्न घटक है:

- **सामाजिक स्वास्थ्य:** इसका तात्पर्य अच्छे सामाजिक संबंध वाले लोगों से हैं।
- **सामाजिक स्थिति:** इसका तात्पर्य प्रकृति, व्यक्ति की संपत्ति आदि के संबंध में लोगों की सामान्य धारणा से है।
- **सामाजिक समानता:** इसका तात्पर्य संसाधनों के समान वितरण से है। पुनः इसका तात्पर्य आधारभूत सेवाओं की व्यवस्था से भी है जो सभी के लिए समान रूप से सुलभ हों। फलस्वरूप लोगों के मध्य समानता की भावना में वृद्धि और सापेक्ष वंचितता की भावना में कमी आती है जिससे अंततः लोगों की समृधि में बढ़ोतरी होती है।
- **सामाजिक मानदंड:** इसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान माहौल (परिस्थिति) से है। विभिन्न समुदायों से संबंधित मानदंड अलग-अलग नहीं होते।

सामाजिक शुभ का तात्पर्य लोगों के साथ मिल-जुल कर रहने से भी है। इसका अर्थ आपकी सहायता करने के लिए परिवार और मित्रों का होना है। यह संबद्धता, प्रयोजन और सामाजिक समावेश की भावना प्रदान करता है। समकालीन समय में, सामाजिक शुभ के प्रभावित होने का कारण यह है कि लोग शिक्षा या रोजगार आदि के बेहतरी के लिए के बाहर चले गए जिससे सदियों से विकसित कड़ियां और बंधन टूटने लगे हैं। इस प्रकार, सामाजिक नेटवर्क निरंतर बन भी रहा है और टूट भी रहा है।

- **संसाधनों के लिए संघर्ष:** लोग विश्वव्यापी संस्कृति का अनुसरण करते हुए शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं। इसके कारण शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में विशाल वृद्धि हुई है तथा भूमि, जल, अवसंरचना इत्यादि के संदर्भ में संसाधनों की कमी देखने को मिली है। इस प्रकार, स्वच्छ जल तक अधिकांश लोगों की पहुँच में कमी आई है, सड़कों पर भीड़ में वृद्धि हुई है तथा कई लोग मलिन बस्तियों में रहने के लिए विवश हैं।
- **समाज का सलाद बाउल बनाम मेल्टिग पॉट मॉडल (Salad bowl vs Melting pot model of society):** विश्वव्यापीकरण के कारण कई संस्कृतियों ने अपनी पहचान खो दी है और विश्व की प्रभुत्वशाली संस्कृतियां इन्हें उत्तरोत्तर अपने अंदर समाविष्ट करती जा रही हैं।
- **वैश्विक बनाम क्षेत्रीय मूल्य:** मेल्टिंग पॉट मॉडल के विरोध में, क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृतियां वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी संस्कृति पर मजबूती से दावा कर रही हैं।
- **सांस्कृतिक विविधता बनाम सांस्कृतिक टकराव:** इन क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों को यहां लाते हैं और उन्हें इनके संपर्क में आने में सक्षम बनाते हैं। लेकिन कभी-कभी इस विविधता से संघर्ष होता है जब कुछ लोग नई संस्कृति के लिए खुले नहीं होते हैं।

VISION IAS

- **व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकवाद (Individualisation versus collectivism):** शहरी क्षेत्रों में बढ़ते व्यक्तिवाद के परिणामस्वरुप नवीन सामाजिक संरचना का उद्भव होता है जिसमें पारंपरिक परिवार पहले जितना प्रभावशाली नहीं होते हैं। इसके कारण कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि स्व-हित अन्य मूल्यों पर हावी हो गया है।
- **जीवनशैली में परिवर्तन बनाम स्वस्थ दिनचर्या:** लोगों ने अपने पारंपरिक विविध व्यंजनों और आदतों की तुलना में मैकडॉनल्डीकरण से अपने आपको और अधिक जोड़ना आरंभ कर दिया है।.

4. निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र

(Ethics in Private and Public Relationships)

4.1. निजी संबंधों में नीतिशास्त्र (Ethics in Private Relationships)

- यह उस नीतिशास्त्र को संदर्भित करता है जहाँ एक एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न लोगों तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से निपटता है और उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें बड़े पैमाने पर परिवार एवं मित्रों के साथ संबंध सम्मिलित हैं। ये संबंध किसी भी औपचारिक प्रक्रिया की अपेक्षा भावनात्मक बंधनों पर आधारित होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि उनकी प्रकृति अनौपचारिक होती है। निजी संबंध प्रायः पूर्वनिर्धारित होते हैं या वंशागत होते हैं। ये संबंध कमियों के प्रति अधिक सहनशीलता के साथ अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं।
- रामायण निजी संबंधों में नैतिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि निजी जीवन में नैतिकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है परंतु कुछ समान्य मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए:
  - **निष्ठा/विश्वसनीयता/वफ़ादारी (Loyalty):** अपने जीवन साथी तथा परिवार के सदस्यों के प्रति निष्ठा।
  - **प्रेम (Love):** परिवार के सभी सदस्यों को उनकी कमियों के बावजूद प्रेम करना।
  - **स्नेह (Affection):** सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की स्वयं अपनी आवश्यकताओं की भांति देखभाल करना।
- निजी संबंध में नैतिकता आम तौर पर व्यक्तिगत सद्गुणों, सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों, धर्म, सामाजिक मानदंडों तथा क्षेत्रीय कानून द्वारा निर्देशित होती है। निजी संबंध में नैतिकता निजी धार्मिक कानून द्वारा भी नियंत्रित होती है। व्यक्तिगत पारिवारिक एवं सामुदायिक दायित्वों को बहुत समय पूर्व कानून में लिखा जा चूका है तथा इन्हें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय के तलाक, विवाह एवं अन्य कानूनों द्वारा गंभीर प्रतिबंध आरोपित कर समर्थित किया गया है। निजी संबंधों में नैतिक संहिताओं के साथ-साथ, भारत में, धार्मिक संस्थान एवं संवैधानिक प्रावधान भी नीतिपरक मुद्दों को नियंत्रित करते हैं।

4.2. सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र

(Ethics in Public Relationships)

- यह उस नीतिशास्त्र को संदर्भित करता है जिनका एक व्यक्ति अपने व्यावसायिक जीवन में पारस्परिक व्यवहार (अंतःक्रिया) तथा व्यापारिक व्यवहार के संबंध में अनुसरण करता है। सार्वजनिक संबंध वे संबंध हैं जो किसी पेशे के सद्गुण या व्यावसायिक जीवन में धारित पद के कारण विद्यमान होते हैं।
- सार्वजनिक संबंधों के मूल मंत्र (core values) जो परस्पर व्यवहार एवं निर्णयन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं तथा किसी भी पेशेवर सत्यनिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें निम्नलिखित विशेषताएँ सम्मिलित होती हैं:
  - **पक्ष-समर्थन (Advocacy):** जिन व्यक्तियों/संगठनों के लिए प्रतिनिधित्व किया जाना है उनके लिए एक जिम्मेदार पक्ष-समर्थक के रूप में कार्य करके उनके सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना।

VISION IAS



- **ईमानदारी एवं निःस्वार्थता (Honesty & selflessness):** सार्वजनिक हितों (निजी हितों के लिए नहीं) को बढ़ावा देने के लिए यथार्थता तथा सत्यता के उच्चतम मानकों का पालन करना।
- **विशेषज्ञता (Expertise):** विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव को प्राप्त करना तथा जिम्मेदारी से सतत व्यावसायिक विकास में उपयोग करना।
- **जवाबदेही एवं खुलापन (Accountability & openness):** सार्वजनिक सेवाओं में अपने पद के संबंध में की गईं कार्यवाहियों के लिए।
- **निष्ठा एवं सेवा भाव (Loyalty & spirit of service):** सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के दायित्व का निर्वहन।
- **निष्पक्षता एवं न्याय (Fairness & Justice):** सभी क्षेत्रों में न्याय करके अपनी भूमिका को कायम रखना।

इस संबंध में "द कमिटी फॉर स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ (नोलन समिति)" ने सात सिद्धांतों को परिभाषित किया है। ये हैं:

I. **निःस्वार्थता (Selflessness):** सार्वजनिक (लोक) पद के धारकों को पूर्णत: सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना चाहिए। उन्हें स्वयं अपने, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए किसी भी प्रकार के वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए।

II. **सत्यनिष्ठा (Integrity):** सार्वजनिक पद के धारकों को स्वयं को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के प्रति किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के तहत संबद्ध नहीं करना चाहिए जो उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालें।

III. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** सार्वजनिक नियुक्तियों, ठेका/अनुबंध के मामलों, या पारितोषिक व लाभ के लिए किसी की अनुशंसा करते समय सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के दौरान सार्वजनिक पद के धारकों को योग्यता के आधार पर चयन करना चाहिए।

IV. **जवाबदेही (Accountability):** सार्वजनिक पद के धारक जनता के प्रति अपने निर्णयों तथा कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं तथा उन्हें अपने पद से जुड़े प्रत्येक जांच के लिए आगे आना चाहिए।

V. **खुलापन (Openness):** सार्वजनिक पद के धारकों को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों एवं कार्यवाहियों के लिए जितना संभव हो उतना स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए तर्क प्रदान करना चाहिए तथा जानकारी को केवल तभी प्रतिबंधित करना चाहिए जब व्यापक सार्वजनिक हित स्पष्ट रूप से इसकी मांग करें।

VI. **ईमानदारी (Honesty):** सार्वजनिक पद के धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी भी प्रकार के निजी हित की घोषणा करें तथा सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने के मार्ग मे आने वाले किसी भी बाधा को दूर करने के लिए कदम उठाएं।

VII. **नेतृत्व (Leadership):** सार्वजनिक पद के धारकों को अपने नेतृत्व कौशल के माध्यम से तथा विभिन्न उदाहरणों को पेश कर इन सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए तथा इनका समर्थन करना चाहिए।

नोट: OECD देशों ने भी सरकारी कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने के लिए आधारभूत मूल्यों के एक सेट को प्रकाशित किया है। ये हैं: भेदभाव रहित (impartiality), वैधता (legality), सत्यनिष्ठा (integrity), पारदर्शिता (transparency), दक्षता (efficiency), समानता (equality), जिम्मेदारी (responsibility) एवं न्याय (justice)।

VISION IAS

4.3. सार्वजनिक तथा निजी नीतिशास्त्र में संबंध

(Relation between Public and Private Ethics)



- निजी तथा सार्वजनिक नीतिशास्त्र के मध्य अंतर काफी संदेहास्पद है क्योंकि सार्वजनिक तथा निजी, दोनों जीवनों में, हमें सामान्य रूप से समान नैतिक मूल्यों का निर्वहन करना पड़ता है। दोनों के मध्य कोई द्वैत संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि नैतिकता एक सद्गुण जीवन को बढ़ावा देती है। अतः यह दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। एक व्यक्ति जो अपने सार्वजनिक जीवन में अनैतिक है, उससे शायद ही अपने निजी जीवन में नैतिक होने की अपेक्षा की जा सकती है तथा इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में अनैतिक है, उससे शायद ही उसके सार्वजनिक जीवन में नैतिक होने की अपेक्षा की जा सकती है। जिस तरह से एक सिविल कर्मचारी अपने परिवार में महिलाओं के साथ व्यवहार करता है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह अपने महिला सहकर्मियों के साथ कैसे व्यवहार करता होगा या फिर हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसके द्वारा कार्यान्वित नीतियां लिंग निरपेक्ष हैं या नहीं। यदि हम महान व्यक्तित्वों के उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि उनके, अपने सार्वजनिक एवं निजी जीवन को आँकने के समान मानदंड थे, उदाहरण के लिए गांधीजी, पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम आदि।
- कभी-कभी सार्वजनिक/व्यावसायिक संबंध निजी संबंध भी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए - एक शिक्षक-छात्र के मध्य संबंध - कभी-कभी कक्षा में शिक्षक बच्चों के साथ अपने व्यक्तिगत उदाहरणों का उपयोग करते हैं, बच्चे भी शिक्षकों के साथ अपनी कमजोरियों को सांझा करते हैं ताकि उनमें सुधार हो सके। इस प्रकार इस मामले में, कुछ स्तर तक, जैसे जैसे वे दोनों अपनी बातों को साझा करना आरंभ करते हैं, उनके मध्य संबंध निजी होते जाते हैं।
- यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत तथा पेशेवर नीतिशास्त्र के मध्य कोई मतभेद नहीं हो क्योंकि यह कुछ लोगों के विचारों में निराशा, अपराध या भ्रम एवं विसंगति का कारण हो सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे को आकार देते हैं तथा उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए, उन्हें एक दूसरे के समनुरूप होना चाहिए। परंतु अत्यधिक समनुरूपता विचारों तथा परिवर्तनों की निश्चलता का कारण बन सकती है, उदाहरण के लिए - यदि सार्वजनिक सेवाओं मे लगा कोई भी व्यक्ति सुधार के लिए उन्मुख नहीं होगा तथा वर्तमान समाज के समनुरूप ही रहेगा, तो सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों को लाना कठिन होगा।
- हालांकि, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का अधिक महत्व है तथा सार्वजनिक जीवन में इसकी मांग भी होती है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आप सदैव अपनी व्यक्तिगत नैतिकता का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए – निजी तौर पर आप गर्भपात को नैतिक रूप से गलत मान सकते हैं, परंतु यदि आप एक डॉक्टर हैं, तो आपको अपने पेशेवर नैतिकता का अनुपालन करते हुए आपको कई बार गर्भपात में संलग्न होना पड़ता है। इस तरह की दुविधाएँ प्राकृतिक हैं परंतु हमें अपने निजी तथा पेशेवर भूमिका के मध्य एक रेखा खींचने की आवश्यकता है। सार्वजनिक रूप से भूमिका निभाने पर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को पृथक करने तथा दृढ़ता से पेशेवर आचार संहिता का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

5. नैतिक द्वंद्व/संघर्ष का निराकरण: रास्ता क्या है?



(Resolving Ethical Conflicts: What is the way out?)

- सभी मनुष्य स्वयं में एक साध्य होते हैं। निस्संदेह हम अपने साध्य की प्राप्ति हेतु अन्य मनुष्यों का उपयोग करते हैं। एक छात्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक का उपयोग करता है। हालांकि, यहां एक सूचित सहमति का शामिल होना एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम मानवता को केवल साधनों के रूप में न मानें। नैतिकता का निर्धारण इस आधार पर किया जा सकता है कि यह उचित एवं निष्पक्ष है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक बांसुरी है, तो आपको इसे किसे देना चाहिए: एक ऐसे व्यक्ति को जो बांसुरी बजाने में निपुण (कलाप्रवीण) है, या उस व्यक्ति को जिसे इसकी अधिकतम आवश्यकता है (उपयोगिता), या फिर उस व्यक्ति को जिसे बांसुरी बजाने का कार्य सौंपा गया है (कर्तव्य-परकतावादी)? उत्तर सरल नहीं है। हालांकि, उचित एवं निष्पक्ष वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित करके वास्तव में एक नैतिक समाधान पर पहुंचने का दावा किया जा सकता है।
- कोई भी दृष्टिकोण सार्वभौमिक नहीं होता या कोई भी ऐसा दावा नहीं किया जा सकता जो दोष रहित न हो। अधिकतम आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन का कारण बन सकता है। कर्तव्य पालन के प्रति दृढ़ता नकारात्मक परिणामों का कारण भी बन सकती है; हालांकि ऐसे में निर्णय लेने वाले व्यक्ति पर उन परिणामों की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। अंततोगत्वा, सद्गुणी को पुरस्कृत करके तथा दुराचारी को दंडित कर सामान्य खुशी (आनंद) में वृद्धि की जा सकती है।
- न्याय का तात्पर्य है कि बिना किसी भय या पक्षपात के जो सही है, उसका चयन करना। निर्णय की प्रक्रिया किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति या वर्ग की ओर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हालांकि, जिस दृष्टिकोण या विधि को अपनाया जा रहा है, वह प्रत्येक अवस्था में एकसमान नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि उपयोगितावादी दृष्टिकोण ने किसी एक मामले में सर्वोत्तम परिणाम दिए हैं, तो इसका आशय यह नहीं है कि आगे के प्रत्येक निर्णय के लिए भी वही पसंदीदा दृष्टिकोण हो। एक व्यापक, बहुआयामी विश्व दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को एक सूचित तथा न्यायसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अनुभव में विविधता होने पर एक व्यक्ति दूसरों की परिस्थितियों एवं समस्याओं को बेहतर समझ सकता है। ऐसे में, अन्य संस्कृतियों तथा समाजों के प्रति रुचि को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एक तर्कसंगत एवं न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। ये निर्णय हितलाभों को पहचानने में सक्षम होने चाहिए तथा उन हितलाभों को अधिकतम करने का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही साथ, दोषों को पहचानने एवं उनके न्यूनीकरण का भी लक्ष्य होना चाहिए।

6. मानवीय मूल्य (Human Values)

- "मूल्य" वस्तुतः हमारे आस-पास की दुनिया के विभिन्न पहलुओं को प्रदत्त मान्यता या महत्व को दर्शाते हैं। मूल्य एक प्रकार की वरीयता है, साथ ही श्रेयस्कर (श्रेष्ठ) की अवधारणा। हम प्रत्येक मानवीय क्रियाकलाप/कार्यवाही के लिए मूल्यों को श्रेय देते हैं, जो कि इसकी व्यापकता को दर्शाता है।
- मूल्य वस्तुतः व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जो लोगों को एक या दूसरे तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे मानवीय व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक या नियामक के रूप में काम करते हैं।

VISION IAS

आमतौर पर लोग जिन मूल्यों के साथ बड़े हुए होते हैं, वे उन्हें अपनाने के लिए पहले से प्रवृत्त होते हैं। ऐसे में लोग यह भी मानते हैं कि वे मूल्य "सही" हैं क्योंकि वे उनके विशेष संस्कृति के मूल्य हैं।



- नैतिक निर्णय लेते वक़्त प्रायः परस्पर विरोधी विभिन्न मूल्यों पर विचार-विमर्श कर यह निर्धारित करना होता है कि किस/किन मूल्य/मूल्यों के साथ आगे बढ़ना है। संघर्ष की स्थिति तब आती है, जब लोगों के अलग-अलग मूल्य होते हैं, जिनके बीच वरीयताओं तथा प्राथमिकताओं का द्वंद्व होता है। कुछ मूल्यों में यथार्थ आदर्श, जैसे- प्रेम, सत्य व स्वतंत्रता निहित होते हैं तथा महत्वाकांक्षा, उत्तरदायित्व एवं साहस जैसे अन्य मूल्य उन लक्षणों या व्यवहारों का वर्णन करते हैं जो साध्य के साधन के रूप में महत्वपूर्ण हैं। तथापि, मानवीय मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मानवीय मूल्यों को उन मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मनुष्य को विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। ये हम इंसानों के मूल में हैं। प्रकृति, अन्य लोगों, समाज आदि के साथ व्यक्ति के क्या संबंध हैं, उनकी गहरी समझ तथा सभी प्राणियों के प्रति स्थायी सम्मान के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तव में शिक्षित नहीं कहलाता। समानता एवं पारस्परिक सम्मान की भावना तथा जियो एवं जीने दो का दर्शन मानवीय मूल्यों के परिष्कृत परिणाम हैं। इन्हें सामाजिक रूप से वांछनीय लक्ष्यों के रूप में समझा जा सकता है, जिन्हें अनुकूलन, अभ्यास या सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मसात किया जाता है। हमारी शैक्षणिक प्रणाली स्वाभाविक रूप से मूल्यों से संबंधित है। आनंद, निष्पक्षता, स्नेह, शांति, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान, उत्तरदायित्व, सहयोग, आत्मनिर्भरता, समानता इत्यादि जैसे कुछ सार्वभौमिक बुनियादी मानवीय मूल्यों को विकसित करना कुछ महत्वपूर्ण प्रयोजनों में से एक हैं।
- कुछ मूल्यों को पवित्र माना जाता है तथा जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वे नैतिक अनिवार्यताओं के समान होते हैं। ऐसे पवित्र मूल्यों के साथ कदाचित ही कभी समझौता किया जाता है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए विचार-विमर्श किए जाने वाले कारकों के बजाए उन्हें (पवित्र मूल्यों) कर्तव्यों के रूप में माना जाता है। जैसे- अधिकांश लोग राष्ट्र गान के गाए जाने के दौरान खड़े होने वाली बात को एक ऐसा मूल्य मानते हैं जिसके साथ वे कभी समझौता नहीे कर सकते, जबकि कुछ लोगों के लिए यह मात्र पसंद या नापसंद का मामला हो सकता है।
    - इस प्रकार हमने देखा कि भले हीं 'मूल्य' पवित्र हों, अंतर्भूत महत्व वाले हों या फिर साध्य की प्राप्ति का एक साधन हों, हर दशा में मूल्य व्यक्तियों, संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो भी हो, नैतिक निर्णय लेने में एक प्रेरक तत्त्व के रूप में मूल्यों को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त होती हैं। समाज को प्राप्त हितलाभों के कारण मानवीय मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। वे मानदंड प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर हम दूसरे लोगों, वस्तुओं, कार्यों, विचारों व परिस्थितियों को परखते हैं। मानवीय मूल्य वस्तुनिष्ठ या व्यक्ति-निष्ठ/विषयनिष्ठ, आंतरिक या बाह्य, व्यक्तिगत या सामुदायिक, सैद्धांतिक या व्यावहारिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आदि हो सकते हैं।

6.1. मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका

(Role of Family, Society and Educational Institutions in Inculcating Values)

6.1.1. मूल्य विकसित करने में परिवार तथा समाज की भूमिका

(Role of Family and Society in Inculcating Values)

- परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थान एक व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। सद्भाव/समरसता, साम्यता, सहयोग, लोकतंत्र, शांति आदि जैसे सांस्कृतिक मूल्य परिवार द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते हैं।

VISION IAS



- समाज की मूलभूत इकाई अर्थात् परिवार मूल्यों की शिक्षा देने वाला पहला विदयालय भी है। परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों तथा बुजुर्गों द्वारा दी जाने वाली नैतिक शिक्षाओं आदि के माध्यम से मूल्य विकसित होते है। इन्हें कहानियों, जीवन से सीख आदि के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह परिवार ही है जो किसी व्यक्ति में त्याग, प्रेम, भावना, उच्च नैतिकता आदि जैसे मूल्यों का समावेश करता है।
- एक बच्चे का परिवार उसे दूसरों से प्यार एवं सम्मान करने के तरीके सिखाता है तथा इस प्रकार, समाज में अन्य लोगों के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण को आकार देता है। परिवार के सदस्य बच्चों के लिए अनुकरणीय व्यक्ति होते हैं तथा बच्चा उन्हीं के जैसे व्यवहार करना सीखता है। परिवार के सदस्य बच्चों में ईमानदारी, सत्यता, आनंद, निष्ठा तथा सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक मूल्यों को गढ़ते हैं, जो सामाजिक मूल्यों के समानार्थी हैं। बच्चे का लालन-पालन किस प्रकार किया गया है, भविष्य में उसके मूल्यों को वही प्रभावित करता है।
- परिवार सदैव से प्रथम मूल्य प्रदाता रहा है, परंतु हाल के वर्षों में बच्चों के व्यवहार में स्पष्ट तौर हुए परिवर्तनों को देखते हुए यह कहा का सकता है कि परिवार की भूमिका बदल गई है। एक आधुनिक एकल परिवार में एक बच्चे को दी जाने वाली नैतिक शिक्षा का स्वरूप भी बदल गया है। यह सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, परिवार व सामूहिकता के बजाय व्यक्तिवाद तथा संतुष्टि व त्याग के बजाय उपभोक्तावाद पर अधिक केंद्रित हो गया है। यह आवश्यक नहीं कि दी जाने वाली नैतिक शिक्षा के स्तर में गिरावट आई हो, परंतु यह निश्चित है कि उनका स्वरूप बदल गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राथमिकताएं ही हमारे मूल्य बन गए हैं। पहले साझा करना या देरी से प्राप्त होने वाले आनंद ही हमारी प्राथमिकताएं होती थीं। अब उपभोक्तावाद व तत्काल प्रसिद्धि या त्वरित सफलता ने इसका स्थान ले लिया है। समय के साथ, कुछ मूल्यों को मौलिकता का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर, कुछ मूल्यों के साथ मानवीय दुर्बलताओं के कारण समझौता किया गया है।
- कभी-कभी परिवार स्वयं ही इस प्रखर प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपने बच्चों को स्वार्थी होने की सीख देता है, जैसे- विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल बने रहने के लिए दोस्तों के साथ नोट्स या जानकारी को साझा न करने की सीख। कई बार यह बच्चे के हित में हो सकता है, परंतु अंततः, यह स्व-हित के मूल्य को ही जन्म देता है तथा उसे सहयोग व साझा करने के मूल्यों को न अपनाने की सीख देता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार एक आधुनिक परिवार के मूल्य पारंपरिक परिवार के मूल्यों से अलग हैं। भविष्य में हो सकता है कि यही मूल्य पारंपरिक मूल्य बन जाएं।
- तथापि, यह आवश्यक नहीं कि बड़े होने के पश्चात् भी बच्चों के मूल्य माता-पिता या परिवार से सीखे गए मूल्यों के समान ही रहें। अन्य माध्यमों, जैसे- मीडिया, शिक्षा व्यवस्था, मित्र, क्रियाकलाप आदि एवं सबसे ऊपर, आत्म-मूल्यांकन से प्रभावित होकर वह कुछ मूल्यों का त्याग भी कर सकते हैं।

6.1.2. मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका

(Role of Educational Institutions in Inculcating Values)

- परिवार व समाज के बाद एक बच्चा अपना अधिकांश समय शैक्षणिक संस्थानों में बिताता है। इस प्रकार, बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यहां बच्चों को उनके परिवार की सुख-समृद्धि आदि से दूर देश-दुनिया की वास्तविकताओं से परिचय कराया जाता है। जैसा कि आज देखने को मिल रहा है - संकीर्ण, अनन्य/एकांतित और

VISION IAS

असहिष्णु विचारों के माध्यम से विकसित विश्व संघर्ष, हिंसा, आंतरिक तनाव और युद्ध से भरा पड़ा है। इसलिए, मानवीय सहायता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सद्भाव, सहिष्णुता, शांति और सहानुभूति के माध्यम से विकसित विश्व की आवश्यकता है। मूल्यों की शिक्षा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। स्कूल में, छात्र आवश्यक रूप से निम्नलिखित मूल्यों को सीखता है:

- **सहयोग (Cooperation):** विद्यालयों में 6-7 घंटों तक अपने सहपाठियों के साथ बैठना बच्चों को सभी को हमेशा साथ लेकर चलने की सीख देते हैं।
- **नए लोगों के साथ अंतःक्रिया (Interaction with new people):** यहां बच्चा पहली बार यह सीखता है कि जिन्हें आप पहले से नहीं जानते उनके साथ किस प्रकार मित्रता की जाती है।
- **वैचारिक विविधता (Diversity of views):** विभिन्न विश्वासों, अभिवृत्तियों और मूल्यों वाले अलग-अलग लोगों की उपस्थिति और उनसे संपर्क के कारण यह मूल्य विकसित होता है।

- शिक्षक महान अनुकरणीय व्यक्ति होते हैं और उनके कार्य/क्रियाकलाप बच्चों पर बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों की आयु इतनी कम होती है कि वे इनके प्रति अधिक सुभेद्य माने जाते हैं। इसी प्रकार अन्य बच्चों के कार्य/क्रियाकलाप भी दूसरे बच्चों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। शिक्षा मानवीय मूल्यों को सीखने की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास है। संक्षेप में, सभी शिक्षा मानव व्यक्तित्व के सभी आयामों - बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक का विकास करती है। हाल के वर्षों में, शैक्षणिक प्रणाली में मूल्यों के संकट के कारण, 'मूल्य शिक्षा' (value education) शब्द शैक्षिक संस्थानों और शैक्षणिक समुदाय में लोकप्रिय शब्द बन गया है।



7. विगत वर्षों में UPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न



(UPSC Previous Years Questions)

2013

1. 'मूल्यों' व 'नैतिकताओं' से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं?
2. कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत हैं। इस सम्बन्ध में आप अपनी धारणा तर्क देकर बताइए।
3. 'अंतःकरण की आवाज' से आप क्या समझते हैं? आप स्वयं को अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देने के लिए कैसे तैयार करते हैं?
4. 'विवेक का संकट से क्या अभिप्राय है? अपने जीवन की एक घटना बताइए जब आपका ऐसे संकट से सामना हुआ और आपने उसका समाधान कैसे किया?
5. तीन महान नैतिक विचारकों/दार्शनिकों के अवतरण नीचे दिए गए हैं। आपके लिए प्रत्येक अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए:
   (a) "पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता-पूर्ति के लिए काफी है पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं।" - महात्मा गांधी
   (b) "लगभग सभी लोग विपत्ति का सामना कर सकते हैं पर यदि किसी के चरित्र का परीक्षण करना है, तो उसे शक्ति/अधिकार दे दो।" - अब्राहम लिंकन
   (c) "शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा मैं अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले को अधिक साहसी मानता हूँ।" - अरस्तू
6. "सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है।" आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धान्त का कैसे पालन किया जा सकता है?

2014

1. सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए।
2. मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है? लोक-प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं?
3. रक्षा सेवाओं के सन्दर्भ में, 'देशभक्ति' राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग करने तक की तत्परता की अपेक्षा करती है। आपके अनुसार, दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
4. लोक-जीवन में 'सत्यनिष्ठा' से आप क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयां हैं? इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं?
5. "मनुष्यों के साथ सदैव उनको, अपने-आप में 'लक्ष्य' मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उनको केवल 'साधन' नहीं मानना चाहिए।" आधुनिक तकनीकी-आर्थिक समाज में इस कथन के निहितार्थों का उल्लेख करते हुए इसका अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए।

VISION IAS

6. जीवन में नैतिक आचरण के सन्दर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है? उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए हैं।
7. वर्तमान समाज व्यापक विश्वास-न्यूवता से ग्रसित है। इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के सन्दर्भ में क्या परिणाम है? आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं?

2015

1. 'पर्यावरणीय नैतिकता' का क्या अर्थ हैं? इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए।
2. निम्नलिखित के बीच विभेदन कीजिए
   (a) विधि और नैतिकता
   (b) नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन
   (c) भेदभाव और अधिमानी बरताव
   (d) वैयक्तिक नैतिकता और संव्यावसायिक नैतिकता
3. नैतिक विचारकों/दार्शनिकों के दो अवतरण दिए गए हैं। प्रकाश डालिए कि इनमें से प्रत्येक के, वर्तमान संदर्भ में, आपके लिए क्या मायने
   (a) "कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते; क्षमाशीलता तो ताकतवर का ही सहज गुण है।"
   (b) "हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं, जो अंधेरे से डरता है; जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं।"
4. "सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं।" राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

2016

1. स्पष्ट कीजिए कि आचारनीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है।
2. महात्मा गांधी की सात पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए।
3. भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए।

2017

1. "बड़ी महात्वाकांक्षा महान चरित्र का भावावेश (जुनून) है। जो इससे संपन्न हैं वे या तो बहुत अच्छे अथवा बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं। ये सब कुछ उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनसे वे निर्देशित होते हैं।" - नेपोलियन बोनापार्ट। उदाहरण देते हुए उन शासकों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने (i) समाज व देश का अहित किया है, (ii) समाज व देश के विकास के लिए कार्य किया है।
2. "मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है, तो उसमें समाज के तीन प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता एवं शिक्षक।" - ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। विश्लेषण कीजिए।
3. वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट, सद्-जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। विवेचना कीजिए।

VISION IAS

8. विगत वर्षों में UPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज



(UPSC Previous Year Question Papers: Case Studies)

1. तमिलनाडु में शिवकासी पटाखा और दियासलाई निर्माताओं के समूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतः पटाखा उद्योग पर निर्भर है। इसी से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है और रहन-सहन का स्तर भी सुधरा है।

   जहाँ तक पटाखा उद्योग जैसे ख़तरनाक उद्योगों के लिए बाल श्रमिक नियमों का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने श्रम हेतु न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष निर्धारित की है। जबकि भारत में यह आयु-सीमा 14 वर्ष है।

   पटाखों के औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को पंजीकृत तथा अपंजीकृत दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। घरों पर आधारित कार्यशालाएँ एक विशिष्ट इकाई है। यद्यपि पंजीकृत/अपंजीकृत इकाइयों में बाल श्रमिक रोजगार के विषय में कानून स्पष्ट है, घरों पर आधारित कार्य उसके अंतर्गत नहीं आते। ऐसी इकाइयों में माना जाता है कि बालक अपने माता-पिता व सम्बन्धियों की देख-रेख में कार्य कर रहे हैं। बाल श्रमिक मानकों से बचने के लिए अनेक इकाइयाँ अपने को घरों पर आधारित कार्य बताती हैं और बाहरी बालकों को रोजगार देती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बालकों की भर्ती से इन इकाइयों की लागत बचती है जिससे उनके मालिकों को अधिक लाभ मिलता है।

   आपने शिवकासी में एक इकाई का दौरा किया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 10-15 बालक काम करते हैं। उसका मालिक आपको इकाई परिसर में घुमाता है। मालिक आपको बताता है कि घर-आधारित इकाई में वे बालक उसके सम्बन्धी हैं। आप देखते हैं कि जब मालिक यह बता रहा है, तो कई बालक खीस निपोरते हैं। गहन पूछताछ में आप जान जाते हैं कि मालिक और बालक परस्पर कोई सम्बन्ध संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए।

   (1) इस प्रकरण में अंतर्ग्रस्त नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए।

   (2) इस दौरे के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी।

2. आप नगरपालिका परिषद के निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता पद पर तैनात हैं और वर्तमान में एक ऊपरगामी पुल (flyover) के निर्माण-कार्य के प्रभारी हैं। आपके अधीन दो कनिष्ठ अभियंता हैं, जो प्रतिदिन निर्माण-स्थल के निरीक्षण के उत्तरदायी हैं तथा आपको विवरण देते हैं और आप विभाग के अध्यक्ष, मुख्य अभियंता को रिपोर्ट देते हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने को है और कनिष्ठ अभियंता नियमित रूप से यह सूचित करते रहे हैं कि निर्माण-कार्य परिकल्पना के विनिर्देशों के अनुरूप हो रहा है। लेकिन आपने अपने आकस्मिक निरीक्षण में कुछ गंभीर विसामान्यताएँ व कमियाँ पाईं, जो आपके विवेकानुसार पुल की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इस स्तर पर इन कमियों को दूर करने में काफ़ी निर्माण-कार्य को गिराना और दोबारा बनाना होगा जिससे ठेकेदार को निश्चित हानि होगी और कार्य-समाप्ति में विलम्ब भी होगा। क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जैम के कारण परिषद पर निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए जनता का बड़ा दबाव है। जब आप स्थिति मुख्य अभियंता के संज्ञान में लाए, तो उन्होंने अपने विवेकानुसार इसको बड़ा गम्भीर दोष न मानकर इसे उपेक्षित करने की सलाह दी। उन्होंने परियोजना को समय से पूरा करने हेतु कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा। परन्तु आप आश्वस्त हैं कि यह गम्भीर प्रकरण है जिससे जनता की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और इसको बिना ठीक कराए नहीं छोड़ा जा सकता।

   ऐसी स्थिति में आपके करने के लिए कुछ विकल्प निम्नलिखित हैं। इनमें से प्रत्येक विकल्प का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन कर अन्ततः सुझाव दीजिए कि आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे और क्यों।

VISION IAS

1. मुख्य अभियंता की सलाह मानकर आगे बढ़ जाएँ।
2. सभी तथ्यों व विश्लेषण को दिखाते हुए स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए मुख्य अभियंता से लिखित आदेश का निवेदन करें।
3. कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगे और ठेकेदार को निश्चित अवधि में दोष-निवारण के लिए आदेश दें।
4. इस विषय को बलपूर्वक उठाएँ ताकि यह मुख्य अभियंता के वरिष्ठ जनों तक पहुंच सके।
5. मुख्य अभियंता के अनम्य विचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से अपने स्थानान्तरण के लिए आवेदन करें या बीमारी की छुट्टी पर चले जायें।

9. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न

(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions)

1. "हितों के संघर्ष" पद से आप क्या समझते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों की पहचान कीजिए जो इसकी परिभाषा के अंतर्गत आती हैं तथा उनमें से प्रत्येक का विश्लेषण कीजिए।

दृष्टिकोण:

- यह प्रश्न बहुत ही सरल है, अतः सहज तरीके से उत्तर आरंभ कीजिए।
- "हितों के संघर्ष" पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उन स्थितियों की पहचान कीजिए जो इसके दायरे में आती हैं।

उत्तर:

हितों के संघर्ष को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के निजी या व्यक्तिगत हित हों, तथा यह उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वहन को प्रभावित करने या संभाव्य प्रभाव डालने हेतु पर्याप्त होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत हित में केवल आर्थिक मामले शामिल नहीं होते अपितु इसमें अन्य मामलें भी शामिल होते हैं। इसे भ्रष्टाचार का एक संकेतक, एक पूर्व लक्षण तथा एक परिणाम माना जाता है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हितों के संघर्ष को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ एक व्यक्ति या एक प्रतिष्ठान जिसके लिए वे कार्य करते हैं (सरकार, व्यवसाय, मीडिया आउटलेट या नागरिक समाज संगठन आदि), वे अपने पदों से संबंधित कर्तव्यों व मांगों तथा अपने निजी हितों के मध्य चयनात्मक द्वन्द का सामना करते हैं।

OECD दिशा-निर्देश निम्नलिखित के मध्य अंतर स्थापित करते हैं:

- **हितों का वास्तविक संघर्ष:** एक सरकारी अधिकारी के वर्तमान कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा उसके निजी हितों के मध्य प्रत्यक्ष संघर्ष।
- **हितों का आभासी संघर्ष:** जहाँ यह प्रकट होता है कि एक सरकारी अधिकारी के निजी हित उसके कर्तव्यों के निष्पादन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, परन्तु ऐसा वास्तव में नहीं होता।
- **हितों का संभावित संघर्ष:** जहाँ एक सरकारी अधिकारी के निजी हित इस प्रकार के होते हैं कि यदि अधिकारी भविष्य में प्रासंगिक आधिकारिक उत्तरदायित्वों में शामिल होने वाला है तो हितों का संघर्ष दृष्टिगोचर होगा।

हितों के संघर्ष की परिभाषा में निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित होती हैं:

VISION IAS



i) **रिश्वतखोरी (Bribery)**

रिश्वतखोरी वस्तुतः विशेष पक्षपात के बदले में एक सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के साथ-साथ धन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की अवैध स्वीकृति है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि रिश्वत प्रदाता स्पष्ट रूप से अधिकारी के निष्पक्ष आचरण के ध्येय को विकृत करने के लिए तत्पर होता है तथा प्राप्तकर्ता स्वेच्छा से इसके अनुपालन हेतु प्रवृत्त होता है। इस प्रकार अधिकारी को अपने पद के आचरण हेतु कानूनों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के साथ संघर्ष में आर्थिक या भिन्न प्रकार से अपने निजी हितों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। परिणामस्वरूप उसे संघर्ष की स्थिति को स्वयं के पक्ष में करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यद्यपि रिश्वत सामान्यतया धन को शामिल करती है परन्तु यह अन्य पारितोषिकों को भी शामिल कर सकती है, जैसे- लैंगिक पक्षपात, अनुकूल लोक-प्रसिद्धि के वायदों या विशिष्ट सामाजिक दायरों तक पहुंच का प्रस्ताव आदि।

ii) **प्रछन्न प्रभाव (Influence Peddling)**

प्रछन्न प्रभाव तब घटित होता है जब एक सरकारी कर्मचारी एक सरकारी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करता है ताकि यह तीसरे पक्ष के अनुकूल हो सके जिसमें कर्मचारी का हित समाविष्ट होता है। स्पष्ट शब्दों में, यह एक व्यवसाय का विनियमन करने वाले नीतिगत निर्णयों को शामिल कर सकता है, जिस व्यवसाय में किसी कर्मचारी शेयर होता है अथवा अपने स्वामित्व वाली भूमि के मूल्य को प्रभावित करने के लिए एक सामान्य योजना विकसित करने वाले एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका को इसमें शामिल किया जाता है। यह वास्तविक हित संघर्ष की स्थिति में तब बदल जाती है, जब कभी कर्मचारी महत्वपूर्ण लाभ के एक सुअवसर हेतु तत्पर होता है।

iii) **प्रछन्न सूचना (Information Peddling)**

वैसे आधिकारी जिनके पास गुप्त तौर पर ऐसी सूचना होती है जो सामान्य जन हेतु उपलब्ध नहीं होती और वे ऐसी सूचना का प्रयोग अपने मौद्रिक या अन्य किसी लाभ के लिए करते हैं, तो वे प्रछन्न सूचना के दोषी होते हैं। यहाँ मुख्य कारक अधिकारी तक सूचना की उपलब्धता तथा इस तक विशेषाधिकृत पहुंच हैं। हितों का वास्तविक संघर्ष तब उपस्थित होता है जब सूचना अत्यधिक गोपनीय होती है तथा जिनके पास उक्त सूचना की गोपनीयता बनाए रखने हेतु जिम्मेदारी होती है, और वे इसका दुरूपयोग करते हैं।

iv) **वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions)**

वित्तीय लेन-देन तब संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है जब एक लोक सेवक का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय हित होता है जो सेवा के उत्तरदायी कार्य निष्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से टकराता है। हितों का वास्तविक संघर्ष काफी हद तक तब उपस्थित होता है जब एक अधिकारी किसी निर्णय पर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत नियंत्रण रखता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण निजी लाभ उत्पन्न करेगा। यह प्रछन्न प्रभाव से भिन्न है जिसमें अधिकारी जाँच में परिणामों को प्रभावशाली रूप से नियंत्रित करता है। उदाहरणार्थ, एक सचिव जो अपने स्वामित्व के अधीन एक अविकसित भूमि के निकट एक नए विमानपत्तन की अवस्थिति को प्रभावित कर सकता है।

v) **उपहार एवं सत्कार (Gifts and Entertainment)**

उपहारों एवं सत्कार की मांग या उन्हें स्वीकार करना संघर्ष का सृजन करता है, यदि ये मद एक सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों के निष्पक्ष सम्पादन को प्रभावित करते हैं। हितों के

VISION IAS



संघर्ष की यह श्रेणी रिश्वतखोरी की एक विस्तृत समझ का परिणाम है। यह खरीदों पर छूट, थिएटर टिकट के ऑफर्स, समागम या अवकाश यात्राएँ, वाहनों का प्रयोग, अतिव्ययी भोजनों के उपहार, मनोरंजनात्मक उपकरण तथा मद्य जैसे लाभों को शामिल करती है। सामान्यतया इस प्रकार के उपहार अन्य रिश्वतों से भिन्न होते हैं जिसमें उपहार देते वक़्त तत्काल विशिष्ट लाभ की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन भविष्य में प्रदाता के प्रति सामान्य रूप से पक्षपाती/सकारात्मक रूख अपनाने का प्रयोजन शामिल होता है।

vi) बाह्य रोजगार (Outside Employment)

अंशकालिक रोजगार, परामर्श, अनुचर तथा स्व-रोजगार आधिकारिक कर्तव्यों के साथ हितों के संघर्ष का कारण बन सकते हैं। संघर्ष की यह स्थिति एक निजी नियोक्ता (या स्वयं) को ऊँचा उठाने हेतु सार्वजनिक रोजगार की स्थिति के प्रयोग, आधिकारिक कर्तव्यों के लिए आवश्यक प्रयास तथा सरकारी सेवाओं एवं उपकरणों का बाह्य कार्यों में प्रयोग को शामिल करती है।

vii) भविष्यगामी रोजगार (Future Employment)

यदि एक सरकारी अधिकारी भविष्य में किसी ऐसे व्यावसायिक संघ में रोजगार तलाशने का प्रयोजन रखता है जिसके साथ वह वर्तमान में आधिकारिक कार्यों का संपादन कर रहा हो, तो निश्चित ही यह प्रवृत्ति भविष्य में रोजगार की संभावना के आलोक में उस व्यावसायिक फर्म को हितकारी लाभ पहुंचाएगी। पुनः वैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो किसी सरकारी विभाग से पेशेवर तरीके से संबद्ध होते हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसे अपने विभाग की लगभग पूर्ण जानकारी होती है तथा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ उसका निकट संपर्क होता है, अपने यहाँ नियुक्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति सार्वजनिक और निजी सेवाओं के मध्य खुद को पाता है, तो पूर्ववर्ती कार्य तथा भावी रोजगार अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप अंतर्निहित हित अत्यंत जटिल बन जाते हैं।

viii) रिश्तेदारों के साथ व्यवहार (Dealing with Relatives)

वह स्थिति जिसमें एक लोक प्रशासक ऐसी अवस्था में हो सकता है जिसमें रिश्तेदारों का पक्ष लेना हितों के संघर्ष का कारण बन सकता है। हितों के संघर्ष का यह प्रारूप कभी-कभी प्रछन्न प्रभाव के एक विशेष वर्ग के रूप में भाई-भतीजावाद कहलाता है। अनिवार्य रूप से यह भर्ती, पदोन्नति, अनुबंध प्राप्तियों या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में रिश्तेदार हेतु प्राथमिक व्यवहार प्राप्त करने के लिए प्रभाव के प्रयोग को शामिल करता है। लोक प्रशासक जो ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं करते बल्कि पारिवारिक बंधनों तथा परस्पर समर्थन को सुदृढ़ करने के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ अर्जित करते हैं।

2. प्रशासनिक नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु इसकी आवश्यकता क्यों है?

उत्तर:

प्रशासनिक नीतिशास्त्र की अनेक परिभाषाएं निम्नलिखित हैं:

- प्रशासनिक नीतिशास्त्र को लोक प्रशासकों हेतु नैतिक मानदंडों और आवश्यकताओं के एक संग्रह के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को सामान्य हितों की रक्षा और नैतिक मूल्यों के प्रभावी प्रयोग हेतु प्रेरित करना है।

VISION IAS



- प्रशासनिक नीतिशास्त्र नैतिक मानदंडों पर आधारित है।
- इसका कार्य कर्मचारियों के संबंधों को मानदंडों, आचरणों एवं कार्यवाही के साधनों द्वारा विनियमित करना तथा लोक प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के अंतःकरण में नैतिक तत्वों का समावेश करना है।
- सामान्यतः इस बात पर बल दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी प्रबंधकीय निर्णयों हेतु नैतिक मानकों को स्थापित करें, इन मानकों का विश्लेषण करें तथा निर्मित निर्णयों हेतु व्यक्तिगत और व्यासायिक उत्तरदायित्व वहन करे।

प्रशासनिक नीतिशास्त्र लोक प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों तथा वरिष्ठ प्रबंधकों की गतिविधियों के सभी नैतिक पहलुओं का अध्ययन करती है। यह तीन मौलिक तत्वों को शामिल करती है:

- **मूल्य (Values):** स्वतंत्रता, न्याय, ईमानदारी, निष्ठा, तटस्थता, उत्तरदायित्व इत्यादि जैसी अवधारणाओं के प्रति व्यक्तिगत, सामूहिक और सामाजिक व्यक्तव्य, मत और अभिवृत्ति।
- **मानक और मानदंड (Standards and norms):** वे सिद्धांत जो लोगों और कर्मचारियों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं तथा उनके आचरणों को निर्देशित एवं नियंत्रित करने में सहायता करते हैं (कानून, संहिताएँ, नियम आदि)।
- **व्यवहार (Behaviour):** कर्मचारियों की गतिविधियों के विभिन्न प्रारूप कुछ मानकों एवं मानदंडों द्वारा सीमित होते हैं जो सामाजिक मूल्यों के साथ समरूपी होते हैं।

प्रशासनिक नीतिशास्त्र का महत्व:

- यह लोक सेवा की अवधारणाओं एवं लक्ष्यों और साथ ही साथ विभिन्न सरकारी संस्थाओं के विशेष कार्यों को प्रतिबिंबित करती है।
- ये सिद्धांत समाज में अपनाई गई आदर्श या लक्षित लोक प्रशासन प्रतिमान की एक संकल्पना के द्वारा प्रभावित हुए हैं।
- ये लोक सेवा के उद्देश्यों तथा लोक सेवकों के अभियानों को स्पष्ट रूप से समझने हेतु लोक सेवकों की नैतिक आवश्यकता को परिभाषित करने में सहायता करते हैं।
- सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों के विनियमन में सहभागिता करना।
- सरकारी गतिविधियों में जनता और राज्य के मध्य संबंधों को जितना अधिक संभव हो प्रोत्साहित करना।
- नैतिकता पर आधारित कुछ व्यवहारात्मक मानकों के साथ लोक प्रशासन उपलब्ध करवाना।

प्रशासनिक नीतिशास्त्र का मुख्य कार्य सरकार और लोगों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ कर उसे बढ़ावा देना है। नैतिक मानकों और आवश्यकताओं की एक प्रणाली निम्नलिखित में सहायता प्रदान करेंगी:

- सामाजिक संवैधानिक मूल्यों, जैसे- स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समान अवसर, आवश्यक नागरिक अधिकारों को कार्यरूप में परिणत करने में।
- विकासात्मक कार्यों और तर्कसंगत एवं रचनात्मक नीतियों के निष्पादन के माध्यम से लोक समूहों के मध्य असहमति को दूर करने में इससे सहायता मिलती है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यवाही और निर्णय निर्माण के नैतिक पहलू इस मामले में प्राथमिक महत्व रखते हैं।
- सरकारी निकायों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले लोक सम्पत्ति, वस्तुओं, लाभों एवं प्रतिकारों के वितरण में भी इससे सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त इन कार्यों को

VISION IAS



सम्पादित करने वाले सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली के दौरान न्याय, समानता इत्यादि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

- प्राधिकार और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में भी यह सहायक है, क्योंकि किसी राज्य या क्षेत्रीय सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी सामान्य रूप से शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनसाधारण उसकी गतिविधियों को राज्य की कार्यवाही मानते हैं। यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में नियोजित लोगों पर एक विशेष उत्तरदायित्व अधिरोपित करती है।

प्रशासनिक व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु इसकी आवश्यकता क्यों है:

- प्रत्येक लोक सेवक के नैतिक मानदंडों को परिभाषित करने और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर उत्तरदायित्व अधिरोपित करने की वर्धित आवश्यकता के संदर्भ में यह आवश्यक है।
- सहजता से व्याख्या किए जा सकने वाले नैतिक सिद्धांतों और मानकों की स्थापना करने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करना तथा मूल्यों एवं आदर्शों की एक संयुक्त प्रणाली पर कार्य करना।
- प्रशासनिक नीतिशास्त्र को सामाजिक, व्यावसायिक, सामूहिक और एकल ग्राहक सरोकारों की सेवा करने हेतु व्यावसायिक समूहों तथा विशेषज्ञों (जो इन समूहों के लिए कार्य करते हैं) की आवश्यकता होती है।
- समाज में कुछ संवैधानिक मूल्यों, जैसे- स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समान अवसर और अनिवार्य मानवाधिकारों को अनुभव करने हेतु प्रशासकों के लिए विशेष नैतिक आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। इसलिए नैतिक आवश्यकताओं तथा संवैधानिक मूल्यों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित हैं। नैतिक आवश्यकताओं को अनुवर्ती मानकों को भी शामिल करना चाहिए:
  - आवश्यकता (व्यावसायिक नीतिशास्त्र कुछ स्थितियों में लोक सेवकों के व्यवहार को कैसे निर्देशित करती है);
  - प्रतिबन्ध (व्यावसायिक व्यवहार में क्या प्रतिबंधित हैं);
  - अनुशंसाएं (कुछ नैतिक स्थितियों में लोक सेवकों को कैसे व्यवहार करना चाहिए)।
- लोक प्रशासकों हेतु उच्च नैतिक उत्तरदायित्व का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि नागरिक, पेशेवर समूह या संस्थाओं के दृष्टिकोण में लोक प्रशासक हीं राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकारी निकायों के आदेश के आधार पर या उसके अनुसार कार्य करते हैं। उनके आचरण, कार्यशैली, समस्याओं के समाधान तथा जनसाधारण से संवाद स्थापित करने के तरीके अंततः सरकारी व्यवस्था को प्रभावी बनाते हैं।
- मंत्रालयों एवं विभागों की कार्यशैली में सुधार करने और साथ ही साथ सरकारी प्रशासनिक प्रणाली के प्रदर्शन को नियंत्रित करने हेतु उपाय विकसित करने के लिए ऊपर सभी अनुग्रहों का उल्लेख किया जा चुका है। एक लोक सेवक में क्षमता, सुव्यवस्था, निष्कलंक और निष्कपट कर्तव्य निष्पादन, पूर्वानुमान की योग्यता तथा प्रत्याशित प्रभाव से कार्य करने जैसी विशेषताओं को अन्तर्निविष्ट करने हेतु कर्मचारी शिक्षा में किसी लोक सेवक के कर्तव्यों के लिए उच्च उत्तरदायित्व पर ध्यान देना अत्यावश्यक है।

VISION IAS

3. विद्यालय और कॉलेज वास्तविक जगत के सूक्ष्म रूप होते हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए कि ये चरित्र-निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं? इसके अलावा कुछ उपायों का भी सुझाव दीजिए जिसके माध्यम से ये संस्थान वर्तमान परिदृश्य में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।



दृष्टिकोण:

- सर्वप्रथम यह उल्लेख कीजिए कि कॉलेज और विद्यालय वास्तविक जगत का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं।
- फिर उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से ये चरित्र-निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसके बाद बताईए कि किस प्रकार से वे व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं और किस हद तक प्रभावित करते हैं।
- अंत में गुणवत्ता, प्रभाव और इन संस्थानों द्वारा प्रदत्त विभिन्न मूल्यों में सुधार हेतु कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। ये उपाय मुख्यतः चरित्र-निर्माण हेतु इन संस्थानों की दक्षता, भूमिका और दायरे को बढ़ाने पर केंद्रित होने चाहिए।

उत्तर:

परिवार बच्चे के जीवन में एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य करता है, किन्तु यह विद्यालय ही है जो उसकी सीमाओं को विस्तृत करता है और दूसरों (शिक्षकों, कर्मचारियों, साथियों, आदि) को उसके बुद्धिमान, आत्मविश्वासी, और सम्मानित वयस्क के रूप में विकसित होने में मदद करने के लिए अनुमति देता है। विद्यालय तथा कॉलेज बच्चे के समक्ष वास्तविक जगत का एक छोटा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ये संस्थान बच्चों को सिखाते हैं कि उनसे कुछ वरिष्ठ (अध्यापक, कर्मचारी) व्यक्ति होते हैं जिनकी आज्ञा का उन्हें पालन करना होता है। विभिन्न वर्ग, जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, राष्ट्र, संस्कृति और परम्पराओं से संबद्ध उनके कुछ सहपाठी होते हैं, जिनसे वे संपर्क स्थापित करते हैं, और यह उन्हें भविष्य की ज़िंदगी का प्रथम अनुभव देता है जिसमें उन्हें विभिन्न समूहों से सम्बंधित इन लोगों में से एक होना है। यह उन्हें अपने चारो और के विश्व के प्रति अपने दृष्टिकोण को एक आकार देने में मदद करता है। कार्यों को समाप्त करने की समय सीमा होती है, प्रदर्शन उन्मुख जीवन के लिए परीक्षाएं ज़रूरी हैं, श्रेणीकरण/मूल्यांकन यह दिखाते हैं कि असल जीवन में किसी व्यक्ति का उसके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इस प्रकार विद्यालय विश्व का एक सूक्ष्म चित्र दर्शाते हैं। पुनः विद्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं और वार्तालाप से बच्चे पहली बार परिचित होते हैं, और इस प्रकार से वह उन्हें चरित्र-निर्माण और मूल्यों के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान बना देती हैं।

विद्यालयों और कॉलेजों की भूमिका:

विद्यालय मुख्यतः एक शैक्षिक संस्थान होते हैं, जो सामान्यतः निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्थित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। विद्यालय की भूमिका यह होती है प्रत्येक छात्र अपनी अधिकतम शैक्षणिक क्षमता को प्राप्त कर पाए। सभी कक्षाओं में सार्थक मात्रा में दिए जाने वाले कक्षाकार्य (स्कूलवर्क) का उद्देश्य बच्चों को समस्याओं के हल ढूँढने का विशेषज्ञ बनाना होता है। ये ऐसे गुण हैं जो बच्चे के वयस्क जीवन के लगभग हरेक व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहलू में काम आते हैं। इसलिए, शैक्षिक गुणों के अलावा, समस्या को सुलझाने का गुण एक आवश्यक जीवन कौशल है।

विद्यालय बच्चों को उनके साथियों और शिक्षकों के साथ सकारात्मक संपर्क स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अच्छे संबंधों के लाभ के बारे में सीखते हैं और कक्षा

VISION IAS



तथा क्रीड़ाक्षेत्र दोनों जगहों पर बातचीत के माध्यम से इन्हें और विकसित करते हैं। इस प्रकार विद्यालय उन्हें दूसरे बच्चों और वयस्कों से सुस्पष्ट ढंग से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। विद्यालय सिर्फ पढ़ने, लिखने और गणित की शिक्षा नहीं देता, बल्कि शुरुआत से ही बच्चों को दया, सम्मान, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा के बारे में सीखने में मदद करने पर ध्यान देता है। शुरुआत में विद्यालय बच्चों को "बोलने के लिए अपना हाथ खड़ा करने" और "अपने हाथ को अपने तक सीमित रखने" जैसे बुनियादो पाठों की शिक्षा देते हैं।

बाद में यह गुण नैतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में तार्किक बहस के रूप में विकसित होता है। जब एक व्यक्ति हाई स्कूल उत्तीर्ण करता है, उस समय उसके पास अपने विश्वासों, मूल्यों और वह अपने आप को कैसे देखता है, इनपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यह सब उसे जिम्मेदार और आत्मविश्वास से पूर्ण इंसान बनाने में मदद करता है। टीम भावना, नेतृत्व, आज्ञाकारिता और अनुशासन व्यक्तित्व के कुछ अन्य लक्षण हैं, जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूलों द्वारा सिखाए जाते हैं।

विद्यालय/कालेजों की भूमिका में सुधार लाने हेतु उपाय:

जिस प्रकार से शिक्षक बच्चों से संवाद करते हैं और बच्चों के मध्य पारस्परिक व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं, वह प्रत्येक बच्चे के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अतः हर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पारस्परिक व्यवहार को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऐसी आशा की जाती है कि विद्यालय अपने छात्रों के चरित्र-निर्माण के लिए नीतियों को प्रकाशित करें और समय-समय पर छात्रों के चरित्र का आंकलन करें। शिक्षकों और कर्मचारियों से सामान्य व्यवहार की उम्मीद को भी इसमें शामिल कर सकते हैं।

इसके अलावा, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा मूल्यों की शिक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। महान नेताओं, समाज सुधारकों और महान हस्तियों के जीवन पर आधारित व्याख्यान और कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें प्रकृति में सतही रखने की बजाय इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि वह छात्रों के जीवन पर अधिकतम प्रभाव डाल सकें।

अच्छे चरित्र वाले छात्रों को पुरस्कृत और सराहना की जानी चाहिए; यह दूसरो को भी वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

शिक्षकों को छात्रों के सम्मुख अपने आप को एक आदर्श के रूप में पेश करना चाहिए, और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतयः ईमानदार और समर्पित होना चाहिए।

छात्रों को सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के संबंध में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग से उभरती हुई नैतिक दुविधाओं के बारे में सिखाया जाना चाहिए।

ज्येष्ठों और कनिष्ठों (सीनियर्स व जूनियर्स) के मध्य सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक संबंध, किसी छात्र की मजबूत और तेजी से चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, जबकि इसकी कमी से संघर्ष (रैगिंग इत्यादि के रूप में), तनाव और शोषण जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

4. क्या किसी कार्यवाही की नैतिकता उस कृत्य की परिस्थितियों पर निर्भर करती है या वह इससे स्वतंत्र होता है? परिक्षण कीजिए। क्या कोई कार्यवाही अनैतिक होते हुए भी उचित (नैतिक) हो सकती है?

VISION IAS

उत्तर:



नैतिकता वस्तुतः सही और गलत के प्रति व्यक्ति का आत्म-बोध होता है, जो व्यक्ति के परिवेश और संबद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसके अलावा एक गूढ़ व वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य का अस्तित्व भी होता है जो भौगोलिक परिस्थिति, इतिहास या संस्कृति से निरपेक्ष होता है। मनुष्य ने ऐतिहासिक रूप से कुछ वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धान्तों को पहचाना है। ये सिद्धान्त संस्कृति, स्थान और इतिहास का अतिक्रमित करते हैं। वह सिद्धान्त जो यह कहता है कि नैतिकता परिस्थितियों पर निर्भर होती है, नैतिकता को सापेक्षिक तौर पर देखता है और यह इसके लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है कि हम कैसे अपने जीवन को संचालित व समाज को संगठित करते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं।

मान लीजिए आप किसी के साथ नैतिक असहमति रखते हैं। उदाहरण के लिए, इस बात पर असहमति कि क्या एक ऐसे समाज में रहना सही है जहाँ धन की वह मात्रा, जिसके साथ आप पैदा हुए, वह प्राथमिक निर्धारक है कि आप कितने धनी हो सकते हैं? इस बहस का अनुशीलन करने में आप यह मान लेते हैं कि आप इस मुद्दे पर सही हैं और इस विषय पर वार्तालाप करने वाला आपका भागीदार गलत है। जबकि आपका भागीदार यह मान लेता है कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप दोनों यह मान लेते हैं कि आप में से कोई एक ही सही हो सकता है। हालांकि, ये दोनों परस्पर विरोधी नैतिक विश्वास सत्य हो सकते हैं।

किन्तु कुछ नैतिक कार्यवाहियां सृजित/व्युत्पन्न परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। जैसे कि नैतिक कृत्य (जैसे कि हत्या) को कभी-कभी निश्चित परिस्थितियां में उचित ठहराया जाता है (जैसे एक निरपराध बालक के जीवन की रक्षा करते समय)। सांस्कृतिक रूप से आत्म निर्भर समाजों का अध्ययन करते समय, मानवविज्ञानियों ने यह पाया है कि 80 प्रतिशत से अधिक लोग बहुविवाह की स्वीकृति प्रदान करते हैं। कुछ संस्कृतियाँ कन्याओं का विवाह तरुणावस्था या और उससे कम उम्र में ही कर देती हैं। इथोपिया के कुछ भागों में आधी कन्याओं का उनके 15वें जन्मदिन से पहले विवाह कर दिया जाता है।

कुछ विद्वानों का मत है कि नैतिक भिन्नता अतिरंजित हैं- लोग वस्तुतः मूल्यों के बारे में सहमत होते हैं किन्तु उनके तथ्यात्मक विश्वास या जीवन परिस्थितियां अलग होती हैं जिसके कारण वे भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं।

विज्ञान के विपरीत, नैतिकता का कोई सुपरिचित/सुस्थापित मानक नहीं है जो असहमति की स्थिति में इसे परीक्षित, सुनिश्चित और सही करने हेतु प्रयोग किया जा सके।

अतः जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है- नैतिक प्रतिफलों की विविधता जो निश्चित प्रकरणों में उत्पन्न होती है और उचित नैतिक कारणों के आधार पर नैतिक सिद्धान्तों को लागू करने का प्रयोजन व संभावना। हमें नैतिक निर्णय की आवश्यकता होती है न कि केवल ऐसे सिद्धान्तों की जो कि केवल एक निगमनात्मक अनुप्रयोग या विशिष्ट सतही अंतर्ज्ञान के रूप में हों।

हमारे प्रमुख हित उन तरीकों में हैं जिनकी हमें विरोधी विचारों के बारे में सोचने या उसके लिए ढांचा तैयार करने में आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी तर्कशक्ति का उपयोग कर ठीक प्रकार से उससे निपटने में सफल हो सकें। नैतिक द्वंद्वों पर विचार करने के लिए कुछ प्रभावशाली निर्माण घटक डब्ल्यू. डी. रॉस की "प्रथम दृष्ट्या कर्तव्य" (prima facie duty)

VISION IAS



की अवधारणा हो सकती है (यदि प्रथम दृष्ट्या कर्तव्यों में भी द्वंद्व है, तो परिस्थितियों में जो सबसे सशक्त हैं उन्हें ग्रहण किया जाना चाहिए) इत्यादि।

लेकिन सापेक्षवाद (relativism) की भी व्यापक रूप में आलोचना की गई है। इसपर दोयमदर्जे, सांघातिक और यहां तक कि असंगत/बेतुका होने का आरोप लगा है। नैतिक दार्शनिक, धर्मशास्त्री और सामाज विज्ञानी वस्तुनिष्ठ मूल्यों को पहचाने की कोशिश करते हैं जिससे कि सापेक्षतावादी खतरों को पहले से भांपा जा सके।

नैतिकता और नीतिशास्त्र (एथिक्स) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नैतिकता 'नियम' हैं (यदि आप माने तो) जिनसे व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान, पालन पोषण और आस पास के माहौल आदि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ नीतिशास्त्र वे नियम हैं जिन्हें हम किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के आधार पर अपनाते हैं, और जिससे हम स्वयं को सम्बद्ध करते हैं। जनसंख्या के अधिकांश हिस्से के लिए नैतिकता और नीतिशास्त्र एक दूसरे से संरेखित होते हैं। सरल रूप से कहा जाए तो अधिकतर लोग अपने आप को उन समूहों से संबद्ध करना चुनते हैं जिनके साथ वे अपना तादात्म्य अनुभव करते हैं।

झूठ बोलना नीतिशास्त्र के विरुद्ध है, लेकिन एक जीवन को बचाने के लिए निश्चित रूप से नैतिक है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक नैतिक लोगों के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने यहूदियों की जान बचाने के क्रम में नाजियों से झूठ बोला था। कई पेशेवर हमेशा नैतिक दुविधा में रहते हैं, जैसे- पुलिस अधिकारी। यदि उनका उच्चतर उद्देश्य जान बचाना हो तो उनका कृत्य नैतिक है, भले ही कभी-कभी साधन अनैतिक हो सकते हैं। कई बार वे पुलिस अधिकारी ही स्वयं को यह सोच धोखा देने का प्रयास करते हैं कि उनका कृत्य न्यायसंगत है जबकि वह नहीं होता।

कोई दुविधा तब पैदा होती है जब एक समूह की 'नैतिकता' (अथवा नीतिशास्त्र) व्यक्तिगत नैतिकता के साथ संरेखित नहीं होती। भले ही आप ऐसी दुविधा का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या सामाजिक रुख से करने का चयन करें, यह एक व्यक्तिगत पसंद है। कोई भी कृत्य, विश्वास, व्यवहार, विचार आदि नैतिक होते हुए भी नीतिशास्त्र के विरुद्ध हो सकता है। अर्थात्, यदि आप व्यक्तिगत रूप विश्वास करते हैं कि एक विशेष कृत्य उचित है, यह जरूरी नहीं कि वह नीतिशास्त्र से संगत भी हो। किसी भड़काऊ राजनीतिक प्रसंग को ही लें, जैसे- युद्ध, गर्भपात और मानवाधिकार।

अनिवार्यतः, कोई भी कार्य जिसे अनुशीलन हेतु व्यक्ति चुनता है, किन्तु सामाजिक समूह के द्वारा उस पर त्यौरियाँ चढ़ायी जाती हैं, इसके उदाहरण का कार्य करता है। एक मात्र पूर्व-आवश्यकता यह है कि वे व्यक्ति जो कार्य निष्पादित करता है, इसके उचित होने का विश्वास करता हो। हिटलर और नेपोलियन इसके अन्यतम उदाहरण हैं। दोनों (अति संभव) अपने कृत्यों के नैतिक रूप से उचित होने का विश्वास करते थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें अनैतिक नेताओं के रूप में हाशिए पर धकेल दिया।

5. क्या परिस्थितियाँ ही मानवीय कार्यवाही की नैतिकता की परख हेतु एक मात्र पैमाना होना चाहिए या उक्त कार्यवाही की प्रकृति और उसके उद्देश्य पर भी विचार किया जाना चाहिए? उदाहरणों के साथ अपने मत का औचित्य सिद्ध कीजिए।

VISION IAS

दृष्टिकोण:



उत्तर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होने चाहिए:

- मानवीय कार्यवाही के उन तत्वों की पहचान (यथा- प्रकृति/उद्देश्य, परिस्थितियां और प्रयोजन) कीजिए, जिनका विश्लेषण मानवीय कार्यवाही की नैतिकता की परख करने हेतु किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त व्याख्या कीजिए कि यद्यपि परिस्थितियां एक पैमाना हैं, परन्तु ये एक मात्र पैमाना नहीं हैं क्योंकि मानवीय कार्यवाही की नैतिकता के निर्धारण हेतु मानवीय कार्यवाही के उद्देश्य और प्रयोजन पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- अपने मत का औचित्य सिद्ध करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, जिनसे यह दिखाया जा सके कि परिस्थितियां किसी बुरे प्रयोजन वाली कार्यवाही को नैतिक नहीं बना सकतीं।

उत्तर:

कुछ दार्शनिक (उद्देश्यवादी या व्याख्यावादी) (teleologists or interpretivists) इस मत से सहमत हैं कि मानवीय कार्यवाही की नैतिकता की परख करने के लिए परिस्थितियां हीं एकमात्र पैमाना हैं। जोसेफ फ्लेचर की यह मान्यता है कि परिस्थितियां ही कार्यवाही को विलक्षण बनाती हैं। बिना विलक्षणता के कार्यवाही में निहित नीतिगत तत्वों की जाँच नहीं की जा सकती। परिस्थितियां ही एक अमूर्त कार्यवाही को समय, स्थान, अभिकर्ता और प्रणाली के आधार पर उसे विशिष्ट बनाती हैं। उदाहरण के लिए, आत्मरक्षा में प्रहार करना एक बात है और बिना किसी उकसावे के प्रहार करना दूसरी बात है। इस प्रकार परिस्थितियां ही मानवीय कार्यवाही की नैतिकता को निर्धारित करती हैं।

परन्तु इसके अतिरक्त, प्रत्येक कार्यवाही के दो अन्य तत्व भी हैं, जो मानवीय कार्यवाही की नैतिकता को निर्धारित करते हैं – मानवीय कार्यवाही की प्रकृति/प्रयोजन और मानवीय कार्यवाही का ध्येय – केवल परिस्थितियां ही नहीं।

एक कार्यवाही, जिसका प्रयोजन उसकी प्रकृति से ही अनुपयुक्त है, उसे न तो परिस्थितियां और न ही प्रयोजन उत्कृष्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एक झूठ प्रयोजन या परिस्थितियों के विद्यमान होने पर भी असत्य ही रहेगा। परिस्थितियां उसे केवल कम अनुपयुक्त बना सकती हैं, परन्तु उत्कृष्ट कदापि नहीं। परिस्थितियों को एकमात्र पैमाना मान लेने के चलते यहाँ एक और समस्या प्रस्तुत होती है जो नैतिकता को व्यक्तिनिष्ठ और सापेक्ष बना देती है (झूठ बोलना, परिस्थितियों के आधार पर अनुपयुक्त या कम अनुपयुक्त हो सकता है)।

इसी प्रकार एक कार्यवाही, जिसका प्रयोजन ही अनुपयुक्त है, उसे न तो उद्देश्य और न ही परिस्थितियां उत्कृष्ट बना सकती हैं। उदहारण के लिए, किसी निर्धन असहाय व्यक्ति को दान देना, उसके उद्देश्य के कारण उपयुक्त है, परन्तु यदि यही दान किसी निराश्रय को कुछ अनुपयुक्त कार्यवाही कराने हेतु प्रोलोभन के रूप में दिया जा रहा है तो इसे अनैतिकता का ही नाम दिया जायेगा।

इस प्रकार, परिस्थितियां ही मानवीय कार्यवाही की नैतिकता की परख करने का एकमात्र पैमाना नहीं है, अपितु उद्देश्य, परिस्थितियां और प्रयोजन मिल कर इसका निर्णय करते हैं।

6. आधुनिक समाज में विधिक ढांचे का इसके नैतिक ढांचे के साथ असंगत और पूरक संबंध दोनों हैं। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

VISION IAS

दृष्टिकोण :



उत्तर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होने चाहिए:

- एक संक्षिप्त भूमिका, जिसमें विधि और नैतिकता के मध्य परस्पर संबंधों की चर्चा हो।
- उदाहरण की सहायता से बताएं कि विधि और नीतिशास्त्र कैसे एक दूसरे के पूरक हैं।
- फिर उपयुक्त उदाहरण की सहायता से बताएं कि ये दोनों कब एक-दूसरे के विरोधाभास में खड़े हो जाते हैं।
- उत्तर में इस बात पर भी विचार हो कि आधुनिक समाज में इनके संबंधों में इतनी विविधता क्यों दिखाई देती है।

उत्तर:

एक पुरानी लोकोक्ति है कि, "यदि कुछ गैर-कानूनी नहीं है तो यह अवश्य ही नैतिक होगा"। आधुनिक समाज के सन्दर्भ में यह पूर्णतया दोषपूर्ण है। नीतिशास्त्र और विधि उतने ही एक-दूसरे से भिन्न हैं जितना कि प्रवर्तनीयता अप्रवर्तनीयता से भिन्न है। एक ऐसे नागरिक वर्ग के सृजन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में ये एक दूसरे के उतने ही पूरक हैं जो किसी भी द्वंद्व की स्थिति में 'सही' मार्गदर्शन करता है।

विधि, समाज के कूटबद्ध नियम होते हैं, जिन्हें राज्य द्वारा वैधता प्रदान की जाती है। यह नैतिकता के अनुबंधों के उस धरातल को प्रतिबिम्बित करता है, जो इतने व्यापक हैं कि समाज एक साथ कहता है कि, "यही नैतिक आचरण मान्य होगा"। एक व्यापक सीमा तक, जब नीतिशास्त्र का विध्वंस होता है तो विधि तुरंत ही उस रिक्त स्थान को भरने आ जाती है।

यहाँ एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। पहले आप सड़क पर कूड़ा-करकट इसलिए नहीं डालते थे कि "लोग ऐसा नहीं करते हैं" अपितु इसलिए कि यह करना "गलत बात" थी। अब आप कूड़ा-करकट इसलिए नहीं फेंकते हैं क्योंकि ऐसा करने पर आर्थिक दंड भुगतना पड़ता है। जो कभी नीतिशास्त्र के दूसरे स्तर पर था, वही अब कानून के पहले स्तर पर आ गया है। इस प्रकार के उदाहरणों में विधिक ढांचा और नीतिशास्त्र, एक दूसरे की पूरक भूमिका में हैं।

परन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जब सम्भवत: विधिक ढांचे और नीतिगत ढांचे का परस्पर सम्बन्ध विलक्षण हो सकता है। इस बिंदु पर एक प्रकरण ले सकते हैं, "सविनय अवज्ञा की नैतिकता"। सविनय अवज्ञा का स्तर प्रेरित करता है कि अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन नहीं किया जाये। महात्मा गाँधी ने सन 1920 में इसका अति प्रभावशाली ढंग से एक अन्यायपूर्ण परन्तु न्यायसम्मत वैधानिक सरकार के विरुद्ध उपयोग किया था। इसके पश्चात्, सन 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक अधिकारों के आन्दोलन में और दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद नीति विरोधी आन्दोलन में उस समय के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने हेतु उपयोग में लाया गया। सविनय अवज्ञा में कानूनों का पालन न करने के लिए नैतिक कारणों की आवश्यकता होती है।

आधुनिक समाज में इस प्रकार की अनियमितता बहुत-ही आश्चर्यजनक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार प्रदान करने की बढ़ती स्वीकृति के कारण, किसी न किसी समय में ये प्रचलित रूढ़िवादी कानूनों के विरोध में आ जाते हैं। समलैंगिकों के अधिकारों के लिए आन्दोलन, इसका एक उपयुक्त उदाहरण है।

7. "नैतिकता न तो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है और न ही प्रकृति के नियम पर, बल्कि यह मानवीय विवेक पर आधारित है। किंतु मानवीय विवेक दोषपूर्ण हो सकते हैं।" टिप्पणी कीजिए। आपके लिए नैतिकता का क्या अर्थ है?

VISION IAS

दृष्टिकोण:

- ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए जहाँ मानवीय विवेक अच्छे तथा बुरे के बीच प्रभावी रूप से निर्णय नहीं ले सकता।
- नैतिकता की परिभाषा दीजिए। दृष्टान्तों के साथ बताईए कि आपके लिए इसका क्या अर्थ है।



उत्तर:

विवेक तथा तर्कपूर्ण चिंतन के बल पर ही मानव न्यायोचित तथा नैतिक को अनैतिक से पृथक कर पाया है, न कि उपियोगिता तथा प्रकृति के नियमों के आधार पर। मानवीय कार्यवाही जो विवेक पर आधारित होते हैं, हमें यह बताते हैं कि श्रेय क्या है। विवेक ग्रहण के स्रोत धर्म, विधि, आतंरिक मान्यताएं, मूल्य इत्यादि हो सकते हैं।

हालांकि, मानव विवेक पर बहुत से कारकों, यथा- तात्कालिक राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था, का प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरुप, एक कृत्य कुछ लोगों की दृष्टि में नैतिक तो अन्य लोगों की दृष्टि में अनैतिक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, आज़, मृत्युदण्ड बहुत से देशों तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा अनैतिक करार दिया जा रहा है, जबकि बहुत से ऐसे भी देश और व्यक्ति हैं जो इसे किसी जघन्य अपराध के लिए दण्डात्मक न्याय के रूप में उचित ठहराते हैं। इस प्रकार, विवेक के आधार पर कोई कृत्य नैतिक या अनैतिक हो सकता है। प्रतिदिन हमारा सामना बहुत सी ऐसी दुविधाओं से होता है जहां विवेक सामाजिक नियमों तथा आचारों से टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। नवीन सूचना के आधार पर विवेक में बदलाव भी आ सकता है, परिणामस्वरूप यह त्रुटिपूर्ण हो जा सकता है। इसलिए, यह कहना सत्य है कि पूर्णतः विवेक पर छोड़ दिए जाने पर नैतिकता त्रुटियुक्त बन सकती है।

नैतिकता को सही और गलत या अच्छे तथा बुरे व्यवहार के बीच भेद से संबंधित सिद्धांत के तौर स्वीकार किया जा सकता है। यह मूल्यों तथा आचरण के सिद्धांतों की एक विशिष्ट प्रणाली है। सामान्य तौर पर, इन सिद्धांतों को समाज द्वारा विस्तृत रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, किन्तु, हो सकता है वे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मानदंड हों जिन्हें वह सदाचारपूर्ण मानता हो।

मेरे लिए भी, नैतिकता का अर्थ अच्छे को बुरे से पृथक करने के लिए अपनाया गया एक विवेकपूर्ण रुख है। तथापि, इसमें नवीन तथ्यों तथा वैकल्पिक दृष्टिकोणों के लिए स्थान होना चाहिए जो मानव बुद्धि के क्षितिज़ का विस्तार करते हैं। उदाहरण के लिए, सर्वत्र सत्य बोलने को नैतिक करार दिया जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा भी इसे नैतिक समझा जाता है। यद्यपि, किसी व्यक्ति के लिए जो परेशानी में किसी की सहायता करने को और अधिक नैतिकतापूर्ण मानता है, इसके लिए झूठ बोलने की आवश्यकता होने पर झूठ बोल भी सकता है।

8. वे विभिन्न स्रोत क्या हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने कार्यवाही की सत्यता का परीक्षण कर सकता है? चर्चा कीजिए कि सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में ये स्रोत किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं?

दृष्टिकोण:

- उन स्रोतों के रूप में नियमों, विनियमों और विवेक पर चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से मनुष्य अपने कार्यवाही के औचित्य का परीक्षण कर सकता है।
- सार्वजनिक जीवन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

VISION IAS

- नैतिक निर्णय निर्माण में इन स्रोतों की वांछनीयता पर बल देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए।



उत्तर:

कानून और विवेक मार्गदर्शन के वे दो स्रोत हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी कार्यवाही की नैतिकता का परीक्षण कर सकता है। स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में ये स्रोत विशेष रूप से सार्वजनिक प्रशासकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

i) कानून, नियम और विनियम

कानून के नैतिक संकेतार्थ होते हैं। यह लोगों को कार्य करने या कार्य करने से अपने को अलग रखने के लिए प्रेरित करता है और दायित्व आरोपित करता है। इसे न केवल न्यायोचित होना चाहिए, बल्कि इसका बोझ भी समान रूप से डालना चाहिए। इसके साथ ही, यह सार्वजनिक शुभ, न कि निजी शुभ, के लिए होता है। विनियम प्रायः कानून की व्याख्या (स्पष्ट) करने में सहायता करते हैं। कानूनों के विपरीत, नियमों का सार्वजनिक लाभ के लिए ही होना आवश्यक नहीं है, ये निजी लाभ के लिए भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, संसाधनों आदि के कुशल उपयोग के लिए संगठन के भीतर बनाए गए नियम।

ii) अंतःकरण (Conscience)

यह व्यक्ति की सही और गलत की नैतिक भावना है, जिसे किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने वाले के तौर पर देखा जाता है। जहाँ कानून किसी कार्यवाही के विषय में सामान्य नियम होता है, वहीं विवेक विशिष्ट कार्यवाही के लिए व्यावहारिक नियम निर्धारित करता है। विवेक, कानून या नियम को विशिष्ट कार्यवाही के प्रति लागू करता है; इसलिए यह कानून की तुलना में अधिक व्यापक होता है।

स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्व

सही और गलत पर विचार करने के दौरान लोक प्रशासक किए गए या किए जाने वाले कार्यवाही की प्रकृति, कार्यवाही के लिए बनी परिस्थितियों और कार्यवाही के उद्देश्य संबंधी उपलब्ध सूचनाओं पर निर्भर होते हैं। कानून, नियम और विनियम इनके लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

कभी-कभी दीवानी कानून की स्पष्ट घोषणाओं को भी नियम नकार देते हैं। जहां वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने के लिए अधीनस्थ को दंडित कर सकता है, वहीं यदि नियम दीवानी या प्राकृतिक कानून के विपरीत हो, तो हो सकता है कि उल्लंघन करने वाले ने नैतिक रूप से कार्य किया हो। इसलिए, प्राकृतिक या दीवानी कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियमों से बचा जाना चाहिए।

प्रायः यह माना जाता है कि केवल नियम और विनियम सार्वजनिक प्रशासकों के लिए अपर्याप्त हैं। विशेष कार्यवाही के दौरान बिना विवेक के इन कानूनों और नियमों को लागू करने से, सार्वजनिक प्रशासक एक महत्वपूर्ण तत्व से चूक जाते हैं। विवेक किसी विशिष्ट कार्यवाही के दौरान कानून, नियम और नैतिकता के अन्य मानदंड लागू करने में सहायता करता है।

सभी सार्वजनिक प्रशासकों को अक्सर विवेकानुसार निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसे में विवेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

VISION IAS

9. सार्वजनिक जीवन में 'नागरिक सदगुण' (सिविक वर्चू) से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में इनका अनुसरण करने में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? इन चुनौतियों पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है?



दृष्टिकोण:

- नागरिक सदगुण (सिविक वर्चू) को परिभाषित कीजिए एवं नागरिक सदगुण के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए।
- जनता द्वारा इसके अनुशीलन के दौरान सामना की जाने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
- कुछ समाधान भी सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर:

नागरिक सदगुण समाज में नागरिक की भागीदारी संबंधी नैतिकता या सही व्यवहार का मानदण्ड है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि नागरिक, समाज से किस प्रकार संबंधित होता है। इस प्रकार, विभिन्न समुदायों में नागरिक सदगुण संबंधी धारणाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। उदार समाज अपने नागरिकों से न्यूनतम मांगें करता है, जबकि गणतंत्रवादी परंपरा सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध रक्षा करने या साझा सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करने हेतु उच्च स्तरीय भागीदारी की आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर नागरिकों की सक्रिय प्रतिभागिता की मांग करती है। रुढ़िवाद (अपरिवर्तनवाद) ने पारिवारिक मूल्यों तथा पिता एवं राज्य के प्रति आज्ञाकारिता पर जोर दिया। जनसामान्य द्वारा संचालित राष्ट्रवाद ने देशभक्ति को महत्वपूर्ण नागरिक सदगुण के रूप में स्थापित किया है।

नागरिक इसे सहज रूप से मतदान करके, करों का भुगतान करके, सामाजिक कार्य के लिए स्वैच्छिक रूप से स्वयं को प्रस्तुत करके, स्वच्छता बनाए रखने इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। नागरिक सदगुण व्यक्तिवाद के स्थान पर समुदायवाद पर जोर देता है। रॉबर्ट पटनम ने तीन नागरिक सदगुणों को परिभाषित किया है: सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी, विश्वसनीयता एवं सामाजिक अंतर्संबद्धता के माध्यम से वांछित पारस्परिकता।

इसका पालन करने में चुनौतियाँ

- समाज एवं संगठन में होने वाले परिवर्तनों के कारण बढ़ता व्यक्तिवाद। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों में संघर्ष के साथ नागरिक सद्गुण संबंधी धारणाएँ परिवर्तित हो रही हैं जिससे इनके वास्तविक अनुपालन का अभाव दिखता है।
- सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए सर्वाधिक निष्कर्षित करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार के वातावरण में, लोग समाज एवं मूल्यों के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, लोग व्यक्तिगत व्ययों हेतु पैसा बचाने के लिए कर अपवंचन करते हैं।
- सार्वजनिक संगठनों एवं लोगों के बीच विश्वास का अभाव एवं व्यक्तिगत हितों की तुलना में सार्वजनिक हितों को कम वरीयता देना।
- व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने में कठिनाइयाँ, जो वांछनीय नागरिक व्यवहार का अनुशीलन करने में बाधा पहुँचाती हैं।

समाधान

- **नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना:** बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए विद्यालयी शिक्षा आवश्यक है। किन्तु समाज के प्रति उत्तदायित्व की भावना उत्पन्न करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें मूल्य परक शिक्षा के माध्यम से नागरिक भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **आदर्श प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व करना:** वर्तमान में, अपने नेताओं के संबंध में लोगों के दृष्टिकोण दोषदर्षी हैं। जनता अपने ऐसे कृत्यों का औचित्य यह मानते हुए सिद्ध करती है

VISION IAS

कि नेता जिन विचारों का प्रचार करते हैं उनका अनुपालन नहीं करते हैं। इसलिए नेताओं को पथप्रदर्शक बनने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत में सफाई को बढ़ावा देने के लिए कई राजनीतिक नेता आगे आए हैं और उन्होंने समाज के लिए उदाहरण स्थापित करने का प्रयास किया है।



- **प्रभावशाली व्यक्ति:** लोग अभिनेताओं, उद्यमियों, वक्ताओं इत्यादि का अन्धानुकरण करते हैं। ये लोग सरलतापूवर्क समाज के प्रित जिम्मेदारी का भाव जगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार खुले में शौच की समस्या के विरुद्ध संघर्ष करने एवं कर भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनेताओं का उपयोग करती है।
- **अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जागरूकता:** वर्तमान समय में यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग अपने कर्तव्यों को भी उचित महत्व दें। उदाहरण के लिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन के समय मत नहीं करता है तो उसे सरकार पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

10. महान व्यक्तित्व (ग्रेट लीडर्स) का जीवन हमें अनेकों प्रकार से प्रेरित करते हैं। आपके ऊपर किस व्यक्तित्व का चिरस्थायी प्रभाव पड़ा है और किस प्रकार? आपके द्वारा उस व्यक्तित्व से आत्मसात किए गए एक उत्कृष्ट गुण एवं एक सिविल सेवक होने में उसके महत्व का उल्लेख कीजिए।

दृष्टिकोण:

- व्याख्या कीजिए कि आपके जीवन पर किस महान व्यक्तित्व का चिरस्थायी प्रभाव पड़ा है और क्यों।
- उनके व्यक्तित्व में शामिल ऐसे उत्कृष्ट मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें आपने आत्मसात किया हो।
- सिविल सेवाओं में उन मूल्यों के महत्व की भी व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, विश्व में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। किन्तु उनके व्यक्तित्व की महानता मात्र पद-प्रतिष्ठा के माध्यम से व्याख्यायित नहीं की जा सकती। उन्होंने अन्य व्यक्तियों को ऊँचे स्वप्न देखने के लिए प्रेरित किया एवं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपनी विचारधारा को केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं किया, अपितु इसे अपने देश एवं सम्पूर्ण विश्व के कल्याण हेतु विस्तारित किया।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की विशिष्टताएँ एवं क्षमताएँ उनके जीवन में समाविष्ट थीं। उन्होंने हमें परंपरा से हटकर विचार करने, नवोन्मेष करने एवं परीक्षण करने के लिए साहस प्रदान किया। उन्होंने हमें बारंबार स्मरण कराया कि असफलताओं से एवं इस विचार से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। उनका मानना था कि असफल परीक्षणों के बिना नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।

उन्होंने अपने कार्यों के प्रति लगन, समर्पण एवं दृढ़ निश्चय के गुण प्रदर्शित किए। उनका दृष्टिकोण विकसित एवं प्रगतिशील भारत का निर्माण करना था और उन्होंने हमें अपने इसी दृष्टिकोण के अनुसार प्रेरित किया। उनमें नेतृत्व के उल्लेखनीय गुण थे। अपनी टीम के नेता के रूप में वह असफलता को स्वीकार करने में सबसे आगे रहते थे, किन्तु सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपनी टीम को देते थे।

VISION IAS



हमारे मन-मस्तिष्क पर चिरस्थायी प्रभाव डालने वाला डा. कलाम का सर्वाधिक उत्कृष्ट गुण अगाध करुणा से उत्पन्न उनकी अतुलनीय विनम्रता थी। इस प्रकार का गुण लोक सेवकों द्वारा भी अपने जीवन में आत्मसात किया जाना चाहिए।

वह प्रत्येक भारतीय से अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने एवं देश तथा विश्व के कल्याण में योगदान देने की अपेक्षा रखते थे। उन्होंने कहा - "आकाश की ओर देखो। हम अकेले नहीं हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हमारा मित्र है और स्वप्न देखने वालों एवं उसे साकार करने हेतु प्रयासरत रहने वालों को सर्वोत्तम परिस्थितियाँ प्रदान करने की योजना बनाने में संलग्न रहता है।"

लोक सेवक में विनम्रता का गुण महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ स्वयं की महत्ता के संबंध में शालीन एवं विनीत दृष्टिकोण रखने का गुण है। विनम्र लोकसेवक यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य लोगों से इनपुट प्राप्त करने का प्रयास करता है कि उनके पास सभी वांछित तथ्य हैं और वे इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जो समाज के विभिन्न संभागों के हितों की दृष्टि से सर्वोत्तम हैं। भारत के प्रसंग में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ औपनिवेशिक विरासत एवं इसके संभ्रान्त संवर्ग के अति सूक्ष्म अनुपात के कारण लोक सेवक प्राय: स्वयं को अति-विशिष्ट मानने की मानसिकता, प्रभुत्व, व्यक्तिवाद को प्रदर्शित करते हैं एवं निर्णय प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी की उपेक्षा करते हैं।

विनम्रता प्रदर्शित करने का एक बेहतर उपाय पिछली गलतियों को स्वीकार करना और इन गलतियों को शासन के विभिन्न अवयवों हेतु सीख लेने के अवसरों के रूप में प्रयोग करना है। जब संस्थाएँ और नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो वे अन्य लोगों के लिए भी गलती करने एवं उससे सीखने को स्वीकार्य बनाते हैं।

प्रत्येक लोक सेवक को लोगों को केन्द्र में रखने, उनकी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होने, उनकी इच्छाओं का सम्मान करने एवं और उनके प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोक सेवकों को अपने योगदानों की दृष्टि से निस्वार्थ, अपने निर्णयों में समावेशी, अपने व्यवहार में विनम्र एवं अपनी गतिविधियों की दृष्टि से अनुकरणीय एवं प्रेरणास्पद होना चाहिए।

10. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज

(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions: Case Studies)

11. आप एक प्रशिक्षु संवाददाता (रिपोर्टर) के रूप में, सत्ताधारी दल की राज्य इकाई द्वारा आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में संवाददाताओं के एक छोटे से समूह के साथ गए हैं। कार्यक्रम के बाद रात्रि-भोजन में आपसे सम्मिलित होने के लिए कहा गया। रात्रि-भोजन के दौरान आपने ध्यान दिया कि सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों को शराब परोसी जा रही थी। उस राज्य में कुछ महीनों पहले शराब के सेवन को अवैध घोषित किया गया था और पूरे राज्य में कठोरतापूर्वक इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। आपके समूह के अन्य संवाददाताओं ने इस मुद्दे को अनदेखा किया और आपको भी इसे अनदेखा करने के लिए कहा। हालांकि, आपको यह स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा था।

VISION IAS

(a) इस परिदृश्य से जुड़े मुद्दों की पहचान कीजिए।

(b) इस परिदृश्य में आपके कर्तव्य क्या हैं?

(c) आप क्या कदम उठाएंगे और क्यों?



दृष्टिकोण:

- राजनीतिक उदासीनता, असंवेदनशीलता और मूल्यों में कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
- एक नैतिक संवाददाता और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए।
- आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

a) **मामले के तथ्य:**

मैं एक पत्रकार के रूप में सत्ताधारी दल द्वारा शराब बन्दी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का स्वयं साक्षी हूँ तथा मेरे सहकर्मियों द्वारा मुझे इस मुद्दे को अनदेखा करने को कहा गया है।

दल के सदस्यों से संबंधित मुद्दों में शामिल हैं:

- मद्यपान निषेध कानून का उल्लंघन।
- राजनीतिक उदासीनता।
- बेईमानीपूर्ण तथा अनुचित व्यवहार।
- कानून के कार्यान्वयन बनाम उसकी मूल भावना में अक्षरशः स्वयं पालन करने के सम्बन्ध में दोहरा मापदंड अपनाना।
- प्रतिबंधित पदार्थ तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु अधिकार और प्रभाव का संभावित दुरुपयोग।

घटना को अनदेखा करने वाले संवाददाताओं से संबंधित मुद्दे हैं:

- पत्रकारिता संबंधी नैतिकता का उल्लंघन।
- कानून तोड़ने वालों के साथ अप्रत्यक्ष मिलीभगत।
- संभावित निहित स्वार्थ।

b) एक संवाददाता के रूप में मेरे कर्तव्य पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों और आधारभूत सिद्धांतों, यथा- सत्यता, यथार्थता, निष्पक्षता, गैर-पक्षपात और जवाबदेहिता की रक्षा करना है।

- एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के कानून का पालन करना एवं इसके कार्यान्वयन में अधिकारियों की मदद करना है मेरा कर्तव्य है। मुझे कानून के स्पष्ट उल्लंघन की किसी भी घटना की सूचना अधिकारियों को देनी चाहिए, जो कानून के शासन के उसकी मूल भावना में अक्षरशः कार्यान्वयन में उनके लिए सहायक हो सकता है।

c) मेरे पास दो विकल्प हैं: या तो मैं मौन बना रहूँ या फिर संबंधित अधिकारी को घटना की रिपोर्ट दूँ। पहले का चयन करने से न केवल पत्रकारिता संबंधी नैतिकता का उल्लंघन होगा बल्कि यह साहस की कमी और गैर-कानूनी कार्यों के प्रति उदासीनता की अभिवृत्ति को भी दर्शाता है।

- इसलिए, मैं पुलिस को मामले की रिपोर्ट करूँगा क्योंकि यह कानून के स्पष्ट उल्लंघन का मुद्दा है। एक संवाददाता के रूप में, प्रासंगिक साक्ष्यों (चित्र/वीडियो आदि) का संग्रह करेंगे, जो इस मुद्दे की रिपोर्टिंग में उपयोगी होने के साथ ही पुलिस के लिए मामला दायर करने में भी सहायक हो सकता है।
- समूह के अन्य सदस्यों द्वारा कुछ निहित स्वार्थ या भय के कारण मुझे इस मुद्दे को नजरअंदाज करने को कहा गया, अतः इसके संबंध में मैं अपने समूह के अन्य सदस्यों को

VISION IAS



भी समझाने का प्रयास करूँगा कि वे कानून का उल्लंघन करने वालों को न्यायालय तक ले जाने हेतु आगे आयें।
- आम जनता के ध्यान में इस मुद्दे को लाने हेतु सोशल मीडिया एवं पत्रकारिता मंच का प्रयोग करूँगा जिससे इसमें शामिल लोगों का सही चरित्र सामने लाया जा सके।

उपर्युक्त कार्यवाही के पीछे कारण:

प्रतिबंधित पदार्थों के अवैध सेवन की रिपोर्टिंग से प्रशासन को तस्करी पर अंकुश लगाने एवं कानून के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। किसी अवैध घटना का साक्षी होने पर, महज एक दर्शक न बने रहकर इसके खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय, पत्रकारिता के सिद्धांतों- सत्यता और निष्पक्षता एवं एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का समर्थन करता है। पार्टी के सदस्यों द्वारा शराब के सेवन से पाखंड का स्पष्ट पता चलता है। सत्यनिष्ठा युक्त सरकार की स्थापना के लिए इस तरह के पाखंड को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

12. रमेश जो कि एक बहुत-ही मेहनती व्यक्ति है, अपने परिवार में पैसा कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति भी है। उसने कई वर्षों से एक तेल कंपनी की स्थानीय संबद्ध इकाई में कार्य किया है और उस कंपनी के स्थानीय सुविधा के प्रबंधक सुरेश के साथ एक मजबूत एवं विश्वसनीय संबंध स्थापित किया है। हाल ही में सुरेश ने कंपनी के कॉर्पोरेट परामर्शी इंजीनियर के रूप में नियुक्ति हेतु रमेश के नाम की अनुशंसा की है, यह पद स्थिर आय के साथ ही साथ अधिक जिम्मेदारी का पद होगा। एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान सुरेश 1960 के दशक में घटित एक घटना का उल्लेख करता है, जिसमें कंपनी की लापरवाही के कारण 10,000 गैलन पेट्रो कैमिकल्स का स्थानीय पर्यावरण में रिसाव हो गया था, लेकिन उस समय उसके कारण कोई क्षति ज्ञात नहीं हुई थी और प्रेस को इस रिसाव की कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। जब रमेश उल्लेख करता है कि राज्य के कानून के अनुसार उसे तेल रिसाव (स्पिल्स) की सभी घटनाओं को दर्ज कराना आवश्यक है तो सुरेश उसे याद दिलाता है कि उस घटना कोई हानि नहीं हुई थी और उसे पुन: स्मरण कराता है कि वह ऐसा परामर्शी इंजीनियर नहीं रख सकता जो गोपनीयता का सम्मान नहीं करता हो।

(a) दिए गए मामले से जुड़े नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।

(b) इस परिस्थिति में रमेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए।

(c) यदि आप रमेश के स्थान पर होते, तो आपकी कार्यवाही क्या रही होती? उसके लिए कारण दीजिए।

दृष्टिकोण:
- मामले का विश्लेषण कर इसमें निहित महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
- दी गई परिस्थिति में रमेश के पास उपलब्ध विकल्पों की सूची बनाईए और प्रत्येक उपलब्ध विकल्प के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का वर्णन कीजिए।
- आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताईये तथा कार्यवाही को उचित सिद्ध करने हेतु तर्क प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

निहित हितधारक
- रमेश, सुरेश, तेल कंपनी, सरकार और आम जनता।

(a) निहित नैतिक मुद्दे

i) स्व-हित बनाम जनता के हित

VISION IAS



मामले में प्रदत्त जानकारी के अनुसार रमेश अपने परिवार में पैसा कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है और उसकी आय का स्रोत स्थिर नहीं है; वह अपनी नौकरी गँवाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन, यदि वह इस नौकरी को लेता है, तो वह घटना की रिपोर्टिंग में निहित जन हित के प्रति उदासीनता दिखा रहा है।

ii) संगठनात्मक नैतिकता बनाम नैतिक मूल्य

रमेश के समक्ष उसके व्यक्तिगत मूल्यों में विश्वास और संगठनात्मक नैतिकता के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि वह उनमें से किसी एक का अनुसरण करता है, तो वह दूसरे के साथ अन्याय करेगा।

iii) राज्य कानून की उपेक्षा बनाम जिम्मेदार नागरिक

देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, रिसाव मामले की रिपोर्ट/शिकायत कर सार्वजनिक कानून का पालन करना उसका कर्तव्य है। परन्तु, अपनी नौकरी बचाने के लिए वह राज्य के कानूनों की उपेक्षा करेगा।

(b) उपलब्ध विकल्प

i) इस मुद्दे पर मौन रहना

गुण:

- चूंकि यह घटना बहुत पहले घटित हुई है और इस घटना में कोई भी प्रभावित नहीं हुआ, अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि अब इस मुद्दे को उठाना व्यर्थ होगा।
- सुरेश की सलाह मानने का परिणाम यह होगा कि रमेश के साथ उसके व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों संबंध प्रभावित नहीं होंगे।
- यह विकल्प आगे पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

दोष:

- इस तरह की निष्क्रियता राज्य के कानूनों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है, जिनके तहत इस प्रकार की सभी घटनाओं की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
- इसके अलावा ऐसी कार्यवाही भविष्य हेतु मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जहाँ इस प्रकार के रिसाव की घटना की रिपोर्ट नहीं की जाएगी।

ii) सरकार को रिपोर्ट करने हेतु सुरेश को राजी करना

गुण:

- इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट करना, राज्य के कानूनों के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
- सुरेश के साथ रमेश के व्यक्तिगत संबंध अप्रभावित रहेंगे।
- परिणामस्वरूप यह विकल्प रिसाव के प्रभाव का आकलन करने हेतु विस्तृत जांच के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

दोष:

- यह रमेश और सुरेश दोनों के पेशेवर कैरियर को जोखिम में डाल सकता है।

iii) अपने वरिष्ठ अधिकारी या निदेशक से बात करना

गुण:

- पूर्व में हुई गलत घटना को सही करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु वरिष्ठ अधिकारी या निदेशक को एक अवसर प्राप्त होगा।
- यह दर्शाता है कि रमेश अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग कर एक नागरिक के रूप में अपने मूल्यों और जिम्मेदारियों को उचित सिद्ध करने का प्रत्येक संभव प्रयास कर रहा है।

VISION IAS



दोष:

- कंपनी में उसे अपने विरुद्ध प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी ने अब तक इस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।

iv) ह्विसल ब्लोअर बन जाए और घटना को उजागर कर दे

गुण:

- वह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राज्य के कानूनों का पालन करते हुए अपने कार्यों को सुनिश्चित करेगा।
- यदि बाद में इस प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो तो वह पर्यावरण और लोगों के जीवन को जोखिम से बचाने में सक्षम होगा।

दोष:

- वह अपनी नौकरी खो देगा तथा सुरेश के साथ उसके संबंध स्थायी रूप से समाप्त हो सकते हैं।

(c) सर्वोत्तम कार्यवाही

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, मैं सरकार को घटना की सूचना प्रदान करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को समझाने का प्रयास करूँगा, जो पर्यावरण और जनता को हुई क्षति का आकलन कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है, कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए दंडित किया जाएगा। दूसरों को कानून के शासन का पालन करने हेतु प्रेरित करने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। हालांकि, इसका परिणाम यह हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी गँवा दूँ। साथ ही यह यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है, कि इस तरह के मामलों में जनता के हित सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिसके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

13. मानव पर नैदानिक परीक्षण (clinical trials) के विनियम और प्रक्रियाएं राष्ट्र दर राष्ट्र भिन्न हैं। एक उभरते बायोमेडिकल क्षेत्र के रूप में स्टेम सेल शोध के लिए मानवीय परीक्षणों हेतु स्वीकृति की आवश्यकता होती है और इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप वैज्ञानिकों के एक दल के नेतृत्वकर्ता हैं जिन्होंने एक नई टिश्यू इंजीनियरिंग सिस्टम विकसित किया है जो हृदय के उत्तकों (टिश्यूज) को पुनः पैदा करने हेतु आशावान साधन नजर आता है। इस सिस्टम का पहले ही जानवरों पर परीक्षण किया जा चुका है और उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। गंभीर हृदय रोगों से जूझते लाखों लोगों को इससे अत्यधिक लाभ होगा यदि यह इलाज उनके लिए शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए। हालांकि इसके वाणिज्यीकरण से पूर्व मानव पर नैदानिक परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। यह भी ज्ञात है कि इसके वाणिज्यिक रूप से (बाजार में) उपलब्ध होने से पूर्व देश में विनियम संबंधी कठोर वातावरण के कारण मानवीय परीक्षण और अंतिम स्वीकृति में वर्षों लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बहुत से गरीब राष्ट्रों में नैदानिक परीक्षण संबंधी विनियम ढीले हैं और शीघ्र स्वीकृति संभव है। आपके बहुत-से प्रतिद्वंद्वी भी नैदानिक परीक्षण हेतु प्रायः ऐसे राष्ट्रों का रुख करते हैं जहां वे अधिकारियों को रिश्वत दे कर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं।

दी गई परिस्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(a) नैदानिक परीक्षण के दौरान उभरने वाले नौतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।.

(b) दी गई उपर्युक्त परिस्थिति में, क्या आप मानवीय परीक्षणों को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करना पसंद करेंगे जहां विनियम ढीले हैं? अपने चयन हेतु कारण दीजिए।

(c) नैतिक संघर्ष को कम करने एवं नई दवाइयों हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए मानक प्रक्रिया का एक प्रारूप सुझाइए।

VISION IAS

दृष्टिकोण:



- मानवीय नैदानिक परीक्षणों पर एक संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत कीजिए और नैदानिक परीक्षणों में समाविष्ट नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
- प्रयोगशाला के स्थान-परिवर्तन के गुणों व दोषों पर चर्चा कीजिए एवं स्वदेश से प्रयोगशाला के स्थान में परिवर्तन पर अपना अंतिम निर्णय बताइए।
- नई दवाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज करने तथा नीतिपरक संघर्षों को कम करने हेतु मानक प्रक्रिया की रूपरेखा बनाइए।

उत्तर:

प्रकरण का सार: मैं एक टीम का मुखिया हूँ, जिसने एक नई प्रणाली विकसित की है जो हृदय रोगों से पीड़ित लोगों की सहायता करेगी। वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध होने से पहले, इसे मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षणों से गुजरना होगा, इसके लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा। वैकल्पिक रूप से, गरीब देशों में कमजोर विनियमन के चलते तेजी से मानव परीक्षण होंगे तथा उन्हें स्वीकृति भी मिलेगी तथा कई प्रतिस्पर्धी रिश्वत देकर यह काम कर रहे हैं।

(a) नैदानिक परीक्षण स्वेच्छा व्यक्त करने वाले मनुष्यों पर एक प्रकार का परीक्षण है। जो यह देखने के लिए किया जाता है कि आम जनता पर व्यापक चिकित्सा का उपयोग करने के लिए नई चिकित्सीय उपचार को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। विभिन्न नैतिक मुद्दों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- व्यापक जनसंख्या के कल्याण के लिए ईमानदारी पूर्वक नैदानिक परीक्षण करने का नैतिक कर्तव्य।
- मानवता अपने आप में एक ध्येय है (गांधीजी)। थोड़े से भुगतान के एवज में इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए समाज के निचले स्तर के लोगों का उपयोग करना मानवता का अपमान है। इससे सामान्य जनसँख्या के स्वास्थ्य में सुधार तो हो सकता है, लेकिन शोषण के रूप में लागत भी बढ़ सकती है, जो मौत का भी कारण बन सकती है और वह गलत होगा।
- सूचित सहमति के संबंध में गरीब देशों की नैतिक चिंताएं।
- चिकित्सा विशिष्ट लोकाचारों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें चिकित्सक का पहला ध्यान स्वास्थ्य और रोगी के जीवन पर होना चाहिए। उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे रोगी का स्वास्थ्य खराब हो जाए। नैदानिक परीक्षण लंबे समय में चिकित्सक-रोगी संबंधों की प्रामाणिक नींव को कमजोर बना सकते हैं।

(b) वर्तमान मामले में, वैज्ञानिकों ने हृदय के ऊतकों को पुनर्जीवित करने की एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे ऐसे लाखों लोगों को महत्वपूर्ण जीवन मिलेगा जो गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं। हालांकि, गरीब और विकासशील देशों के ढीले नियम तथा भ्रष्ट शासन वैज्ञानिकों को इन देशों में अपनी प्रयोगशालाओं को खोलने और परीक्षण करने को विवश करते हैं। इस प्रकार के आचरण के गुण और दोष निम्नानुसार हैं:

गुण

- गरीब देशों में लागत कम है। इसलिए, विकसित चिकित्सीय उपचार सस्ता होगा। उदाहरण के लिए, भारत में नैदानिक परीक्षण का खर्च अमरीका के नैदानिक परीक्षण के खर्च से दस गुना कम हो सकता है।
- तीसरी दुनिया में ऐसे मरीजों की उपलब्धता की संभावना अधिक है जो पहले कभी ऐसे परीक्षणों से नहीं गुजरे हैं या पहले से ही किसी दवा का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

VISION IAS

- विकासशील देशों को उन्नत चिकित्सा विज्ञान का लाभ मिलता है और नवीनतम दवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है।
- नैदानिक परीक्षणों की प्रक्रिया विकासशील देशों में तेज है क्योंकि विनियामक अनुमोदन लेना आसान है। यह चिकित्सा उपचार के विकास मे लगने वाले समय को कम करता है।
- यह गंभीर हृदय रोगों से पीड़ित लोगों के लिए जल्द इलाज उपलब्ध कराएगा।



दोष

- **सहमति:** अधिकतर, गरीब देशों के लोग अनुबंध को समझे बगैर तथा जोखिम को जाने बिना अपनी सहमति दे देते हैं क्योंकि अनुबंध विदेशी भाषाओं में लिखे जाते हैं।
- **आर्थिक मजबूरी:** कभी-कभी नैदानिक परीक्षण के लिए गरीब लोगों द्वारा अपना शरीर बेचने के पीछे उनकी गरीबी जिम्मेदार होती है। पश्चिमी चिकित्सा के प्रति अंध-विश्वास भी उनके निर्णय लेने में एक अहम भूमिका निभाता है।
- **खराब स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली:** नैदानिक परीक्षणों में जोखिम बहुत अधिक है। तीसरी दुनिया की ख़राब स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली शरीर पर प्रयोगों से उत्पन्न होने वाली उलझनों और दुष्प्रभावों के मामले में सुभेद्यता को और बढ़ाती है।
- तीसरी दुनिया के देशों में प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता भी शिथिल निगरानी के कारण संदेह के दायरे में है।
- कम विनियामक सुरक्षा उपाय तथा गरीबी और निरक्षरता का उच्च स्तर, विदेशी दवा कंपनियों द्वारा दुराचारण और निचले मानक अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं।
- पेशेवर नैतिकता और एक स्थापित प्रक्रिया की उपेक्षा करना, सत्यनिष्ठा पर संदेह को बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा में अनुचित साधन चुनने का प्रयास किया जा सकता है जैसे कि स्वीकृति प्राप्त करने के लिए घूस देना।

जैसा कि देखा जा सकता है, परीक्षणों का स्थान उन देशों में बदलने के कई लाभ हैं जहां लागत सस्ती और नीतिगत विनियम कम सख्त हैं। हालांकि, प्रक्रियाओं में ढीलापन परीक्षणों को बदलने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इससे लाखों लोगों का जीवन बचेगा और सस्ती लागत वाले उपचार में वृद्धि होगी। इसलिए, प्रयोगशाला को आसान विनियमन वाले देश में स्थानांतरित करना विवेकपूर्ण है।

हालांकि, मैं सूचित सहमति, साइड-इफ़ेक्ट के उपचार, त्रुटियों के मामले में मुआवजे आदि को समाहित करके उन्हीं सुरक्षा उपायों और सावधानियों का उपयोग करूंगा जिन्हें विकसित देशों में उपयोग किया जाता है। मैं यह निश्चित करूंगा कि कोई अवैध प्रक्रिया अपनाई जाए और किसी भी उल्लंघन के लिए सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करूँगा।

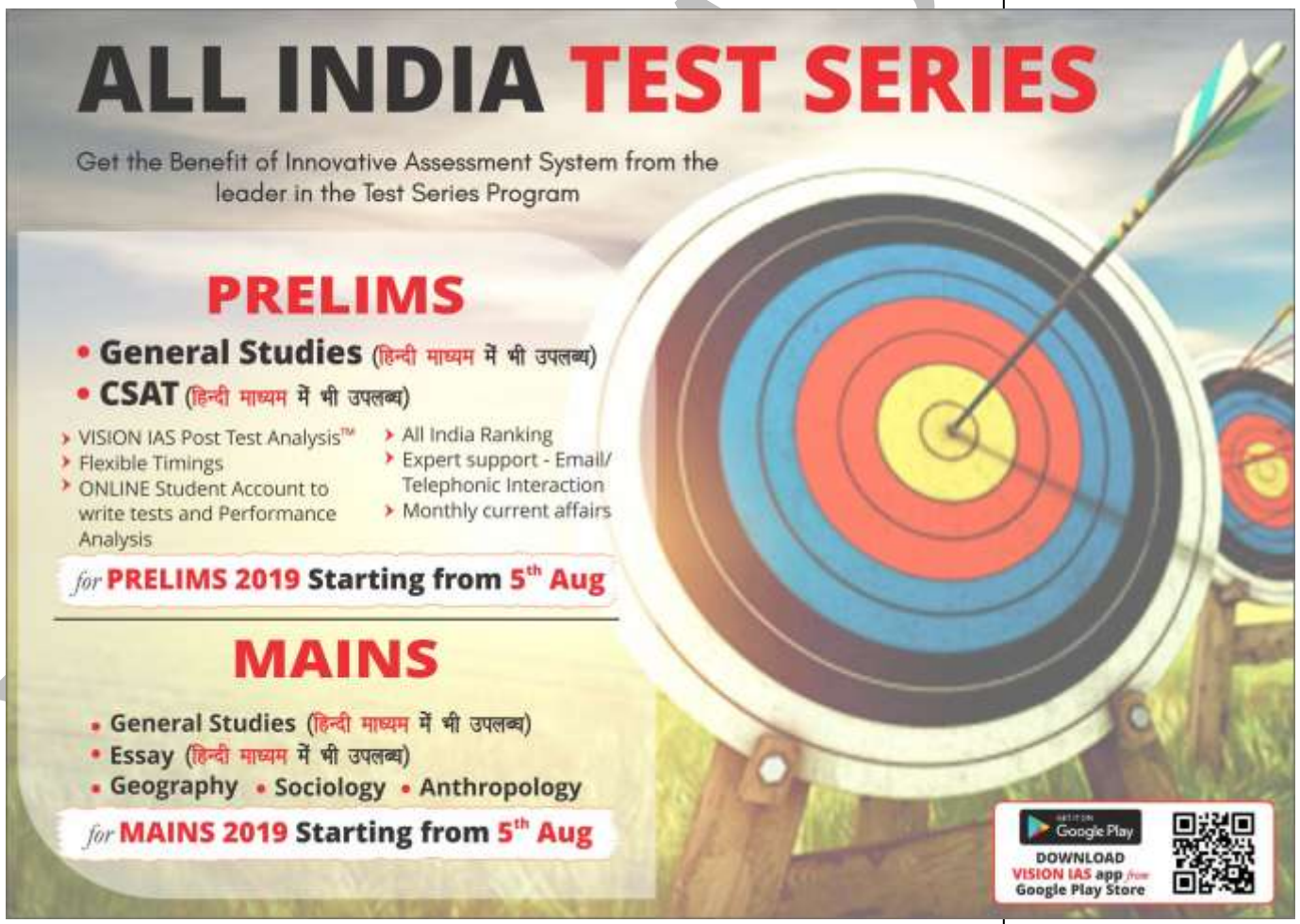
इस प्रकार जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उन लोगों की सुरक्षा और कल्याण से समझौता किए बिना बड़ी संख्या में उन्हें अधिक लाभ सुनिश्चित कराने में सक्षम हो जाऊंगा।

(c) मानक प्रक्रिया की रूपरेखा

- **सामाजिक मूल्य:** अध्ययनों से शोधकर्ताओं को यह तय करने में सहायता मिलनी चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य या कल्याण को कैसे सुधारें।
- **वैज्ञानिक वैधता:** शोध से उपयोगी परिणाम मिलने और ज्ञान को बढ़ाने की आशा की जानी चाहिए। शोधकर्ताओं को अपने प्रयोगों को यथासंभव बेहतर बनाना चाहिए।
- **उचित व्यक्ति का चयन:** शोधकर्ताओं को ट्रायल के लिए लोगों का चयन करने तथा यह निर्णय लेने में निष्पक्ष होना चाहिए कि अध्ययन में कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं।
- **अनुकूल जोखिम लाभ अनुपात:** शोध के नैतिक होने के लिए, प्रक्रिया के जोखिम को जिस व्यक्ति (जिस पर ट्रायल हो रहा है) को होने वाले लाभ, और/या समाज को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण नए ज्ञान द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **स्वतंत्र समीक्षा:** शोधकर्ता कभी-कभी उन तरीकों की अनदेखी करते हैं जिनसे शोध परिणामों में सुधार हो सकता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, ऐसे लोगों के समूह से जो अनुसंधान से जुड़े नहीं हैं, एक स्वतंत्र समीक्षा करवाना आवश्यक है।
- **सूचित सहमति:** व्यक्ति (जिस पर ट्रायल हो रहा है) को अध्ययन के विवरण के संबंध में बताना चाहिए। उन्हें स्वेच्छा से भाग लेने और सूचित सहमति देने हेतु सहमत होना चाहिए।
- **व्यक्ति के प्रति सम्मान:** सूचना की गोपनीयता को बनाए रखकर नियमित स्वास्थ्य निगरानी करने से विश्वास मिलेगा।
- **आंकड़े साझा करना:** अतीत के शोधों के आंकड़े दूसरों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। इससे समान दवाओं के नए परीक्षणों को करने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे दवाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया तेज होगी। इस उपनियम को डेटा एक्सक्लुसिविटी (data exclusivity) पर WTO की वार्ता में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।



Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
www.visionias.in

Value Addition Material-2018

PAPER IV : नीतिशास्त्र

अभिवृत्ति

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय 4

1. अभिवृत्ति (Attitude) 4

1.1. अभिवृत्ति का अर्थ (Meaning of Attitude) 4

1.2. अभिवृत्ति की संरचना (Structure of Attitude) 5

1.2.1. ABC मॉडल (The ABC Model) 5

1.2.2. मोड मॉडल (MODE Model) 6

1.3. अभिवृत्ति के कार्य (FUNCTIONS OF ATTITUDE) 6

1.3.1. ज्ञान संबंधी कार्य-समझने का कार्य 6

1.3.2. उपयोगितावादी कार्य (अनुकूलनात्मक कार्य) 7

1.3.3. अहम् रक्षात्मक (Ego Defensive) 7

1.3.4. मान्यता सूचक (अहं सूचक) 8

1.4. अभिवृत्ति के प्रकार (Types of Attitude) 9

1.4.1. सकारात्मक अभिवृत्ति (Positive Attitude) 9

1.4.2. नकारात्मक अभिवृत्ति (Negative Attitude) 10

1.4.3. तटस्थ अभिवृत्ति (Neutral Attitude) 11

2. अभिवृत्ति के कुछ अन्य विशिष्ट प्रकार 12

2.1. कमजोर वर्गों के प्रति अभिवृत्ति (Attitude Towards Weaker Sections) 12

2.2. नैतिक अभिवृत्ति (Moral Attitude) 13

2.3. राजनीतिक अभिवृत्ति (Political Attitude) 15

2.4. राजनीतिक अभिवृत्ति और समाजीकरण के एजेंट 15

3. अभिवृत्ति का निर्माण (Attitude Formation) 17

4. अभिवृत्ति परिवर्तन 19

4.1. अनुनय (Persuasion) 19

4.2. प्रकार्य जिन्हें अनुनय के साथ किया जा सकता है 19

4.3. प्रत्यायन प्रक्रिया में चरण (Steps in Persuasion Process) 22

4.4. प्रभावी प्रत्यायन (Effective Persuasion) 22

4.5. सामाजिक प्रभाव (Social Influence) 23

4.6. भावनाएं और अभिवृत्तिक परिवर्तन (Emotions and Attitude Change) 25

4.7 सामाजिक प्रभाव या अनुनय के परिणाम 26

4.8 अनुनय बनाम छल-कपट (Persuasion vs. Manipulation) 27

5. विचार और व्यवहार के साथ अभिवृत्ति का संबंध 27

5.1. अभिवृत्ति हमारे विचार और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है? 27

VISION IAS

5.2. अभिवृत्ति से व्यवहार का पूर्वानुमान कब होता है? 29
5.2.1. अभिवृत्ति की क्षमता (Strength of Attitude) 30
5.2.2. अभिवृत्ति की स्थिरता (Stability of the Attitude) 30
5.2.3. अभिवृत्ति की पहुँच या अभिगम्यता (Accessibility of the Attitude) 30
5.2.4. अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषता (Salience of the attitude) 30
5.2.5. अभिवृत्ति के भावात्मक बनाम संज्ञानात्मक पक्ष 31
6. विचार किए जाने हेतु उदाहरण 32
6.1. केस स्टडी 1 32
6.2. केस स्टडी 2 33
6.3. केस स्टडी 3 34
6.4. केस स्टडी 4 34
6.5. केस स्टडी 5 35
7. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न 36
8. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न 37
9. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 41
10. Vision IAS टेस्ट सीरीज़ : केस स्टडीज़ 42



विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय



यह अध्ययन सामग्री अभिवृत्ति के विषय को विस्तृत रूप से समाविष्ट करती है, जिसमें सम्मिलित है: अभिवृत्ति का अर्थ, संरचना, कार्य, प्रकार, गठन, इसमें परिवर्तन तथा व्यवहार के साथ इसका संबंध। छात्रों को परीक्षा की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस सामग्री के अंत में दिए गए विगत वर्षों के प्रश्नों को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है। विषयों को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, हालांकि इनको विषय की बेहतर समझ के लिए समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार, हमने सैद्धांतिक विषय को पूरे सामग्री में कई समकालीन उदाहरणों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। छात्र जब इस सैद्धांतिक ज्ञान को शामिल कर अपने उत्तरों को लिखते समय उदाहरणों में इसका प्रयोग करेंगे तो इससे उत्तर अधिक आकर्षक बनेंगे। इस प्रकार, इसका उद्देश्य व्यावहारिक अर्थ में इस विषय को समझना है न कि केवल उन विवरणों को याद करने जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम उपयोगी होंगे।

1. अभिवृत्ति (Attitude)

1.1. अभिवृत्ति का अर्थ (Meaning of Attitude)

ऑक्सफोर्ड शब्दकोष अभिवृत्ति को *'किसी विषय पर विचार करने या अनुभव करने के नियत तरीके'* के रूप में परिभाषित करता है। कैम्ब्रिज शब्दकोष इसे 'किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में अनुभव या मत या उसके द्वारा प्रेरित व्यवहार करने के तरीके' के रूप में परिभाषित करता है। इन परिभाषाओं के बावजूद, अभिवृत्ति की व्यापक रूप से स्वीकार्य किसी परिभाषा पर पहुंचना कठिन है। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिवृत्ति एक अमूर्त गुण है, यह ऐसा कुछ है जिसे हम प्रत्यक्ष रुप से देख नहीं सकते। हम केवल व्यवहार से इसका अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि 'अभिवृत्ति' शब्द का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है।

अभिवृत्ति, किसी विषय-वस्तु के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल रूप से व्यवहार करने की सीखी गयी और **चिरस्थायी प्रवृत्ति (enduring predisposition)** है। यह विषय-वस्तु कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या व्यक्ति या क्रमशः ऐसी घटनाओं, व्यक्तियों, या वस्तुओं के वर्ग हो सकते हैं।

***टिप्पणी:** अभिवृत्तियों पर सबसे समकालीन परिप्रेक्ष्य यह भी अनुमति देते हैं कि लोग एक ही विषय वस्तु के प्रति एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अभिवृत्तियों को धारण किए हुए किसी विषय वस्तु के प्रति **विरोधी (conflicted)** या **उभयवृत्ति (ambivalent)** के भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि यह अपेक्षाकृत स्थाई है, तथापि यह गारंटी नहीं है कि समान विषय वस्तु या घटनाओं के लिए अभिवृत्ति समान ही होगी। कई बार लोग किसी विषय वस्तु के प्रति उभयवृत्ति या यहां तक कि विरोधी दृष्टिकोण भी धारण किए रहते हैं। यही मुख्य कारण है जिसके कारण लोग असंगत व्यवहार करते हैं। कोई व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है वह कभी-कभी चॉकलेट अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए चॉकलेट खा सकता है और दूसरे समय वह व्यक्ति स्वास्थ्य चिंताओं के कारण चॉकलेट नहीं खाने का चयन करता है। अधिकतर समय व्यवहार असंगत होता है, क्योंकि अभिवृत्ति अपने आप में उभयवृत्ति दर्शाती है।

अभिवृत्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक और भौतिक विश्व के विषय में लोगों की धारणाओं को आकार प्रदान करती है और प्रत्यक्ष व्यवहार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अभिवृत्ति दूसरों के प्रति मित्रता और शत्रुता, सहायता देने और प्राप्त करने, अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार आदि को प्रभावित करती है। अभिवृत्तियाँ बहुत नाटकीय रूप से, मानवता के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों सहित कई हिंसक हमलों के मूल में विद्यमान होती हैं।

VISION IAS

अभिवृत्तियाँ अनुभव और ज्ञान के साथ परिवर्तित होती हैं क्योंकि मनुष्य एक 'विवेकशील प्राणी' है। विवेकसंगत विकल्प की अवधारणा नए विचारों, निष्पक्षता और न्याय के प्रति खुले मस्तिष्क पर आधारित है। कठोर और हठी अभिवृत्ति चारित्रिक दृढ़ता को नहीं अपितु कमजोरी को प्रदर्शित करती है। एक कठोर या हठपूर्ण अभिवृत्ति, सुदृढ़ या तीव्र अभिवृत्ति के तुल्य नहीं होती है। सुदृढ़ अभिवृत्ति का निर्माण ज्ञान और अनुभव के आधार पर हुआ होता है।

विश्वास और अभिवृत्ति में अंतर (Difference between Belief and Attitude)

इन दो प्रश्नों पर विचार करें:

- **क्या आपको लगता है कि मृत्युदंड एक प्रभावी निवारक है?**
- **मृत्युदंड के विषय में आप कैसा अनुभव करते हैं?**

जबकि, पहला प्रश्न मृत्युदंड के विषय में आपके विश्वासों का आकलन करता है; दूसरा प्रश्न इसके प्रति आपकी अभिवृत्ति का आकलन करता है।

विश्वास तथ्यात्मक साक्ष्य के विषय में निष्कर्ष होता है, जबकि **अभिवृत्ति** ऐसा विश्वास है **जिसमें भावनात्मक अवयव भी समाविष्ट** होता है। अभिवृत्तियाँ किसी मुद्दे या व्यक्ति के प्रति हमारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं।

1.2. अभिवृत्ति की संरचना (Structure of Attitude)

1.2.1. ABC मॉडल (The ABC Model)

अभिवृत्ति के शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार इसके 3 अवयव होते हैं: **संज्ञानात्मक, भावात्मक, और व्यवहारात्मक।** यह अभिवृत्ति का सबसे प्रभावशाली मॉडल है। (जिसे अभिवृत्ति का ABC मॉडल भी कहा जाता है)। इसके अनुसार, अभिवृत्ति में निम्नलिखित तीन अवयव होते हैं:

- **संज्ञानात्मक अवयव (Cognitive component: C अवयव)**: इसका संदर्भ विश्वासों, विचारों और गुणों से होता है जिसे हम किसी विषय वस्तु के प्रति संबद्ध करते हैं। कई बार व्यक्तियों की अभिवृत्ति विषय-वस्तु के प्रति उनके द्वारा **संबद्ध** किए जाने वाले **नकारात्मक** और **सकारात्मक गुणों** पर आधारित हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस अवयव में अभिवृत्ति का विश्वास भाग समाविष्ट होता है। उदाहरण के लिए, यह विश्वास की X समाज के सदस्यों में Y प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं।
- **भावात्मक अवयव (Affective or Affection component: A अवयव):** इसका संबंध किसी अभिवृत्ति संबंधी विषय वस्तु से संबंधित भावनाओं या भावों से होता है, अर्थात किसी विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं जिसके लिए हम अपनी अभिवृत्ति धारण कर रहे हैं। भावात्मक अनुक्रियायें अभिवृत्तियों को कई प्रकार से प्रभावित करती हैं। कई लोग मकड़ियों से डरते हैं या आतंकित रहते हैं। तो इस नकारात्मक भाव के अनुक्रिया स्वरूप कोई व्यक्ति मकड़ियों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकता है।
- **व्यवहारात्मक अवयव (Behavioural component; B अवयव)**: इसका संबंध अभिवृत्ति संबंधी किसी विषय-वस्तु के विषय में भूतकाल के व्यवहारों या अनुभवों से होता है। यह अभिवृत्ति संबंधी किसी विषय-वस्तु के प्रति किसी निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा सभा में उसे अनदेखा करने की संभावना होती है। यह लोगों को अभिवृत्ति धारक की पिछली गतिविधियों के आधार पर उसकी अभिवृत्तियों का अनुमान लगाने में सहायता करता है।

हालांकि इस मॉडल को आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रायोगिक अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध नहीं होता है। किसी एक विशिष्ट अभिवृत्ति से संबद्ध **विचार, भावनाओं, और व्यवहारगत** आशयों

VISION IAS

के बीच स्पष्ट भेद स्थापित नहीं किया जा सकता। अभिवृत्तियों के ABC दृष्टिकोण की आलोचना यह है कि इसके लिए अभिवृत्ति की संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक संबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अकल्पनीय हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी जाति के लोगों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होने के बाद भी, हमारा व्यवहार अधितर समय में परिस्थितियों से प्रेरित होता है।



लेकिन फिर भी इसे पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता कि अभिवृत्ति की एक संरचना होती है, भले ही यह सुसंगत नहीं हो। यह किसी विशिष्ट विषयवस्तु के केवल नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन से कुछ अधिक को प्रतिबिंबित करती है। इस प्रकार अभिवृत्ति की यह ABC संरचना, अभिवृत्ति को समझने के लिए अच्छे आधारभूत मॉडल के रूप में कार्य करती है। महत्वपूर्ण रूप से, यह अभिवृत्ति के उद्गम के मूल स्रोत की पहचान करने में सहायता करती है। यह किसी विषयवस्तु के प्रति किसी व्यक्ति को अपनी अभिवृत्ति परिवर्तित करने हेतु सहमत करने में सहायक होगी।

1.2.2. मोड मॉडल (MODE Model)

मोड मॉडल (**M**otivation and **O**pportunity as **De**terminants of the attitude - behavior relation) अभिवृत्ति मूल्यांकन का सिद्धांत है, यहाँ मोड का अर्थ **(अभिवृत्ति-व्यवहार संबंध के निर्धारकों के रूप में अभिप्रेरणा और अवसर)** है। जब अभिप्रेरणा और अवसर दोनों विद्यमान हों तो व्यवहार जानबूझकर किया जाएगा। जब उनमें से एक अनुपस्थित हो तो व्यवहार पर तत्क्षण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह मॉडल अभिवृत्ति के दो विभिन्न प्रकारों के विषय में चर्चा करता है:

- **व्यक्त:** व्यक्त अभिवृत्ति चेतनात्मक स्तर पर होती है – जिनका निर्माण जानबूझकर किया जाता है और जिनको स्वयं व्यक्त करना सरल होता है।
- **अव्यक्त**: अव्यक्त अभिवृत्तियाँ अचेतन स्तर पर होती हैं- जिनका निर्माण अनायास होता है और सामान्यतया हमें अज्ञात होती हैं। अव्यक्त अभिवृत्तियाँ आम तौर पर अनभिज्ञात होती हैं या व्यक्ति के ज्ञान में नहीं होती हैं। उनका मापन आम तौर पर किसी विषय-वस्तु के प्रति सहज प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है।

व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार की अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को आकार दे सकती हैं। हालांकि अव्यक्त अभिवृत्तियाँ, उस समय व्यवहार को अधिक प्रभावित कर सकती हैं जब कोई व्यक्ति तनावपूर्ण या विचलित अनुभव करता है और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया की संभावनाएँ अधिक होती हैं।

1.3. अभिवृत्ति के कार्य (Functions of Attitude)

अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के लिए विभिन्न कार्य करती हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

1.3.1. ज्ञान संबंधी कार्य-समझने का कार्य

(Knowledge Function-Understanding Function)

यह जिज्ञासा से घनिष्ठतापूर्वक संबंधित है, जो एक सिविल सेवक में अत्यधिक वांछनीय विशेषता है। अभिवृत्ति हमें विश्व को समझने में सहायता करती है और जीवन को अर्थ (ज्ञान) प्रदान करती है अर्थात यह नई जानकारी को सुव्यस्थित करने और उसकी व्याख्या करने में सहायता करती है। हम अपने सामाजिक-सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्व को देखते हैं ताकि इसके विषय में हमारा ज्ञान सुसंगत और अपेक्षाकृत स्थिर हो। इसका अर्थ अनिवार्य रूप से यह नहीं है कि अभिवृत्तियाँ हमें तथ्यात्मक रूप से सटीक ज्ञान संग्रहित करने में सहायता करती हैं। अपितु इसका अर्थ केवल इतना है कि विश्व के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे विश्वास के साथ सुसंगत हो।

हम ऐसा ज्ञान संग्रहित करते हैं जिसमें हम अधिक रुचि रखते हैं अर्थात् ऐसे क्षेत्रों का ज्ञान जिनके प्रति हममें पहले से प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी और विचारधारा के समर्थक अपनी पूर्वधारणाओं का समर्थन करने वाली जानकारी का अधिक से अधिक संग्रहण करेंगे। इतिहास की

VISION IAS

ओर झुकाव रखने वाला व्यक्ति एक ही ऐतिहासिक घटना के कई विवरणों का अध्ययन करने में रूचि रख सकता है। लोगों, वस्तुओं, या घटनाओं के प्रति हम कई प्रकार के पूर्वाग्रहों ग्रसित होते हैं। तो जब हम किसी अभिवृत्ति संबंधी 'विषय वस्तु' का सामना करते हैं तो, हममें उन विषय वस्तुओं के प्रति एक विशिष्ट प्रकार से अपनी राय बनाने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी राय उचित ही हो।



इस प्रकार की अभिवृत्तियाँ प्रगति हेतु अनुकूल परिवेश में सही ज्ञान प्रदान करके परिवर्तित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह विश्वास कि महिलाएं कुशल वाहन चालक नहीं होती हैं, हममें उनके प्रति पूर्वाग्रह की विशिष्ट भावनाओं को जन्म देता है, जो बदले में उन्हें वाहन चालन करते हुए देखने पर हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। यह अभिवृत्ति पूर्वधारित विश्वासों के विपरीत प्रमाण प्रदान करके और और तर्क शक्ति का अनुप्रयोग कर परिवर्तित की जा सकती है।

1.3.2. उपयोगितावादी कार्य (अनुकूलनात्मक कार्य)

Utilitarian Function (Adaptive Function)

कुछ अभिवृत्तियाँ लोगों को विशिष्ट, इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने या अवांछनीय परिस्थितियों से बचने में सक्षम करती हैं। उपयोगितावादी होने का अर्थ **अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगिता को अधिकतम करने और क्षति को न्यूनतम करने का प्रयास है,** अर्थात् यदि कोई निर्णय लोगों की अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करता है तो वह अच्छा है। अभिवृत्ति का उपयोगितावादी कार्य किसी व्यक्ति को किसी विषय-वस्तु / वस्तु / व्यक्ति के प्रति पहले से ही इस प्रकार प्रवत्त कर देता है कि व्यक्ति किसी विषयवस्तु के प्रति उसकी उपयोगिता के आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण करेगा। यह अभिवृत्ति पुरस्कार को अधिकतम करने एवं दण्ड को न्यूनतम करने के उपयोगितावादी लक्ष्य को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ताओं की अभिवृत्ति पर्याप्त सीमा तक उनकी **धारणाओं** पर आधारित होती है (और वास्तविक मूल्यांकन पर नहीं) कि क्या उनकी आवश्यकता पूरी करेगा और क्या नहीं। उनके विगत अनुभव, जो अभिवृत्ति का निर्माण करने में सहायता करते हैं, वे यह निर्धारण करने में सहायता करते हैं कि उन्हें कौन-सी उपयोगिता प्राप्त होगी।

उदाहरण के लिए, भय की अभिवृत्ति विकसित की गई है और इसका उपयोग जीवन को लंबा करने के लिए किया जाता है। लोग ऐसे कार्य करने से डरते हैं जिनमें जीवन कों पर्याप्त जोखिम समाविष्ट होता है। ऐसी विषय वस्तुओं के प्रति अभिवृत्तियाँ, अचेतन मूल्यांकन और साथ ही इस प्रकार की विषय वस्तुओं के प्रति हमें पहले से ही नकारात्मक रूप से प्रवृत्त करने वाले अनुभवों के कारण विकसित होती हैं।

यदि व्यक्ति को किसी वस्तु / व्यक्ति / विषय वस्तु इत्यादि से संभावित रूप से होने वाले नए उपयोगों या नई क्षतियों को दिखाया जा सके तो उपयोगितावादी अभिवृत्तियाँ को परिवर्तित किया जा सकता है।

1.3.3. अहम् रक्षात्मक (Ego Defensive)

कुछ अभिवृत्तियाँ लोगों को अपने आत्मसम्मान या अहम् की रक्षा करने में सहायता कर सकती हैं। लोग भार कम करने या अपने आप को मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाने के लिए कुछ रक्षात्मक कार्य प्रणालियों का उपयोग करते हैं। जब हम हताशा या दुर्भाग्यशाली होते हैं, तो हम इस परिस्थिति को अस्वीकार करने की मनोदशा में होते हैं या क्षति को युक्तिसंगत स्वरुप देने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। यह अभिवृत्ति का अहम् रक्षात्मक कार्य है। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि कोई विशिष्ट अभिवृत्ति उसके स्वरूप को बलात परिवर्तित कर सकती या संकटग्रस्त कर सकती है, तो उस स्थिति में यह प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, वृद्ध लेकिन स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक सहायता प्राप्त करने से इंकार कर सकता है। इस प्रकार की अभिवृत्तियाँ व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक संकट से सुरक्षा करने या आत्म सम्मान को बढ़ाने में सहायता करती हैं। ऐसा करने के लिए मनोवैज्ञानिक क्षतियों वाली घटनाओं या सूचना को कम क्षति कारक या संकट कारक तरीकों से नई भूमिका प्रदान कर दी जाती है। यह अनिवार्य रूप से

VISION IAS

विश्व की व्याख्या करने के तरीके में कुछ अंशों में पूर्वाग्रह या विरूपण को समाविष्ट कर सकता है, लेकिन लोग अपने या विश्व के एक विशिष्ट (आमतौर पर अनुकूल) दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए सहजता पूर्वक यह करेंगे।



यह नकारात्मक परिणामों के लिए बाहरी कारकों और सकारात्मक परिणामों के लिए आंतरिक कारकों को श्रेय देकर किया जाता है।

किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने का उदाहरण लें। अपने प्रयास की ओर नकारात्मक अभिवृत्तियाँ दर्शाने के स्थान पर, हम परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाने के लिए परीक्षा के असाधारण कठिन मानक या मूल्यांकन मापदंड को नकारात्मक रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं ।

चूंकि, यह अभिवृत्ति आत्म-सम्मान की रक्षा करती है इसलिए इस अभिवृत्ति को परिवर्तित करना सर्वाधिक कठिन है। लेकिन, यदि अभिवृत्ति धारक को इस बात के लिए सहमत कर लिया जाए कि प्रस्तावित अभिवृत्तिगत परिवर्तन अधिक उचित रूप से आत्मसम्मान की रक्षा करेगा तो इस अभिवृत्ति को परिवर्तित किया जा सकता है।

1.3.4. मान्यता सूचक (अहं सूचक)

Value Expressive (Ego Expressive)

अहम् रक्षात्मक अभिवृत्तियाँ व्यक्ति की आत्म छवि की रक्षा के लिए विकसित की जाती हैं, जबकि मान्यता सूचक अभिवृत्तियाँ व्यक्ति को केंद्रीय रूप से धारित मूल्यों की अभिव्यक्ति करने मे सक्षम करती हैं। यह अभिवृत्ति, फलस्वरूप, 'वे जो हैं उसका भाग' है और उस अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति उस व्यक्ति के विषय में दूसरों को महत्वपूर्ण बातें संचारित करती है। केंद्रीय मूल्यों में हमारी पहचान स्थापित करने एवं इस प्रकार हमें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कराने की प्रवृत्ति होती है, जिससे वे हमें यह दिखाते है कि हमारा स्वरूप क्या है और हम किस पक्ष का समर्थन करते हैं।

उदाहरण के लिए, अपने मूल्यों को कोई मूर्त और सरलतापूवर्क व्यक्त करने योग्य रूप प्रदान करने के प्रयास में उपभोक्ता कुछ अभिवृत्तियाँ अपनाते हैं। इस प्रकार, एक रूढ़िवादी व्यक्ति भड़कीले कपड़ों की ओर प्रतिकूल अभिवृत्ति विकसित कर सकता है और उसके स्थान पर गहरे और सौम्य रंग वाले परिधानों की ओर आकर्षित हो सकता है।

उदाहरण के रूप में, विरोधाभासी रूप से, अपने आप को उदार और सहिष्णु व्यक्ति के रूप में देखने वाले किसी व्यक्ति की नस्लीय पक्षपात की अभिवृत्ति को प्रभावित करने के लिए "अहंकार रक्षात्मक प्रकार्य" का उपयोग किया जा सकता है। उस व्यक्ति की उदार और सहिष्णु व्यक्ति के रूप में आत्म-छवि को आकर्षित करके, उसकी पूर्वाग्रहग्रसित अभिवृत्तियों को उसकी आत्म अवधारणा के प्रति अधिक सुसंगत होने के लिए परिवर्तित करना संभव हो सकता है। इसी प्रकार, आत्म-छवि को ठेस पहुँचाने वाले प्रेरक संदेश तक को भी अस्वीकृत किए जाने की बहुत अधिक संभावना हो सकती है।

उदाहरण के साथ कार्यों का स्पष्टीकरण (Explanation of functions with an example)

देशभक्ति का गुण अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों में अधिक अभिव्यक्त होता है। लोग निश्चय ही अपनी मातृभूमि का मूल्यांकन अनुकूल रूप से करते हैं, कुछ अन्य लोगों की तुलना में और-अधिक करते हैं। मान लीजिए कि एक समान मत वाले मित्रों का एक ऐसा समूह एक चर्चा करता है जिसमें कोई कहता है कि, "निःसंदेह भारत जैसा अच्छा कोई दूसरा देश नहीं है। अन्य स्थान अपने तरीके से ठीक हैं लेकिन वे हमारी मातृभूमि की तुलना नहीं कर सकते"।

उपयोगितावादी कार्य: प्रत्येक व्यक्ति अनुमोदन करते हुए सिर हिलाता है। सभी लोग आपके इस दृष्टिकोण से बेहतर अनुभव करते हैं।

मान्यता सूचक कार्य : समूह में लोग भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए हैं।

ज्ञान संबंधी कार्य: कोई व्यक्ति उस समृद्ध इतिहास और संस्कृति के विषय में चर्चा करता है जो विशिष्ट बनाते हैं, कोई अन्य व्यक्ति विश्व में भारत की बढ़ती महत्ता के विषय में चर्चा करता है। यह ज्ञान

VISION IAS

जुटाने में सहायता करता है। क्योंकि यह ज्ञान हमारी अभिवृत्ति के प्रति भली भाँति अनुकूल बैठता है इसलिए हम इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।



अहंकार रक्षात्मक कार्य: कोई व्यक्ति महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के लिए समाज के पश्चिमीकरण को दोषी ठहराता है। कोई अन्य इसके लिए पड़ोसी देशों से आने वाले आप्रवासियों को दोषी ठहराता है। अपने अतिरिक्त, हममे अन्य सभी पर दोषारोपण करने और अपने आत्म –सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है।

1.4. अभिवृत्ति के प्रकार (Types of Attitude)

जब हम अभिवृत्ति की बात करते हैं, तो यह व्यापक रूप से दो प्रकार की होती है - **की अभिवृत्ति (attitude of)** और **के प्रति अभिवृत्ति (attitude towards)**। 'की अभिवृत्ति' प्रश्नगत विषय की अभिवृत्ति होती है, जैसे व्यक्ति की अभिवृत्ति, समाज की अभिवृत्ति, संस्था की अभिवृत्ति, संगठन की अभिवृत्ति इत्यादि। 'के प्रति अभिवृत्ति' किसी कर्ता की किसी कर्म के प्रति अभिवृत्ति - एक व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति, वस्तु के प्रति अभिवृत्ति, संस्था के प्रति अभिवृत्ति, पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति इत्यादि। अतः इस तरह की अभिवृत्ति के कई संयोजन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए:

- एक संस्था के रूप में सिविल सेवा में **लोकतांत्रिक या नौकरशाही की अभिवृत्ति** हो सकती है। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके और नागरिकों को शासन प्रक्रिया में हितधारकों के रूप में प्रस्तुत करना लोकतांत्रिक अभिवृत्ति की विशेषता है। लक्ष्यों की बजाय नियमों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना नौकरशाही संबंधी अभिवृत्ति की विशेषता है (क्योंकि विस्तृत और एकाधिक नियम लक्ष्यों की उपलब्धि को असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य बनाते हैं)। साथ ही, यह संस्था के नियमों और पदानुक्रम के कठोर अनुपालन पर आधारित है। इस प्रकार, यह नागरिकों को हितधारकों के रूप में मानने की बजाय सरकारी सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में मानता है।
- परिवेश के प्रति अभिवृत्ति लोगों, सरकार, संस्थानों, व्यवसायों आदि के परिवेश के प्रति अभिवृत्ति है।
- कॉर्पोरेट अभिवृत्ति किसी देश में व्यवसायों की सामान्य अभिवृत्ति है। इसकी विशेषता किसी कंपनी की मूल्य प्रणाली है। वे ग्राहकों या खरीदारों के प्रति एक अनुकूल अभिवृत्ति और पर्यावरण के प्रति एक संरक्षण अभिवृत्ति रख सकते हैं।
- राजनीतिक अभिवृत्ति - नीचे देखें।

जैसा कि देखा जा सकता है, अभिवृत्ति स्वयं में व्यापक रूप से तीन प्रकार की होती है: सकारात्मक (Positive), नकारात्मक (Negative) और तटस्थ (Neutral)। इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

1.4.1. सकारात्मक अभिवृत्ति (Positive Attitude)

यह किसी व्यक्ति की आशावादी दशा को संदर्भित करता है। कई अध्ययनों के अनुसार, इस प्रकार की अभिवृत्ति वाले लोग जीवन में प्रसन्न रहते हैं और उन लोगों की तुलना में अधिक सफल होते हैं जिनके अन्दर यह प्रवृत्ति नहीं हैं। एक सकारात्मक अभिवृत्ति आपको जीवन के दैनिक मामलों का सरलता से सामना करने में मदद करती है।

सकारात्मक अभिवृत्ति निम्नलिखित तरीकों से प्रकट होती है:

- सकारात्मक और रचनात्मक सोच।
- दिमाग की यह दशा रचनात्मक सोच के लिए अनुकूल है - यह जोखिम का आकलन करने को प्रोत्साहित करती है, यह नवाचार के लिए आवश्यक है।
- चीजों को करने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है।
- खुश होने की एक अभिवृत्ति।

VISION IAS

दिमाग की एक सकारात्मक दशा आपको कई तरीकों से मदद कर सकती है, जैसे कि:



- सफलता की आशा जगाकर और प्रेरणा प्रदान कर।
- यह बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता प्रदान करती है न कि उससे भागने की- यह दृढ़ता (fortitude) की एक प्रमुख विशेषता है।
- विफलता और समस्याओं को छुपे हुए वरदान के रूप में देखना।
- अपने आप में और किसी की क्षमताओं में विश्वास करना और आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास प्रकट करने में सक्षम बनाती है।
- केवल समस्याओं के बारे में बात करने के बजाय, समाधान की तलाश।
- अवसरों को देखना और पहचानना।

इस प्रकार, सकारात्मक अभिवृत्ति खुशी और सफलता को प्रेरित करती है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाले लोगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उनको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। ये लोग आम तौर पर निष्कपट, दृढ़ और खुश होते हैं, जो जीवन के उज्ज्वल पक्ष को देखते हैं। यह न केवल जिस तरह से वह व्यक्ति और दुनिया को देखता है उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि यह उनके परिवेश और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। इस तरह की अभिवृत्ति एक सिविल सेवक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं जहां प्रयास सदैव सफलता में परिणत नहीं होते हैं।

1.4.2. नकारात्मक अभिवृत्ति (Negative Attitude)

यह सकारात्मक अभिवृत्ति के लगभग विपरीत है, क्योंकि यह निराशावाद उत्पन्न करता है। इस प्रकार की अभिवृत्ति पीड़नोन्मादी व्यवहार का उत्पन्न करता है जहां हर जगह हम नकारात्मकता ही देखते हैं। इ सको रोका जाना चाहिए।

नकारात्मक अभिवृत्ति निम्नलिखित तरीकों से प्रकट होती है:

- नकारात्मक और विनाशकारी सोच तथा रचनात्मक सोच में बाधा उत्पन्न करती है।
- यह चीजों को करने, जोखिम उठाने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और ऊर्जा को समाप्त करती है।
- इस अभिवृत्ति को धारित करने वाला व्यक्ति दुखी और अप्रसन्न रहता है।

दिमाग की नकारात्मक दशा कई तरीकों से हानिकारक है, जैसे कि:

- हमेशा विफलता की उम्मीद करना। परिणामतः, व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास नहीं करता है।
- अभिवृत्ति धारक के लिए दुष्प्रेरणादायक।
- यह व्यक्ति को बाधाओं का सामना करने के बजाय दृढ़ता से उसे छोड़ने के लिए प्रेरित करता है।
- यह आत्म आलोचना और पीड़नोन्माद पैदा करता है।
- यह आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को कम करता है।
- इस वजह से इस अभिवृत्ति को धारण करने वाला केवल समस्या पर केंद्रित रहता है न कि उसके समाधान की तलाश करता है।
- चूंकि यह निराशावाद उत्पन्न करता है इसलिए यह अवसरों को लगभग समाप्त कर देता है।

इस प्रकार, नकारात्मक अभिवृत्ति निराशावाद और विफलता की ओर ले जाती है, जो किसी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण परिवेश और घर या कार्यस्थल पर उसके संबंधों को प्रभावित करता है। नकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति की सामन्य विशेषता क्रोध, संदेह और निराशा है। इस तरह की अभिवृत्ति एक सिविल सेवक के लिए अधिक हानिकारक है, क्योंकि वे विभिन्न तरह के खींचतान और दबावों के साथ कठिन वातावरण में काम करते हैं।

VISION IAS

1.4.3. तटस्थ अभिवृत्ति (Neutral Attitude)

यहां तटस्थ का अर्थ अपक्षपात (impartial)। या निष्पक्ष (unbiased) नहीं है। इसका अर्थ सामान्य रूप से असंलग्न है। किसी का किसी के प्रति एक तटस्थ अभिवृत्ति हो सकती है अर्थात जो इसे सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह से पर्याप्त महत्व न दे। सामान्य रूप से तटस्थ अभिवृत्ति होने का अर्थ है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी विशेषता उदासीन या भावहीन होना है। हालांकि, कोई हमेशा अनजान या उदासीन नहीं हो सकता है; निर्णय नहीं लेने को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। एक तटस्थ अभिवृत्ति की कुछ अभिव्यक्तियां निम्नलिखित हैं:

- उपेक्षा (Ignorance): किसी के पास राजनीतिक मुद्दों के प्रति तटस्थ अभिवृत्ति हो सकती है। जो भी सामान्य सामाजिक या राजनीतिक समस्या हो, वे संतुष्ट होते हैं कि उनके पास इसका समाधान नहीं है।
- उदासीनता (Indifference)
- पृथकता (Detachment)
- भावहीनता (Unemotional)
- संतुलित (एक सकारात्मक विशेषता) Balanced (a positive trait)



2. अभिवृत्ति के कुछ अन्य विशिष्ट प्रकार

(Some Other Specific Types of Attitudes)



2.1. कमजोर वर्गों के प्रति अभिवृत्ति (Attitude Towards Weaker Sections)

किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र ऐसे लोगों के प्रति उसके व्यवहार में स्पष्ट होता है जो न तो प्रतिशोध लेने की स्थिति में होते हैं और न ही कोई प्रतिफल देने की। गरीबी, वंचन, भेदभाव और ऐसी स्थितियों को कायम रखने वाले अन्य कारकों के प्रति हमारी अभिवृतियों से हमारा सुविधाहीन, गरीब या हाशिए वाले लोगों के प्रति व्यवहार निर्धारित होता है। इस तरह के कारकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वाभाविक रूप से, व्यक्ति की सहानुभूति और देखभालपरक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यह कमजोर और हाशिए वाले वर्गों के प्रति संवेदना का प्रतीक है। यह दृष्टिकोण लोक सेवकों के लिए अत्यंत वांछनीय है क्योंकि हाशिए पर रह रहे लोगों का समावेशन या बहिष्कार करने की शक्ति उनके पास होती है।

सर्वोदय

'सर्वोदय' शब्द का अर्थ है: 'सार्वभौमिक उन्नति' या 'सबकी प्रगति'। यह शब्द पहली बार राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन के निबंध, "अनटू दिस लास्ट" के मोहनदास गांधी द्वारा 1908 में किये गए अनुवाद के शीर्षक के रूप में अपनाया गया, और बाद में गांधी जी ने अपने राजनीतिक दर्शन के आदर्श के लिए इस शब्द का उपयोग किया। बाद में भारतीय अहिंसावादी कार्यकर्ता विनोबा भावे जैसे गांधीवादी ने स्वातंत्र्योत्तर भारत के सामाजिक आंदोलन के नाम के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया। भारतीय समाज के सभी स्तरों तक आत्मनिर्भरता और समानता की पहुँच सुनिश्चित करना इस सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य था।

गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो तीन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित था:

- किसी व्यक्ति का हित सार्वजनिक हित में निहित है।
- किसी अधिवक्ता के कार्य का वही मूल्य होता है जो किसी नाई के कार्य का होता है क्योंकि सबको अपने कार्य से अपनी आजीविका का अर्जन करने का अधिकार होता है।
- एक श्रमिक का जीवन अर्थात किसी कृषक का जीवन और किसी शिल्पकार का जीवन ही वास्तव में जीने योग्य जीवन है।

सर्वोदय के सिद्धांत

- इसमें कोई केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं होगा, और गांवों में राजनीतिक और आर्थिक परिवेश होगा।
- राजनीति सत्ता का साधन नहीं होगी बल्कि सेवा का साधन होगी और राजनीति लोकनीति के लिए जगह बनाएगी।
- सभी लोग प्यार, बंधुता, सत्य, अहिंसा और आत्म-त्याग की भावना से भरे होंगे। समाज अहिंसा की बुनियाद पर कार्य करेगा।
- बहुमत का शासन और दलीय व्यवस्था नहीं होगी और समाज बहुमत की निरंकुशता जैसी बुराई से मुक्त होगा।
- सर्वोदय समाज इस शब्द के वास्तविक अर्थ में समाजवादी है। सभी उद्यमों के एक ही नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य होंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर उपलब्ध रहेगा।
- सर्वोदय समाज समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। इसमें अनैतिक प्रतिस्पर्धा, शोषण और वर्ग-विद्वेष के लिए कोई जगह नहीं है।
- सर्वोदय का तात्पर्य सभी की उन्नति है। सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत श्रम करना चाहिए और अपरिग्रह के आदर्श का पालन करना चाहिए। तभी 'प्रत्येक से उसके काम के अनुसार और

VISION IAS

प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार' का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकेगा।

- शोषण का साधन और सामाजिक भेदभाव और घृणा का स्रोत- निजी संपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार, लाभ का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, मालगुजारी और ब्याज भी समाप्त हो जाएगा।
- सर्वोदय आंदोलन सत्य, अहिंसा और आत्म-त्याग पर आधारित है।
- सर्वोदय आंदोलन सभी लोगों के कल्याण में अविश्वसनीय विश्वास वाले व्यक्तियों को एक साथ लाने हेतु आवश्यक वातावरण को बनाने के लिए एक ईमानदार और साहसी प्रयास करता है।
- व्यक्तिगत लाभ कम होगा। प्रत्येक गुण का विकास एक-दूसरे पर निर्भर करता है। यदि सभी गुणों में थोड़ा सुधार हुआ है, तो व्यक्ति अधिक लाभ प्राप्त करेगा

एक लोक सेवक कानूनों को लागू करने और नीतियों, नियमों और विनियमों को इस तरह से लागू करने के लिए बाध्य है जो न केवल 'न्यायसंगत और निष्पक्ष' हो बल्कि पारदर्शी भी हो और इसे लागू करते समय भयरहित और निष्पक्ष रहना चाहिए। यह 'कानून के शासन' की सच्ची भावना में किया जाना चाहिए जिस पर लोकतांत्रिक राजनीति का आधार है। उन्हें संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों से अवगत होना चाहिए और 'अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय' की सच्ची भावना में कमजोर और निचले स्तर के लोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहानुभूति की सक्रिय अभिवृत्ति को विकसित करना चाहिए।

सहिष्णुता और करुणा किसी लोक सेवक को न केवल बुद्धि बल्कि भावना के साथ भी नेतृत्व करने में सक्षम बनाती है। वे किसी के चरित्र और सकारात्मक संबंधों के मौलिक घटक हैं जो कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं (जो सार्वजनिक सेवाओं पर सबसे अधिक निर्भर हैं)। उदाहरण के लिए, यदि एक कलेक्टरेट में दिव्यांग लोगों के लिए शिकायत निवारण बैठक आयोजित की जानी है, तो एक अधिकारी जिसके पास सहानुभूति अभिवृत्ति है, यह सुनिश्चित करेगा कि पहुंच के लिए रैंप / लिफ्ट आदि जैसी उचित व्यवस्था की जाए, अन्यथा, ऐसी बैठक करने का कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इस कमजोर और हाशिए वाले वर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित होने वाली इस जरूरी समझ की कमी अक्षम और अपवर्जनात्मक सार्वजनिक प्रशासन और सेवा वितरण को जन्म देती है, जो अंततः अराजकता और पतन का कारण बन सकती है।

2.2. नैतिक अभिवृत्ति (Moral Attitude)

जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है, अभिवृत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल रूप से व्यवहार करने के लिए स्थायी पूर्वाग्रह है। हालांकि, प्रत्येक अभिवृत्ति नैतिकता से जुड़े प्रश्नों या परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए सेब या संतरे के प्रति किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद में नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति का शाकाहारी या मांसाहारी होना उसके लिए नैतिक विचार हो सकता है। इसी तरह, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की अपेक्षा नकद में लेनदेन करने के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति रख सकता है। इसके बारे में नैतिक या अनैतिक कुछ भी नहीं है। हालांकि, यदि नकद लेनदेन की उसकी इच्छा सरकार से अपनी आय छिपाने के उद्देश्य से प्रेरित है तब यह नैतिकता का प्रश्न हो सकता है। इसी प्रकार, लोकतंत्र के प्रति अभिवृत्ति या कमजोर वर्गों के प्रति अभिवृत्ति की प्रच्छन्न भावना नैतिक होगी।

इस प्रकार नैतिक अभिवृत्ति को ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो "सही" और "गलत" क्या है, के नैतिक दृढ़ विश्वासों पर आधारित है। यह नैतिकता के बारे में किसी के विचार, नैतिक त्रुटियों (उसके द्वारा की गयी या किसी अन्य के द्वारा की गयी) के बारे में उसकी अभिवृत्ति और नैतिक मुद्दों के

VISION IAS

समक्ष उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। परिवार, समाज, धर्म और शिक्षा उन नैतिक धारणाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



नैतिक अभिवृत्ति कैसे आकार लेती है? अभिवृत्ति के निर्धारक समान हैं- संज्ञानात्मक, भावनात्मक (प्रभावशाली) और व्यवहारिक:

- **संज्ञानात्मक (Cognitive):** नैतिक नियमों का ज्ञान एवं अच्छे और बुरे की पहचान।
- **व्यवहार (Behavioural):** व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, नैतिक महत्व की परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया।
- **भावनात्मक (Emotional):** इसमें नैतिक और नैतिक निर्णयों की आवश्यकता वाली परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में व्यक्ति की भावनाएँ और आचरण शामिल होते हैं।

जिस प्रकार, नैतिक अभिवृत्तियाँ समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। उसी प्रकार, वे लिंग सापेक्ष भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, रिश्वत के प्रति महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कम नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। इसी तरह, महिलाओं में अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी के प्रति अधिक उन्मुक्त अभिवृत्ति हो सकती है।

* कृपया ध्यान दें: 'नैतिक अभिवृत्ति' शब्द की एक और व्याख्या वह है जहां हम 'नैतिक' शब्द के साथ मूल्य को जोड़ते हैं। यहां 'नैतिक अभिवृत्ति' का अर्थ किसी व्यक्ति की ऐसी अभिवृत्ति है जिसे नैतिक या अच्छा या स्वीकार्य माना जाता है। चूंकि नैतिकता व्यक्तिपरक होती है, इसलिए किसी व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित गुण होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि वह नैतिक है या नहीं। नैतिक अभिवृत्ति से संबंधित सामान्यतः ऐसे चार गुण हैं:

1. **सम्मान (Reverence):** इसका तात्पर्य अत्यधिक आदर है। किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना, उसके विचारों और व्यवहार का सम्मान करना नैतिक व्यक्ति की पहचान मानी जाती है।
2. **निष्ठा (Faithfulness):** इसका अर्थ है वफादार बने रहना और किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति में किये गए विश्वास को रखना।
3. **सत्यता या सत्यनिष्ठा (Veracity or truthfulness):** सच्चा और ईमानदार होना नैतिक होने के साथ जुड़ा एक और गुण है।
4. **दयालुता (Goodness):** यह उदारता, प्रेम, देखभाल, सहानुभूति इत्यादि जैसे गुणों वाले व्यक्ति का व्यापक रूप से समावेशी चरित्र है।

नैतिक अभिवृत्ति का महत्व या प्रभाव

मनुष्यों के भीतर सही होने और पसंद किये जाने की आकांक्षा होती है। इस प्रकार, नैतिक मुद्दों के प्रति अभिवृत्तियाँ मजबूत होती हैं और दृढ़ता से व्यक्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के अंदर बेईमानी या झूठ बोलने के प्रति इतनी अधिक नकारात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है कि वह सत्यनिष्ठा के लिए व्यक्तिगत संबंधों को भी खतरे में डाल सकता है।

नैतिक अभिवृत्ति सुविधाजनक और निषेधात्मक दोनों हो सकती है। वे किसी जरूरतमंद की मदद करने (altruism), सामाजिक सेवा इत्यादि जैसे कार्यों के लिए सुविधाजनक होती हैं। इसके अलावा, अनैतिक मानी जाने वाली क्रियाओं जैसे व्यभिचार, स्टॉकिंग, धोखाधड़ी इत्यादि के लिए निषेधात्मक होती हैं। चूंकि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के व्यवहार से निकटता से सम्बंधित होती है, इसलिए नैतिक अभिवृत्तियाँ नैतिक व्यवहार को सहज बनाने में सहायता करती हैं क्योंकि वे नैतिक रूप से सही निर्णयों पर पहुंचने में मदद करती हैं।

VISION IAS

2.3. राजनीतिक अभिवृत्ति (Political Attitude)



राजनीतिक अभिवृत्ति किसी राजनीतिक मुद्दे के प्रति प्रवृत्ति या पसंद/नापसंद है। किसी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे के रूप में परिभाषित करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं।

1. सरल अर्थों में, राजनीतिक अभिवृत्ति राजनीतिक व्यवस्था, पार्टियों या उनकी विचारधारा के प्रति लोगों की अभिवृत्ति को संदर्भित करती है। कोई व्यक्ति रूढ़िवादी, उदारवादी, केंद्रवादी या किसी अन्य के रूप में स्वयं की पहचान कर सकता है। इसी तरह, कोई राजनीतिक दल भी इनमें से किसी के रूप में अपनी पहचान व्यक्त कर सकता है। हालांकि, ये अभिवृत्तियाँ विश्लेषण करने के लिए बहुत अस्पष्ट हैं। राष्ट्रपति प्रणाली या संसदीय प्रणाली या अधिनायकत्व प्रणाली सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति रखने के रूप में वर्गीकृत करने हेतु बहुत व्यापक हैं और इसीलिए ये अस्पष्ट हैं।
2. व्यापक अर्थों में, राजनीतिक अभिवृत्ति का अर्थ सार्वजनिक जीवन के विशिष्ट मुद्दों के प्रति व्याप्त अभिवृत्ति से है। अर्थव्यवस्था, रोजगार, महिलाओं, असमानता, जाति व्यवस्था, मतदान प्रणाली इत्यादि जैसे विशिष्ट मुद्दों के प्रति सापेक्षिक अभिवृत्तियाँ रखना इन्हें एक व्यापक श्रेणी में संयोजित करने की तुलना में ज्यादा बेहतर है। उदाहरण के लिए, किसी तथाकथित रूढ़िवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अलग-अलग विचारधारा के लोगों के प्रति सहिष्णु अभिवृत्ति रख सकता है। वास्तव में, विशेष रूप से भारत के राजनीतिक दलों को पश्चिमी आधार पर वामपंथी या दक्षिणपंथी खांचे में विभाजित नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल स्वयं को स्पष्ट रूप से किसान विरोधी या श्रमिक विरोधी नहीं घोषित कर सकता है। इसलिए, व्यापक श्रेणियों के बजाय विशिष्ट मुद्दों के संबंध में राजनीतिक अभिवृत्तियों का अध्ययन करना बेहतर है।

यह राजनीतिक अभिवृत्तियाँ हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि लोग राजनीतिक प्रक्रिया में कैसे भाग लेते हैं, वे किन्हें वोट देते हैं, और वे किन राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। परिवार, धर्म, जाति, नस्ल, और क्षेत्र सहित कई कारक हैं जो सम्मिलित रूप से राजनीतिक अभिवृत्तियों और व्यवहार में योगदान देते हैं।

यह तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक निर्णय का विकास नैतिक विकास के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और राजनीतिक और नैतिक शिक्षा काफी हद तक समान है, खासकर तब जब इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य से, राजनीतिक संस्कृति समाज में मूल्य प्रणाली निर्धारित करती है। जबकि, संकीर्ण अर्थों में, राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक मनोवैज्ञानिक घटना है जो व्यक्तियों और राजनीतिक व्यवस्था के बीच पारस्परिक प्रक्रिया में प्रकट होती है।

2.4. राजनीतिक अभिवृत्ति और समाजीकरण के एजेंट

(Political Attitude and Agents of Socialization)

समाजीकरण करने वाले विशिष्ट समूहों को समाजीकरण के एजेंट कहा जाता है। हमारा समाज समाजीकरण के चार प्रमुख एजेंटों पर निर्भर करता है: परिवार, मीडिया, स्कूल और कुलीनजन। समाजीकरण के एजेंट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी तरफ से कार्य करते हैं। यद्यपि समाजीकरण इन एजेंटों के बगैर भी हो सकता है, परन्तु समाज ज्यादातर समाजीकरण के लिए इन्हीं पर आश्रित होता है। सर्वसत्तावादी शासन अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए समाजीकरण के आधिकारिक एजेंटों को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार, समाजीकरण के एजेंट चाहे लोकतांत्रिक, सर्वसत्तावादी, या अन्य किसी भी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में कार्य करें, प्रत्येक एजेंट व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।

VISION IAS

अरस्तु का राज्य संबंधी विचार: "एक राजनीतिक समाज का अस्तित्व उत्कृष्ट कार्य के लिए होता है"। यह सर्वोच्च स्तर का समुदाय है और इसका लक्ष्य महानतम है। यह एक ऐसी संरचना है जो परिवार संस्था और ग्राम्य समुदाय से विकसित हुई है। अरस्तु के अनुसार, जिसने राज्य की स्थापना की वह सबसे महान हितकारी था क्योंकि कानून के बिना मनुष्य जानवरों से भी निकृष्ट है। राज्य का उद्देश्य अच्छा जीवन है। नैतिकता और राजनीति के बीच संबंध राज्य के पारस्परिक रूप से सहायक ढांचे के भीतर बना।

अरस्तु के अनुसार, कोई राजनीतिक समाज या राज्य केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है; बल्कि यह बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर समुदाय है जो जीवन की जरूरी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न हुआ और अच्छे जीवन के लिए निरंतर बना हुआ है, ये आवश्यकताएँ और अच्छा जीवन इसके सारे सदस्यों के लिए एक समान हैं। जहां तक राज्य का सम्बन्ध है यह परिवार के समान ही आवश्यकताओं की पूर्ती करने और अच्छा जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्य सामाजिक संबंधों का उचित विस्तार है। राज्य एक प्राकृतिक इकाई है न कि कृत्रिम; और जहाँ तक मनुष्य की बात है एक अकेला मनुष्य स्वयं में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक पशु है।

अच्छा जीवन या ख़ुशी या सद्गुण युक्त जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राज्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए, अरस्तु के अनुसार मनुष्य और राज्य के मध्य कोई अपरिहार्य प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध केवल तब उत्पन्न होता है जब राज्य का निर्माण सामान्य हित के बजाय निजी हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। दरअसल, सामान्य और निजी हितों के बीच का भेद ही विकृत शासन और वास्तविक शासन को अलग करता है।

** सिद्धांत रूप में, अरस्तु राजतंत्र (monarchy) और कुलीनतंत्र (aristocracy) को सरकार के सर्वोत्तम रूप में पसंद करता है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के पास सत्ताधारी शक्ति होती है; हालाँकि, वह राजव्यवस्था को अधिकांश राज्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है। कुलीनतंत्र की प्रमुख विशेषता बड़ी संख्या में लोगों को शासन में भागीदारी की अनुमति प्रदान करके (पदाधिकारियों को चुनने हेतु मत देने की अनुमति द्वारा या जूरी का सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करके) उनके सद्भाव को प्राप्त करते हुए भी अभिजात वर्ग को संरक्षण देना है। चूंकि एक कुलीन व्यक्ति की तुलना में एक औसत व्यक्ति की बुद्धि और गुणों में कमी होती है अतः अरस्तु उच्च राजनीतिक पदों को श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखना चाहता था, अर्थात एक औसत व्यक्ति की निर्णयन क्षमता पर अरस्तु को कम विश्वास था। हालांकि, उसने औसत व्यक्तियों की बड़ी संख्या द्वारा लिए गए सामूहिक निर्णय में अधिक विश्वास व्यक्त किया है- जोकि राजव्यवस्था का निर्माण करने में किये जाने वाले समझौतों का औचित्य सिद्ध करता है।

अपनी पुस्तक, पॉलिटिक्स में, अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक "राजनीतिक पशु" है क्योंकि वह अभिव्यक्ति और नैतिक तर्क शक्ति युक्त एक सामाजिक पशु है: "इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य प्रकृति की एक कृति है, और मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक पशु है। और ऐसा मनुष्य जो किसी दुर्घटनावश नहीं अपितु प्राकृतिक रूप से राज्य-विहीन है वह या तो मानवता से ऊपर है या फिर इससे नीचे परन्तु वह मनुष्य नहीं है; वह एक 'कुटुंब विहीन, स्वेच्छाचारी, हृदयविहीन' व्यक्ति है, एक बहिष्कृत युद्धप्रेमी के रूप में उसकी भर्त्सना की जाती है, उसकी तुलना एक ऐसी चिड़िया से की जा सकती है जो अकेले उड़ती है।"

अरस्तु के कथन कि मनुष्य एक "राजनीतिक पशु" है को कई तरीकों से व्याख्यायित किया जा सकता है। इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से सामाजिक है और इसलिए उन्होंने अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया। इसकी दूसरी व्याख्या जो शब्द "राजनीति" को कम उदार दृष्टि से देखता है के अनुसार, चूंकि 'राजनीति' हिंसा और हिंसा के भय पर आधारित होती है इसलिए यह शब्द मनुष्य की प्रकृति के

VISION IAS

"पशु" पक्ष को प्रदर्शित करता है न कि उसके बौद्धिक और सहयोगात्मक पक्ष को। अरस्तु के अनुसार जो लोग राजनीति में निहित हिंसा से अपना मुँह मोड़ते हैं वे समाज से भी अपना मुँह मोड़ लेते हैं - वे स्वयं को स्वेच्छाचारी, कुटुंबविहीन, और हृदयविहीन घोषित कर लेते हैं।



3. अभिवृत्ति का निर्माण (Attitude Formation)

अभिवृत्ति सीखी जाती है, इसका निर्माण किया जाता है, इसे परिवर्तित किया जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है। हम जो भी अभिवृत्तियाँ धारण करते हैं उनमें से अधिकतर सीखी हुई होती है। अभिवृत्ति निर्माण का अध्ययन, लोगों द्वारा व्यक्तियों, स्थानों, विषय वस्तुओं, वस्तुओं, मामलों और मुद्दों का मूल्यांकन करने की कार्यप्रणाली का अध्ययन है। व्यक्तित्व के विपरीत, अभिवृत्तियाँ से अनुभव के फलन के रूप में परिवर्तित होने की अपेक्षा की जाती है। अभिवृत्ति निर्माण की कुछ विधियाँ इस प्रकार हैं:

शास्त्रीय अनुकूलन (Classical conditioning): यदि हम लंबी समयावधि तक एक जैसी निविष्टि (input) प्राप्त करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट प्रकारों से उस निविष्टि के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं।

सहायक अनुकूलन (Instrumental conditioning): पुरस्कार या दण्ड की व्यवस्था के आधार पर भी हम किसी अभिवृत्ति को विकसित कर सकते हैं। बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने पर किसी को निरंतर पुरस्कृत करना और इसके विपरीत असम्मान प्रदर्शित करने पर दण्डित करना सम्मान की सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में सहायक होगा।

सामाजिक अधिगम (Social learning): हम अन्य लोगों से कुछ कार्रवाइयों का निष्पादन करते हुए निरीक्षण भी करते हैं और उनके आचरण से सीखते हैं। यह कई बातों पर निर्भर करता है:

- निरीक्षित व्यक्ति की आकर्षकता - उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यक्ति को सकारात्मक रूप से पहचानते हैं तो हमारे द्वारा उसकी अभिवृत्ति अपनाए जाने की संभावना होती है। (प्रशंसकों द्वारा अनुसरण आदि)।
- निरीक्षित व्यक्ति द्वारा सामना की गई पुरस्कार या दण्ड की व्यवस्था। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए दण्डित होता देखकर, हमारे द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होने अर्थात् उनका पालन करने के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी को अपराध के लिए पुरस्कृत किया जाता है (जैसे किसी अपराधी का निर्वाचित होना), तों हममें ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित अभिवृत्ति का विकास होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक 'X' को पढ़कर सिविल सर्विसेज परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेता है, तो उम्मीदवारों में उस पुस्तक के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होने की संभावना होगी। दूसरी ओर, 'जब तक तुम पकड़े न जाओ तब तक कुछ भी गैरकानूनी नहीं है' की कहावत, लोगों को दिए जाने वाले वैध निर्देशों का उनके द्वारा पालन न किए जाने और निर्लज्जतापूर्वक नियम तोड़ने के प्रमुख कारकों में से एक है।

अभिवृत्ति निर्माण या अधिगम जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रकिया है, क्योंकि यह हमारे द्वारा संग्रहित अनुभवों या हमारे आसपास के लोग से हमारे द्वारा सीखे गए पाठों पर आधारित है। ये लोग अभिवृत्ति निर्माण के साधन होते हैं। इन साधनों में सम्मिलित हैं:

- **परिवार:** परिवार से हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। परिवार मूल्य प्रदान करने एवं मूल्यों का विकास करने में भी सहायक होता है, जो और कुछ नहीं अपितु सामान्यीकृत अभिवृत्तियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, हम अनुशासन सीखते हैं और समय प्रबंधन की नींव डालते हैं, जो घर से प्राप्त की जाने वाली अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण पहलू होते है।

VISION IAS

- **व्यक्ति समूह (Peer Group):** इसमें हमारे मित्र और हमारे आयु वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये लोग मूल्यनिष्ठा, प्रतिस्पर्धा आदि उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कैरियर विकास की रूपरेखा तय करने में मित्र समूह महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त, हम समूह में अनुकूलन के लिए अपने मित्रों से सुसंगत अभिवृत्ति का विकास करते हैं।
- **स्कूल या शिक्षा संस्थान:** ये उत्कृष्टता, प्रतिस्पर्धा, समयबद्धता एवं समग्र रूप से जीवन की ओर अभिवृत्ति अंतर्निविष्ट करने के महत्वपूर्ण साधन हैं।
- **अनुकरणीय व्यक्तित्व:** ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और सकारात्मक रूप से पहचानते हैं। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के अनुकरणीय व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न होते हैं, जैसे एक व्यक्ति अपने पिता को अपना अनुकरणीय व्यक्तित्व मान सकता है, किसी अन्य के लिए अपनी रूचि के क्षेत्र का प्रमुख व्यक्ति हो सकता है आदि। हम अपने अनुकरणीय व्यक्तित्वों की अभिवृत्तियों के साथ उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए कि किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होना अनिवार्य रूप से अनुकरणीय व्यक्तित्व होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनुकरणीय व्यक्तित्व कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित करने में सक्षम होता है। जो लोग अपने क्षेत्र में प्रमुख होते हैं और व्यापक स्तर पर लोकप्रिय होते हैं वे सामान्यता अनुकरणीय व्यक्तित्व माने जाने वाले लोग होते हैं। उदाहरण के लिए स्टीफन हॉकिंग को लीजिए - वह न केवल भौतिकी के विशेषज्ञ थे अपितु ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों, व्याख्यानों या यूं कहें कि अपने जीवन के माध्यम से लाखों लोगों को इस विषय में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया था।



4. अभिवृत्ति परिवर्तन



अभिवृत्ति परिवर्तन, अवांछित अभिवृत्ति को वांछित अभिवृत्ति में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यहां यह स्पष्ट होना चाहिए कि वांछनीय और अवांछनीय सही या गलत के संबंध में मतावलोकन (वैल्यु जजमेंट) नहीं है। किसी के लिए वांछनीय उसके लिए अच्छा होता है लेकिन दूसरों द्वारा बुरा माना जा सकता है। अभिवृत्तिक परिवर्तन का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य की सही या गलत क्या है, की धारणा को परिवर्तित करना है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति X लैपटॉप में लाइनक्स से अधिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद करता है। व्यक्ति Y, X की अभिवृत्ति को बदलना चाहता है क्योंकि Y स्वयं लाइनक्स पसंद करता है। यह लाइनक्स को विंडोज़ से बेहतर होने के संबंध में कुछ भी नहीं कहता है (अर्थात वैल्यु जजमेंट)। यह केवल Y की इच्छा है। उसके लिए विंडोज़ के प्रति वरीयता अवांछनीय है, और इसलिए वह X की अभिवृत्ति अपनी पसंद के अनुसार बदलना चाहता है। चूंकि अभिवृत्तियां सीखी जाती हैं, इसलिए वे न सीखी हुई, पुन: सीखी हुई या परिवर्तित भी हो सकती हैं। अनुनय या सामाजिक प्रभाव के माध्यम से अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है।

4.1. अनुनय (Persuasion)

इसका अर्थ किसी बात को करने या पर विश्वास करने के लिए किसी को मनाने या राजी होने की क्रिया या प्रक्रिया है। अनुनय प्रभाव के लिए व्यापक पद है, जो किसी व्यक्ति की मान्यता, अभिवृत्ति, आशय, अभिप्रेरणा या व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सूचना, भावनाएं या तर्क या इनका संयोजन संप्रेषित करने के लिए लिखित या बोले गए शब्दों का उपयोग करके किसी व्यक्ति (या समूह) की किसी घटना, विचार, वस्तु या अन्य व्यक्ति (यों) के प्रति अभिवृत्ति या व्यवहार को बदलना होता है।

यह व्यक्तिगत लाभ की अभिलाषा में प्राय: उपयोग किया जाने वाला साधन भी है, जैसे चुनाव प्रचार,विक्रय सेवा, या किसी वाद के लिए वकालत में। इसे लोगों का व्यवहार या अभिवृत्ति बदलने के लिए अपने व्यक्तिगत या स्थितिपरक संसाधनों के उपयोग के रूप में भी अर्थान्वित किया जा सकता है। अभिवृति का निर्माण और परिवर्तन दो अलग क्रियाएं नहीं हैं - वे एक दूसरे से संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। लोग सदैव अपनी अभिवृतियों को बदलती आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप अपनाने, संशोधित करने या त्यागने वाले होते हैं।नई अभिवृति की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि संप्रेषक कौन है, संचार कैसे प्रस्तुत किया जाता है, संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संचार को किस प्रकार अनुभव किया जाता है,संप्रेषक की विश्वसनीयता, और किन परिस्थितियों में सूचना की प्राप्ति हुई है।

अभिवृति बदलती है जब :

- कोई व्यक्ति किसी नई सूचना को किसी अन्य या मीडिया के माध्यम से प्राप्त करता है - **संज्ञानात्मक परिवर्तन।**
- अनुभव के प्रत्यक्ष माध्यम से अभिवृति परिवर्तन - **प्रभावी परिवर्तन**।
- किसी व्यक्ति का सामान्य से अलग व्यवहार करने के लिए मजबूर होना - **व्यवहारिक परिवर्तन**।

4.2. प्रकार्य जिन्हें अनुनय के साथ किया जा सकता है

(Functions that can be Performed with Persuasion)

प्रोत्साहक या अनुनय कर्ता को एक ऐसे उद्देश्य का चयन करने की आवश्यकता है जो उसके दर्शकों के लिए यथार्थवादी हो।

प्रेरणा के पांच सामान्य उद्देश्यों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

VISION IAS



1. **अनिश्चितता को बनाए रखना:** जब कोई दर्शक अनुनय कर्ता का दृढतापूर्वक विरोध करता है, तो संभवतः यह अनुनय कर्ता के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि हो सकता है कि दर्शकों को थोड़ा कम निश्चित करना पड़े की वे सही हैं, उनके वर्तमान अभिवृति के साथ थोड़ा कम सहज हो।
2. **प्रतिरोध को कम करना:** यदि दर्शक दृढता से अनुनय कर्ता की स्थिति का विरोध करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं , तो प्रेरक अपने प्रति दृष्टिकोण के विरोध को कम करने और दर्शकों को निष्पक्षता के लिए स्थानांतरित करने में सक्षम हो सकता है। विचारों के विपरीत होने की आशा न करते हुए यह लक्ष्य दर्शकों को अलग विचार की वैधता को पहचानने के लिए कहता है।
3. **अभिवृति परिवर्तन:** यदि दर्शक इस विषय पर किसी भी दृष्टिकोण के लिए विशेष रूप से दृढता से प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो अभिवृति परिवर्तन सरलता से किया जा सकता है।
4. **अभिवृत्ति का विस्तार:** यदि दर्शक पहले से ही अनुनय कर्ता के दृष्टिकोण के लिए अनुकूल हैं, तो वह एक संदेश तैयार कर सकता है जो दर्शकों में विद्यमान अभिवृति को सुदृढ़ करेगा, दर्शकों के विरोधियों से अपील के विरोध करने में सहायता करेगा, उस स्थिति में और दर्शकों के सदस्यों को दृढता से प्रतिबद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा।
5. **लाभप्रद व्यवहार**: जब एक दर्शक दृढता से अनुनय कर्ता की स्थिति का समर्थन करता है, तो तार्किक रूप से उनका लक्ष्य उन्हें अपने दृढ़ संकल्पों पर कार्य करने के लिए होता है।

व्यवस्थित अनुनय (Systematic persuasion) वह प्रक्रिया है जिसमें दृष्टिकोण या मान्यताओं को तर्क और कारण के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है। दूसरी तरफ स्वतः शोध प्रणाली या **अनुभव आधारित अनुनय (Heuristic persuasion)** वह प्रक्रिया है जिसमें दृष्टिकोण या मान्यताओं को स्वभाव या भावनाओं के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है।
प्रायोगिक अनुसंधान **संदेश की अनुनयशीलता** को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रकट करता है जिनमें सम्मिलित हैं:

- **लक्ष्य अभिलक्षण:** ये संदेश प्राप्त और संसाधित करने वाले व्यक्ति के अभिलक्षण हैं। उदाहरण के लिए, बुद्धिमान लोगों की एक तरफा संदेश से राजी होने की संभावना कम होती है या किसी व्यक्ति द्वारा अतिरंजित दावे करने पर पहचान सकते हैं। कभी-कभी, किसी मत की ओर आकर्षित होने के बजाय, वे दावों का अंतर्निहित खोखलापन पहचानने पर और अधिक विमुख हो सकते हैं।
  इसी प्रकार, आत्म-सम्मान प्राप्तकर्ता का एक और अभिलक्षण है। हालांकि कभी-कभी यह माना जाता है कि आत्म-सम्मान में उच्चतर लोगों को आसानी से मनाया नहीं जा सकता हैं, लेकिन ऐसे कुछ साक्ष्य हैं कि आत्म-सम्मान और अनुनेयता (राजी होने की क्षमता) के बीच संबंध वास्तव में वक्ररेखीय होती है, अर्थात आत्म-सम्मान के स्पेक्ट्रम के दोनों छोरों के लोगों को मनाना मुश्किल होता है जबकि बीच के लोगों को मनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। हालांकि, वस्तुनिष्ठ रूप से आत्म-सम्मान का मापन मुश्किल है। उच्च आत्म सम्मान अहंकार के कारण हो सकता है और ऐसे लोग लगभग हठी हो सकते हैं। कम आत्म-सम्मान हानि या पराजय या दूसरों के द्वारा उपहास जैसे कई कारणों से हो सकता है। ऐसे लोग अनुनय के प्रति प्रभावशून्य हो सकते हैं क्योंकि वे अपने आपको अनभिज्ञ के रूप में दर्शा सकते हैं - न केवल उन लोगों से जो उनका उपहास उड़ाते हैं, बल्कि अन्य सदाशय वाले लोगों से भी।
- **स्रोत अभिलक्षण:** इनमें किसी और को मनाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के अभिलक्षण सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए, विशेषज्ञता, विश्वसनीयता और अंतरवैयक्तिक आकर्षण या आकर्षणीयता अनुनय को प्रभावी बनाने वाले कुछ लक्षण हैं। कथित संदेश की विश्वसनीयता को

VISION IAS



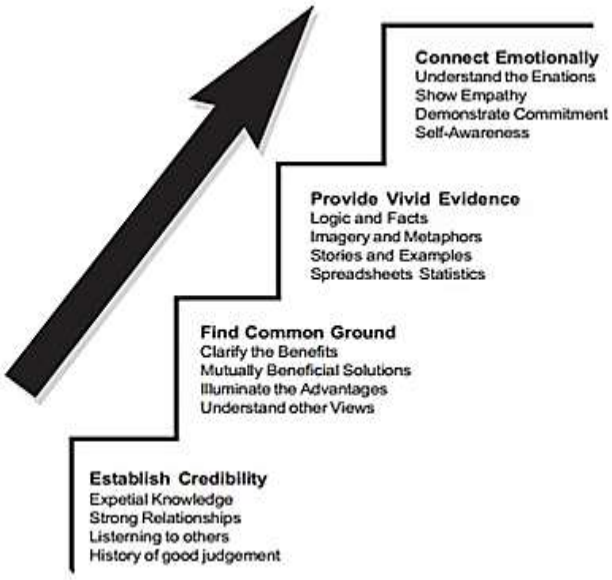
यहां एक महत्वपूर्ण चर पाया गया है; यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के संबंध में कोई रिपोर्ट पढ़ता है और मानता है कि यह संदेश किसी व्यवसायिक चिकित्सा पत्रिका से आया है, तो यदि वह मानता है कि यह बस अफ़वाह भर है से अधिक आसानी से मनाया जा सकता है। विश्वसनीयता संदेश देने वाले स्रोत की विशेषज्ञता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। इसी प्रकार, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी आकर्षकता के कारण, विज्ञापन अभियानों में सेलिब्रिटी का उपयोग किया जाता है।

- **संदेश अभिलक्षण:** संदेश की प्रकृति अनुनय में भूमिका निभाती है। अभिवृत्ति बदलने में सहायता के लिए कभी-कभी कहानी के दोनों पक्षों को प्रस्तुत करना उपयोगी होता है। जब लोग संदेश को संसाधित करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं, तो केवल प्रेरण संदेश में प्रस्तुत तर्कों की संख्या अभिवृत्ति परिवर्तन को इस प्रकार प्रभावित करती है, जैसे कि अधिक से अधिक संख्या में तर्क अधिक से अधिक अभिवृत्ति परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार, स्पष्ट और बोधगम्य ढाग से ठीक-ठीक प्रस्तुत संदेश जटिल, समझने में मुश्किल तरीके से प्रस्तुत किए गए संदेश से अधिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्यतया राजनीतिक जननेता अच्छा वक्ता भी होता है जिसका अर्थ है कि वह स्पष्ट रूप से श्रोताओं तक संदेश पहुँचाने में समर्थ होता है। यह केवल उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता है जो इसमें योगदान देता है बल्कि वह कितने सारगर्भित ढंग से संदेश रखता है भी इसमें योगदान देता है।
- **संज्ञानात्मक मार्ग:** किसी संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या व्यक्ति की संज्ञानात्मक इंद्रियों का आह्वान किया गया है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति को सोचने और स्वयं से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो संदेश अधिक प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक मूल्यांकन के लिए चित्ताकर्षक होता है। शैक्षणिक रूप से, इसका दो मार्गों में वर्गीकरण किया जाता है: केंद्रीय और परिधीय।
- अनुनय के केंद्रीय मार्ग में व्यक्ति को आंकड़ें प्रस्तुत किए जाते हैं और आंकड़ों का मूल्यांकन और अभिवृत्ति परिवर्तनकारी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रेरित किया जाता है। पक्षपोषण के समर्थन में प्रस्तुत सूचना के वास्तविक गुणों के किसी व्यक्ति के सतर्क और चिंतनशील विचारण से अनुनय पैदा होने की संभावना होती है। अभिवृत्ति परिवर्तन का परिणाम तुलनात्मक रूप से स्थायी, प्रतिरोधी और व्यवहार का भविष्य सूचक होगा।
- अभिवृत्ति परिवर्तन के परिधीय मार्ग का उपयोग तब किया जाता है जब संदेश प्राप्तकर्ता की विषय में बहुत कम या कोई रूचि नहीं होती है और / या संदेश को संसाधित करने की अपेक्षाकृत कम क्षमता होती है। विस्तार सातत्य के निचले सिरे पर होने के नाते, प्राप्तकर्ता द्वारा पूरी तरह से सूचना का परीक्षण नहीं किया जाता है। परिधीय मार्ग के साथ, उनकी सामान्य धारणा (उदाहरण के लिए "यह सही/अच्छा लगता है"), संदेश के प्रारंभिक भागों, अपनी स्वयं की मनोदशा,अनुनय संदर्भ के सकारात्मक और नकारात्मक संकेतों इत्यादि पर निर्भर होने की अधिक संभावना होती है। व्यक्ति को अंतर्वस्तु नहीं बल्कि स्रोत को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूरी तरह से इस पर सोच-विचार करने के लिए बहुत अधिक श्रम किए बिना क्या निर्णय करना और / या विश्वास करना है इसका हमें उत्तर देने के लिए विश्वसनीयता निम्न प्रयास और कुछ विश्वसनीय तरीका है। ऐसा सामान्यत: मशहूर हस्तियों वाले आधुनिक विज्ञापनों में देखा जाता है। यह किसी व्यक्ति के इस महत्वपूर्ण पहलू पर निर्भर करता है- कि वे 'संज्ञानात्मक रूप से कमजोर' हैं और शॉर्टकट का उपयोग करते हैं और अनुमान (अर्थात विस्तृत / विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के बजाय त्वरित समस्या समाधान) पर भरोसा करते हैं।

VISION IAS

4.3. प्रत्यायन प्रक्रिया में चरण (Steps in Persuasion Process)

1. विश्वसनीयता स्थापित करना (Establish credibility): विश्वसनीयता विशेषज्ञता और संबंधों से बढ़ती है। एक प्रत्यायक (persuader) को मजबूत भावनात्मक विशेषताओं और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। अन्य लोगों के सुझावों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और एक ऐसे वातावरण के निर्माण करने की आवश्यकता है जहां उनके विचारों का मूल्य हो।



2. सहकर्मियों के साथ समान लक्ष्य तैयार करना (Framing common goal with colleagues): प्रभावी प्रत्यायक को उस स्थिति के बारे में वर्णन करने में निपुण होना चाहिए जो उस व्यक्ति के स्थिति के लाभ को उजागर करता है जिसे वह प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। यह साझा लाभों की पहचान करने की प्रक्रिया है। विचारशील प्रश्नों को पूछकर आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए परस्पर संवाद की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया प्रायः प्रारंभिक तर्क को परिवर्तित करने या समझौता करने में सहयोगी होगी।

3. सुस्पष्ट भाषा और अकाट्य साक्ष्य के साथ स्थिति को सुदृढ़ करना (Reinforce positions with vivid language and compelling evidence): प्रत्यायन को साक्ष्य के प्रस्तुति की आवश्यकता होती है - कई रूपों में मजबूत डेटा (कहानियां, आलेख, चित्र, रूपक और उदाहरण)। प्रत्यायक को चित्रालेख (ग्राफिक्स) को पूरा करने वाली सुस्पष्ट भाषा का उपयोग करके स्थिति को जीवंत बनाने की आवश्यकता होती है।

4. दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना (Connecting emotionally with audiences): अच्छे प्रत्यायक भावनाओं की प्राथमिकता से अवगत होते हैं और उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे जानते हैं कि व्यावसायिकता और उनकी भावनात्मक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन को कैसे बनाए रखा जाए जिसका वे समर्थन करते हैं। उनके श्रोताओं के साथ उनका संबंध उनकी स्थिति के लिए उनकी बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। सफल प्रत्यायक अपने श्रोताओं की भावनात्मक स्थिति की यथार्थ समझ विकसित करते हैं और उसके अनुसार वे अपने तर्कों को समायोजित करते हैं। उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, सन्देश को प्राप्त करने की उनके श्रोताओं की क्षमता उनके भावनात्मक उत्साह के अनुकूल होना चाहिए।

4.4. प्रभावी प्रत्यायन (Effective Persuasion)

प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यायित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है; प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति और/या किसी विचार, घटना, व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसके व्यवहार को बदलना है। व्यापक रूप से यदि कहा जाए तो प्रभावी प्रत्यायन के लिए वांछनीय स्रोत (विश्वसनीयता का होना), वांछित संदेश की विशेषतायें (भय, विवेकपूर्ण और भावनात्मक अपील) होनी चाहिए। अधिक विस्तृत रूप में, प्रत्यायन को प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

VISION

1. **मतैक्य स्थापित करना**: प्रत्यायक को लक्षित लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए।
2. **लाभों को इंगित करना**: प्रत्यायक को बदले व्यवहार या अभिवृत्ति के प्रमुख लाभों को उजागर करना चाहिए। हालांकि, प्रत्यायक को बदलाव के लिए दबाव डालने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उसे हताशापूर्ण बना देगा।
3. **विरोध को शक्ति में बदलना**: परिवर्तन के लिए विरोध होना प्राकृतिक है लेकिन प्रत्यायक को उन्हें अवसरों में बदलना चाहिए। इसके लिए वह विरोधी द्वारा व्यक्त संभावना से सहमत हो सकता है और फिर वह यह बताएगा कि प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा इसे आसानी से कैसे दूर किया जा सकता है।
4. **प्रतिबद्धता और स्थिरता:** प्रत्यायक को किसी छोटी चीज में विश्वास करने या पहले एक छोटी सी कार्रवाई करने के लिए लक्षित होना चाहिए। एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद, संभवतः एक बड़े विचार से सहमत होगी। यह तकनीक इस तथ्य का प्रयोग करती है कि एक बार निर्णय लेने के बाद लोग लगातार इस ढंग से व्यवहार करते हैं, कि वे इसे न्यायसंगत बनाने तथा इसके समर्थन के साधनों के रूप में वे निर्णय के अनुरूप कार्य करेंगे। तार्किकता मानव मन को एक सहज अपील का आदेश देती है।
5. **पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रयोग करना**: इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसकी सहायता के बदले में उसके लिए कुछ करने हेतु स्वयं को आभारी महसूस करते हैं। इसमें बदले गए व्यवहार / अभिवृत्ति के लिए लक्षित आबादी को उचित रूप से पुरस्कृत करना शामिल हो सकता है। यह परिवर्तन को सुदृढ़ करने और इसे बनाए रखने में मदद करता है।
6. **सामाजिक साक्ष्य की तकनीक:** लोग प्रायः दूसरे लोगों (बैंडवैगन प्रभाव) का अनुसरण अधिक करते हैं, इसलिए उनके पास स्वयं के निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इस तकनीक में आप लक्षित आबादी को बताएंगे कि अन्य लोगों को अनुभवजन्य सबूत के साथ सुझाए गए परिवर्तन से लाभ मिल रहा है। इसके लिए प्रत्यायक कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के उदाहरणों की सहायता ले सकता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान में हम कुछ महिला खिलाड़ियों के उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं जिन्होंने प्रसिद्धि अर्जित की हैं, बैडमिंटन में एस. नेहवाल, या बॉलीवुड में कंगना राणावत इत्यादि।
7. **अभावग्रस्तता:** इसमें लोगों को यह बताने की अनुमति होती है कि वे प्रस्तावित परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने का अवसर खोने की तरफ अग्रसर हैं।

4.5. सामाजिक प्रभाव (Social Influence)

जब किसी व्यक्ति की भावनाएं, विचार या व्यवहार दूसरों से प्रभावित होते हैं तो सामाजिक प्रभाव होता है। सामाजिक प्रभाव कई रूप ग्रहण करता है और अनुपालन, समाजीकरण, सहकर्मी दबाव, आज्ञाकारिता, नेतृत्व, अनुनय में देखा जा सकता है। हालांकि, निम्नलिखित सामाजिक प्रभाव के तीन व्यापक प्रकार हैं।

- **अनुपालन** तब होता है जब लोग दूसरों के साथ सहमत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी असहमत राय निजी रखते हैं। यह व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन आवश्यक रूप से अभिवृत्ति में नहीं।
- **पहचान** तब होती है जब लोग पसंद किए जाने वाले और सम्मानित व्यक्ति से प्रभावित होते हैं जैसे राजनेता, गुरु, प्रसिद्ध हस्ती।

VISION IAS

- **समावेशन** तब होता है जब लोग कोई मान्यता या व्यवहार स्वीकार करते हैं और सार्वजनिक रूप से और निजी दोनों रूप से सहमत होते हैं।



अनुपालन (Conformation)

हम दूसरों की अपेक्षाओं का अनुपालन या अनुपालन करने का प्रयास क्यों करते हैं? खेल में मानव की दो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं - हमारी सही होने की आवश्यकता है और हमारी पसंद किए जाने की आवश्यकता है। पूर्वोक्त् को सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव भी कहा जाता है और अवरोक्त को मानक सामाजिक प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है।

- **सूचनात्मक प्रभाव (या सामाजिक प्रमाण)**- जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है जहां वह व्यवहार किए जाने के सही तरीके को लेकर अनिश्चित होता है, तो वे प्राय: सही व्यवहार से संबंधित सुराग के लिए दूसरों की ओर देखते हैं। हम अनुपालन करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि दूसरों की अस्पष्ट स्थिति की व्याख्या हमारी तुलना में अधिक सटीक है और हमारी उचित कार्यवाही का चयन करने में सहायता मिलेगी। यह वास्तविकता के साक्ष्य के रूप में किसी और से जानकारी स्वीकार करने के लिए एक प्रभाव है।

सामाजिक प्रमाण न केवल सार्वजनिक अनुपालन (सार्वजनिक रूप से दूसरों के व्यवहार का आवश्यक रूप से सही माने बिना अनुपालन करना) बल्कि साथ ही निजी स्वीकार्यता (वास्तविक मान्यता का अनुपालन करना कि दूसरे सही है) का मार्ग प्रशस्त करता है। जब परिशुद्ध होना अधिक महत्वपूर्ण होता है और जब दूसरों को विशेष रूप से जानकार माना जाता है सामाजिक प्रमाण अधिक शक्तिशाली होता है।

2017 में पूर्वी भारत के एक मंदिर से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला कंगारू के आकार के कूड़ेदान से आशीर्वाद ले रही थी। उसे नहीं पता था कि वह 'वस्तु' क्या थी और उसने एक अन्य महिला को वह कूड़ेदान छूते हुए देखा था। शीघ्र ही, कुछ और महिलाएं आशीर्वाद लेने में सम्मिलित हो गईं। निस्संदेह, यदि उन्हें पता होता कि वह वस्तु कचरे का निपटान करने के लिए है, तो उनका व्यवहार अलग होता। लेकिन सही होने की उनकी इच्छा के साथ जानकारी की कमी से उन्होंने भेड़-चाल वाली मानसिकता का पालन किया और कंगारू के आकार के कूड़ेदान की पूजा करने के 'स्वीकार्य' व्यवहार का अनुपालन किया।

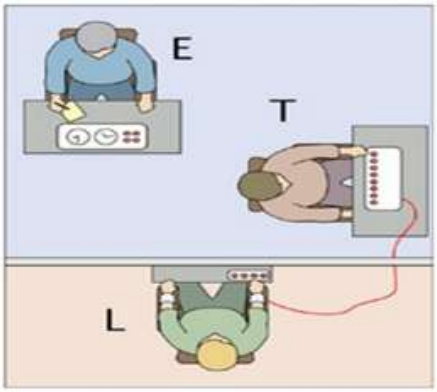
कदाचित ऐसा व्यवहार अधिक बुद्धिमान लोगों के लिए भी असामान्य नहीं है। सामान्यतया लोग अपना तादात्म्य राजनीतिक विचारधारा से, अनिवार्य रूप से उसके सिद्धांतों को जाने बिना से स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार की आलोचनाएं अधिकांशतया सरल होती हैं अर्थात वे बहुत ही आंशिक चित्र खींचते हैं, लेकिन एक बार जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कोई रूख अपना लेता है, तो समर्थक जुड़ जाते हैं क्योंकि वे नेता में विश्वास प्राय: अंधा विश्वास करते हैं। यही बात सरकार बनाने वाले दल के समर्थकों के लिए भी सही है, लेकिन प्राय: इसके समर्थक कठिन स्थिति में होते हैं क्योंकि हर समय सरकार के सभी कार्यों का बचाव करना काफी अधिक कठिन होता है।

- **मानक प्रभाव** दूसरों द्वारा पसंद किए जाने की व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित है। मनुष्य, सहज रूप से सामाजिक होने के नाते, साहचर्य और संसर्ग की इच्छा करता है। समूह या संघ कुछ साझा रूचि या हितों वाले लोगों से मिलकर बनता है। समूह में सफल और स्वस्थ वातावरण के लिए, लोग घुलने-मिलने का प्रयास करते हैं। वे अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाते हैं ताकि उन्हें पसंद किया जाए। यह मानक सामाजिक प्रभाव है- मानक का अर्थ है कि चीजें कैसे होनी चाहिए, उदाहरण के लिए माता-पिता चाहते हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहना चाहिए। इसलिए, यह दूसरों की सकारात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाला प्रभाव है।

VISION IAS



The Milgram Experiment



- Subjects were "employed" to help out at a psychology experiment.
- As "Teacher" (T) they were instructed to administer electric shocks to a Learner (L) on the command of the Experimenter (E)
- Shocks increased up to 450 volts (more than enough to kill a person) and the shocks were labelled – T knew what they were doing was dangerous and painful – a recording of shouting and distress, eventually leading to silence was heard from the other side of the wall.

How would you react? How do you know?

येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टेनली मिलग्राम (1961) ने आज्ञापालन का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग प्रारंभ किया। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, प्रतिभागी (शिक्षक) प्रश्नों की एक श्रृंखला को अन्य "प्रतिभागी" (शिक्षार्थी) से पूछेगा। शिक्षकों को एक प्राधिकरण (प्रयोगकर्ता) द्वारा निर्देशित किया गया कि जब भी शिक्षार्थियों द्वारा गलत जवाब दिया जाए तो शिक्षार्थियों को बिजली का झटका (shock) दिया जाए। सीखने वाला कोई प्रतिभागी नहीं था, लेकिन वास्तव में वह एक अभिनेता था जो बिजली के झटके से चोट पहुंचने का नाटक करता था और बटन दबाए जाने पर दर्द से चिल्लाता था।

परिणाम? 60 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों को घातक स्तर (450 वोल्ट) तक झटके दिए गए। क्योंकि प्रतिभागी के पीछे, एक डॉक्टर था, जो यह कहता रहेगा कि आगे बढ़ो" ... वोल्टेज बढ़ाओ, व्यक्ति मरेगा नहीं।"

1. **उत्तरदायित्व की कमी, आपके विवेक को अतिव्यापित या ओवरराइट करती है:** डॉक्टर आधिकारिक व्यक्ति है। व्यक्तिगत प्रतिभागी का विवेक अधिक शक्तिशाली होता है, जब प्रतिभागी सोचता है कि "यह मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, मैं केवल आदेशों का पालन कर रहा हूं"।

2. **आधिकारिक व्यक्ति आपके विवेक को अतिव्यापित कर सकता है:** हिटलर एक महान वक्ता था; वह मात्र एक भाषण से भीड़ को अपने पक्ष में कर सकता था।

3. **सहकर्मी-दबाव आज्ञापालन से अधिक शक्तिशाली है:** यदि दो प्रतिभागी हैं, तो यदि दूसरा प्रतिभागी इस विषय के लिए बिजली के झटके देने से इनकार करता है और कमरे से बाहर चला जाता है तो पहला प्रतिभागी भी कमरे से बाहर जा सकता है।

4. इस प्रकार, **शक्ति के अनुसार:** सहकर्मी-दबाव (अनुरूपता) प्राधिकरण (आज्ञापालन) से अधिक शक्तिशाली है जो व्यक्ति के विवेक से बड़ा होता है।

4.6. भावनाएं और अभिवृत्तिक परिवर्तन (Emotions and Attitude Change)

अभिवृत्तिक परिवर्तन के लिए व्यक्ति के भावनात्मक पहलू को अपील के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में, भावना अनुनय और सामाजिक प्रभाव में एक प्रमुख घटक है। अभिवृत्ति पर शोध ने भी संदेशों के भावनात्मक घटकों का महत्व प्रकट किया है। अभिवृत्ति का ABC मॉडल तीन घटकों पर बल देता है- संज्ञानात्मक (अर्थात हम क्या समझते हैं), भावनात्मक (हम भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ते हैं) और व्यवहारात्मक (हम कैसे कार्य करते हैं)। भावना संज्ञानात्मक प्रक्रिया, या जिस प्रकार

VISION IAS

हम किसी मुद्दे या स्थिति के संबंध में सोचते हैं, के साथ काम करती है। भावनात्मक अपील सामान्यतया विज्ञापन, स्वास्थ्य अभियानों और राजनीतिक संदेशों में मिलती है।



हाल के उदाहरणों में धूम्रपान नहीं स्वास्थ्य अभियान और राजनीतिक अभियान आतंकवाद के विरुद्ध प्रयासों पर बल देने वाले विज्ञापन सम्मिलित है। भावनात्मक जागरूकता से अभिवृत्ति परिवर्तन संभव हो सकता है, हालांकि भावनात्मक और संज्ञानात्मक घटक गुँथे हुए होते हैं। कृपया ध्यान दें कि भावनात्मक अभिवृत्ति अभिवृत्तात्मक परिवर्तन के लिए भावनाओं को अपील करने से अलग होती है। भावनात्मक अभिवृत्ति मुख्य रूप से भावना द्वारा विकसित एक अभिवृत्ति होती है, उदाहरण के लिए बच्चों के प्रति माता-पिता की अभिवृत्ति। भावनाओं को अपील वांछनीय अभिवृत्ति विकसित करने की विधि है। भय, आनंद, क्रोध, सहानुभूति, उपहास आदि जैसी भावनाएं। तथ्यों के बजाय, भावना-आधारित तर्क के लिए अपील का आधार विकसित करने के लिए प्रेरण भाषा का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को फिट रहने या धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, आपको न केवल अपनी बात सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों का उल्लेख करना चाहिए बल्कि घातक बीमारियों के भय या स्वस्थ जीवन के आनंद का उपयोग करते हुए भी विश्वास दिलाना चाहिए।

हालांकि, यदि कामनापूर्ण विचारणा का उपयोग करके भावना को अपील की जाती है (अर्थात कुछ ऐसा जिसकी कल्पना करना आनंदकारी होता है लेकिन साक्ष्य या तथ्य पर आधारित नहीं होता है), तो यह तार्किक भ्रांति बन जाता है। कामनापूर्ण विचारणा या चापलूसी या घृणा को अपील से अभिवृत्ति में केवल एक अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। भविष्य में इससे वांछित अभिवृत्ति के विपरीत अभिवृत्ति के विकास का भी मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए, अकेले भावनाओं को अपील अभिवृत्तात्मक परिवर्तन का संधारणीय आधार नहीं बन सकता है। तथ्यों का मूल्यांकन संदेश को वैधता प्रदान करता है और इस प्रकार यह अभिवृत्ति बदलने का अधिक स्थायी तरीका है।

4.7 सामाजिक प्रभाव या अनुनय के परिणाम

(Consequences of Social Influence or Persuasion)

अनुनय या सामाजिक प्रभाव के परिणाम युक्तियों, उद्देश्यों तथा संदर्भों जिनमें वे निहित हैं, के प्रकारों के आधार पर अच्छे, खराब एवं निकृष्ट हो सकते हैं। परिणामों के इन प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है:

अनुनय का निकृष्ट स्वरूप (Ugly Face of Persuasion)

निकृष्ट प्रभावक अन्य व्यक्तियों को निर्णयों में धकेलते और बाध्यकारी रूप से शामिल करते हैं। उनकी कार्य शैली अन्यों को शक्तिहीन महसूस करवाने तथा नवाचार या परिवर्तन हेतु प्रतिरोधक बनाने की होती है। इसे उस स्थिति के प्रति संदर्भित किया जाता है जहाँ अनुनय का उद्देश्य सर्वथा स्वार्थपूर्ण हो सकता है। उदाहरणार्थ वित्तीय उपकरणों का छलयुक्त विक्रय या असत्य दावों के द्वारा ग्राहकों को ठगना।

खराब अनुनय (Bad Persuasion)

बुरे प्रभावक वैध एवं वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कठिन परिश्रम कर सकते हैं, परन्तु उनमें किसी को सफलतापूर्वक प्रभावित करने हेतु कौशल का अभाव होता है। उनकी कार्यशैली लोगों को यह अनुभव कराने का कारण बनती है कि उन्हें अनुपयुक्त आधिकारिक नियमों के माध्यम से दंडित या मूर्ख बनाया जा रहा है, उन सभी को प्रसन्न करने हेतु जो अप्रभावी दिखाई देते हैं। इस मामले में उद्देश्य विशुद्ध है परन्तु साधन अप्रभावी हैं। उदाहरणार्थ बाध्यकारी बंध्याकरण के साथ परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना जैसा कि आपातकाल के दौरान हुआ था।

VISION IAS

अच्छा अनुनय (Good Persuasion)



अच्छे प्रभावक लोगों का ऐसे मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करवाते हैं जो स्पष्ट एवं सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही शामिल लोगों के लिए मुद्दे का भावनात्मक मूल्य क्या है इसका पता लगाते हैं तथा उन लोगों की संतुष्टि के लिए समाधानों की खोज करते हैं जिन्हें इन समाधानों को अमल में लाने की आवश्यकता होती है। अच्छे प्रभावक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वे विश्वास उत्पन्न करते हैं जो अन्य लोगों को जोखिम लेने में सक्षम बनाता है। संचार स्थापित करने एवं सूचना प्रदान करने तथा अन्यों को शामिल करने का उनका स्वभाव लक्षित जनसंख्या के मध्य निष्ठा का निर्माण करता है। वे अपील-तर्क, भावुकता और भय के विभिन्न प्रकारों का प्रभावशाली प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता के विरूद्ध परिवर्तित दृष्टिकोण को प्रेरक कारक, भावपूर्ण अपील तथा कानून के भय को शामिल करना चाहिए।

4.8 अनुनय बनाम छल-कपट (Persuasion vs. Manipulation)

अनुनय और छल-कपट के मध्य अंतर लाभ के सृजन हेतु अंतर्निहित प्रयोजन एवं इच्छा में निहित है। अनुनय और छलयोजन के मध्य विभेद निम्नलिखित में समाहित हैं:

1) उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु आपकी इच्छा के पीछे निहित प्रयोजन,

2) प्रक्रिया की सत्यवादिता तथा पारदर्शिता और

3) उस व्यक्ति पर प्रभाव।

छलयोजन या छल-कपट का अर्थ नकारात्मक भाव में है। इसका तत्पर्य संचार की दूसरी तरफ किसी व्यक्ति को कुछ करने, किसी सेवा या वस्तु में विश्वास करने, या किसी वस्तु को खरीदने में व्यक्ति को मूर्ख बनाने, नियंत्रित या निरूपण करने के प्रयोजन के साथ प्रोत्साहन है जो या तो उसे नुकसान पहुंचाता है या बिना लाभ के छोड़ देता है। इसका यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि आप उन्हें इस तरीके से अपने दृष्टिकोण में स्थानांतरित करने की इच्छा को गौण रख रहे हैं जिससे केवल आपको ही लाभ होगा। यदि ये लाभ उजागर हो जाते हैं तो यह रहस्योद्घाटन आपके संदेश हेतु अन्य व्यक्ति को बहुत कम ग्रहणशील बना देगा।

उदाहरण

एक कार शोरूम में एक विक्रेता के मामले को ले सकते हैं। एक व्यक्ति अपने 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए परिवार के आकार के अनुकूल तथा किफायती कार खरीदने हेतु शोरूम में आता है। विक्रेता अपनी प्रेरक योग्यताओं के साथ उस व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने में सक्षम है कि उसे एक मिनी वैन नहीं बल्कि एक युवा जैसा दिखने के लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदनी चाहिए और ऐसा करने में अपने बच्चों को सिखाए कि उनके युवा आदर्शों के लिए स्वाभाविक बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। पूर्णतया यह जानते हुए कि उसे यह कार लेना महँगा पड़ेगा, तथा वह कार उनके लिए पूर्णतया अनुपयुक्त है। यही **छलयोजन या छल-कपट** है।

लेकिन यदि वह व्यक्ति केवल कुछ धन व्यर्थ में व्यय करने के एक उद्देश्य के साथ आया है? तथा विक्रेता धीरे-धीरे और क्रमबद्ध ढंग से वार्ता करने तथा तथ्यों का एक संग्रह प्रस्तुत करने की अपनी अनुनय योग्यता का प्रयोग कर सकता है। जो अधिक किफायती और परिवार के लिए उपयुक्त कार खरीदने के विशुद्ध लाभों को समझने हेतु उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करेंगे। यह **अनुनय है न कि छलयोजन।**

5. विचार और व्यवहार के साथ अभिवृत्ति का संबंध

(Attitude's Relation with Thought and Behaviour)

5.1. अभिवृत्ति हमारे विचार और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है?

(How does Attitude Influence our Thought and Behaviour?)

अभिवृत्ति "सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं, समूहों, घटनाओं या प्रतीकों के प्रति विश्वासों, भावनाओं, और व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों का अपेक्षाकृत स्थाई ढांचा होता है"। चूँकि, अभिवृत्ति कुछ

VISION IAS



अर्थों में व्यवहार करने के प्रति प्रवृत्ति को भी सम्मिलित करती है, इसलिए हमारी अभिवृत्ति को अभिवृत्तिगत वस्तुओं के प्रति हमारे व्यवहार के कारक के रूप में माना जा सकता है।

इस तरह अभिवृत्तियाँ यह दर्शाती हैं की वह किस सीमा तक, और किन परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रेरित करती हैं? जो हम हैं (आंतरिक रूप से) और जो हम करते हैं (बाह्य रूप से) उसके बीच क्या संबंध है?

अभिवृत्ति सम्बन्धी अनुसंधान के आरम्भिक समय में, अधिकांश अनुसंधानकर्ताओं ने यह पूर्व निर्धारित माना कि मानवीय व्यवहार सामाजिक अभिवृत्तियों से प्रेरित होता है। यह मान लिया गया था कि अभिवृत्ति मानव व्यवहार को समझने का मूल साधन है। इसके अतिरिक्त, अभिवृत्ति के विषय में किए गए आरम्भिक अध्ययनों ने इस धारणा पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया। तथापि कुछ शोधकर्ताओं ने इस धारणा को चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया कि अभिवृत्ति– व्यवहार संबंध ऐसे कार्य करता है, जिसमें हमारा व्यवहार अश्व के रूप में और हमारी अभिवृत्तियाँ एक गाड़ी के समान कार्य करती हैं और यह कि लोगों की व्यक्त अभिवृत्तियों से उनके भिन्न-भिन्न व्यवहार का अनुमान शायद ही लगाया जा सकता है।

मुख्य अध्ययन: ला-पियरे (1934)

उद्देश्य: अभिवृत्तियों और व्यवहार के मध्य अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण करना।

विधि : ला-पियरे ने उस समय चीन विरोधी भावनाओं के व्याप्त होने के कारण एक चीनी जोड़े के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने और उसे देखने की अपेक्षा से अमेरिकी होटलों का दौरा किया। उस समय एशियाइयों के विरुद्ध व्यापक पूर्वाग्रह था और और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध कोई कानून नहीं थे। उन्होंने 67 होटलों और 184 रेस्टोरेंट का दौरा किया। उनके लौटने के छह महीने बाद बाद, उन्होंने जिन प्रतिष्ठानों का दौरा किया था उन्हें एक पत्र भेजा, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या वे चीनी अतिथियों को स्वीकार करेंगे।

परिणाम: जिन प्रतिष्ठानों का उन्होंने दौरा किया था उनमें से केवल एक प्रतिष्ठान ने उन्हें अस्वीकृत किया और आमतौर पर उनके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार किया गया था। उस पत्र का उत्तर देने वाले 128 प्रतिष्ठानों में से 91% ने कहा कि वे चीनी अतिथियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

निष्कर्ष: अभिवृत्तियों से सदैव व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अभिवृत्तियों के संज्ञानात्मक और प्रभावी अवयव व्यवहार में अनिवार्य रूप से व्यक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार, ला-पियरे के अध्ययन से पता चलता है, कि अभिवृत्तियों के संज्ञानात्मक और प्रभावी अवयव (जैसे कि चीनी लोगों को नापसंद करना) उनके वास्तविक व्यवहार (जैसे कि उन्हें सेवा प्रदान करने) में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित नहीं होता है।

इस प्रकार, यह सत्य नहीं है कि अभिवृत्ति से सदैव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यह धारित अभिवृत्ति की क्षमता या तीव्रता पर निर्भर करता है।

अभिवृत्ति क्षमता (Attitude Strength)

अभिवृत्ति जिस क्षमता से धारण की जाती है वह प्राय: व्यवहार का अच्छा पूर्वानुमान होता है। अभिवृत्ति जितनी अधिक प्रबल होगी उसके द्वारा व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना उत्नी अधिक बढ़ जाएगी। अभिवृत्ति की क्षमता में समाविष्ट होते हैं:

महत्व/व्यक्तिगत प्रासंगिकता का संदर्भ व्यक्ति के लिए अभिवृत्ति की महत्ता एवं उसके स्वहित, सामाजिक पहचान और मूल्य से उस अभिवृत्ति के संबंधित होने की कार्यप्रणाली से होता है। यदि किसी अभिवृत्ति के प्रति किसी की व्यक्ति का उच्च हित जुड़ा हुआ है (अर्थात् यह ऐसे समूह द्वारा धारण की जाती है जिसका वह व्यक्ति सदस्य है या जिसका सदस्य होना वह व्यक्ति पसंद करेगा, और व्यक्ति के मूल्यों से संबंधित है), तो वह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति के

VISION IAS



व्यवहार पर उस अभिवृत्ति का सशक्त प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन से पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं हो तो वह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी।

अभिवृत्ति की क्षमता का **ज्ञान (knowledge)** पहलू अभिवृत्तिगत वस्तु के प्रति व्यक्ति के ज्ञान के परिमाण को समाविष्ट करता है। जिन विषयों में लोगों की रुचि होती है लोग उनके प्रति अधिक जानकार होते हैं और फलस्वरूप उनमें उनके प्रति प्रबल अभिवृत्तियाँ (सकारात्मक या नकारात्मक) धारण करने की संभावना होती है। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अभिवृत्तियों को अधिक मजबूती से धारण किया जाता है और वे अप्रत्यक्ष रूप से (उदाहरण के लिए कहीं सुनने, पढ़ने या टेलीविजन पर देखने के माध्यम से) निर्मित अभिवृत्तियों की तुलना में व्यवहार को अधिक प्रभावित करती हैं।

लेकिन, केवल अकेले अभिवृत्ति की क्षमता भी हमारे व्यवहार का सटीक पूर्वानुमान नहीं हो सकती, इसलिए कुछ विशेषज्ञों ने अभिवृत्ति- व्यवहार संबंध का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार मानने का सुझाव दिया है। ये हैं:

अभिगम्यता (Accessibility): इसका संबंध अभिवृत्ति धारक के मस्तिष्क को अभिवृत्ति की सहज उपलब्धता से है। इसका अर्थ यह है कि अभिवृत्ति धारक, अभिवृत्ति के "एबीसी" अवयवों के विषय में सचतेन है (भावात्मक|संज्ञानात्मक|व्यवहारात्मक) इसलिए वे अभिवृत्ति धारक के मन में तुरंत आ जाते हैं।

विशिष्टता (Specificity): अधिकतर लोग कई विषयवस्तुओं के प्रति अपनी पसंद/नापसंद के विषय में सुनिश्चित नहीं होते हैं। यदि किसी वस्तु के प्रति हमारी कोई विशिष्ट अभिवृत्ति नहीं है, तो यह परिवर्तित हो सकती है,अर्थात यह अभी भी सुदृढ़ रूप से गठित नहीं हुई है और उसे थोड़े से प्रयास जैसे कि नए ज्ञान की उपलब्धता से परिवर्तित किया जा सकता है। विशिष्टता का अर्थ यहां पर यह है कि किसी विषय वस्तु के प्रति हमारी अभिवृत्ति कितनी विशिष्ट है। किसी विषय वस्तु के प्रति होने धुंधली या एकाधिक अभिवृत्तियाँ धारण करने से उनकी विशिष्टता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, किसी मुद्दे के प्रति राजनीतिक अभिवृत्ति धुंधली हो सकती है और हमारे समूह की मान्यता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। उस स्थिति में इससे कुछ भ्रमित व्यवहार उत्पन्न हो जाता है ।

सामंजस्य (Congruence): विशिष्टता से आगे बढ़ते हुए, अनुरूपता का संबंध हमारी अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों के बीच सुसंगतता से होता है। यदि ज्ञान संबंधी अवयव और भावात्मक अवयव हमारे व्यवहार की तुलना में असंगत हैं तो हमारा व्यवहार हमारी अभिवृत्ति के स्थान पर हमारी परिस्थिति पर अधिक निर्भर होगा। महाभारत **'मनसा, वाचा, कर्मणा'** के विषय में चर्चा करता है। मनसा शब्द मन से संबंधित है, वाचा का संबंध वाणी से है, और कर्मणा का संबंध हमारे कार्यों से है । इनका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार में सुसंगतता या सामंजस्य की अवस्था की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। **'मनसा, वाचा, कर्मणा'** का सूत्र वाक्य सामान्य रूप से यह निहितार्थ व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है कि व्यक्ति को ऐसी अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जहां उसके विचार, उसकी वाणी और उसके कार्य एक दूसरे से मेल खाते हों।

5.2. अभिवृत्ति से व्यवहार का पूर्वानुमान कब होता है?

(When Does Attitude Predict Behaviour?)

पूर्ववर्ती भाग में हमने देखा कि अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। यहां हम देखेंगे कि अभिवृत्ति से व्यवहार का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, अर्थात ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें हम व्यक्ति की अभिवृत्ति की विषय में जानकारी प्राप्त करके व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अनुसंधानों से यह पता लगा है कि लोगों द्वारा कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने की अधिक संभावना होती है। यह विशेष रूप से तब होता है जब:

VISION IAS



- अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होती हैं।
- जब व्यक्ति किसी अनुकूल परिणाम की अपेक्षा करता है।
- जब अभिवृत्तियाँ बारंबार अभिव्यक्त की जाती हैं।
- जब विचाराधीन मुद्दे के कारण कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने या खो देने की स्थिति में होता है।
- जब हमारी अभिवृत्तियों का विरोध करने वाले परिस्थितिजन्य कारक कमजोर होते हैं।
- जब हम उन से अवगत होते हैं, और
- उन्हें दृढ़तापूर्वक धारण किया जाता है।

हमारा व्यवहार और हमारी अभिव्यक्त अभिवृत्तियाँ भिन्न होती है क्योंकि दोनों अन्य प्रभावों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हम यदि हमारे व्यवहार पर अन्य प्रभावों को निरस्त कर सकें - अन्य सभी विषय वस्तुओं को समान बना सकें - तो अभिवृत्तियों से बहुत सटीकता पूर्वक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। निम्नलिखित बिंदु उन परिस्थितियों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं जिनके अंतर्गत लोगों द्वारा अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने की अधिक से अधिक संभावना होती है।

5.2.1. अभिवृत्ति की क्षमता (Strength of Attitude)

उच्च अभिवृत्ति- व्यवहार सुसंगतता की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अभिवृत्ति मजबूत और स्पष्ट हो। अभिवृत्तियों की क्षमता व्यक्तिगत निहितार्थों; प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से गठित; अत्यधिक अंतःस्थापित अभिवृत्तियों, पर निर्भर करती है अर्थात् वे लोगों द्वारा धारण किए जाने वाले अन्य विश्वासों से संबद्ध होती हैं।

5.2.2. अभिवृत्ति की स्थिरता (Stability of the Attitude)

कम स्थिर और स्मरण न आने वाली अभिवृत्तियों की तुलना में सहजता पूर्वक स्मरण की जाने वाली स्थिर अभिवृत्तियों के माध्यम से व्यवहार का पूर्वानुमान लगाए जाने की संभावना अधिक होती है।

5.2.3. अभिवृत्ति की पहुँच या अभिगम्यता (Accessibility of the Attitude)

ऐसी अभिवृत्तियाँ जिन तक स्मृति की पहुंच अधिक होती है वे व्यवहार को अधिक प्रबलता पूर्वक प्रभावित करती हैं। किसी अभिवृत्ति तक स्मृति की पहुंच है या नहीं इसका निर्धारण करने वाला एक प्राथमिक कारक यह है कि उसे कितने बारंबार अभिव्यक्त किया जाता है। जब अभिवृत्तियाँ अधिकाधिक बारंबार अभिव्यक्त ही जाती हैं तो वे और अधिक प्रबल हो जाती हैं। अर्थात् किसी अभिवृत्ति को अभिव्यक्त करने की जितने अधिक अवसर आपके मिलते हैं, उस अभिवृत्ति को आप अपने लिए उतना ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

5.2.4. अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषता (Salience of the attitude)

प्रमुख विशेषता या ख़ासियत, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने का गुण है। अधिकांश स्थितियों में, कई विभिन्न अभिवृत्तियाँ व्यवहार के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं। प्रमुख विशेषता, विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण होती है जब अभिवृत्ति बहुत सुदृढ़ नहीं होती है। प्रमुख विशेषता का संदर्भ इस तथ्य से है कि व्यक्ति के सभी विश्वासों कोiaअपने संज्ञानात्मक क्षेत्र में समान महत्ता प्राप्त नहीं होती है। वह अपने कुछ विश्वासों के प्रति अधिक तीव्रता से जागरूक हो सकता है, वे उसके विचारों में अधिक सहजतापूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, उन्हें अधिकाधिक बार वाणी के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, एक शब्द में कहें तो वे प्रमुख होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम लेने के

VISION IAS

लिए कहा जाता है जो "जब आप खरीदने के बारे में सोचते हैं तो आपके ध्यान में आती हैं ...". तो वह व्यक्ति जिस क्रम में उन वस्तुओं का नाम लेता है वह प्रमुखता को दर्शाता है। कृपया ध्यान दीजिए की प्रमुख विशेषता पूर्णतया महत्ता का पर्यायवाची नहीं है। अपितु किसी विशेष वस्तु की ओर अभिवृत्ति की प्रमुखता को व्यवहार का समुचित कारक माना जाता है।

5.2.5. अभिवृत्ति के भावात्मक बनाम संज्ञानात्मक पक्ष

(Affective vs. Cognitive Aspects of an Attitude)

कुछ अभिवृत्तियाँ अपने समर्थन के लिए संज्ञान अर्थात् अभिवृत्तिगत वस्तुओं के प्रति विश्वासों पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। अन्य अभिवृत्तियाँ अधिकाधिक भावात्मक आधार पर स्थापित होती हैं, जो अभिवृत्तिगत वस्तु के प्रति व्यक्ति द्वारा संबद्ध की जाने वाली सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं पर निर्भर होता है। अभिवृत्ति के भावात्मक अवयव को अधिक प्रमुख बनाना व्यवहार पर भावात्मक अवयव के प्रभाव को बढ़ाता है, जबकि संज्ञानात्मक अवयव को और अधिक प्रमुख बनाना संज्ञानात्मक अवयव को व्यवहार का अधिक सशक्त निर्धारक बनाता है। हालांकि, जब अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक और भावात्मक अवयव एक दूसरे से सुसंगत होते हैं, तो किसी को भी प्रमुख बनाने से अंतर नहीं पड़ता: किसी को भी प्रमुख बनाने से दोनों व्यवहार के साथ अत्यधिक सुसंगत होंगे।



6. विचार किए जाने हेतु उदाहरण



(Examples for Pondering)

6.1. केस स्टडी 1

गंगा अल्सेक टेक्नोलॉजीज के लिए काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह अपनी प्रतिस्पर्धी फर्म नोवाटेक्स सिस्टम्स से नौकरी का प्रस्ताव पाकर रोमांचित थीं। वह नोवाटेक्स की उद्योग अग्रणी और आदर्श नियोक्ता के रूप में बहुत सराहना करती थी। जिस पद का उसे प्रस्ताव मिला था, उसकी उसे हमेशा से ही चाह थी। अपने पति विष्णु से उसने इस प्रस्ताव पर चर्चा की। विष्णु ने कुछ प्रश्न उठाए, जिन्होंने उसे परेशानी में डाल दिया। विष्णु ने उससे जिस बड़ी परियोजना पर वह काम कर रही थी उसके संबंध में पूछा। उसने उसे याद दिलाया कि इस परियोजना को प्रारंभ करने में वह प्रमुख प्रेरक थी। उसने कहा, यदि तुम इस समय अल्सेक को छोड़ देती हो, तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। विष्णु ने आश्चर्य के साथ पूछा कि क्या उसका इस समय जाना कंपनी और पूरी परियोजना टीम को निराश करने वाला नहीं होगा।

उसने अल्सेक में अच्छा काम किया है और कंपनी ने उससे अच्छा व्यवहार किया है। मुद्दा यह है कि आपके लिए क्या करना सही है, न कि कंपनी क्या करेगी या नहीं करेगी। दोनों प्रतिस्पर्धी फर्में हैं। यह पाला बदलने जैसा है। यह केवल कंपनी के प्रति निष्ठा नहीं है, बल्कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके प्रति भी निष्ठा है। नोवाटेक्स को तुरंत किसी की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव के संबंध में सोच-विचार करने के लिए उसे कुछ और समय दिया। यह गंगा के लिए एक एक बहुत बड़ा अवसर है। विष्णु के साथ उसकी बातचीत ने उसे परेशानी में डाल दिया और वह सोचने लगी कि क्या वह ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करके सही काम करेगी, जिसे वह बहुत समय से चाहती है।

- गंगा को क्या करना चाहिए ? किन आदर्शों, दायित्वों और प्रभावों को उसे ध्यान में रखना चाहिए।
- क्या सब कुछ छोड़ देना और नोवाटेक्स में चले जाना गंगा का गैर-पेशेवर व्यवहार होगा ? क्या इससे वह सत्यनिष्ठा की कमी प्रदर्शित करेगी ? क्या एकाएक नौकरी छोड़कर जाना उसके कैरियर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है?
- क्या नई कंपनी में पदभार ग्रहण करना नैतिक रूप से गलत है, नैतिक रूप से उचित है या नैतिक रूप से आवश्यक है? गंगा के विकल्पों का परीक्षण कीजिए।

उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए

प्रासंगिक तथ्य क्या हैं?

1. गंगा अल्सेक के लिए काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वर्तमान में वह ऐसी नौकरी में नहीं है जिसे वह हमेशा से चाहती रही है।
2. उसे नोवाटेक्स से एक प्रस्ताव मिलता है, लेकिन उसका पति उसे याद दिलाता है कि इस समय वह अल्सेक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
3. उसने प्रतिस्पर्धी फर्मों में पाला बदलने वाले अपने सहयोगियों के संबंध में टीका-टिप्पणी की।

नीति शास्त्रीय मुद्दे क्या हैं?

1. क्या गंगा को इस तथ्य के बावजूद नोवाटेक्स में सम्मिलित हो जाना चाहिए कि वह वर्तमान परियोजना के पीछे प्रेरक बल है ?
2. गंगा को किस आधारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए ?

संभव समाधान

वर्तमान में, गंगा का वर्तमान नियोक्ता उसे शीर्ष निष्पादक मानता है और उनका व्यवहार गंगा के प्रति अच्छा है। एक प्रतिस्पर्धी कंपनी उसे लेना चाहती है। गंगा को उनके प्रस्ताव को सुनने एवं उस पर विचार करने का अधिकार है।

VISION IAS

वह अल्सेक में अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू चुकी है और नोवाटेक्स द्वारा प्रस्तावित ललचाने वाला यह पद विकास का अवसर प्रस्तुत करता है, और वह इस पर जिज्ञासावश या कैरियर की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर, विचार करना चाहती है।



यदि वह बुद्धिमानी से देखे, तो उसका वर्तमान नियोक्ता इसे निष्ठाहीनता के रूप में देख सकता है। वह स्पष्ट नीतिशास्त्रीय सीमाएं बनाए रखकर इस जोखिम को कम कर सकती है। सामान्य बुद्धिमत्ता रखने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या करेगा ?

- सर्वप्रथम, प्रतिस्पर्धी कंपनी का प्रस्ताव सुनने पर उसे इस बात के प्रति सुनिश्चित होना चाहिए कि उसे वे ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जो वे नहीं चाहते हैं कि वह जाने, यदि वह अपने वर्तमान नियोक्ता के लिए काम करना जारी रखती है। ऐसा करना उसकी सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता में वृद्धि करेगी।
- द्वितीय, प्रतिस्पर्धी का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले, वह अपने वर्तमान नियोक्ता को प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव देने का अवसर दे सकती है।
- तृतीय, यदि वह अपनी वर्तमान कंपनी छोड़ती है, तो उसे वर्तमान परियोजना को पूरा करके (जिससे वह जुड़ी है) उनके साथ समुचित व्यवहार करना चाहिए क्योंकि नीतिशास्त्र मांग करता है कि वह पूर्व नियोक्ता की आतंरिक जानकारियों को नए नियोक्ता से साझा नहीं करें ।
- चतुर्थ, उसे अपने वर्तमान नियोक्ता को विश्वास में लेते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नया प्रस्ताव बस उन्नति संबंध अवसर के लिया है और वह प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच पाला बदलने वाले कर्मचारियों को नकारात्मक रूप से देखने की चिंताओं को कम करेगी।
- इसके बाद, दो विकल्पों का आकलन करते हुए, उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या वह इस समय जोखिम उठाकर अपनी पसंद की नौकरी में जाकर या वर्तमान कंपनी में संभावित रूप से अच्छा अवसर खोने जैसी दोनों स्थितियों में से किसे लेकर एक वर्ष बाद अधिक पछतायेगी। इसे ध्यान में रखते हुए वह या तो अपने प्रतिस्पर्धी को फोन करे और मना करते हुए धन्यवाद कहे या फिर उन्हें हाँ कहे।

6.2. केस स्टडी 2

आप सड़क आयोग के इंजीनियरिंग प्रबंधक हैं जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व जिला सड़क की सुरक्षा है। सड़क के एक निश्चित हिस्से में इसके किनारे लगे वृक्षों से दुर्घटनाग्रस्त होकर विगत सात वर्षों में कम से कम प्रति वर्ष 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कई अन्य दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। सड़क के असुरक्षित खंड के संबंध में दो मुकदमे भी दायर किए गए थे, लेकिन इसलिए खारिज हो गए क्योंकि चालकों ने 45 मील प्रति घंटे की सीमा का उल्लंघन किया था। आप अनुशंसा करते हैं कि सड़क चौड़ी की जाए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30 पुराने पेड़ काट दिए जाएंगे। पर्यावरणीय समूह विरोध करते हैं और पेड़ों को बचाने के लिए 150 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका दायर करते हैं। इस मुद्दे के दोनों पक्षों पर सार्वजनिक बहस होती है।

"चर्चा कीजिए कि आप इस बिंदु पर कैसे आगे बढ़ेंगे।"

सामाजिक मूल्य: इस स्थिति से विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्य संबंधित हैं। समाज मानव जीवन को महत्व देता है, इसलिए यह सड़क चौड़ा करने और पेड़ों को काटने का पक्ष लेगा। समाज कानूनों के पालन को भी महत्व देता है। चूंकि यह तर्क दिया जा सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों की गति अधिक थी, इस प्रकार वे कानून का उल्लंघन कर रहे थे।

जिन कदमों का मैं अनुसरण करूँगा

1. सर्वप्रथम, मैं जनता को सूचित करने के लिए सार्वजनिक बैठक आयोजित करूँगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिका लगाने वाले लोगों की न्यूनतम संख्या प्रभावित लोगों का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा है (शहर में 60,000 तक, इसलिए सड़क चौड़ा करने के पक्ष में एक मूक बहुमत

VISION IAS

हो सकता है)। समझाऊंगा कि तकनीकी रूप से सबसे अच्छा समाधान सड़क को चौड़ा करना ही क्यों है।

2. जिले को सड़क को चौड़ा करना चाहिए और इष्टतम सुरक्षा के लिए मार्ग से सटे पेड़ों को हटा देना चाहिए।
3. जिले को विस्थापित पेड़ों को अन्य सार्वजनिक संपत्ति (उद्यान, आदि) में स्थानांतरित करने पर विचार करना चाहिए, यदि संभव हो और दोगुनी संख्या में पेड़ लगाना चाहिए।

यह समाधान सार्वजनिक सुरक्षा (जो मानव नीतिशास्त्र है) और पर्यावरण संरक्षण (जो पर्यावरणीय नीतिशास्त्र का भाग है), दोनों को समायोजित करता है।

6.3. केस स्टडी 3

पिछले महीने नागरिक निवारण से निपटने के दौरान आपके एक कर्मचारी ने निष्पादन में भारी गिरावट प्रदर्शित की थी। हालांकि यह गिरावट पिछले छह महीनों से चली आ रही थी, लेकिन यह पिछले महीने के दौरान विशेष रूप से तीव्र थी और आपको बहुत सी शिकायतें मिली थीं। इसके अतिरिक्त, वह देर से आने लगी थी, जिससे अपने काम से बहुत कुंठाग्रस्त लगती थी। उसकी कुंठा कार्यालय में वातावरण प्रभावित कर रही थी क्योंकि वह लोकप्रिय कर्मचारी थीं और पिछले दो वर्षों से कंपनी के लिए काम कर रही थी।

व्यक्तित्व/चरित्र और उसके मूल्यों और संगठनात्मक मूल्यों के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा **की जाने वाली कार्यवाही निम्नलिखित है। आप क्या विकल्प चुनेंगे साथ ही अपने चयनित विकल्प का औचित्य दर्शाइये।**

1. मैं उसे बातचीत के लिए बुलाऊंगा और समस्या का स्रोत पता लगाने का प्रयास करूँगा। मैं समझाऊंगा कि यह व्यवहार इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बुरा है और उसमें वह भी सम्मिलित है। मैं इस शर्त पर उसकी सहायता करने की अपनी सच्ची इच्छा व्यक्त करूँगा कि वह मेरे साथ काम करे, न कि मेरे विरूद्ध।
2. पदावनत करना सर्वाधिक उपयुक्त समाधान है। उसके कोई अन्य पद देना श्रेयस्कर रहेगा तथा उसको ऑफिस के बैक-एन्ड कार्य सौंपे जा सकते है। कर्मचारियों का मापन उपलब्धियों द्वारा किया जा रहा है और यदि वह आवश्यकताएं पूरी नहीं करती है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह कर्मचारियों में एक सम्मानित कर्मचारी है और मुझे उसे अन्य सभी कर्मचारियों को बिगाड़ने या उसके जैसा व्यवहार करने से रोकना होगा।
3. मैं नकारात्मक माहौल के संबंध में बात करने के लिए कर्मचारियों की बैठक बुलाऊँगा और यह सुनिश्चित करूँगा कि वह कर्मचारी वहां न हो ताकि कोई अस्वीकृति न हो।
4. वह पिछले दो वर्षों से काम कर रही है। साथ ही हो सकता हैं, की कुछ कारणों से वो अपना सर्वोत्तम प्रदान नहीं कर पा रही है। चूँकि जरूरत के अनुसार संवेदनशीलता मेरे काम का हिस्सा है, अत: उसे इस मामले में कुछ शिथिलता प्रदान करनी होगी।

6.4. केस स्टडी 4

एक सहकर्मी आपको कमतर करके आंक रहा है। इस समय आपके विभाग में उसका सबसे कम वरिष्ठ पद है और कम अनुभवी है। हालांकि, उसकी प्रभावशाली अकादमिक उपलब्धियां हैं और वह बहुत प्रतिभाशाली है। आपको सूचित किया जाता है कि वह कुछ उन प्राधिकारों को प्राप्त करने का इच्छुक हैं जो वर्तमान में आपके पास हैं।

VISION IAS



आप क्या करेंगे और क्यों? नीचे दिए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए और अपने जीवन में सीखे मूल्यों से जोड़ कर कारण बताइए।

A. मैं यह देखूँगा कि चीजें किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं; सिर्फ इसलिए कार्रवाई करना उचित नहीं है क्योंकि किसी तीसरे पक्ष ने किसी ठोस साक्ष्य के बिना मुझसे कुछ कहा है।

B. मैं उसे स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाऊंगा और इसे तुरंत रूकने के लिए कहूंगा। मैं समझाऊंगा कि सहयोग काम करने का श्रेष्ठ तरीका है और यह कि हम दोनों एक-दूसरे से सीख सकते हैं। यदि वह समझने से मना कर देता है तो मैं और अधिक गंभीर कदम उठाऊंगा।

C. मैं इन मुद्दों के साथ कोई कोर-कसर नहीं छोड़ूँगा, मुझे इस तथ्य का लाभ उठाना चाहिए कि अभी मैं आगे हूँ। मैं इसकी सूचना अपने पर्यवेक्षक को दूँगा, और उसे प्रतिस्थापन पर पुनर्विचार करने का परामर्श दूँगा।

D. मैं इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ और इसलिए मैं तीसरे पक्ष से उसे सूचित करने के लिए कहूँगा कि उसका व्यवहार अस्वीकार्य है।

6.5. केस स्टडी 5

डायमंड मर्चेंट स्टोर में हीरे की एक घड़ी चोरी हो जाती है। विनय द्वारा CCTV टेप के अध्ययन के आधार पर घड़ी की साज-संभाल करते हुए देखा गया एकमात्र व्यक्ति आभूषण सेल्समैन संतोष था, हालांकि यह ठीक-ठीक नहीं निर्धारित किया जा सकता था कि क्या संतोष ने ही घड़ी चुराई है। अन्य कर्मचारियों के विपरीत वह झूठ पकड़ने वाले परीक्षण में भी विफल रहा था। विद्या प्रबंधक है और वह ध्यान देती है कि संतोष के आवेदन में दोष है और पिछले कार्य अनुभव के साथ सुसंगत नहीं है। यदि विनय ने सुझाव नहीं दिया होता तो उसने संतोष के आवेदन में अनियमितताओं को नहीं देखा होता। वह यह भी नहीं सोचती है कि यदि संतोष ने घड़ी चुराई है तो उसे काम जारी रखने देना उचित नहीं है। हालांकि, वह महसूस करती है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के बावजूद दोषी सिद्ध न होने तक वह निर्दोष है।

नीतिशास्त्रीय मुद्दे क्या हैं?

1. चोरी के संदेह वाले कर्मचारी की सेवा समाप्ति के लिए सामान्यत: उपयुक्त आधार क्या हैं?
2. यदि किसी नियोक्ता के पास अत्यधिक सशक्त पारिस्थितिक साक्ष्य हैं कि कोई कर्मचारी चोरी का दोषी है, लेकिन साक्ष्य निर्णायक नहीं हैं तो क्या उन कारकों के आधार पर कर्मचारी की सेवा समाप्ति नीतिशास्त्रीय कदम है जो स्वयं से सेवा समाप्ति का वास्तविक कारण नहीं हैं?
3. चोरी के संदेह वाले कर्मचारियों के नैतिक अधिकार क्या हैं?

प्राथमिक हितधारक कौन हैं?

1. विद्या
2. विनय
3. संतोष
4. स्टोर के सभी अन्य कर्मचारी

संभव विकल्प क्या हैं?

- संतोष को उसके आवेदन पत्र में विसंगतियों के आधार पर निकालना।
- कुछ नहीं करना

VISION IAS

वैकल्पिक नीतिशास्त्र क्या हैं?



1. संतोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसे उसकी सेवा समाप्ति का वास्तविक कारण नहीं बताया जाता है? विद्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि संतोष को उसकी सेवा समाप्ति का वास्तविक कारण बताया जाता हैं? बोझ वितरित करने के इन दो तरीकों में से कौन-सा सर्वाधिक उचित है?
2. यदि संतोष का रोजगार समाप्त कर दिया जाता है, तो कौन लाभान्वित होगा और किस पर इसका बोझ आएगा? कौन लाभान्वित होगा और किस पर प्रभाव पड़ेगा यदि वह नहीं है? लाभ और प्रभाव का कौन-सा वितरण सर्वाधिक न्यायोचित है?
3. यदि विद्या कागजी बारीकी के कारण संतोष को निकाल देती है, तो क्या उसे इसका पालन करते हुए स्टोर के आभूषण विभाग के अन्य सदस्यों की भी जांच करनी चाहिए?

यदि संतोष ने वास्तव में घड़ी चुराई है, तो क्या उसके लिए रोजगार में बने रहना उचित होगा?

7. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न

(Past Year UPSC Questions)

2014

1. सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति (एटीटयूड) के निर्माण में कौन-से कारक प्रभाव डालते है ? हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियाँ व्याप्त है। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या-क्या विषम अभिवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं, इन विषम अभिवृत्तियों के अस्तित्व को आप किस प्रकार स्पष्ट करते है?

2015

1. लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति प्रदर्शित दो अलग-अलग प्रकारों की अभिवृत्तियों की पहचान अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति और लोकतांत्रिक अभिवृति के रूप में की गई है।
   (a) इन दो पदों के बीच विभेदन कीजिए और उनके गणों-अवगुणों को बताइए।
   (b) अपने देश का तेजी के विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित करना संभव है?

2016

1. सामाजिक प्रभाव और अनुनय स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते है? (150 शब्द)
2. जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियाँ आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती है, जिसमें हम बड़े होते हैं। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियाँ मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं।
   (a) आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए।
   (b) ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है तथा लोक सेवाओं के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक-नैतिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है?

2017

1. नैतिक आचरण वाले युवा लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते है। उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाइए। (150 शब्द)

VISION IAS

8. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न



(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions)

1. राष्ट्रों की एक-दूसरे के प्रति अभिवृत्ति को विनियमित करने में नैतिकता का प्रभाव अत्यल्प होता है, इसके कारणों की चर्चा कीजिए?

उत्तर: स्थानीय परिचालनों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण हेतु नैतिक निर्णय-निर्माण अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रों की अभिवृत्ति को विनियमित करने में नैतिकता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

- विदेश नीति का निर्माण करना सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार विदेश नीति निर्माण में नैतिक विचारों पर ध्यान दिया जाना सरकार पर निर्भर करता है, न कि किसी व्यक्ति अथवा नागरिकों पर (हालांकि बेहतर ढंग से संचालित लोकतंत्र में लोगों की इच्छा को सरकार द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है)।
- सरकार एक एजेंट है, सर्वोपरि नहीं है। इसका प्राथमिक दायित्व समाज के हितों को सुनिश्चित करना है, जिनका यह प्रतिनिधित्वक करता है न कि नैतिक आवेगों का, जिसका उस समाज के व्यक्तिगत तत्वों द्वारा अनुभव किया जाता है।
- राष्ट्र-राज्य की अवधारणा प्राय: देश के सैन्य सुरक्षा, क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता तथा लोगों के कल्याण से संबंधित होती है। इन एवं अन्य प्राथमिकताओं के कारण नैतिकता की अवधारणा सामान्यतया कम महत्वपूर्ण हो जाती है।
- राष्ट्रीय अस्तित्व की अपरिहार्य आवश्यकताओं को शायद ही कभी "अच्छे" अथवा "बुरे" के संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है।
- नैतिकता का कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदंड नहीं है, जिसके आधार पर कोई भी सरकार नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने की अपील कर सकती हो।
- संस्कृति-संचालित नैतिकता राष्ट्रों के मध्य भिन्न होती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करते हुए एक राष्ट्र के नीति निर्माताओं के लिए सख्त नैतिक संहिता का पालन करना कठिन हो जाता है।
- नैतिक दुविधा (Ethical dilemma) तब उत्पन्न होती है जब विदेश नीति निर्माताओं को ऐसे कार्यों को को किया जाना निर्धारित करना होगा जो कि उस देश में नैतिक रूप से अस्वीकार्य है, परन्तु अन्य देश में अपेक्षित और आवश्यक है।
- विदेशी नीतियों के निर्माण के पश्चात नैतिकता कम होने अथवा समाज के अनुरूप न होने पर उन्हें लागू किया जाना विपरीत प्रभाव उत्पन्न करेगा।

2. "जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म होता क्या है।" इस कथन की व्याख्या करें। साथ ही, भारतीय सन्दर्भ में राजनीतिक दृष्टिकोण के निर्माण में धर्म की भूमिका की जांच करें।

दृष्टिकोण:

यह उद्धरण महात्मा गांधी का है जो लोगों के राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण के गठन में धर्म के महत्व को रेखांकित करता है। उत्तर को निम्न प्रकार से गठित किया जा सकता है:

- कथन और इसकी पूर्वधारणा की विस्तृत व्याख्या करें।
- इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार धर्म ने भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

VISION IAS

उत्तर:



साम्प्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन तथा एक विशिष्ट धार्मिक विचारधारा से सम्बंधित राजनीतिक दलों का अस्तित्व महात्मा गांधी के उपर्युक्त उद्धरण के दृष्टांत तथा प्रमाण हैं। भारत जैसे एक विकासशील समाज में, जहां परम्परा आधुनिक प्रथाओं से सह-अस्तित्व बनाए रखती है, धर्म समाज में सत्ता के वितरण में अब भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, यह विचार कि राजनीति धार्मिक विचारों से निरापद है, भारतीय समाज के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में धर्म की शक्तिशाली भूमिका की अज्ञानता तुल्य है। यह कहा जा सकता है कि धर्म आज भी भारत में लोगों के बड़े वर्ग के राजनीतिक दृष्टिकोण को मूल रूप से निर्मित करता है।

यद्यपि परिवार, जाति, नस्लवाद, क्षेत्र, वृत्ति जैसे कई विभिन्न कारक हैं जो लोगों के सामान्य राजनीतिक दृष्टिकोण का निर्धारण करते हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्थिति के विभिन्न सन्निहित कारण निम्नलिखित हैं:

- विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना के बाद भी विविध अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों की अपेक्षा एक धर्म के प्राबल्य ने सामाजिक-राजनीतिक जीवन में धार्मिक पहचान को महत्वपूर्ण बना दिया।
- औपनिवेशिक दौर में समाज को धार्मिक-राजनीतिक आधार पर विभाजित करने हेतु धार्मिक पहचान पर बल दिया गया था। तभी से भारत के राजनीतिक परिदृश्य में धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक शक्ति बन गया।
- धर्म समाज का नैतिक ढांचा प्रदान करता है जो राजनीतिक कार्यों को भी प्रभावित करता है। जैसे गौ-मांस के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, समाज में नारी की भूमिका आदि।
- राजनीतिक स्वार्थों हेतु धार्मिक पहचानों का उपयोग करना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि वे पुरातन हैं और जनता पर अनुनादी प्रभाव पैदा करते हैं या सरलता से उनकी समझ में आ जाते हैं।

3. "अनुनय से समाज सुचारू रूप से काम करता है जबकि अवपीड़न इसे ठहराव की स्थिति में ला देता है।" समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावकारी भूमिका के तौर पर अनुनय की प्रभावशीलता की तुलना अवपीड़न के साथ करें। समाज से वर्तमान सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लोक सेवक किस प्रकार अनुनय का उपयोग कर सकते हैं?

दृष्टिकोण:

प्रश्न का मूल विषय दूसरों को प्रभावित करने और समाज में परिवर्तन लाने में अनुनय के महत्व की तुलना अवपीड़न के साथ करना है। उत्तर की संरचना निम्नलिखित प्रकार से निर्मित की जा सकती है:

- संक्षेप में अनुनय और अवपीड़न को परिभाषित करें।
- उदाहरण देते हुए उन स्थितियों का परीक्षण करें जिसमें अनुनय अवपीड़न की तुलना में अधिक उत्तम रणनीति सिद्ध होती है।
- तृतीय, ऐसे कुछ तरीकों/उपायों का सुझाव दें जिसके माध्यम से लोक सेवक कुछ विशेष सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अनुनय का उपयोग कर सकें।

VISION IAS

उत्तर:



हमारे विचार और कार्य अन्य लोगों से प्रभावित होते हैं चाहे हम निष्क्रिय रूप उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहे हों या सक्रिय रूप से उनके अनुरोध का अनुपालन कर रहे हों। दैनिक जीवन में हम या तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर लोगों के विचारों और मान्यताओं में परिवर्तन लाने हेतु उन्हें समझाने में अनुनय का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, अनुनय दूसरों के दृष्टिकोण/धारणाओं में परिवर्तन लाने का सचेत प्रयास है। इसमें 'हृदय और मन' जीतने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति की अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा या व्यवहार पर प्रभाव डाला जाता है। वहीं दूसरी ओर अवपीड़न, बल या धमकी का उपयोग करके कुछ करने हेतु किसी को बाध्य करना है। इसका निहितार्थ यह है कि कार्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होता है।

अवपीड़न की तुलना में अनुनय की प्रभावशीलता

- अनुनय, व्यक्ति की सोच, हृदय व मन में परिवर्तन लाने पर निर्भर करता है। यह स्वेच्छा से लोगों के विश्वास या कार्यों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल देता है। वहीं दूसरी ओर अवपीड़न में धमकी, शक्ति, दण्ड का उपयोग होता है ताकि व्यक्ति तदनुसार/ गैर-स्वैच्छिक रूप से कार्य करने के लिए विवशता का अनुभव करे।
- अनुनय की रणनीतियों में प्रेरणादायी अपील, परामर्श और सहयोग सम्मिलित होता है। ये समाज में परिवर्तन लाने के लोकतांत्रिक तरीके हैं। जिन लोगों को मनाया जाता है, वे एक साथ किसी और विशेष कार्रवाई करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। जबकि, अवपीड़न व्यक्ति को बलपूर्वक, आरोपित और अलोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन स्वीकार करने के लिए विवश करता है।
- हालांकि अनुनय की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है तथापि, इसमें प्रतिशोध या बदला लेने की अवधारणा का स्थान नहीं होता। अनुनय के साधनों के अधिक स्थायी और अधिक बेहतर होने की संभावना होती है। जबकि वहीं धौंस दिखाकर बाध्य करने पर, प्रतिकार करना और पहला अवसर मिलते ही उसे नहीं मानना मानव का स्वभाव है।

उदाहरण: जनसंख्या नियंत्रित करने के क्रम में परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने के लिए लोगों का मन बदलने के लिए, अनुनय अवपीड़न की तुलना में अधिक प्रभावी तकनीक है क्योंकि परिवार नियोजन के तरीके अपनाने से समाज में विभिन्न समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं। यदि अवपीड़न का उपयोग किया जाता है तो कई लोग प्रतिकार करते हैं (जैसा कि 1976-77 में स्पष्ट हुआ था जब परिवार नियंत्रण के उपायों को लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करते हुए लोगों पर थोपा गया था)।

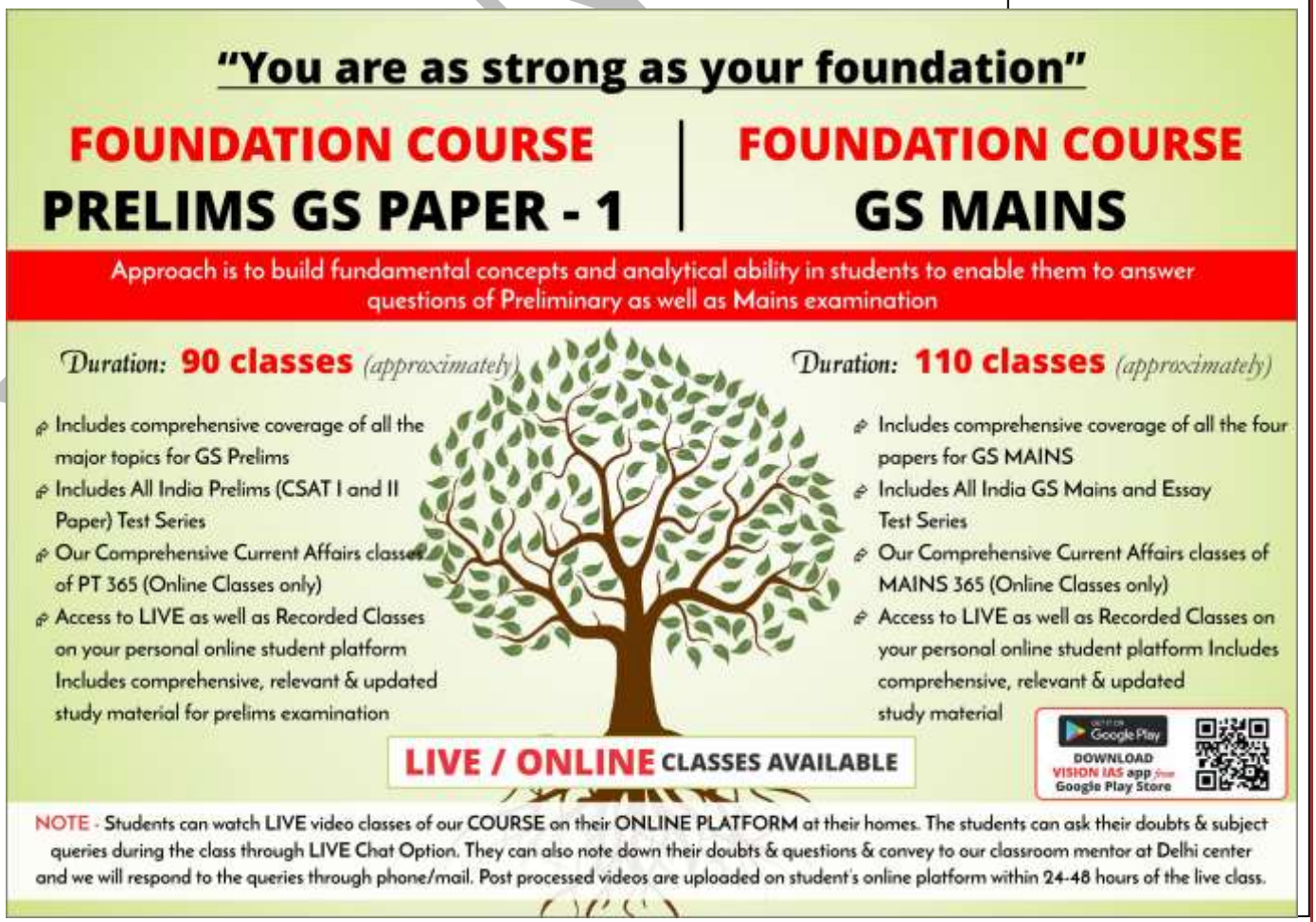
वे तरीके जिसका लोक सेवकों द्वारा अनुनय के रूप में उपयोग किया जा सकता है-

- सरकार के सभी स्तरों पर कार्यरत लोक सेवक पर्याप्त विवेकाधिकार और प्राधिकार का उपभोग करते हैं और प्रायः लोगों के जीवन पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे नीतियों के विकास, करों के व्यय और सेवाओं के वितरण को प्रभावित करते हैं।
- यदि विवेकपरक/तार्किक अनुनय का तथ्यों और तर्कों के साथ उपयोग किया जाता है, तथा जब ये सकारात्मक लाभों पर आधारित है, तो यह व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन

VISION IAS

लाने में एक अच्छी रणनीति का काम करता है। उदाहरण-'स्वच्छ भारत अभियान'- सामूहिक समुदायिक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता का उपयोग करता है। इसके साथ ही लिंग अनुपात में गिरावट के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए यदि समग्र समाज पर इसके प्रभावों को तथ्यों, आंकड़ों और रिपोर्टों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए और लड़कियों की शादी व सुरक्षा संबंधी स्थितियों पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया जाए तो बलप्रयोग की रणनीति की तुलना में इसका दीर्घकालिक प्रभाव अधिक होता है।

- यदि जिले/राज्य में नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठन, धार्मिक समूह, युवाओं, बुजुर्गों, महिला संगठनों आदि जैसे समाज के सभी हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाता है तो सिविल सेवक समाज में परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई के विशेष विकल्प का चयन पारस्परिक सहमति से कर सकते हैं। उदाहरण- जब भी बालिका शिशु जन्म लेती है तो लोगों/परिवार का दृष्टिकोण बदलने के लिए "बेटी के साथ सेल्फी" जैसी नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना।



9. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज



(UPSC Previous Years Question Paper :Case Studies)

1. आप आई.ए.एस. अधिकारी बनने के इच्छुक हैं और आप विभिन्न चरणों को पार करने के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए हैं। साक्षात्कार के दिन जब आप साक्षात्कार स्थल की ओर जा रहे थे तब आपने एक दुर्घटना देखी जहाँ एक माँ और बच्चा जो कि आपके रिश्तेदार थे, दुर्घटना के कारण बुरी तरह से घायल हुए थे। उन्हें तुरंत सहायता की आवश्यकता थी। आपने ऐसी परिस्थिति में क्या किया होता? अपनी कार्यवाही का औचित्य समझाइए।

2. हमारे देश में, ग्रामीण लोगों का कस्बों और शहरों की ओर प्रवसन तेजी के साथ बढ़ रहा है। वह ग्रामीण और नगरीय, दोनों क्षेत्रों में विकट समस्याएँ पैदा कर रहा है। वास्तव में, स्थिति यथार्थ में अप्रबन्धनीय होती जा रही है। क्या आप इस समस्या का विस्तार से विश्लेषण कर सकते है और इस समस्या के लिए जिम्मेदार न केवल सामाजिक-आर्थिक, वरन् भावनात्मक और अभिवृत्तिक कारकों को बता सकते है? साथ ही, स्पष्ट रूप से उजागर कीजिए कि क्यों ?

   (a) शिक्षित ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहे हैं;

   (b) भूमिहीन निर्धन लोग नगरीय मलिन बस्तियों में प्रवसन कर रहे हैं;

   (c) यहाँ तक कि कुछ किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में छोटी-मोटी नौकरियाँ लेकर बसने की कोशिश कर रहे हैं।

   आप कौन-से साध्य कदम सुझा सकते हैं, जो हमारे देश की इस गम्भीर समस्या का नियंत्रण करने में प्रभावी होंगे?

3. आप एक पंचायत के सरपंच है। आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल में उपस्थित होने वाले बच्चों को दिवस-मध्य भोजन (मिड-डे मील) दिया जाता है। हेडमास्टर ने अब भोजन तैयार करने के लिए एक नया रसाईया नियुक्त कर दिया है। परंतु जब यह पता चला कि रसोइया दलित समुदाय का है, उच्च जातियों के बच्चों में से लगभग आधों को उनके माँ-बाप भोजन करने की इजाजत नहीं देते हैं। फलस्वरूप स्कूल में बच्चों की उपस्थिति तेजी से घट गई। इसके परिणामस्वरूप दिवस-मध्य भोजन की योजना को समाप्त करने और उसके बाद अध्यापन स्टाफ को हटाने और बाद में स्कूल को बंद करने की संभावना पैदा हो गई।

   (a) इस संघर्ष पर काबू पाने ओर सही एवं सुखद वातावरण बनाने की कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए।

   (b) ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक सामाजिक सुखद वातावरण बनाने हेतू विभिन्न सामाजिक खंडों और अभिकरणों के क्या कर्तव्य होने चाहिए?

4. हाल में आपको एक जिले के जिला विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद जल्दी ही आपने पाया कि आपके जिले के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। गाँव के बड़े महसूस करते हे कि अनेक समस्याएँ पैदा हो गई है क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और व घर के सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रख रही है। उनका विचार यह है कि लड़कियों की न्यूनतम शिक्षा के साथ जल्दी से जल्दी शादी

VISION IAS



कर दी जानी चाहिए। शिक्षा के बाद लड़कियाँ नौकरी के लिए भी स्पर्द्धा कर रहीं है, जो परंपरा से लड़को का अपना क्षेत्र रहा है, और पुरूषों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही है। युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में, लड़कियों को शिक्षा और रोजगारी तथा जीवन-निर्वाह के अन्य साधनों के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समस्त इलाका वयोवद्धों और युवाओं के बीच तथा उससे आगे दोनों पीढियों में स्त्री-पुरूषों के बीच विभाजित है। आपकों पता चलता है कि पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में या व्यस्त चौराहों पर भी, इस मुद्दे पर गरमागरम वाद-विवाद हो रहा है। एक दिन आपकों सूचना मिलती है कि एक अप्रिय घटना हुई है। कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई जब वे स्कूलों के रास्ते में थी। इस घटना के फलस्वरूप कई सामाजिक समूहों के बीच झगड़े हुए और कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। गरमागरम वाद-विवाद के बाद बड़े-बूढों ने लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति न देने और जो परिवार उनके हुक्म का पालन नहीं करते हे, ऐसे सभी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय ले लिया।

(a) लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना, लड़कियों की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे?

(b) पीढियों के बीच संघषों में समरसता सुनिश्चित करने के लिए आप गाँव के वयोवद्धों की पितृतंत्रात्मक अभिवृत्ति का किस प्रकार प्रबंधन का और ढालने का कार्य करेंगे ?

10.Vision IAS टेस्ट सीरीज़ : केस स्टडीज़

(Vision IAS Test Series : Case Studies)

1. **आप एक ऐसे जिले में जिला मजिस्ट्रेट हैं जहां बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर रहते है। यद्यपि इस समुदाय के विरूद्ध भेदभाव सुविदित है, तथापि यात्री उनके हाथों, विशेषकर यातायात जंक्शनों पर अधिकाधिक उत्पीड़न की शिकायत करते हैं, जहां ट्रांसजेंडर अधिकांशतः भीख मांगने में शामिल होते हैं। कभी-कभी, इससे यातायात प्रबंधन की समस्या भी पैदा होती है। इस संबंध में आपको कई शिकायतें मिली हैं और इसे हल करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी है। हालांकि, ट्रांसजेंडर संघ के एक समूह का कहना है कि भीख मांगना उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। इस स्थिति को देखते हुए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:**

   (a) इस प्रकरण से जुड़े नैतिक मुद्दों का वर्णन कीजिए। ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति जनसामान्य के सामान्य दृष्टिकोण और उसके कारणों पर चर्चा कीजिए।

   (b) ऐसी स्थिति में क्या संभव कार्रवाई की जा सकती है? उनके गुणों और अवगुणों पर चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- मुद्दे से संबंधित नैतिक पक्षों और ट्रांसजेंडर के प्रति लोगों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के कारणों पर चर्चा कीजिए।
- सम्भावित कार्रवाई के गुणों और दोषों पर चर्चा कीजिए।आप कुछ दीर्घकालिक समाधान सुझाकर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

उत्तर :



दिए गये प्रकरण में समाज के वंचित वर्गों के मुद्दें सम्मिलित हैं। यह मुद्दा भेदभाव के उन प्रतिस्पर्धात्मक हितों से संबंधित है, जिनका ट्रांसजेंडरो को सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सहभागिता या वे तरीके जिनका वे अपनी आजीविका निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं।

(a) इस मुद्दे से संबंधित नैतिक पक्ष इस प्रकार हैं:

- **आजीविका बनाम सुविधा:** ट्रांसजेंडरों द्वारा भीख मांगने से यात्रियों को असुविधा होती है और अतिरिक्त समस्याएं जैसे यातायात में भीडभाड आदि पैदा होती हैं। जहाँ एक ओर ट्रांसजेंडरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ उन्हें भीख मांग कर जीविकोपार्जन करने के लिए विवश करती हैं और वहीं कई बार उनकी गतिविधियाँ आम जनता के लिए असुविधाजनक हो जाती हैं।
- **ट्रांसजेंडरों से भेदभाव बनाम यात्रियों का उत्पीड़न:** सामान्य रूप से समाज दोनों मार्गों पर नहीं चल सकता है, अर्थात्, जनसंख्या के एक वर्ग हेतु समुचित आय अर्जित करने के विकल्पों को सीमित करना और साथ ही उसी समय उनके द्वारा आजीविका अर्जित करने के लिए उपयोग किए जा रहे सीमित साधनों पर आपत्ति करना।
- **वंचित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु नागरिकों द्वारा पंजीकृत शिकायतों पर कार्रवाही करने के लिए कलेक्टर की प्रतिबद्धता:** चूंकि बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गयी हैं, इसलिए यह कलेक्टर का कर्तव्य है कि ट्रांसजेंडरों की आजीविका के अधिकार की सुरक्षा हेतु संतुलन बनाते हुए इस संकट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी ले।

ट्रांसजेंडरों के प्रति लोगों का सामान्य दृष्टिकोण:

- **भेदभावपूर्ण व्यवहार:** यह उनके वर्ग और लिंग पर आधारित होता है। यह भेदभाव ट्रांसजेंडर को भारतीय समाज के सर्वाधिक अधिकारविहीन और वंचित समुदाय में से एक बना देता है।
- **गैर-समावेशी:** उन्हें अप्राकृतिक और उपहास का पात्र माना जाता है और अन्धविश्वास के कारण लोग उनसे भय खाते हैं।
- **असमानता और उपेक्षित व्यवहार :** ट्रांसजेंडर समुदाय अधिकारों (नागरिक अधिकारों, जैसे गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार) और विकास (शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगारों में आरक्षण) से लम्बे समय से उपेक्षित होने के कारण पूरी तरह से एकांतवासी हो गया है।
- **लापरवाही और उपेक्षा:** संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक होने से वे वोट बैंक के रूप में कम महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, जो विधायिका और प्रशासन द्वारा उनकी उपेक्षा का मार्ग प्रशस्त करता है।

इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण

- समाज में जिसे 'सामान्य' माना जाता है, वे उससे भिन्न हैं।
- प्राचीन समय से उनके साथ हर जगह लिंग आधारित भेदभाव एक सामान्य बात हो गई है। उन्हें मनुष्य के रूप में देखने के स्थान पर मनोरंजन की वस्तु के रूप में देखा जाता है।
- अपने परिवार और समाज द्वारा त्याग दिए जाने से वे आजीविका के तुच्छ साधनों की ओर उन्मुख होते हैं। मूल कारण समझे बिना लोग उनको नीचा समझने लगते हैं। लिंग पहचान की बदलती अवधारणा को समाज गलत तरीके से समझता है।

VISION IAS

- समुदाय की संकीर्ण प्रकृति के कारण उनके चारों ओर कई तरह के अन्धविश्वास भी पैदा हो गये हैं, यह अनुभव किये बिना ही उन्हें त्याग दिया गया है, न कि वे स्वयं एकांत पसंद करते हैं।



(b) सम्भावित कार्रवाही का मार्ग:

- **इस विषय पर ध्यान न दें क्योंकि भीख मांगना ट्रांसजेंडर के लिए आजीविका का मुद्दा है।**
  गुण: इससे ट्रांसजेंडर के लिए यातायात जंक्शनों पर धन एकत्र करने का मार्ग खुला रहेगा।
  दोष : इसका अर्थ कर्तव्य की उपेक्षा करना होगा और दीर्घावधि में इससे न ही ट्रांसजेंडर और न ही समान्य जनता का भला होगा। इसके अतिरिक्त भीख मांगना एक अपराध है। जान-बूझकर भीख मांगने की अनुमति देना उनसे मिली-भगत होगी। इसके अलावा यह यात्रियों को हो रही वास्तविक समस्या का समाधान भी नहीं करता है।
- **यात्रियों के उत्पीड़न में लिप्त ट्रांसजेंडरों को कठोर चेतावनी देना। इसके अतिरिक्त यातायात चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर इस संकट को रोकना।**
  गुण : यह ट्रांसजेंडरों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न और यातायात की समस्या पर भी रोक लगा सकता है।
  दोष : इससे ट्रांसजेंडरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो मुख्य रूप से भीख मांगने पर निर्भर करती है और समान्य जनता द्वारा उनसे भेदभाव किया जाता है। चूंकि इस क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों की समस्या अधिक है, इसलिए इससे कानून-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
- **ट्रांसजेंडरों के मुद्दे पर लोगों को संवेदनशील बनाने के साथ-साथ उनके पुनर्वास के उपायों के साथ कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक समिति की स्थापना और यातायात चौराहों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।**
  गुण: ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यह वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। वास्तव में, इस प्रकार का अवसर प्रदान किये जाने से वे प्रसन्नता से अपने कार्य में परिवर्तन कर लेंगे। इससे नागरिकों की शिकायतों का भी समाधान होगा और दीर्घावधि में, ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त हो सकता है।
  दोष: यह दीर्घावधि में परिणाम देने वाला कदम है। इससे अल्पावधि में ट्रांसजेंडरों की आय के स्रोत में बाधा आ सकती है। यह कदम इस धारणा को भी बल देगा कि सामान्य समाज के अधिकार वंचित वर्गों के अधिकारों से अधिक मूल्यवान हैं।
  यद्यपि आम जनता को राहत प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है किंतु ट्रांसजेंडर समुदाय के दृष्टिकोण के साथ भी सहानुभूति होनी चाहिए, अन्यथा लम्बे समय तक यह स्थायी समाधान नहीं होगा और यथास्थिति बनी रहेगी। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विशेष सुविधाप्रदान किये जाने के दिशा-निर्देशों से इस समुदाय को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में सहायता प्राप्त होगी।

2. आप एक ऐसे राज्य में सिविल सेवक के रूप में तैनात हैं जहां हाल ही में चुनाव हुए थे। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अपने कई चुनावी अभियानों के साथ-साथ चुनाव घोषणापत्र में शराब पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था, जिसकी राज्य की महिलाओं ने व्यापक रूप से प्रशंसा की थी और समर्थन दिया था। अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है। प्रतिबंध के बाद, प्रतिबंध की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए गये हैं और क्या सरकार को कई लोगों द्वारा जिसे व्यक्तिगत पसंद के विषय बताया गया है, उस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

(a) इस मामले में हितधारक कौन हैं और प्रतिबंध से वे किस प्रकार प्रभावित हैं?

VISION IAS

(b) क्या शराब पर पूर्ण प्रतिबंध एक व्यवहार्य कार्रवाई है?

(c) एक सिविल सेवक के रूप में इन प्रतिबंधों को लागू करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं की पहचान कीजिए और उनसे निपटने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे ?



दृष्टिकोण:

- इस मामले में हितधारकों और उन पर शराब प्रतिबन्ध के प्रभाव की पहचान कीजिए।
- क्या पूर्ण प्रतिबन्ध एक व्यवहार्य कार्रवाई है या सरकार द्वारा बलपूर्वक की गयी एक कार्रवाई है, टिप्पणी कीजिए।
- प्रतिबंध लागू होने के पश्चात उठने वाले मुद्दों के बारे में बताइए और उनसे निपटने के उपाय सुझाइए।

उत्तर:

इस परिदृश्य में, राज्य के नए मुख्यमंत्री द्वारा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है, जो विभिन्न प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है।

(a) विभिन्न हितधारक और प्रतिबन्ध से उन पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं:

- जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उन्हें प्रतिबन्ध के पश्चात नशीले पदार्थों के प्रतिकार के लक्षणों का सामना करना पड़ेगा।
- उनके सम्बन्धी और मित्र, विशेषकर महिलाएं, जिन्होंने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का सामना किया है। परन्तु उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि शराब की लत वाले व्यक्तियों को तत्काल नशामुक्ति केन्द्रों पर ले जाया जाएं।
- सरकार, जिसे कि राजकोष को भारी राजस्व क्षति के कारण सामाजिक व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त, कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी बनाये रखना होगा।
- शराब आपूर्तिकर्ता और व्यापारी,को आजीविका के वैकल्पिक साधनों की खोज करनी पड़ेगी।
- बड़े पैमाने पर समाज, जैसा कि यह शराब की लत से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

(b) व्यापक प्रतिबंध व्यवहार्य है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए लाभ और हानि, दोनों का ही विश्लेषण करना होगा:

लाभ:

- घरेलू हिंसा के मामले कम होंगे और बच्चों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा।
- लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, जिसके परिणामस्वरूप, सरकारी सेवाओं जैसे अस्पतालों, दवा विक्रेताओं आदि पर दबाव कम पड़ेगा।
- घरेलू बचतों में वृद्धि।
- इसके कारण कम सड़क दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि ड्राइवर शराब पी कर गाड़ी नहीं चलाएंगे।
- यह संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुरूप है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बल देता है।

हानियाँ:

- पूर्ण प्रतिबन्ध व्यक्ति की चयन की स्वतन्त्रता के अधिकार का हनन करता है।
- इससे राजकोष में राजस्व की भारी क्षति होगी। उस धन का कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग हो सकता था।
- 'काला बाजारी' के उद्भव के कारण शराब की तस्करी में वृद्धि देखने में आ सकती है क्योंकि इन बाजारों को विनियमित नहीं किया जायेगा, नकली शराब की बिक्री होगी, जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

VISION IAS



- शराब का उपयोग कुछ धार्मिक उत्सवों में भी किया जाता है, उदाहरण के लिए इसाइयों द्वारा दीक्षा के समय। इसलिए यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकता है।
- शराब के उत्पादन और वितरण में संलग्न लोगों के लिए बेरोजगारी।
- शराब की लत से पीड़ित लोगों के तत्काल पुनर्वास की लागत।

पूर्ण प्रतिबन्ध के जहाँ सकारात्मक पक्ष हैं, यह पूरी तरह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वयस्कों को उनकी पसंद और निर्णय लेने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबन्ध लागू करने के स्थान पर शराब उत्पादन, बिक्री, और वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए, अन्यथा इसे सरकार की एकपक्षीय बलपूर्वक कार्रवाई समझा जायेगा। शराब पीना एक सामाजिक मुद्दा है, इसलिए इसे केवल विधायी माध्यमों से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अतः प्रतिबन्ध को प्रभावी बनाने हेतु हमें सम्बन्धित सामाजिक परिवर्तन भी लाना होगा।

नोट: उचित औचित्य के साथ प्रतिबन्ध के पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं।

शराब की लत समाज के लिए एक संकट बनी हुई है खास तौर से निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर पर महिलाएं असमान रूप से इससे जूझ रही हैं। केवल इस बात का बहाना बनाकर कि इससे कुछ व्यक्तियों के अपना आहार चुनने के अधिकारों की कटौती होगी, सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के प्रयासों को रोका नहीं जाना चाहिए। भावनाओं के आधार पर प्रतिबन्ध को प्रश्नगत किया जा सकता है, लेकिन घरेलू हिंसा (जिसकी अधिकांशतः रिपोर्ट ही नहीं होती), यातायात नियमों का उल्लंघन, और हानिकारक देशी शराब की खपत के अनुभवजन्य सबूतों के आधार पर प्रतिबन्ध लगाने के पीछे मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य उपस्थित हैं। यदि परिवर्तन स्वयं नहीं होते हैं तो सरकार को लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते परिवर्तन के लिए पहल करने का अधिकार है।

(c) इस मामले में जो मुद्दे उठ सकते हैं, और वे उपाय, जिनके माध्यम से सिविल सेवक उनसे निपट सकते हैं:

- व्यसनियों में प्रतिकार के लक्षण : यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यसन मुक्ति हेतु पर्याप्त नशामुक्ति और सक्षम पेशेवर व्यक्तियों से युक्त पुनर्वास केंद्र उपलब्ध हों।
- कालाबाजारी और नकली शराब का वितरण: नियमित अन्तराल पर, विशेष रूप से सीमा पर चौकियों पर जाँच होती रहे। इसके आतिरिक्त, रेस्तरां और बार की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए।
- व्यापारियों और शराब उत्पादकों की आजीविका पर संकट: नीति का फोकस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, शराब के नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूकता हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, NGOs, मीडिया आदि के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

3. आप देश की एक शीर्ष IT कंपनी के प्रबंधक हैं। आपको आगामी परियोजना के लिए नई भर्तियाँ करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आप पाते हैं कि सरकार द्वारा पारित किए गए नवीन मातृत्व कानून के आलोक में कंपनी ने महिला अभ्यर्थियों की भर्ती न करने का अकथित निर्देश दिया है। आप इसे अत्यधिक आपत्तिजनक पाते हैं और प्रबंधन के उच्च अधिकारियों के पास विरोध दर्ज करते हैं, लेकिन वे दृढ़ हैं क्योंकि वे सभी अनावश्यक व्यय में कमी करना चाहते हैं।

इस जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए:

(a) इस स्थिति में हितधारकों और उनके हितों की पहचान कीजिए।

VISION IAS

(b) ऐसी परिस्थिति में भर्ती प्रबंधक द्वारा किन धर्मसंकटों का सामना किया जा सकता है?

(c) आपके पास कौन से विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं? आप किसका अनुसरण करेंगे और क्यों?



दृष्टिकोण:

- भर्ती प्रबंधक, कंपनी, महिला उम्मीदवार, सरकार और समाज जैसे हितधारकों के साथ-साथ उनके हितों को सूचीबद्ध कीजिए।
- उन दुविधाओं पर चर्चा कीजिए जिनका आप सामना कर रहे हैं।
- उपलब्ध विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए। दी गई परिस्थितियों और नैतिक आचरण के आलोक में प्रत्येक का विश्लेषण कीजिए। एक का चयन कीजिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं।

उत्तर:

(a)

हितधारक	हित
कंपनी/उच्च प्रबंधन	कंपनी का हित प्रति कर्मचारी आने वाली लागत कम करके लाभ अधिकतम करना होता है। महिला कर्मचारी की स्थिति में मातृत्व अवकाश की लागत कंपनी को वहन करनी पड़ती है। इसलिए, उच्चस्तरीय प्रबंधन महिला उम्मीदवारों की भर्ती करने से बचना चाहता है।
भर्ती प्रबंधक (स्वयं)	मेरी पहली रूचि लिंग से निरपेक्ष होकर सूचीबद्ध पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती करने में है। ऐसी स्थिति में मेरी दुविधा अन्यायपूर्ण नीतियों के विरूद्ध खड़ा होते हुए प्रबंधन से टकराव से बचना है।
महिला उम्मीदवार	उनका हित कंपनी में नौकरी पाने का निष्पक्ष अवसर प्राप्त करने में निहित होता है। दीर्घकाल में, वे भर्ती और पदोन्नति में समानता और सुरक्षित कामकाजी वातावरण की अपेक्षा करती हैं।
सरकार और समाज	ये हितधारक कार्यस्थल पर लैंगिक समानता चाहते हैं। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि मातृत्व से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से कानून बनाकर और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से पर्याप्त रूप से निपटना चाहिए। यद्यपि विभिन्न मातृत्व कानून मातृत्व अवकाश, नियमित आय का प्रवाह और रोज़गार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र इनसे कार्यस्थल पर लिंगनिरपेक्ष जीवंत संस्कृति के लिए आवश्यक सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है।

(b) दुविधा: उच्चस्तरीय प्रबंधन का आदेश स्वीकार करना और किसी महिला उम्मीदवार का चयन करने से बचना बनाम निष्पक्ष रूप से लिंग निरपेक्ष होकर उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति करना।

इसके अतिरिक्त, मुझे सिर्फ लिंग विशेष के कारण बेहतर उम्मीदवार को न भर्ती करने की परेशानी से जूझना पड़ सकता है। इससे उत्पादकता में कमी आएगी और कंपनी के लिए दीर्घकालिक लागत बढ़ जाएगी। इससे जुड़ी एक और दुविधा इस समाज में मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रह है। इसका कारण समानता के विचार के साथ पितृसत्तात्मक रवैये का टकराव है। इस परिस्थिति को बदलने की जरुरत है। कार्यस्थल पर लैंगिक विविधता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है; हालांकि, कंपनी द्वारा दिए गए वर्तमान निर्देश इस सिद्धांत के विरूद्ध जाते हैं।

VISION IAS

(c) उपलब्ध विभिन्न विकल्प:



- महिला उम्मीदवारों को नकारना: हालांकि इस विकल्प से, मैं उच्चस्तरीय प्रबंधन के साथ टकराव से बच जाऊँगा/जाऊँगी, लेकिन यह मूलभूत मानवाधिकारों और समानता के संवैधानिक लोकाचार के विपरीत होगा। इससे हमारे कई योग्य उम्मीदवार छँट जाएंगे और उम्मीदवारों का पूल छोटा हो जाएगा। इससे दूरदर्शिता की कमी और संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित होती है।
- निष्पक्ष रूप से और भेदभाव के बिना उपयुक्त उम्मीदवार की भर्ती: इससे सुनिश्चित होगा कि सबसे सक्षम और योग्य उम्मीदवार नौकरी के लिए भर्ती किए जाएं।

विकल्प जिसका मैं अनुसरण करूँगा/करूँगी: यहाँ टकराव से कोई रास्ता नहीं निकलेगा तथा अनुनय ही एकमात्र उपाय है। कंपनी को राजी करने का सबसे उचित तरीका रवैये में बदलाव लाना है लेकिन इसे तत्काल अपनाना मुश्किल होगा। यदि मैं वस्तुनिष्ठ रूप से प्रदर्शित कर सकूँ कि पुरुषों की तुलना में महिला कर्मचारियों की भर्ती पर आने वाली लागत बहुत अधिक नहीं होती है और यह भी कि उत्पादकता लिंग से स्वतंत्र होती है, तो मैं रवैये में परिवर्तन लाने में सक्षम होऊंगा/होउंगी। मैं इस प्रकरण में HR विभाग और यदि आवश्यक हो, तो कंपनी के शासी मंडल की सहायता भी लूंगा/लूंगी।

भर्ती के संबंध में, मुझे लिंग के संबंध में उम्मीदवारों के अपने मूल्यांकन में पक्षपाती न होकर वस्तुनिष्ठ होना होगा। मेरे द्वारा उनका उनकी क्षमता के साथ-साथ नौकरी हेतु आवश्यक योग्यता के आधार पर आकलन किया जाएगा। अगर जॉब प्रोफ़ाइल किसी विशेष लिंग संबंधी उम्मीदवार की मांग नहीं करती है, तो इन अकथित निर्देशों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तव में यह भी संभव है कि ये निर्देश कंपनी की नीतियों के विपरीत हों। मैं HR को ऐसे निर्देशों के संबंध में सूचित करूँगा/करूँगी क्योंकि लैंगिक भेदभाव न केवल गैरकानूनी है बल्कि कंपनी की संगठनात्मक संस्कृति और सामाजिक छवि को भी दूषित करता है। इसके अतिरिक्त, मैं अपने सहयोगियों, विशेषकर अपने संगठन में काम करने वाली महिलाओं को सम्मिलित करके लैंगिक-संवेदनशीलता अभियान चलाऊंगा/चलाऊंगी। ऐसा करके मैं 'बी द चेंज यू वांट टू सी' (आप खुद वह बदलाव बनें जो आप देखना चाहते हैं) उक्ति का पालन करूँगा/करुँगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
www.visionias.in

Value Addition Material-2018

PAPER IV : नीतिशास्त्र

भावनात्मक (भावात्मक) समझ / बुद्धिमत्ता / प्रज्ञता: अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. भावनाएं: मानव-मस्तिष्क का अनिवार्य संघटक 3

1.1. भावनाओं की संरचना (Structure of Emotions) 3

1.2. भावनाओं के प्रकार (Types of Emotions) 3

2. समझ/प्रज्ञता/बुद्धिमत्ता: अवधारणाएं, उपयोग और प्रकार 4

2.1. समझ/प्रज्ञता/बुद्धिमत्ता की अवधारणा 4

2.2. बुद्धिमत्ता का उपयोग (Utility of Intelligence) 4

2.3. बुद्धिमत्ता के प्रकार (Types of Intelligence) 4

3. बुद्धिमत्ता का सामाजिक पहलू 7

3.1. परिभाषा (Definition) 7

3.2. सामाजिक बुद्धिमत्ता का विकास 7

3.3. सामाजिक बुद्धिमत्ता से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर 8

4. भावनाओं और बुद्धिमत्ता के मध्य संबंध: पारंपरिक परिप्रेक्ष्य 9

5. भावनात्मक (संवेगात्मक) बुद्धि/समझ/बुद्धिमत्ता: भावनाओं और बुद्धिमत्ता का समेकन 10

5.1. मेयर और सालोवी द्वारा प्रस्तावित भावनात्मक बुद्धिमत्ता 10

5.2. डेनियल गोलमैन द्वारा प्रदत्त भावनात्मक बुद्धिमत्ता (या संवेगात्मक बुद्धि) का मॉडल 11

6. बुद्धि लब्धि (इंटेलिजेंस कोशेंट) बनाम भावनात्मक लब्धि (इमोशनल कोशेंट) पर एक दृष्टि 13

7. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व 14

8. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए आवश्यक कौशल 15

9. भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों की विशेषताएं 16

10. क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है? 17

11. भावनात्मक रूप से मेधावी नेतृत्व का विकास 19

12. शासन और प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका 19

13. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंधकारमय पहलू 21

14. निष्कर्ष (To Conclude) 22

15. भावनात्मक बुद्धिमत्ता संबंधी एक केस स्टडी 22

16. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न 23

17. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न 23

18. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 28

19. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 29

VISION IAS

1. भावनाएं: मानव-मस्तिष्क का अनिवार्य संघटक



(Emotions: The Essential Constituent of Human Psyche)

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भावना को 'व्यक्ति की परिस्थितियों, मनोदशा, या दूसरों के साथ संबंधों से व्युत्पन्न एक प्रबल अनुभूति (अहसास)' तथा 'तर्क या ज्ञान से भिन्न स्वतः प्रवृत्त या सहज ज्ञान से व्युत्पन्न अनुभूति' के रूप में परिभाषित करता है।

भावनाएं जटिल प्रतिक्रियाएँ होती हैं जो प्रसन्नता, क्रोध, दु:ख आदि जैसी गहन व्यक्तिनिष्ठ अनुभूति और साथ ही भावनात्मक अभिव्यक्तियों एवं भावनात्मक जानकारी को समझने की क्षमता/क्षमताओं अर्थात् दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को "समझने" की क्षमता को समाविष्ट करती हैं। दूसरे शब्दों में, भावनाओं को प्रायः किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति निर्देशित अनुकूल या प्रतिकूल *गहन अनुभूति* के रूप में समझा जाता है।

कुछ सिद्धांतकारों द्वारा भावनाओं की व्याख्या आंतरिक या बाह्य घटनाओं के प्रति पृथक और सुसंगत प्रतिक्रियाओं के रूप में की गई है जिनका जीव के लिए विशेष महत्व होता है। वे जैविक रूप से प्रदत्त और क्रमिक विकास का परिणाम होती हैं, क्योंकि उन्होंने प्राचीन और सामयिक समस्याओं के प्रति संतोषप्रद समाधान प्रदान किए हैं जिनका सामना हमारे पूर्वजों ने किया है। इसलिए, वे मानव मस्तिष्क के अनिवार्य संघटक हैं। यह सुस्थापित तथ्य है कि मनुष्यों के लिए भावनाओं के बिना जीना लगभग असंभव है।

1.1. भावनाओं की संरचना (Structure of Emotions)

हालांकि, इस तथ्य पर कोई मतैक्य नहीं है, लेकिन प्रायः यह माना जाता है कि जटिल प्रतिक्रियाओं के रूप में भावनाओं के तीन प्रमुख अवयव होते हैं। ये हैं:

(i) हमारे शरीर के भीतर दैहिक परिवर्तन (physiological changes within our bodies): जैसे- हर्टबीट में परिवर्तन, रक्तचाप आदि।

(ii) व्यक्तिनिष्ठ संज्ञानात्मक स्थितियाँ (subjective cognitive states): व्यक्तिगत अनुभव जिन्हें हम भावनाओं का उपनाम प्रदान करते हैं; और

(iii) व्यक्त व्यवहार (expressive behaviour): इन आंतरिक प्रतिक्रियाओं के बाह्य संकेत।

1.2. भावनाओं के प्रकार (Types of Emotions)

प्रसन्नता, रुचि, संतोष, प्रेम तथा इनके सदृश कुछ भावनाएं जो सुखद और लाभप्रद होती हैं, उन्हें सकारात्मक भावनाएं कहा जाता है। वे नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं और हमारे व्यक्तिगत संसाधनों का सृजन करती हैं।

दूसरी ओर, नकारात्मक भावनाएं ऐसी कार्यवाहियों से संबद्ध होती हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को अपना जीवन बचाने, जैसे कि बच निकलने, आक्रमण करने आदि में संभवत: सहयोग किया। नकारात्मक भावनाएं भी मूल्यवान और रचनात्मक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, निरंतर कष्ट किसी व्यक्ति को सहायता मांगने, संबंध सुधारने या जीवन में नई दिशा खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है।

यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि लोग सकारात्मक भावनाओं का आनन्द उठाते हैं जबकि नकारात्मक भावनाओं से विपत्ति के तौर पर व्यवहार करते हैं।

VISION IAS

2. समझ/प्रज्ञता/बुद्धिमत्ता: अवधारणाएं, उपयोग और प्रकार



(Intelligence: Concepts, Utility, and Types)

2.1. समझ/प्रज्ञता/बुद्धिमत्ता की अवधारणा

(Concept of Intelligence)

"बुद्धिमत्ता का उपयुक्त संकेत ज्ञान नहीं अपितु कल्पना-शक्ति है" – अल्बर्ट आइंस्टीन।

"मुझे पता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ" – सुकरात।

बुद्धिमत्ता को वस्तुतः *तार्किक रूप से सोचने, अर्थपूर्ण ढंग से कार्यवाही करने और अपने परिवेश से प्रभावी ढंग से निपटने* की एक व्यक्ति की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा मानसिक गुण है जिसमें अनुभवों से सीखने, नवीन परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होने, भावात्मक (अमूर्त) अवधारणाओं को समझने व उनको संभालने तथा किसी के परिवेश का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता समाहित होती है। इसकी व्याख्या प्रायः सूचना को अनुभव करने या उसका अनुमान लगाने और किसी परिवेश या संदर्भ में अनुकूल व्यवहार करने के लिए इसे ज्ञान के रूप में संधारित करने की क्षमता के रूप में की जा सकती है।

यद्यपि, विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं ने अपनी परिभाषाओं में बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है, तथापि उन सबने बुद्धिमत्ता के मौलिक आधार के रूप में कुछ प्रकार की संज्ञानात्मक ऊर्जा पर जोर दिया है। यह संज्ञानात्मक आधार ही व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में समर्थ बनाता है। हालांकि, बाद के कुछ विचारकों ने तर्कसंगतता को बुद्धिमत्ता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव मानने पर जोर देना छोड़ दिया।

2.2. बुद्धिमत्ता का उपयोग (Utility of Intelligence)

बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अपने परिवेश के प्रति अनुकूलन है। अधिकांशत: अनुकूलन अपने परिवेश के साथ अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने आप को परिवर्तित करने की प्रकिया को समाविष्ट करता है, लेकिन इसका अर्थ परिवेश को परिवर्तित करना या पूर्णतया एक नवीन परिवेश की खोज करना भी हो सकता है। इस प्रकार के अनुकूलन विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में हो सकते हैं: उदाहरण के लिए, स्कूल में छात्र अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वांछित विषय-वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं; अपरिचित लक्षणों वाले रोगी का उपचार करते समय चिकित्सक अंतर्निहित रोग के विषय में विचार करते हैं; या अधिकाधिक सुसंगत अभिव्यक्ति संप्रेषित करने के लिए कलाकार अपने चित्र पर पुनः कार्य करते हैं।

प्रभावी अनुकूलन में कई प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं समाविष्ट होती हैं, जैसे- ग्रहणबोध (perception), सीखना (learning), स्मृति (memory) तर्क करना एवं समस्या समाधान। इसलिए बुद्धिमत्ता की परिभाषा पर प्रमुख जोर इस तथ्य पर होता है कि वास्तव में यह कोई संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है अपितु इन प्रक्रियाओं का एक चयनात्मक संयोजन है जो प्रभावी अनुकूलन के प्रति सोद्देश्य दिशा निर्देशित होता है। इस प्रकार, नए रोग के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाला चिकित्सक चिकित्सा साहित्य में विद्यमान सामग्री का अध्ययन करके, कि इस सामग्री में रोग के विषय में क्या निहित है, रोगी का उपचार करने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण पहलुओं को याद करके और बाद में उस जानकारी का उपयोग रोगी की आवश्यकताओं के अनुसार करने हेतु तर्क का उपयोग कर, अनुकूलन करता है।

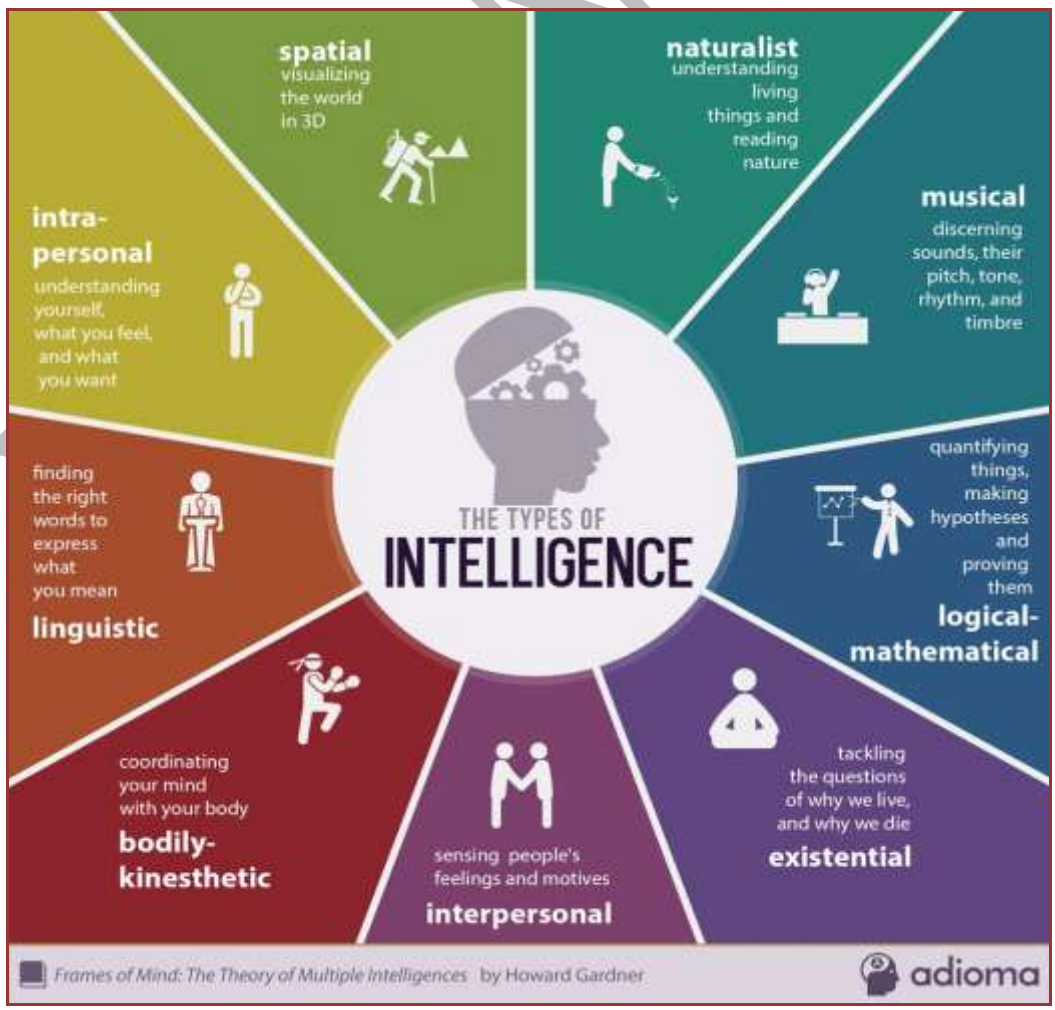
2.3. बुद्धिमत्ता के प्रकार (Types of Intelligence)

लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि परीक्षण (टेस्ट) के माध्यम से बुद्धिमत्ता का पता लगाया सकता है। ऐसा माना जाता था कि IQ टेस्ट के परिणामों के माध्यम से एक व्यक्ति की दूसरे से तुलना कर उनके बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जा सकता है। इस बात को भी अभिस्वीकृति प्राप्त थी कि बुद्धिमत्ता के

VISION IAS

विभिन्न प्रकार होते हैं और ये सहसंबद्ध होते हैं- यदि लोग एक IQ टेस्ट के कुछ सेक्शन पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वे उसके सभी सेक्शन पर अच्छा प्रदर्शन करने हेतु प्रवृत्त होंगे और इसके विपरीत स्थिति भी देखने को मिलती है, अतः, लोगों के लिए एक सामान्य बुद्धिमत्ता कारक विकसित किया जा सकता है। हालांकि, समय के साथ, कई लोगों ने IQ टेस्ट के परिणामों पर प्रश्न उठाने आरम्भ कर दिए। हाल ही में, शोधकर्ता बुद्धिमत्ता के विभिन्न क्षेत्रों को समझने का प्रयास करते रहे हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के नए प्रकारों की खोज के माध्यम से, उन्होंने 'अतिरिक्त बुद्धिमत्ता कारकों', जैसे- अनुशासन, दृढ़ता, अंतर्वैयक्तिक संबंधों आदि पर विचार करना आरम्भ कर दिया।

इसने आगे विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रकाश में लाया। उन्होंने इस बात को स्वीकृति प्रदान किया कि हम में से प्रत्येक किसी एक प्रकार/समूह की ओर झुकाव रखता है लेकिन अनुशीलन (अभ्यास) के माध्यम से, हम शेष अन्य प्रकार की बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में, मनोवैज्ञानिक **हावर्ड गार्डनर** ने बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांत (Theory of Multiple Intelligences) की चर्चा की। यह सिद्धांत बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रकारों की विद्यमानता के विषय में चर्चा करता है, जो अनिवार्य रूप से सहसंबद्ध नहीं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में उनका छोटा अंश विद्यमान होता है। हालांकि, समय के साथ प्रत्येक व्यक्ति एक क्षेत्र को अधिक परिपूर्णता से विकसित कर लेता है तथा बाद में वह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों का स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार एक व्यक्ति विश्लेषणात्मक आधार पर अर्जित किये बिना भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता धारित कर सकता है। मूलतः उन्होंने सात विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं प्रस्तावित की थीं लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सूची में नैसर्गिक (naturalistic) और अस्तित्वपरक बुद्धिमत्ता (existential intelligence) को भी जोड़ा।





इनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- **भाषायी बुद्धिमत्ता (Linguistic Intelligence):** वैसे लोग जिनमें भाषायी बुद्धिमत्ता विकसित होती है, वे मौखिक और लिखित दोनों रूपों में स्वयं को व्यक्त करने की बेहतर क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
- **तार्किक बुद्धिमत्ता (Logic Intelligence):** प्रबल तार्किक बुद्धिमत्ता वाले लोग अत्यंत सरलता से गणित तथा तर्क-शास्त्र के प्रश्न हल कर सकते हैं।
- **प्रायोगिक बुद्धिमत्ता (Kinesthetic Intelligence):** प्रायोगिक बुद्धिमत्ता का संबंध शारीरिक अभिव्यक्ति से होता है। ऐसे लोगों को स्थान, दूरी, गहराई तथा आकार की बहुत अच्छी समझ होती है। शरीर पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण होने के कारण ऐसा व्यक्ति सटीकता तथा सरलता से जटिल गतिविधियों को संचालित कर सकता है।
- **त्रिविमीय बुद्धिमत्ता (Spatial Intelligence):** जिनकी त्रिविमीय बुद्धिमत्ता अधिक होती है वे 2D और 3D चित्र बनाने तथा उनकी कल्पना करने में सक्षम होते हैं। गेमिंग, वास्तुकला, मल्टी-मीडिया तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पेशेवर लोग उच्च स्तर की त्रिविमीय बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हैं।
- **संगीतात्मक बुद्धिमत्ता (Musical Intelligence):** संगीतात्मक बुद्धिमत्ता एक दुर्लभ किस्म की बुद्धिमत्ता है। ऐसी क्षमता वाले लोग ध्वनि तथा संगीत को सुन कर विभिन्न स्वरूपों तथा सुरों को पहचान लेते हैं।
- **अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता (Interpersonal Intelligence):** अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले लोग व्यावहारिक होते हैं तथा दूसरों के प्रति ज़िम्मेदारी की गहरी भावना प्रदर्शित करते हैं। वे शांत-चित्त होते हैं, उन्हें सुनने तथा बोलने दोनों की कला आती है, किन्तु उन सबसे अधिक उनमें अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाने तथा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जिन्हें जन्मजात नेता समझा जाता है, वे वही लोग होते हैं जिनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमता होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले लोग दूसरों में छिपे गुणों को पहचान कर उसे सतह पर लाने की कला भी जानते हैं।
- **अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता (Intrapersonal Intelligence):** अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता उन लोगों का लक्षण है जो स्वयं से अत्यंत गहराई जुड़े होते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः स्वयं में सिमटे होते हैं किन्तु अपने समकक्षों में उनका बड़ा मान होता है। बुद्धिमत्ता के सात प्रकारों में से प्रत्येक में, अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता सबसे दुर्लभ होती है।

इस प्रकार, बुद्धिमत्ता की तार्किक गणितीय अवधारणा वाले एकाश्म बुद्धिमत्ता संबंधी पूर्ववर्ती अवधारणा ने बहु बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। अंतर्वैयक्तिक तथा अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता संबंधी गार्डनर की अवधारणा बुद्धिमत्ता को समझने तथा उस पर आधारित साहित्य की व्याख्या करने में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई। इन्हीं से सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अंततः भावनात्मक बुद्धिमत्ता की धारणा सामने आयी।

बाद में, टफ्ट विश्वविद्यालय के रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता संबंधी अपनी ट्राईआर्किक सिद्धांत (Triarchic Theory) को सामने रखा जिसमें यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बुद्धिमत्ता संबंधी पूर्ववर्ती परिभाषाएं अति संकीर्ण हैं क्योंकि वे उन बुद्धिमत्ताओं पर आश्रित हैं जिन्हें IQ टेस्ट द्वारा परखा जा सकता है। इसके स्थान पर, स्टर्नबर्ग का मानना है कि बुद्धिमत्ता के प्रकारों को **तीन उपवर्गों: विश्लेषणात्मक (analytic), रचनात्मक (creative)** तथा **व्यवहारिक (practical)** में विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बुद्धिमत्ता संबंधी परीक्षणों में रचनात्मकता को उपेक्षित किया जाना गलत था तथा अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं यथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, निष्पादन संबंधी अवयव, नियोजन तथा निर्णय-प्रक्रिया संबंधी कौशल इत्यादि भी हैं।

बुद्धिमत्ता के ट्राईआर्किक सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

(i) अवयवभूत – विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता (Componential – Analytical Intelligence): विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता को किताबी बुद्धिमत्ता के तौर पर संदर्भित किया जाता है। बुद्धिमत्ता का यह

VISION IAS

प्रकार IQ की पारंपरिक परिभाषा तथा अकादमिक उपलब्धियों से अधिक संबंधित है। इसे अवयवभूत बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। विश्लेष्णात्मक प्रकृति के कारण उच्च विश्लेष्णात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति समस्याओं का हल ढूँढने में प्रखर होता है। गूढ़ सोच तथा मूल्यांकन संबंधी कौशल के कारण इन लोगों को समस्याओं के वे समाधान भी दिख जाते हैं जो सामान्यतः समझ में नहीं आते।



(ii) अनुभवजन्य – रचनात्मक बुद्धिमत्ता (Experiential – Creative Intelligence): नई परिस्थितियों से सामना होने पर नए विचारों तथा समाधानों के आविष्कार की क्षमता को रचनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसे अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। बुद्धिमत्ता के इस प्रकार का संबंध नवीन समस्याओं तथा स्थितियों से निपटने के लिए वर्तमान ज्ञान के उपयोग से है।

(iii) व्यवहारिक – प्रासंगिक बुद्धिमत्ता (Practical – Contextual Intelligence): सरल शब्दों में, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की परिभाषा अपना बचाव करने में सक्षम होना है। किसी परिस्थिति से तादात्म्य स्थापित करने की किसी व्यक्ति की क्षमता या अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे परिवर्तित कर लेने की योग्यता को व्यावहारिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझ पाने का एक अन्य तरीका उसे सामान्य बोध के रूप में देखना है। प्रतिदिन की परिस्थितियों को सर्वोत्तम संभव तरीके से सुलझाना व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है।

3. बुद्धिमत्ता का सामाजिक पहलू

(The Social Aspect of Intelligence)

3.1. परिभाषा (Definition)

दूसरों के साथ भली-भांति घुल-मिल जाने तथा उनका सहयोग पाने की क्षमता सामाजिक बुद्धिमत्ता कहलाती है। कभी-कभी इसे सरल भाषा में "लोक-व्यवहार कौशल" (people skills) कहा जाता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता की आरंभिक परिभाषा 1920 में एडवर्ड थोर्नडाइक द्वारा दी गयी, उन्होंने इसे "मानवीय संबंधों में बुद्धिमानी पूर्वक व्यवहार करने हेतु पुरुषों, महिलाओं तथा बालिकाओं को समझने व प्रबंधित करने की क्षमता" के रूप में बताया।

सामाजिक बुद्धिमत्ता वस्तुतः एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवेश को पूर्णरूपेण समझने तथा सामाजिक रूप से सफल आचरण हेतु उपयुक्त प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। इस प्रकार, सामाजिक बुद्धिमत्ता का आशय परिस्थिति के प्रति जागरूक रहने से है। यह ऐसा सामाजिक अनुप्रेरक है जो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। पुनः यह ऐसी संवाद शैली तथा रणनीतियों से संबंधित है जो एक व्यक्ति को दूसरों के साथ व्यवहार करते वक़्त उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सके। इसमें किंचित आत्म-ज्ञान तथा अपनी मान्यताओं एवं प्रतिक्रिया के तरीके भी छिपे होते हैं। इस प्रकार, सामाजिक बुद्धिमत्ता का आशय लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर पाने तथा उन्हें सफल रूप से प्रभावित करने की क्षमता से है।

यह ***अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता (interpersonal intelligence)*** के समतुल्य है। यह होवार्ड गार्डनर के बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांतों (Theory of Multiple Intelligences) में पायी गयी बुद्धिमत्ता के प्रकारों में से एक है। कुछ लेखकों ने सामाजिक बुद्धिमत्ता की परिभाषा को सामाजिक स्थितियों से निपटने के ज्ञान तक सीमित रखा है। कदाचित इसे अधिक उपयुक्त रूप से सामाजिक संज्ञान या सामाजिक विपणन संबंधी बुद्धिमत्ता कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध प्रचलनयुक्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक विज्ञापन तथा विपणन संबंधी रणनीतियों एवं उपायों से है।

3.2. सामाजिक बुद्धिमत्ता का विकास

(Developing Social Intelligence)

चूँकि सामाजिक बुद्धिमत्ता सीखे गए व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला कौशलों का एक सेट या समुच्चय है, इसलिए इसे दूसरों पर स्वयं के व्यवहार के प्रभाव का मूल्यांकन कर विकसित किया जा सकता है। इसे उस सीमा तक मापा जा सकता है जिस तक हम दूसरों से व्यवहार करने में सफल हो पाते हैं। व्यक्ति व्यवहार के नवीन तरीकों तथा नवीन संवाद नीतियों के साथ प्रयोग कर सकता है।

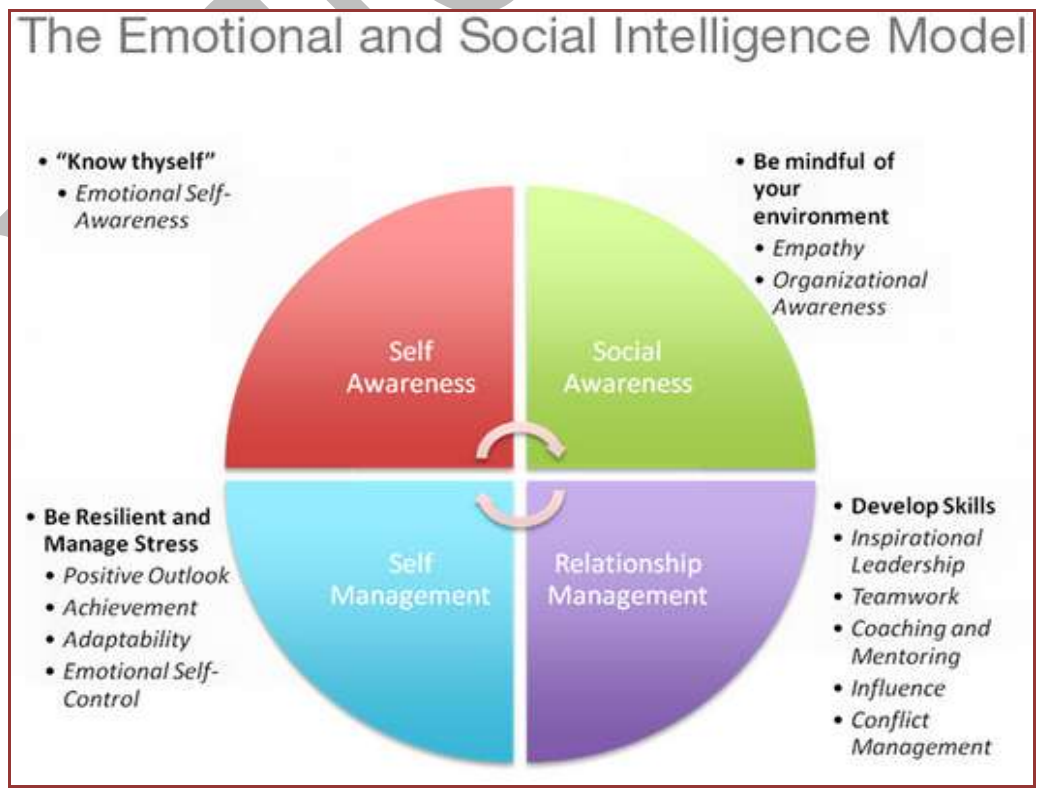
सरलतम शब्दों में कहा जाए तो, यह लोगों के साथ "घुलने-मिलने" की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसे ऐसे समझ सकते हैं – व्यक्ति की आयु जैसे-जैसे बढ़ती है, वह नवीन चीजें सीखता है, परिपक्व होते जाता है तथा दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस संबंध में अनुभव प्राप्त करता है। जिन लोगों में सामाजिक बुद्धिमत्ता का भलीं प्रकार से समावेश हम देख/समझ पाते हैं, उनके कुछ उदाहरणों में महात्मा गांधी, दलाई लामा तथा नेल्सन मंडेला जैसे लोग शामिल हैं।

दुर्भाग्य से, बहुत से लोगों में उम्र बढ़ने पर भी सीखने तथा विकसित होने की प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत से लोग सामाजिक, व्यावसायिक तथा पेशेवर स्थितियों में सफल हो सकने के लिए कौशल ग्रहण करने तथा जागरूक होने की चेष्टा कभी नहीं करते। जबकि यह पूर्णतया स्पष्ट है कि दूसरों के साथ व्यवहार-कुशलता में कमी वाले वयस्क आधारभूत अवधारणाओं को समझ पाने तथा अंतर्वैयक्तिक प्रभाविता की कसौटी पर स्वयं को जांचने की प्रक्रिया अपना कर अपनी सामाजिक बुद्धिमत्ता की स्थिति में बहुत हद तक सुधार ला सकते हैं।

3.3. सामाजिक बुद्धिमत्ता से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर

(From Social Intelligence towards Emotional Intelligence)

यद्यपि, कुछ विद्वानों ने "लोक-व्यवहार कौशल" (people skills) या "सामजिक बुद्धिमत्ता' को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मलित किया है, परन्तु व्यवहारिक रूप से कार्यनिर्वाह-क्षमता (competence) के दो विभिन्न आयामों के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामजिक बुद्धिमत्ता पर विचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। सामजिक बुद्धिमत्ता {गार्डनर की "**अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता**" (interpersonal intelligence)} वस्तुतः **भावनात्मक बुद्धिमत्ता** {गार्डनर की **अंतःवैयक्तिक** बुद्धिमत्ता (intrapersonal intelligence)} से पृथक, परन्तु उसकी पूरक है। लेकिन हमें स्वयं को समझने और दूसरों से संवाद करने के तरीकों के लिए दोनों ही मॉडलों की आवश्यकता होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अपर्याप्त रूप से विकसित होने के कारण सामाजिक बुद्धिमत्ता में कुछ कमियां आ जाती हैं। इसके विपरीत सामाजिक बुद्धिमत्ता की कुछ कमियां असफल सामाजिक अनुभवों का कारण बन सकती हैं, जो किसी व्यक्ति के स्व-महत्व की भावना (जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ही एक भाग है) को क्षीण कर सकती हैं।



4. भावनाओं और बुद्धिमत्ता के मध्य संबंध: पारंपरिक परिप्रेक्ष्य

(Relation Between Emotions and Intelligence: The Traditional Perspective)

तार्किक या गणितीय क्षमता के रूप में बुद्धिमत्ता की पारम्परिक धारणा इसे संज्ञानात्मक क्षमता (cognitive ability) के अधीन ला देती है। संज्ञान (Cognition) वस्तुतः स्मृति, मनोयोग, भाषा, समस्या निवारण और नियोजन जैसी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में प्रायः तथाकथित नियंत्रित प्रक्रियाएं सम्मलित होती हैं, जैसे- जब लक्ष्य का पीछा करना हो तो मस्तिष्क को व्यवधान (उदाहरण के लिए: विचलित करने वाली उत्तेजना, जैसे घबराहट वाली आवाज) से सरंक्षित रखना चाहिए (उदाहरण के लिए: कुछ तथ्यों को याद रखने जैसी जानकारी मस्तिष्क में बनाये रखना)।

परम्परागत रूप से यह माना जाता था कि गैर-संज्ञानात्मक होने के कारण भावनाएं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सुकर नहीं बना सकती। वास्तव में, यह माना जाता था कि भावनाएं संज्ञानात्मक कार्य के प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि वे गहन अनुभूति होती हैं। इस प्रकार, आरंभ में धारणा यह थी कि भावना और बुद्धिमत्ता के मध्य या तो **कोई सम्बन्ध नहीं है** या **नकारात्मक सम्बन्ध है**। उदाहरण के लिए, जब हम क्रोध या अवसाद जैसी नकारात्मक भावना अनुभव कर रहे होते हैं, तो पहेली हल करने या अच्छे निर्णय करने जैसे रचनात्मक कार्यों को करना बहुत कठिन हो जाता है।

हालाँकि, मेयर और सालोवी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा में भावनाओं और बुद्धिमत्ता के बीच नकारात्मक सम्बन्ध को अस्वीकार कर दिया। यह अनुभव किया गया कि हमारी सोच या निर्णय लेने में भावनाएं मार्गावरोध नहीं हैं। यह हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विषय की ओर ले जाती है।



5. भावनात्मक (संवेगात्मक) बुद्धि/समझ/बुद्धिमत्ता: भावनाओं और बुद्धिमत्ता का समेकन

(Emotional Intelligence: Integration of Emotions and Intelligence)

1990 में मेयर और सालोवी ने पहली बार भावनात्मक बुद्धिमत्ता पद को प्रस्तुत किया गया था। इसे कौशल के एक ऐसे सेट के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें व्यक्ति की स्वयं की और दूसरों की अनुभूति/भावनाओं का निरीक्षण/अन्वेषण सम्मलित होता है, ताकि उनमें भेद किया जा सके और उस जानकारी का उपयोग व्यक्ति की सोच और उसके कार्यवाही में मार्गदर्शन के लिए किया जा सके। इस प्रकार यह भावनाओं और बुद्धि/बुद्धिमत्ता का समेकन करता है। सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि यह भावनाओं को रचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की क्षमता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता के विपरीत नहीं है। यह हृदय पर मस्तिष्क की विजय नहीं है बल्कि यह दोनों का एक अनूठा मिलन है।

मेयर और सालोवी ने इस अवधारणा को बुद्धिमत्ता की उस परम्परागत धारणा की चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया था, जो केवल संज्ञानात्मक क्षमता पर ही केन्द्रित थी। इन्होने उन विचारकों को भी चुनौती दिया, जो भावनाओं को संज्ञानात्मक गतिविधियों के लिए बाधा मानते थे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अंत:व्यैक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अर्थात वर्तमान भावनात्मक स्थिति में अपनी और दूसरों की क्षमताओं के सन्दर्भ में जानने की क्षमता सम्मलित है।

5.1. मेयर और सालोवी द्वारा प्रस्तावित भावनात्मक बुद्धिमत्ता

(Emotional Intelligence as Proposed by Mayer and Salovey)

मेयर और सालोवी ने 1997 में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दायरे में आने वाली योग्यताओं को अत्याधिक स्पष्ट रूप से रेखांकित कर इसका वर्णन किया था। उन्होंने इन योग्यताओं को चार शाखाओं/कौशलों के अनुसार सुनियोजित किया:

चार शाखाओं/कौशलों वाला मॉडल (Four Branch Model):



- **भावनाओं को अनुभव करना (Perceiving emotions):** यह भावनाओं को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है अर्थात भावनाओं को पहचानना और उन्हें वर्तमान भावनात्मक स्थिति में स्वयं में और दूसरों में विशेष रूप से वर्गीकृत करने की क्षमता। उदाहरण के लिए, यह किसी व्यक्ति को यह समझने में सक्षम करती है वह किस प्रकार की भावों से गुजर रहा है।
- **भावनाओं को समझना (Understanding emotions):** यह किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता है। यह भावनाओं, विचारों और आचरण के मध्य के सम्बन्ध को समझने में भी सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, इस क्षमता से युक्त व्यक्ति बेहतर रूप से यह समझ सकता है कि कैसे कोई विशेष भावना स्वयं की या दूसरों की सोच या कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है।

VISION IAS



- **चिंतन (विचार-प्रक्रिया) में सहायता के लिए भावनाओं का उपयोग करना (Using emotions to facilitate thought):** यह मॉडल उपर्युक्त माडलों का एक तार्किक परिणाम है अर्थात उपर्युक्त दोनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ठोस उद्देश्यों के लिए यदि भावनाओं को दिशा प्रदान किया जाए तो भवानाएं विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती हैं, जैसे- उपयुक्त निर्णय लेना या किसी समस्या को हल करना।
- **भावनाओं का प्रबंधन (Managing emotion):** यह दूसरों की भावनाओं को ग्रहण करने और नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में परिवर्तित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसकी उपयोगिता इस बात में निहित है कि इसके माध्यम से स्वयं में या दूसरों में वांछित भावनाएं उत्पन्न की जाती हैं, जो सौंपे गए या सुपुर्द कार्य को सकरात्मत्क दिशा देने में सहायक होते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि भावनाएं प्रेरणादायक ऊर्जा होती हैं, अतः यदि वांछित भावनाएं उत्पन्न की जाएँ तो कार्य की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सुसाध्य हो जाते हैं। इसके उदाहरण हैं- स्वयं को या दूसरों को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, जैसे- पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित करना जब ऐसा करना कठिन लग रहा हो; या किसी तनावपूर्ण स्थिति को बिना क्रोधित हुए प्रबंधित करना आदि।

5.2. डेनियल गोलमैन द्वारा प्रदत्त भावनात्मक बुद्धिमत्ता (या संवेगात्मक बुद्धि) का मॉडल

(Model of Emotional Intelligence by Daniel Goleman)

गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता (या संवेगात्मक बुद्धि) की अवधारणा को 1999 में और अधिक परिष्कृत किया:

पांच घटकों वाला मॉडल (Five Components Model)

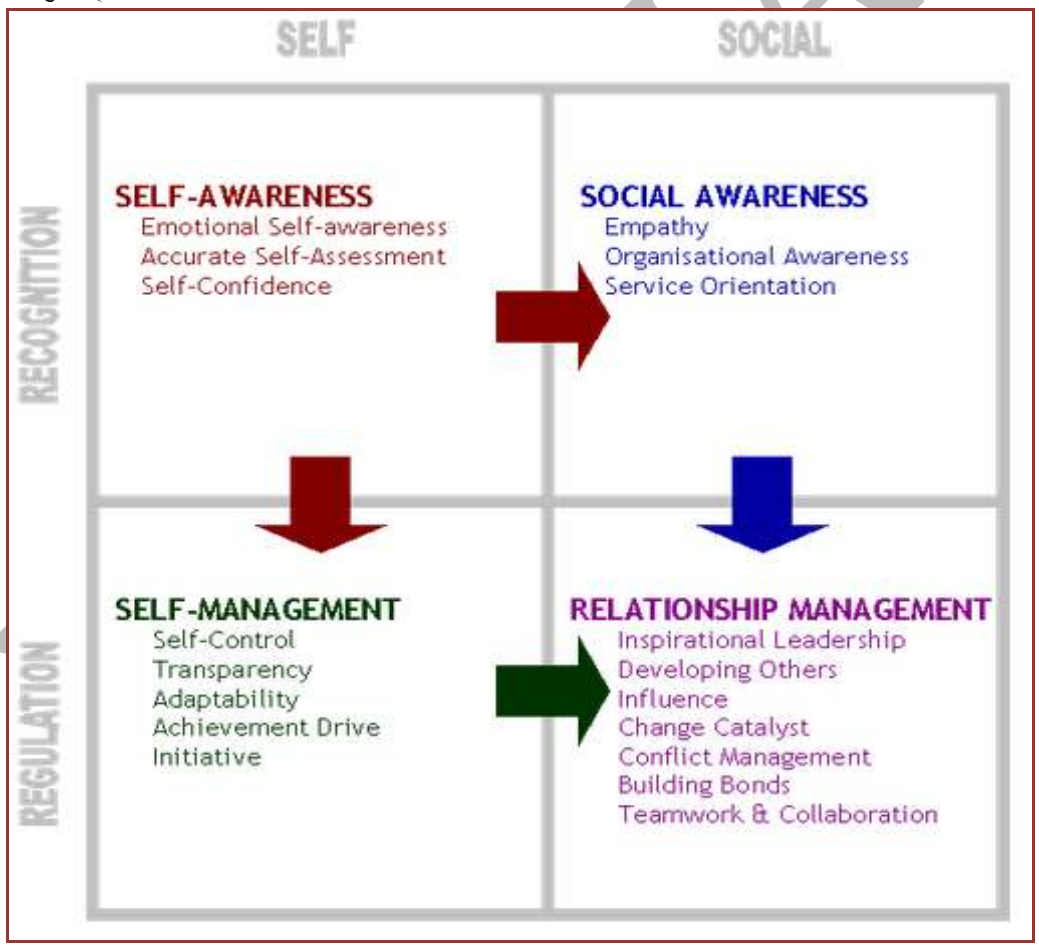
- **आत्म-जागरूकता (Self-awareness):** यह व्यक्तिगत मनोदशा, भावनाओं और प्रेरणाओं को पहचानने और उनका दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की क्षमता है। आत्म-जागरूकता के प्रमाण हैं: आत्म-विश्वास, यथार्थवादी आत्म-मूल्यांकन और स्व-विरोधात्मक हास्य की भावना। आत्म-जागरूकता वस्तुतः व्यक्ति द्वारा स्वयं की भावनात्मक स्थिति की जाँच करने, उसे ठीक से पहचनाने और नाम देने की क्षमता पर निर्भर करता है।
- **आत्म-विनियमन (Self-regulation):** यह विघटनकारी आवेगों और मनोदशाओं को नियंत्रित करने या पुनर्निर्देशित करने की क्षमता है और निर्णय को निलम्बित करने अथवा कार्य करने से पहले सोचने की प्रवृत्ति है। आत्म-विनियमन के प्रमाण हैं: विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा; अस्पष्टता के साथ सहजता; और परिवर्तन के लिए खुलापन।
- **आत्म अभिप्रेरण (Internal motivation):** यह आंतरिक विवेक के आधार पर कार्य करने के जुनून (मनोभाव) को संदर्भित करता है, जो धन और प्रतिष्ठा जैसे बाह्य पारितोषिक से परे होता है। इसे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, कार्य करने में मिलने वाले आनंद, सीखने की जिज्ञासा, एक प्रवाह जो किसी गतिविधि में तल्लीन होने से आता है, जैसी आंतरिक दृष्टि से संचालित किया जा सकता है। आत्म अभिप्रेरण के प्रमाण हैं: कुछ हासिल करने की सशक्त प्रेरणा, विफलता की स्थिति में भी आशावादिता और संगठनात्मक प्रतिबद्धता।
- **समानुभूति (Empathy):** यह दूसरों के भावनात्मक स्वरूप को समझने की क्षमता है। इसमें कल्पनात्मक रूप से दूसरे की स्थिति में स्वयं को रख कर उसकी भावनाओं को जानने की क्षमता

VISION IAS

सम्मलित है। यह एक ऐसा कौशल है जो लोगों के साथ उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया के अनरूप व्यवहार करने में सहायता करता है। समानुभूति के प्रमाण हैं: प्रतिभा सृजन और उसे बनाए रखने की क्षमता, दूसरों की संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता आदि। यहाँ ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि समानुभूति में आवश्यक रूप से करुणा सम्मिलित नहीं होती है। समानुभूति का 'उपयोग' करुणा या निष्ठुर व्यवहार के लिए किया जा सकता है। वैसे सीरियल किलर, जो श्रृंखलाबद्ध ढंग से अपने जीवन-साथियों से विवाह करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, उनमें कूट-कूट कर समानुभूति कौशल भरा हो सकता है!

- **सामाजिक दक्षता (Social skills):** इसमें सम्बन्धों को प्रबंधित करने और नेटवर्क बनाने की दक्षता तथा तालमेल स्थापित करने के लिए साझा आधार खोजने की क्षमता सम्मलित होती है। सामाजिक दक्षता के प्रमाण हैं: परिवर्तन लाने,समझाने बुझाने, विशेषज्ञता सृजित करने और टीम का नेतृत्व करने में प्रभावशीलता।

इस प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता (या संवेगात्मक बुद्धि) का गोलमैन का मॉडल अधिक व्यापक है तथा यह किसी सामाजिक व्यवस्था, विशेषकर शासन एवं प्रशासन के प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु बहुत उपयुक्त है।



भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ उदाहरण (Some Examples of Emotional Intelligence)

- मानवीय इतिहास के कुछ महानतम क्षण भावनात्मक बुद्धिमत्ता से प्रेरित थे। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्वप्न को प्रस्तुत किया, तो उन्होंने उस भाषा का चयन किया जिसमें श्रोताओं के दिलों को उद्वेलित करने की क्षमता थी। उन्होंने वायदा किया कि जो भूमि "दमन की आग से उबल रही है" उसे "स्वतन्त्रता और न्याय" के शीतल जल स्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है।

इस प्रभावी संदेश के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी – अर्थात् भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबन्धन की आवश्यकता थी। मार्टिन लूथर किंग ने अपनी भावनाओं के प्रबन्धन और दर्शकों की भावनाओं को जगा कर उन्हें काम पर लगाने के अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। किंग ने "विवेक एवं भावना, क्रोध और आशा का पूरी तरह से एक संतुलित नारा" प्रस्तुत किया। उनके दर्द और क्रोध का मिश्रित स्वर लोगों के सुरों से मेल खाता था।

- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में गाँधीजी का योगदान भी इसी प्रकार का था। भारत छोड़ो आन्दोलन की पूर्व संध्या पर उनके "करो या मरो" के नारे ने भारतीय जनमानस को उत्तेजना से भर दिया, फलस्वरूप मानव इतिहास का एक व्यापक जनआन्दोलन देखने को मिला। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से स्वयं के और दूसरों की भावनाओं के प्रबन्धन का कौशल प्राप्त होता है।

6. बुद्धि लब्धि (इंटेलिजेंस कोशेंट) बनाम भावनात्मक लब्धि (इमोशनल कोशेंट) पर एक दृष्टि

{A perspective on Intelligence Quotient (IQ) versus Emotional Quotient (EQ)}

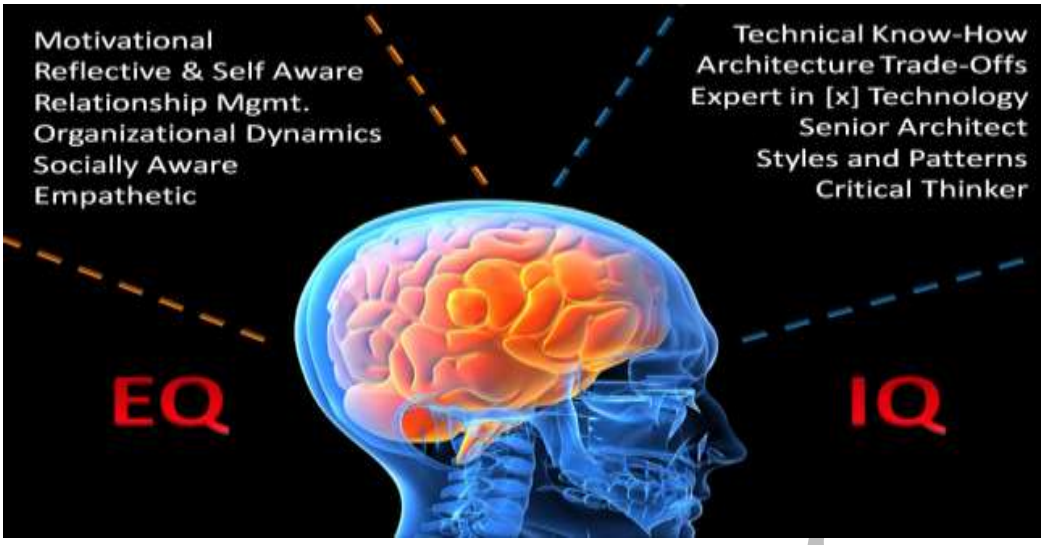
IQ, या बुद्धि लब्धि, किसी व्यक्ति की बुद्धि/बुद्धिमत्ता को आँकने के लिए डिज़ाइन किए गए कई मानकीकृत परीक्षणों में से एक से व्युत्पन्न (प्राप्त) **सांख्यात्मक प्राप्तांक (numerical score)** है। यह सांख्यात्मक-भाषाई और तार्किक क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। चूंकि IQ 'बुद्धि' या 'सामान्य बुद्धिमत्ता' का एक परिमाण है, जिसे जन्मजात माना जाता है, इसलिए यदि यह किसी व्यक्ति में पहले से हीं विकसित नहीं है, तो उसमें उच्च IQ विकसित नहीं किया जा सकता है।

दूसरी ओर, EQ, कोई **सांख्यात्मक प्राप्तांक नहीं** है। EQ, भावनात्मक लब्धि का प्रतीक है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence: EI) के प्रति किसी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता के स्वस्थ या अस्वस्थ विकास के सापेक्ष परिमाण को दर्शाता है। समान EI स्तर वाले दो व्यक्तियों में EQ का स्तर भिन्न हो सकता है, क्योंकि EQ सामाजीकरण का उत्पाद है। EQ का विकास माता-पिता, शिक्षकों आदि से प्राप्त भावनात्मक शिक्षाओं से होता है।

EQ को कार्यस्थल पर सफलता का एक बेहतर संकेतक माना जाता है। अपने आसपास के लोगों को समझने, समानुभूति व्यक्त करने और संबंध जोड़ने की क्षमता के कारण, उच्च EQ वाले लोग आमतौर पर महान नेता और टीम प्लेयर बनते हैं। गोलमैन के अनुसार, कार्यस्थल पर मिलने वाली सफलता, लगभग 80% या इससे अधिक EQ पर निर्भर करती है और लगभग 20% या उससे कम IQ पर निर्भर करती है। परिणामस्वरूप, उच्च IQ वाले कई व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाते, जबकि इसके विपरीत, अधिकांश सफल लोगों का EQ उच्च होता है। आज अधिकांश व्यवसायों की सफलता, दूसरों के संकेतों को समझने और उनके प्रति उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है।

सबसे बुद्धिमान लोग ही जीवन में सबसे सफल या सबसे संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से बहुत बढ़िया हैं परंतु फिर भी काम पर या अपने व्यक्तिगत संबंधों में, सामाजिक रूप से अक्षम और असफल रहते हैं। जीवन में सफल होने के लिए केवल बुद्धि लब्धि (IQ) ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। किसी का IQ उसे महाविद्यालय में तो ले जा सकता है, परंतु यह केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही है जो अंतिम परीक्षाओं या साक्षात्कार के दौरान तनाव और भावनाओं को प्रबंधित करती है।

VISION IAS



IQ मुख्य रूप से आनुवंशिक होता है। हालांकि, ब्रेन-फूड और मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाले अभ्यासों, जैसे- पहेलियों, पार्श्विक चिंतन समस्याओं और समस्या निवारण तकनीकों, के माध्यम से किसी व्यक्ति के IQ को इसकी उच्चतम क्षमता तक ले जाने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं जो आपको लीक से हटकर सोचने में सक्षम बनाते हैं। दूसरी तरफ, EQ वस्तुतः IQ और उन सभी अन्य क्षमताओं, जिनसे कोई व्यक्ति अन्य सर्वोत्कृष्ट गुणों से संपन्न होता है, उसको प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता है। इस प्रकार, IQ एक वाहन की भांति होता है, परंतु यह EQ ही है जो गंतव्य को निर्धारित करता है। अतः, उच्चतम संभावित विकास तक पहुंचने में IQ की तुलना में EQ अधिक महत्वपूर्ण है।

7. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व

(Importance of Emotional Intelligence)

उन लोगों के सफल होने की संभावना अधिक होती है जो स्वयं और दूसरों को भावनात्मक रूप से प्रबंधित करने में अधिक सक्षम होते हैं अर्थात् जो पसंदीदा और विश्वसनीय होते हैं, उनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। शोध से पता चलता है कि 80% से अधिक सफलता "मानव अभियांत्रिकी" में कुशलता, व्यक्तित्व और अपने आप को व्यक्त करने, बातचीत करने व नेतृत्व करने की क्षमता के कारण प्राप्त होती है। तकनीकी ज्ञान के कारण केवल 15 प्रतिशत ही सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, नोबल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक, डेनियल काहनेमन ने पाया कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवसाय या काम करना पसंद करेंगे जिसे वे पसंद करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, बजाय इसके जिसे वे पसंद नहीं करते हैं और न ही भरोसा करते हैं, भले ही पसंद आने वाला व्यक्ति निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवा को उच्च कीमत पर उपलब्ध करा रहा हो।

इसलिए, केवल पारंपरिक IQ पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, व्यक्ति को अपने EQ (भावनात्मक लब्धि) को बेहतर बनाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। EQ की अवधारणाओं को आंकना कठिन हो सकता है, लेकिन उनका महत्व IQ से कहीं अधिक है।

साधारण शब्दों में कहा जाए तो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे भीतर "कुछ" ऐसा होता है जो हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम कैसे अनुभव करते हैं और यह हमें दूसरों के साथ सही अर्थों में जुड़ने और संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। यह हमें किसी को स्वीकार करने और सुनने की क्षमता प्रदान करता है, वह भी तब जब किसी को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह हमारे भीतर, आंतरिक संतुलन का वह बोध है जो तनाव के दौरान भी हमें हमारा आत्मसंयम बनाए रखने, अच्छे निर्णय लेने, सफलतापूर्वक संवाद करने और प्रभावी नेतृत्व बनाए रखने में सक्षम बनाता है। विशिष्ट रूप से कहें तो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

VISION IAS



अपनी भावनाओं को जानने में (Know Your Emotions)

भावनाएं शक्तिशाली प्रतिक्रियाएं होती हैं। यदि कोई अपनी भावनाओं से अवगत नहीं है तो वह सही नैतिक निर्णय नहीं ले सकता है। इसके अतिरिक्त, अंतर्निहित भावना/स्नेह को व्यक्त करने के लिए अपनी भावनाओं को जानना एक पूर्व-आवश्यकता है।

भावनाओं को प्रबंधित करने में (Managing Emotions)

हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और दूसरों के साथ हमारी अन्योन्य क्रिया को कार्यक्षम बनाए रखने के लिए भावनाओं को प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, भावनाओं का प्रबंधन, स्वयं को और दूसरों को प्रेरित करने हेतु महत्वपूर्ण है।

बृहत्तर आत्म-जागरूकता (Greater Self-Awareness)

यह किसी की भावनाओं को समझने और यथार्थवादी लक्ष्यों को स्थापित करने हेतु आवश्यक है। सफलता प्राप्त करने के लिए और सदा प्रसन्न रहने के लिए तो यह अति आवश्यक है।

आत्म-विनियमन (Self-Regulation)

भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति को उच्च आत्म-नियंत्रण बनाये रखने में सक्षम बनाता है। इसलिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वस्तुतः विश्वास और निष्पक्षता के एक ऐसे वातावरण का सृजन करता है जिसमें आपसी मतभेद कम हो जाते हैं और सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

समानुभूति (Empathy)

भावनात्मक बुद्धिमत्ता, किसी व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं पर विचार करने और उचित तरीके से व्यवहार करने में सक्षम बनाता है। समानुभूति रखने वाले व्यक्ति चीजों को दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देखने में सक्षम होते हैं। इसलिए, वे उन जटिल सामाजिक संकेतों को पहचानने में सक्षम होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि दूसरों को क्या चाहिए। इस प्रकार, उच्च EQ वाले व्यक्ति सेवा के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं।

सामाजिक दक्षता (Social skills)

यह दूसरों में वांछित व्यवहार को प्रेरित करने की दक्षता को संदर्भित करता है।

8. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने के लिए आवश्यक कौशल

(Skills Required for Being Emotionally Intelligent)

स्व-जागरूकता (Self-Awareness)

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग इस बात से अवगत होते हैं कि वे कैसा अनुभव करते हैं, उन्हें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है तथा वे किस चीज़ से हतोत्साहित होते हैं, और वे दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

सामाजिक दक्षता (Social skills)

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग दूसरों के साथ अच्छी तरह से संवाद करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। वे विविध पृष्ठभूमियों वाले व्यक्तियों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी विशिष्ट अवश्यकताओं के अनुसार संवाद करते हैं। वे करुणा दिखाते हैं।

आशावाद (Optimism)

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग, जीवन के प्रति सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। उनका मानसिक दृष्टिकोण उन्हें असफलताओं के बावजूद लक्ष्यों की ओर लगातार उन्मुख होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भावनात्मक नियंत्रण (Emotional Control)

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग तनाव को समान रूप से संभालते हैं। वे परिवर्तन और अंतर्वैक्तिक विवादों इत्यादि जैसी भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण स्थितियों को बड़े धैर्य से प्रबंधित करते हैं।

लचीलापन (Flexibility)

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग परिवर्तनों के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाते हैं। वे विकल्पों को विकसित करने के लिए समस्या-निवारण तकनीकों का उपयोग करते हैं।

VISION IAS

9. भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों की विशेषताएं



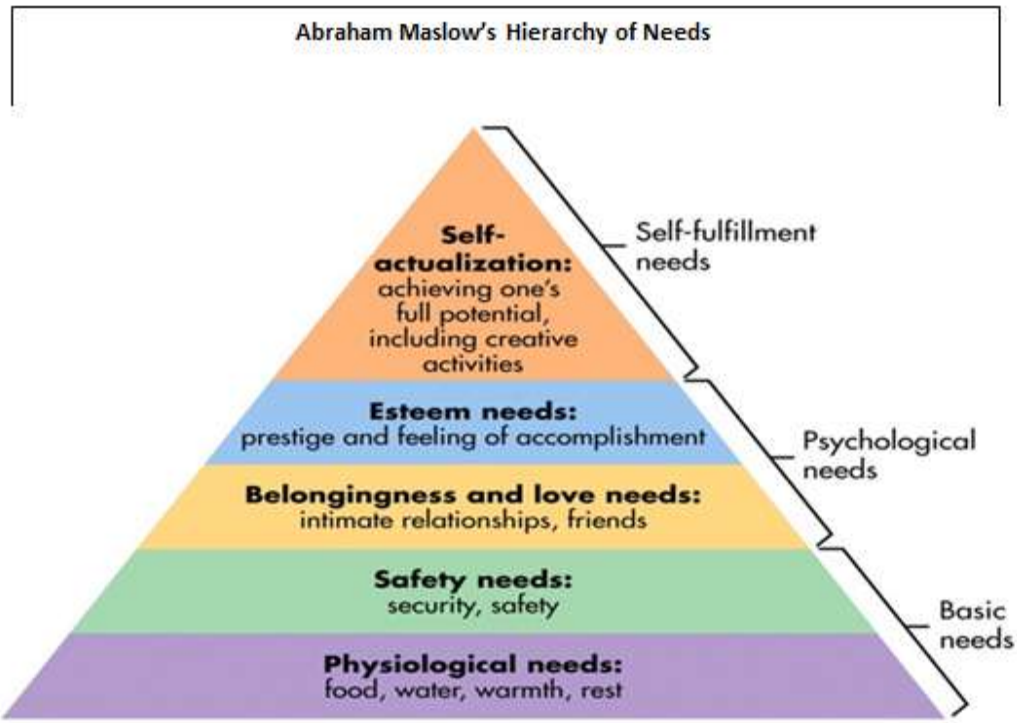
(Qualities of people with Emotional Intelligence)

- प्रमाणिकता तथा वैधता।
- बेहतर अंतर्वैयक्तिक सम्बन्ध, परिणामस्वरूप सामाज में सम्मान की प्राप्ति।
- सत्यनिष्ठा के साथ काम करना, क्योंकि सत्यनिष्ठता का अर्थ होता है हमारी सोच तथा कार्य में एकरूपता, इसलिए स्वयं के भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने पर व्यक्ति स्वयं तथा आस-पास के परिवेश के प्रति जागरूक होगा। इसलिए असंतुलन की संभावना न्यूनतम होगी।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण तनाव कम होता है। ऐसा इसलिए कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं के प्रबंधन तथा उनके नियंत्रण में प्रवीण होते हैं।
- करियर की उन्नत संभावनाएं, क्योंकि प्रत्येक संगठन एक सामाजिक प्रणाली होती है जहाँ लोग आपसी ताल-मेल तथा अंतरनिर्भरता युक्त जैविक समूह का गठन करते हैं। उच्चतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग सामाजिक संबंध स्थापित करने में कुशल होते हैं।
- दूसरों के साथ बेहतर संवाद भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आधारभूत विशेषता होती है।
- आत्म-जागरुकता एवं आत्म-नियमन के कारण आत्म-विश्वास तथा सकारात्मकता की अनुभूति।
- दूसरों से आदर की प्राप्ति, चूँकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यवहारिकता, संवेदनशीलता तथा सहयोग की भावना, एवं अच्छी श्रवण क्षमता पैदा करता है। अनुकूल सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता होती है।
- उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अधिक समानुभूतिपूर्ण होते हैं, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए दूसरों की भावनाओं तथा उनके दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक होता है।
- ग़लतियों से सीखना, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग निश्चयात्मक, साहसी तथा अपने कृत्यों का दायित्व स्वीकार करने वाले होते हैं। इसलिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से लोगों में ग़लतियों को दोहराने की प्रवृत्ति कम हो जाती है।
- आलोचना से लाभ: किसी को भी नकारात्मक आलोचना अच्छी नहीं लगती, किन्तु आपको मालूम होना चाहिए कि सकारात्मक आलोचना हमें सीखने का अवसर प्रदान करती है तथा निराधार होने पर भी, यह आपको दूसरों की विचार-प्रक्रिया से अवगत कराती है। नकारात्मक फीडबैक मिलने पर आप अपनी भावनाओं पर काबू रख स्वयं से पूछते हैं, कि "मुझमें और अधिक सुधार कैसे हो सकता है?"
- इससे रचनात्मकता संवर्द्धित होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रचनात्मकता, सकारात्मक भावनाओं का परिणाम होती है। दूसरी ओर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण हमें अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित रखने तथा विपरीत परिस्थितियों में आशावादी बने रहने में सहायता मिलती है।
- परिवर्तनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि हितधारक सामान्यतः परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते तथा उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अन्य हितधारकों को समझा-बुझा कर एकमत कर लेता है।
- कार्य-स्थल पर भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोगों द्वारा बेहतर सहयोग तथा समन्वय का वातावरण निर्मित किए जाने के कारण शक्ति की खींच-तान संबंधी खेल कम होते हैं।
- **स्वयं को भावनात्मक नुकसान से बचाना (Protecting oneself from emotional sabotage):** भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक नकारात्मक पक्ष भी होता है – यथा ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ाने या किसी अन्य स्वार्थ-पूर्ण कारण से अन्य लोगों की भावनाओं के

VISION IAS

साथ चालाकी भरा खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को इससे बचाने के लिए अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मांजते रहना चाहिए।

- **आवश्यकताएं तथा इच्छाएं (Needs and Wants):** भावनात्मक बुद्धिमत्ता युक्त मस्तिष्क अपने लिए आवश्यक वस्तुओं तथा पसंद की चीज़ों के बीच अंतर करना जानता है जो बहुत कुछ इच्छा सी प्रतीत होती हैं। अब्राहम मैस्लो की "हायरार्की ऑफ़ नीड्स के सन्दर्भ में अगर देखा जाए तो एक आवश्यकता आधारभूत स्तर की चीज़ होती है, यथा सुरक्षा, उत्तरजीविता तथा भरण-पोषण। उन चीज़ों की पूर्ति हो जाने पर हम अन्य आवश्यकताओं या इच्छाओं की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। "इच्छा" का अर्थ है एक बड़ा घर, एक अच्छी कार, स्मार्ट फ़ोन इत्यादि। उत्तरजीविता या जीने के लिए हमें उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनकी इच्छा हमारी पसंद के अनुसार तथा समाज में उनके महत्व के अनुसार उठती है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग इन दोनों चीज़ों के बीच के अंतर को समझते हैं, तथा इच्छा पूर्ति से पहले आवश्यकताओं को महत्व देते हैं।



10. क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है?

(Can Emotional Intelligence be Developed?)

लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित कर पाने की क्षमता को लेकर अनेक दृष्टिकोण हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखी तथा सुदृढ़ की जा सकती है, जबकि अन्यों का मानना है कि यह एक जन्मजात विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में, कुछ विचारकों की राय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) तथा भावनात्मक लब्धि (EQ) के बीच अंतर होता है। EI का तात्पर्य अन्तःस्थित क्षमता से है, यथा हर व्यक्ति भावनात्मक साक्षरता तथा भावात्मक सीख प्राप्त करने की क्षमता की कुछ अन्तस्थ संभावना के साथ जन्म लेता है। तथा यह क्षमता तभी उपयोग में आ पाती है जब व्यक्ति को एक अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। इस अनुकूल वातावरण के केंद्र में भावात्मक सीख छिपे होते हैं। ये भावात्मक सीख हमें माता-पिता, शिक्षकों, समान-आयु वर्ग के लोगों द्वारा बचपन या

किशोरावस्था में सामाजीकरण के रूप में प्रदान किया जाता है। इसी का परिणाम EQ कहलाता है। इस प्रकार EQ व्यक्ति की अन्तस्थ EI के उचित या अनुचित विकास की सापेक्षिक माप है। यह संभव है कि समान EI के दो बच्चों में भिन्न EQ, तथा समान EQ वाले बच्चों में भिन्न EI पाया जा सकता है जो सामाजीकरण संबंधी उनकी अनुभूतियों पर निर्भर करता है। तथापि, यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि दोनों में से कोई भी IQ की भांति संख्यात्मक स्थिति नहीं है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता सबसे अच्छी प्रकार से आरंभिक वर्षों में साझा करना, अन्य के बारे में सोचना, स्वयं को दूसरों की स्थिति में रख कर किसी सोचना, सबको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान करना तथा सहकारिता के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करके विकसित की जा सकती है। भावनात्मक लब्धि को बढ़ाने के लिए खिलौने तथा विशिष्ट प्रकार के खेल जैसे कई साधन हैं, तथा सामाजिक परिवेश में अच्छी प्रकार न घुल-मिल सकने वाले बच्चों में SEL (सामाजिक तथा भावनात्मक ज्ञान) कक्षाओं के बाद काफ़ी सुधार देखने को मिला। **प्रभावी प्रशिक्षण के द्वारा एक निश्चित सीमा तक ही सही, वयस्कों की EQ में भी वृद्धि की सकती है।**

हाई फंक्शनिंग ऑटिज़्म (high functioning autism; HFA) या ऐस्पर्गर्स (Asperger's) जैसी कुछ चिकित्सकीय स्थितियां भी होती हैं जिसके लक्षणों में से एक निम्न-समानुभूति स्तर भी हो सकता है। कुछ विद्यार्थियों ने पाया कि ऐस्पर्गर्स से ग्रस्त कुछ वयस्कों में समानुभूति की भावना निम्न थी, नियंत्रक समूहों के द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि HFA या ऐस्पर्गर्स से ग्रस्त व्यक्तियों में भी EQ के स्तर में बदलाव लाया जा सकता है।





11. भावनात्मक रूप से मेधावी नेतृत्व का विकास

(Developing Emotionally Intelligent Leadership)

नेतृत्व सामाजिक संवाद या आदान-प्रदान की एक प्रक्रिया है जिसमें नेतृत्वकर्ता द्वारा अपने अनुयाइयों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, कार्य-निष्पादन संबंधी परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जा सकता है। नेतृत्व-कौशल तात्विक रूप से एक भावनात्मक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत नेता अपने अनुयाइयों की भावनाओं की पहचान कर उनमें सही भावनाओं का विकास करने की चेष्टा करते हैं, तथा अनुयाइयों की भावनात्मक दशाओं को तदनुसार बेहतर रूप से प्रबंधित करने की चेष्टा करते हैं।

साझा भावनात्मक अनुभूतियों का निर्माण कर नेता समूह की एकता में वृद्धि करते हैं। EI किसी व्यक्ति के सामाजिक रूप से प्रभावी होने के पीछे का मुख्य कारक है, तथा इसे प्रभावी नेतृत्व का मुख्य निर्धारक समझा जाता है।

नेतृत्व में विश्वसनीयता, ईमानदारी तथा भरोसा व्यापक रूप से सम्मिलित होते हैं। विश्वसनीयता से हमें दूसरों से सम्मान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। लोग उसकी बात सुनना पसंद करते हैं जिन पर उन्हें अपना हित चिन्तक होने का भरोसा होता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता के शब्दों में यदि कहें तो, व्यक्ति यह विश्वास दूसरों के प्रति समानुभूति रख कर प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति के दूसरों के प्रति समानुभूतिपूर्ण होने पर उसे उनका सहयोग अधिक मिलता है चूँकि ऐसा व्यक्ति दूसरों के हित की चिंता करता है। किसी व्यक्ति द्वारा स्वार्थ-पूर्ण या कठोर रवैये के साथ काम करने पर लोग उससे बचने लगते हैं। लोगों का साथ पाने के लिए हमें उनका भरोसा जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा निम्न विशेषताओं के बल पर किया जा सकता है:

- **स्वयं के लिए सम्मान:** उच्च आत्म-सम्मान होने का अर्थ है स्वयं की शक्तियों तथा दुर्बलताओं की समझ होना। इस समझ के लिए स्वयं के बारे में ज्ञान होना तथा आत्मविश्वास एवं घमंड के बीच संतुलन स्थापित रखना आवश्यक होता है। विनम्रता युक्त व्यक्तियों की सहायता करने में लोग अधिक सहज अनुभव करते हैं।
- **आशावाद:** लोगों को आशावाद तथा प्रसन्नता आकर्षक विशेषताएं प्रतीत होती हैं। लोगों द्वारा किसी आशावादी व्यक्ति के साथ सहयोग करने की अधिक संभावना होती है।
- **प्रसन्नता:** आशावाद की भांति प्रसन्नता भी लोगों को आकर्षित करती है। हमारे प्रसन्न रहने पर लोग हमारे आस-पास होना अधिक पसंद करते हैं। प्रसन्न रहने से "पसंद किए जाने की क्षमता" बढ़ जाती है।
- यह सांसर्गिक भी हो सकता है। हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, तथा प्रसन्न-चित्त व्यक्तियों के पास रहने से हमारी स्वयं की प्रसन्नता में वृद्धि होती है।

12. शासन और प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका

(Role of Emotional Intelligence in Administration and Governance)

असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और धारणात्मक रूप से मेधावी एवं बहुत उच्च बुद्धि लब्धि (IQ) होने के बावजूद कई सिविल सेवक विशेष रूप से बेहतर नहीं होते हैं। उनमें से कई अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और असंवेदनशील होते हैं। अपने आसपास के लोगों के लिए उनके भीतर बहुत ही कम या कोई भी भावना नहीं होती है। अपने सम्बन्धों में वे शारीरिक रूप से बहुत ही असहज अनुभव करते हैं; उनमे कोई सामाजिक शिष्टता नहीं होती या कोई व्यक्तिगत सामजिक जीवन भी नहीं होता है। स्वयं के साथ असहज होने के साथ अन्य लोगों को भी असहज बना देना उनके जीवन में नियमित अनुक्रिया बन जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक सेवाओं के उत्तरदायित्व निर्वहन में विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में जोखिम उठाने वाले व्यवहार और निर्भीक निर्णयों की आवश्यकता है।

VISION IAS



सिविल सेवकों को लोगों के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यह उनके दायित्वों का प्रमुख हिस्सा है। इसके अतिरिक्त सिविल सेवक सार्वजनिक हितों के ट्रस्टी (सरंक्षक) हैं और उन्हें नीति निर्धारण का कार्य सौंपा गया है। इसलिए, उनका EI ऊंचा होना आवश्यक है, क्योंकि EI के बिना समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति समानुभूति रखना और दृष्टिकोण में दृढ होना और परिवर्तन का कारक बनना कठिन होगा।

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान प्रशासक (Emotionally Intelligent Administrator)

भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता केन्द्रित और स्थिर होते हैं। ऐसे नेता स्थिर मनोदशा प्रदर्शित करते हैं, उनके व्यवहार अनियमित या बेहद अप्रत्याशित नहीं होता, और उनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं:

- **उच्च आत्म-सम्मान:** अच्छे नेताओं का आत्म-सम्मान बहुत उच्च होता है। जो नेता सब कुछ जानने का दावा करते हैं, वे निकृष्ट नेता होते हैं। अच्छे नेताओं को अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है और वे उनका लाभ उठाते हैं। साथ ही, उन्हें अपनी कमजोरियों का भी पता होता है और उन क्षेत्रों के अंतर को पाटने के लिए वे उच्च कौशल वाले लोगों का उपयोग करते हैं।
- **जीवन में संतुलन बना कर रखते हैं:** अच्छे नेताओं को यह ज्ञान भी होता है कि कैसे उन्हें व्यक्तिगत जीवन और कामकाजी जीवन को संतुलित करना है। वे अपने समय के उचित प्रबन्धन से मानसिक और शारीरिक तनाव से बचे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन भलीभांति प्रबंधित कर सकता है – जिसमें तनाव, घरेलू जीवन, तंदुरस्ती और आहार सम्मलित हैं – तो उसके पास अपने कार्यस्थल के प्रबन्धन का एक बेहतर अवसर होगा।
- **लक्ष्य स्पष्ट होना :** सफल नेता व्यक्त कर देता है कि उसे क्या लक्ष्य प्राप्त करना है और उसे प्राप्त कर लेता है। नेता यदि चाहता है कि लोग उसका अनुसरण करें तो उसे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुसार, इस कार्य में दृढ़ता और स्वतन्त्रता सम्मलित है। जो लोग मुखर और स्पष्ट हैं, उन्हें अपने विचार, भावनाओं और मान्यताओं को व्यक्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। साथ ही, जो लोग स्वतंत्र हैं, वे सब की सुनते हैं और परामर्श लेते हैं परन्तु अंतत स्वयं ही सूचित निर्णय लेते हैं। स्वतन्त्रता का अभिप्राय कार्यावन्यन के लिए कार्रवाई करना है।
- **साझे विजन को प्रेरित करते हैं:** एक नेता के रूप में, दूसरों को यह आश्वस्त करना होता है कि वह उनकी आवश्यकताओं को बेहतर समझता है और उसके हृदय में उनके हित सर्वोपरि हैं। एक साझे विजन को प्रेरित करने के लिए समानुभूति और आशावाद का उपयुक्त मात्रा में होना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे विजन को सकारात्मक और वांछनीय रूप प्रदान करता है, ताकि दूसरे इसे साझा करने के इच्छुक हो सकें। हमारी समानुभूति यह सुनिश्चित करती है कि जो वह देखना या सुनना चाहते हैं, हम उनके हृदय की उसी तार को छुएँ।
- **प्रक्रिया को चुनौती:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता, परिवर्तन के लिए प्रयास करता है। वह सुधार और विकास, प्रयोग और जोखिम लेने के अवसरों की ताक में रहता है। यथास्थिति को चुनौती देने के लिए आवश्यक भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख कौशलों में से एक नम्यता है। नम्य लोगों में नई चीजों को आजमाने, जोखिम लेने और निर्भयता से नई चुनौतियों का सामना करने की अधिक सम्भावनाएं होती हैं।
- **दूसरों को कार्य करने में सक्षम बनाते हैं:** सफलता की परिभाषा के लिए एक टीम, नेताओं और अनुयायियों की आवश्यकता होती है। नेता दूसरों को विभिन्न उपायों से सशक्त कर सकते हैं। वे सहयोग को बढ़ावा और विश्वास की स्थापना से दूसरों को सक्षम बनाते हैं। सफल नेता अपनी सत्ता में भागीदारी प्रदान करते हैं, दायित्वों को प्रत्यायोजित करते हैं, दूसरों के बेहतर कार्य-प्रदर्शन के लिए जो भी आवश्यक हो करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सन्दर्भ में, दूसरों को कार्य करने में

VISION IAS

सक्षम बनाने के लिए आत्म-सम्मान और अंतर्वैयक्तिक कौशल की आवश्यकता होती है। सफल सम्बन्धों के निर्माण के लिए आपको सार्थक तरीके से दूसरों से जुड़ने और सम्बद्ध होने के कौशल की आवश्यकता होती है।



- **दबाव में शांतचित्त बने रहते हैं:** अच्छे नेता कठिन परिस्थितियों में भी क्रोध पर नियन्त्रण रखते हैं।
- **दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं:** इस अभ्यास के लिए एक प्रमुख घटक दूसरों के योगदान को पहचानना सम्मलित है। उनकी भागीदारी के लिए पुरस्कृत करने से लोगों को हमारी टीम का अंग बनने के लिए प्रेरित करने में बहुत सफलता मिलती है। जो नेता दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं उन्हें न केवल यह जानने की आवश्यकता होती है कि लोग कैसा महसूस करते हैं बल्कि उनके साथ सम्बन्ध बनाने में भी सक्षम होना आवश्यक है।

केस स्टडीज़

दो सिविल सेवकों की कहानी इस बिंदु को विस्तारित करेगी। रवि और सुनील के पास एक जैसी योग्यता हैं, दोनों अग्रणी स्कूलों और विश्विद्यालयों से उत्कृष्ट अंक प्राप्तकर्ता है उन्होंने एक प्रशिक्षु के रूप में एक समान पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, परन्तु जैसे ही वे नव-नियुक्त मजिस्ट्रेट की अपनी सम्बन्धित पोस्टिंग पर पहुंचते हैं, सभी समानताएं गायब हो जाती हैं। हालाँकि अकादमिक रूप से उत्कृष्ट रवि का मानना था की यह उनकी प्रशासनिक और तकनीकी प्रवीणता थी जो उनके कार्य के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण थी। हालाँकि, सुनील रवि से अकादमिक रूप से उत्कृष्ट तो नहीं था परन्तु अंतर्वैयक्तिक रूप से बहुत कुशल था। नौकरी पर कुछ वर्षों के पश्चात रवि को एक बेहतर प्रशासक के रूप में देखा गया और हर छह महीने बाद स्थानांतरित किया जाता था। सुनील की एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान बन गयी थी जो एक टीम में अच्छी तरह से कार्य कर सकता था और पहल कर सकता था, अपने काम के लिए पर्याप्त समय समर्पित कर रहा था, अपने सह-अधिकारियों, परियोजनाओं और चिन्ताओं से अवगत था और वह जानता था टीम में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका लोगों की सहायता करना था। रवि यह अनुभव करने में विफल रहा कि उसके कार्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग सम्बन्ध विकसित करने की क्षमता था। उनके अधिकारियों को पता था कि वह प्रशासनिक रूप से से कुशल था परन्तु टीम में कार्य करने की क्षमता में उसका विश्वास कम था। शैक्षिक योग्यताओं में रवि के बेहतर होने के बावजूद सुनील ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

13. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंधकारमय पहलू

(Dark Side of Emotional Intelligence)

भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इस उत्साह का अंधकारमय पहलू भी है। नए साक्ष्यों से पता चलता है कि जब लोग अपने भावनात्मक कौशल को बढ़ाते हैं तो वे दूसरों से *जोड़-तोड़* करने में बेहतर हो जाते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में अच्छे होते हैं, तो आप सच्ची भावनाओं को छिपा सकते हैं। जब आप जानते हैं, कि दूसरे कैसा अनुभव कर रहे हैं तो आप उनके मन की बात जान सकते हैं और उन्हें अपने सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हो। विशेषकर, जब स्वयं उनके हितों की बात होती है तो EI दूसरों के जोड़-तोड़ का हथियार बन जाता है।

सामाजिक वैज्ञानिकों ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इस अंधकारमय पक्ष के प्रमाण प्रस्तुत करने प्रारम्भ कर दिए हैं। कैम्ब्रिज विश्विद्यालय के प्रोफेसर जोचेन मेंजेस के नेतृत्व में हो रहे एक शोध में, जब एक नेता ने भावनाओं से ओत-प्रोत एक प्रेरणादायी भाषण दिया तो दर्शकों की उसके संदेश की जांच करने की कम सम्भावना थी और उसकी विषय सामग्री की याद भी कम थी। विडम्बना यह है कि श्रोतागण उसके भाषण से इतने प्रभावित हुए उन्होंने इसका पुन:स्मरण करने का दावा किया।

VISION IAS

एक पर्यवेक्षक ने व्यक्त किया कि हिटलर का प्रबोधक प्रभाव उसके भावनाओं को युक्तिपूर्वक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता से आया – "वह अपने दिल को खोल कर रख देता था" – और इन भावनाओं ने उसके अनुयायियों को इस हद तक प्रभावित किया कि वे "गम्भीर रूप से सोचना बंद कर केवल भावनाओं में बहते थे।" जो नेता भावनाओं में निपुण हो जाते हैं, वे हमारे सोचने-विचारने की शक्ति को हर लेते हैं। यदि उनके मूल्य हमारे मूल्यों से भिन्न है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।



14. निष्कर्ष (To Conclude)

जीवन में सफलता सामाजिक रूप से सफल होने पर निर्भर करती है, और सामाजिक सफलता का एक बड़ा भाग EQ पर निर्भर करता है। लेकिन बढ़ते हुए शोध प्रदर्शित करते हैं, EQ का उपयोग 'जीत-हार' के साथ 'जीत-जीत' के परिणामों के रूप में नियोजित करने के लिए किया जा सकता है। बेशक, लोग EQ का उपयोग हमेशा कुटिल कार्यों के लिए ही नहीं करते हैं, अधिकतर मौकों पर भावनात्मक कौशल का उपयोग लक्ष्य प्रति का केवल एक उपकरण या साधन है।

EI का उपयुक्त स्तर उन मामलों में 'अंतर्संबंधों' को समझने की क्षमता की मांग करता है, जो असम्बद्ध हैं, परन्तु एक साथ मिल कर सार्वजनिक नीति या परियोजना के परिणामों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्रशासनिक न्याय का एक घटक होना चाहिए और इसे 'रचनात्मक भावनात्मक बुद्धिमत्ता' भी कहा जा सकता है।

15. भावनात्मक बुद्धिमत्ता संबंधी एक केस स्टडी

(A Case Study on Emotional Intelligence)

अकाउंटेंट जूली एक लंबी और जटिल परियोजना पर कार्य कर रही है। उसे कुछ नए कौशल सीखने की आवश्यकता है जो कौशल संस्थान में किसी के पास नहीं हैं। कुछ समय के लिए तो वह निराश रही और उसे आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका प्रबन्धक उस कार्य की जटिलता को समझ नहीं पाया था।

कुछ हफ्तों तक अपने ही हाल पर छोड़े जाने के पश्चात वह धीमी परन्तु स्थिर प्रगति कर रही थी।

अप्रत्याशित रूप से उसे अपने प्रबन्धक से एक इमेल प्राप्त हुआ, जो उसकी प्रगति और परियोजना के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में बहुत सकारात्मक था। यह इमेल समूर्ण रूप से एक आश्चर्य था और प्रबन्धक द्वारा इस प्रकार का कुछ भेजा जाना असामान्य था। परिणामतः जूली में उत्साह जाग्रत हुआ और उसमें "संघर्ष करते रहने" और अधिक सीखने और अवास्तविक समय सीमा को पूरा करने की इच्छा प्रबल हो गयी।

प्रबन्धक दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर था, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का छठा आयाम है।

इस उदाहरण से, यह स्पष्ट है कि कैसे सहकर्मियों या अधीनस्थों में उपयुक्त भावना पैदा कर कठिन लक्ष्यों को पूरा करने का चमत्कार किया जा सकता है। मूल विचार यह है कि भावनाएं हमारे व्यवहार के लिए उत्साहवर्धक हैं, इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें भावनाओं का प्रबन्धन करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाती हैं।

VISION IAS

16. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न



(Past Year UPSC Questions)

2013

1. 'भावात्मक प्रज्ञता' क्या होता है और यह लोगों में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक होता है?

2016

1. क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकर है।
   (a) चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है।
   (b) इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है?

17. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न

(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions)

1. **"भावनाएं हमारे सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक बुरे निर्णयों के लिए उत्तरदायी होती हैं, अंतर सिर्फ भावनात्मक समझ का है।" दिए गए कथन के आलोक में इस बात की दृष्टांत सहित व्याख्या कीजिए कि भावनात्मक समझ किस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है? एक सिविल सेवक को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में यह कैसे सहायता कर सकता है?**

दृष्टिकोण:

प्रश्न का केन्द्रीय भाव है- "निर्णय प्रक्रिया में भावनात्मक समझ का महत्व"। तदनुसार, उत्तर को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है:

- भूमिका में इस बात पर विचार कीजिए कि किस प्रकार भावनाएं किसी व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करती हैं तथा किस प्रकार वे अच्छे तथा बुरे निर्णयों हेतु उत्तरदायी होती हैं।
- तत्पश्चात, भावनात्मक समझ की अवधारणा प्रस्तुत कीजिए। दर्शायें कि भावनात्मक समझ किस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में अंतर उत्पन्न करती हैं।
- एक सिविल सेवक की निर्णय प्रक्रिया संबंधी गतिविधि में भावनात्मक समझ की प्रासंगिकता दर्शाते हुए उत्तर समाप्त कीजिए।

उत्तर:

लगभग आरम्भ से ही निर्णय प्रक्रिया के विशेषज्ञों ने यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया कि निर्णय करना एक तर्कसंगत प्रक्रिया है जिसमें तथ्य और उनका विश्लेषण सम्मिलित होता है। हालांकि, वास्तव में निर्णय, व्यक्तियों द्वारा लिए गए फैसले संबंधी कृत्य होते हैं। ये निर्णय उन प्रक्रियाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं जिन्हें अभी समझने की चेष्टा की जा रही है। वस्तुतः, बहुत से दृष्टांतों में हमारे कार्यों की वास्तविक संचालक हमारी भावनाएं हैं।

बहुत से विशेषज्ञ तथा अनुभवसिद्ध अध्ययन भावनात्मक रूप से आवेशित होने पर निर्णय-कर्ताओं को निर्णयन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात भावनाओं की



उपस्थिति नहीं है बल्कि वह ढंग या प्रणाली है जिसके अनुसार लोग भावनाओं की व्याख्या करते हैं तथा उसे व्यवहार में लाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ उपयुक्त व्यवहार करता है तो वह अपेक्षाकृत अधिक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होता है। अपनी भावनाओं से व्यवहार करने में व्यक्ति जितना ही कुशल होगा, उसके द्वारा और अधिक सही निर्णय लेने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

भावनात्मक समझ को व्यक्ति की ऐसी योग्यताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उसे एक सार्थक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भावनाओं की अनुभूति, विचारपूर्वक उनका उपयोग करने, उन्हें समझने तथा उनका प्रबंधन करने में समर्थ बनाती हैं। जब किसी निर्णय प्रक्रिया में भावनाओं का समावेश किया जाता है तो उन्हें भावनात्मक समझ में निहित योग्यताओं द्वारा संसाधित किया जाता है। निर्णय में अलग-अलग मात्रा में अनुभूति तथा भावनाओं का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण के लिए, अत्यधिक क्रोध की स्थिति का सामना करते हुए व्यक्ति तर्कसंगत तथा अनेक चरणों वाली प्रक्रिया को छोड़, क्रोध के वशीभूत होकर कोई अनैतिक निर्णय ले सकता है। क़ानून का प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के उदाहरण लें, शत्रुतापूर्ण या प्रतिकूल वातावरण में वे बदले की कारवाई में संलग्न हो सकती हैं।

इसलिए सिविल सेवाओं में भावनात्मक समझ, भावनाओं को सार्थक परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रबंधित करने में लाभ पहुंचाती है। इसलिए, उच्च भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति अपने निर्णय प्रक्रिया पर क्रोध या रोष जैसी नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। रोष या क्रोध को सिर्फ अड़चनों के रूप में ही नहीं हटाया जाता है बल्कि निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु भी उनका उपयोग किया जाता है। इसलिए, भावनात्मक रूप से समझदार सिविल सेवा का परिणाम विशिष्ट रूप से तब अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्ट निर्णयों के रूप में सामने आ सकता है जब अधिक नकारात्मक भावनाएं निर्णयों को प्रभावित करने की चेष्टा करती रहती हैं।

2. क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता सांस्कृतिक जड़ों से प्रभावित होती है? भारतीय समाज की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आप पश्चिमी समाज की भावनात्मक बुद्धिमत्ता से किस प्रकार पृथक करेंगे।

दृष्टिकोण:

- किस प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होती है, चर्चा कीजिए।
- भारत तथा पश्चिमी सन्दर्भ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपनी तथा दूसरों की भावनाओं की पहचान तथा उनके प्रबंधन करने की क्षमता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता का एक भाग व्यक्ति के भीतर जन्म से ही होता है जबकि दूसरा सीखने तथा अनुभव द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है; यह दूसरा भाग संस्कृति से प्रभावित होता है तथा व्यवहारों को समझने के लिए संरचना, दिशानिर्देश, दृष्टिकोण तथा नियम प्रदान करता है।

हालांकि भावनाओं को सार्वभौमिक व्यवहार के रूप में जाना जाता है, तथापि शोधकर्ताओं का मानना है कि उन तरीकों जिनके द्वारा भावनाओं को अनुभव, अभिव्यक्त, समझा तथा विनियमित किया जाता हैं, को सांस्कृतिक मानदंडों से प्रभावित किया जा सकता है।

सकारात्मक और नकारात्मक भावों को पहचानकर तथा यह तय कर कि भावों को कब अभिव्यक्त किया जाना चाहिए तथा उन्हें किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना चाहिए आदि के माध्यम से संस्कृति भावनात्मक कार्य पद्धति को प्रभावित करती है।

कई नृजातीय अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि सामाजिक परिणामों में सांस्कृतिक विभिन्नता उपस्थित होती हैं; विशेष तौर पर तब जब भावों का मूल्यांकन किया जाए।

समष्टिवादी संस्कृतियों में क्रोध, प्रेम, हताशा आदि जैसी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति अशिष्ट मानी जाती हैं तथा सार्वजानिक रूप से अवांछनीय होती हैं जबकि यही व्यक्तिवादी

VISION IAS

संस्कृतियों में अत्यावश्यक गुण माने जाते हैं। इस प्रकार अमेरिका में, माता पिता भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि भावना का दमन अक्सर अस्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार लोग जिस तरह से भावनाओं को देखते हैं, उन्हें विनियमित करते हैं तथा प्रदर्शित करते हैं, यह सब उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार परिवर्तित होता है।



भारत तथा पश्चिम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रयोज्यता

भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भारतीय दर्शन परंपरा में अन्तर्निहित है जो भावनाओं की शक्तिशाली प्रकृति पर जोर देती है। इन भावनाओं को एक सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए प्रयुक्त किये जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ (भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति) कहा गया है।

भगवान श्री कृष्ण के अनुसार स्थितप्रज्ञ व्यक्ति वह होता है जो किसी भी आपदा में स्थिर रहता है तथा धैर्य के साथ अच्छे या बुरे परिणाम का सामना करता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपनी इच्छानुसार भावनात्मक रुप से सम्बद्ध या असम्बद्ध होने की शक्ति धारण करता है।

भारतीय तथा पश्चिमी दार्शनिक परंपराओं में निम्नलिखित अंतर देखे जा सकते हैं:

- पश्चिमी दृष्टिकोण मुख्यतः इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि हम अपने आसपास के व्यक्तियों से किस प्रकार अपने व्यवहार को प्रबंधित करें जबकि भारतीय दृष्टिकोण का मोक्ष से संबंधित उद्देश्य भी है। इसके अनुसार हम अपने धर्म का अनुसरण कर तथा आत्म नियंत्रण कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अंतिम परिणामों की चिंता न कर मस्तिष्क को संतुलित रखने की शिक्षा भी प्रदान करता है।
- भारत में व्यक्ति अपने समूह के साथ अन्योन्याश्रित संबंध (समष्टिवादी संस्कृति) रखता है जबकि पश्चिम में व्यक्ति स्वतंत्र है (व्यक्तिवादी संस्कृति) तथा अपने वैयक्तिक उद्देश्य एवं इच्छाओं को अधिक महत्व प्रदान करता है।
- भारतीय कर्मचारी आमतौर पर नेतृत्व की एक अधिक निर्देशित तथा कार्य उन्मुख प्रकृति को प्राथमिकता देते हैं जबकि पश्चिमी प्रबंधक सहभागिता मूलक प्रकृति को।

3. भावनाओं को, जिन्हें पहले निर्णय लेने में एक अतार्किक कारक माना जाता था, अब निर्णय का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इस संबंध में, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए:

(a) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिसकर्मियों और सशस्त्र बलों द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र दबाव और कार्य संबंधी तनाव (occupational stress) का मुकाबला करने में भावनात्मक प्रज्ञता (Emotional Intelligence) किस प्रकार सहायता कर सकती है?

(b) लोक सेवा में भावनात्मक प्रज्ञता कौशल को समाविष्ट करने और आंकलन करने संबंधी कुछ चिंताएं क्या हैं?

दृष्टिकोण:

- भावनात्मक प्रज्ञता (इमोशनल इंटेलिजेंस: EI) का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
- कार्य संबंधी तनाव और दबाव से निपटने में पुलिसकर्मियों और सशस्त्र बलों की EI किस प्रकार सहायता करती है, समझाएँ।
- लोक सेवा में भावनात्मक प्रज्ञता कौशल का समावेश एवं मूल्यांकन करते समय उत्पन्न होने वाली कुछ चिंताओं को सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर:

भावनात्मक प्रज्ञता (EI), तनाव दूर करने, प्रभावी ढंग से संवाद करने, दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने, चुनौतियों पर काबू पाने और संघर्ष ख़त्म करने के लिए अपनी भावनाओं के साथ ही दूसरों की भावनाओं की सकारात्मक ढंग से पहचान करने, उपयोग में लाने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है।

VISION IAS



भावनाओं को पहले एक अतार्किक कारक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये तार्किकता को विकृत करती हैं और इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। हालांकि, EI को मान्यता मिलने के बाद भावनाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाने लगा। लोक सेवकों के सामने कार्य के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो आबादी के कमजोर वर्गों से सम्बंधित होती हैं। इन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं की समझ जरूरी होती है। इस प्रकार, EI आवश्यक है। यह तार्किक कारकों पर आधारित निर्णयों से विशुद्ध भावनात्मक निर्णयों या उत्तेजना में लिए गए निर्णयों को अलग करने में मदद करती है।

(a) पुलिस अधिकारियों व सशस्त्र बलों के सदस्यों को परिवार और मित्रों से अलगाव, प्रतिकूल माहौल (विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ लोग अपनी तैनाती का विरोध करते हैं), कठोर नियमों के अनुपालन और व्यावसायिक पदानुक्रम, अत्यधिक कार्यभार, भूमिका की अस्पष्टता, निर्वाह की अत्यंत निम्न दशाओं, युद्धक्षेत्र में जान का खतरा/धमकी आदि कारकों के कारण व्यावसायिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

ऐसी स्थितियों में, EI उन्हें दबाव और तनाव का सामना करने में सहायता प्रदान कर सकती है। EI के मुख्य स्तंभ हैं:

- **आत्म-जागरूकता:** इसमें शारीरिक दबाव डालने वाले कार्यों को करते समय अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को जानना शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें तनाव से बचने के लिए प्रयास किये जाते हैं तथा अतिशय कदम उठाने से बचा जाता है। इन अतिशय कदमों का एक उदाहरण अधिकारियों के आत्महत्या करने की हालिया खबरें हैं।
- **आत्म-प्रबंधन:** इसका तात्पर्य आवश्यकता से अधिक काम के घंटे, आपातकालीन स्थिति आदि कठिन परिस्थितियों में स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता से है।
- **सामाजिक जागरूकता:** इसमें साथी अधिकारियों, विशेषकर अधीनस्थों के साथ-साथ नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करते समय उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना शामिल है।
- **संबंध प्रबंधन:** इसका अर्थ पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना और शारीरिक रूप से उपस्थित न होने पर भी अपने परिवार को भावनात्मक रूप से समर्थन देने की क्षमता विकसित करना है।

इसके अतिरिक्त, ऐसी संघर्षपूर्ण स्थितियों में जहाँ जनता में अधिकारियों के प्रति अविश्वास की स्थिति होती है वहाँ EI मुक्त व्यवहार स्थापित करने तथा विरोधी दृष्टिकोणों का आदर करने में सहायता कर सकती है।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस कर्मियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों के कर्तव्यों में उचित अनुपात में बल प्रयोग करना शामिल है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही इन बलों में आदेशों की श्रृंखला (chain of command) बनाए रखने के लिए पदानुक्रमित नेतृत्व भी आवश्यक है। इसलिए, इन बलों में EI की समझ को इन मापदंडों के अनुसार ही तैयार किया जाना चाहिए।

(b) लोक सेवाओं में EI का समावेश और मूल्यांकन करने से सम्बंधित कुछ चिंताएँ हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

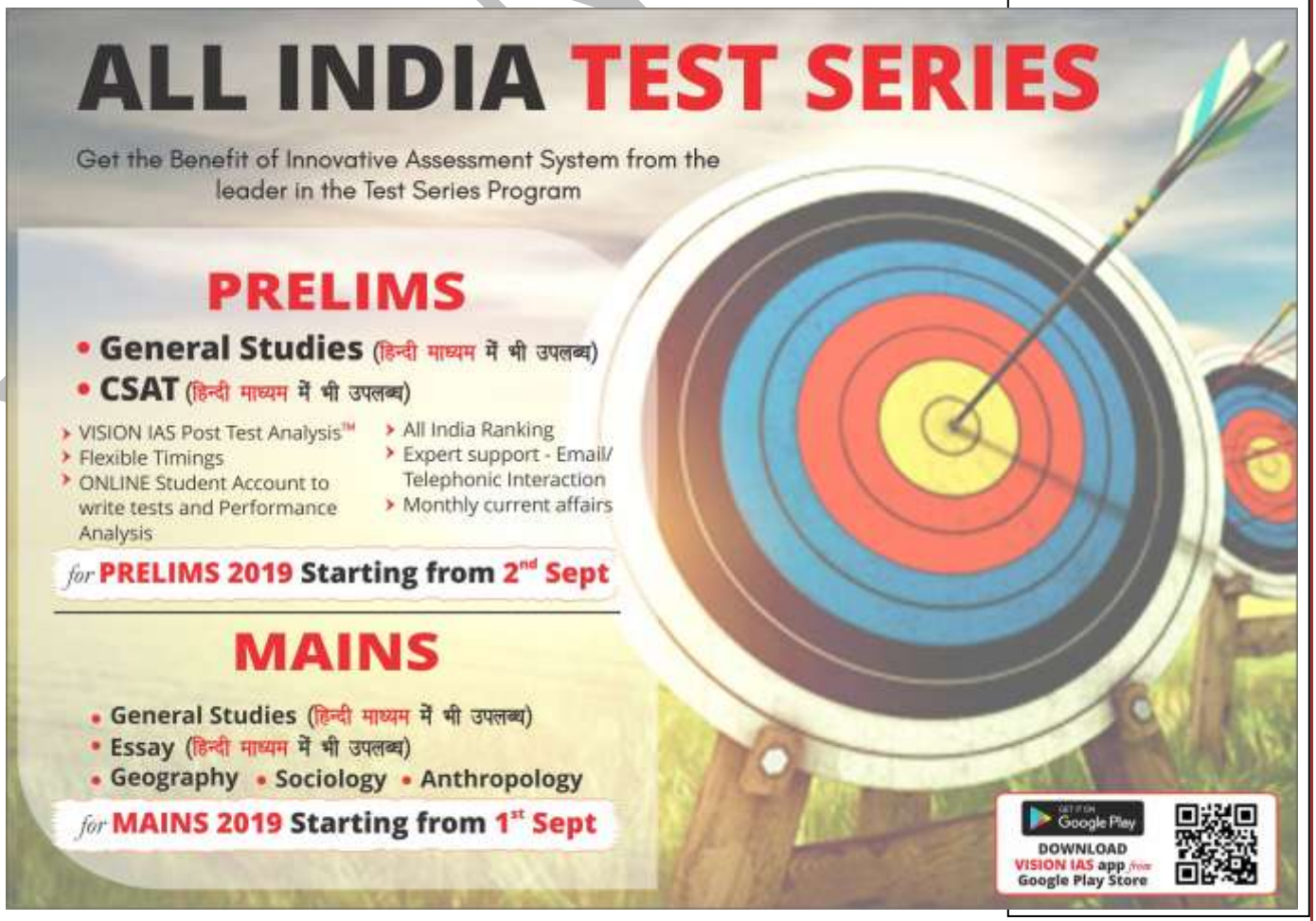
- **EI का मापन:** हालांकि, EI का मापन करने के लिए मेयर-सालोवी-कारुसो EI परीक्षण (MSCEIT), वोंग का EI पैमाना इत्यादि जैसे परीक्षण उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी वैधता संदिग्ध है क्योंकि इनके परिणामों को वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय नहीं माना जाता है।

VISION IAS

इसलिए, वैधता की कमी के कारण लोक सेवकों के लिए इन परीक्षणों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता।

- **उचित चरण:** यहां तक कि यदि इन परीक्षणों का समावेश कर भी लिया जाता है, तो इस बात पर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं कि ये परीक्षण भर्ती चरण के दौरान किए जाएँगे या पदोन्नति चरण के दौरान। क्रमिक चरणों में EI परीक्षणों का वेटेज भी निर्धारित नहीं किया गया है।
- **सेवाओं में लचीलेपन की कमी:** लोक सेवाओं की संरचना कठोर होती है। भर्ती प्रक्रिया से लेकर पदोन्नति और सेवानिवृत्ति तक -किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन के प्रति इनका बिल्कुल झुकाव नहीं होता है। इसलिए, ऐसे कठोर संगठनों में नई कार्यप्रणालियों को शुरू करने की संभावना कम होती है।
- **परिवर्तित होता परिवेश:** लोक सेवक परिवर्तित परिवेश में काम करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की भावनाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, इस परिदृश्य में EI का पूरी तरह समावेश और मूल्यांकन करना कठिन होगा।
- **अन्य मापदंडों के साथ संतुलन बनाना:** लोक सेवाओं में कर्मियों की भर्ती करते समय प्रतियोगिता परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता, तंदुरुस्ती आदि कारकों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए इन सभी में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

अतः, EI अभी भारत में लोक सेवाओं का महत्वपूर्ण घटक नहीं है। हालांकि, इसे लोक सेवकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जनता की आवश्यकताओं के प्रति, विशेषकर निरंतर परिवर्तनशील परिवेश में, जवाबदेह और संवेदनशील होना चाहिए।



18. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज

(Past Year UPSC Questions: Case Studies)

1. ए.बी.सी. लिमिटेड एक बड़ी पारराष्ट्रीय कम्पनी है जो विशाल शेयरधारक के आधार पर विविध व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करती है। कम्पनी द्वारा निरन्तर विस्तार एवं रोज़गार सृजन हो रहा है । कम्पनी ने अपने विस्तार एवं विविधता कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासपुरी, जो एक अविकसित क्षेत्र है, में एक नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है। नया संयंत्र ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग के अनुरूप प्रारूपित किया गया है जो कम्पनी के उत्पादन लागत को 20% बचाएगी। कम्पनी के निर्णय सरकार की अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश को आकर्षित करने की नीति के अनुरूप हैं। सरकार ने उन कम्पनियों को पाँच वर्ष के लिए करों में छूट (टेक्स होलीडे) की घोषणा की है जो अविकसित क्षेत्र में निवेश करती हैं। फिर भी, नया संयंत्र विकासपुरी क्षेत्र के शान्तिप्रिय निवासियों के लिए अव्यवस्था पैदा कर देगा। नए संयंत्र के परिणामस्वरूप जीवनयापन की लागत बढ़ेगी, क्षेत्र में विदेशी प्रवसन से सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी। कम्पनी को सम्भावित विरोध का आभास होने पर उसने विकासपुरी क्षेत्र के लोगों एवं जनता को यह बताने की कोशिश की कि कम्पनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति विकासपुरी क्षेत्र के निवासियों की सम्भावित कठिनाइयों को रोकने में मददगार रहेगी। इसके बावजूद भी विरोध प्रारम्भ होता है तथा कुछ निवासी न्यायपालिका जाने का इस आधार पर निर्णय करते हैं कि इससे पूर्व सरकार के सामने दिए गए तर्कों का कोई परिणाम नहीं निकला था।

(a) इस मामले में अन्तःनिहित समस्याओं की पहचान कीजिए।

(b) आप कम्पनी के लक्ष्यों एवं प्रभावित निवासियों की सन्तुष्टि के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं?

2. एक निजी कंपनी अपनी दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण के लिए विख्यात है। यद्यपि कंपनी का मालिक एक निजी व्यक्ति है, तथापि उसका एक सहकारिता वाला आचरण है जहाँ कर्मचारी स्वामित्व की भावना रखते हैं। कंपनी में लगभग 700 कार्मिक नियुक्त हैं और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक संघ न बनाने का निर्णय लिया है।

अचानक एक दिन सुबह एक राजनीतिक पार्टी के 40 आदमी ज़बरदस्ती फैक्ट्री में घुस आए और फैक्ट्री में नौकरी माँगने लगे। उन्होंने प्रबंधन और कर्मचारियों को धमकियाँ और गालियाँ भी दीं। कर्मचारियों का मनोबल गिरा। यह स्पष्ट था कि जो लोग ज़बरदस्ती घुस आए थे, वे कंपनी के वेतन-पत्रक में होना चाहते थे और साथ ही साथ पार्टी के स्वयंसेवक/सदस्य बने रहना चाहते थे।

कंपनी ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखती है और सिविल प्रशासन, जिसमें कानून प्रवर्तन अभिकरण भी शामिल है, का कोई अनुग्रह नहीं करती। इस प्रकार के प्रसंग सार्वजनिक क्षेत्रक में भी घटते हैं।

(a) मान लीजिए कि आप कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई. ओ.) हैं। आप उपद्रवी भीड़ के गेट के अंदर जबरन घुस आने और कंपनी परिसर के भीतर धरना देने की तारीख को प्रचंड़ स्थिति के निष्प्रभावन के लिए क्या करेंगे?

VISION IAS

(b) इस मामले में चर्चित मुद्दे का दीर्घकालीन समाधान क्या हो सकता है?

(c) प्रत्येक समाधान/कार्रवाई का, जिसको आप सुझाएँगे, आप पर (सी. ई. ओ. के तौर पर), कर्मचारियों पर और कर्मचारियों के निष्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने द्वारा सुझाई गई कार्रवाइयों में से प्रत्येक के परिणामों का विश्लेषण कीजिए।



19. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज

(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions: Case Studies)

1. **आप एक अति महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन के प्रभारी अधिकारी हैं। यह रेलवे जंक्शन व्यापार और वाणिज्य का एक मार्ग है। आपके जिले में पिछले कुछ सप्ताह से कृषक-अशांति की परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं। राजनीतिक और जिले के (स्थानीय) नेताओं के साथ किसानों की वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है और यह अशांति एक ऐसी अवस्था में पहुँच गई है कि अब वे स्टेशन के निकट रेल की पटरियों पर धरने का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार वे सभी ट्रेनों के संचालन को बाधित करने में सफल हो गए हैं। इस व्यवधान के कारण प्लेटफार्म पर प्रतीक्षारत यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।**

   (a) आपकी तात्कालिक कार्यवाही क्या होगी?

   (b) भावनात्मक बुद्धिमत्ता इस मुद्दे से निपटने हेतु एक साधन का कार्य कैसे कर सकती है?

   (c) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आप कौन-से कदम उठाएंगे?

दृष्टिकोण:

- इस स्थिति में अपनी तात्कालिक कार्यवाही का उल्लेख कीजिए।
- इस मुद्दे से निपटने हेतु भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व का वर्णन कीजिए।
- तत्पश्चात भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

(a) रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान में जारी विरोध के कारण रेल संचालन प्रभावित न हो। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि अनुनय, चेतावनी और उपलब्ध अन्य सभी वैधानिक साधन का उपयोग कर रेलवे पटरियों को खाली करवाया जाए। जिला प्रशासन की सहायता से यह भी सुनिश्चित करूँगा कि इस महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा कि वर्तमान स्थिति के बारे में यात्रियों को समय पर संचार उपलब्ध कराने के साथ ही स्टेशन पर जल, चिकित्सा सहायता आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा।

(b) भावनात्मक बुद्धिमत्ता उपर्युक्त स्थिति से निपटने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को स्थिर और शांतचित्त बनाए रखने में सहायक है। जिला प्रशासन, नाराज प्रदर्शनकारी, यात्रियों और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य समन्वय, के कारण ऐसी स्थिति में भारी मानसिक दबाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
- ऐसे में अधिकारी को भीड़ की भावनाओं के साथ समानुभूति तथा क्रुद्ध एवं आशंकित किसान प्रदर्शनकारियों का विश्वास जीतना चाहिए। उसे भारी आर्थिक हानि, आम जनता की असुविधा और संभावित कानूनी परिणाम को बहस का आधार बनाते हुए

VISION IAS



प्रदर्शनकारियों को विरोध की इस पद्धति को त्यागने और राजनीतिक नेताओं के साथ सार्थक वार्ता में संलग्न करने हेतु समझाना चाहिए।

- कुछ यात्रियों की यात्रा जरूरी कारणों से हो सकती है। अतः मौजूदा सेवा की स्थिति में यात्रियों से खेद प्रकट करते हुए उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है।अधिकारी को इस तरह के यात्रियों के साथ वार्तालाप में भावनात्मक परिपक्वता प्रदर्शित करनी चाहिए।

(c) सर्वप्रथम, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि रेलवे लाइनों को अवरुद्ध करने में शामिल व्यक्तियों को यथोचित रूप से दंडित किया जाए। यह भविष्य में किसी को भी ऐसा कदम उठाने से रोकेगा। इसके अलावा, इस तरह के कार्यों के कानूनी पहलुओं के बारे में मैं जनता में जागरूकता का प्रसार करूँगा। यह जनता को शिक्षित करने के साथ ही इस तरह की घटनाओं को रोकने में भी सहायक होगा।

यद्यपि कुछ मुद्दों के लिए विरोध प्रकट करना गलत नहीं है, परंतु इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं कानूनी दायरे में होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में, किसी भी परिस्थिति में, जहां असहमति प्रकट करने के अनेक मार्ग उपलब्ध हैं, विरोध के गैरकानूनी तरीके जैसे रेलवे लाइनों को अवरुद्ध करना स्वीकार्य नहीं है।

2. **आप एक फिल्म निर्माण कम्पनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं। यह कम्पनी कुछ समय से वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। आपकी कम्पनी अब अपनी आगामी फिल्म पर निर्भर है। यह फिल्म शीघ्र ही रिलीज (प्रदर्शित) होने वाली है। इस फिल्म में विश्वसनीय अभिनेताओं को लिया गया है। इस फिल्म के रिलीज होने के पूर्व ही व्यापार-पंडितों ने अनुमान लगा लिया है कि यह फिल्म हिट होगी।**

हालांकि, आप एक विचित्र परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म में सम्मिलित एक अभिनेता एक ऐसे पड़ोसी देश का नागरिक है जिसके साथ संबंध बिगड़ गए हैं और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुयी है। हालांकि जब फिल्म को फिल्माया जा रहा था तब राजनीतिक माहौल भिन्न था। अब स्थानीय राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में, उस अभिनेता को प्रतिस्थापित करने या अभिनेता को प्रतिस्थापित न करने पर फिल्म रिलीज होने पर ही प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में जनता में व्यापक स्तर पर मांग उठ रही है।

अब जबकि आप देश की मनोदशा एवं फिल्म को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी करने से जनता में होने वाली प्रतिक्रियाओं से अवगत हैं, किन्तु साथ ही आप यह भी जानते हैं कि फिल्म की इस अवस्था में उस अभिनेता को प्रतिस्थापित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि फिल्म में उसकी पर्याप्त भूमिका है। सिनेमा जगत में एक वर्ग ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि आप स्थानीय पार्टी की धमकियों को देखते हुए समझौता करें, क्योंकि यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ ही कलात्मक रचनात्मकता से भी समझौता होगा।

(a) आपको कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और उसके गुणों और अवगुणों को बताइए।

(c) आप कौन-सी कार्यवाही का अनुसरण करेंगे और क्यों?

दृष्टिकोण:

- कंपनी के सीईओ के रूप में आप के पास उपलब्ध विकल्प बताइए।
- उपलब्ध विकल्पों के गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन कीजिए।
- अपनी कार्रवाही कारणों के साथ बताइए।

उत्तर:

इस मामले में शामिल मुद्दे हैं:

- कंपनी के सीईओ के रूप में कॉर्पोरेट हितों की सुरक्षा।

VISION IAS

- संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना तथा राजनीतिक दबाव और धमकी।
- किसी के पेशेवर निर्णय के आधार पर उसकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाना, कलात्मक रचनात्मकता और काम पर रखने की कार्यप्रणाली के साथ हस्तक्षेप।
- बदलते राजनीतिक माहौल द्वारा निर्देशित व्यापक जन भावना।



हितधारकों में शामिल हैं:

- प्रोडक्शन कंपनी के सीईओ जो आगामी फिल्म पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं।
- फिल्म स्टार, जो उस पड़ोसी देश से संबंध रखता है, जिसके साथ युद्ध जैसी परिस्थिति विद्यमान है।
- बाकी कलाकार और कार्यदल जिन्होंने कड़ी मेहनत से फिल्म को पूरा किया है।
- स्थानीय पार्टी के सदस्य जिन्होंने उल्लिखित अभिनेता की उपस्थिति के कारण फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्नगत व्यापक मुद्दे के साथ पूरी फिल्म बिरादरी।
- व्यापक रूप से वे दर्शक जो फिल्म और इसकी कास्टिंग के अंतिम निर्णायक होंगे।

इस परिदृश्य में उपलब्ध विकल्प और उनके गुण और अवगुण हैं:

- पार्टी की मांगों को मान लेना और अभिनेता को बदल देना।
    - **गुण:** एक सीईओ के रूप में, मेरा अंतिम हित कंपनी का लाभ है। कंपनी आगामी फिल्म पर आर्थिक रूप से निर्भर है और फिल्म रिलीज हो यह महत्वपूर्ण है।
    - **अवगुण:** हालांकि, ऐसा करने से राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की धमकी को दोहराने की संभावना बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, अभिनेता बदल देने से उसके दृश्यों को फिर से फिल्माना होगा, जो व्यवहार्य नहीं
- एक मजबूत निर्णय लेना और फिल्म को उसी रूप में रिलीज करना।
    - **गुण:** कंपनी, उसके कर्मचारियों और पूरी फिल्म बिरादरी के हितों की रक्षा के लिए यह एक साहसी कार्य है। यह कलात्मक रचनात्मकता तथा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक व्यापक संदेश प्रदान कर मुक्त और उदार समाज के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।
    - **अवगुण:** बहरहाल, यदि पार्टी वह करती है जिसका उसने दावा किया था तो इससे अराजकता एवं अप्रत्याशित परिणाम हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि जनता की एक व्यापक राय बन गयी है, जिससे मुझे आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- उन दृश्यों जिनमें वह अभिनेता उपस्थित है, की संख्या को कम से कम करना और केवल आवश्यक दृश्यों को रखना।
    - **गुण:** इससे फिल्म के खिलाफ बड़े पैमाने पर बनी जनता की राय को निष्प्रभावी करने में मदद मिलेगी, जिससे मुझे आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा क्योंकि फिल्म के सफल होने की भविष्यवाणी की गई थी।
    - **अवगुण:** हालाँकि, यह वाक् और अभिव्यक्ति की संविधान द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता और कलात्मक रचनात्मकता के दमन की ओर संकेत करता है। इसके अलावा, कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह की मांग भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी।
- कुछ दिनों के लिए फिल्म की रिलीज को स्थगित करने और जनता की भावनाओं के शांत होने का इंतजार करना।
    - **गुण:** यह फिल्म को उसके मूल रूप में बनाए रखेगा, निर्णय लेने के लिए और अधिक समय प्रदान करेगा और फिल्म स्टार के हितों की रक्षा करेगा। चूंकि फिल्म अच्छी है,

VISION IAS



इसे अच्छी प्रतिक्रिया (रिस्पांस) मिल सकती है, जो कंपनी के लिए उच्च राजस्व पैदा करने में मददगार हो सकती है।

- **अवगुण:** रिलीज़ में देरी का निश्चित वित्तीय प्रभाव होगा और यह कार्यदल के सदस्यों को हतोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा इस कदम का आशय केवल अपरिहार्य को टालना है, मुद्दे को हल करना नहीं।

कार्यवाही

- मैं पार्टी के नेता के पास जाकर उससे इस विषय में बात करूँगा। लेकिन अगर उसने मना कर दिया, तो मैं फिल्म को उसी अभिनेता के साथ रिलीज करूँगा। मैं स्थानीय पुलिस और राज्य के नेताओं से भी बात करूँगा ताकि बिना किसी बाधा के फिल्म रिलीज हो।
- इसके अतिरिक्त, एकजुटता के एक उपाय के रूप में फिल्म बिरादरी, निर्माताओं के विभिन्न संघ, थिएटर मालिकों आदि से समर्थन के लिए अनुरोध करूँगा। मैं सोशल मीडिया और संचार के अन्य साधनों के माध्यम से भी दर्शकों से एक अभिनेता के काम को उसकी राष्ट्रीयता से अलग रख कर देखने और फिल्म को एक उचित अवसर प्रदान करने का अनुरोध करूँगा।
- यहाँ एक निश्चित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करती है और अन्य देशों के अभिनेताओं को काम पर रखना देशभक्ति और राष्ट्रवाद को मापने का कोई मापदंड नहीं है। इसके अलावा गृहदेश में इस तरह के कार्यों का प्रतिकूल प्रभाव अन्य पड़ोसी देशों में काम कर रहे भारतीय कलाकारों पर भी पड़ सकता है।

3. आप और आपका मित्र दोनों एक महानगर में एक साथ रह रहे हैं और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने दैनिक लक्ष्यों को पूरा करने की प्रक्रिया का उचित प्रबंधन कर लेते हैं किन्तु आप देखते हैं कि आपका मित्र परीक्षा का दबाव सहने में असमर्थ है। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय एवं अपने परिवार की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने की चिंताएं उसे और भी अधिक अवसादग्रस्त कर रही हैं। समय के साथ सभी चीजों में आपके मित्र की रुचि समाप्त होती जा रही है और वह प्राय: अपना लक्ष्य प्राप्त न कर पाने पर आत्महत्या करने की बात करता है। वह कई बार खाना भी नहीं खाता है और बाहर घूमने जाने के लिए कहने पर कमरे के अंदर ही रहना पसंद करता है। जब आपने एक पेशेवर डॉक्टर की सलाह ली तो डॉक्टर ने आपके मित्र का नैदानिक परीक्षण कर उसे नैदानिक अवसाद (क्लिनिकल डिप्रेशन) से पीड़ित बताया। इस बात से अवगत होते हुए कि आपके मित्र को पेशेवर परामर्श एवं मनोचिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उसके माता-पिता से मिलने गए। पेशेवर परामर्श का सुझाव देने पर उन्होंने न केवल आपकी बातों को सिरे से नकार दिया अपितु बार-बार यही दोहराते रहे कि उसे कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कठोरतापूर्वक उल्लेख किया कि आपके द्वारा इस मामले की चर्चा करने से लोगों को मनगढ़ंत बातें बनाने का अवसर ही मिलेगा। जब आप उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि किसी के मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है तब भी वे आपकी उपेक्षा करते हैं। आपके मित्र के माता-पिता उसकी स्थिति को विफलता का संकेत मानते हैं और उसे (आपके दोस्त को) वापस घर बुलाने का निर्णय करते हैं जहां वह अपनी तैयारी जारी रख सकता है। यदि आपका मित्र अपने घर वापस जाता है तो आप उस परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली समस्या की गंभीरता से अवगत हैं। आप यह भी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बहुत कम जागरूकता है एवं इसका समाधान इसकी उपेक्षा करना नहीं बल्कि इससे निपटने के लिए आवश्यक उपाय करना है।

(a) मित्र के कल्याण के लिए चिंतित एवं सिविल सेवक बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के रूप में, जो भविष्य में जनता के लिए नीतियों की रूपरेखा तय कर सकता है और जिसकी उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है; ऐसी स्थिति में आपके पास कौन-से विकल्प उपलब्ध है?

(b) इनमें से प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और कारण बताते हुए वह विकल्प चुनिए जो आप अपनाएंगे।

VISION IAS

दृष्टिकोण:

- इस स्थिति में उपलब्ध विकल्पों और उनके प्रभावों का विवरण दीजिए।
- सभी संभव विकल्पों के गुणों एवं दोषों को सूचीबद्ध कीजिए और परिणामी कार्रवाई का उल्लेख कीजिए।



उत्तर:

(a) इस परिदृश्य में मेरे पास उपलब्ध विकल्प हैं:

(i) अपने मित्र को शहर में रखने और उसके उपचार की जिम्मेदारी लेने के लिए उसके परिवार को समझाना।

(ii) उसके माता-पिता द्वारा मेरी सलाह न मानने के बाद मामले को वही छोड़ देना।

(iii) उसे गाँव वापस जाने देना जैसा कि उसके माता-पिता की इच्छा है किन्तु अन्य तरीकों से उसकी सहायता करना।

(b) प्रत्येक विकल्प का परीक्षण करना

(i) अपने मित्र को शहर में रखने और उसके उपचार की जिम्मेदारी लेने के लिए उसके परिवार को समझाना।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेरा मित्र आत्महत्या की प्रवृत्ति से ग्रस्त है, उसके जीवन को अत्यधिक खतरा है और एक मित्र एवं शुभचिंतक होने के नाते मुझे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे एक मनोचिकित्सक से पेशेवर मदद मिले। उसके परिवार की ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण वे स्थिति की गंभीरता से अवगत नहीं हैं और ऐसे में मेरा हस्तक्षेप और भी आवश्यक हो जाता है।

हालांकि, इसमें मेरा कीमती समय व्यर्थ होगा जिसे मुझे अपने अध्ययन में लगाना चाहिए। यह मेरे मित्र के पारिवारिक सदस्यों को भी रुष्ट कर सकता है जो सामाजिक भय के कारण किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार के विरुद्ध हैं। उपचार के लिए आवश्यक धन भी एक मुद्दा है जो इस दौरान उभर कर सामने आ सकता है।

(ii) उसके माता पिता द्वारा मेरी सलाह को अनसुना कर देने के बाद मैं इस मामले को छोड़ दूंगा। जैसा कि मेरे मित्र के माता पिता की दृष्टि में मेरी सलाह अनुपयोगी है, अतः अब उन्हें पूरा मामला सौंप कर मैं पुनः अपने अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित कर सकता हूँ।

यह एक पलायनवादी मार्ग होगा और मेरे मित्र एवं उसके परिवार और यहाँ तक कि मेरे लिए भी प्रतिकूल परिणामों को जन्म दे सकता है क्योंकि मेरे मित्र को हुआ किसी भी प्रकार का नुकसान मेरी मानसिक दशा तथा परीक्षा के लिए मेरी तैयारी को भी प्रभावित कर सकता है। यह स्वार्थी और निम्न कोटि का व्यवहार होगा।

(iii) **उसके माता-पिता की इच्छानुसार उसे गाँव वापस जाने देना किन्तु अन्य संभव तरीकों से उसकी मदद करना।**

यह उसके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है क्योंकि वह अपने परिवार के निकट होगा जो उसके लिए अत्यंत आवश्यक मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करेगा। चूंकि स्वास्थ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अतः ऐसे में नियमित अध्ययन में थोडा सा व्यवधान कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।

किन्तु पेशेवर परामर्श और उपचार की मांग अभी भी है जो ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है।

संभावित कार्यवाही:

पहले, मैं अपने मित्र के माता-पिता को अवसाद एवं इसके प्रभाव के बारे में अवगत करने की कोशिश करूंगा और इस मामले में जो पेशेवर परामर्श दी गयी थी उन्हें उससे अवगत कराऊंगा। उपचार भी उपयोगी हो सकता है, इस बारे में मैं डॉक्टर से मेरे मित्र के माता-पिता को समझाने के लिए कहूँगा। मेरे मित्र को अध्ययन के लिए यहाँ रुकना चाहिए या गाँव चले जाना चाहिए, यह निर्णय पेशेवर परामर्श, गाँव में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की उपलब्धता और उसकी सुविधा के आधार पर लिया जाना चाहिए।

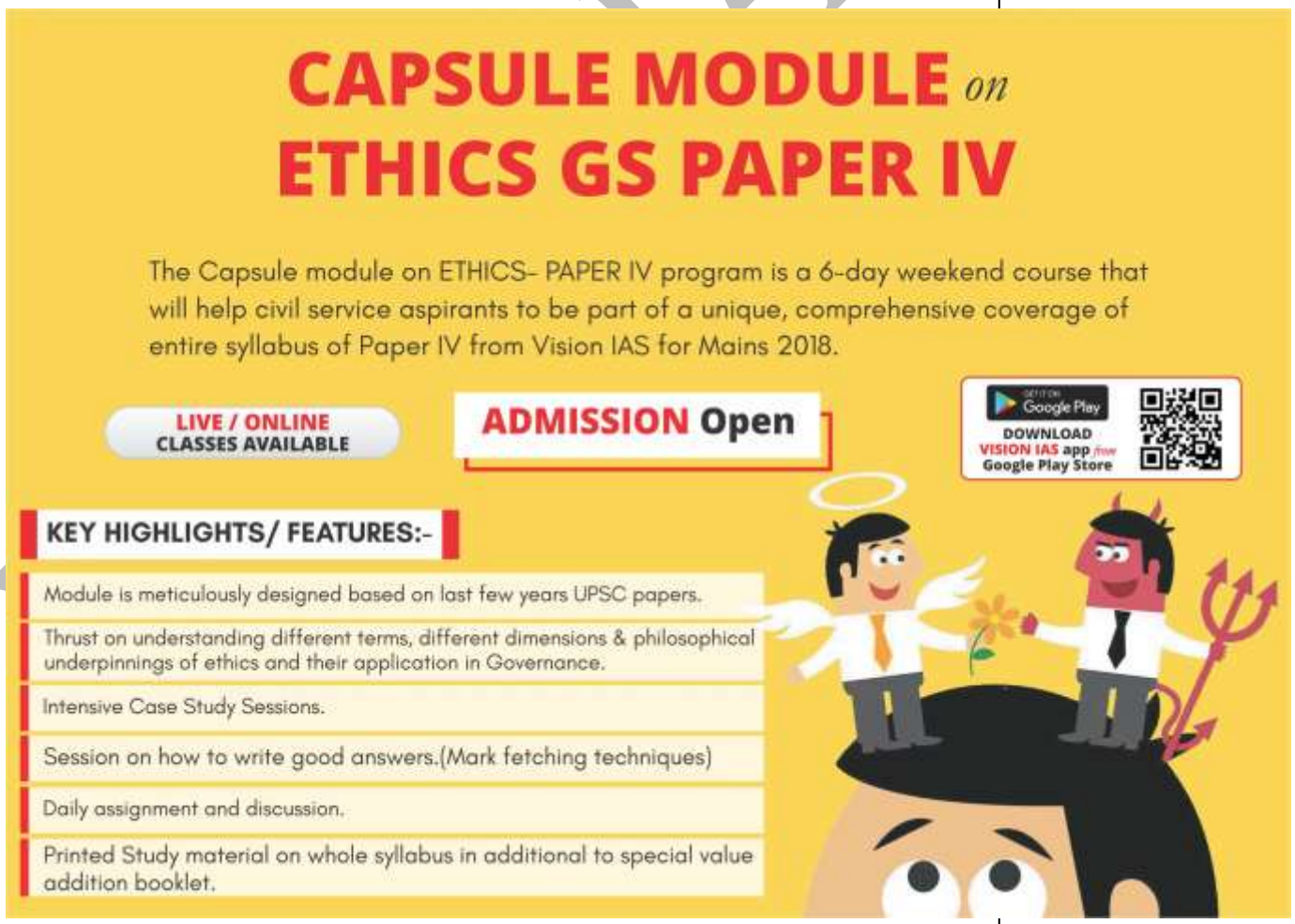
VISION IAS

एक अवकाश से उसकी रूचि को पुनर्जीवित करने में मदद मिल सकती है जो वह तेजी से खो रहा है। मैं भी उसके दैनिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करूँगा, जो उसे परेशान कर रहे है और उसके तनाव का कारण रहे हैं। इसके अलावा, मैं उसे अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे कार्यों में तोड़ने के लिए भी सुझाव दूंगा।



अन्त में, मेरे मित्र द्वारा इस परीक्षा में की जा रही कड़ी मेहनत की प्रशंसा की जानी चाहिए, इस बारे में मेरे मित्र के माता-पिता को जागरूक करूंगा।

प्रतियोगी परीक्षाएं बेहद तनावपूर्ण और मानसिक दबाव वाली होती है, एक परीक्षार्थी को इस वक़्त चिंता या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ अन्य स्वास्थ्य विसंगति की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त हैं उसके मित्र/साथी/रिश्तेदार आदि के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपचार के प्रत्येक चरण में निदान के साथ व्यक्ति के लिए स्थिति को सामान्य करने और उसका समर्थन करने के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।



Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
www.visionias.in

Value Addition Material-2018

PAPER IV : नीतिशास्त्र

लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. लोक सेवाओं में नीतिशास्त्र और मूल्यों का महत्व 4

2. लोक सेवा नीतिशास्त्र/प्रशासनिक नीतिशास्त्र 4

3. लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र 6

3.1. लोक प्रशासकों के लिए नीतिशास्त्र की आवश्यकता 6

3.2. लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र के निर्धारक 7

4. नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता 7

4.1. नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता का उद्देश्य 7

4.2. भारत और अन्य देशों/संगठनों में नैतिक मानकों की वर्तमान स्थिति 8

4.2.1. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 8

4.2.2. नीतिपरक आचार संहिता हेतु प्रथम पहल- मई 1997 8

4.2.3. लोक सेवा मूल्यों के लिए द्वितीय पहल- लोक सेवा विधेयक, 2006 9

4.2.4. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) 10

4.2.5. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 11

4.2.6. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) 12

5. लोक सेवकों में नैतिक मानकों के पतन के कारण उत्पन्न समस्याएं 13

5.1. उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के समक्ष समस्याएं 13

5.2. विचार किए जाने योग्य विशिष्ट रणनीतियां 14

6. सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं 14

6.1. नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं: अर्थ और महत्व 14

6.2. नैतिक दुविधाओं के कुछ प्रकार (Some types of Ethical Dilemmas) 15

6.3. सरकार (सार्वजनिक क्षेत्र) में नैतिक चिंताएं 15

6.3.1. प्रशासनिक विवेक (Administrative Discretion) 15

6.3.2. भ्रष्टाचार (Corruption) 16

6.3.3. प्रशासनिक गोपनीयता (Administrative Secrecy) 16

6.3.4. भाई-भतीजावाद (Nepotism) 16

6.3.5. सूचना का खुलासा (Information Leaks) 16

6.3.6. लोक जवाबदेही (Public Accountability) 17

6.3.7. नीतिगत दुविधाएं (Policy Dilemmas) 17

6.3.8. अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्र (Other Problem Areas) 17

6.4. निजी/व्यावसायिक संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं 17

6.4.1. साधारणतः निजी क्षेत्र के नैतिक मुद्दें 18

6.4.2. नियोक्ताओं के नैतिक मुद्दे (Ethical Issues of Employers) 18

6.4.3. कर्मचारियों के नैतिकता संबंधी मुद्दे 19

7. केस स्टडी (Some Case studies) 21

VISION IAS

8. नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतःकरण 25

8.1. विधि की अवधारणा (The Notion of Law) 25

8.1.1. प्राकृतिक विधि और सकारात्मक विधि 26

8.1.2. नैतिक मार्गदर्शन के एक स्रोत के रूप में आधुनिक संदर्भ में विधि 28

8.2. नैतिक निर्देशन के एक स्रोत के रूप में अंतःकरण 29

8.2.1. अंत:करण के प्रकार (Types of Conscience) 30

8.2.2. अंत:करण को संचालित करने वाले नैतिक सिद्धांत 31

9. जवाबदेहिता/उत्तरदायित्व और नैतिक शासन व्यवस्था 34

9.1 जवाबदेहिता/उत्तरदायित्व: अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व 34

9.2. जवाबदेहिता के प्रकार (Types of Accountability) 34

9.2.1. क्षैतिज बनाम ऊर्ध्वाधर जवाबदेहिता 34

9.2.2. राजनीतिक बनाम विधिक जवाबदेहिता 34

9.2.3. सामाजिक जवाबदेहिता (Social Accountability) 35

9.2.4. जवाबदेहिता निर्धारण की विधियां 35

10. एक प्रभावी नीतिपरक संरचना की आवश्यकता 35

10.1. लोक प्रशासन में नैतिक मानकों में वृद्धि 36

10.2. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट - शासन में नैतिकता 37

11. सफल प्रशासकों के बारे में केस स्टडीज 39

12. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न 40

13. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 50

14. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न 56

15. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 56

16. संदर्भ (References) 57

VISION IAS

1. लोक सेवाओं में नीतिशास्त्र और मूल्यों का महत्व



(Importance of Ethics and Values in Public Services)

नीतिशास्त्र का संबंध न केवल सही एवं गलत तथा अच्छे एवं बुरे के मध्य भेद स्थापित करना है बल्कि न्यायोचित, निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने से भी है। लोक सेवा सरकार की कार्यकारी अंग है। यह स्थायी होती है तथा यह जनता से संपर्क हेतु राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग भी है। राज्य द्वारा प्रदत्त यथोचित संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करने के साथ-साथ इसे विभिन्न उत्तरदायित्व भी सौपें गए हैं। लोक सेवा नीति निर्माण और कार्यान्वयन, विधि प्रवर्तन, सार्वजनिक सेवा प्रदायगी तथा जनता की ओर से राज्य को सौंपे गए संसाधनों के प्रबंधन में सरकार की सहायता करती है।

यद्यपि लोक सेवकों द्वारा शक्तियों के प्रयोग को संवैधानिक एवं विधिक मान्यता प्राप्त है, परन्तु इसकी वैधता इन शक्तियों के उपयोग किए जाने के तरीकों के माध्यम से प्राप्त होती है। लोक विश्वास को बढ़ावा देने हेतु लोक प्रशासन में नैतिकता अनिवार्य है। इस प्रकार, लोक सेवकों द्वारा शक्तियों के न्यायोचित और निष्पक्षतापूर्वक प्रयोग करने हेतु नीतिशास्त्र अपरिहार्य हो जाती है। नीतिशास्त्र/मूल्य जनता और प्रशासन के मध्य उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु एक ढांचा प्रदान करते हैं तथा यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जन सामान्य को उसके लिए निर्धारित बुनियादी आवश्यकताओं को एक निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे व्यापक रूप से स्वीकार्य हो सके। नीतिशास्त्र, लोक सेवा के माध्यम से किए जाने वाले सभी कार्यों में उच्चतम मानकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु लोक सेवकों की सहायता भी करती है। यह उचित व्यवहार हेतु न केवल दिशा-निर्देश (आंतरिक रूप से मूल्य तथा बाह्य रूप से आचरण संहिता) प्रदान करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि लोक विश्वास प्राप्त किया जाए तथा उसे बनाए रखा जाए। इस प्रकार के विश्वास के परिवेश का सृजन कर, प्रशासन जनता को यह समझाने में सहायता करता है कि वे उनके सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहे हैं। जब लोक सेवक, सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं तथा शासन व्यवस्था में ईमानदारी विद्यमान होती है तो यह समाज में विश्वास को सुदृढ़ करने में सहायता करता है और अंततः यह सुशासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है।

2. लोक सेवा नीतिशास्त्र/प्रशासनिक नीतिशास्त्र

(Public Service Ethics/Administrative Ethics)

लोक सेवा नीतिशास्त्र या प्रशासनिक नीतिशास्त्र से आशय सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में उचित आचरण के सिद्धांतों तथा मानकों से है।

- कई ऐसे मूल्य हैं जो लोक सेवकों की अभिवृत्ति और कार्यवाहियों को प्रभावित करते हैं। इसके अंर्तगत सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक (या संगठनात्मक) मूल्य शामिल हैं।
- दक्षता, प्रभावकारिता, जवाबदेही, तटस्थता तथा अनुक्रियाशीलता जैसे प्रशासनिक मूल्यों से सामंजस्य बिठाते हुए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने की चुनौती के संदर्भ में विचार करना। उदाहरणार्थ, निरपेक्ष पारदर्शिता का अनुकरण करना विभागीय गोपनीयता को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार राजनीतिक कार्यकारी के प्रति जिम्मेदारी के भाव से जन सामान्य के साथ व्यवहार में निष्पक्षता से समझौता हो सकता है। इस प्रकार के संघर्षों के समाधान हेतु नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए विद्यमान दिशा-निर्देशों एवं नियमों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए।
- लोक सेवकों को परंपरागत रूप से यह परामर्श प्रदान किया जाता रहा है कि एक उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवहार हेतु उन्हें कुछ सामान्य नियमों या आदेशों का अनुपालन करना होता है, जैसे कि:
    - लोक हित में कार्य करना।
    - राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना।

VISION IAS

- गोपनीय सूचनाओं को प्रकट न करना।
- जन सामान्य को कुशल, प्रभावी तथा निष्पक्ष सेवा प्रदान करना।
- हितों के संघर्ष से बचना।
- जवाबदेह बनना, आदि।



यद्यपि इन सामान्य रूप से प्रदत्त आदेशों से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, यथा:

- इनके अर्थ में तथा वस्तुतः इनके व्यावहारिक उपयोग से सम्बद्ध स्पष्टता एवं निश्चितता का अभाव।
- नियमों का निर्माण बॉटम-अप एप्रोच के स्थान पर टॉप-डाउन एप्रोच द्वारा किया गया है। इन नियमों को प्रभावी बनाने हेतु इन्हें न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी स्वीकार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, नियमों के औचित्य पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ- राजनीतिक तटस्थता यद्यपि लोक सेवाओं का एक केन्द्रीय सिद्धांत है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह कार्यान्वयन योग्य नहीं है। लोक सेवकों और राजनेताओं के मध्य कार्यकारी संबंधों का पूर्णतया तटस्थ होना अत्यंत कठिन है।
- तीसरा, ये नियम कभी-कभी परस्पर टकराते हैं, खासकर जब उनकी व्याख्या की जाती है तब ऐसे टकराव खुलकर सामने आते हैं। प्रायः लक्ष्य उन्मुखता के माध्यम से निर्णयों की औचित्यता का बचाव किया जाता है जबकि अनिश्चितता की स्थिति का बचाव साधन/नियम उन्मुख होकर किया जाता है। दक्षता, गति और प्रभावकारिता कुछ अवसरों पर वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही तथा सहानुभूति से समझौता कर सकते हैं।
- इस बात को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निर्णयन हेतु नियमों का निरंतर मूल्यांकन और उनका सतत विकास होता रहे।



3. लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र



(Ethics in Public Administration)

एक लोक प्रशासक के पेशेवर नीतिशास्त्र में व्यवहार एवं आचरण संबंधी मानक शामिल होते हैं, जो उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हैं। इनके अंतर्गत परिस्थितियों को उपयुक्त बनाने हेतु विचार एवं कार्यवाही शामिल होते हैं तथा एक ऐसा व्यवहार शामिल होता है जो लोक प्रशासन की भावना को प्रदर्शित करता है। लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र का उद्देश्य प्रशासक में पेशेवर नैतिकता की भावना को विकसित करना है ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सर्वोच्च नैतिक मानकों के अनुरूप पूर्ण कर सकें।

3.1. लोक प्रशासकों के लिए नीतिशास्त्र की आवश्यकता

(Need of Ethics for Public Administrators)

- लोक प्रशासन के विभिन्न आयामों, जैसे- राजनीतिक, विधिक, तकनीकी, वित्तीय इत्यादि की तुलना में भारतीय प्रशासन में नैतिकता के आयाम की गंभीर रूप से उपेक्षा की गई है।
- इसके अतिरिक्त, लोक सेवा नीतिशास्त्र के बारे में जनता और मीडिया द्वारा व्यक्त हालिया चिंता हितों के संघर्ष के मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं, जबकि राजनीतिक पक्षपात, सार्वजनिक टिप्पणी और गोपनीयता के बारे काफी कम चिंता व्यक्त की गयी है।
- विगत दो दशकों में सरकार द्वारा इन सभी मुद्दों के प्रत्युत्तर में विभिन्न अधिनियम, विनियम एवं दिशा-निर्देश स्थापित किए गए हैं।
- हालांकि इस प्रकार के उच्च श्रेणी के मुद्दे नैतिकता संबंधी समस्याओं का केवल एक छोटा सा ही भाग है।
- अन्य अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दे जनता और विद्वानों को तुलनात्मक रूप से कम आकर्षित करते हैं।
- ये मुद्दे निजी, व्यक्तिगत अथवा पक्षपातपूर्ण लाभ हेतु लोक पदों के उपयोग से कम जबकि प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न नैतिकता एवं मूल्य संबंधी विवादों और दुविधाओं से अधिक संबंधित होते हैं।
- **मानवता:** मानवता एक अन्य केंद्रीय नैतिक सिद्धांत है, जो यह निर्देशित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में संलिप्त व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से सतर्कतापूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। हमें अन्य व्यक्तियों को सहचर के रूप में देखना चाहिए जिनके साथ हम सहानुभूति, संवेदनशीलता और करुणा की भावना रखते हैं।

मानव अधिकार (Human Rights)

- संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 1 के अनुसार, "सभी मनुष्यों को गरिमा और अधिकारों के संदर्भ में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है।"
- वे बुद्धि एवं विवेक संपन्न होते हैं और उन्हें भाईचारे की भावना के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। "मानवाधिकार" को अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत सिद्धांतों के साथ-साथ अनुमोदित मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में समझा जाना चाहिए, जिनके निहितार्थ विवादास्पद अथवा अस्पष्ट हैं।
- मानवाधिकार का क्षेत्र अपने अंतर्गत मानव समाज के शासन व्यवस्था के लिए एक नैतिक आधार रेखा के तौर पर एक विकसित होती अंतर्राष्ट्रीय परियोजना को शामिल करता है।
- चूंकि आधुनिक नैतिक दर्शन उत्तरोत्तर दावा-आधारित और अधिकार-आधारित नैतिकता के इर्द-गिर्द घूम रहा है, अतः ऐसे में मानवाधिकार सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत के रूप में सामने आता है।

VISION IAS

- जब इन अधिकार-आधारित सिद्धांतों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कुछ निश्चित स्वतंत्रता और अधिकारों पर जन सामान्य का दावा है तथा ऐसे में जब किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस दावे के औचित्य को सिद्ध करना और इन अधिकारों की सुरक्षा करने के उत्तरदायित्व का निर्धारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।



3.2. लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र के निर्धारक

(Determinants of Ethics in Public Administration)

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशासनिक आचरण के प्रमुख निर्धारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राजनीतिक संरचना, (लोक प्रशासक, इस संरचना के भाग होते हैं);

ii. विधिक ढांचा;

iii. प्रशासक और सार्वजनिक कर्मचारी, जो लोक सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं; तथा

iv. नागरिक और लोक सेवाओं के उपयोगकर्ता, जो सिविल सोसाइटी का एक भाग हैं।

- प्रथम, लोक/सिविल सेवकों के व्यक्तिगत गुणों के संबंध में लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र के निर्धारकों के अंतर्गत नैतिक निर्णयन कौशल, मानसिक अभिवृत्ति, सद्गुण तथा पेशेवर मूल्य सम्मिलित होते हैं।
- द्वितीय, संगठनात्मक संरचना संबंधी आयाम को स्पष्ट जवाबदेही, सहयोगात्मक व्यवस्था, असहमति जाहिर करना तथा भागीदारी प्रक्रियाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है।
- तृतीय, राजनीतिक संगठनात्मक संस्कृति में अभिमत, मान्यताएं, मूल्य और धारणाएं सम्मिलित होती हैं। संगठनात्मक संस्कृति के विकास, संरक्षण और अनुकूलन में नेतृत्व महत्वपूर्ण है।
- संगठनों के ऐसे परिवेश, जहां व्यक्तिगत मानकों, कर्मचारी शिक्षण और पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यता पर बल दिया जाता है तथा जहां कर्मचारी नियमित रूप से नैतिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, वहां नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है।
- अंत में, सामाजिक अपेक्षाओं में सार्वजनिक भागीदारी, नियम और नीतियां सम्मिलित होती हैं।

4. नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता

(Code of Ethics and Code of Conduct)

नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता का विकास, प्रकाशन और उसका अंगीकरण एक सुदृढ़ प्रशासन के प्रमुख तत्व हैं। ये सभी लोक सेवकों के लिए व्यावहारिक और स्पष्ट रूप में अपेक्षित आचरण संबंधी मानकों को निर्धारित करते हैं।

4.1. नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता का उद्देश्य

(Purpose of Code of Ethics and Code of Conduct)

नीतिपरक आचार संहिता और आचरण संहिता सभी सिविल सेवकों के लिए व्यावहारिक और स्पष्ट रूप में अपेक्षित आचरण संबंधी न्यूनतम मानकों को वर्णित करती हैं। ये मानदंड निर्णय निर्माण और कार्यवाही के दौरान एक निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

मुख्य तत्व: इन संहिताओं के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

- व्यक्तिगत जिम्मेदारी;
- विधि का अनुपालन;
- जन सामान्य के साथ संबंध;
- उपहार, पुरस्कार, आतिथ्य और छूट की स्वीकृति पर आरोपित सीमाएं;

VISION IAS

- हितों के संघर्ष से बचना;
- राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होने पर आरोपित सीमाएं;
- धन संबंधी मामलों में आचरण;
- गोपनीयता और आधिकारिक सूचना का उपयोग;
- आधिकारिक संपत्ति और सेवाओं का उपयोग;
- कर्मचारियों द्वारा सरकारी संपत्ति की निजी हित में खरीद; एवं
- कार्य परिवेश।



4.2. भारत और अन्य देशों/संगठनों में नैतिक मानकों की वर्तमान स्थिति

(Current Status of Ethical Standards in India and Other Countries/ Organisations)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन काल से ही भारत में नीतिशास्त्र और नैतिकता सार्वजनिक जीवन के प्रतीक रहें हैं। हमें यह नैतिकता और सदाचरण की विरासत हमारे नेताओं से प्राप्त हुई है जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सार्वजनिक जीवन में उच्च स्तर की ईमानदारी और सत्यता का प्रदर्शन किया था। इन्होंने न केवल सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का प्रचार किया बल्कि इसे व्यवहार में भी अपनाया। गांधी जी का मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति का त्याग किया जाना चाहिए। सत्य और अहिंसा के साथ-साथ जन शक्ति में विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नेतृत्व के उच्च मानकों का प्रमाण हैं। यद्यपि उन्होंने कभी भी किसी प्राधिकरण में कोई भी पद धारण नहीं किया था, तथापि सार्वजनिक जीवन में उनका आचरण ऐसे मूल्यों को प्रदर्शित करता है जिनकी ऐसे पदों पर आसीन लोगों से अपेक्षा की जाती है।

4.2.1. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964

{Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964}

यद्यपि, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए 'केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964' के रूप में आचरण नियमावली जारी की गई है, तथापि इसके माध्यम से सिविल सेवकों द्वारा अनुपालन किए जाने योग्य मूल्यों या नीतिपरक आचार संहिता का निर्धारण नहीं किया गया है। इन नियमों की प्रकृति मुख्यतः "क्या करें" और "क्या न करें" ("do's" and "don'ts") से संबंधित है। इस आचरण नियमावली के अंतर्गत संपत्ति के लेन-देन, उपहारों की स्वीकृति, गैर-राजनीतिक संगठनों में शामिल होना और अन्य मुद्दों के समुच्च (जो सामान्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली लगभग प्रत्येक गतिविधि को शामिल करती है) को सम्मिलित किया गया है। इन नियमों की प्रकृति अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हैं। अर्थात् ये सरकारी कर्मचारी की कार्य प्रणाली की स्वतंत्रता को अत्यधिक सीमित करते हैं और अस्पष्ट भाषा में लिखे हुए हैं तथा कभी-कभी इनका अनुपालन करना अव्यवहारिक होता है।

4.2.2. नीतिपरक आचार संहिता हेतु प्रथम पहल- मई 1997

(First Initiative for Code of Ethics- May 1997)

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एक प्रभावी एवं उत्तरदायी सरकार हेतु कार्य योजना के एक भाग के रूप में लोक सेवाओं हेतु एक नीतिपरक आचार संहिता निर्मित की गई थी। इसे मई 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इस संहिता का उद्देश्य लोक सेवाओं पर लागू होने वाले अखंडता और आचरण के मानकों को निर्धारित करना था। इस संहिता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- लोक सेवाओं को नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन और लोक सेवाओं को प्रभावी तरीके से प्रशासित करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए।
- लोक सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों को विधि के शासन को बनाए रखना और मानवाधिकारों का सम्मान तथा केवल जनहित में कार्य करना चाहिए। उन्हें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए।

VISION IAS



- उन्हें इस प्रकार आचरण करना चाहिए कि जन सामान्य का यह विश्वास बना रहे कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय या उनके द्वारा की गई अनुशंसाएं वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी हैं तथा सत्तासीन राजनीतिक दल, स्वयं या किसी तीसरे पक्ष को अनुचित लाभ प्रदान करने की दिशा में कार्य नहीं किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा जनहित में निर्मित नीतियों, निर्णयों और कार्यवाहियों को लोक सेवकों द्वारा कुण्ठित होकर या उसमें शामिल न होकर, उसे अप्रभावी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
- जहां लोक सेवा में किसी कर्मचारी के पास इसके उचित आधार उपलब्ध हैं कि उच्चतर प्राधिकारी द्वारा उससे अवैध या निर्धारित नियमों एवं विनियमों के विरुद्ध कार्य करने को कहा जा रहा है तो उसे इन निर्देशों के क्रियान्वयन को अस्वीकृत कर देना चाहिए।
- हितों का संघर्ष: लोक सेवा में कर्मचारियों को अग्रलिखित परिस्थितियों में निर्णय लेने से बचना चाहिए:
    - जहां जनहित की लागत पर किसी भी विशेष व्यक्ति या दल को लाभ पहुंचाने संबंधी कार्य किया जाना हो;
    - जनहित और निजी हित के मध्य संघर्ष की स्थिति में हितों के किसी भी प्रकार का संघर्ष होने पर।
- उन्हें सेवा मामलों या निजी लाभों के संबंध में राजनेताओं और बाहरी लोगों से संपर्क न रखते हुए अपनी स्वतंत्रता, गरिमा और भेदभाव-रहित व्यवहार को बनाए रखना चाहिए। अपने कैडर के भीतर ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ-साथ उन्हें रोकने हेतु सहकर्मियों के दबाव का प्रयोग करना चाहिए।
- नागरिकों के प्रति जवाबदेही:
    - जन सामान्य की लोक सेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों तक प्रभावी पहुँच होनी चाहिए तथा सेवा की गुणवत्ता, समयबद्धता, शिष्टता, लोक अभिविन्यास के माध्यम से जन सामान्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा उत्तरदायी सरकार के लिए जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने एवं नागरिक समूहों के साथ भागीदारी हेतु तत्पर रहना चाहिए।
    - उन्हें जन प्रतिनिधियों के प्रति अपने व्यवहार में दृढ़, न्यायोचित और ईमानदार होना चाहिए।
    - उन्हें नागरिकों की शिकायत के त्वरित निवारण के लिए उनके अधिकार को स्वीकार और प्रवर्तन के दायित्व को स्वीकार करना चाहिए।
- उन्हें सार्वजनिक परिसंपत्तियों और लोक निधि के प्रति चिंतित होना चाहिए और उसकी हानि एवं अपव्यय से बचना चाहिए। उसे स्वयं के नियंत्रणाधीन लोक निधि का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- आधिकारिक पद का दुरुपयोग न करना: लोक सेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों को योग्यता आधारित निर्णय लेने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, क्योंकि वे जिम्मेदारी युक्त पद पर आसीन होते हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति को अपने या किसी अन्य के लिए वित्तीय या अन्य व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचाने हेतु अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

यह संहिता अन्य मुद्दों से भी संबंधित है, जैसे- सार्वजनिक टिप्पणी, आधिकारिक सूचना जारी करना, लोक सेवाओं की समेकित भूमिका और व्यावसायिकता एवं सहयोग के माध्यम से निरंतर सुधार आदि।

4.2.3. लोक सेवा मूल्यों के लिए द्वितीय पहल- लोक सेवा विधेयक, 2006

(Second Initiative for Public Service Values- Public Service Bill, 2006)

2006 में कार्मिक विभाग द्वारा एक लोक सेवा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। इस विधेयक में लोक सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्यों, नीतिपरक आचार संहिता, प्रबंधन संहिता आदि को सूचीबद्ध किया गया था। इसका उद्देश्य लोक सेवाओं को पेशेवर, राजनीतिक रूप से तटस्थ, योग्यता आधारित तथा जवाबदेह बनाना है। लोक सेवकों को निर्देशित करने वाले प्रमुख मूल्य निम्नलिखित हैं:

VISION IAS



- संविधान और विधि, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, संप्रभुता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति निष्ठा रखना;
- राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर कार्य करना;
- निष्पक्ष, तटस्थ, ईमानदारी, समान तथा उचित एवं न्यायोचित तरीके से कार्य करना;
- सत्यनिष्ठा के साथ तथा विनम्र एवं न्यायोचित तरीके से कार्य करना;
- उच्च मानकों की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण सेवा, प्रभावी कार्यप्रणाली और शीघ्र निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना;
- निर्णय के प्रति जवाबदेह होना;
- योग्यता को रोजगार, पदोन्नति और नियोजन में मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्थापित करना;
- जाति, समुदाय, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के तथा निर्धन, वंचित एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्र/समुदाय और धर्म की विविधता को ध्यान में रखते हुए कार्यों का निर्वहन करना; तथा
- राजनीतिक कार्यकारिणी को ईमानदार, निष्पक्ष एवं स्पष्ट परामर्श प्रदान करना;
- यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन का उपयोग अत्यधिक कुशलतापूर्वक एवं सावधानी के साथ किया जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सेवा विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया है। इस विधेयक के साथ एक समस्या यह थी कि इसे कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अभिप्रेत किया गया था। मूल्यों और नैतिकता के अतिरिक्त, इस विधेयक में लोक सेवाओं के प्रबंधन के सिद्धांत, लोक सेवा संबंधी पदों के लिए नियुक्ति को शासित करने वाले सिद्धांत, लोक सेवाओं के प्रदर्शन संकेतक आदि को परिकल्पित किया गया था। सेवा संबंधी मामलों के विस्तृत एवं विविधतायुक्त कवरेज की विद्यमानता के कारण, सामंजस्य स्थापित करना और विधायी स्वीकृति प्राप्त करना जटिल है। इस प्रकार, यह विधेयक राजनीतिक एवं सामाजिक इच्छाशक्ति दोनों की कमी के कारण व्यपगत हो गया।

4.2.4. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)

सार्वजनिक जीवन के मानक- लॉर्ड नोलन कमिटी

(Standards of Public Life- Lord Nolan Committee)

ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी (प्रोबीटी) के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु लोक पद धारकों के लिए ऐसे मानकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से लॉर्ड नोलन (1995) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने निम्नलिखित सात सिद्धांत निर्धारित किए:

- **निःस्वार्थता (Selflessness):** लोक पद धारकों को केवल जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। उन्हें स्वयं या अपने परिवार या मित्रों के लिए बाहरी व्यक्तियों से वित्तीय लाभ अथवा अन्य लाभों, या अन्य भौतिक लाभों के उद्देश्यों पर आधारित निर्णय नहीं लेने चाहिए।
- **सत्यनिष्ठा (Integrity):** लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के किसी वित्तीय या अन्य लाभ से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए।
- **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** लोक पद धारकों को सर्वोत्तम प्रमाणों और भेदभाव या पूर्वाग्रह रहित निष्पक्ष, न्यायोचित और योग्यता के आधार पर कार्य करने चाहिए और सभी निर्णय लेने चाहिए।
- **जवाबदेहिता (Accountability):** लोक पद धारक अपने निर्णयों और कार्यवाहियों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं तथा उन्हें उनके पद से संबंधित यथोचित जांच में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए।

VISION IAS



- **खुलापन (Openness):** लोक पद धारकों को खुलेपन एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करना एवं निर्णय लेना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारण प्रस्तुत करने चाहिए और केवल व्यापक जनहित में आवश्यक होने पर ही सूचनाओं को गोपनीय रखना चाहिए।
- **ईमानदारी (Honesty):** लोक पद धारकों को ईमानदार होना चाहिए और उन्हें स्वयं के लोक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी प्रकार के निजी हितों की घोषणा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के संघर्ष का समाधान हेतु इस प्रकार कदम उठाने चाहिए ताकि जनहितों की रक्षा की जा सके।
- **नेतृत्व (Leadership):** लोक पद धारकों को इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करना चाहिए और नेतृत्व एवं उदाहरण के माध्यम से इन सिद्धांतों को प्रोत्साहन एवं समर्थन प्रदान करना चाहिए।

सिविल सेवा संबंधी मूल्य- UK

सिविल सेवा मूल्य (2006) में निर्धारित किया गया है कि सिविल सेवकों से उनकी भूमिका के निर्वहन के दौरान समर्पण और सिविल सेवा मूल्यों (सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता) के प्रति प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है।

- सत्यनिष्ठा से आशय लोक सेवाओं के दायित्व को अपने निजी हितों पर वरीयता देने से है;
- ईमानदारी का आशय सच्चाई एवं खुलेपन से है;
- वस्तुनिष्ठता से आशय प्रमाणों के गहन विश्लेषण के आधार पर परामर्श प्रदान करने और निर्णयों से है;
- निष्पक्षता से आशय पूर्णतया मामले के गुण-दोष के अनुसार कार्य करने तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों के लिए समान रूप से कार्य करने से है।

4.2.5. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन

(Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD)

OECD परिषद ने अप्रैल 1988 में लोक सेवाओं में नैतिक आचरण की उत्कृष्टता हेतु कुछ अनुशंसाओं को स्वीकार किया। नैतिकता के प्रबंधन हेतु इसने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

- लोक सेवा के लिए नैतिक मानक स्पष्ट होने चाहिए। आचरण संहिता द्वारा सरकार और व्यापक समुदाय में साझा समझ के निर्माण के माध्यम इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।
- नैतिक मानक, विधिक ढाँचे के भीतर प्रतिबिंबित होने चाहिए। कानूनों और विनियमों को लोक सेवा के मूलभूत मूल्यों को निर्दिष्ट करना चाहिए तथा निर्देशन, अन्वेषण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन हेतु एक रूपरेखा प्रदान करनी चाहिए।
- लोक सेवकों के लिए नैतिक दिशा-निर्देश उपलब्ध होने चाहिए। प्रशिक्षण, नैतिक जागरूकता को सुगम बनाने के साथ-साथ नैतिक विश्लेषण और नैतिक निर्णय हेतु अनिवार्य कौशल विकसित कर सकता है।
- लोक सेवकों को अनुचित कृत्यों को उजागर करने संबंधी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए।
- नीतिशास्त्र के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता द्वारा लोक सेवकों के नैतिक आचरण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी और जांच हेतु खुली होनी चाहिए।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य अंत:क्रिया हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए।
- प्रबंधकों द्वारा नैतिक आचरण का निर्वहन किया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के माध्यम से नैतिक आचरण को बढ़ावा देना चाहिए।
- लोक सेवा परिस्थितियों तथा मानव परिस्थितियों के प्रबंधन द्वारा नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

VISION IAS

- लोक सेवाओं में उचित जवाबदेही प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- दुर्व्यवहार से निपटने हेतु उपयुक्त प्रक्रियाएं और प्रतिबंधों को निर्धारित किया जाना चाहिए।



4.2.6. संयुक्त राष्ट्र (United Nations)

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या के परिप्रेक्ष्य में दिसंबर 1996 में, **इंटरनेशनल कोड ऑफ़ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिसियल** को अंगीकृत किया गया था। इस संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित लोक पद, एक विश्वास का पद होता है जिसमें जनहित में कार्य करने का कर्तव्य अंतर्निहित होता है। इसीलिए लोक अधिकारियों की परम निष्ठा सरकार की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अभिव्यक्त उनके देश के जनहितों के प्रति होगी।
- लोक अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे अपने कर्तव्यों और कार्यों का विधियों या प्रशासनिक नीतियों के अनुसार कुशलतापूर्वक, प्रभावी तरीके से तथा सत्यनिष्ठा के साथ निष्पादन करेंगे। उनके द्वारा निरंतर यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि सार्वजनिक संसाधनों (जिनके लिए वे उत्तरदायी हैं) को प्रभावी और कुशल तरीके से प्रशासित किया जा रहा है।
- लोक अधिकारियों को अपने कार्यों के निष्पादन में और विशेष रूप से लोगों के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में सतर्क, न्यायोचित और निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें कभी भी किसी समूह या व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए या किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध अनुचित रूप से भेदभाव प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा अपनी शक्ति और प्राधिकार का दुरुप्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।



5. लोक सेवकों में नैतिक मानकों के पतन के कारण उत्पन्न समस्याएं



(The Problems Due to Declining Ethical Standards Among Public Servants)

- **निजी लाभ हेतु व्यक्तिगत प्राधिकार या पद का दुरुपयोग:** लोक अधिकारी जानबूझकर, लोक सेवा में पद धारण करने के कारण प्राप्त होने वाले प्रयोज्य प्राधिकारों और सुविधाओं का उपयोग निजी लाभ हेतु कर सकते हैं। यह तब प्रकट होता है जब:
  - तथ्यों की उपेक्षा करते हुए या किसी न्यायोचित प्रयोजन के बिना प्रशासनिक कार्यवाई का निष्पादन किया जाता है;
  - सार्वजनिक तकनीकी साधनों, कारों, संचार के सुविधाओं एवं परिसरों का एक लोक अधिकारी द्वारा निजी हितों के लिए उपयोग किया जाता है; तथा
  - अकर्मण्यता समुदाय को नुकसान पहुँचाने का कारण बनती है।
- **निजी प्राधिकार या पद का अतिक्रमण:** अधिकारियों द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की कार्यवाहियों का निष्पादन किया जाता है जो उसके पद संबंधी उत्तरदायित्वों और अधिकारों से बाहर होती हैं तथा जो अंततः राज्य या कुछ नागरिकों के हितों की क्षति का कारण बनती हैं।
- **लापरवाही:** एक लोक अधिकारी द्वारा या तो अपने पेशेवर उत्तरदायित्वों का निष्पादन नहीं किया जाता है या उनका निष्पादन एक भ्रष्ट रीति से किया जाता है, इसके परिणामस्वरूप राज्य या समुदाय को हानि होती है। यह सामान्यतः, व्यक्ति के अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति अभिरूचि के अभाव के कारण होता है।
- **रिश्वतखोरी:** रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु एक आवश्यक बुराई के रूप में समाज के एक स्वीकार्य अंग बन गए हैं।
- **धोखाधड़ी:** विभिन्न कारणों से लोक अधिकारियों द्वारा आंकड़ों को संग्रहित नहीं किया जाता है और इनका बेहतर तरीके से उपयोग भी नहीं किया जाता है, नतीज़तन ये नीति निर्माण और प्रतिपुष्टि प्रक्रियाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये कारण निजी लाभ (जैसे- बेहतर प्रदर्शन को दर्शाने हेतु एक जिले में सर पर मैला ढोने वालों की संख्या को जानबूझकर कम दिखाना), नेतृत्व का अभाव (जैसे- एक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र के जनगणना आंकड़ों को गलत तरीके से दर्ज करना) अथवा प्राय: अभिरुचि का अभाव (जैसे- मिड-डे मील योजनाओं की गुणवत्ता की जांच करने हेतु विद्यालयों के सर्वेक्षणों का संचालन न करना) आदि हो सकते हैं।

5.1. उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के समक्ष समस्याएं

(Problems in Ensuring High Ethical Standards)

- **सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिक मानकों और सत्यनिष्ठा हेतु निर्दिष्ट खतरों का पूर्वानुमान:** व्यवस्थागत खतरें अर्थात् लोक सेवाओं से संबंधित संस्था को कमजोर करने वाले खतरों की पहचान करना कठिन होता है। उदाहरणार्थ अनामिकता का निरंतर नष्ट होता मूल्य या प्रतिबद्ध नौकरशाही की समस्या, लोक सेवाओं के मूलभूत आधार को कमजोर करती है। लोक सेवाओं को यह अधिदेश प्राप्त है कि वह विधि के शासन को सुदृढ़ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्णय भय एवं पक्षपात रहित होकर लोक कल्याण के हित में लिए जाएं।
- **लोक सेवकों की नैतिक क्षमता तथा "पेशेवर नैतिकता" को समर्थन करने वाले तंत्र को सुदृढ़ करना:** लोक सेवकों की भर्ती स्तर पर नैतिक क्षमता का आकलन करना कठिन होता है। विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के पश्चात् नीतिशास्त्र से संबंधित प्रश्न-पत्र को शामिल करने के बाद भी लोक सेवकों द्वारा की जाने वाली अनैतिक व्यवहार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। इस समस्या का मूल उस परिवेश में विद्यमान हैं जो समाज में निरंतर बना हुआ है तथा साथ ही नैतिकता को समाविष्ट

VISION IAS



करने और उन्हें लोक सेवकों पर लागू करने संबंधी कमजोर संस्थागत तंत्र भी उत्तरदायी हैं। नैतिक रूप से सक्षम निर्णय निर्माण प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने, सरकार को पक्षपात रहित परामर्श प्रदान करने और अंततः, पेशेवर उत्तरदायित्व, आत्म-अनुशासन और विधि के शासन का समर्थन करने वाली एक 'नैतिक संस्कृति' स्थापना के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

- **नैतिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करने वाली प्रशासनिक कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना:** सिस्टम द्वारा अनुकरणीय मॉडल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सम्पूर्ण नौकरशाही हेतु लोक सेवकों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और अनुकरणीय कार्यवाहियों को प्रसारित करने की प्रक्रिया को भी शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोक सेवाओं में बढ़ते नवाचार की संभावनाओं के अनुरूप प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणालियों को भी नवीकृत किया जाना चाहिए।

5.2. विचार किए जाने योग्य विशिष्ट रणनीतियां

(Specific Strategies to be Considered)

- प्रभावी कानून, जो लोक सेवकों से उनके आधिकारिक निर्णयों हेतु कारण प्रस्तुत करने की मांग करते हैं।
- प्रबंधन उपागम, जो सभी लोक अधिकारियों और लोक सेवकों को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यप्रणालियों से सकारात्मक रूप से निपटने हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
- अधिकारियों के अनुचित कार्यों के उचित 'जनहित प्रकटीकरण' की सुरक्षा हेतु 'व्हिसल-ब्लोअर' संरक्षण कानून।
- अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के संदर्भ में सत्यनिष्ठा को प्रभावित करने वाले जोखिमों की पहचान करने हेतु नीतिशास्त्रीय लेखा परीक्षा।
- नवीन मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियां (उदाहरणार्थ- जो नैतिक प्रदर्शन को सेवा में प्रवेश एवं पदोन्नति से तथा नैतिक रूप से 'निम्न-प्रदर्शन' को अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबद्ध करती हैं), योग्यता आधारित पदोन्नति एवं भर्ती तथा पक्षपात-रहित संरक्षण।
- नीतिपरक आचार संहिता के अवयव एवं तर्काधार के समावेश हेतु प्रशिक्षण, नैतिक प्रबंधन के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, आधिकारिक शक्तियों का उचित उपयोग तथा पेशेवर उत्तरदायित्वों की आवश्यकताएं।
- प्रभावी बाह्य और आंतरिक शिकायत एवं निवारण प्रक्रियाएं।

6. सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं

(Ethical Concerns and Dilemmas in Government and Private Institutions)

6.1. नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं: अर्थ और महत्व

(Ethical Concerns and Dilemmas: Meaning and Significance)

केस स्टडीज के मामले में विस्तृत रूप से वर्णित नैतिक दुविधा, एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करना शामिल है, जहाँ कोई भी विकल्प स्पष्ट रूप से सही अथवा गलत नहीं होता है। यदि इनमें से कोई भी विकल्प स्पष्ट रूप से सही अथवा गलत होता, तो नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसे में गलत विकल्प के बजाय सही विकल्प का चयन करना आसान होता है। अतः नैतिक दुविधा एक ऐसी स्थिति से उत्पन्न होती है जो किसी दी गई, सामान्यतः अवांछित या जटिल स्थिति में, सिद्धांतों के प्रतिस्पर्धी समूह के मध्य किसी एक के चयन हेतु बाध्य करती है। संभवतः

VISION IAS

हितों का संघर्ष इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व को नैतिक दुविधा में डाल सकता है। सामान्यतः, यह ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट होता है जहां व्यक्तिगत मूल्य अथवा व्यक्तिगत हित का पेशेवर नैतिकता अथवा पेशेवर कर्तव्यों के साथ संघर्ष होता है।



6.2. नैतिक दुविधाओं के कुछ प्रकार (Some types of ethical dilemmas)

लोक सेवक निम्नलिखित के मध्य संघर्ष की स्थिति में स्वयं को दुविधा में पाते हैं:

- लोक प्रशासन के विभिन्न मूल्यों के मध्य नैतिक दुविधा, जैसे- दक्षता बनाम जवाबदेही;
- आचरण संहिता के विभिन्न पहलुओं के मध्य - कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पुरस्कार अथवा उपहार स्वीकार करना;
- व्यक्तिगत मूल्य बनाम वरिष्ठों के निर्देश या सरकारी निर्देश;
- पेशेवर नैतिकता बनाम एक पर्यवेक्षक/प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्यायपूर्ण आदेश का अनुसरण; एवं
- अस्पष्ट या प्रतिस्पर्धी जवाबदेही, जैसे- विभाग अथवा समाज के प्रति।

लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं से निपटने की प्रक्रिया को एकीकृत करने वाले मौलिक सिद्धांतों या मानदंडों के समूह में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रशासन की लोकतांत्रिक जवाबदेही;
- विधि का शासन और वैधता का सिद्धांत;
- पेशेवर सत्यनिष्ठा; तथा
- नागरिक समाज के प्रति अनुक्रियाशीलता।

इन्हें लोक प्रशासन में नीति संबंधी तर्क की अनिवार्यताओं के **ALIR** (उत्तरदायित्व, वैधता, सत्यनिष्ठा, अनुक्रियाशीलता) (Accountability, Legality, Integrity, Responsiveness) मॉडल के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

6.3. सरकार (सार्वजनिक क्षेत्र) में नैतिक चिंताएं

{Ethical Concerns in Government (Public Sector)}

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ सर्वाधिक सामान्य नैतिक मुद्दें उत्तरदायित्व के सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इनमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

- प्रशासनिक विवेक;
- भ्रष्टाचार;
- भाई-भतीजावाद;
- प्रशासनिक गोपनीयता;
- सूचनाओं का प्रकटीकरण;
- लोक जवाबदेही; एवं
- नीतिगत दुविधाएं।

6.3.1. प्रशासनिक विवेक (Administrative Discretion)

लोक अधिकारी न केवल कानून अथवा सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन करते हैं, बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वे लोगों के जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले निर्णय भी लेते हैं। जन कल्याण का मुद्दा प्रशासनिक विवेकाधिकार के उचित उपयोग अथवा दुरुपयोग पर काफी हद तक निर्भर करता है।

VISION IAS

कानून द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों तथा नियत प्रक्रियाओं के तहत, लोक अधिकारीयों द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कई विकल्पों में से एक का कार्यवाही हेतु चयन प्रायः व्यक्तिगत वरीयता, राजनीतिक या अन्य संबद्धताओं, अथवा यहां तक कि व्यक्तिगत उन्नति के आधार पर किया जाता है। इससे ज्ञात तथ्यों की अवहेलना की जाती है तथा तर्कसंगत निर्णय निर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। ऐसे में सभी निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने पर भी विवेकपूर्ण चयन को अनैतिक या भ्रष्ट माना जा सकता है।

6.3.2. भ्रष्टाचार (Corruption)

अधिकांश अधिकारी, लोक पद के लिए आवश्यक उच्च मानकों का अनुपालन करते हैं और जन सामान्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहते हैं। हालांकि, लोक सेवकों के नैतिक मानकों को पूर्णतः समाज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया जाता है। यदि कुछ लोगों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि किसी सरकारी अधिकारी से शीघ्र प्रतिक्रिया प्राप्त करने (अर्थात् शीघ्रतापूर्वक अपना काम कराने) के लिए कुछ आर्थिक अथवा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है, और अधिकारी उक्त प्रोत्साहन को स्वीकार करता है, तो यहाँ कुछ लोगों के दृष्टिकोण से अधिकारियों और जनता के नैतिक आचरण के मानकों के मध्य सांमजस्य विद्यमान पाया जाता है। लेकिन यह समाज में भ्रष्टाचार के उच्च सहिष्णुता के स्तर को प्रदर्शित करता है और यदि समाज द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार कुछ लोगों के हितों के बजाय जन हित में संचालित हो, तो इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाना चाहिए।

6.3.3. प्रशासनिक गोपनीयता (Administrative Secrecy)

सार्वजानिक कार्यकलाप में गोपनीय आचरण एक ऐसी चीज है जो आवश्यकतानुसार परिस्थितियों का सृजन कर तदनुरूप कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त करती है, जो एक प्रमुख नैतिक दुविधा सिद्ध हो सकती है। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोपनीयता अनैतिक आचरण को छिपाने का अवसर प्रदान कर सकती है। गोपनीयता भ्रष्टाचार में सहायक है और भ्रष्टाचार सदैव गोपनीय आचरण अपना कर किया जाता है।

6.3.4. भाई-भतीजावाद (Nepotism)

भाई-भतीजावाद (लोक पदों पर रिश्तेदारों और/या मित्रों की नियुक्ति अथवा उनके पक्ष में काम करना, जिससे योग्यता/निष्पक्षता के सिद्धांत की अवहेलना हो सकती हैं) से लोक सेवा की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इसके कारण संघ-भाव एवं विश्वास की समाप्ति तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। साथ ही नीति निर्माताओं के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों और सरलता से पदच्युत या अन्यों द्वारा प्रतिस्थापित न किए जाने के कारण नियंत्रण उपायों को विकृत करके कुछ चुनिंदा लोगों के चयन करने क्षमता का विकास होता है।

6.3.5. सूचना का खुलासा (Information Leaks)

आधिकारिक सूचनाएं सामान्यतः संवेदनशील प्रकृति की होती हैं और ऐसी सूचना के प्रकटीकरण का परिणाम अव्यवस्था, भ्रष्ट कार्यप्रणाली या कुछ व्यक्तियों के लिए अनुचित मौद्रिक लाभ के रूप में हो सकता है। सार्वजनिक घोषणा से पूर्व किसी भी तिथि की आधिकारिक सूचना का खुलासा प्रक्रियात्मक निर्देश का उल्लंघन है और यह एक नैतिक दुविधा भी हो सकती है।

VISION IAS

6.3.6. लोक जवाबदेही (Public Accountability)



चूंकि लोक सेवक, सार्वजनिक नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं, इसलिए उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों, न्यायालयों और जन सामान्य के प्रति अपने आधिकारिक कार्यों हेतु जवाबदेह होना चाहिए। तथापि, उनके लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पीछे, व्यावसायिकता और यहां तक कि राजनीतिक पदाधिकारियों की आड़ में छिपना संभव है।

6.3.7. नीतिगत दुविधाएं (Policy Dilemmas)

नीति निर्माताओं को प्रायः परस्पर-विरोधी उत्तरदायित्वों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ समाज के प्रति भी अपनी निष्ठा प्रदर्शित करनी पड़ती है। उन्हें सामान्य जन के पक्ष और हित में कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, परन्तु उन्हें अपने कार्यों के लिए अपने वरिष्ठों और समाज के प्रति भी अवश्य उत्तरदायी होना चाहिए।

6.3.8. अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्र (Other Problem Areas)

उपर्युक्त संदर्भित संभावित संघर्ष के क्षेत्रों के अतिरिक्त, अन्य समस्यागत क्षेत्रों, जहां नैतिक दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, को निम्नलिखित रूप में चिन्हित किया जा सकता है :

- नौकरशाही का राजनीतिकरण: राजनीतिक गतिविधियों में लोक सेवकों की संलग्नता के परिणामस्वरूप उन अधिकारियों की निष्ठा विभक्त होती है जो एक विशिष्ट राजनीतिक दल के विचारों के समर्थक होते हैं।
- अन्य जटिल नैतिक समस्याएं हैं- अस्वस्थता-अवकाश जैसे विशेषाधिकारों का दुरुपयोग, विस्तारित अवकाश और सामान्यतः कार्यालय के नियमों का उल्लंघन।

नीतिशास्त्र एवं आचरण संहिता जैसी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भ्रष्ट आचरण के प्रति झुकाव को कम करना एवं सकारात्मक मानसिकता का सृजन करना है। चूंकि 'व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्तियों का दुरुपयोग करना एक मानवीय अभिवृत्ति है, जिसके कारण इसका पूर्णतः उन्मूलन करना असंभव है'। अतः इस प्रकार के स्पष्ट धारणा के माध्यम से भ्रष्टाचार की घटनाओं को कम अथवा प्रतिबंधित करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है।

6.4. निजी/व्यावसायिक संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं

(Ethical Concerns and Dilemmas in Private/Business Institutions)

आचरण संहिता वस्तुतः सिद्धांतों और नियमों का एक समुच्चय है, जो सामाजिक संस्थानों को अपने हितधारकों के प्रति तथा हितधारकों (विशेष रूप से कर्मचारियों) को संस्था और एक-दूसरे के प्रति व्यवहार करने संबंधी पद्धति को शासित करते हैं।

संहिता, केवल उन निर्देशों के अनेक समुच्चयों में से एक है जिसके अधीन संगठन और व्यक्ति कार्य करते हैं। कंपनियां, कानून के अधीन होती हैं और कानून के माध्यम से उनका आचरण निर्धारित किया जा सकता है।

इस प्रकार, संहिताएँ सामान्यतः नैतिक आचरण, जैसे- सत्यनिष्ठा के साथकार्य करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना आदि से संबंधित विवरण हैं। लेकिन संहिताओं के माध्यम से ऐसे व्यवहार

VISION IAS

को भी निर्धारित किया जा सकता है जो प्रकृति में अधिक प्रक्रियात्मक होते हैं, जैसे- किसी व्यक्ति द्वारा संहिता का उल्लंघन करने पर विवाद समाधान तंत्र के संचालन की पद्धति। कभी-कभी नीतिपरक आचार संहिता और नैतिक संहिता के मध्य अंतर स्थापित किया जाता है। नीतिपरक आचार संहिता संगठनात्मक जीवन से संबंधित है जबकि नैतिक संहिता समाज, संस्कृति और धर्म पर अधिक लागू होती है। यह अंतर विशेष रूप से उपयोगी नहीं है क्योंकि उनके मध्य के इस अंतर का बार-बार एवं सरलता से उल्लंघन किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, विदेशी संस्कृतियों के संदर्भ में उचित व्यवहार को निर्धारित करते समय बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रायः सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, संहिताओं को उत्कृष्ट तौर पर अपनाने वाली संस्थाएं स्थापित संहिता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कई संगठन भी ऐसा करते हैं। इंजीनियरिंग, एकाउंटिंग, चिकित्सा और विधिक जैसे व्यवसायों में ऐसी संहिताएँ अपनायी जाती हैं।

6.4.1. साधारणतः निजी क्षेत्र के नैतिक मुद्दें

(Ethical issues of private sector in general)

- नियुक्तियों में हितों का संघर्ष; विशेष रूप से परिवार द्वारा संचालित कंपनियों में निदेशक मंडल जैसे पदों पर नियुक्ति के मामले में ऐसा देखा जा सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा- कई कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट में धोखाधड़ी करते हुए पाया गया है। उचित लेखा परीक्षा करना और किसी भी प्रकार के उल्लंघन का पता लगाना लेखा परीक्षकों का कार्य है, जिसमें वे अनेक मामलों में विफल रहे हैं।
- इनसाइडर ट्रेडिंग और शेयर की कीमतों में हेरफेर।
- बाजारों में व्यवसायी समूहन (कार्टलाईज़ेशन) और हेरफेर।
- सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने हेतु लॉबिंग।

6.4.2. नियोक्ताओं के नैतिक मुद्दे (Ethical Issues of Employers)

- **पक्षपात**: इसका अर्थ यह है कि नियोक्ता पदोन्नति और बोनस के संबंध में किसी विशेष व्यक्ति का पक्ष ले सकता है और स्पष्ट रूप से अन्य पात्र कर्मचारियों की उपेक्षा कर सकता है। नियोक्ता के इस आचरण को अत्यधिक अनैतिक माना जाता है।
- लैंगिक उत्पीड़न को कानूनी/नैतिक/आचरण की दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता है, चाहे ऐसा कार्यस्थल पर हो अथवा उससे बाहर। किसी कर्मचारी का लैंगिक उत्पीड़न अथवा ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने से बचना आदि सभी को यहाँ अक्सर कठोरता से वर्जित किया जाता है।
- बिना किसी सूचना के कर्मचारी को बर्खास्त करना। कुछ मामलों में, बजट प्रबंधन जैसे कारणों से कंपनियां कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी के विकल्प का चयन करती हैं। इस तरह के कदम कम से कम एक माह अथवा दो माह की पूर्व सूचना एवं नोटिस के पश्चात उठाए जाने चाहिए, ताकि व्यक्ति नौकरी के अन्य विकल्पों की खोज का सके। किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए नोटिस देकर कर्मचारियों को उचित समय प्रदान किया जाना चाहिए। संगठन छोड़ने के पश्चात कर्मचारी के भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन है।

VISION IAS

6.4.3. कर्मचारियों के नैतिकता संबंधी मुद्दे



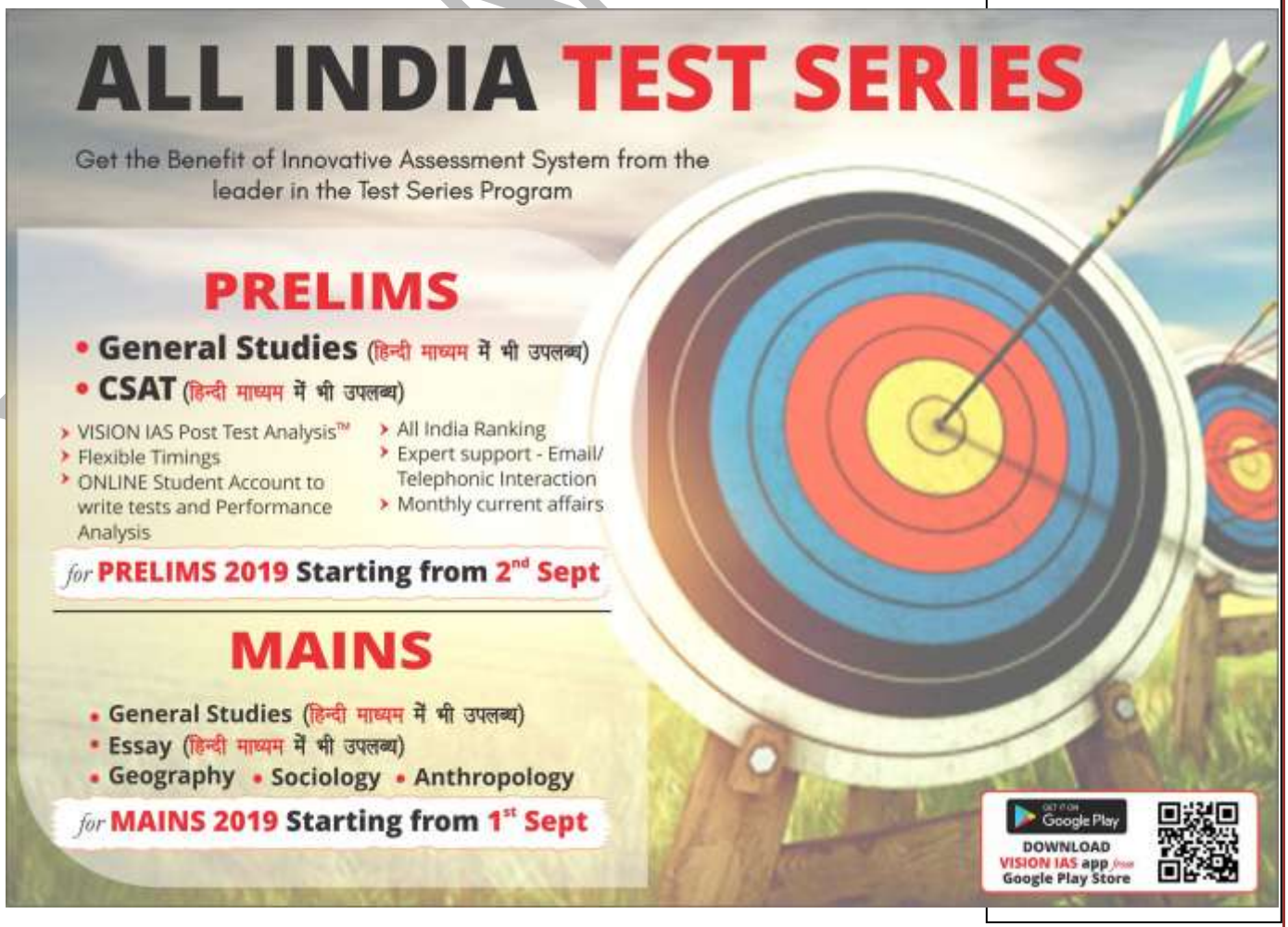
(Ethical Issues of Employees)

- संसाधनों का दुरुपयोग करना, उदाहरणार्थ: कंपनी के खर्च पर अनावश्यक फ़ोन कॉल करना आदि।
- **कंपनी की संपत्ति को घर ले जाना:** कुछ कर्मचारी घर पर उपयोग करने हेतु कंपनी के उपकरण तथा स्टेशनरी का सामान, जैसे- स्टेपलर, पिन, कागज़ इत्यादि ले जाते हैं।
- अनुमत संख्या से अधिक छुट्टियां लेना नीतिपरक आचार संहिता के उल्लंघन को दर्शाता है। इससे न केवल कंपनी को क्षति पहुँचती है बल्कि कर्मचारी की छवि भी ख़राब होती है।
- **मशीनरी का अनुचित उपयोग:** कुछ कर्मचारी कंपनी के कंप्यूटर एवं प्रिंटर का उपयोग अत्यधिक प्रिंट आउट्स, अधिक डाउनलोडिंग और अनावश्यक नेट सर्फिंग इत्यादि के लिए करते हैं।
- **यात्रा भत्ता का लाभ उठाना:** यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो निरंतर यात्राएं करते रहते हैं, जैसे- मार्केटिंग प्रोफेशनल। नीतिपरक आचार संहिता के अतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान के अनुसार भी व्यक्तिगत लाभों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए।
- **कंपनी के नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करना:** सामान्यतः किसी भी संगठन के नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करना प्रक्रिया में शामिल होने का एक भाग माना जाता है। इन नियमों में से किसी एक का भी उल्लंघन करने से कंपनी एवं कर्मचारी के मध्य अवांछनीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कंपनी की गोपनीयता की नीति को बनाए रखने में विफलता भी नियमों के उल्लंघन का एक प्रकार है। प्रत्येक कंपनी की अपनी एक गोपनीयता संबंधी नीति होती है। किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारी का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह कंपनी से संबंधित डेटा और अन्य विवरण को किसी अन्य कंपनी/प्रतिद्वंद्वी संगठन को प्रदान न करें।
- **आपत्तिजनक संचार:** कर्मचारियों को कार्यालय में आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। परंतु जब कोई भी घटना कंपनी के बाहर घटित होती है, तब उसपर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाता है।
- **कई संगठनों हेतु कार्य करना:** सामान्यतः कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक से अधिक संगठनों में कार्य करने हेतु प्रतिबंधित करती हैं, विशेषतः प्रतिस्पर्धी कंपनी द्वारा जहां संगठन की गोपनीय सूचना का उपयोग किया जा सकता है। इससे कर्मचारी की उसके नियोक्ता के प्रति निष्ठा पर प्रश्न उठता है।
- **कंपनी के लिए निर्धारित दैनिक समय पर व्यक्तिगत कार्य करना:** कर्मचारी द्वारा सप्ताहिक दिनों का अत्यधिक समय नौकरी पर व्यतीत करने के कारण प्रायः वे कंपनी के लिए निर्धारित दैनिक समय पर व्यक्तिगत कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें कंपनी की फोन लाइन द्वारा डॉक्टर से समय लेना, नियोक्ता के कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्शन द्वारा छुट्टियों के लिए यात्रा हेतु आरक्षण करना अथवा यहां तक कि कंपनी के लिए निर्धारित समय में फ्रीलांस साइड बिज़नेस हेतु फ़ोन कॉल करना इत्यादि शामिल हैं।
- **अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का श्रेय लेना:** प्रायः कर्मचारी किसी वस्तु का मार्केटिंग कैंपेन तैयार करने, नए उत्पादों को विकसित करने अथवा सेवाओं में सुधार करने हेतु टीम के रूप में कार्य करते हैं; परंतु ऐसा कम ही पाया जाता है कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति एक समान रूप से अंतिम उत्पाद में अपना संपूर्ण योगदान करता है। यदि कोई भी कर्मचारी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने सह-कर्मियों साथ नहीं देता है तो इससे अन्य कर्मचारियों में द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है, जब सभी कर्मचारी समान श्रेय को स्वीकार करते हैं, चाहे

VISION IAS

केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों ने परिश्रम किया हो। इस नैतिक दुविधा का समाधान करने का सबसे उत्कृष्ट तरीका यह है कि इस प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया जाना चाहिए। टीम के सभी सदस्यों को इस बात पर बल देना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य को कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे जाए ताकि संबद्ध तरीके से परियोजना को पूर्ण किया जा सके। इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है कि कार्य का श्रेय पूरी टीम को दिया जाएगा न कि किसी एक व्यक्ति को तथा यह उस टीम लीडर का नैतिक दायित्व है कि किसी भी प्रकार की कमी रहने पर उसकी जिम्मेदारी ले। {प्रोफेसर सतीश धवन (तत्कालीन इसरो अध्यक्ष) ने डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम की अगुआई वाली टीम द्वारा प्रथम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की विफलता को स्वीकार करते हुए इस गुण का प्रदर्शन किया।}

- **उत्पीड़क व्यवहार:** प्रायः कर्मचारियों को यह ज्ञात नहीं होता है कि एक सहकर्मी द्वारा अन्य सहकर्मी का मानसिक, लैंगिक अथवा शारीरिक रूप से उत्पीड़न करने पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। कर्मचारी को यह भय रहता है कि यदि वह अपने वरिष्ठ को उत्पीड़न की शिकायत करता है, तो अपनी नौकरी को गंवा सकता है। साथ ही वह इस बात को लेकर भी चिंतित रहता है कि यदि वह किसी सहकर्मी की अन्य सहकर्मी के प्रति अनुपयुक्त व्यवहार की शिकायत करता है, तो उसे उपद्रवी कहा जाएगा। इस नैतिक दुविधा का समाधान करने की उचित विधि उन संदस्यों पर निर्भर करती है जो कंपनी की कर्मचारी हैंडबुक को तैयार करते हैं। इस पुस्तिका में विशिष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए कि उत्पीड़न संबंधी व्यवहार या अपने सहकर्मियों की अनुचित कार्यों की सूचना देने वाले कर्मचारी को दंडित नहीं किया जाएगा।



7. केस स्टडी (Some Case Studies)



केस 1

पूर्व से ही स्थापित अनुकरणीय सुरक्षा अभिलेख के बावजूद एक रासायनिक कारखाने में एक घातक दुर्घटना घटित हो जाती है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना के कारणों को ज्ञात करने हेतु की गई जांच द्वारा भविष्य में होने वाली इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उपाय सुझाए गए हैं। हालांकि, इन परिवर्तनों को कार्यान्वित करना अत्यधिक महंगा होगा। CEO के समक्ष संयंत्र को बंद करने का विकल्प विद्यमान हैं जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों नौकरियों की हानि हो सकती है, या दूसरी ओर यह भी विकल्प विद्यमान है कि वह प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को अपनाते हुए संयंत्र का परिचालन जारी रख सकता है जो जोखिम को केवल कम करेगा न की उन्हें पूर्णतः समाप्त।

यह प्रकरण असाधारण परिणामों का एक उदाहरण है। यहाँ हमें चोट या मृत्यु के कम लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम को समाप्त करने संबंधी मूल्य बनाम निरंतर रोजगार प्रदान करने संबंधी मूल्य को निर्धारित करने के लिए कहा गया है। हालाँकि, एक सैद्धांतिक प्रतिक्रिया स्वरुप यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी मूल्य महान नहीं हो सकता है जिसे व्यक्ति के जीवन पर प्राथमिकता प्रदान की जा सके। लेकिन यदि हम इस सिद्धांत को अक्षरशः व्यवहार में लागू करेंगे तो दैनिक जीवन बाधित हो जाएगा। इसका अनुसरण करने से यह तथ्य सामने आता है कि यदि कार दुर्घटना में प्रति वर्ष केवल एक व्यक्ति की ही मृत्यु होती है तो वैसी स्थिति में सभी प्रकार के निजी परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अतः, जहां हम मौखिक रूप से इस धारणा का समर्थन करते हैं कि मानव जीवन अपरिमेय है, वहीं व्यावहारिक रूप से, इस धारणा से असंगत निर्णय लिए जाते हैं। इस परिदृश्य में, आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधानों को खोजने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य किसी भी दुर्घटना को कम करना है।

केस 2

एक खोजी संवाददाता को भ्रष्टाचार के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है जिसमें किसी प्रतिष्ठित कंपनी के बोर्ड के सदस्य द्वारा कई लाख रुपये के भूमि खरीद सौदे में फ्री हॉलिडे स्वीकार किया गया है। अध्यक्ष द्वारा पहले ही बोर्ड के संबंधित सदस्य से वार्ता की जा चुकी है, जिसने तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा है। संयोग से, इस सौदे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और इस प्रकार किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। रिपोर्टर फोन पर अध्यक्ष से इस अफवाह की वास्तविकता के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। इस स्थिति में यदि अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के इस मामलें की जानकारी प्रदान की जाती है तो इसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट हो सकती है। यहाँ अध्यक्ष सच्चाई को स्वीकार कर सकता है या संवाददाता को अहानिकर स्पष्टीकरण के माध्यम से गलत सूचना (एक 'सफेद झूठ') प्रदान कर सकता है।

यह प्रकरण सिद्धांतों और परिणामों के मध्य संघर्ष का एक उदाहरण है। नैतिक सिद्धांत के संदर्भ में, झूठ बोलना सदैव गलत होता है। हालांकि, वास्तविक जीवन में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां सत्य बोलने के मूल्य को चुकाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। इसे एक आदर्श उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- कुल्हाड़ी लिए हुए कोई हत्यारा आपसे यह पूछता है कि 'वह किस मार्ग से गया है?' इस परिस्थिति में सत्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रतिक्रिया एक झूठ होगी। इस परिस्थिति में किसी

VISION IAS

व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य, परिणामों पर विचार किए बिना, सत्य बोलना है। हालांकि, कुछ व्यक्ति इसके चरम परिणामों को भोगने के लिए तैयार हो सकते हैं।



केस 3

एक प्रयोगशाला उपकरण विनिर्माण कंपनी में एक मानव संसाधन प्रबंधक को कंपनी के कार्यबल में से एक अधिक वरिष्ठ सदस्य के संबंध में कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। उसकी सेवानिवृत्ति में केवल दो वर्ष शेष हैं, वह व्यक्ति अत्यधिक ज़िम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करता है लेकिन उसकी कार्य दर में अत्यधिक गिरावट आ गई है जिसके कारण अन्य श्रमिक उसकी शिकायत करना प्रारंभ कर देते हैं। कंपनी के प्रति समर्पण यह दर्शाता है कि प्रबंधक द्वारा कंपनी के हित में सबसे बेहतर निर्णय लिया जायेगा और उस व्यक्ति को कंपनी से निकाल दिया जायेगा। एक अधिक मानवीय कार्यवाही यह भी हो सकती है कि उसे ऐसे अनुभाग में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां उत्पादकता की कमी को नोटिस करने की कम संभावना हो।

यह प्रकरण दुविधा का एक उदाहरण है, जो भूमिकाओं के मध्य संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई है। एक प्रबंधक भी किसी डॉक्टर के समान कुछ कर्तव्यों और दायित्वों को स्वीकार करता है, जो उसकी भूमिका के लिए निर्धारित हैं। इसके लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाता। हम अपने पेशे संबंधी भूमिका का निर्वहन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और अपने कार्यों के आधार पर अपनी पहचान का निर्माण करते हैं। लेकिन एक मानव की स्थिति केवल एक भूमिका से कहीं अधिक होती है। प्रबंधक भी एक उत्तरदायी नागरिक, एक वफादार पति/पत्नी एवं देखभाल करने वाला माता-पिता, एक सभ्य मानव होता है। इन भूमिकाओं में विशेष प्रकार के दायित्व निहित होते हैं, जिनमें संघर्ष उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सैद्धांतिक प्रतिक्रिया कि 'किसी व्यक्ति का अपनी कंपनी के प्रति समर्पण सभी परिस्थितियों में अन्य सभी दायित्वों से महत्वपूर्ण होता है', निश्चित रूप से अस्वीकार्य है।

इस प्रकार के निर्णय का सामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एक स्पष्ट निर्धारक बिंदु होता है लेकिन यह पूर्व में ही निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वह बिंदु कौन-सा है। ऐसी परिस्थिति में हमें एक विकल्प का चयन करना होता है और उसके अनुरूप कार्य करना होता है। हम अपने निर्णय के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उपलब्ध विकल्पों के मध्य सार्थक तुलना किये बिना लिया गया कोई भी निर्णय "अंततः बिना तर्क के लिया गया निर्णय" माना जाएगा।

केस 4

एक नियोक्ता X लंबे समय से कंसल्टिंग बिज़नेस का संचालन कर रही है और उसे इसे प्रबंधित करने में सहायता करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता है। वह कई व्यक्तियों का साक्षात्कार लेती है और अंततः नौकरी के लिए उम्मीदवार Y का चयन करती है जिसे अगले सप्ताह से कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा जाता है। इस बीच, X का मित्र उसे फोन करके इस पद हेतु एक अत्यधिक प्रतिभाशाली और योग्य व्यक्ति Z की सिफारिश करता है। हालांकि X उसके द्वारा सुझाए गए व्यक्ति के लिए मना कर देती हैं। Z उचित बायो डेटा के साथ आता है और नियोक्ता द्वारा उसे पसंद कर लिया जाता है। इस परिस्थिति में दुविधा यह उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार के व्यक्ति का चयन किया जाए जो व्यवसाय के लिए सर्वाधिक योग्य है या नैतिक रूप से ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जाये जिसे पहले नियुक्त कर लिया गया है।

VISION IAS

समाधान



उपर्युक्त मुद्दे का समाधान व्यवसाय में नैतिक दुविधाओं के तीन मूलभूत प्रश्नों को संदर्भित करके किया जा सकता है।

- क्या यह विधि सम्मत है? निजी कंपनियां किसी भी प्रकार के भर्ती नियमों को मानने हेतु बाध्य नहीं हैं। हालांकि, उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना होता हैं। निश्चित रूप से वे अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चयनित और अस्वीकार कर सकती हैं। हालांकि, भर्ती के बाद उसे अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिसका परिणाम न्यायालय कार्यवाहियों के रूप में सामने आ सकता है। न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी, यह न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि वे कंपनी के अधिकार को (नियुक्त करने या निकलने) प्राथमिकता देते हैं या व्यक्ति के प्राकृतिक न्याय के अधिकार को।
- गुणों और दोषों को कैसे संतुलित किया जाए? Y के लिए कार्य प्रारंभ करना तकनीकी रूप से सही है लेकिन यह कंपनी और Y दोनों के लिए लाभकारी स्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि Z, Y की तुलना में कंपनी के व्यवसाय को बेहतर रूप से आगे बढ़ा सकता है।
- क्या यह सही है? Y को नियोजित करना सही होगा क्योंकि Y को पहले ही कार्यग्रहण की तिथि सौंपी जा चुकी है और उसे नियुक्त करने से नियोक्ता X यह महसूस कर सकती है कि वह सही कार्य कर रही है।

केस 5

एक कंपनी द्वारा एक नई तकनीक लॉन्च की जा रही है जो कंपनी के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी उपयोगी है। लेकिन, यदि इसे उपयोग में लाया जाता है, तो संगठन में अपेक्षाकृत कम मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। उद्यमी अब नैतिक दुविधा में है कि क्या वे अपने ग्राहकों को अधिक बेहतर सेवाएं प्रदान करें या अपने कर्मचारियों के प्रति निष्ठावान बने रहें जिन्होंने कंपनी की प्रगति में सहयोग किया है। इस स्थिति में दुविधा यह है कि यहाँ न तो ग्राहक और न ही कर्मचारी पीड़ित होने के भागी हैं और अब अंतिम निर्णय उद्यमी द्वारा लिया जाना है।

समाधान: इस स्थिति में तीन प्रश्नों को रेखांकित किया जा सकता हैं:

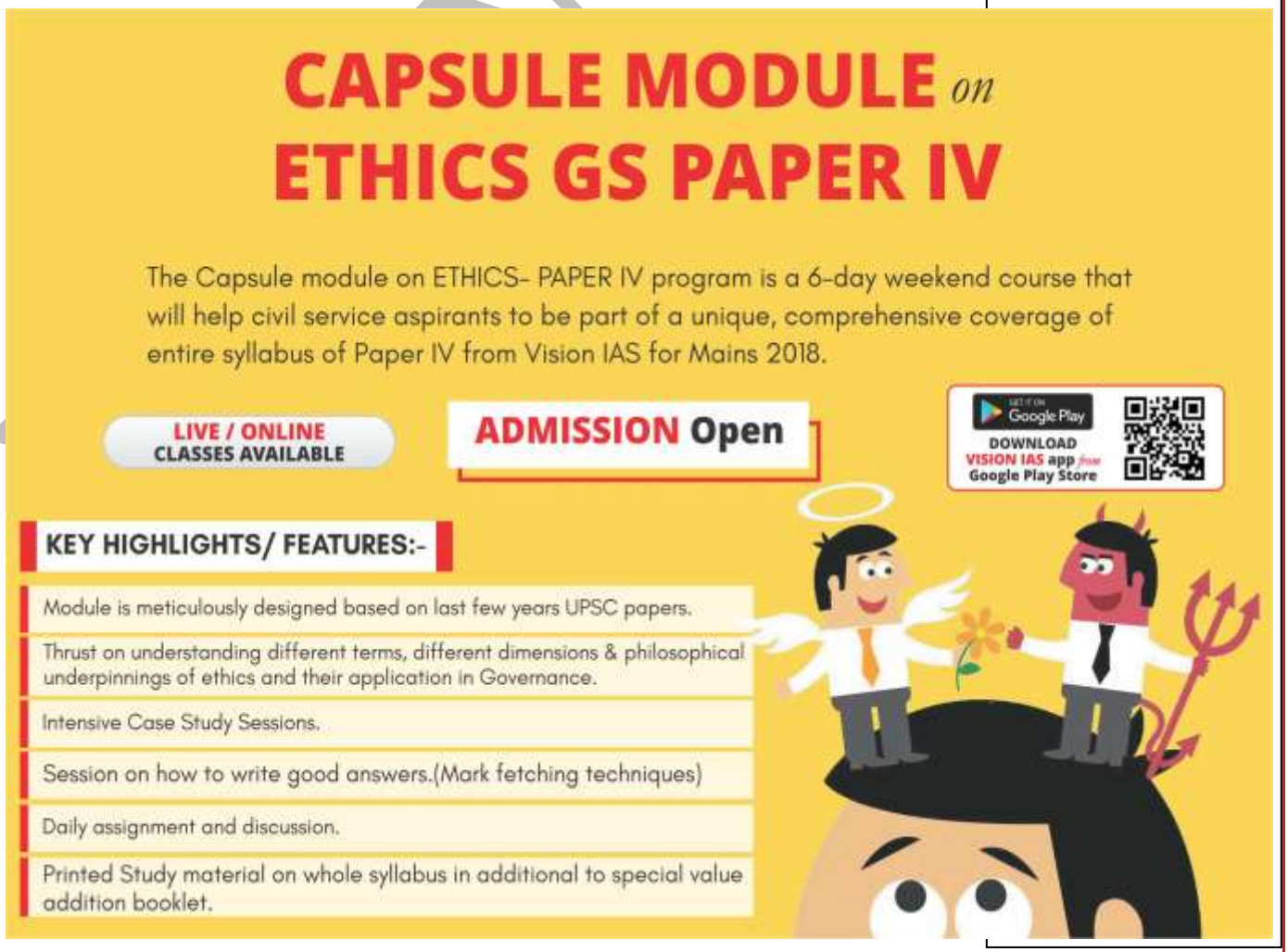
- क्या यह विधि सम्मत है? इस निर्णय को कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और कंपनी की नीतियों के साथ सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ किए गए समझौते के आधार पर दोनों वैधानिक रूप से सही हो सकते हैं।
- क्या यह संतुलित है? संगठनात्मक लक्ष्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों को संतुलित किया जाना चाहिए। संगठन को बाजार में बने रहने के लिए लाभ और ग्राहकों की संतुष्टि दोनों की आवश्यकता होती है। नई तकनीक को अपनाने से इन दोनों में वृद्धि होने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति रोज़गार की निश्चितता और उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व ये दोनों लक्ष्य परस्पर समन्वयित थे और दोनों के लिए लाभ की स्थिति विद्यमान थी। किन्तु वर्तमान स्थिति में इनके मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया है। निर्णय कर्ता को वफादारी को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने तथा लागत में कमी एवं अधिक ग्राहक-संतुष्टि के माध्यम से संभावित लाभ में वृद्धि के विकल्प के मध्य चयन करना होगा।

VISION IAS



- क्या यह सही है? प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रतिकूल निर्णयों की संभावना उत्पन्न करती है। स्वयं की कंपनी की प्रगति में वृद्धि करना और उसे अधिक स्वचालित स्वरूप प्रदान करने में कुछ भी अनुचित नहीं है। तकनीकी पिछड़ापन कंपनी के विकास में बाधक होता है, अतः तकनीक को अपनाना गलत विकल्प नहीं होगा। हालांकि, नियोक्ता को अपने मानव संसाधन का उपयोग करने और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर छंटनी के कारण कंपनी की छवि को रोजगार बाजार में एक बड़े अवरोध का सामना करना पड़ सकता है।
- एक उचित संभावित मार्ग यह हो सकता है कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों को किसी अन्य क्षेत्र संबंधी कौशल प्रदान किया जाना चाहिए और नई तकनीक को अपनाने के क्रम में छंटनी में कमी की जानी चाहिए।

ये दो मामलें, व्यवसायिक नैतिक दुविधाओं के विशिष्ट उदाहरण हैं। जीवन के समान ही व्यवसाय में कुछ निर्णय करना अत्यधिक कठिन होता है, लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि - आपको वही करना है जो आपको करने के लिए कहा गया है - इस प्रकार की दुविधाओं के समाधान की कोई अनिश्चित विधि नहीं है!



8. नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतःकरण



(Laws, Rules, Regulations and Conscience as Sources of Ethical Guidance)

विधि और अंतःकरण मार्गदर्शन के दो स्रोत हैं जिनके माध्यम से मनुष्य स्वयं की कार्यवाहियों की नैतिकता का निर्णय कर सकता है। ये स्रोत लोक प्रशासकों के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। जहां विधि, कर्त्ता से बाहर विद्यमान होती है वहीं अंतःकरण कर्त्ता के भीतर विद्यमान होता है। ये दोनों ही नैतिक होने का दायित्व आरोपित करते हैं अर्थात्, उचित कार्य करना और बुराई से बचना।

8.1. विधि की अवधारणा (The Notion of Law)

नीतिशास्त्र में प्रयुक्त विधि, भौतिकी में विधि की अवधारणा से भिन्न हैं, जो कार्रवाई के एक सामान्य अथवा स्थायी तरीके को सूचित करती है। नीतिशास्त्र में, विधि एक नैतिक अवधारणा है। उदाहरण के लिए, इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है कि "यह सामान्य शुभ के कारण के रूप में एक आदेश है और इसे समुदाय की देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रचारित किया जाता है।" (सेंट थॉमस एक्विनास)। Lex (लेक्स) शब्द (लैटिन में 'विधि' हेतु प्रयुक्त शब्द) वस्तुतः लैटिन शब्द ligare (लिगर) से बना है, जिसका अर्थ "बांधना" होता है। यह लोगों को कार्य करने अथवा न करने हेतु प्रेरित करता है। यह एक दायित्व भी आरोपित करता है। इसके अतिरिक्त, यह एक कार्रवाई को स्थापित करता है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। साथ ही, विधि मानव प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए तथा मानव प्रकृति को विधियों का अनुपालन करने के लिए भौतिक एवं नैतिक रूप से समर्थ होनी चाहिए। इसे केवल न्यायोचित ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी पर समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह 'सामान्य शुभ' के लिए है न कि निजी लाभ के लिए।

हालांकि, किसी से भी विधि के अनुपालन की अपेक्षा करने से पूर्व इसे विधि निर्माताओं द्वारा प्रख्यापित किया जाना चाहिए अथवा इसके संबंध में समुदाय को जानकारी होनी चाहिए। यदि विधि निर्माता विधि के अस्तित्व को प्रख्यापित या प्रचारित नहीं करते हैं, तो नागरिकों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जायेगा तथा विधि निर्माता इसके अनुपालन की अपेक्षा नहीं कर सकेंगे।

सेंट थॉमस एक्विनास (13वीं सदी के दार्शनिक व ईसाई संत) ने विभिन्न प्रकार की विधियों का एक प्रसिद्ध वर्णन प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्मशास्त्र से व्युत्पन्न शाश्वत विधि (eternal law), जो ईश्वर को ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में दर्शाता है, तथा लौकिक अथवा सामयिक विधियों के मध्य तुलना किया। शाश्वत विधि वह विधि है जो अनंतकाल तक बनी रहती है, अर्थात् मनुष्य या अन्य जीवों के अस्तित्व के साथ या उसके बिना। यह सदैव विद्यमान होती हैं। शाश्वत विधि ईश्वर की इच्छा है। यह अगली श्रेणी अर्थात् दैवीय विधि (Divine law) के रूप में प्रकट होती है। दैवीय विधि, शाश्वत विधि से व्युत्पन्न विधि है जिसे विभिन्न पवित्र पुस्तकों के माध्यम से ईश्वरीय आदेशों के रूप में मनुष्यों के लिए 'प्रकाशित' किया गया है। किन्तु यदि ईश्वर ने इन विधियों को निर्मित किया है तो उसने मनुष्यों द्वारा उन्हें जानने का एक तरीका भी अवश्य निर्मित किया होगा। वर्तमान में प्रत्येक मनुष्य इन पवित्र पुस्तकों को न तो पढ़ सकता है / न ही पढ़ता है / न ही हर कोई ईश्वर में विश्वास करता है। इसलिए, थॉमस एक्विनास कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अंतर्ज्ञान के साथ-साथ तर्क के आधार पर प्रकृति से इन विधियों को प्राप्त

VISION IAS

करने में सक्षम बनाया है। इस प्रकार, अंततः दो प्रकार की मानव विधियां हैं: प्राकृतिक और सकारात्मक।



8.1.1. प्राकृतिक विधि और सकारात्मक विधि

(Natural Laws and Positive Laws)

प्राकृतिक विधि, समय अथवा मनुष्य के उद्विकास के साथ विकसित हुई है। यह मानव प्रकृति पर आधारित है और मानवीय बुद्धि इसकी खोज कर सकती है। दार्शनिकों के मध्य इस पर बहस की शुरुआत अरस्तु के समय से ही मानी जाती है कि आखिर प्राकृतिक विधि क्या है। थॉमस एक्विनास के प्राकृतिक विधि संबंधी संस्करण को सबसे सुव्यवस्थित माना जाता है। जिसके अनुसार, यद्यपि दैवीय बुद्धि की शाश्वत विधि हमारे लिए अज्ञात है क्योंकि यह अपनी पूर्णता में ईश्वर के मस्तिष्क में विद्यमान है, तथापि यह न केवल रहस्योद्घाटन बल्कि हमारी बुद्धि के संचालन के माध्यम से भी हमें ज्ञात होती है। प्राकृतिक विधि, जो "बौद्धिक प्राणी में शाश्वत विधि के समावेशन के अतिरिक्त कुछ नहीं है", उन नियमों का समावेश करती है जिसे मानवजाति सूत्रबद्ध करने में सक्षम है, जो इस प्रकार हैं: स्वयं के शुभ का संरक्षण, "उन इच्छाओं की पूर्ति जिन्हे प्रकृति ने सभी जीवों में अंतर्निविष्ट किया है", तथा ईश्वर को जानने का मार्ग अपनाना। मानवीय विधि में प्राकृतिक विधियों को स्पष्ट तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

समझने के उद्देश्यों से एक्विनास के विचारों को इस प्रकार सरलीकृत किया जा सकता है कि ईश्वर ने हमें यह जानने के लिए सभी साधनों से पहले ही परिपूर्ण किया है कि शुभ क्या है। जिन वस्तुओं को खोजने के लिए हमें अभिकल्पित किया गया हैं उन्हें 'मूलभूत वस्तु" कहा जाता है। जिन्हें अस्तित्व के लिए सहज माना गया है। समस्त जीवित प्राणियों में यह प्रवृत्ति पायी जाती है। हमें आत्म-परिरक्षण की खोज करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसकी उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। हम उन चीजों से बचते हैं जो हमारे अस्तित्व को क्षति पहुंचा सकती हैं। इसी प्रकार, सभी प्राणियों को अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। यह स्वाभाविक भी है।

प्राकृतिक विधि की अवधारणा को थॉमस हॉब्स ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने इसे 'एक आदेश या सामान्य नियम' के रूप में वर्णित किया, जिसकी उत्पत्ति बुद्धि द्वारा होती है। “इसके द्वारा एक व्यक्ति को ऐसा करने के लिए वर्जित किया जाता है जो उसके जीवन के लिए विनाशकारी है।” हॉब्स ने "आधारभूत शुभ" की अवधारणा को भी आगे बढ़ाया, जिसकी हम इच्छा रखते हैं, जैसे- शांति, सुख, कृतज्ञता इत्यादि। इसलिए कोई भी कार्य जो शांति के अनुसरण का उल्लंघन करता है या सुख में बाधा उत्पन्न करता है अथवा जिससे कृतज्ञता प्राप्त नहीं होती है उसे प्राकृतिक विधि का उल्लंघन माना जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह प्राकृतिक विधि राजा या सरकार जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए, इस शब्द के सबसे कठोर अर्थ में भी किसी प्रकार के शासन का प्रावधान नहीं है।

प्राकृतिक विधि के सकारात्मक मानव विधि के साथ संबंध पर विचार कीजिए। सर एडवर्ड कोक 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज विधिवेत्ता थे जिन्होंने अमेरिकी क्रांति को अत्यधिक प्रभावित किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा को प्राकृतिक विधि (मनुष्य के अधिकारों के रूप में) के दस्तावेज के रूप में भी माना जाता है। अमेरिकी क्रांतिकारी नेताओं के लिए, 'विधि' का अर्थ सर एडवर्ड कोक की परिपाटी और उचित बुद्धि से था। कोक ने विधि को "पूर्ण बुद्धि (perfect reason)" माना, जो उन चीजों को आदेश देती है जो उचित एवं आवश्यक हैं तथा विपरीत चीजों को प्रतिबंधित करती है।” कोक

VISION IAS



के अनुसार, मानव प्रकृति द्वारा विधि का उद्देश्य निर्धारित होता है और विधि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि या इच्छा से सर्वोत्तम है। कोक के अनुसार, प्राकृतिक विधि "वह है जो ईश्वर द्वारा मानवीय प्रकृति के सृजन के समय ही उसके संरक्षण और निर्देशन के लिए उसके हृदय में अंतर्निविष्ट कर दी गई थी।" सकारात्मक विधि दो प्रकार की होती है: दैवीय और मानवीय। यदि सकारात्मक विधि का रचयिता ईश्वर है, तो वह दैवीय सकारात्मक विधि है। यदि सकारात्मक विधि का मूल स्रोत मानव है, तो यह एक मानवीय सकारात्मक विधि है। यहां हम मानव और सकारात्मक शब्दों का उपयोग परस्पर एक-दुसरे के लिए कर रहें हैं। 'विधि को प्रभावी' बनाने हेतु, इसे विधिवत अधिनियमित, स्वीकार्य और क्रियान्वित किया जाना चाहिए। सकारात्मक विधि भी समय के साथ विकसित हई है। इसके अंतर्गत इस प्रकार की विधि होती है जो विधि-निर्माताओं की स्वतंत्र इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है और कुछ बाह्य प्रतीकों द्वारा प्रख्यापित की जाती हैं।

एक्विनास ने यह बताया कि सभी मानव अथवा सकारात्मक विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप निर्धारित किया जाना था। एक अनुचित विधि अपने शब्द के पूर्ण अर्थ में विधि नहीं है। यह केवल विधि की 'प्रतीति (appearance)' को बनाए रखता है क्योंकि इसे एक विधि के समान उचित रूप से निर्मित और लागू किया जाता है, लेकिन यह स्वयं 'विधि का विकृत रूप' होता है। प्राकृतिक विधि का न केवल विभिन्न विधियों के नैतिक मूल्य के आधार पर निर्णयन करने हेतु उपयोग किया जाता है, बल्कि यह निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है कि उन विधियों का अर्थ क्या है।

प्राकृतिक विधि के साथ समस्या

प्राकृतिक विधि का सिद्धांत हमें आधारभूत शुभ प्रदान करता है। इन आधारभूत शुभों को जानने के लिए पवित्र पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी सहज प्रवृत्ति हमें आधारभूत शुभों का ज्ञान प्रदान करती है तथा बुद्धि के आधार पर हम इन आधारभूत शुभों से प्राकृतिक विधि को व्युत्पन्न करते हैं। वे ही कार्य उचित हैं जो प्राकृतिक विधि के अनुरूप हैं। अब, उत्तरजीविता की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विचार कीजिए। मैं जीवित रहना चाहता हूं और अन्य सभी लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए, बुद्धि के माध्यम से, मैं एक प्राकृतिक विधि को व्युत्पन्न कर सकता हूं कि हत्या की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हत्या उत्तरजीविता के आधारभूत शुभ से समझौता करती है। हालांकि, सभी जीवित प्राणियों के लिए हत्या एक प्राकृतिक अनुक्रम है, जैसे- खाद्य श्रृंखला में। इसलिए, इस आधार पर असंगति विकसित होती है कि कोई प्राकृतिक विधि की किस प्रकार से व्याख्या करता है।

इसके अतिरिक्त, मान लीजिए कि प्राकृतिक विधि द्वारा हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, सभी प्राणियों का अधिकार होने कारण प्रजनन को एक मूलभूत शुभ माना जाता है। तो इस संदर्भ में गर्भपात के बारे में विचार कीजिए? यदि प्राकृतिक विधि मानवाधिकारों का आधार है, तो गर्भपात एक मानव अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि यह हत्या का निषेध करने वाली प्राकृतिक विधि का उल्लंघन करता है। इस प्रकार, ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों में गर्भ निरोधक उपाय निषिद्ध हैं। इसी प्रकार, उन लोगों के संबंध में आपका क्या विचार है जो प्रजनन हेतु लैंगिक रूप से असक्षम हैं? अथवा वे समलैंगिक युगल हैं? इस प्रकार के मामलों में प्राकृतिक विधि का सिद्धांत विफल रहता है। सामान्यतः, इनकी व्याख्या के साथ-साथ इनके क्रियान्वयन के तरीकों के संबंध में समस्या विद्यमान है। इसलिए, व्यावहारिक अर्थ में, प्राकृतिक विधि को सकारात्मक मानव विधि के नैतिक चरित्र को निर्धारित करने हेतु नैतिक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाता है।

VISION IAS

8.1.2. नैतिक मार्गदर्शन के एक स्रोत के रूप में आधुनिक संदर्भ में विधि



(Laws in modern context as a source of ethical guidance)

आधुनिक संदर्भ में विधि, सकारात्मक मानवीय विधि की समानार्थी है। विधि वह बुनियादी नैतिक मानदंड हैं जिसे समाज के सभी व्यक्तियों से अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। समाज में इनके उल्लंघन के विरुद्ध कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जो कि सामान्यतः यथोचित रूप से प्रवर्तनीय दंड के रूप में विद्यमान होते हैं। विधि द्वारा कार्रवाई करना और कार्रवाई न करना दोनों को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात् कुछ ऐसी विधियां निर्मित की गई हैं जो 'क्या नहीं किया जाना चाहिए' से संबंधित हैं, जैसे- हत्या; वहीं कुछ ऐसी विधियां निर्मित की गई हैं जो 'क्या किया जाना चाहिए' से संबंधित हैं, जैसे- मोटर वाहनों का पंजीकरण। यद्यपि विधि मानव बुद्धि द्वारा व्युत्पन्न एक अध्यादेश अथवा नियम है, जो किसी भी विनियम या साधारण नियम के तुल्य नहीं है। विनियम और नियम विभिन्न विधियों के निहितार्थ को विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत समझने में सहायता करते हैं।

विधि का मुख्य उद्देश्य सामान्य शुभ और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना हैं। स्रोत के आधार पर विधि को कार्यान्वित करने का अधिकार, क्षेत्राधिकार से संबद्ध व्यक्तियों अथवा विधिक रूप से समुदाय के प्रभारी व्यक्तियों के पास होता हैं। यदि विधि के क्षेत्रीय विस्तार को देखा जाए तो यह सामान्यतः विधि निर्माता के अधिकार क्षेत्र के बाहर लागू नहीं होती है, जैसे- भारतीय कानून यूरोप में लागू नहीं होते हैं। हालांकि, कुछ विधियों का स्वरुप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार वाला हो सकता है (उदाहरणार्थ- साइबर सुरक्षा कानून, देश छोड़ चुके अपराधियों को दंडित करने हेतु कराधान संबंधी कानून आदि)। यू.एस. प्रेजिडेंशियल प्राइमरी का एक रोचक उदाहरण इस अंतर को अधिक स्पष्ट करने में सहायता करेगा। 1992 के प्रेजिडेंशियल प्राइमरी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन से पूछा गया था कि क्या उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन किया है। तब उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन कर संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। तत्पश्चात उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ड्रग्स का सेवन करके अन्यत्र स्थान की विधि का उल्लंघन किया है, इसके प्रत्युत्तर उन्होंने कहा कि जब वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (इंग्लैंड) में एक छात्र थे तब एक बार मारिजुआना (गांजा) का सेवन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधि इंग्लैंड में किसी भी अमेरिकी नागरिक/व्यक्ति पर लागू नहीं होती है।

इस विभेद के बावजूद, 1992 के वसंत के दौरान आयरलैंड में घटित एक घटना पर विचार कीजिए। एक चौदह वर्षीय आयरिश लड़की उसके साथ हुए कथित दुष्कर्म के परिणामस्वरूप गर्भवती हो जाती है। वह और उसके माता-पिता गर्भपात कराने हेतु इंग्लैंड गए थे, क्योंकि गर्भपात को आयरिश संविधान (आयरलैंड) में प्रतिबंधित किया गया है (इसे मई, 2018 में एक जनमत संग्रह द्वारा निरस्त कर दिया गया)। आयरिश अटॉर्नी जनरल ने इस मामले को डबलिन स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आयरिश संविधान चौदह वर्षीय लड़की को इंग्लैंड में किसी भी स्थान पर गर्भपात कराने से प्रतिबंधित करता है। इस निर्णय के विरुद्ध आयरलैंड के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई और न्यायालय द्वारा इस निर्णय की समीक्षा की गई। हालाँकि, इसने निर्णय दिया था कि युवा लड़की को गर्भपात हेतु इंग्लैंड जाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इसने (आयरलैंड के उच्चतम न्यायालय) यह निर्णय दिया कि वह गर्भपात करवा सकती थी क्योंकि उसके द्वारा आत्महत्या की धमकी दी जा रही थी। अतः उसके जीवन के अधिकार को भ्रूण के जीवन के अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

VISION IAS



विधि के विपरीत व्यक्ति, संगठन अथवा समूह द्वारा नियमों का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पुनः यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन नियमों का निर्माण विधि के अंतर्गत किया जाता है। नियमों की आवश्यकता केवल सामान्य शुभ के लिए ही नहीं होती है बल्कि वे निजी शुभ के लिए भी हो सकते हैं तथा जहां भी वे व्यक्ति जाते हैं उन पर लागू होते हैं। साथ ही इन नियमों को प्राकृतिक विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नियमों या विनियमों में नागरिक (दीवानी) विधि को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिस प्रकार नागरिक विधि में प्राकृतिक विधि को स्पष्ट किया जाता है। नियम एवं विनियम लोक प्रशासकों को उचित और अनुचित का निर्णय करने हेतु अतिरिक्त मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी धारणा है कि नियम निर्माताओं द्वारा प्राकृतिक विधि अथवा नागरिक विधियों का उल्लंघन नहीं किया जाता है, लेकिन वे कभी-कभी नागरिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित निर्देशों के समक्ष अवरोध उत्पन्न करते हैं। जब कोई अधीनस्थ नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसे में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे (अधीनस्थ को) दंडित किया जा सकता है, जबकि हो सकता है कि उक्त नियम नागरिक अथवा प्राकृतिक विधि के विपरीत हों तथा उल्लंघनकर्ता द्वारा नैतिक व्यवहार अपनाया गया हो। विधि के सार्वभौम नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अनैतिक नियमों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं होता है।

हालांकि, समाज में विभिन्न विधियां, नियम और विनियम विद्यमान हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इन सभी को समझना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। संभवतः इसी संदर्भ में प्रयोजनवाद (Teleology) सही है, जिसके अनुसार मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु मानदंडों की आवश्यकता नहीं होती है; मानव बुद्धि स्वयं में ही सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम है, (प्रयोजनवाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार इस संसार में प्रत्येक वस्तु की उपस्थिति का एक प्रयोजन है अर्थात् कुछ परिघटनाओं को उनकी उपस्थिति के कारण की अपेक्षा प्रयोजन के संदर्भ में बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है)। सूचना, चिंतन, मूल्यांकन, निर्णय और कार्यवाही नैतिकता के निर्धारण के मानदंड हैं। यह दृष्टिकोण औचित्यपूर्ण है और साथ ही इस तथ्य के लिए एक वैध प्रतिक्रिया भी है कि सभी विधियों एवं नियमों का ज्ञान होना लगभग असंभव है।

जहां कर्तव्य-परकतावादी (Deontologist) यह मानते हैं कि विधि एवं विनियम अपर्याप्त हैं, वहीं वे नैतिकता पर आधारित लोक प्रशासकों के लिए प्रमुख मार्गदर्शन के रूप से विधियों एवं नियमों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतःकरण के अभाव में किसी भी विशिष्ट कार्य हेतु इन विधियों एवं नियमों को लागू करना, लोक प्रशासकों में एक महत्वपूर्ण तत्व की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अतः अब उचित और अनुचित का निर्णय करने के संदर्भ में हम अंतःकरण का एक तंत्र के रूप में परीक्षण करेंगे।

8.2. नैतिक निर्देशन के एक स्रोत के रूप में अंतःकरण

(Conscience as a Source of Ethical Guidance)

(यह विशेष खंड पैट्रिक जे.शीरन द्वारा रचित पुस्तक 'एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' से लिया गया है। अंत:करण के विषय का विवरण अधिक साधारण शब्दों में अन्य नोट्स यथा नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध और साथ ही साथ शासन व्यवस्था में ईमानदारी में भी दिया गया है। निम्नलिखित खंड अंतःकरण का सविस्तार और शैक्षिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।)

यद्यपि विधि मानव जाति से परे नैतिकता के सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित करती है, तथापि अंतःकरण मानव मस्तिष्क के भीतर विराजमान होता है जो मनुष्यों के कार्यों की नैतिकता को निर्धारित करता है। अंतःकरण मस्तिष्क का एक विशेष कार्य है जो तब संपादित होता है जब बुद्धि एक विशेष कार्य की

VISION IAS

अच्छाई या बुराई पर निर्णय करती है। यह विशिष्ट एवं यथार्थपूर्ण मानवीय कृत्यों के संदर्भ में एक व्यावहारिक निर्णय है।



कर्तव्य-परकतावादी परिप्रेक्ष्य से अंत:करण का संबंध निर्णय से है जो कि बुद्धि का एक कार्य है। यह अनुभूति या संवेग नहीं है बल्कि एक बौद्धिक निर्णय से संबद्ध है। यह एक विशेष कार्य के दृष्टिकोण से एक निर्णय भी है। अंत:करण के आधार पर अतीत के कार्यों या भावी कार्यों की नैतिकता को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक निर्णय लिया जा सकता है।

अंत:करण विधि से भिन्न है। विधि कार्यवाहियों के संदर्भ में एक सामान्य नियम निर्दिष्ट करती है, जबकि अंत:करण विशिष्ट कार्यों हेतु विशिष्ट नियम निर्धारित करता है। अंत:करण विशिष्ट कार्यवाही हेतु विशिष्ट विधि या नियम को आरोपित करता है, इसीलिए यह विधि से अधिक व्यापक है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पेंटिंग के लिए ब्रश आवश्यक होती है उसी प्रकार विधि के लिए अंत:करण आवश्यक होता है।

प्रयोजनवादी (teleology) दृष्टिकोण से अंत:करण काफी हद तक अहंवादी पहचान को मूर्त रूप देने के समान होता है, जहां 'कुछ अर्थों में प्रत्येक अहंवाद एक नीतिपरक आचार संहिता होती है।' यदि अहंवाद और अंत:करण समान या समरूप हैं तो लोगों के पास एक विशिष्ट कृत्य (अतीत या वर्तमान) का प्रयोजन निर्धारित करने तथा उसी क्षण उस कृत्य की नैतिकता का आकलन करने की क्षमता होती है। प्रयोजन और नैतिकता दोनों का आकलन करते हुए दोनों दृष्टिकोणों में चिंतन शामिल होता हैं। जहाँ एक एक विशिष्ट कृत्य के लिए विधि के आरोपण में कर्तव्य-परकतावादी अंत:करण का उपयोग करते हैं, वहीं प्रयोजनवादी किसी कार्यवाही के प्रयोजन या नैतिकता सिद्धि हेतु किसी विशिष्ट विधि के अनुप्रयोग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सभी मनुष्यों द्वारा बाल्यावस्था से ही विकसित "मूल्य प्रतिबद्धताओं के एक समुच्च" के अनुप्रयोग को समाहित करती है। व्यवहार में, दोनों विचारधाराएँ विभिन्न साधनों के साथ समान प्रक्रियाओं का प्रयोग करती हैं। नैतिक निर्णय भिन्न हो सकते हैं, परन्तु चूँकि दोनों उपागमों में समान मानवीय बुद्धि शामिल होती है अत: नैतिक निर्णय प्राय: समान ही बने रहते हैं।

8.2.1. अंत:करण के प्रकार (Types of Conscience)

मानव जाति में विभिन्न प्रकार के अंत:करण विद्यमान हो सकते हैं। प्रथम, एक शुद्ध अंत:करण है, जिसका तात्पर्य तथ्य के अनुरूप निर्णय के होने से है। निर्णय, कार्यवाही के प्रति विधि का एक उचित या सटीक अनुप्रयोग है। एक अंत:करण तब दोषपूर्ण होता है जब निर्णय दोषपूर्ण होता है क्योंकि व्यावहारिक निर्णय कार्यवाही पर अनुचित रूप से विधि को लागू करता है। दोषपूर्ण निर्णय परजेय/अपराजेय रूप में गलत हो सकता है (परजेय दोषपूर्ण का अर्थ है कि जिसे सही किया जा सकता अर्थात् जो अपराजेय नहीं है)।

अंत:करण असंदिग्ध (निर्विवाद), संशयात्मक अथवा संभावित (certain, doubtful or probable) तीनों हो सकता है। अंत:करण को तब असंदिग्ध माना जाता है जब किसी कार्यवाही की नैतिकता के संबंध में लिया गए निर्णय में त्रुटि की कोई संभावना विद्यमान नहीं रहती है। त्रुटि की कोई संभावना विद्यमान न होने में तात्त्विक असंदिग्धता सम्मिलित नहीं होती है, लेकिन यहाँ सामान्यत: किसी भी साधारण व्यक्ति को निर्णय (असंदिग्ध अंत:करण पर आधारित) के संबंध में कोई संदेह नहीं होता है। यह असंदिग्धता (निश्चितता) उचित और दोषपूर्ण दोनों प्रकार के अंत:करण पर लागू हो सकती है। एक

VISION IAS

अंत:करण तब संशयात्मक होता है जब निर्णय में त्रुटि की कोई न कोई संभावना विद्यमान होती है। ऐसे में व्यक्ति अपने व्यावहारिक निर्णय के संबंध में कुछ संदेहों से अवगत होता है। अंत:करण एक ही समय में संशयात्मक और दोषपूर्ण दोनों प्रकार का हो सकता है। एक अंत:करण तब संभावित होता है जब निर्णय में त्रुटी की "लगभग" सभी संभावनाओं को दूर कर दिया जाता है। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति लगभग निश्चित होता है कि निर्णय सही है, हालांकि यह (निर्णय) दोषपूर्ण हो सकता है।



8.2.2. अंत:करण को संचालित करने वाले नैतिक सिद्धांत

(Ethical Principles Governing Conscience)

अंत:करण पर चर्चा इसे संचालित करने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों की ओर ले जाती है:

i. दोषरहित अंत:करण की सुनिश्चितता हेतु व्यक्ति को यथोचित सावधानी बरतनी चाहिए।

ii. असंदिग्ध (निर्विवाद) अंत:करण का अनुसरण करने के लिए व्यक्ति बाध्य है भले ही वह अंत:करण दोषपूर्ण हो। उदाहरणार्थ- यदि मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा हेतु झूठ बोलना नैतिक रूप से उचित है तो मैं झूठ बोलने के लिए बाध्य हूँ।

iii. एक संशयात्मक अंत:करण के अनुसार कार्य करना नैतिक रूप से कभी भी उचित नहीं होता है। जानबूझकर कर अनभिज्ञ बने रहना क्षमा योग्य नहीं होता क्योंकि व्यक्ति को संशय के समाधान हेतु कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि समाधान के लिए किया गया प्रयास असफल हो जाता है तो "लेक्स डुबिया नॉन ओब्लिगेट" (lex dubia non obligat अर्थात् एक संशयात्मक विधि बाध्यकारी नहीं होती) क्रियाशील हो जाता है।

एक विधि संशयात्मक कब होती है? इसके संबंध में निम्नलिखित चार सिद्धांत लागू होते हैं तथा कर्ता सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत का अनुसरण करने हेतु स्वतंत्र है:

i. एक विधि संशयात्मक होती है तथा यह बाध्यकारी नहीं होती है, जब स्वतंत्रता के विपक्ष के बजाय स्वतंत्रता के पक्ष में अधिक संभावित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। यह **'प्रसंभाव्यवाद** (probabilism)' कहलाता है। उदाहरणार्थ- एक व्यक्ति एक तिथि के संबंध में संशय की स्थिति में चार कैलेंडरों को देखता है। तीन कैलेंडर एक समान दिवस की ओर संकेत करते हैं तथा चतुर्थ एक भिन्न दिवस की ओर संकेत करता है। वह व्यक्ति तीन कैलेंडरों द्वारा निर्दिष्ट अथवा इससे निगमित तिथि का अनुसरण कर सकता है यदि यह अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।

ii. प्रसंभाव्यवाद का दूसरा संस्करण स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में एक विकल्प का अनुसरण कर सकता है, बशर्ते कि स्वतंत्रता के पक्ष में उपलब्ध करवाए गए साक्ष्य ठोस रूप से संभावित होने चाहिए, भले ही स्वतंत्रता के विरुद्ध साक्ष्य अधिक सम्भाव्य हो। इसी उदाहरण में, व्यक्ति चतुर्थ कैलेंडर द्वारा निर्दिष्ट समय का अनुसरण कर सकता है, भले ही अन्य तीन संख्यानुसार अधिक सम्भाव्य साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हो।

iii. प्रसंभाव्यवाद का एक अन्य संस्करण **सम-प्रसंभाव्यवाद** (equiprobabilism) है जो यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में दिए गए मत का अनुसरण कर सकता है यदि दोनों पक्षों के साक्ष्य समान रूप से संतुलित है। उपर्युक्त उदाहरण में यदि दो कैलेंडर एक समान दिवस को प्रदर्शित करते हैं तथा अन्य दो भिन्न दिवस को इंगित करते हैं तो व्यक्ति किसी भी विकल्प का चयन कर सकता है।

VISION IAS

iv. **क्षतिपूर्तिवाद** (Compensationalism) स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को न केवल स्वतंत्रता का पक्ष लेने और विरोध करने वाले साक्ष्यों पर बल्कि विधि की गंभीरता, विधि के विरुद्ध कार्य करने का कारण, विधि की कठोर व्याख्या का अनुसरण करने से उत्पन्न असुविधा तथा अधिक स्वतंत्रता को प्रस्तुत करने वाले विकल्पों के चयन हेतु कारकों के औचित्य पर भी विचार करना चाहिए।



कुछ विधियाँ संशयात्मक हो सकती हैं। संशयात्मक विधि का तात्पर्य अस्पष्ट रूप से निर्मित विधि से है जिसकी गलत व्याख्या की संभावना विद्यमान रहती है तथा वह लोगों के समक्ष एक से अधिक विकल्प प्रस्तुत करती है। ये अंत:करण के सिद्धांतों हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करती हैं। परन्तु अंत:करण के संबंध में यहाँ एक अंतिम प्रश्न यह शेष रह जाता है: कि क्या लोगों के पास उनकी जीवन की अवस्था या शैक्षिक स्थिति के अनुसार उचित अंत:करण रखने हेतु अतिरिक्त दायित्व हैं? लोक प्रशासन की शब्दावली के अनुसार एक मुख्य प्रश्न यह है कि: क्या लोक प्रशासक अपने उत्तरदायित्वों के अनुसार अपने अंत:करण को विकसित करने हेतु बाध्य हैं? अन्य संदर्भों में, प्रबंधन के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों की सहायता से कार्यों को संपन्न कराना शामिल होता है। इसके अनुसार प्रबंधन का अर्थ है कि 'कार्य का उचित प्रकार से निष्पादन हो रहा है'। यहां तर्क दिया जाता है कि 'कार्य का उचित रीति से निष्पादन हो रहा है, सिक्के का केवल एक पहलू है'। प्रबंधन के अंतर्गत यह भी शामिल होना चाहिए कि उचित कार्य का निष्पादन हो। उचित कार्य क्या है?, वे नैतिक कार्य कौन-से हैं, जिन्हें करना चाहिए?

यदि लोक प्रबंधक न केवल कार्य को उचित रीति से निष्पादित करते हैं, अपितु उचित कार्य का भी निष्पादन करते हैं तो उनके पास अपनी जीवन की अवस्था के अनुसार स्वयं के अंत:करण को विकसित करने का एक दायित्व भी होगा। यह न केवल प्रबंधन सिद्धांत एवं व्यवहार बल्कि नैतिक सिद्धांत एवं व्यवहार को भी शामिल करता है। यदि प्रबंधक दोनों ही प्रकार की अवधारणाओं के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो वे न केवल अप्रचलित होने का बल्कि वास्तविक प्रबंधकीय उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करने का भी जोखिम उठाते हैं। यदि प्रबंधक शिक्षक और अध्यापक हैं तथा यदि वे अन्यों को शिक्षित करने की अपनी भूमिकाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उन्हें नौकरी के दोनों पहलुओं को अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए।

अंत:करण को विकसित और अद्यतन करने हेतु दो चरम परिस्थितियों से बचना आवश्यक है। प्रथम, अंत:करण पर किसी भी प्रकार से ध्यान न देना अर्थात् क्या उचित है और क्या अनुचित इसे समझने का प्रयास न करना अथवा सम्भवतः उचित और अनुचित में कोई रूचि प्रदर्शित न करना। कुछ लोक प्रबंधक इस विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय, वह व्यक्ति जो गंभीर कार्य या वैसे कार्य जो गंभीर नहीं है, का उचित रीति से निष्पादन या उचित कार्य निष्पादन में विभेद करने में असमर्थ है। कुछ लोक प्रबंधक हैं जिन्हें इस व्याख्या में शामिल किया जा सकता हैं। अंत:करण की अवधारणा के अनुसार ऐसी कोई भी चरम स्थिति नहीं है, जिसके अंतर्गत मानवीय कार्यवाही की नैतिकता पर व्यावहारिक निर्णय शामिल हैं।

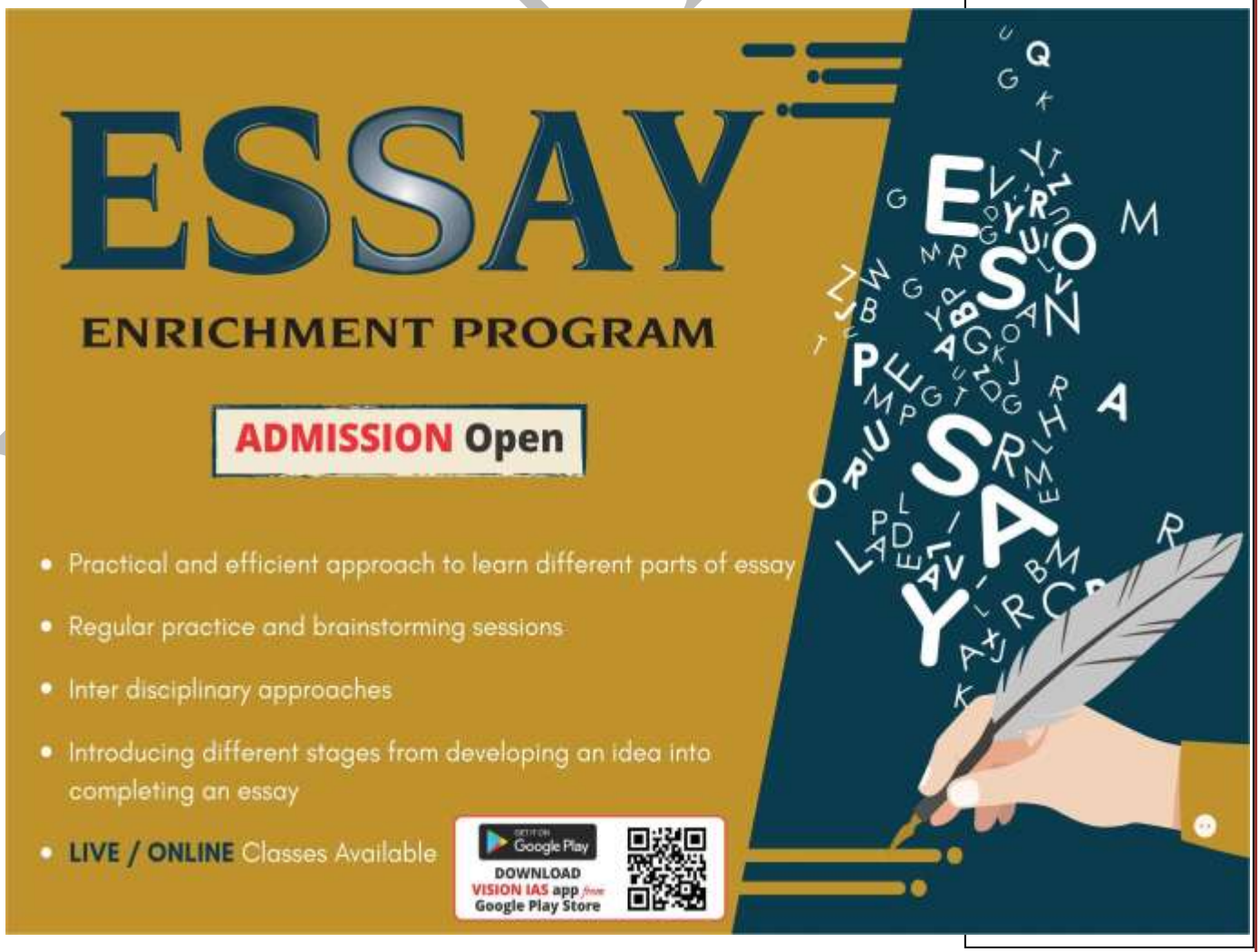
8.3. निष्कर्ष (Conclusion)

किसी कार्यवाही की प्रकृति पर निर्भर होने के अतिरिक्त, इसके परिणाम एवं उद्देश्य, विधि, नियम और अंत:करण वस्तुतः उक्त कार्यवाही के उचित/सही एवं अनुचित/गलत होने का निर्धारण करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि, एक लोक प्रशासक को विधि, नियम और अंत:करण से मार्गदर्शन

VISION IAS

प्राप्त होने के बावजूद ये पुर्णतः उचित निर्णय की गारंटी प्रदान नहीं करते हैं। नैतिक निर्णयन में विधि और नियम कर्तव्य-परकतावादी दृष्टिकोण से उचित आदर्श सिद्धांत प्रतीत होने पर भी इसमें अनेक दोष हो सकते हैं। प्रयोजनवादी दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि नैतिक निर्णयों सहित अन्य लगभग सभी को संचालित करने हेतु अनेक नागरिक विधियां, नियम, विनियम, न्यायिक निर्णय तथा अभिमत विद्यमान हैं। एक लोक प्रशासक के लिए सभी कानूनों और नियमों की जानकारी रखना वास्तव में असंभव है।

उचित और अनुचित पर विचार करते हुए लोक प्रशासकों को निष्पादित कार्यवाही अथवा निष्पादित होने वाले कार्यवाही की प्रकृति, कार्यवाही के लिए विद्यमान परिस्थितियां तथा कार्यवाही के उद्देश्य के संबंध में उनके व्यवस्थापन की जानकारी होती है। साथ ही कानून, नियम और विनियम अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किसी विशिष्ट कार्यवाही की नैतिकता के निर्धारण हेतु विधियों, नियमों और अन्य मानदंडों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास अंत:करण विद्यमान होता है। धर्म एवं धर्मशास्त्र द्वारा प्रदत्त विचारों को महत्व दिए बिना सभी लोक प्रशासकों को विवेक आधारित प्रशासनिक निर्णय लेने चाहिए। निस्संदेह इनमें नीतिशास्त्र के आधार पर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। परन्तु यदि ऐसा होता है तो यह लोगों को जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करेगा। इस प्रकार विधि, नियम और अन्य मानदंड इस संबंध में बेहतर होते हैं और मानवीय बुद्धि नैतिकता के आकलन हेतु एक सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत कर सकती है।



9. जवाबदेहिता/उत्तरदायित्व और नैतिक शासन व्यवस्था



(Accountability and Ethical Governance)

9.1 जवाबदेहिता/उत्तरदायित्व: अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व

(Accountability: Meaning, Nature, Scope and Significance)

जवाबदेहिता, सुशासन के प्रमुख आधारों में से एक है। यह सुनिश्चित करती है कि लोक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय पर्यवेक्षण के अधीन है ताकि सरकारी पहलें अपने निर्धारित उद्देश्यों और समुदाय (जिनके लाभ हेतु पहलें आरंभ की गई) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह बेहतर शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने और निर्धनता को कम करने में सहायता प्रदान करती है।

जवाबदेहिता की अवधारणा में दो विशिष्ट चरण शामिल हैं: उत्तरदेयता और प्रवर्तन।

उत्तरदेयता वस्तुतः सरकार, इसकी एजेंसियों और लोक अधिकारियों के निर्णयों और कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने तथा जन सामान्य एवं पर्यवेक्षण संस्थानों के समक्ष उनका औचित्य सिद्ध करने के दायित्वों को संदर्भित करती है।

प्रवर्तन से आशय है कि जन सामान्य अथवा पर्यवेक्षण संस्थाएं, उल्लंघनकर्ता पक्ष पर प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं अथवा उल्लंघनकारी व्यवहार का समाधान कर सकते हैं।

9.2. जवाबदेहिता के प्रकार (Types of Accountability)

जवाबदेहिता की अवधारणा को जवाबदेहिता के अनुपालन के प्रकार और/या व्यक्ति, समूह अथवा संस्थाओं के प्रति लोक अधिकारियों की जवाबदेही के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये निम्नलिखित हैं:

9.2.1. क्षैतिज बनाम ऊर्ध्वाधर जवाबदेहिता

(Horizontal vs. Vertical Accountability)

क्षैतिज जवाबदेहिता वस्तुतः अन्य सरकारी एजेंसियों और सरकार के अंगों द्वारा किए गए पद के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, अथवा किसी प्रकार के छल की रिपोर्ट करने के लिए एजेंसियों की आवश्यकता के संदर्भ में सरकारी संस्थानों की क्षमता को इंगित करती है। वैकल्पिक रूप से, ऊर्ध्वाधर जवाबदेहिता वह माध्यम है जहाँ नागरिक, मास मीडिया और नागरिक समाज द्वारा अधिकारियों पर बेहतर प्रदर्शन संबंधी मानकों को लागू करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि संसद को क्षैतिज जवाबदेहिता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है, तथापि यह ऊर्ध्वाधर जवाबदेहिता के निर्धारण हेतु भी महत्वपूर्ण है।

9.2.2. राजनीतिक बनाम विधिक जवाबदेहिता

(Political versus Legal Accountability)

संसद और न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्ति पर क्षैतिज संवैधानिक नियंत्रक के रूप में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, इन दोनों संस्थाओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि संसद कार्यपालिका पर राजनीतिक रूप से और न्यायपालिका (कार्यपालिका पर) विधिक रूप से नियंत्रण बनाये रखती है। ये वर्गीकरण इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि संसद एक राजनीतिक संस्था है, जबकि न्यायपालिका केवल कानूनी मुद्दों पर ही निर्णय ले सकती है अर्थात् एक कानूनी संस्था है। हालांकि, 'विधि का शासन'

VISION IAS

न्यायपालिका को नीतिगत मुद्दों की वैधता और इनके कार्यान्वयन के मामलों के साथ-साथ संघीय व्यवस्था में नागरिकों एवं राज्यों के अधिकारों के संदर्भ में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

दूसरे शब्दों में, ये दोनों एक साथ, सरकार को इसके कार्यकाल के दौरान जवाबदेह बनाए रखने के लिए निरंतर पर्यवेक्षण करते रहते हैं।



9.2.3. सामाजिक जवाबदेहिता (Social Accountability)

सामाजिक जवाबदेहिता के संबंध एक सामान्य धारणा यह है कि यह जवाबदेहिता के सृजन हेतु एक ऐसा दृष्टिकोण है जो नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है, अर्थात् ऐसी स्थिति जहां सामान्य नागरिक और/या नागरिक समाज संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जवाबदेहिता की मांग में शामिल होते हैं। इस प्रकार की जवाबदेहिता को समाज संचालित क्षैतिज जवाबदेहिता के रूप में भी जाना जाता है।

9.2.4. जवाबदेहिता निर्धारण की विधियां

(Methods of ensuring accountability)

जवाबदेहिता निर्धारित करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं:

- विधायी नियंत्रण;
- मंत्री स्तरीय/सरकारी नियंत्रण; एवं
- लेखापरीक्षा नियंत्रण।

ये विधियां देश के शासन व्यवस्था में नम्यता, नेतृत्व, दक्षता, प्रदर्शन और पर्याप्त नियंत्रण तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करती हैं।

नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

- प्राधिकारियों के जिम्मेदारी एवं जवाबदेहिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली विधियों को अधिनियमित किया जाना चाहिए। कर्नाटक पारदर्शिता अधिनियम, 1999 इस दिशा में अधिनियमित आरंभिक कानूनों में से एक है।
- नियामक निकाय एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए और इससे संबंधित नियुक्तियां विधायिका के पीठासीन अधिकारियों और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श के पश्चात् की जानी चाहिए। इस नियामक निकाय के लिए, अपीलीय एवं पर्यवेक्षी निकाय के रूप में एक निर्णायक निकाय भी स्थापित किया जाना चाहिए। अपीलीय निकाय के निर्णयों के विरुद्ध केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- वैधानिक पेशेवर निकायों के सभी सदस्यों को PCA, IPC और लोकायुक्त अधिनियम के प्रयोजन से लोक सेवक की परिभाषा के तहत शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सभी सहकारी समितियों और संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

10. एक प्रभावी नीतिपरक संरचना की आवश्यकता

(Need for an Effective Ethics Structure)

लोक सेवाएं वस्तुतः सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन हेतु लोकतांत्रिक ढांचे का एक अनिवार्य अंग होती हैं। यह आवश्यक है कि लोक सेवक ईमानदार, सक्षम और नागरिकों के प्रति संवेदनशील हों। गैर-निर्वाचित लोक सेवक अपने दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हैं,

VISION IAS



उदाहरणार्थ- सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में, नागरिकों के साथ इंटरफ़ेस में तथा नीति-निर्माण के संदर्भ में। इस प्रकार नैतिक मानक लोक सेवकों के लिए सार्वजनिक प्राधिकार के स्वेच्छाचारी प्रयोग के विरुद्ध मुख्यत: नियंत्रण एवं संतुलन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ये मानक शासन व्यवस्था की गुणवत्ता के मूल कारक भी होते हैं। कुछ "नीतिपरक मापदंडों" के बिना लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार अथवा कदाचार के स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को मापना यद्यपि असंभव नहीं है परन्तु अत्यंत कठिन है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

i. लोक सेवाओं हेतु एक सांविधिक नैतिक संहिता निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसे सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए, यह सरलता से समझने योग्य तथा इसके द्वारा लोक सेवकों के आचरण को शासित करने वाले आधारभूत मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सिविल सर्विसेज कोड एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।
ii. नैतिक संहिता के उल्लंघन तथा अतिक्रमण किए जाने पर अनुशासनात्मक नियमों के तहत प्रतिबंध और दंड का प्रावधान होना चाहिए।
iii. निवारण एवं निर्देशन, अन्वेषण, अनुशासनात्मक कार्यों तथा अभियोजन हेतु नैतिक ढांचा उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
iv. नैतिक निर्देशन में नैतिक विश्लेषण और निर्णय हेतु नैतिक जागरूकता तथा आवश्यक कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए।
v. संयुक्त राज्य अमेरिका के समान नैतिकता आयुक्त जैसे एक स्वतंत्र पद का सृजन किए जाने की आवश्यकता है, जो नीतिशास्त्र और मूल्यों से संबंधित क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करेगा। नैतिकता आयुक्त आचरण के मानकों और हितों के संघर्ष को शासित करने वाले नियमों को प्रकाशित करेगा तथा उनकी व्याख्या करेगा।

नीतिपरक आचार संहिता एक लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयासों में एक दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा एक आदर्श प्रदान करने हुए सहायता करेगी। यह उसकी पूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने तथा एक संपूर्ण, संतोषजनक एवं सुखद जीवन व्यतीत करने में सहायता करती है जो प्रत्येक मानवीय प्रयास का लक्ष्य होता है।

10.1. लोक प्रशासन में नैतिक मानकों में वृद्धि

(Enhancing the Moral Standard in Public Administration)

लोक अधिकारियों द्वारा अपने विवेक के उपयोग के दौरान सामना की जाने वाली कुछ सामान्य नैतिक दुविधाओं की पहचान करने के उपरान्त लोक प्रशासन में नैतिक मानकों में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है:

i. विवेक का उपयोग सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु करना चाहिए;
ii. लोक अधिकारियों हेतु तर्कसंगतता को आवश्यक बना दिया जाना चाहिए ताकि विचार-विमर्श में वृद्धि हो सके;
iii. लोक अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक उत्तरदायित्वों के निष्पादन में सत्यवादिता अपनाई जानी चाहिए;
iv. लोक अधिकारियों को प्रक्रियात्मक सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए; तथा
v. लोक अधिकारियों को संगठनात्मक उद्देश्यों को निष्पादित करने हेतु चयनित साधनों के प्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए।

VISION IAS



- सभी संहिताओं में नीतिशास्त्र के मौलिक तत्व समाहित किए जाने चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- नोलन समिति के सिद्धांत: निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व।
- मंत्रियों, विधायिका के सदस्यों तथा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु पृथक आचार संहिता होनी चाहिए।
- लोक सेवकों के लिए आचार संहिता विस्तृत रूप से व्याख्यायित होनी चाहिए। इसके द्वारा उन्हें गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से संबंधित होने तथा किसी सभा अथवा सामाजिक संगठन में निर्वाचित पद को धारण करने से भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- मंत्रियों, सांसदों तथा विधायकों के विरुद्ध शिकायतों को स्वीकार करने और उनकी जाँच करने तथा उनके खिलाफ अभियोग को अनुमोदन प्रदान करने हेतु भी लोकपाल/लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का सृजन किया जाना तथा उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।
- संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च पद पर लोक सेवकों से संबंधित नियुक्तियों, मनोनयन, पदोन्नतियों, स्थानान्तरण और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संबंध में एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग का सृजन किया जाना चाहिए। इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हों तथा इसकी अध्यक्षता उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए।
- पेशेवर निकायों के संबंध में यद्यपि आचार संहिता उपलब्ध है, परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। इन्हे प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

10.2. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट - शासन में नैतिकता

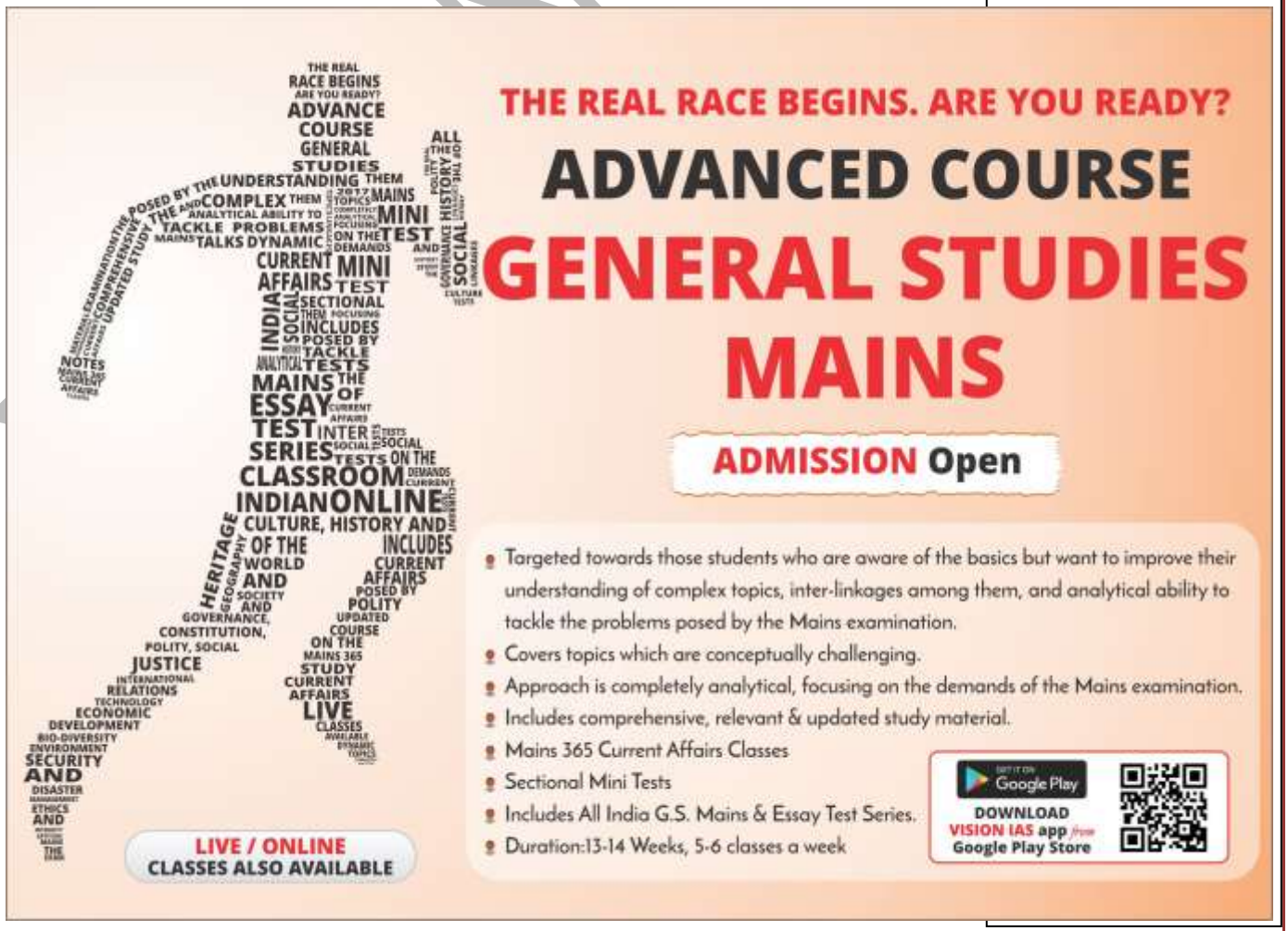
{Second ARC (Report-4) on Ethics in Governance}

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने अपनी चौथी रिपोर्ट में नैतिकता के मुद्दे को शामिल किया तथा यह स्वीकार किया कि, "मानक नियमों के रूप में नैतिक व्यवहार का मर्म सुस्पष्ट शब्दों और अभिव्यक्तियों में नहीं होता बल्कि उस पर कार्रवाई किए जाने में, उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने में, उल्लंघन के आरोपों की जांच करने के लिए सक्षम अनुशासनिक निकायों की स्थापना करने, शास्तियों को तत्काल लागू करने तथा एक ईमानदार संस्कृति विकसित करने में होता है।"
- अपनी विस्तृत अनुशंसाओं में इसने राज्य द्वारा चुनावों का आंशिक वित्त पोषण; दल-बदल विरोधी कानून को सुदृढ़ करने तथा मंत्रियों, विधानमंडलों, न्यायपालिका और लोक सेवकों के लिए नैतिक संहिता का सुझाव दिया है।
- भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु इसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को कठोर बनाए जाने का प्रस्ताव किया है। यह भ्रष्ट लोक सेवकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाने, अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति के जब्ती और त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक है। (वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधनों को जानने के लिए 'शासन व्यवस्था में ईमानदारी' वाले नोट्स को देखें।)
- इसकी अनुशंसाओं में शामिल है- मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों सहित उच्च लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के पर्यवेक्षण संबंधी शक्ति सहित राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय

VISION IAS

स्तर पर लोकपाल/ओम्बड्समैन की स्थापना, जिन्हें अधिकांशतः कानून में अधिनियमित किया गया है।

- यद्यपि लोक सेवकों हेतु नैतिक संहिता की अनुशंसा करते हुए द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने माना है कि, 'लोक सेवा मूल्य' जिन्हें सभी लोक सेवकों को ऊंचा उठाना चाहिए, को परिभाषित किया जाना चाहिए तथा सरकार और अर्ध-सरकारी संगठनों की सभी श्रेणियों पर लागू भी किया जाना चाहिए।
    - इन मूल्यों का उल्लंघन किए जाने को कदाचार के रूप में माना जाना चाहिए तथा इस हेतु दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
    - दोषी लोक सेवक के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने हेतु एक व्यवस्था के सृजन के उद्देश्य से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुच्छेद 311 को समाप्त करने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही अनुच्छेद 309 के अंतर्गत स्वेच्छाचारी कार्यवाही के विरुद्ध लोक सेवकों की सुरक्षा हेतु एक विधान बनाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
    - आयोग द्वारा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से ईमानदार लोक सेवकों की सुरक्षा हेतु कुछ उपायों का भी सुझाव दिया गया है।
    - इसआयोग ने कार्मिक प्रशासन पर अपनी 10वीं रिपोर्ट में लोक सेवा मूल्यों की व्यवस्था करने तथा एक नीतिपरक आचार संहिता निर्धारित करने पर पुन: बल दिया है।
    - इस नीतिपरक आचार संहिता में शामिल होंगे: सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, खुली जवाबदेहिता, कर्तव्य के प्रति समर्पण तथा अनुकरणीय व्यवहार।



11. सफल प्रशासकों के बारे में केस स्टडीज



(Case Studies of Successful Administrators)

केस स्टडी-1

ई. श्रीधरन, जो 'मेट्रो मैन' के नाम से प्रसिद्ध हैं, अनेक कारणों से सफल प्रशासक रहे हैं।

- **दूरदर्शिता:** उनके लक्ष्य केवल समय सीमा में कार्य को पूर्ण करने तक ही सीमित नहीं थे बल्कि इष्टतम समाधानों तक पहुंचने पर भी केन्द्रित थे। परियोजना की अत्यावश्यकता को समझते हुए उन्होंने मेट्रो परियोजना की समय सीमा को तीन वर्ष कम कर दिया था।
- **निर्णय निर्माता:** 1990 के दशक में जब वे कोंकण रेलवे परियोजना के प्रमुख थे, उस दौरान 1993 से 1994 के मध्य गोवा के चार बार मुख्यमंत्री बदले। परन्तु वे राजनीतिक दबाव में नहीं आए तथा परियोजना को समय पर पूर्ण किया।
- **समयनिष्ठा:** समय की पाबंदी DMRC की विशिष्टता है। इसलिए यदि एक कर्मचारी पांच मिनट भी देरी से आता है तो इसे आधे दिन के समय के रूप में नोट किया जाता है। DMRC में निर्णय भी शीघ्र लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ- 2,000 करोड़ रूपए जितने बड़े टेंडर्स को भी किसी भी सरकारी प्रक्रिया या लेखा परीक्षण से वंचित किए बिना 15-20 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।
- **ईमानदारी:** DMRC देश की उन कुछ विशाल अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है जिसे भ्रष्टाचार के कलंक से मुक्त माना जाता है। सभी नए DMRC कर्मचारी भी पदभार सम्भालते समय ईमानदारी की शपथ लेते हैं।

केस स्टडी-2

वर्गिज कुरियन ने भारत (जहाँ बच्चे दूध के अभाव के कारण अल्प-पोषित थे) को सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनने में सहायता की थी। वे भारत में दुग्ध सहकारी आन्दोलन के प्रवर्तक थे। इस आन्दोलन ने किसानों को सशक्त किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन आरम्भ किया था।

- उन्होंने एक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु श्री त्रिभुवनदास पटेल की स्वेच्छा से सहायता की थी। उनके इस कदम ने **अमूल (AMUL)** की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। कुरियन के नेतृत्व के तहत अमूल ने अन्य दुग्ध सहकारी संस्थाओं के साथ सहयोग किया और तीव्र गति से विस्तार किया।
- अमूल लाभदायक स्थिति में आगे बढ़ रहा था, जब वर्ष 1964 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री **श्री लाल बहादुर शास्त्री** एक नए पशु-चारे संयंत्र के उद्घाटन हेतु आणंद की यात्रा पर आए थे। उन्होंने कुरियन से उनकी सफलता के रहस्य के संबंध में पूछा था। कुरियन ने वर्णित किया की इस सफलता का कारण अमूल का स्वामित्व किसानों के पास होना है तथा इसका निर्वाचित किसान प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होना है।
- शास्त्री दिल्ली वापस आए तथा सम्पूर्ण देश में गुजरात की सफलता को दोहराने हेतु आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना की। कुरियन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा उन्होंने **"आणंद पैटर्न"** के दोहराव को प्रसारित किया।
- इसके अतिरिक्त, पेशेवर प्रबंधकों हेतु ग्रामीण उत्पादकों के संगठनों की आवश्यकता की प्रतिक्रिया में कुरियन ने किसानों को पेशेवर समर्थन प्रदान करने तथा उन्हें उनकी पूर्ण विकास क्षमता प्राप्त

VISION IAS

करने में सहायता हेतु आणंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना को प्रारम्भ किया।



12. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न

(Previous Years Vision IAS GS Mains Questions)

1. **व्यक्तिगत मान्यताएं और मूल्य किसी व्यक्ति के आत्मनिष्ठ उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हैं, जबकि कार्यात्मक पर्यावरण वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व को निर्देशित/स्वरूप प्रदान करता है। दोनों के मध्य अनुरूपता प्रशासनिक निर्णयों में वस्तुनिष्ठता के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपरिहार्य है। विश्लेषण कीजिए।**

दृष्टिकोण:

- चूँकि प्रश्न का सम्पूर्ण विषय निर्णय निर्माण में वस्तुनिष्ठता से संबंधित है, अतः सर्वप्रथम वर्णित कीजिए कि प्रशासनिक निर्णयों में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों है।
- तत्पश्चात इसके घटकों की व्याख्या करते हुए तर्क दीजिए कि कैसे सम्पूरकता निष्पक्ष निर्णय निर्माण में सहायक है।
- अंत में निर्णय निर्माण में वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करने हेतु कुछ उपाय सुझाइए।

उत्तर:

निर्णय निर्माण में वस्तुनिष्ठता का सम्बन्ध, ज्ञात वैध साक्ष्यों (प्रासंगिक तथ्य, सटीक आंकलन, तार्किक अनुमान और दृष्टिकोण) के आधार पर किए गए कार्यों से है। निर्णय कर्ताओं को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ होने का विशेष दायित्व सौंपा गया है, क्योंकि :

- प्रथम, वे समुदाय द्वारा उन्हें प्रदत्त संसाधनों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं;
- द्वितीय, वे समुदाय को सेवाएं प्रदत्त एवं वितरित करते हैं और समुदाय, इन सेवाओं के लिए भुगतान करता है जिसका उपयोग लोक सेवकों द्वारा किया जाता है; तथा
- तृतीय, वे सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।

वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व का सम्बन्ध स्वयं पर बाहर से आरोपित अपेक्षाओं से होता है, जबकि आत्मनिष्ठ उत्तरदायित्व का सम्बन्ध उन दायित्वों से है जिनके लिए व्यक्ति स्वयं एक ज़िम्मेदारी का अनुभव करता है।

वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व के तहत दो पहलू शामिल हैं: आरोपित दायित्व और जवाबदेहिता। लोक सेवकों को उनके पद के आधार पर संविधान, विधायिका, वरिष्ठों, अधीनस्थों और नागरिकों द्वारा बाहर से आरोपित दायित्वों को स्वीकार करना पड़ता है। दायित्व, जवाबदेहिता से अधिक मौलिक है क्योंकि सौपानिक संरचना के तहत जवाबदेहिता दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने का एक माध्यम है।

जहां लोक सेवक के रूप में हमारी भूमिका के लिए वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व विधिक, संगठनात्मक और सामाजिक मांगों से उत्पन्न होता है, वही व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व हमारी स्वयं की निष्ठा, विवेक और पहचान से सम्बंधित विश्वासों में निहित होता है। प्रशासनिक भूमिका के निर्वहन के दौरान व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व अपने अनुभव के साथ विकसित पेशेवर

VISION IAS



नैतिकता को दर्शाता है, अर्थात्, "*हम विधिसम्मत कार्य करने में विश्वास रखते हैं, अतः हम किसी कार्य को एक विशिष्ट तरीके से करने हेतु अपनी अंतरात्मा द्वारा बाध्य किए जाते हैं, न कि इसलिए कि हम किसी पर्यवेक्षक या विधि द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। अर्थात् व्यक्ति, उसके विश्वासों, मूल्यों और चरित्र जिन्हें किसी कार्य को विशिष्ट रूप से करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जाता है, द्वारा निर्मित आतंरिक प्रेरणा के द्वारा निर्देशित/बाध्य होता है।*"

निर्णयन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करने हेतु, व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व एवं वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। मूल्य और विश्वास कुछ विशिष्ट व्यवहारों के प्रति झुकाव उत्पन्न करते हैं अर्थात्, 'हम क्या विश्वास करते हैं और उस विश्वास के प्रति कैसा अनुभव करते हैं', यह हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। यह बदले में हमारे आचरण को एक आकार देता है और हमारे कार्यों के मार्गदर्शन में सहायता करता है। हमारे कार्यों को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने हेतु उन्हें बाहर से आरोपित दायित्वों के समरूप होना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के परिणामस्वरूप अक्षमता, भ्रष्टाचार, तानाशाही और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा।

अतः यह आवश्यक है कि प्रबंधन कार्यप्रणाली एवं प्रशिक्षण, नैतिक लोक सेवा संबंधी मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। उपर्युक्त मूल्यों के समाजीकरण से सतत और सशक्त आंतरिक नियंत्रण में वृद्धि होगी, जो प्रशासकों को एक निर्धारित पैटर्न में विवेक के प्रयोग की अनुमति प्रदान करेगा। यह पैटर्न अपेक्षाकृत पूर्वानुमेय होगा और इसलिए सहयोगियों के मध्य विश्वास का निर्माण करेगा। नैतिक प्रक्रिया ही वह माध्यम है जिसके द्वारा उत्तरदायित्व के आतंरिक स्रोत, बाह्य मांगो से संबद्ध होते हैं।

2. "प्रशासनिक नीतिशास्त्र के साथ मुख्य समस्या यह है कि: अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठन की क्षमता से समझौता किए बिना अधिकारियों के लिए असहमति प्रकट करने के दायरे को किस प्रकार बढ़ाया जाए।" इस कथन का मूल्यांकन कीजिए और भारतीय प्रशासन के संदर्भ में कुछ उपायों का सुझाव दीजिए।

उत्तर:

प्रशासनिक नीतिशास्त्र से तात्पर्य संगठन में नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अधिकारियों के आचरण को निर्धारित करने से है। व्यापक रूप से नैतिक सिद्धांत (a) उन अधिकारों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करते हैं जिनका व्यक्तियों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, जब वे उन तरीकों से कार्य करते हैं जिसके द्वारा वे अन्य व्यक्तियों और समाज के कल्याण को गंभीरतापूर्वक प्रभावित करते हैं; और (b) सामूहिक प्रथाओं और नीतिगत व्यवस्था को शासित करते हैं, जब उनके (अधिकारी) कार्य व्यक्तियों और समाज के कल्याण को गंभीरतापूर्वक प्रभावित करते हैं। नैतिक सिद्धांतों को एक निःस्वार्थ परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। यह पूछने की अपेक्षा कि कोई कार्यवाही अथवा नीति किसी विशेष व्यक्ति या समूह के हितों की सेवा किस प्रकार करती है, नैतिकता द्वारा इसे प्रश्नगत किया जाता है कि क्या कोई कार्यवाही या नीति प्रत्येक व्यक्ति के हित में कार्य करती है अथवा क्या इसे प्रत्येक व्यक्ति,

VISION IAS



जिसे अपनी विशेष परिस्थितियों, जैसे- जाति, सामाजिक स्थिति या राष्ट्रीयता के बारे में नहीं पता होता है, द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। नैतिक निर्णय किसी व्यक्ति के निर्णय लेने और व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के निर्णय लेने की संभावना का अनुमान लगाते हैं।

प्रशासनिक नीतिशास्त्र का यह मानना कि संगठनों में व्यक्ति नैतिक निर्णय ले सकते हैं और नैतिक निर्णयों का प्रयोजन भी बन सकते हैं। प्रशासन के दो सामान्य विचार - प्रशासकों को या तो किसी संगठन की नीतियों का अनुपालन करना चाहिए या पद का परित्याग कर देना चाहिए तथा प्रशासकों को अपने संगठनों के गलत कार्यों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए - उपरोक्त धारणाओं को अस्वीकार करते हैं और इससे प्रशासनिक नीतिशास्त्र असंभव सा लगने लगता है। इस प्रकार के विचारों को देखते हुए कि कैसे लोग इसकी गलत व्याख्या कर डालते हैं, इनमें सुधार लाया जा सकता है जिससे प्रशासनिक नीतिशास्त्र संभव लगने लगता है, भले हीं इसे अपनाने का स्वरूप भिन्न हो।

यहाँ सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन की प्रकृति से जुड़ी है जो नैतिक निर्णय लेने की प्रथा पर लगाम लगती है। इसमें दो मुख्य आपत्तियां दिखायीं देती हैं- पहली प्रमुख आपत्ति निर्णयकर्ता से संबंधित है (अर्थात् कौन निर्णय ले सकता है); दूसरी प्रमुख आपत्ति निर्णय के विषय से संबंधित है (अर्थात् किसके लिए निर्णय लिए जा रहे हैं)। पहली आपत्ति के बारे में दृढ़तापूर्वक यह कहा जाता है कि प्रशासकों को तटस्थता की भावना से कार्य करना चाहिए और उन्हें अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए बल्कि संगठन के निर्णयों और नीतियों का अनुपालन करना चाहिए। यह तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा है। दूसरी आपत्ति के बारे में दृढ़तापूर्वक यह कहा जाता है कि केवल प्रशासकों को ही नहीं बल्कि संगठन (इसके औपचारिक अधिकारियों) को अपने निर्णयों और नीतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह संरचना की नीतिपरक अवधारणा है। यहाँ दोनों को नैतिक कहा जा सकता है क्योंकि यह कुछ मानदंडों को व्यक्त करता है और आचरण को निर्धारित करता है। लेकिन इसमें न तो नीतिशास्त्र अथवा न ही नैतिकता सम्मिलित होती है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक नैतिक निर्णय की दोनों पूर्वधारणाओं - या तो एक व्यक्ति निर्णय लेता है या एक व्यक्ति के लिए निर्णय लिए जाते हैं - में से एक को अस्वीकार करते हैं।

तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा (The Ethics of Neutrality)

प्रशासनिक नीतिशास्त्र के पारंपरिक सिद्धांत और व्यवहार में यह कहा गया है कि प्रशासकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों तथा सरकार और एजेंसियों (जहां वे सेवारत हैं) की नीतियों का पालन करना चाहिए। इस विचार के अनुसार, प्रशासक इस अर्थ में नैतिक रूप से तटस्थ होते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से नैतिक निर्णय नहीं लेते हैं। उनसे अपने स्वयं के किसी भी नैतिक सिद्धांतों पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन उनके द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रभारित आदेशों और नीतियों में जो भी सिद्धांत दृष्टिगत होते हैं, वे उन्हें प्रभावित करते हैं।

तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा में परिवर्तन, व्यक्तिगत नैतिक निर्णय हेतु कुछ कार्य-क्षेत्र प्रदान करता है जब तक कि निर्णय या नीति "अंतिम" स्वरूप धारण न कर ले। इस विचार के अनुसार, प्रशासक अपने विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार कर सकते हैं और नीति निर्माण की प्रक्रिया में सुझावों के प्रतिभागी बन सकते हैं। लेकिन एक बार निर्णय या नीति के अंतिम स्वरूप धारण कर लेने के पश्चात सभी प्रशासक एकसमान हो जाते हैं और ईमानदारी से नीति को आगे बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, असहमति संस्था के भीतर और संस्था के प्रक्रियागत नियमों के अनुसार होनी चाहिए।

VISION IAS



तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा के विरुद्ध निम्नलिखित तीन प्रकार से आलोचनाएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं:

पहला, चूंकि यह नीतिपरक अवधारणा प्रशासकों के विवेक को कम करके आंकती है, अतः यह नागरिकों द्वारा प्रशासकों की जवाबदेहिता को बाधित करती है। प्रशासकों का विवेक संगठन में विधि-निर्माताओं या वरिष्ठ अधिकारियों की आकांक्षाओं से परे चला जाता है। इस भ्रम को सुदृढ़ करके कि प्रशासक स्वतंत्र नैतिक निर्णय का प्रयोग नहीं करते हैं, यह उनके कई निर्णयों के परिणामों के लिए बाह्य उत्तरदायित्व से उन्हें पृथक करता है।

दूसरी प्रमुख आपत्ति इस दावे पर केंद्रित है कि पद-धारण संगठन द्वारा निर्धारित पद के कर्तव्यों के लिए सहमति प्रदान करना है। हालांकि नागरिकता की तुलना में पद का परित्याग करना आसान हो सकता है, लेकिन अनेक अधिकारियों के लिए यह इतना कठिन है कि ऐसा करने में विफलता संगठन द्वारा किये गए सब कुछ की स्वीकृति को इंगित करने के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनके निहित अधिकार (जैसे- पेंशन और वरिष्ठता) और नौकरी कौशल (प्राय: निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने योग्य नहीं) अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यहां तक कि यदि वे अपने स्वयं के विभिन्न सिद्धांतों के लिए अपने करियर के साथ समझौता करने के लिए तैयार होंगे, तब भी वे अपने परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा के समर्थक इस पर बल दे सकते हैं कि जो अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं उन्हें पद का परित्याग कर देना चाहिए, हालांकि ऐसा करना कठिन हो सकता है। लेकिन नागरिक के तौर पर हमें प्रशासनिक नीतिशास्त्र के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में इसका समर्थन करने से पूर्व विचार करना चाहिए।

यदि इस विचार को निरंतर अभ्यास में लाया जाता है, तो लोक कार्यालयों में शीघ्र ही ऐसे लोग अधिक होंगे जिनके पास सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से असहमत होने का कोई कारण नहीं होगा। सुदृढ़ नैतिक दृढ विश्वास वाले व्यक्ति कार्यालय में कार्य करने की अपेक्षा पद का परित्याग कर देंगे और हम उन लोगों की सेवाओं से वंचित हो जाएंगे, जो सार्वजनिक जीवन में सर्वाधिक योगदान कर सकते हैं।

चूंकि हम सिद्धांतवादी व्यक्तियों को उनके पद से बेदखली नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सरकार की नीतियों से असहमत होने के बावजूद पद पर बने रहने के लिए अच्छे नैतिक कारण हो सकते हैं। यह मान्यता तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा पर आपत्तियों की तीसरी व्यवस्था को इंगित करती है - यह लोक कार्यालय की नैतिक परिस्थितियों को सरल बनाती है। यह हमें अधिकारियों को उनके नैतिक सिद्धांतों और संगठन की नीतियों के मध्य संगतता का आकलन करने की ओर ले जाती है। यदि सिद्धांत और नीतियां एक-दूसरे के अनुरूप हैं, तब इनका अनुपालन करना चाहिए यदि एक-दूसरे से अत्यधिक भिन्न होती हैं तब पद का परित्याग कर देना चाहिए। सर्वप्रथम, एक अधिकारी के रूप में आपका अपने सहयोगियों, संस्था और सरकार के प्रति दायित्व होता है। किसी संगठन में पद स्वीकार करके और सामूहिक कार्यों का दायित्व लेकर, आप दूसरों को अपने निरंतर सहयोग के माध्यम से विश्वास करने का कारण प्रदान करते हैं। यदि आप संगठन में अपनी भूमिका को निरंतर बनाए रखेंगे तब आपके सहयोगी परियोजनाएं प्रारंभ करते हैं, जोखिम

VISION IAS



उठाते हैं, अपेक्षा रखते हैं। यदि आप पद का परित्याग कर देते हैं, तब आप इन अपेक्षाओं को हतोत्साहित करते हैं और वास्तविकता में अपने सहयोगियों की प्रतिबद्धताओं को ठेस पहुंचाते हैं। पद का परित्याग विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, जिनमें से कुछ पद परित्याग के अवसरों की तुलना में नैतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अधिकारियों के लोगों के प्रति अधिक सामान्य दायित्व भी होते हैं। अधिकारियों को यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि वे विशुद्ध अंतःकरण से संगठन के साथ स्वयं को निरंतर संबद्ध रख सकते हैं अथवा नहीं। इसका अर्थ केवल अपने आप को अनुचित गतिविधियों से पृथक रखना है - कुछ लोगों ने इसे "नैतिक आत्म-अनुग्रह (moral self-indulgence)" कहा है।

तीसरा तरीका जिसमें तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा, लोक प्रशासकों के कर्तव्यों को विकृत करती है, वह कार्रवाई को दो विकल्पों आज्ञाकारिता अथवा पद-त्याग तक सीमित कर देती है। असहमति के विभिन्न प्रकार (शांत विरोध से लेकर अवैध प्रतिरोध तक) पद पर बने रहने में संगत हो सकते हैं। इनमें से कुछ, निश्चित रूप से चरम परिस्थितियों को छोड़कर नैतिक रूप से अनुचित हो सकते हैं, लेकिन तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा यहां पर कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है क्योंकि यह पहले से ही संगठन के निर्णयों खासकर "अंतिम निर्णय" के नैतिक न होने की संभावना का उल्लंघन करती है।"

(यहां पर असहमति के विशिष्ट बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है)

किसी संगठन के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसके (संगठन) लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संगठन की क्षमता से समझौता किए बिना इसके कर्मचारियों को 'असहमति' प्रकट करने के लिए किस हद तक अनुमति दी जानी अथवा मिलनी चाहिए। यदि कोई संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में संलग्न है, तो ऐसे में संगठन में व्यक्तिगत असहमति उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। सर्वप्रथम हमें इस बात पर बल देना चाहिए, कि असहमति प्रकट करने वाले प्रश्न में नीति के साथ उनकी असहमति के आधार पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि क्या असहमति नैतिक है अथवा केवल राजनीतिक है? यह एक नाजुक विभेद है क्योंकि लगभग सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों में नैतिक आयाम शामिल होते हैं। लेकिन शायद हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से एक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत (जैसे- निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना) का उल्लंघन करने वाली नीति अधिक न्यायसंगत असहमति का कारण बन जाती है। असहमति प्रकट करने वालों को भी यह विचार करना चाहिए कि वे जिस नीति का विरोध कर रहे होते हैं वह एकमात्र घटना है अथवा निरंतर बने रहने वाली स्थिति का एक भाग है और क्या उस नीति की अनैतिकता संगठन द्वारा अनुसरण की जाने वाली अन्य नीतियों के मूल्य से अधिक है। इसके अतिरिक्त, असहमति प्रकट करने वालों को अपनी भागीदारी और अपनी भूमिका की सीमा का परीक्षण करना चाहिए: वे नीति के लिए किस (औपचारिक और अनौपचारिक) प्रकार उत्तरदायी हैं? उनके विरोध से उस नीति और संगठन की अन्य नीतियों में क्या अंतर आएगा? नीति किस हद तक उन समूहों के नीतिशास्त्र का उल्लंघन करती है जिनके लिए वे बाध्य हैं (जैसे- विधिक अथवा चिकित्सा पेशे के सिद्धांत)?

VISION IAS



ये विचार न केवल यह निर्धारित करते हैं कि किसी अधिकारी को संगठन की नीति का विरोध करने के लिए उचित ठहराया गया है, बल्कि वे यह भी इंगित करने में सहायता करते हैं कि विरोध व्यक्त करने के लिए अधिकारी के असहमति के तरीकों को भी उचित ठहराया जा सकता है। एक अधिकारी के असहमति को और अधिक उचित ठहराया जा सकता है, यदि वह अधिकारी अधिक उचित तरीके से श्रेष्ठ माध्यमों का उपयोग करने में सक्षम है। असहमति के तरीकों को उत्कृष्ट से मध्यम तक निरंतरता के साथ रखा जा सकता है। निम्नलिखित चार प्रकार की असहमति इस निरंतरता की सीमा का वर्णन करती है तथा कुछ और मुद्दों को उठाती है कि किसी भी प्रकार की असहमति पर विचार किया जाना चाहिए:

पहला, कुछ असहमति ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति संगठन के भीतर एक आधिकारिक विरोध दर्ज करता है लेकिन फिर भी वह नीति को लागू करने में सहायता करता है, अथवा वह संगठन में कोई और कार्य सौंपे जाने की मांग करता है। यह अधिकारियों को संगठन के द्वारा प्रस्तावित नीति में सक्रिय भागीदारी से दूर रहने और संगठन की स्वीकार्य प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसा करने तक उसके विरोध को निरंतर रखने की अनुमति प्रदान करेगा।

दूसरा, असहमति का एक तरीका यह है कि अधिकारी अपने ज्ञान के आधार पर, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों की इच्छाओं के विरुद्ध, संगठन के बाहर अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं जबकि वे अपनी नौकरियों का संतोषजनक तरीके से निष्पादन करते हैं। इस प्रकार की असहमति सामान्यत: कुछ प्रभावशाली मानकों के अस्तित्व पर, इसकी प्रभावकारिता के साथ-साथ इसकी वैधता पर निर्भर करती है, जिससे असहमति प्रकट करने वाले संगठन के बाहर अपील कर सकते हैं। जब कोई असहमत होता है तो उसके लिए पेशेवर नीतिशास्त्र अथवा यहां तक कि कानून भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की कैसे व्याख्या की जाए इसे लेकर वह असहमत होता है, लेकिन ऐसे मानकों की अपील करने से कम से कम लोगों को इस बात को लेकर आश्वस्त किया जा सकता है कि उक्त सार्वजनिक नीति के संबंध में कम से कम वह अधिकारी अपने निजी विवेक पर अपने कार्यालय को कुछ थोपे जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। जब असहमति प्रकट करने वाले अधिकारी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित अधिकारियों का विरोध करते हैं, तब उन्हें उन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए कि वे उन सिद्धांतों का बचाव कर रहे हैं जो सभी नागरिकों का समर्थन करते हैं।

तीसरा, असहमति का तीसरा तरीका नीति के प्रति खुला अवरोध उत्पन्न करना है। उदाहरण के लिए, अधिकारी संगठन द्वारा नीति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान या विशेषज्ञता के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकते हैं और इस पर कदम उठाने को अस्वीकृत कर दिया जाता है ताकि अन्य लोगों द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जा सके अथवा नीति को समाप्त करने की कोशिश कर रहे बाहरी लोगों को सूचना और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान किया जाता है। कुछ अधिकारी कम समय के लिए इस रणनीति को अपना सकते हैं, लेकिन संगठन सामान्यत: असहमति प्रकट करने वालों को अलग कर सकते हैं, अन्य अधिकारियों की नौकरी में नियोजन हेतु खोज कर सकते हैं और संगठन के बाहर उत्पन्न होने वाले किसी भी विरोध का सामना करने के लिए अपने बाहरी समर्थन को संगठित कर सकते हैं। ऐसी किसी भी घटना में, असहमति प्रकट करने वाले की संगठन के भीतर अधिक प्रभाव बनाए रखने की संभावना नहीं होती है। ऐसे में असहमति प्रकट करने वाले की प्रभाविता और निरंतरता अधिक सार्थक होनी चाहिए।

VISION IAS

चौथा, उपरोक्त के कारण इस चौथे प्रकार की असहमति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात छुपा/गुप्त तरीके से अवरोध उत्पन्न करना। अनधिकृत प्रकटीकरण अथवा रहस्योदघाटन (लीक) इसके सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। रहस्योदघाटन उद्देश्य और प्रभाव में अत्यधिक भिन्न होते हैं। कुछ लोग केवल अन्य एजेंसियों को सूचना प्रदान करते हैं जो इसे प्राप्त करने के हकदार होते हैं; अन्य लोग किसी एजेंसी के भीतर विशेष अधिकारियों को असमंजस में डालते हैं लेकिन वे एजेंसी की नीतियों को प्रभावित नहीं करते हैं; और अन्य लोग अंततः एक प्रमुख सरकारी नीति को परिवर्तित करते हुए प्रेस अथवा जनता को सूचना प्रकाशित करते हैं।

{चौथे प्रकार की असहमति की चर्चा हेतु कुछ अन्य मुद्दे}

कभी-कभी आधिकारिक अवज्ञा और नागरिक अवज्ञा के मध्य एक समानता देखी जाती है। अनेक लोकतांत्रिक सिद्धांतकारों का मानना है कि लोकतंत्र में नागरिक कानून या नीति को परिवर्तित करने के उद्देश्य से केवल कुछ तरीकों से और कुछ शर्तों के तहत कानून का उल्लंघन करना उचित है। नागरिकों को (i) सार्वजनिक रूप से कार्य करना चाहिए; (ii) किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए; (iii) अन्य नागरिकों द्वारा साझा सिद्धांतों के लिए अपील करनी चाहिए; (iv) घोर अन्याय के विरुद्ध अपनी चुनौती को निर्देशित करना चाहिए; (v) कानून तोड़ने से पहले विरोध के सभी सामान्य चैनल का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए; और (vi) ऐसी नीति की अवज्ञा के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि यह अन्य नागरिकों के संयोजन के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थिरता को बाधित न कर सके।

यहां तक कि यदि कोई यह विचार करता है कि नागरिक अवज्ञा उचित है, तो कोई भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि आधिकारिक अवज्ञा की आवश्यकता है। अधिकारी नागरिकों के समान अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं और यह कहा जा सकता है कि यहाँ समानता सामान्य रूप से नहीं होती है। लेकिन समानता विपरीत कारण के साथ नहीं हो सकती है। सरकार के गलत कार्यों के चरम मामलों में, हमें नागरिकों को अनुमति देने की अपेक्षा अधिकारियों को अवज्ञा के लिए अधिक दायरा प्रदान करना चाहिए। इन मामलों में यह तर्क दिया जा सकता है कि नागरिक अवज्ञा के लिए मानक स्थितियां अधिकारियों के लिए अत्यंत सीमित हैं। यदि हम उदाहरण के लिए इस बात पर बल देते हैं कि यदि अवज्ञा हमेशा सार्वजनिक रूप से की जाती है, तो हम वास्तविकता में सरकार की बहुत मूल्यवान आलोचना को कम कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्यवाही के परिणामों के भय से, असहमति प्रकट करने वाले अधिकारी अन्य अधिकारियों को यह सूचना प्रदान करने का निर्णय कर सकते हैं कि उनके वरिष्ठों ने इसे गुप्त रूप से घोषित किया है लेकिन नागरिकों के लिए यह जानना आवश्यक है। प्रचार की आवश्यकता को शिथिल करने का मुद्दा स्वयं के लाभ के लिए विरोधियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के नहीं बल्कि सरकार के संदिग्ध कार्यों की सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना के लिए होना चाहिए। हम प्रचार की आवश्यकता के कुछ रूपों को बनाए रखना चाहते हैं, शायद ऐसे प्राधिकारी की संस्थापना असहमति प्रकट करने वाले को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए होती है। लेकिन इस आवश्यकता के साथ-साथ अन्य लोगों को सरकारी अधिकारियों के उत्तरदायित्व को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया जाना चाहिए, न कि नागरिक अवज्ञा के पारंपरिक मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से।

VISION IAS

अवज्ञा के साथ-साथ असहमति के अन्य रूपों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य उन मानदंडों को विकसित करना है जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक कब उचित है। तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा उस कार्य को अनावश्यक बनाती है जिस प्रशासन में नैतिकता संभव है। लेकिन, जैसा कि हम देखते हैं कि प्रशासनिक तटस्थता न तो संभव है और न ही वांछनीय।



3. प्रशासनिक नीतिशास्त्र के समक्ष अधिक प्रत्यक्ष चुनौती उन लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो यह मानते हैं कि निजी जीवन में नैतिकता पूरी तरह से संभव है किन्तु वे इस बात को अस्वीकृत करते हैं कि यह संगठनात्मक जीवन में भी संभव है। "मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

प्रशासनिक नीतिशास्त्र के समक्ष एक बड़ी बाधा यह विचार है कि नैतिक निर्णय समग्र रूप में संगठन अथवा सरकार के लिए होना चाहिए। संरचना की नीतिपरक अवधारणा यह दावा करती है कि, चाहे प्रशासकों के पास स्वतंत्र नैतिक निर्णय लेने की कुछ संभावना हो, फिर भी उन्हें सरकार के अधिकांश निर्णयों और नीतियों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उनका व्यक्तिगत नैतिक उत्तरदायित्व केवल अपने कार्यालय के विशिष्ट कर्तव्यों तक विस्तृत है जिसके लिए वे विधिक रूप से उत्तरदायी हैं।

नैतिक निर्णय, नैतिक संस्था का पूर्वानुमान करता है। किसी परिणाम (आउटकम) के लिए किसी की प्रशंसा करने अथवा दोषारोपण करते समय हमें अनिवार्यतः इस पर विचार करना चाहिए कि व्यक्ति कार्रवाई के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी है। अनिवार्यतः हमें यह मानना चाहिए कि (1) उस परिणाम हेतु व्यक्ति की कार्यवाही अथवा कार्यवाही न करना उत्तरदायी है। ; और (2) व्यक्ति ने क्षम्य अज्ञानता या बाध्यता के तहत कार्य नहीं किया है। दैनिक जीवन में, हम कभी-कभी नैतिक आलोचना को प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति इन मानदंडों में से एक या दोनों को संतुष्ट नहीं करता है। सार्वजनिक जीवन में, विशेष रूप से संगठनों में, नैतिक अभिकर्ताओं की पहचान करने की समस्या, निर्णय अथवा नीति के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों की खोज करने की समस्या, निर्णय अथवा नीति की नैतिकता का आकलन करने की समस्या के समान कठिन हो जाती है। यहां तक कि यदि हमारे पास संगठनात्मक प्रक्रिया में परिणाम हेतु उत्तरदायी सभी अभिकर्ताओं के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध है, तब भी हमें इस संबंध में असमंजस हो सकता है कि इसके लिए उत्तरदायित्व का वर्णन किस प्रकार किया जाए। चूंकि कई लोग किसी संगठन के निर्णयों और नीतियों के लिए विभिन्न तरीकों से योगदान करते हैं, इसलिए सिद्धांततः हम यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कौन उन निर्णयों और नीतियों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी है। इसे "कई लोगो की समस्या" कहा जाता है तथा ऐसी धारणा है कि यह नैतिक संरचना के तहत समाधान करने योग्य नहीं है।

संगठनों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को शामिल करने की संभावना को अस्वीकृत करने और इस प्रकार प्रशासनिक नीतिशास्त्र की संभावना को कमजोर करने के लिए निम्नलिखित तीन तर्क दिए गए हैं:

प्रथम, यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी संगठनात्मक परिणाम के लिए कोई भी व्यक्ति स्वयं एक आवश्यक या पर्याप्त कारण नहीं होता। प्रत्येक अधिकारी का योगदान रस्सी के धागों के समान होता है। वे एक-साथ कार्य करते हैं तथा कोई भी अकेले कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन किसी एक के बिना कार्य किया जा सकता है।

एक दूसरा तर्क व्यक्तिगत उद्देश्य अथवा प्रयोजन और सामूहिक परिणामों के मध्य के अंतर को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में विभिन्न संगठनों में, हम यह भी कह सकते हैं

VISION IAS



कि कोई भी अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव करने का इरादा नहीं रखता है; फिर भी नियुक्तियों और प्रगति का प्रतिरूप अभी भी कुछ अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाता है। यहां हमें पैटर्न या नीति की निंदा करनी चाहिए (इसलिए तर्क किया जाता है), लेकिन हम इसके लिए किसी भी व्यक्तिगत अधिकारी पर नैतिक रूप से दोषारोपण नहीं कर सकते हैं।

एक तीसरा तर्क भूमिका की आवश्यकताओं पर बल देता है। पद से जुड़े कर्तव्यों और बड़े संगठनों के दैनिक कार्यकलापों के लिए व्यक्तिगत कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है, जो स्वयं में अहानिकर या यहां तक कि कुछ अर्थों में अनिवार्य है, लेकिन ये मिलकर कई बार अहितकारी निर्णयों और नीतियों का निर्माण करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। यद्यपि संगठन की नीति नैतिक रूप से अनुचित है, फिर भी यहाँ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन किया गया है, लेकिन यहाँ इनका सामूहिक योग व्यक्तिगत कार्यवाही की तुलना में निकृष्टतर होता है।

यदि हम इन तर्कों को स्वीकार करना चाहते है, तो हमें नैतिक अंकुश के बंधन से अनेक दोषी अधिकारियों को मुक्त करना होगा। इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही के क्षय होने की संभावना है। इन तर्कों का उत्तर किस प्रकार दिया जा सकता है ताकि संगठनों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनाए रखा जा सके?

सर्वप्रथम, हमें अधिकारियों के नैतिक उत्तरदायित्व का आकलन केवल उस आधार पर नहीं करना चाहिए जिस अनुपात में वे परिणाम में अपने योगदान को साझा करते है। "उत्तरदायित्व एक बाल्टी के समान नहीं होता है कि यदि उसमें से कुछ को अलग कर दिया जाए तब भी उसमें कुछ शेष रहता ही है।" यदि 10 ठगों के गिरोह की पिटाई से एक बूढ़े आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो हम प्रत्येक ठग को हत्या के केवल 1/10 वें भाग के लिए दंडित नहीं करते हैं (भले ही किसी एक ठग का मारना उसकी मौत के लिए पर्याप्त कारण न हो)। आगे, उत्तरदायित्व का निर्धारण करते समय हमें न केवल उन कृत्यों पर विचार करना चाहिए जो उनके द्वारा किए गए हैं, बल्कि उन कृत्यों पर भी विचार करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किए हैं। संगठनों के संदर्भ में हम प्रायः उन विशेष दोषों को इंगित कर सकते हैं जो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वर्णित और परिणाम के मध्य महत्वपूर्ण अंतर निर्धारित करते हैं। दोषों के प्रतिरूप अग्रिम रूप में अनुमानित एवं निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

व्यक्तिगत प्रयोजन और सामूहिक परिणाम के मध्य के अंतर को इंगित करने वाले दूसरे तर्क के बल को कम किया जा सकता है यदि हम अधिकारियों के नैतिक अपराधों का आकलन करते समय परिणामों की तुलना में प्रयोजन को कम महत्व देते हैं, कम से कम उन दो संदर्भों में जहाँ "प्रयोजन" को सामान्यत: उद्देश्य और प्रत्यक्ष लक्ष्य के रूप में समझा जाता है।

हम वैध रूप से सामान्य नागरिकों की तुलना में लोक पदों को एक उच्च मानक के साथ धारण कर सकते हैं। हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि अधिकारियों को लोक पद के सामान्य दायित्वों के कारण आंशिक रूप से परिणामों की विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखना जाना चाहिए। अधिक लोगों के कल्याण के विषय में, अधिकारियों को अपने कार्यों के परिणामों को प्राप्त करने के लिए असाधारण प्रयास करना चाहिए। जबकि अधिकारी एक या दो बार तर्कसंगत दावा प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्हें एक अहितकारी परिणाम की अपेक्षा नहीं थी, जबकि उन्होंने अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास किया था। ऐसे में उत्तरदायित्व से बचने हेतु उनके द्वारा इस छूट का उपयोग करने की निम्न सीमा होनी चाहिए। रोजगार में भेदभाव के उदाहरण के संबंध में, हमारा मानना कि अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि उनकी संगठनात्मक प्रक्रियाएं (सामाजिक बलों के साथ संयुक्त) अभी भी कर्मियों के निर्णयों में अन्यायपूर्ण परिणाम दे रही हैं; यदि वे इसका समाधान करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो वे अन्याय के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं।

VISION IAS

संगठन में व्यक्तिगत भूमिका के निर्वहन की आवश्यकता एक अधिकारी के ऊपर अल्प दोषारोपण के उपरोक्त तर्क की तुलना में दोषारोपण किये जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। लोक अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालते वक़्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यक्तियों को न कि पदों को संबद्ध करता है। इसे पूर्णत: किसी व्यक्ति द्वारा धारित पद से संबंधित किसी भी भूमिका से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अपितु यह समय के साथ एक व्यक्ति का अनुसरण करती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की इन विशेषताओं को कभी-कभी उपेक्षित किया जाता है। लोक अधिकारियों को एक भूमिका में अनैतिक (या अक्षम) प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है किन्तु पुनः वे पुरानी भूमिका का त्याग कर नई भूमिका के साथ नई योजना का आरंभ करते है। ऐसे बदनाम लोक अधिकारियों का पुन: नये कार्य क्षेत्र में आने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को समाप्त करके उन्हें नयी भूमिका देकर समर्थन किया जाता है।

प्रशासनिक नीतिशास्त्र संभव है, कम से कम दो प्रमुख सैद्धांतिक विचार जो इसकी संभावना का विरोध करते हैं, वे प्रभावशाली नहीं हैं। हमें न तो तटस्थता की नीतिपरक अवधारणा को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना चाहिए जो स्वतंत्र नैतिक निर्णय को कमजोर कर सकती है, न ही संरचना की नीतिपरक अवधारणा को, जो संगठनों में व्यक्तिगत नैतिक एजेंसी की उपेक्षा करती है। यह ज्ञात करने के लिए कि प्रशासनिक नीतिशास्त्र संभव है, यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि इसे वास्तव में किस प्रकार स्थापित किया जाए। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि क्यों प्रशासनिक नीतिशास्त्र न केवल अभ्यास की दिशा में बल्कि अभ्यास में अर्थपूर्ण विषय-वस्तु निर्धारित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में संभव है।



13. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज



(Previous Years Vision IAS GS Mains Questions: Case Studies)

1. **आप एक ज़िले में युवा जिलाधिकारी हैं, जहाँ पर निजी नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ये केंद्र अनैतिक ढंग से संचालित होने हेतु जाने जाते हैं और उनके व्यापार के मॉडल में पुनः नशे के शिकार होने वाले पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। यद्यपि ये केंद्र अत्यधिक शुल्क लेते हैं फिर भी ये पीड़ितों के परिवारों को एक आशा प्रदान करने हेतु प्रसिद्ध हैं और नशे में लिप्त लोगों के संस्थानीकरण से कानून व्यवस्था सुनिश्चित हुई है जो कि पडोसी ज़िलों में विद्यमान नहीं है।**
निम्नलिखित विकल्पों का समाज के विभिन्न हितधारकों पर उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के आधार पर विश्लेषण कीजिए:
(a) सभी निजी पुनर्वास केन्द्रों को पूर्णतः बंद किया जाना।
(b) सरकारी केन्द्रों की स्थापना हेतु धन की उपलब्धता के लिए उच्च अधिकारियों को प्रार्थना किया जाना।
(c) इस मामले की गंभीरता से जाँच करने के लिए एक चिकित्सा दल का गठन और उसकी रिपोर्ट के बाद ही कार्यवाही करना।
(d) पहले की भांति केन्द्रों को संचालित रहने देना।

उत्तरः

नशा मुक्ति केन्द्र व्यसनी के परिवार को कुछ समय के लिए राहत प्रदान करने के साथ-साथ व्यापक स्तर पर समाज को इनके द्वारा चोरी, डकैती आदि रूपों में उत्पन्न की जाने वाली संभावित सुरक्षागत चुनौतियों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यसनी स्वयं भी पीड़ित होते हैं और इन्हें स्वयं ही परिवार और वृहत्तर रूप से समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है।

अतः सभी पुनर्वास केन्द्रों को बन्द किया जाना जैसा कि विकल्प (a) में व्यक्त किया गया है, से लाभ की बजाय हानि अधिक होगी। परिवार और सम्बधियों के पास कोई विकल्प नही रहेगा और व्यापक रूप से जानकारी के अभाव में, व्यसनी के भार के कारण समाज को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तनाव झेलना पड़ेगा तथा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सरकारी केन्द्र की स्थापना, जैसे कि विकल्प (b) में प्रस्तावित किया गया है, एक स्वागतयोग्य कदम हैं क्योंकि ये केन्द्र अन्य निजी केन्द्रों के लिए आदर्श के रूप में का कार्य करेंगे। साथ ही, सरकारी केन्द्रों में लागू संशोधित कार्य प्रणाली के संबंध में जनमत का निर्माण होगा और जन सामान्य द्वारा निजी क्षेत्र के केन्द्रों से भी समान कार्य प्रणाली लागू करने की मांग की जाएगी।

विकल्प (c) के अनुसार, अक्रियाशील रहतें हुए केवल चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से निजी केन्द्रां द्वारा सम्पादित भ्रष्टाचारों को बढ़ावा देगा, निम्नस्तरीय उपचार से उत्पन्न गम्भीर चुनौतियों की अवहेलना और अप्रत्यक्ष रूप से तीव्रता से बढ़ते निजी नशामुक्ति केन्द्रों के कदाचारों को प्रोत्साहित करेगा।

विकल्प (d) के अनुसार केन्द्रों को बिना किसी बाधा के संचालित होने देना, एक प्रशासक द्वारा अपने नैतिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना होगा।

मध्यम अवधि में, सरकारी केन्द्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, नशे की समस्या के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता एवं शिक्षा के प्रसार द्वारा समस्या के मूल कारण

VISION IAS

को समाप्त करना महत्वपूर्ण है। साथ ही चिकित्सकीय उपचार के सख्त मानदंडों को भी सरकारी और निजी दोनों तरह के केन्द्रों में निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम को नियुक्त कर समस्या के कारणों को समाप्त करने हेतु समानान्तर रूप से कार्य करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।



2. आपको हाल ही में एक शहर के नगर निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक संयुक्त निदेशक जो आयु में आपसे अधिक वरिष्ठ है और छह माह में सेवानिवृत होने वाला है, मनोभावपूर्वक एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर नियोजन परियोजना पर कार्य कर रहा है जिसके सफल समापन से वह अपने शेष सेवानिवृत्त जीवन हेतु एक चिरस्थायी प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेगा। निगम की एक नवनियुक्त महिला सिविल अभियंता जिसने इस क्षेत्र में एक अग्रणी प्रमुख संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, संयुक्त निदेशक हेतु असुरक्षा का कारण बन गई है क्योंकि उसे इस बात का निरंतर भय है कि उस महिला को उसके सभी प्रयासों का श्रेय मिल जाएगा। उसने उस महिला के प्रति एक अप्रतिरोधी आक्रामक व्यवहार अपना लिया है तथा वह उस महिला से संचार में भी अशिष्ट है। महिला अभियंता लज्जित अनुभव करती है जब संयुक्त निदेशक अन्य कर्मचारियों के समक्ष उसे डांटते हैं, उससे बात करते समय अपना स्वर प्रबल कर लेते हैं तथा उसे अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वह भी संयुक्त निदेशक से भयभीत हो सकती है, क्योंकि कार्यालय में उसका एक दीर्घ कार्यकाल रहा है, जिस कार्यात्मक क्षेत्र में वह कार्य कर रही है उसमें संयुक्त निदेशक को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है तथा पूर्ववर्ती निदेशकों द्वारा भी उसका पक्ष लिया गया था। वह यह अनुभव भी कर सकती है कि इस मामले में उसके पास कोई रक्षोपाय नहीं है। आप पूर्ववर्ती संगठनों में उसके उत्कृष्ट अकादमिक और करियर रिकॉर्ड से भलीभांति अवगत हैं। परन्तु भय इस बात का है कि संयुक्त निदेशक के पक्ष से यह एक पक्षीय अहम् का संघर्ष इस महत्वपूर्ण परियोजना में उस महिला अभियंता के अति आवश्यक योगदान तथा उसके भावनात्मक कल्याण को गंभीरतापूर्वक संकटग्रस्त कर देगा। अभी-अभी आपको यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वह पदत्याग की योजना बना रही हैं। आप इस परिस्थिति को कैसे नियंत्रित करेंगे?

उत्तर:

संयुक्त निदेशक को यह समझाने में सहायता करना कि

- महिला अभियंता को उसके कार्य का श्रेय नही दिया जायेगा। एक निदेशक के रूप में संयुक्त निदेशक को यह आश्वासन देते हुए आप यह सुनिश्चित करेंगे कि संयुक्त निदेशक के रूप में उनकी अध्यक्षता में संचालित परियोजना हेतु उन्हें उनके कार्य का उचित श्रेय प्रदान किया जाए।
- यदि उनके कारण वह त्याग-पत्र दे देती है और उसने प्रक्रिया में एक शिकायत दर्ज करवाई है तो यह संयुक्त निदेशक के करियर पर एक दाग हो सकता है।
- इसकी बजाय उन्हें अधीनस्थों की एक बेहतर टीम बनाने में सहायता करनी चाहिए जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भी उन्हें उच्च सम्मान का भागीदार बनाएगा तथा जो निगम के प्रति उनका महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगा।
- चूँकि महिला अभियंता का पूर्ववर्ती संगठनों में एक उत्कृष्ट अकादमिक और करियर रिकॉर्ड रहा है और उसके पास बेहतर क्षमताएं भी हैं, अत: उन्हें उसकी क्षमताओं का अहसास कराने में उसकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें उसके प्रति एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि वे उसके वरिष्ठ हैं तथा उस कार्यात्मक क्षेत्र में जिसमें वह कार्य कर रही है उसमें प्रत्यक्ष अनुभव भी रखते हैं। भिन्न अर्थों में यह उनका व्यावसायिक दायित्व भी है।
- यह भी कि महिला अभियंता के प्रति उनका व्यवहार और दृष्टिकोण गैर-पेशेवर तथा अनुचित है।

VISION IAS



- उन्हें यह अहसास कराएं कि कैसे उनके पक्ष से एक पक्षीय अह्म संघर्ष इस परियोजना में अभियंता के अति आवश्यक योगदान को गंभीर रूप से संकटग्रस्त कर देगा जो उनकी अंतिम परियोजना भी है। महिला का योगदान समग्र परिणामों में वृद्धि कर सकता है, जो उन्हें निर्णायक श्रेय प्रदान करेगा, क्योंकि अंततः वे ही इस परियोजना के प्रभारी हैं।
- ऐसा अव्यवसायिक दृष्टिकोण उनकी क्षमता को भी प्रभावित करेगा तथा उनके ध्यान को गैर-उत्पादक पहलुओं की ओर स्थानांतरित भी करेगा।

नवनियुक्त महिला सिविल अभियंता को यह समझाने में सहायता करना कि:

- कैसे और क्यों संयुक्त निदेशक परियोजना में मनोभावपूर्वक संलग्न है।
- यह सिद्ध करते हुए कि वह एक कार्य के प्रति समर्पित तथा सहायक अधीनस्थ है उसे क्यों और कैसे संयुक्त निदेशक को विश्वास में लेना चाहिए। अपने वरिष्ठ के प्रति पेशेवर सम्मान दर्शाते हुए और एक सीखने हेतु इच्छुक अधीनस्थ के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करते हुए वह एक वरिष्ठ के रूप में निदेशक के अहम् को संतुष्ट करेगी। इस प्रकार उसे संयुक्त निदेशक के अनुभवों से सीखने हेतु अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
- यह भी समझाना कि सार्वजनिक रूप से किसी भी तनावग्रस्त स्थितियों से बचने हेतु वह एक अच्छे और सहायक अधीनस्थ के रूप में संबंधित आयामों की अग्रिम रूप से अलग-अलग चर्चा कर सकती है।
- वह आवश्यकतानुरूप दृढ़तापूर्वक बेहतर व्यवसायिक दक्षता प्रदर्शित कर सकती है परन्तु उसे उत्तर में आक्रामक नहीं होना चाहिए।
- आप वर्तमान निदेशक के रूप में संगठन में उसके लिए अवसर सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे, यदि वह तनाव के समय तथा संयुक्त निदेशक के सेवानिवृत होने के पश्चात् भी धैर्य और व्यवसायिक दक्षता का प्रदर्शन करती है।
- आप उसके अकादमिक और करियर रिकॉर्ड से प्रभावित हुए हैं तथा यह निगम में उसके आगे पदोन्नत होने में सहायता करेगा। यह भी कि करियर में प्रत्येक को विभिन्न प्रकार के तनावों से निपटने की आवश्यकता होती है।
- आप उसे समझाएंगे कि किसी भी कष्टप्रद स्थिति को नियंत्रित करने हेतु आप उसकी सदैव सहायता करेंगे। उसे पदत्याग के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी शीघ्रता से पद त्यागना उसके करियर रिकॉर्ड को ख़राब करेगा।

इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी उपस्थिति में एक-दूसरे से वार्ता संवाद करने का अवसर प्रदान करे जहाँ आप पद के आधार पर वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में निगम हेतु वांछित परिणाम सुनिश्चित करते हुए स्थिति को संतुलित और नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक रूप से यह भी प्रदर्शित सकते हैं कि उनके संबंधित प्रयासों हेतु दोनों को प्रोत्साहित करते हुए आप एक न्यायोचित निर्णय लेंगे।

3. आप भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में एक शहर में नियुक्त किया गया है, जहां अपराध की दर काफी अधिक है। कार्यालय में पहले कुछ दिनों में आपका सामना व्यापक अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी से होता है। एक दिन आप कुछ लोगों को शहर में लाए जा रहे एक अवैध दवा की बड़ी खेप के साथ पकड़ लेते हैं। श्री X, जो कि स्थानीय राजनेता हैं, आपको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि दवा की खेप को उनकी सहमति के साथ ले जाया जा रहा था। वह आपको यह भी बताते हैं कि आप सभी संदिग्ध लोगों को मुक्त कर दें और इस बारे में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज न करें। उनकी सलाह न मानने पर वह आपको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। इसके अलावा, वह आपके विभाग में आपके वरिष्ठ अधिकारी और अन्य भी कई लोगों के साथ अपने सम्बन्ध होने

VISION IAS



की बात आपको बताते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको फोन कर श्री X की मांग को पूरा करने को कहते हैं।

(a) कुछ सुझाए गए विकल्प निम्नलिखित हैं। इन विकल्पों में से प्रत्येक के गुण और दोषों का मूल्यांकन कीजिए:

i. राजनेता और अपने वरिष्ठ अधिकारी की मांग के आगे झुकते हुए संदिग्ध लोगों को मुक्त कर देना।

ii. अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित आदेश जारी करने को कहना।

iii. अपने वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ से इस मुद्दे पर बात करना।

iv. मीडिया को इस मुद्दे के बारे में बता देना।

(b) उपर्युक्त विकल्पों से अनावश्यक रूप से बंधे बिना कारण बताते हुए इस बात को इंगित कीजिए कि आपने क्या सुझाव दिया होता?

दृष्टिकोणः

इसका ध्यान रखना उपयोगी होगाः "मूलभूत सिद्धान्त और मानदण्ड जो लोक प्रशासन में समाहित नैतिक दुविधाओं से व्यवहार की प्रक्रिया को एकीकृत और पुनर्व्यवस्थित करते हैं, वे हैंः (1) प्रशासन का लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व (2) कानून का शासन और वैधता का सिद्धांत (3) व्यावसायिक सत्यनिष्ठा (4) नागरिक समाज के प्रति अनुक्रियाशीलता" (एंथोनी मेक्रीडिमीटर्स, 2002)

यह उत्तर एक विवरणात्मक उद्देश्य सिद्ध करता है। यह केवल एक मार्गदर्शक उत्तर है और परीक्षार्थी को समय के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को स्वयं निर्धारित और रचित करना होगा। मूल बिन्दु यह है कि अधिकतम संभावनाओं और कारणों पर विचार किया जाए।

उत्तरः

यह मामला कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एक लोक सेवक के पेशेवर दायित्वों और निजी कल्याण के बीच दुविधा को समाहित करता है। प्रकरण और इसका समाधान उचित प्रक्रियागत मुद्दों, संवादों और आदेश श्रृंखला को भी समाहित करता है।

इस प्रकरण के तथ्यों से यह प्रकट है कि जिले में कानून और व्यवस्था बुरी स्थिति में है और इसे सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। यह प्रथमतः नियमों और विनियमों के अनुपालन पर अडिग रहने से स्थापित की जा सकती है। द्वितीय, उदाहरण में शामिल विशिष्ट प्रकरण इस तथ्य को समाहित करते हैं कि कस्बे में भेजी जा रही दवाइयों की खेप अवैध है- यह आपके अधिकार क्षेत्र और पेशेवर दायित्व/कर्तव्य को लेकर चिंता पैदा करती है। इसमें एक स्थानीय राजनेता सम्मिलित है और वह आपको गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है- यह आपके निजी कल्याण से संबंधित चिंताओं को समाहित करती है। इसके अतिरिक्त राजनेता आपके वरिष्ठ अधिकारियों को जानता है और वे आपको उसका आदेश मानने को कहते हैं। यह उनके बीच गठजोड़ को सिद्ध करता है। इसमें आदेश श्रृंखला से संबंधित चिंताएं शामिल हैं। किन्तु, यह स्पष्ट नहीं है कि राजनेता और सम्मिलित वरिष्ठ अधिकारी दवाओं की खेप की वैधता से अवगत हैं कि नहीं। तथापि, यहाँ संलिप्तता आपके अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य में हस्तक्षेप उत्पन्न कर रही है। निर्णय आपके द्वारा प्रकरण की समीक्षा और इस प्रकार के प्रकरण में उचित प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए।

विकल्प i:

राजनेता और वरिष्ठ अधिकारियों की मांगों के आगे आत्मसमर्पण आपको एक कठिन परिस्थिति से सुविधापूर्वक निकाल सकता है। लेकिन यह केवल एक अल्पावधि उपाय है। यह ऐसे मानक स्थापित करेगा जो भविष्य में गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार,

VISION IAS



ऐसा कृत्य वर्तमान समस्या को ठीक करने के लिए एक सकारात्मक कदम नहीं हो सकता। अर्थात् यह विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा साथ ही नियमों एवं विनियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन है। आप इस प्रकरणगत दवा की खेप की अवैधता के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और साथ ही साथ राजनेता को जानकारी दे सकते हैं। फिर भी यदि वे संदिग्धों को मुक्त करने और प्राथमिकी दर्ज न करने की हठ करें तो उनकी संलिप्तता स्पष्ट हो जाती है।

विकल्प ii:

लिखित आदेश की मांग करना एक निवारक का कार्य कर सकती है, क्योंकि वरिष्ठ वैसा करने को मना कर सकते हैं। किन्तु, कृत्य की अवैधता को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना महत्वपूर्ण है। कृत्य की अवैधता को जानकर वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकार के आदेश जारी करने से दूर रह सकता है।

कृत्य की अवैधता को जानकर भी यदि वरिष्ठ एक लिखित आदेश जारी करता है तो दायित्व आप पर आ जाता है। जहाँ तक आपकी पहल का सवाल है, लिखित आदेश आपको अभियोज्यता से बचा सकता है। प्रश्न किए जाने पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपने आदेशों के अंतर्गत कार्य किया। यह सम्भवतः तकनीकी रूप से सही हो सकता है किन्तु यह नैतिक रूप से सही नहीं है और उत्तरदायित्व के परित्याग के समान है। परिणामात्मक रूप से इस विकल्प का अनुपालन करना कृत्य को अवैध और साथ ही साथ अनैतिक बना देता है। इस पर न्यायालय में प्रश्न किया जा सकता है और यह बचाव कि आप आदेशों के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, वहां कोई आधार नहीं रख सकता है। इसी प्रकार, यह विकल्प जिले में कानून और व्यवस्था को सही रूप से सुनिश्चित नहीं करता है।

विकल्प iii:

जब वरिष्ठ अधिकारी से संवाद विफल हो जाए तो उसके वरिष्ठ से बात करना सुविचारित कृत्य का तार्किक रूप से स्वाभाविक परिणाम प्रतीत होता है। आपको उनका परामर्श मांगते समय स्पष्ट रूप से और निष्पक्षता से स्थिति की व्याख्या करनी चाहिए। नतीज़तन वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ द्वारा आपके वरिष्ठ को नियंत्रित किया जा सकता है तथा आपको कर्तव्य की मांग के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाने में सहयोग प्राप्त हो सकता है। हालांकि, दूसरी ओर यह आपके प्रति आपके वरिष्ठ अधिकारी का कोप भाजन भी बना सकता है और वह आपके विरुद्ध एक दुर्भावना भी पाल सकता है।

इस विकल्प का दूसरा पहलू वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि वह भी राजनेता और आपके वरिष्ठ से सहमत है तो यह कदम प्रतिकूल हो सकता है और आपके ऊपर दवाब और अधिक बढ़ा सकता है। यदि ऐसा होगा तो यह विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति की चिंता का समाधान भी नहीं करेगा।

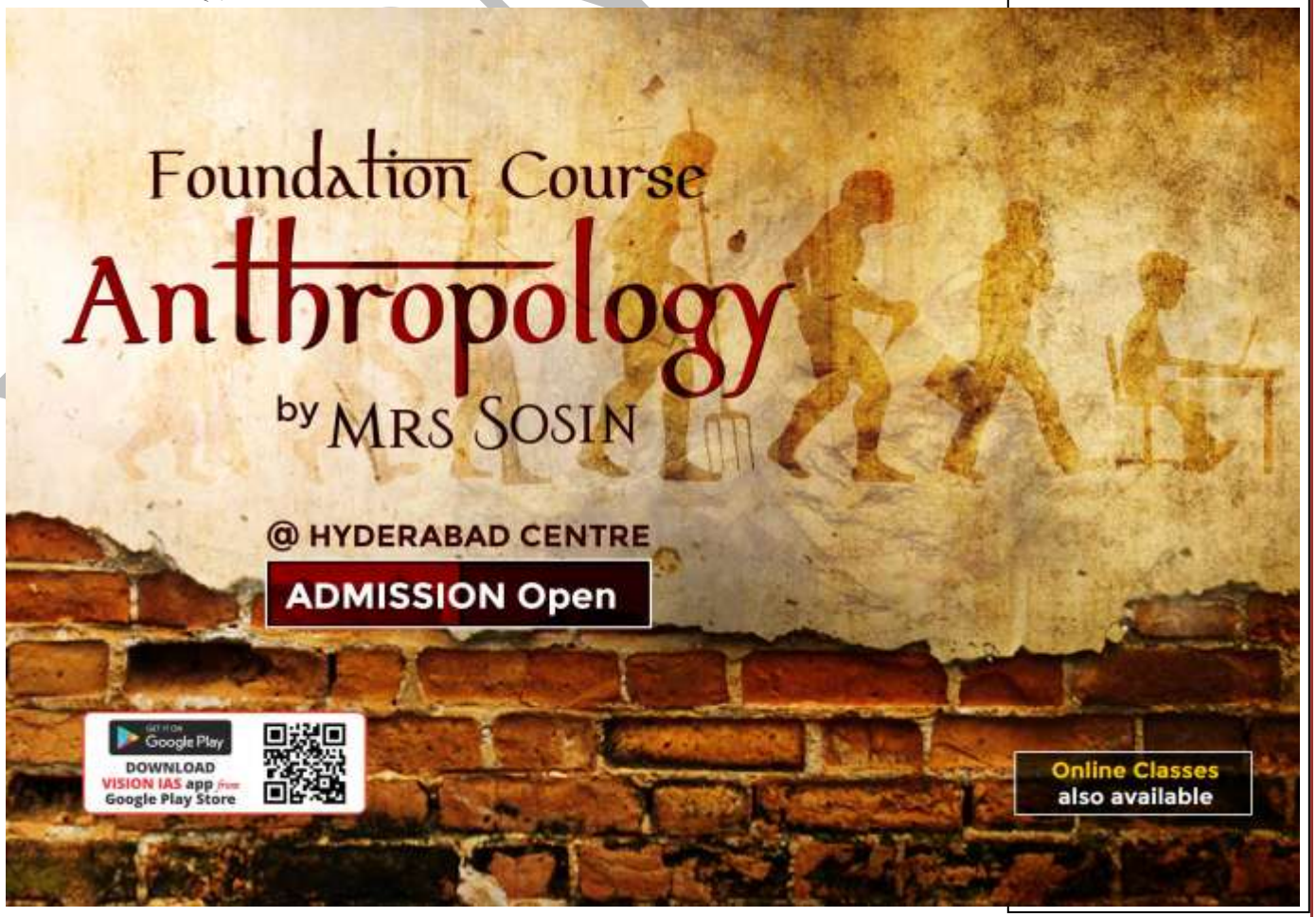
विकल्प iv:

मीडिया को जानकारी देने का विकल्प व्यापक रूप से समस्त जनता के प्रति स्पष्टता और अनुक्रियात्मकता से मेल खाता है। मीडिया का एक युक्तियुक्त उपयोग इस प्रकार, अवैध कृत्यों के खिलाफ विधिवत कानूनी कार्यवाही के हितधारकों के दायरे में विस्तार करते हुए, राजनेता और संलिप्त वरिष्ठ अधिकारियों पर सार्वजनिक दबाव में वृद्धि कर सकता है। इसी प्रकार, मीडिया जागरूकता, अधिकारियों और सरकारी तंत्र में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। किन्तु एक सनसनीखेज दृष्टिकोण का अनुपालन या मीडिया का अपरिपक्व दृष्टिकोण (अन्य विकल्पों / संप्रेषण के साधनों की छानबीन के पूर्व) के साथ उपयोग करना संभवतः प्रतिघात कर सकता है और यदि राजनेता ने दबाव बनाने की कार्य प्रणाली का अनुसरण

VISION IAS

किया तो इसके फलस्वरूप जवाबी अफवाह, आधिकारिक घुड़की और सार्वजनिक व्यवस्था की खामी पैदा हो सकती है। इस विकल्प के लिए काफी सावधानी और युक्ति की आवश्यकता है। इस विकल्प को एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने के बाद, आइए हम सलाह योग्य एक कार्य पद्धति पर विचार करें।

अधिकारी को तथ्यों को प्राथमिक रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इस प्रकरण के लाभों के बारे में स्वयं को आश्वस्त करने के बाद उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह प्राथमिकी दर्ज कराके आगे की जांच कराने की कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करे। क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ की मांग को उसके कार्यालय की सार्वजनिकता को देखते हुए उसके निर्देशों को पालन की किसी बाध्यता के बिना ग्रहण किया जाना चाहिए। यदि वह अनभिज्ञ हो तो अवैधता की व्याख्या शिष्टता के साथ दृढ़तापूर्वक कीजिए, साथ ही समाहित संवेदनशीलता को समझाने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार सक्रिय मीडिया इस प्रकरण का संज्ञान लेगी। इसी प्रकार, वरिष्ठ से अवैधता और संवेदनशीलता के बारे में संवाद कीजिए। यदि वह फिर भी हठ पकड़े रहते हैं, तब उन्हें सूचित कीजिए कि आप कानून का उचित रास्ता अपनाने के लिए प्रवृत्त हैं और मात्र मौखिक आदेश प्रभावी होने योग्य नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ से बात करने को इस चरण के अनुपालन के उपरान्त आदेश श्रृंखला के अनुपालन और बेहतर विभागीय संचार की भावना से ध्यान दिया जाना चाहिए। मीडिया को एक सहभागी के रूप में तथ्यों की रिपोर्टिंग हेतु सम्मिलित किया जा सकता है, प्रसिद्ध और महिमा प्राप्त करने के लिए नहीं। अधिकारी को अपना उत्तरदायित्व कानून के नियम और वैधता, व्यावसायिक निष्ठा और नागरिक समाज के प्रति उत्साहपूर्ण अनुकूलता धारण करते हुए पूरा करना चाहिए।



14. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न



(Previous Year UPSC Questions)

1. "केवल कानून का अनुपालन की काफ़ी नहीं है, लोक सेवक में, अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन के लिए, नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन-शक्ति का होना भी आवश्यक है।" क्या आप सहमत हैं? दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, जहाँ (i) कृत्य नैतिकतः सही है, परन्तु वैध रूप से सही नहीं है तथा (ii) कृत्य वैध रूप से सही है परन्तु नैतिकतः सही नहीं है।
2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध, अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्रीय हितों की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे तनावों के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।
3. "मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते है, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है की राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की अधिकारितंत्रीय नैतिकता हो।" इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
4. अनुशासन में सामान्यतः आदेश पालन और अधीनता निहित है। फिर भी यह संगठन के लिए प्रति-उत्पादक हो सकता है। चर्चा कीजिए।

15. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज

(Previous Years UPSC Questions : Case Studies)

1. आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं:

   (a) एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है।

   (b) जब अनुचित साधनों को अपनाने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है, नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

   (c) नैतिक तरीकों का पालन करना वृहत विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है।

   (d) चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण में सम्मिलित न हो लेकिन छोटे-मोटे उपहारों का आदान-प्रदान प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है।

   उपर्युक्त कथनों की उनकें गुणों और दोषों सहित जांच कीजिए।

2. खनन, बांध एवं अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिकांशतः आदिवासियों, पहाड़ी निवासियों और ग्रामीण समुदायों से अर्जित की जाती है। विस्थापित व्यक्तियों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है। फिर भी, भुगतान

VISION IAS



प्रायः धीमी गति से होता है। किसी भी हालत में, विस्थापित परिवार लंबे समय तक जीवन यापन नहीं कर पाते है। इन लोगों के पास बाजार की आवश्यकतानुसार किसी दूसरे धंधे में लगने का कौशल भी नहीं होता है। वे आख़िरकार कम मजदूरी वाले आवर्जिक (प्रवासी) श्रमिक बन जाते हैं। इसके अलावा, उनके समुदायिक जीवन के परंपरागत तरीके अधिकांशतः समाप्त हो गए हैं। अतः, विकास के लाभ उद्योगों, उद्योगपतियों और नगरीय समुदायों को चले जाते हैं जबकि विकास की लागत इन गरीब असहाय लोगो पर डाल दी जाती हैं। लागतों और लाभों का यह अनुचित वितरण अनैतिक है।

यदि आपको ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए अच्छे मुआवजे एवं पुनर्वास नीति का मसौदा तैयार करने का कार्य दिया जाता है, आप इस समस्या के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखेंगे एवं आपके द्वारा सुझाई गई नीति के मुख्य तत्व कौन-कौन से होगें?

3. आप अनाप-शनाप न सहने वाले एक ईमानदार अधिकारी हैं। आपका तबादला एक सुदूर ज़िले में एक ऐसे विभाग में कर दिया गया है, जो अपनी अदक्षता और संवेदनहीनता के लिए कुख्यात है। आप पाते हैं कि इस घटिया कार्य-स्थिति का मुख्य कारण कर्मचारियों के एक भाग में अनुशासनहीनता है। वे स्वयं तो कार्य करते नहीं हैं और दूसरों के कार्य में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। सबसे पहले आपने उत्पातियों को सुधर जाने की, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने की चेतावनी दी। जब इस चेतावनी का ना के बराबर असर हुआ तब आपने नेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया। इसके बदले के रूप में उन्होंने अपने बीच की एक महिला कर्मचारी को आपके विरुद्ध महिला आयोग में यौन-उत्पीड़न की एक शिकायत दायर करने के लिए भड़का दिया। आयोग ने तुरंत आपका स्पष्टीकरण माँगा। आपको इससे आगे भी लज्जित करने के लिए मामला मीडिया में भी प्रचारित किया गया। इस स्थिति से निपटने के विकल्पों में से कुछ निम्नलिखित हो सकते हैं:

(i) आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर नरमी बरतिए।

(ii) आयोग को नजरंदाज कर दीजिए और अनुशासनात्मक कार्यवाही को मजबूती के साथ आगे बढाइए।

(iii) अपने उच्च अधिकारीयों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए, उनसे निर्देश मांगिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए।

कोई अन्य विकल्प सुझाइए सभी का मूल्यांकन कीजिए और अपने कारण बताते हुए सबसे अच्छा विकल्प सपष्ट कीजिए।

16. संदर्भ (References)

- Ethics in Public service by Richard A. Chapman
- Ethics in Public Administration: Journal of Public Administration and Policy Research Vol. 4(2) pp. 23-31 March, 2012
- Model Code of Ethics and Conduct, WCO.org
- Administrative reforms in India- http://persmin.gov.in/otraining/UNDPProject/undp_modules/Reform%20Initiatives%20in%20Admn%20N%20DLM.pdf

VISION IAS

- Ethics in Public Administration: a Philosophical Approach by Patrick J Sheeran
- http://www.prsindia.org/uploads/media/vikas_doc/docs/1241499740~~DraftPublicServicesBill2006.pdf
- Nolan committee: http://www.public-standards.gov.uk/
- OECD Guidelines: http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=130&InstrumentPID=126&Lang=en&Book=
- Practical Ethics in Public Administration: By Dean Geuras, Charles Garofalo
- Case studies and Laws, rules regulations: Santa Clara University website
- Accountability: http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf
- https://academicpartnerships.uta.edu/articles/public-administration/the-importance-of-ethics-in-public-administration.aspx



VISIONIAS
www.visionias.in

Value Addition Material-2018

PAPER IV : नीतिशास्त्र

शासन व्यवस्था में शुचिता

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. शासन व्यवस्था में शुचिता (Probity in Governance) 3

1.1. शासन में शुचिता का महत्व 3

1.2. शुचिता के सिद्धांत (Principles of Probity) 4

1.3. शासन व्यवस्था में शुचिता की आवश्यकता: भ्रष्टाचार के खतरे 6

1.4. शासन व्यवस्था में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय 9

1.5 शासन व्यवस्था में शुचिता में सुधार हेतु अन्य सुझाव 18

1.6. निष्कर्ष (Conclusion) 20

2. लोक सेवा की अवधारणा (Concept of Public Service) 22

2.1. सेवा की सार्वजनिकता का मापन (Measuring Publicness of a Service) 22

2.2. लोक सेवा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत (Principles Guiding Public Service) 22

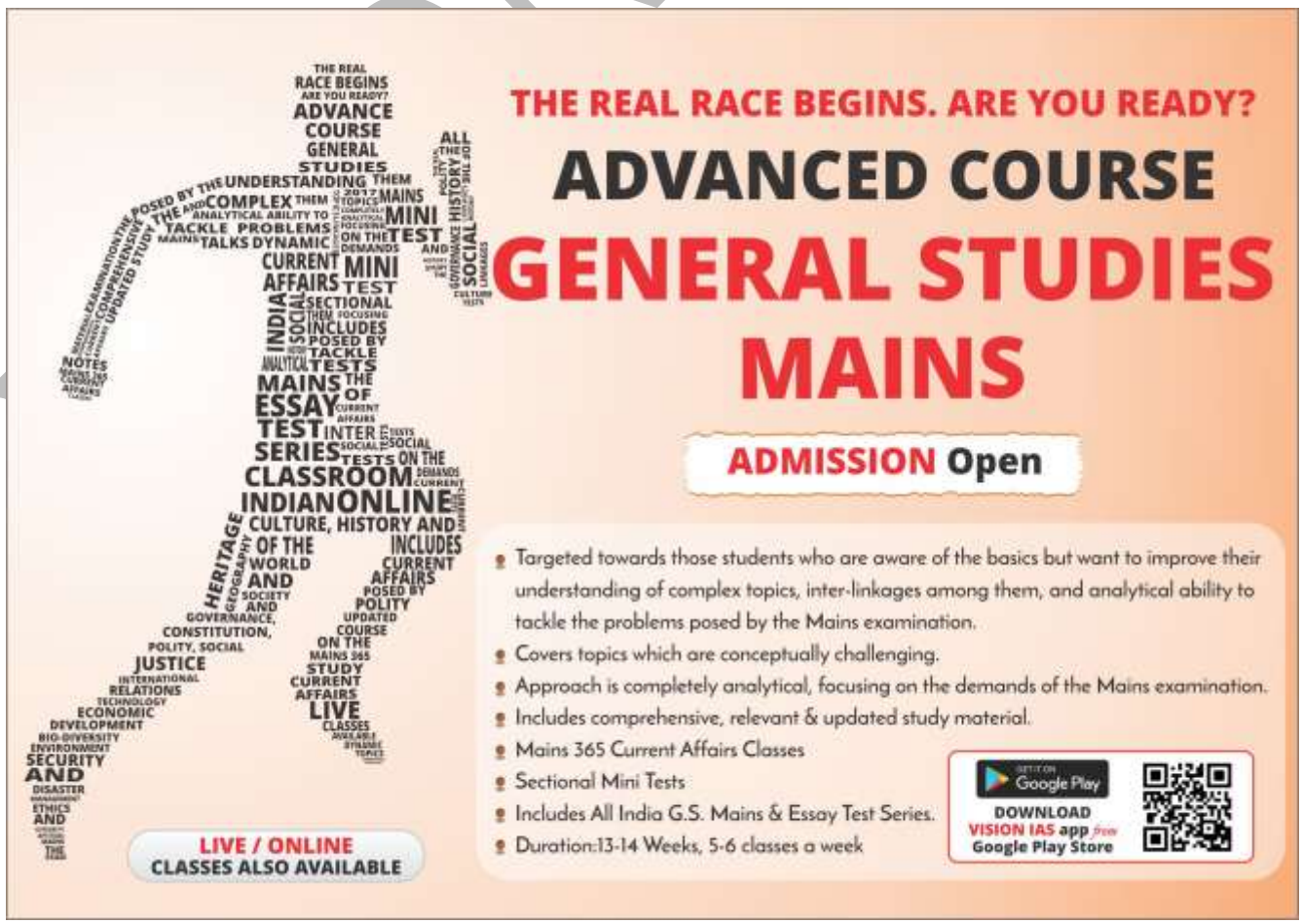
2.3. निष्कर्ष (Conclusion) 24

3. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न (Past Year UPSC Questions) 25

4. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न (Vision IAS Test Series Questions) 25

5. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज (UPSC: Case Studies) 30

6. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज (Vision IAS Test Series Questions: Case Studies) 32



"यदि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना सकते, तो देश को 2020 तक विकसित बनाने की परिकल्पना एक स्वप्न ही रह जाएगी।" - डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम



1. शासन व्यवस्था में शुचिता (Probity in Governance)

प्रोबिटी (शुचिता) शब्द का उद्भव लैटिन शब्द 'प्रोबिटास' (probitas) से हुआ है, जिसका अर्थ होता है 'अच्छा'। यह सुदृढ़ नैतिक सिद्धांतों को धारण करने एवं उनका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने का एक विशिष्ट गुण है। इसके अंतर्गत ईमानदारी (honesty), सत्यनिष्ठा (integrity), न्याय-निष्ठा (uprightness), पारदर्शिता (transparency) और सच्चरित्रता (incorruptibility) जैसे सिद्धांत सम्मिलित हैं। वस्तुतः शुचिता (प्रोबिटी) स्थायी सत्यनिष्ठा है। इसे सामान्य रूप से सच्चरित्र माना जाता है।

> ***नोट:*** *इस अध्याय में हमने UPSC-CSM सिलेबस एवं CSM के विगत वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए Probity के लिए* ***"शुचिता"*** *शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि UPSC-CSM सिलेबस एवं CSM 2014 {प्रश्न संख्या 2 (b)} में इसके लिए क्रमशः* ***"ईमानदारी" एवं "सत्यनिष्ठा"*** *जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है।*

शासन व्यवस्था में शुचिता वस्तुतः सरकार के विभिन्न अंगों के औचित्य और चरित्र से संबंधित है कि क्या इनमें प्रक्रियागत न्याय-निष्ठा का पालन किया जाता है, भले ही इन संस्थानों में व्यक्ति कार्य करते हों। इसके तहत नैतिक और पारदर्शी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तथा शासन प्रक्रिया की सूक्ष्म जांच की अनुमति प्रदान की जाती है। शुचिता (प्रोबिटी) से आशय मात्र बेईमान बनने से विरत रहना ही नहीं है क्योंकि इसका निर्धारण व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों जैसी अमूर्त पहलुओं के माध्यम से किया जाता है। लोकतंत्र में शुचिता (प्रोबिटी) वस्तुतः विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का पालन तथा नागरिकों के प्रति नेताओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों का सम्मान करती है।

इसके विपरीत, शुचिता (प्रोबिटी) एक सामाजिक अपेक्षा है जिसकी मांग नागरिकों द्वारा अपने निर्णय-कर्ता एवं राज्य के अंग के रूप में कार्यकर्ताओं से की जाती है। यह अपेक्षा किस सीमा तक पूरी की जाती है इसका निर्णय करने के लिए मानदंडों का निर्धारण किया जाता है तथा इनमें प्राय: तीन चीजें सम्मिलित होती हैं: "जवाबदेही" (accountability), "पारदर्शिता" (transparency) और "अनुक्रियाशीलता" (responsiveness)। साथ ही इसमें यह साझा विश्वास भी सम्मिलित होता है कि इन मानदंडों को अपनाने से भ्रष्टाचार मुक्त एवं सक्षम शासन संभव होगा। हालाँकि केवल मानदंडों का निर्धारण अपने आप में, नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित नहीं करता, इसके लिए सामाजिक जीवन में शुचिता (प्रोबिटी) और सत्यनिष्ठा की सुदृढ़ संस्कृति की आवश्यकता होती है। नैतिक व्यवहार का सार केवल मानदंडों में निहित नहीं है, अपितु उसे क्रिया रूप में परिणत करने और उसके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंधों का आदेश जारी करने में है।

1.1. शासन में शुचिता का महत्व

(Importance of Probity in Governance)

- सर्वप्रथम, यह प्रणाली (सिस्टम) अर्थात् राज्य की वैधता को स्थापित करने में सहायता करती है। यह राज्य के संस्थानों में भरोसा पैदा करती है और यह विश्वास जगाती है कि राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य लाभार्थियों के कल्याण के लिए होंगे।

VISION IAS



- इससे विवेकपूर्ण और नैतिक परिणाम प्राप्त होते हैं एवं समय के साथ विश्वास का सृजन होता है।
- यह उपेष्टतम (सब-ऑप्टीमल) परिणामों, भ्रष्टाचार और कमजोर धारणाओं का परिहार करती है।
- यह प्रक्रिया की निष्पक्षता पर वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करती है।
- यह सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे- न्यायाधीश, पुलिस तथा लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि जैसे लोक सेवा प्रदाताओं द्वारा शक्ति के दुरुपयोग एवं दुष्प्रयोग को रोकने में सहायता करती है।
- यह कुशल एवं प्रभावी शासन प्रणाली तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

'शासन व्यवस्था में शुचिता' के विषय पर **संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग** (National Commission to Review the working of Constitution: NCRWC, 2002) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 'शासन में शुचिता को सुनिश्चित करने हेतु भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रशासित करने वाले प्रभावी कानून, नियम एवं विनियमन इस हेतु अन्य अपेक्षाएं हैं तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन कानूनों आदि का प्रभावी और निष्पक्ष कार्यान्वयन हो। वस्तुतः कानून का उचित, निष्पक्ष और प्रभावी प्रवर्तन अनुशासन का एक पहलू है। अनुशासन में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक एवं निजी नैतिकता और ईमानदारी की भावना सम्मिलित है... यह सत्य है कि नागरिकों के बीच अनुशासन की भावना उत्पन्न करने का कार्य सामान्यतः समाज, इसके नेताओं, राजनीतिक दलों, लोकप्रिय व्यक्तियों का है तथा ऐसे विषय कम हैं जिन पर कानून बनाया जा सके।'

फिर भी, NCRWC ने भ्रष्टाचार की आशंका को नियंत्रित करने के लिए शासन व्यवस्था (विशेष रूप से कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित) में शुचिता को लागू करने हेतु सुझाव दिए हैं। इस संबंध में, स्कैंडिनेवियाई अर्थशास्त्री-समाजशास्त्री, गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में भारत की व्याख्या एक 'मृदु समाज (सॉफ्ट सोसाइटी)' के रूप में की है। यह ऐसा समाज है जिसमें:

- प्रगति और विकास के लिए आवश्यक कानूनों को अधिनियमित करने हेतु इच्छाशक्ति का अभाव विद्यमान है।
- यहां तक कि मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन हेतु इच्छाशक्ति का अभाव विद्यमान है।
- प्रशासन एवं शासन की संरचनाओं सहित शासन व्यवस्था में सभी स्तरों पर अनुशासन का अभाव है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक़ के अनुसार यद्यपि भ्रष्टाचार सर्वत्र विद्यमान है तथापि दक्षिण एशिया में यह चिंता का एक बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ यह शोषणकारी रूप में विद्यमान है तथा असहाय गरीब नागरिकों के शोषण पर आधारित है।

यद्यपि लोगों एवं और उनके प्रतिनिधियों में नैतिकता की भावना उत्पन्न करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, तथापि शासन में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विधायी उपायों को अत्यन्त तीव्रता से परिकल्पित किया जा सकता है। इस प्रकार, **शासन व्यवस्था में शुचिता** कुशल और प्रभावी शासन व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य एवं एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

1.2. शुचिता के सिद्धांत (Principles of Probity)

यद्यपि शुचिता से संबंधित मत और सिद्धांत स्पष्ट एवं भलीभांति परिभाषित हैं, तथापि उन्हें कार्यान्वित करने हेतु यथार्थपूर्ण आकार प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। इसलिए भले ही शासन व्यवस्था में शुचिता अपनाने हेतु ईमानदारी (honesty) एवं वस्तुनिष्ठता (objectivity) के महत्व के विषय में थोड़ी असहमति हो, किंतु जो चीज प्रामाणिकता एवं वस्तुनिष्ठता लाती है, और सबसे बढ़कर उन्हें प्रतिदिन निर्णय प्रक्रिया में अमल में लाती है वह सरकार की इच्छाशक्ति, संस्थाओं के सामर्थ्य, और

VISION IAS



उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों पर निर्भर होती है। फिर भी, शुचिता अपनाने हेतु प्रस्तुत सिद्धांतों की एक सामान्य सूची वांछित है। इसमें सामान्यतः यूनाइटेड किंगडम के नोलन समिति द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है, ये हैं: निःस्वार्थता (selflessness), सत्यनिष्ठा (integrity), वस्तुनिष्ठता (objectivity), जवाबदेहिता (accountability), खुलापन (openness), ईमानदारी (honesty) और नेतृत्व (leadership)। शुचिता (प्रोबिटी) के कुछ सिद्धांतों पर नीचे चर्चा की गई है:

I. **निःस्वार्थता:** सार्वजनिक (लोक) पद के धारकों को पूर्णत: सार्वजनिक हित में निर्णय लेना चाहिए। उन्हें स्वयं अपने, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए किसी भी प्रकार के वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए।

II. **सत्यनिष्ठा:** सार्वजनिक पद के धारकों को स्वयं को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के प्रति किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व से संबद्ध नहीं करना चाहिए जो उन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में प्रभावित कर सके।

III. **वस्तुनिष्ठता:** सार्वजनिक नियुक्तियों, ठेका/अनुबंध प्रदान करने के मामलों, या पारितोषिक व लाभ के लिए किसी की अनुशंसा करते समय सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के दौरान सार्वजनिक पद के धारकों को योग्यता के आधार पर चयन करना चाहिए।

IV. **जवाबदेहिता:** सार्वजनिक पद के धारकों को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों या कर्तव्य के निर्वहन के तरीकों के औचित्य की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए तथा उन्हें अपने पद से जुड़ी प्रत्येक जांच के लिए आगे आना चाहिए। यह सार्वजनिक पद के धारकों द्वारा की गयी कार्यवाही के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को व्यक्त करता है, साथ ही यह लिए गए निर्णयों के औचित्य अथवा जिन तरीकों से कार्यवाही की गयीं हैं उनकी व्याख्या करने की बाध्यता को भी दर्शाता है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कुशल और प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कार्यपालिका को उसके आचरण और निर्णयों हेतु जिम्मेदार ठहराया जाए।

V. **पारदर्शिता:** ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गोपनीयता की आवश्यकता होती है, प्रशासनिक मशीनरी के समुचित संचालन हेतु यह अनिवार्य है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, जससे कि सभी हितधारकों का प्रणाली में भरोसा और विश्वास हो।

VI. **खुलापन:** सार्वजनिक पद के धारकों को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों एवं कार्यवाहियों के लिए जहाँ तक संभव हो खुलापन दिखाना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए तर्क देना चाहिए तथा सूचना को केवल तभी प्रतिबंधित करना चाहिए जब व्यापक सार्वजनिक हित स्पष्ट रूप से इसकी मांग करें।

VII. **ईमानदारी:** सार्वजनिक पद के धारकों का कर्तव्य है कि वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी भी प्रकार के निजी हित की घोषणा करें तथा सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने के मार्ग मे आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए कदम उठाएं।

VIII. **गोपनीयता:** लोक सेवकों द्वारा निर्णय लेने से संबंधित सभी मामलों में गोपनीयता बनाए रखना सभी सार्वजनिक अधिकारियों और विशेषकर कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक अधिकारियों का कर्तव्य है। यह आचरण नियमों के साथ ही वित्तीय नियमों एवं कार्यपालिका के नियमों में अंतर्निहित है। संवेदनशील जानकारी से संबंधित किसी परियोजना या विभाग में सम्मिलित सभी लोक सेवकों को रोजगार की एक शर्त के रूप में सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखने के लिए सरकार को औपचारिक वचन देना चाहिए। पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच सूक्ष्म संतुलन सभी स्थितियों में बनाए रखा जाना चाहिए। गोपनीयता और पारदर्शिता को निर्णय का आधार बताते हुए इन पर **प्रशासनिक न्याय** की अवधारणा को स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए बाढ़ प्रभावित जिले में जहां वितरण के लिए केरोसिन की कमी है, वहां ऐसे परिवार को अधिक प्राथमिकता से केरोसिन की आपूर्ति करना पूर्णतया वैध है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार के निर्णयों को गोपनीय रखना पड़ता है, लेकिन निर्णय लिए जाने के बाद, निर्णय के आधारों को लोगों तक संप्रेषित करना अनिवार्य होता है।

VISION IAS

IX. **हितों के टकराव का प्रबंधन:** हितों का टकराव ऐसी स्थिति है जब किसी निर्णय के परिणामों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होने की संभावना के कारण निष्पक्ष और उचित निर्णय लेने की व्यक्ति की क्षमता बाधित हो सकती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी मामले में हित धारण करना व्यक्ति को निष्पक्ष रहने या संपूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ और पक्षपात रहित रहने में असमर्थ बना देता है। इसलिए, अधिकारियों को भावी मार्गदर्शन के लिए उच्च प्राधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। लोक सेवा में हितों का टकराव तब उत्पन्न होता है जब संबद्ध अधिकारियों द्वारा या तो स्वयं या किसी अन्य के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त सूचना का उपयोग करने या अपने पद की स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के टकरावों के प्रबंधन के लिए उच्च सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तित्वों एवं जनता के हितों को सर्वोपरि बनाए रखने वाले संस्थागत तंत्रों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, भारत में ऐसे मामले प्राय: तदर्थ आधार पर संचालित होते हैं।

X. **नेतृत्व:** सार्वजनिक पद धारकों को नेतृत्व द्वारा उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रचार और समर्थन करना चाहिए और अन्य लोगों के लिए अनुकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

1.3. शासन व्यवस्था में शुचिता की आवश्यकता: भ्रष्टाचार के खतरे

(Need for Probity in Governance: The Menace of Corruption) NCRWC के अनुसार:

'सार्वजनिक जीवन में निजी लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों या पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। जब लोक प्रशासकों पर नियंत्रण कमजोर होता है और राजनीतिक, कार्यपालिका और नौकरशाही के बीच शक्तियों का विभाजन अस्पष्ट होता है तो भ्रष्टाचार की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार जो कभी-कभी नौकरशाही तंत्र के भ्रष्टाचार से अविभाज्य होता है, वह सत्तावादी शासनों में अधिक व्यापक होता है जहाँ सार्वजनिक मत और प्रेस भ्रष्टाचार की आलोचना करने में असमर्थ होते हैं। हालाँकि भारत का विरोधाभास यह है कि सतर्क प्रेस और सार्वजनिक मत के बाद भी, भ्रष्टाचार का स्तर असामान्य रूप से उच्च है। इसके लिए रिश्वत लेने वालों के बीच अत्यंत असंवेदनशीलता, शर्मिंदगी के अभाव एवं सार्वजनिक नैतिकता के किसी भी भाव की अनुपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वस्तुत: वे भ्रष्टाचार एवं बेशर्मी के अपने तमगे को समान विश्वास और बिना किसी अपराधबोध के धारण करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के अवसरों में वृद्धि ने राजनीतिक और नौकरशाही भ्रष्टाचार के अवसरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है, राजनीति का स्वरूप पेशेवर हो जाने के बाद से यह विशेष रूप से हुआ है...

... भ्रष्टाचार आज न केवल शासन की गुणवत्ता के समक्ष खतरा प्रस्तुत करता है अपितु यह हमारे समाज और राज्य के मूलभूत आधारों को ही संकटग्रस्त कर रहा है। भ्रष्टाचार रक्षा संबंधी खरीदों, अन्य खरीदों एवं अनुबंधों में राज्य की सुरक्षा को ही कमजोर करता है। कुछ विद्युत अनुबंध कुछ राज्यों पर इस प्रकार का वित्तीय भार डाल रहे हैं कि उन राज्यों की वित्तीय वहनीयता ही संदेहग्रस्त हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद, मादक द्रव्यों, तस्करी और राजनेताओं के बीच एक गठजोड़ विद्यमान है, इस तथ्य पर वोहरा समिति की रिपोर्ट में अत्यधिक बल दिया गया था।

भ्रष्टाचार इसलिए फलता-फूलता है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी रूप से विधिक कार्रवाई किए जाने के पर्याप्त रूप से सफल उदाहरण विद्यमान नहीं हैं। मामलों का असंतोषजनक ढंग से संस्थापन, आधे अधूरे मन से और अपूर्ण जाँच और थकाऊ व देर तक चलने वाली मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप नैतिक रूप से अनुपयुक्त लेकिन विधिक रूप से अपरिहार्य दोषमुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में एक अनौपचारिक वास्तविकता के रूप में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता ने ऐसे अनैतिक कृत्य के प्रति मौन सुलह और निवृत्ति को जन्म दिया है।

VISION IAS

हमारे नागरिकों की सामाजिक चेतना को अत्यधिक प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है जिसे न तो व्यक्तिगत जीवन में स्थान प्राप्त है न ही सामाजिक जीवन में। यह सत्य है कि राज्य को विभिन्न क्षेत्रों से पश्चलन की वर्तमान प्रक्रिया जिसमें इसने कभी भी प्रवेश नहीं किया या जिनमें यह कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है, भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कुछ सीमा तक कम कर सकती है, लेकिन भले ही मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर पलायित हो जाएं, तब भी औद्योगिक गतिविधि पर प्रतिबंधों से भिन्न अर्थव्यवस्था का विनियमन होना चाहिए। शासन व्यवस्था की आवश्यकताएं अब खरीदों , अनुबंधों आदि मामलों में युक्तियुक्त हस्तक्षेप की मांग करती हैं।'

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने अपनी चौथी रिपोर्ट (शासन में नैतिकता) में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के बीच गठजोड़ की व्याख्या करते हुए भ्रष्टाचार पर आगे सविस्तार वर्णन किया है। चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कमज़ोर बिन्दु", कही जाती है जो "कानूनों के खुलेआम उल्लंघन, सेवाओं की निम्नस्तरीय गुणवत्ता, राजनीतिक, समूह, वर्ग, सांप्रदायिक या जातिगत आधार पर कानून तोड़ने वालों की सुरक्षा, अपराधों की जांच में पक्षपातमूलक हस्तक्षेप, मामलों के निम्नस्तरीय अभियोजन, कई वर्षों तक चलने वाले अभियोग, न्यायिक प्रक्रिया की उच्च लागत, बड़ी संख्या में मामलों को वापस लेना, अविवेकपूर्ण रूप से पैरोल प्रदान किए जाने जैसी स्थितियाँ" उत्पन्न करती है, जिन्हें भ्रष्टाचार के सबसे महत्वपूर्ण कारणों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

आयोग ने पुलिस को संभावित प्रतिद्वंदी के स्थान पर सहयोगी के रूप में रूपांतरित होने की भी चर्चा की है और इसे "अपराधियों को राजनीति में आकर्षित करने वाली अत्यंत सम्मोहक चुंबक" कहा है। राजनीतिक दलों को संदर्भित करते हुए आयोग ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि धनबल और बाहुबल का उपयोग करके वोटों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और चुनाव पर अतिशय मात्रा में किए जाने वाले अवैध व अनुचित व्यय की ओर संकेत किया है तथा इसे भ्रष्टाचार का मूल कारण बताया है। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, ARC ने ऐसे अपराधों का वर्गीकरण किया है जिन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता है, ये निम्नलिखित हैं:

- पद की शपथ का जानबूझकर उल्लंघन के रूप में होने वाला संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का घोर विकृतिकरण।
- किसी व्यक्ति का अनुचित रूप से पक्ष लेकर या व्यक्ति को क्षति पहुँचाकर प्राधिकार का दुरुपयोग।
- न्याय में अवरोध उत्पन्न करना।
- सार्वजनिक धन का अपव्यय।

भारत के सन्दर्भ में, ARC ने ऐसे तीन महत्वपूर्ण कारकों को सूचीबद्ध किया है जिन्होंने पद के दुरुपयोग में वृद्धि की है:

- पहला, यह एक औपनिवेशिक विरासत है कि प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति निर्विरोध रूप से सत्ता का उपयोग कर सकते हैं।
- दूसरा, शक्ति के वितरण में विषमता व्याप्त है। लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्रक में कार्य करते हैं। शेष कार्यरत लोगों का दो तिहाई संगठित क्षेत्र से जुड़े हैं जिन्हें रोजगार सुरक्षा एवं नियमित मासिक वेतन प्राप्त होता है और जो या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य के कर्मचारी हैं। मोटे तौर पर लगभग ये सभी कर्मचारी अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित समाज में 'शिक्षित' हैं और यहाँ तक कि निम्नतर स्तर वाले लोक सेवक भी देश के अन्य लोगों की तुलना में बेहतर दशा में हैं। यहाँ अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनके सरकारी नियोजन से उन्हें शक्तियां एवं प्राधिकार प्राप्त होते हैं। यह शक्ति विषमता नैतिक व्यवहार का पालन करने हेतु सामाजिक दबाव को कम करती है और भ्रष्टाचार में संलग्न होना सरल बना देती है।

VISION IAS

- ऐतिहासिक और सचेतन विकल्प के रूप में, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद आरम्भिक दशकों में ऐसी नीतियों का चयन किया जिनके अनपेक्षित परिणामस्वरूप नागरिक राज्य की दया पर निर्भर हो गए। अत्यधिक विनियमन, आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, राज्य एकाधिकारों पर निर्भरता एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी ने भ्रष्टाचार को प्रेरित किया जो कालांतर में जीवन शैली का हिस्सा बन गया।



इसके अतिरिक्त, ARC के अनुसार भ्रष्टाचार ने व्यवस्था में इतनी गहराई तक पैठ बना ली है कि अधिकतर लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार अपरिहार्य है और इससे संघर्ष करना व्यर्थ है। यह निराशावाद इतनी तीव्र गति से फ़ैल रहा है कि इसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्याधिग्रस्त बना दिया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार:

'*भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से निपटने के दो विपरीत दृष्टिकोण हैं। पहला, मूल्यों और चरित्र पर अत्यधिक बल देता है। कई लोग मूल्यों में गिरावट और उसके फलस्वरूप होने वाली भ्रष्टाचार में वृद्धि पर दुख प्रकट करते हैं। अंतर्निहित धारणा यह है कि जब तक मूल्यों को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता, तब तक मनुष्यों के आचरण में सुधार लाने की दिशा में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण, इस विश्वास पर आधारित है कि अधिकांश मनुष्य मूल रूप से सभ्य और सामाजिक रूप से जागरूक है, लेकिन लोगों का एक छोटा सा अनुपात सदैव विद्यमान रहता है, जो व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समाज कल्याण के मार्ग से सामंजस्य नहीं बैठा सकता है। ऐसे पथभ्रष्ट लोगों में सार्वजनिक कल्याण को दाँव पर लगाकर निजी लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और संगठित सरकार का उद्देश्य ऐसे विपथगामी व्यवहार को दण्डित करना होता है। यदि अच्छे व्यवहार को निरंतर पुरस्कृत किया जाता है और बुरे व्यवहार को निरंतर दण्डित किया जाता है, तो अधिकाधिक लोगों द्वारा ईमानदार एवं अविस्तृत मार्ग का पालन किया जाता है। हालांकि, <u>यदि अच्छे व्यवहार को पुरस्कार से वंचित किया जाए और यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हो तथा बुरे व्यवहार को दण्डित नहीं किया जाए एवं इसके स्थान पर इसे पुरस्कृत किया जाए, तो निःसंदेह अधिकांश लोगों में सम्मानजनक मार्ग से भटक जाने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है।*</u>

वास्तविक जगत में, मूल्यों और संस्थाओं दोनों का महत्व होता है। मार्गदर्शक तारे के रूप में कार्य करने के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है और हमारे समाज में वे बहुतायत में विद्यमान हैं। सही और गलत का भाव हमारी संस्कृति और सभ्यता में अंतर्निहित है। परन्तु इन मूल्यों के स्थायित्व हेतु और इन्हें अन्य लोगों के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने हेतु इन मूल्यों को संस्थाओं द्वारा संरक्षित एवं स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। संस्थागत समर्थन के अभाव में मूल्य शीघ्र ही निर्बल एवं समाप्त हो जाएंगे। संस्थान ऐसा पात्र प्रदान करते हैं जो मूल्यों को आकार और अंतर्वस्तु प्रदान करता है। यह सभी प्रकार की शासन कला एवं कानूनों तथा संस्थानों का आधार है। यद्यपि प्रोत्साहन और संस्थान सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु ये निर्णय लेने एवं मानव जीवन को प्रभावित करने के प्राधिकार से संपन्न तथा संसाधनों के आबंटन का निर्धारण करने हेतु शक्ति का प्रयोग करने वाले निर्वाचित या नियुक्त लोक सेवकों के समूह के प्रबंधन हेतु भी अनिवार्य होते हैं। <u>सार्वजनिक पद एवं सार्वजनिक धन पर नियंत्रण सार्वजनिक हितों की लागत पर निजी लाभ को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रलोभन और अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए, संस्थाओं का निर्माण एवं प्रोत्साहनों की अभिकल्पना करना लोक सेवकों के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।</u>'

आयोग ने इंगित किया है कि किसी समाज की सत्यनिष्ठा या भ्रष्टाचार के प्रसार या उसकी अनुपस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक राजनीति की गुणवत्ता है। जब राजनीति सत्यनिष्ठा, योग्यता और जन कल्याण के लिए तत्पर रहने वाले पुरुषों और महिलाओं को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करती है तो समाज लाभान्वित होता है। परन्तु जब ईमानदारी राजनीति से असंगत होती है और यदि सार्वजनिक जीवन,

VISION IAS

निजी लाभ के लिए प्रयासरत अवांछनीय और भ्रष्ट तत्वों को आकर्षित करता है, तो उस स्थिति में प्राधिकार का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार आदर्श बन जाते हैं। चुनावों में अतिशय अवैध और अनुचित व्यय को भ्रष्टाचार का मूल कारण माना जाता है। इसलिए चुनावों के इन दोषों के निवारण को राजनीति में नैतिक मानकों को बढ़ावा देने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम के तौर पर बताया गया है। यह उपाय अकेले ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और कुशासन को सुशासन में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने प्रसिद्ध विनीत नारायण वाद में यह निर्णय दिया कि "सार्वजनिक पद के धारकों को शक्तियाँ केवल सार्वजनिक हित में उपयोग करने हेतु सौंपी गई हैं। इसलिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले पद पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। उनका सत्यपरायणता के मार्ग से किसी भी रूप में विचलित होना विश्वासघात के समान है और इस विचलन को नज़रअंदाज करने की बजाय सख्ती से इसका समाधान किया जाना चाहिए।"

1.4. शासन व्यवस्था में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय

(Measures Required for Ensuring Probity in Governance)

भारत में शासन व्यवस्था में शुचिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विधायी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं तथा शेष डिजाईन/कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। इनमें से कुछ पर चर्चा निम्नलिखित है:

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा 2018 में इस अधिनियम में संशोधन

पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन. विट्ठल के अनुसार, विधि के शासन की गतिशीलता का प्रथम चरण भ्रष्टाचार के विस्तार को रोकने हेतु सहायक प्रभावी नियमों और कानूनों का निर्माण करना है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988 अर्थात् PCA, 1988) अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165-A (संशोधनों सहित) सम्मिलित हैं। यह अधिनियम लोक सेवकों को परिभाषित करता है तथा भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में संलिप्त लोक सेवकों को दंडित करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में लोक सेवकों के साथ भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में संलिप्त व्यक्ति को भी दंडित करने का प्रावधान है।

इस अधिनियम के तहत किन अपराधों हेतु दंड का प्रावधान किया गया है?

- जब कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान किसी व्यक्ति के निजी हित के लिए उसके पक्ष में कार्य करता है तथा बदले में वेतन के अतिरिक्त धनराशि या उपहार स्वीकार करता है।
- जब कोई लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ उसका व्यवसायिक या आधिकारिक संबंध है, बिना भुगतान किए कोई उपहार स्वीकार करता है।
- जब कोई लोक सेवक आपराधिक कदाचार का दोषी है, जैसे- आधिकारिक कर्तव्य के दौरान कुछ लोगों के पक्ष में कार्य करने के लिए नियमित रूप से रिश्वत स्वीकार करना।
- यदि कोई व्यक्ति अपने निजी संबंध का उपयोग करके या अवैध या भ्रष्ट तरीकों के माध्यम से लोक सेवक को प्रभावित करने के बदले धनराशि या उपहार स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है।
- ऐसे आपराधिक कृत्यों के लिए लोक सेवक की सहायता करने वाले व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है।
- **इस अधिनियम में हुए हालिया संशोधन के अनुसार उपहार या रिश्वत देने वाले व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा।**

VISION IAS



1947 के अधिनियम ने रिश्वत लेने, दुर्विनियोजन या दुरुपयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त करने, आय से असंगत परिसंपत्तियां रखने और आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करने जैसे भ्रष्ट कृत्यों को अपराध घोषित किया था। 1988 के अधिनियम द्वारा 'लोक सेवक' पदावली का दायरा विस्तृत किया गया और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसके दायरे में सम्मिलित किया गया। केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के अतिरिक्त, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों, केंद्र और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों, केंद्र या राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों के कुलपतियों, प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों, यहां तक कि स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारियों सभी को लोक सेवक घोषित किया गया है। भले ही 'सार्वजनिक कर्तव्यों' का निष्पादन करने वाले सांसदों और विधायकों का लोक सेवक की परिभाषा में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु इस अधिनियम की इस प्रकार व्याख्या की गई है कि इसमें वे भी सम्मिलित हैं (लालू प्रसाद यादव को IPC के साथ-साथ PCA की विभिन्न धाराओं के अधीन दोषी ठहराया गया है)।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 में हुए संशोधन

लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों को विनियमित करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में रिश्वतखोर लोक सेवकों को दंडित करने का प्रावधान है। रिश्वत देने वाले को केवल रिश्वत लेने वाले को 'उकसाने' या सहायता करने के लिए दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाले के विरूद्ध गवाही देने के लिए सहमत हो जाता है, तो वह दंड से बच जाता है। कई वर्षों से यह अनुशंसा की जाती रही है कि रिश्वतखोरी के प्रकरणों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, केवल रिश्वतखोरी के मांग पक्ष (अर्थात रिश्वत लेने वाले) को दंडित करना पर्याप्त नहीं है बल्कि रिश्वतखोरी के आपूर्ति पक्ष (अर्थात रिश्वत देने वाले) को भी समान रूप से दंडित किया जाना चाहिए। यह सोच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देती है: यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, 2005 और ब्रिटेन का एंटी ब्राइबरी एक्ट, 2010 रिश्वत देने और लेने को एक समान अपराध मानता है। आगे कुछ संशोधनों का उल्लेख किया गया है।

संशोधित धारा 8 के अंतर्गत, रिश्वत देने के अपराध को स्पष्ट रूप से पहचाना गया है। इसमें लोक सेवकों को भ्रष्ट कृत्य करने के प्रलोभन के रूप में रिश्वत देना या देने का वादा करना सम्मिलित है। यह आवश्यक नहीं है कि यह रिश्वत प्रत्यक्ष रूप से ही दी जाए। इसे किसी अन्य व्यक्ति को अवश्य दिया जाना चाहिए, हालांकि यह निश्चित रूप से लक्षित लोक सेवक हो सकता है, साथ ही यह कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। धारा 8 के अंतर्गत दंडित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि यह आचरण किसी प्रयोजन हेतु किया गया हो।

जितना स्वयं अपराध महत्वपूर्ण है उतना ही धारा 8 (1) का परंतुक भी महत्वपूर्ण है जो रिश्वत देने के लिए "विवश" होने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपवाद का उपबंध करता है। यह वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं की स्वीकृति है जहां लोक सेवक अपने कर्तव्य निष्पादन हेतु आक्रामक रूप से अनुचित अनुग्रह की माँग करने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाते हैं। यह विधेयक इस संबंध में एक अपवाद की व्यवस्था करता है- यदि रिश्वत देने के लिए विवश किया जाने वाला कोई व्यक्ति कानून प्रवर्तन आधिकारियों को सात दिनों के भीतर इस घटना की सूचना देता है, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा।

यह अपवाद उत्पीड़ित रिश्वतदाता और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए बेईमान तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर करने का प्रयास करता है। धारा 8 के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण अपवाद दूसरे

VISION IAS

परंतुक में संहिताबद्ध है। यह परंतुक भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ने के लिए एक तकनीक के रूप में "जालसाजी" (ये इस क्षेत्र में जालसाजी के मामले कहलाते हैं) के दीर्घकालिक उपयोग की रक्षा करता है। इसलिए, आपराधिक जाँच में सहायता करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने वालें व्यक्तियों पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता है।



धारा 13 (d) के अनुसार, किसी लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का दोषी माना जाता था, यदि वह "लोक सेवक के रूप में कार्यकाल के दौरान, किसी व्यक्ति से बिना किसी लोक हित के कोई मूल्यवान चीज़ या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है।"

हालांकि, किसी लोक सेवक द्वारा बनाई गई कोई भी नीति / की गई अनुशंसा / लिया गया निर्णय अनिवार्य रूप से कुछ संस्थाओं को लाभान्वित करेगा और कुछ संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए इस प्रावधान की व्याख्या किसी आधिकारी के प्रयोजन को प्रश्नगत करने और परिणामस्वरूप उसे परेशान करने हेतु की जा सकती है। इस प्रकार इस उपधारा को समाप्त करना एक सही कदम था और नई उपधारा लोक सेवक के आपराधिक कदाचार को इस प्रकार परिभाषित करती है:

- *"यदि वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से लोक सेवक के रूप में उसे सौंपी गई या उसके अधीन किसी संपत्ति को दुर्विनियोजित करता है या अन्यथा अपने उपयोग में लाता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है; या*
- *यदि वह जानबूझकर अपनी पदावधि के दौरान गैर-कानूनी तरीके से निजी आर्थिक लाभ प्राप्त करता है और उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत आर्थिक संसाधनों या संपत्ति पर उसका या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का कब्जा है या उसकी पदावधि के दौरान किसी भी समय कब्जा रहा है, जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से विवरण नहीं दे सकता है।"*

ये प्रावधान विशिष्ट हैं और इन प्रावधानों के तहत 'प्रयोजन' और 'प्रतिफल' अपराध के आवश्यक घटक के रूप में सम्मिलित हैं, जो पूर्णतया उचित है, और वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के लिए पर्याप्त हैं।

ईमानदार नौकरशाहों की सुरक्षा (धारा 13, 17A और 19 में संशोधन): नीतिगत निर्णय प्रकृति में भविष्य से संबंधित होते हैं। ये निर्णय लोक हित में और बुद्धि के अनुप्रयोग के साथ लिए जाने चाहिए। ये निर्णय मनमाने या निजी हितों को पूरा करने वाले नहीं होने चाहिए। हालांकि, इनके प्रयोजन सर्वोत्तम होते हुए भी, इनके परिणाम इष्टतम से कम हो सकते हैं। पश्चदर्श लाभ के साथ, इनका बाद के चरण में मूल्यांकन किया जा सकता है और दूषित इरादों हेतु वास्तविक नीयत को प्रश्नगत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि काले धन पर अंकुश लगाने या प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के लिए नीति तैयार करने जैसे कदमों से भविष्य में कुछ नुकसान हो, लेकिन अप्रत्याशित जोखिमों के भय से शासन व्यवस्था को पंगु नहीं बनाया जा सकता है। विभिन्न पहलों की सफलता हेतु और इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु, वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए किसी भी आर्थिक निर्णय का कई वर्षों बाद दूसरा अनुमान नहीं लगाया जाएगा और उन्हें सेवानिवृत्त हो जाने के लम्बे समय बाद भी जाँच संबंधी कार्रवाई और अभियोजन का लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा। अभी तक व्यवस्था में ऐसा घटित नहीं हुआ था और कुछ प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग ईमानदार नौकरशाहों पर अभियोग चलाने के लिए किया जा रहा था। ऐसे प्रकरणों से निपटने वाली धारा 13 की अस्पष्टता दूर कर दी गई है और आपराधिक कदाचार के संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित कर दी गई है।

इसी प्रकार, एक नई धारा 17A में आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लोक सेवक द्वारा की गई अनुशंसाओं और लिए गए निर्णय से संबंधित अपराधों की जाँच-पड़ताल को शामिल किया गया है। ऐसी कार्यवाहियों के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, सिवाय इसके कि जब व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। धारा 19 सेवानिवृत्त नौकरशाहों तक भी इस सुरक्षा का विस्तार करती है।

VISION IAS

एकल निदेश (Single Directive)

कई दशक पहले केंद्र सरकार ने अपने विवेक से सीबीआई के लिए संयुक्त सचिव और इससे उच्च श्रेणी/दर्जे के सभी लोक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रारंभिक जाँच करने के लिए भी सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य बना दिया था। इसे 'एकल निदेश' कहा जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस एकल निदेश को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद **14** के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की गारंटी का उल्लंघन करने वाला कदम होने के कारण निरस्त कर दिया।

बाद में, केंद्र सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (**CVC** अधिनियम) के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया और सरकार उक्त कानून में और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (**DSPE** एक्ट) में संशोधन करके 'एकल निदेश' को वापस ले आई। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले जिसे निरस्त किया था वह केवल एक कार्यकारी निर्देश/प्रस्ताव था। अब वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सुरक्षात्मक कवच को कानूनी स्वीकृति दे दी गई थी। सरकार ने तर्क दिया कि वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए ऐसी सुरक्षा आवश्यक है ताकि उनके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय हेतु अभियोजन के भय के बिना वे स्वतंत्र तरीके से कार्य कर सकें। यह वरिष्ठ नौकरशाही को उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों हेतु संचालित किसी भी जाँच से प्रतिरक्षित करने जैसा था। अंतत: वरिष्ठ नौकरशाह स्वयं तय करेंगे कि उन ही में से एक किसी अधिकारी की भ्रष्टाचार के लिए जाँच की जाएगी या नहीं। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से इसे पुन: सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि CVC अधिनियम और DSPE अधिनियम में निहित 'एकल निदेश' संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। पुनः कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को यह संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर समान श्रेणी के अधिकारियों के लिए ऐसी प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया है।

** कृपया ध्यान रखें कि यह मुद्दा केवल वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत में प्रारंभिक जाँच के चरण से संबंधित है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा **197** और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **19** के अंतर्गत यह आवश्यकता अक्षुण्ण बनी हुई है कि कोई भी न्यायालय किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध किसी मामले का तब तक संज्ञान नहीं ले लेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अभियोजन के लिए स्वीकृति नहीं देगा। **PCA में हालिया संशोधन** के माध्यम से इसका आगे जांच चरण तक विस्तार कर दिया गया है।

इसलिए अब, सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर जोड़ा गया है - न केवल अभियोजन के चरण में ही पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बल्कि जाँच के चरण में भी प्राप्त करनी होगी। हालाँकि, आपराधिक जांच के इसी चरण में तथ्यों और परिस्थितियों की पुष्टि की जाती है, और साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, यह निर्णय करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को क्या जानकारी उपलब्ध होगी कि सीबीआई को जाँच आरंभ करनी चाहिए या नहीं? साथ ही, इससे भ्रष्टाचार के वास्तविक प्रकरणों की जाँच और अभियोजन में विलंब हो सकता है।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन

(Enactment of Right to Information Act 2005)

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ वाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित) के तहत सूचना प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने का अधिकार भी शामिल है। भारत में सूचना का अधिकार (RTI) का विकास न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से हुआ तथा बाद में इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से यथोचित स्वरुप प्रदान किया गया था।

VISION IAS



यह अधिनियम नागरिक सक्रियता के माध्यम से शासन व्यवस्था में शुचिता के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। यह अधिनियम मात्र RTI आवेदन दाखिल करने से संबंधित नहीं है बल्कि मुद्दों, प्रकरणों पर वाद-विवाद, चर्चा आदि भी आरंभ करता है। यह अधिनियम खुले समाज के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य कर रहा है तथा साथ ही प्रश्न पूछने की संस्कृति का विकास कर रहा है।

इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए, द्वितीय ARC ने कहा है कि RTI सुशासन की प्रमुख कुंजी (मास्टर की) है। RTI शासन व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार एवं अक्षमता को कम करने में सहायता करता है। यह शासन और निर्णयण में लोगों की भागीदारी हेतु समर्थ बनाता है।

RTI अधिनियम, गोपनीयता एवं नियंत्रण के प्रशासनिक चरित्र एवं संस्कृति को मूल रूप से परिवर्तित करने तथा शासन में खुलेपन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के एक नए युग के प्रवेश हेतु अधिनियमित किया गया है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से इस ऐतिहासिक कानून का प्रभाव पहले से ही पूर्णतः दिखाई दे रहा है। भविष्य में एक जागरूक एवं सहभागी जनता सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का अधिकाधिक सहारा लेगी जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक कार्यालयों में शुचिता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

(iii) व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम (WBPA), 2014

(Whistle Blowers Protection Act, 2014)(WBP Act)

लोक हित प्रकटीकरण अधिनियमों (Public Interest Disclosure Acts) का अधिनियमन, कई पश्चिमी देशों में भ्रष्टाचार का सामना करने और गैरकानूनी गतिविधियों के सूचनादाताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से अपनाए गए विभिन्न उपायों में से एक है। इन अधिनियमों को लोकप्रिय रूप से व्हिसल-ब्लोअर अधिनियम कहा जाता है। भारत ने 2014 में इसका अपना संस्करण अधिनियमित किया। यह अधिनियम लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कृत्यों, सत्ता या विवेकाधिकार का जानबूझकर दुरुपयोग, या दंडनीय अपराधों के विरूद्ध लोक हित प्रकटीकरण प्राप्त करने और जाँच करने के लिए एक तंत्र का प्रावधान करता है। सामान्यत: इस प्रकार के अधिनियम के उद्देश्य हैं:

- लोगों को उनके आसपास होने वाले भ्रष्ट कृत्यों को नज़रअंदाज नहीं करने तथा संबंधित प्राधिकारी को इसकी सूचना देने हेतु प्रोत्साहित कर लोक सेवकों के मध्य जवाबदेहिता सुनिश्चित करना;
- व्हिसल-ब्लोअर्स को पदच्युति और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और उनकी पहचान की रक्षा करना;
- ऐसी सूचना प्राप्त करने वाला सक्षम एवं स्वतंत्र प्राधिकारी/तंत्र/अधिकारी का प्रावधान करना;
- यह सुनिश्चित करना कि विद्वेषी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत शिकायत या असंतोष को संतुष्ट करने के लिए व्हिसल-ब्लोइंग की सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया जाए।

WBPA, 2014 की मुख्य विशेषताएं:

- यह व्हिसल-ब्लोअर को परिभाषित करता है। इस अधिनियम के अनुसार व्हिसल-ब्लोअर के तहत सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं तथा ये व्यक्ति अपने कार्य निष्पादन की प्रकिया के दौरान अपने आस-पास होने वाले भ्रष्टाचार को प्रकट करते हैं। इसके तहत अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं।
- इसके तहत व्हिस्ल-ब्लोअर की गोपनीयता बनाये रखने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- यह शिकायतकर्ता या किसी जाँच-पड़ताल में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह आवश्यक है क्योंकि व्हिसल-ब्लोअर, नियमित रूप से उत्पीड़न के विभिन्न रूपों, यथा- निलंबन, प्रोन्नति रोकना, हिंसा और हमले की धमकी आदि का सामना करते हैं। यह कानून सक्षम प्राधिकारियों को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है, इसके तहत पुलिस सुरक्षा और उत्पीड़न करने वालों को दंडित करना सम्मिलित है।

VISION IAS

देश में कई व्हिसल-ब्लोअर को धमकी देने, उनका उत्पीड़न करने और यहां तक कि उनकी हत्या करने जैसे कई दृष्टांत विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, षणमुगम मंजुनाथ, सत्येंद्र दुबे, ललित मेहता और अन्य की हत्याओं ने व्हिसल-ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में, भ्रष्टाचार के उदाहरणों को प्रकट करने के लिए व्हिसल-ब्लोअर को प्रोत्साहित करने हेतु इस अधिनियम को भविष्य में और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।

व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण अधिनियम (2015) में संशोधन के लिए विधेयक: (राज्यसभा में लंबित)

- यह विधेयक भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकटीकरण के कृत्य को प्रतिबंधित करता है यदि ऐसी सूचना निम्नलिखित किन्हीं भी 10 श्रेणियों के अंतर्गत आती है:
    - इन श्रेणियों में: (i) भारत के आर्थिक एवं वैज्ञानिक हित तथा भारत की सुरक्षा; (ii) मंत्रीमंडल की कार्यवाहियाँ, (iii) बौद्धिक संपदा (iv) सूचना सूचना जो विश्वास सम्बन्धी क्षमता से प्राप्त की गयी है, आदि से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित हैं। ये RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) के प्रावधानों के अनुरूप हैं।
- 2014 का मूल अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 के अंतर्गत निषिद्ध सूचनाओं के प्रकटीकरण की अनुमति देता है। जबकि यह विधेयक OSA द्वारा कवर की गई सूचनाओं के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देता है।
- उपर्युक्त 10 निषिद्ध श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले लोक हित प्रकटीकरण के किसी मामले को सक्षम प्राधिकारी सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को संदर्भित करेगा। उक्त प्राधिकारी इस प्रकरण पर निर्णय लेगा तथा यह निर्णय बाध्यकारी होगा।

अन्य देशों के व्हिसल-ब्लोअर कानून भी कुछ विशेष प्रकार की सूचनाओं के प्रकटीकरण को निषिद्ध करते हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आसूचना, विश्वास संबंधी क्षमता से प्राप्त सूचना और विशेष रूप से कानून द्वारा निषिद्ध कोई अन्य प्रकटीकरण सम्मिलित होते हैं। हालांकि, यह तुलना कि ये संशोधन RTI अधिनियम को कमजोर करेंगे, संभवत: उचित नहीं हैं। RTI अधिनियम के विपरीत, इस विधेयक में यह प्रावधान है कि प्रकटीकरण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा अपितु उन्हें उच्च स्तरीय संवैधानिक या सांविधिक प्राधिकारियों के तत्वाधान में गोपनीय रखा जाएगा।

इस संशोधन विधेयक द्वारा WBP कानून के तहत किए गए प्रकटीकरणों के लिए व्हिसल-ब्लोअर को सरकारी गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत अभियोजन के विरुद्ध प्रदत्त प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाएगी। OSA के अंतर्गत अपराधों हेतु 14 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाती है। इस प्रकार के कड़े दंड की धमकी वास्तविक व्हिसल-ब्लोअर को भी रोकेगी। WBP अधिनियम का मूल उद्देश्य लोगों को गलत कार्य करने वालों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, WBP अधिनियम को स्पष्ट रूप से RTI अधिनियम के अनुरूप बनाने हेतु संशोधन विधेयक कहता है कि व्हिसल-ब्लोअर द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचनाओं से युक्त शिकायतों की जाँच नहीं की जाएगी जो राज्य की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष श्रेणी की सूचनाएं व्हिसल-ब्लोअर द्वारा किए गए प्रकटीकरण का भाग नहीं हो सकती हैं, जब तक कि सूचना RTI अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त न की गई हो। इसमें व्यावसायिक विश्वास, व्यापार रहस्य से संबंधित सूचनाएं जो किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाती हैं और एक विश्वास-सम्बन्धी क्षमता में निहित सूचनाएं सम्मिलित हैं। इन छूटों को RTI कानून की धारा 8 (1) के आधार पर प्रदान किया गया है। इस धारा के तहत वे सूचनाएं सूचीबद्ध हैं जिनका नागरिकों के समक्ष प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है।

VISION IAS

इन दोनों कानूनों का सम्मिश्रण अनुचित है और कई परिदृश्यों में वास्तविक व्हिसल-ब्लोअर के मार्ग को बाधित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि सरकारी अधिकारी को अपने कार्य निष्पादन के सामान्य क्रम में गलत कार्य की जानकारी प्राप्त होती है तो प्रासंगिक सूचना तक पहुंचने के लिए उन्हें RTI अधिनियम की आवश्यकता नहीं होगी तथा यदि वह सूचना RTI (धारा 8 के कारण) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है, तो उन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिए, सशस्त्र बलों के लिए हथियारों की खरीद में या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतें इस धारा के कारण संभवतः प्रकट नहीं हो पाएगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सत्यनिष्ठा से संबंधित संवेदनशील जानकारी से समझौता न हो, ऐसे प्रकटीकरणों को पूर्ण छूट प्रदान करने के बजाय सरकार इनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव कर सकती थी जैसे कि शिकायतकर्ता के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सीलबंद लिफाफे में शिकायत दर्ज कराने को आवश्यक बनाना आदि।

(iv) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 तथा बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

{Prohibition of Benami Property Transactions (PBPT) Act 1988 and Benami Transactions (Prohibition) Amendment (BTPA) Act 2016}

PBPT अधिनियम 1988 के तहत "बेनामी लेनदेन" को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ संपत्ति एक व्यक्ति को स्थानांतरित कर दी जाती है। जबकि कोई दूसरा व्यक्ति इसका भुगतान करता है। BTPA अधिनियम 2016, 1988 के अधिनियम की अपेक्षा कई मामलों में बेहतर है, यथा:

- यह बेनामी लेनदेन की परिभाषा को बेनामी के मानदंड पर खरा उतरने वाले अन्य लेनदेन से जोड़ कर उसे संशोधित करता है, जैसे- संपत्ति का लेनदेन जहाँ:
  - लेनदेन काल्पनिक नाम पर किया जाता है,
  - जहाँ स्वामी, संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी से अभिज्ञ है या उसकी जानकारी से इनकार करता है, या
  - जहाँ संपत्ति का मूल्य चुकाने वाला व्यक्ति अज्ञात हो तथा उसका पता न लगाया जा सका हो।
- यह बेनामी लेनदेन से संबंधित पूछ-ताछ या जांच करने के लिए चार प्राधिकरणों की स्थापना करता है: (i) प्रवर्तक अधिकारी (इनिशीएटिंग ऑफिसर), (ii) अनुमोदन अधिकारी (अप्रूविंग ऑफिसर), (iii) प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) तथा (iv) निर्णायक प्राधिकारी (अजूडकेटिंग ऑफिसर)।
- यह बेनामी लेनदेन में प्रवेश के लिए अर्थदण्ड निर्धारित करता है।
- यह वास्तविक स्वामी द्वारा बेनामीदार से बेनामी पायी गयी संपत्ति की पुनः प्राप्ति को भी निषेध करता है।
- **बेनामी संपत्ति सरकार द्वारा बिना कोई मुआवज़ा प्रदान किए ज़ब्त की जा सकती है।**

इसमें कुछ मामलों में अपवाद भी प्रदान किए गए हैं, यथा परिवार के किसी निकटतम सदस्य के नाम पर संपत्ति की खरीद।

(v) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC)

CVC की स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना प्रशासन में सत्यनिष्ठा (इंटेग्रिटी) बनाए रखने संबंधी मुद्दों के संबंध में सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से गठित **संथानम समिति** की अनुशंसाओं के अनुरूप की गई थी। CVC का अधिकार क्षेत्र सभी लोक-सेवकों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारियों तक विस्तारित है।

VISION IAS



विनीत नारायण बनाम भारतीय संघ वाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने CVC को स्वतंत्र, जवाबदेह बनाने तथा इसे राजनीतिक नियंत्रण से पृथक रखने के लिए सरकार को इसे वैधानिक दर्ज़ा प्रदान करने का निर्देश दिया। परिणामतः, 2003 में CVC अधिनियम को अधिनियमित किया गया।

एक अन्य संबंधित निकाय, यथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को CVC के पर्यवेक्षण के अधीन रखा गया है। CVC मामलों को **या तो** प्रत्येक विभाग के **केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (CVO)** या CBI को सौंप सकता है। CVC या CVO किसी लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करता है, किन्तु किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्णय का अधिकार **उस विभाग के प्राधिकारी के पास ही सीमित रहता है।**

सिविल सेवा आयोग बोर्ड (Civil Services Commission Board)

इसके अतिरिक्त, नियुक्तियों, स्थानान्तरण, उच्च पदों पर बहाली का निरीक्षण करने तथा ग़लती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु किसी सिविल सेवा आयोग बोर्ड का गठन राजनीतिक हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त श्री एन. विट्ठल के द्वारा एक और विचार दिया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन को प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसके प्रावधानों को संविधान के भाग III में समाविष्ट किया जाना चाहिए ताकि लोग मूल अधिकार के रूप में इसकी मांग कर सकें। साथ ही इसे भाग IV में भी समाहित किया जाना चाहिए ताकि राज्य इन मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार क़ानून बना कर उस पर अमल कर सके। इस कदम से शुचिता (प्रोबिटी) तथा सत्यनिष्ठा (इंटेग्रिटी) में वृद्धि होगी, बशर्ते मूल अधिकारों को लागू करने के तौर-तरीकों तथा संस्थागत व्यवस्था को कार्यान्वित किया जाए।

टी. एस. आर. सुब्रमण्यम तथा अन्य बनाम भारतीय संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक **सिविल सेवा बोर्ड** की स्थापना हेतु निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न भारतीय सिविल सेवाओं की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए तथा उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराने के लिए न्यायालय से एक स्पष्ट आदेश की मांग की जिससे कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समीक्षा समितियों (होता समिति सहित) की निम्नलिखित अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया जा सके:

- राजनीतिज्ञों द्वारा लोक सेवकों को दिए जाने वाले मौखिक निर्देशों को अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज किया जाए;
- वरिष्ठ सिविल सेवा नियुक्तियां एक नियत अवधि के लिए की जानी चाहिए; तथा
- पद स्थापन पर परामर्श देने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

इस वाद के प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित सम्मिलित थे:

- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा अन्य सिविल सेवक मौखिक निर्देशों का पालन करने को बाध्य नहीं हैं, क्योंकि इनसे "विश्वसनीयता में कमी आती है"।
- अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IFS तथा IPS) के अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा पद-स्थापन की अनुशंसा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना।
- समूह 'बी" के अधिकारियों का स्थानान्तरण विभागाध्यक्षों (HoDs) के द्वारा किया जाएगा।
- सिविल सेवकों के स्थानान्तरण तथा पद स्थापन संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा।

VISION IAS

(vi) लोकपाल तथा लोकायुक्त का पद (Institutions of the Lokpal and the Lokayuktas)



लोकपाल के पद का बुनियादी विचार फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, यू.के. तथा न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में **ओम्बुड्समैन (Ombudsman)** की अवधारणा से लिया गया है। 1995 में, यूरोपीय संघ ने यूरोपीय ओम्बुड्समैन का पद सृजित किया। वर्तमान में, लगभग 140 देशों में ओम्बुड्समैन का पद अस्तित्व में है। इस पद का भारतीय स्वरूप लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार है।

यह अधिनियम कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों तथा उनसे जुड़े हुए मामलों की जाँच के लिए लोकपाल संस्था की स्थापना की व्यवस्था हेतु प्रयास करता है।

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 कहा जाने वाला प्रथम लोकपाल विधेयक 1966 में "नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्या" पर ARC की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। किन्तु लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया। तत्पश्चात, कुछेक बार पुनः प्रस्तुत किए जाने के बावजूद 2011 तक लोकपाल विधेयक संसद से पारित नहीं कराया जा सका। 2011 में विशाल सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों के बीच भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन के नेता अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में जन लोकपाल विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकपाल विधेयक, 2011 के सरकारी संस्करण तथा नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल विधेयक में कुछ परस्पर विरोध के बिंदु मौजूद थे। अंततः, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किया गया जो जनवरी 2014 से लागू किया गया। राजस्थान, बिहार, कर्नाटक तथा अन्य कई राज्यों ने इस क़ानून को अपनाया तथा इसे कार्यान्वित किया है तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त के पद की स्थापना की है।

लोकपाल विधेयक के संसद में पारित किए जाने के बाद भी, भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित मुद्दों को उठाने वाले अनेक सहायक विधेयक अब भी संसद में लंबित हैं। सिटीजन चार्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक लोक सेवा प्रदायगी, सार्वजनिक खरीद इत्यादि से संबंधित विधेयक संसद में लंबित हैं। इन विधेयकों के पारित होने जाने के पश्चात् लोकपाल के पद के समक्ष प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली प्रशासनिक अकुशलता तथा भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की संख्या में कमी सुनिश्चित होगी। साथ ही, यद्यपि क़ानून का प्रवर्तन भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम चरण होता है, तथापि क़ानून की प्रभाविता वस्तुतः उसके कार्यान्वित किए जाने के तरीके पर निर्भर करती है।

लोकपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) के तहत निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा किए गए अपराध की जाँच कर सकता है:

- निर्दिष्ट संरक्षण के साथ प्रधानमंत्री,
- वर्तमान तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- वर्तमान तथा भूतपूर्व सांसद,
- वर्ग A, B, C, D के अधिकारी,
- संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित किसी कंपनी, सोसाइटी या किसी न्यास के कर्मचारी।
- व्यक्तियों के ऐसे संघ के कर्मचारी जो (i) सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हों, तथा जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित राशि से अधिक हो; या (ii) सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करते हों तथा वार्षिक आय एक निर्धारित राशि से अधिक हो या प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त की हो।

VISION IAS

- प्रधानमंत्री के विरुद्ध पूछताछ कैमरे की निगरानी में की जानी चाहिए तथा लोकपाल की सम्पूर्ण पीठ के दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, नाभिकीय ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मामलों से संबंधित शिकायतों पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध जाँच नहीं की जा सकती है।
- लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, तथा कुछ निजी संस्थाओं (धार्मिक संस्थाओं सहित) को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- लोकपाल की पूछताछ शाखा को शिकायतों के अनुमोदन के 60 दिनों के भीतर जाँच करने की आवश्यकता है। जाँच रिपोर्ट को स्वीकार करने पर लोकपाल (i) जाँच का आदेश देगा; (ii) विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ करेगा; या (iii) मामले को बंद करेगा तथा शिकायतकर्ता के विरुद्ध झूठा तथा निरर्थक शिकायत के लिए कार्रवाई आरम्भ करेगा। जाँच की प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। लोकपाल, मुकदमे के निर्णय हेतु स्थापित विशेष न्यायालय के समक्ष अपनी अभियोजन शाखा (विंग) के माध्यम से मुकदमे का आरम्भ करेगा। मुकदमे की कार्रवाई अधिकतम 2 वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाएगी। विधेयक में लोकायुक्त के लिए भी समान प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

1.5 शासन व्यवस्था में शुचिता में सुधार हेतु अन्य सुझाव

(Other Suggestions for improving Probity in Governance)

(i) सार्वजनिक कार्यालयों में दुराचार रोकने के लिए कानून

(Legislation to check misfeasance in public office)

सामान्यतः जब किसी वैध कार्य को गलत ढंग से निष्पादित किया जाता है तो उसे दुराचार (misfeasance) की संज्ञा दी जाती है। लोक सेवकों को बेघर लोगों को आवास आबंटित करने, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए नीतियाँ बनाने और पेट्रोल पंप आबंटित करने आदि जैसे कार्यकलापों के लिए अनुमति प्रदान करने की विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हालांकि, प्राय: यह देखा गया है कि लोक सेवक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस प्रकार के विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के सभी कृत्य राज्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं और यदि इस व्यवहार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तो समतावादी समाज और सामाजिक-आर्थिक न्याय का हमारा संवैधानिक स्वप्न कभी साकार नहीं होगा।

दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों (पेट्रोल पंप और सरकारी आवासों के अवैध आबंटन के प्रकरण में) द्वारा अपकरण के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:

- यदि कोई लोक सेवक या तो चूक से या कमीशन लेकर अपने पद का दुरूपयोग करता है, और उसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हानि पहुँचती है या सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँचती है, तो ऐसे लोकसेवक के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- ऐसे वाद में अनुकरणीय क्षतियाँ अधिनिर्णीत की जा सकती हैं जहाँ लोक सेवक की कार्रवाई निरपवाद रूप से दमनकारी, मनमानी या असंवैधानिक है।"

हालांकि, दुराचार के कई मामलों में यह तर्क दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर "सरकार को स्वयं को अनुकरणीय क्षति का भुगतान करने के लिए निर्देशित करना अनुमन्य नहीं है क्योंकि सरकार का मंत्री सरकार का अंग होता है और इसलिए सरकार को स्वयं को क्षति का भुगतान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

VISION IAS

जैसा कि NCRWC द्वारा सुझाव दिया गया है, ऐसी स्थिति में:



- लोक सेवकों को कानून द्वारा परिभाषित उनके निर्दिष्ट चरित्र के असद्भावी कृत्य या अकृत्य से राज्य को पहुँचाई गई हानि के लिए उत्तरदायी ठहराने वाले एक स्पष्ट कानून की आवश्यकता है और उन्हें इस प्रकार पहुँचाई गई हानि की क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, अनुकरणीय क्षति के आरोपण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सिद्धांत में आधिकारिक स्थिति के दुरुपयोग के प्रकरण और प्राधिकार से बाहर किये गए कार्य सम्मिलित होने चाहिए।
- पदावली 'लोक सेवक' को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में यथा परिभाषित 'सभी लोक सेवकों' तक विस्तारित किया जाना चाहिए। इस पदावली को सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को सम्मिलित करने हेतु अर्थान्वित किया गया है।

**ध्यान दें - 'हानि पहुँचाना' और तत्पश्चात हानि का आकलन करना एक जटिल विषय है। चूँकि यह पश्चदृष्टि पर आधारित है, अत: यह निर्णय निर्माण को बाधित कर सकता है। रक्षा खरीद, ऐसा उदाहरण है जहाँ रिश्वतखोरी/बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के साथ-साथ भ्रष्टाचार के आरोपों के भय से निर्णय लेने में विलंब, दोनों स्थितियाँ विद्यमान हैं।

(ii) लोक सेवकों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त करने के लिए कानून

(Legislation for confiscation of illegally acquired assets of the public servants)

वर्तमान परिदृश्य में हमारे देश में भ्रष्ट एवं अवैध कृत्यों और सौदों में लिप्त होकर 'सार्वजनिक पद' (सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के पदों सहित) धारकों द्वारा अर्जित संपत्तियाँ जब्त करने के प्रावधान से संबंधित कानून के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है।

- इस कानून को बेनामी लेनदेन के मामले में उक्त संपत्ति धारक पर यह सिद्ध करने का बोझ डालना चाहिए कि संलग्न संपत्तियां भ्रष्ट सौदों के दौरान प्राप्त धन/संपत्ति की सहायता से नहीं अर्जित की गई हैं; या
- असंगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण के स्रोतों का विवरण देने हेतु इस प्रकार के लोकसेवक को प्रश्नगत किया जाए और यदि वह संतोषजनक रूप से अपनी संपत्ति का विवरण देने में विफल रहता है, तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है।
- वास्तव में, भारत के विधि आयोग ने भ्रष्ट लोक सेवकों की अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्तियों की जब्ती हेतु केंद्र सरकार से संसद में विधेयक पुर:स्थापित की अनुशंसा करते हुए "भ्रष्ट लोक सेवक (संपत्ति की जब्ती) विधेयक" पर अपनी 166 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हालांकि सरकार ने वांछित दिशा में अभी भी कोई कदम नहीं उठाया है।

जब तक लोक सेवकों के भ्रष्ट कार्यों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करने वाला कानून नहीं होगा, तब तक वे भ्रष्ट पद्धतियों का उपयोग करके अपने प्राधिकार का लाभ उठाने और इस प्रकार प्राप्त काले धन को टैक्स हेवन देशों में प्रेषित करने हेतु प्रोत्साहित होते रहेंगे!

(iii) सरकार में नैतिकता के लिए कानून (Legislation for Ethics in Government)

अमेरिका में एथिक्स इन गवर्मन्ट एक्ट मौज़ूद है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं:

- इस अधिनियम में यह उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति एक लोक अधिकारी के रूप में पद धारण करता है तो उसे 30 दिनों के भीतर गिरवी, चल संपत्तियों और ट्रस्ट के तहत लाभ आदि सहित सभी प्रकार की संपत्तियों का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करना आवश्यक होता है।
- यह महाधिवक्ता को जानबूझकर एवं सौद्देश्य मिथ्या घोषणा दाखिल करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध अर्हताप्राप्त अमेरिकी जिला न्यायालय में सिविल कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है और घोषणाकर्ता को अभिरक्षा में लेने का प्रावधान करता है।

VISION IAS

- यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि आम जनता की ऐसी घोषणाओं तक पहुँच होगी। किसी भी अमेरिकी नागरिक को किसी भी वैध उद्देश्य के लिए उक्त रिपोर्टों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है तथा साथ ही यह अधिनियम निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा इन रिपोर्टों की समीक्षा और जाँच करने का प्रावधान करता है।



जवाबदेहिता में वृद्धि करने और भ्रष्टाचार की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए भारत में भी ऐसा ही प्रावधान किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप भारत में सिविल सेवा आचरण नियम विद्यमान हैं। इन नियमों को एथिक्स एक्ट के रूप में सांविधिक दर्जा देने से बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

तथापि, कानून का होना मात्र इसके अनुपालन की गारंटी प्रदान नहीं करता है। अनिच्छुक लोग सदैव कानून से बचने के तरीके खोजेंगे। डोनल्ड ट्रम्प (अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति) इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने कई वर्षों तक अपने कर विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया जबकि यह अमेरिका में उच्चतम पद हेतु प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुस्थापित परंपरा है।

(iv) आपराधिक न्यायिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (Strengthening of criminal judicial system)

जैसा कि चर्चा की गई है, केवल कानूनों का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है। कानून का भय वस्तुतः कानून के उल्लंघन की घटना को कम करने एवं कानून के उल्लंघन को हतोत्साहित करने हेतु पर्याप्त प्रतिबंधात्मक रूप में सुस्थापित होने चाहिए। शासन व्यवस्था में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपराधिक न्यायिक प्रणाली में पुलिस/जाँच एजेंसी, अभियोजन एजेंसी, अधिवक्ता, साक्ष्य और अंततः न्यायपालिका सम्मिलित है।

न्याय तक पहुँच इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोगों को कानून के उचित अनुप्रयोग पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए और कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा अपना कार्य अत्यंत सत्यनिष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। हालांकि, वास्तविकता में कुछ अवरोधक कारक विद्यमान हैं, जैसे:

- पुलिस/जाँच एजेंसियों पर अत्यधिक बोझ।
- विशेष रूप से जटिल अपराधों में अभियोज्यता सिद्ध करने के लिए आधुनिक उपकरणों की कमी।
- नागरिकों के बीच अपने अधिकारों के संबंध में जागरूकता का अभाव।
- विधिक सहायता तक महँगी पहुँच।
- न्यायनिर्णयन की जटिलता, जो लंबी विधिक कार्यवाही को आवश्यक बनाती है।
- न्यायपालिका में रिक्तियाँ और वादों का बोझ संभालने के लिए अपर्याप्त लॉजिस्टिक।
- अभिजात वर्ग, राजनेताओं और नौकरशाही के मध्य उपस्थित गठजोड़ अक्सर आम आदमी तक न्याय की प्रदायगी को बाधित करता है।

इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए वर्तमान में हमें पारदर्शी तंत्र और न्यायिक सक्रियता के अनुसरण में लीक से हटकर कार्य करने की आवश्यकता है। जनहित याचिका और समुदाय आधारित पुलिसिंग (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में है) कुछ अन्य विधियाँ हैं।

1.6. निष्कर्ष (Conclusion)

शुचिता (प्रोबिटी) से सुशासन के विकास में सहायता मिलती है जिससे न केवल सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है अपितु उच्चतर सामाजिक-आर्थिक और मानव विकास का भी मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार, शुचिता में सत्यनिष्ठा की संस्कृति अंतर्निर्विष्ट करने हेतु विभिन्न पहलें आरम्भ करना, सशक्त विधियों का अधिनियमन करना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

VISION IAS

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने शासन में नैतिकता के महत्व पर बल दिया और कहा कि "*एक समाज के रूप में, हमें वह स्तर विकसित करना चाहिए जहाँ शुचिता जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाती है तथा जहाँ ईमानदारी एक सामान्य अपेक्षा होती है। यदि व्यक्ति में सत्यनिष्ठा का गुण विद्यमान है, तो अन्य बातें महत्व नहीं रखती हैं तथा यदि व्यक्ति में सत्यनिष्ठा का गुण विद्यमान नहीं है तब भी अन्य बातें महत्व नहीं रखती हैं। मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि हमें लोक सेवक के रूप में सत्यनिष्ठा का व्यक्तिगत मानक निर्धारित करना होगा और यह संदेश शीर्ष स्तर से निचले स्तर की ओर प्रसारित होना चाहिए, न कि दूसरी तरफ। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और योग्यता के मूल्य हमारी सिविल सेवाओं के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।*"

संसदीय लोकतंत्र में 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के ढांचे के भीतर राजनीतिक कार्यकारिणी और सिविल सेवाओं के बीच उत्तरदायित्वों की स्पष्ट सीमा तय करने की आवश्यकता है। इसका साधारण सा यह अर्थ है कि एक बार मंत्रालय द्वारा निर्णय ले लिए जाने के बाद, नेता अर्थात् मंत्री को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। तंत्र ऐसा होना चाहिए कि घोटाले को दंड से मुक्त नहीं किया जा सके या केवल नौकरशाहों को दंडित करके इस मामलें को समाप्त नहीं किया जा सके- घोटाले के लिए उत्तरदायी 'बड़ी मछली' को भी दंडित किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को भविष्य में प्रश्नगत करने या उन्हें आपराधिक षडयंत्र के मामले के रूप में देखने की सम्भावना सिविल सेवाओं को सर्वाधिक पंगु बनाती है। दुराचार का उत्तरदायित्व त्वरित रूप से सिद्ध की जानी चाहिए और दोषी को दृष्टांग योग्य दंड से दंडित किया जाना चाहिए।



2. लोक सेवा की अवधारणा (Concept of Public Service



लोक सेवा वस्तुतः जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जनता की जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रावधान से संबंधित है। लोक सेवा, मानव जाति के इतिहास में यदि सर्वाधिक महान तो नहीं परन्तु सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक व्यापक और सराहनीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तव में, सभ्यता और लोक सेवा एवं प्रशासन एक-दूसरे से घनिष्ठतापूर्वक संबंधित है और एक दूसरे को सुदृढ़ बनाते और सहयोग करते हैं। पूर्व और पश्चिम के परंपरागत समाजों में, सामुदायिक कल्याण हेतु स्वैच्छिक सेवा और व्यावसायिक अनुबंध के आधार पर निष्पादित पारिश्रमिक युक्त कार्यों के बीच थोड़ा सा ही अंतर किया गया था। हालांकि, राज्य की अवधारणा के विकास के साथ, संरचित सिविल सेवा इसके (राज्य के) विचार के केंद्र में रही है। मौर्य साम्राज्य के समय से, भारत में सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन करने वाली एक विस्तृत लोक सेवा विद्यमान रही है।

2.1. सेवा की सार्वजनिकता का मापन (Measuring Publicness of a Service)

जनता अर्थात् सामान्य नागरिकों द्वारा सरकार से की जाने वाली अपेक्षाएँ परिवर्तित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, कई निजी संस्थाएँ वे सेवाएँ प्रदान कर रही हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से 'सार्वजनिक' सेवा माना जाता था। सिंगापुर विश्वविद्यालय के एम. शमसुल हक के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख आयामों के साथ सेवा की 'सार्वजनिकता' (publicness) का मापन किया जा सकता है:

- निजी क्षेत्र से इसके भेद की सीमा: हक निष्पक्षता, खुलेपन, समानता और प्रतिनिधित्व को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक विशेषताओं के रूप में पहचान करते हैं।
- सेवा प्राप्तकर्ताओं का दायरा और संरचना: हक के अनुसार, सेवा प्राप्तकर्ताओं की संख्या जितनी अधिक होती है और इनका दायरा जितना व्यापक होता है, सार्वजनिकता की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है, और वह 'सभी नागरिकों का हित सम्मिलित करने वाले साझा और सार्वभौमिक रूप से सुलभ कार्यक्षेत्र को संदर्भित करते हैं।
- इसकी सामाजिक आर्थिक भूमिका का परिमाण और तीव्रता: सेवा का सामाजिक प्रभाव जितना व्यापक होता है, इसकी सार्वजनिकता का स्तर भी उतना ही अधिक होता है।
- इसके सार्वजनिक जवाबदेहिता की मात्रा: इसका विस्तार संस्थानों के अस्तित्व से परे उस सीमा तक होता है, जहाँ तक ये संस्थान समाज के विशेष वर्गों या भाग से प्रभावित होते हैं।
- सार्वजनिक विश्वास का स्तर: अर्थात, कितने लोग सेवा की विश्वसनीयता, नेतृत्व या उत्तरदायित्व पर भरोसा करते हैं।

2.2. लोक सेवा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत (Principles Guiding Public Service)

वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र अपनी दक्षता में वृद्धि करने हेतु निजी क्षेत्र के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि लोक सेवा में निहित भावना कमजोर हो सकती है? इस संबंध में, यह आवश्यक है कि निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा सभी सिविल सेवा संस्थानों और उनके कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए:

(i) नैतिक शिक्षा (Ethical Education)

नैतिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है तथा सभी स्तरों पर सभी शैक्षिक प्रणालियों का भाग होनी चाहिए। हालांकि, विश्व के किसी भी देश में लोक सेवा में अपना करियर बनाने हेतु प्रशासनिक नीतिशास्त्र में शिक्षा और प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों प्रकार के नीतिशास्त्र सम्मिलित होने चाहिए।

VISION IAS



वहीं दूसरी ओर, सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित परामर्श दिए जाने चाहिए:

- नैतिक और आचार-सम्बन्धी सिद्धांतों से स्वयं को शिक्षित करें और नैतिक रूप से कार्य करें।
- सिद्धांतों से समझौता न करें।
- असंवैधानिक, अनैतिक, अवैध और अनीतिशास्त्रीय आदेशों का पालन नहीं करें और उचित चैनलों के माध्यम से उन्हें प्रकट करें।

(ii) पेशेवर एवं वैयक्तिक सत्यनिष्ठा का संरक्षण (Preservation of Professional and Personal Integrity)

पेशेवर मूल्य वरिष्ठों के संदिग्ध संगठनात्मक या व्यक्तिगत आदेशों से अधिक प्रबल होने चाहिए। इसके लिए स्व-विनियमन, ज्ञान, आत्म-नियंत्रण, एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक हितों एवं सार्वजनिक विश्वास के प्रति निजी हितों को कम महत्व देने आदि की आवश्यकता होती है।

(iii) विवेक (Prudence)

विवेक के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता और विशेष परिस्थितियों के संबंध में नीतिपरक समझ के आधार पर आत्म-नियंत्रित, विवेकाधीन निर्णय की आवश्यकता होती है।

(iv) लोक सेवा भावना (Public spirit)

निजी हित, सार्वजनिक एवं सामुदायिक हितों के अधीन होने चाहिए। निर्णय प्रक्रिया या प्रशासक के रूप में कार्य करने के दौरान व्यक्ति को पहले सार्वजनिक विश्वास और नागरिकों के हितों के संबंध में अवश्य सोचना चाहिए तथा तत्पश्चात अपने संबंध में सोचना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करने और सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक समय लोकहित को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(v) नीतिपरक आचार संहिता (Code of Ethics)

लोक प्रशासन में नीतिपरक आचार संहिता (CoE), लोक सेवा आचार के मार्गदर्शक कानूनों, नियमों, विनियमों और मानदंडों का लिखित और अलिखित संग्रह या व्यवस्था है।

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि CoE से नैतिकता का प्रसार होगा तथा तत्पश्चात सब संहिताबद्ध किया जाएगा। हालांकि, यह अवांछित है क्योंकि इससे नौकरशाही में निष्क्रियता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पुनः, स्पष्टता और कठोरता के अभाव ने लाभ उठाने एवं बचाव के कई मार्ग उत्पन्न किए हैं। संहिताबद्ध नीतिपरक आचार संहिता से वस्तुनिष्ठता में वृद्धि होगी। कुछ नीति संहिता में अनैतिक व्यवहारों पर प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं, जबकि अन्य CoE, लोक सेवकों के प्रति आकांक्षापूर्ण होती हैं तथा उनके मार्गदर्शन का कार्य करती हैं।

(vi) सकल गुणवत्ता प्रबंधन की भावना का समावेशन {(Internalization of a sense Total Quality Management (TQM)}

किसी भी कार्य को प्रथम बार में ही सही ढंग से करने का विचार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि निम्न गुणवत्ता वाले कार्य के प्रतिकृतिकरण (डुप्लीकेशन) या दोहराव की महंगी त्रुटि में कमी की जा सके। लोक हित और आत्म-सिद्धि के लिए प्रेरणा की भावना, कार्य नीतिशास्त्र (वर्क एथिक्स) के समावेशन में सहायता करती है।

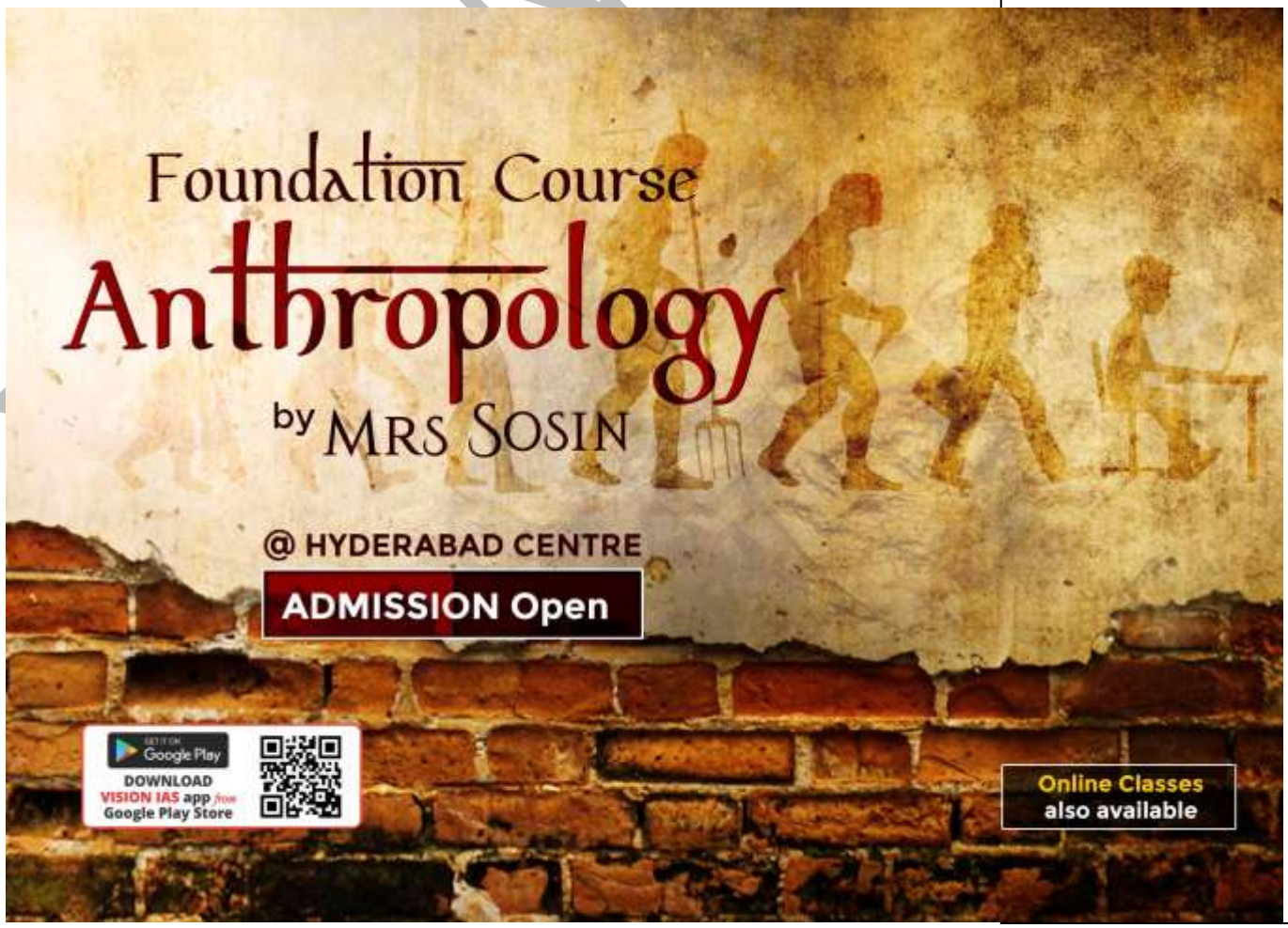
VISION IAS

2.3. निष्कर्ष (Conclusion)



नागरिक, संप्रभुता के स्रोत हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण, वे जवाबदेहिता की माँग करने वाले करदाता हैं। अतः उनके साथ इसी के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उन्हें केवल बाजार के उपभोक्ता या ग्राहक ही नहीं माना जाना चाहिए। सुभेद्य लोगों की उपेक्षा करते हुए केवल कुछ के लाभ पर ध्यान केंद्रित करने वाली लोक सेवा के प्रति दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। गरीब समर्थित विकास नीतियां केवल तभी समावेशी होंगी जब गरीबों को विकास प्रक्रिया में हितधारक बनाया जाएगा और न कि तब जब वे केवल पुनर्वितरित लाभ के प्राप्तकर्ता होंगे। बाजार लोक सेवा का विकल्प नहीं हैं। इसके बजाय, मजबूत प्रशासन, लोक सेवा और उत्तरदायित्व पूर्ण नागरिकता आदि, व्यापार-अनुकूल परिवेश, बाजारों के सुचारू परिचालन, प्रभावी लोकतंत्र और सामाजिक शांति हेतु अनिवार्य शर्त हैं।

लोक सेवकों का प्राथमिक उत्तरदायित्व कानून का प्रवर्तन, विभिन्न सार्वजानिक सेवाओं, जैसे- भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदाओं के दौरान राहत आदि की व्यवस्था करना है। साथ ही, वे विवादों के निपटान और अनुबंधात्मक दायित्वों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी हैं। ये कर्तव्य वस्तुतः विभिन्न विधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का अन्य नागरिकों के ऊपर प्रयोग करने हेतु आवश्यक हैं, जिसका सिविल सेवक कानून के अंतर्गत प्राप्त प्राधिकार के माध्यम से प्रयोग करते हैं। साथ ही लोक सेवक सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को भी कार्यान्वित करते हैं। इसके लिए एक निश्चित चरित्र, न्याय और निष्पक्षता की भावना, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक न्याय प्रदान करने में सक्षम होने के लिए, समालोचनात्मक चिंतन की क्षमता और निष्पक्षता एवं प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान आवश्यक गुण हैं जिन्हें सभी लोक सेवाओं के कुशल प्रदायगी के लिए पालन किया जाना चाहिए।





3. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न (Past Year UPSC Questions)

1. लोक-जीवन में 'सत्यनिष्ठा' (प्रोबिटी) से आप क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं? इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं?
2. लोक-सेवा के सन्दर्भ में 'जवाबदेही' का क्या अर्थ है? लोक-सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?
3. अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती हैं। परन्तु, ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, जहाँ सम्पन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं? उदाहरण के द्वारा अपने उत्तर को सम्पुष्ट कीजिए।
4. आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता सेलों/आयोग की स्थापना, आर. टी. आई., सक्रिय मीडिया और विधिक यांत्रिकत्वों के प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचारपूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे हैं।

   (क) इन उपायों की प्रभावशीलता का औचित्य बताते हुए मूल्यांकन कीजिए।

   (ख) इस खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइए।
5. "भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरूपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है।" कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए।

4. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न (Vision IAS Test Series Questions)

1. **नीतिशास्त्र, भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहली रक्षा पंक्ति है, जबकि कानून का प्रवर्तन उपचारात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक है। उचित उदाहरणों के साथ उक्त कथन का परीक्षण कीजिए।**

दृष्टिकोण:

- भ्रष्टाचार निवारण में नीतिशास्त्र एवं कानून के महत्व की व्याख्या कीजिए।
- उक्त कथन की सविस्तार व्याख्या कीजिए एवं उदाहरण सहित इसका औचित्य सिद्ध कीजिए।

उत्तर:

नीतिशास्त्र वस्तुतः उचित एवं अनुचित आचरण के संबंध में भली-भाँति स्थापित मानकों को संदर्भित करती है, जो सामान्य रूप से हमारे अधिकारों, दायित्वों, निष्पक्षता या विशिष्ट

गुणों का निर्धारण करती है कि हमें क्या करना चाहिए। कानून सामान्यतः नैतिक ढांचे पर आधारित होते हैं एवं उनका लक्ष्य समाज में लोगों के अनुचित या अनैतिक व्यवहार को नियंत्रित करते हुए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना होता है।



कानून व्यक्ति पर सरकार द्वारा अधिरोपित मानकों एवं नियमों के बाह्य समुच्चय के रूप में कार्य करता है। कानून की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति निर्धारित अर्थदंड और सजा का भागी होता है, इस प्रकार कानून लोगों को गैर-अनुपालन से विरत करता है। कानूनों में सामाजिक अनुज्ञा एवं स्वीकृतियाँ समाहित होती हैं और इस प्रकार वे समाज की सुचारु कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। समृद्ध एवं शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मोटे तौर पर कानूनों का उल्लंघन किए जाने का तथ्य समाज में नैतिकता के मूलभूत अभाव का संकेत देता है।

नीतिशास्त्र व्यक्ति के लिए ऐसी स्थितियों में भी दिशानिर्देशक यंत्र का कार्य करती है जहाँ कानून भी अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली के संबंध में मौन होता है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण प्रशासक की भूमिका है, जहां विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। विवेकाधिकार भ्रष्टाचार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है और नैतिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सामाज कल्याण की कीमत पर भी धन-अर्जित करने की प्रवृत्ति का सरलतापूर्वक शिकार हो सकता है। इसलिए संबंधित विषय पर कोई कानून विद्यमान न होने पर भी नीतिशास्त्र भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहली रक्षा पंक्ति है।

एक अन्य उदाहरण लें, संभव है कि सरकार यह निर्दिष्ट करने हेतु कानून न बनाए कि किसी कंपनी को अपने उत्पादों को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक सुरक्षित या सरलतापूर्वक पुनर्चक्रण योग्य बनाना चाहिए, किंतु ऐसा करना नैतिक हो सकता है। जिम्मेदार और नैतिक रुप से जागरुक संगठन इन उपायों को कानूनों द्वारा अनिवार्य घोषित न किए जाने पर भी ध्यान में रखेगा।

नीतिशास्त्र सभी समुदायों के लिए भ्रष्टाचार को रोकने हेतु मजबूत सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है, जबकि कानून प्रतिक्रियात्मक होते हैं और केवल उपचार के रूप में कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का स्थाई समाधान केवल नैतिकता के आंतरिक समावेश द्वारा ही प्राप्त होगा, यह उपलब्धि बाह्य रूप से आरोपित बलों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। बाह्य व्यवस्थाएँ केवल पुरस्कार या सजा देने की प्रवृत्ति तक ही प्रभावी होती है, जबकि आत्मसात की गई अंतर्निहित मूल्य प्रणाली जीवनोपरांत साथ देगी।

2. खुली सरकार पारदर्शिता और सूचना की स्वतंत्रता से भी अधिक व्यापक अवधारणा है। सविस्तार व्याख्या कीजिए।

दृष्टिकोण:

- सर्वप्रथम, पारदर्शिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसके बाद खुली सरकार (ओपन गवर्नमेंट) के आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए।
- उत्तर के अंतिम भाग में खुली सरकार पारदर्शिता से भी अधिक व्यापक कैसे है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

VISION IAS

उत्तर:



पारदर्शिता खुली सरकार की एक आवश्यक विशेषता है। पारदर्शिता से तात्पर्य है कि सरकारी निकायों के कार्यकलापों की सूचना, कुछ सीमित अपवादों के साथ, समयबद्ध ढंग से, खुले आंकड़ा प्ररूपों में और पुनर्प्रयोग पर प्रतिबंधों के बिना तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराई जाए। पारदर्शिता तंत्र में लोगों के अनुरोधों पर सूचना का वितरण और सरकारी निकायों द्वारा सक्रियता से उनका प्रकाशन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। निजी संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना सीधे तौर पर अथवा सरकारी निकायों के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

किंतु खुली सरकार के दो अन्य आवश्यक तत्व हैं, वे हैं - सहभागिता एवं उत्तरदायित्व।

सहभागिता का तात्पर्य नीतिगत विकल्पों और निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लोगों के शामिल होने से है। इसके तहत लोग समाज तथा प्रजातंत्र के व्यापक हित में नीतियों, कानूनों और निर्णयों के प्रति विचार और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारों को चाहिए कि वे नागरिकों को सार्वजनिक विचार-विमर्श में सक्रियता से संघटित करें। ऐसे तंत्र होने चाहिए जो जनता को चिंता के विषयों पर अपनी पहल पर भाग लेने और नीति पर विमर्श शुरू करने की अनुमति दें।

एक उत्तरदायी सरकार वह है, जो आचरण और सत्यनिष्ठा के मापदंडों को बनाए रखते हुए और अपने निर्णयों तथा कार्यकलापों का विवरण देते और दायित्व लेते हुए, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक है कि सरकारी शक्ति के प्रयोग और सरकारी धन के व्यय पर नियंत्रण स्थापित करते हुए नियम, विनियम और तंत्र अपने स्थान पर हों। भ्रष्टाचार की घटनाओं को कम करने, हितों के संघर्षों की पहचान और रोकथाम करने तथा अवैध संपन्नीकरण पर नियंत्रण करने के लिए विशिष्ट और विस्तृत उपायों की आवश्यकता है। जो गलत कार्यों को सामने लाएं उनके लिए सुरक्षा के उपाय होने चाहिए।

इस तरह एक खुली सरकार में पारदर्शिता के माध्यम से खुलापन एक ऐसे सक्षम वातावरण में बृहत्तर नागरिक सहभागिता का साधन बन जाता है, जहां सरकार के कार्यकलाप को समझने और नागरिक की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकारी सेवक अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं या नहीं इसकी जांच करने के लिए सूचना का मुक्त प्रवाह होता हो। जवाबदेही के सभी चार घटक अर्थात् उत्तरदायित्व, अनुमोदन, प्रतिकार और प्रणाली में सुधार, सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं। अंततः सहभागी बजट निर्माण, नागरिक लेखा परीक्षण द्वारा भ्रष्टाचार पर निगरानी आदि के रूप में शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता इसे (खुली सरकार को) एक खुले समाज की एक प्रजातांत्रिक संस्कृति का रूप देती है, जिसकी ओर प्रत्येक उदार प्रजातंत्र अग्रसर है।

3. यद्यपि कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए विवेकाधिकार आवश्यक है, किंतु यह प्रशासन के सभी स्तरों में भ्रष्टाचार का भी एक प्रमुख कारक है। टिप्पणी कीजिए। इस प्रसंग में कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार में अधिकतम कमी करते हुए उत्तरदायित्वों का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

VISION IAS

दृष्टिकोण:



- सर्वप्रथम प्रशासन में विवेकाधिकार का अर्थ समझाइए।
- फिर यह समझाइए कि कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए विवेकाधिकार क्यों आवश्यक है।
- व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार विवेकाधिकार भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- अंत में, उत्तरदायित्वों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार में अधिकतम कमी लाने के उपाय सुझाइए।.

उत्तर:

विवेकाधिकार का अर्थ अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेने अथवा कार्य करने की शक्ति है। भारतीय कानून प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। हालांकि, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं, बल्कि कानून और विनियम के दायरे में होना चाहिए।

प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियां काफी विस्तृत हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अनुरक्षण जैसे कार्यों के साथ ही संपत्ति के अधिग्रहण, व्यापार, उद्योग या व्यवसाय के विनियमन, जांच, संपत्ति की जब्ती तथा कुर्की, कार्यकारी अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के अधीन किसी व्यक्ति की नजरबंदी तथा अन्य कई कार्य जैसे व्यक्ति के अधिकारों को गंभीरतापर्वक प्रभावित करने वाले कदम आदि इन विवेकाधीन शक्तियों में सम्मिलित हैं। उनके कार्यों की सूची व्यापक प्रकृति की है।

प्रशासनिक विवेकाधिकार की समस्या जटिल है। पूर्ण विवेकाधिकार के प्रशासन के दावे और इसके उचित प्रयोग के व्यक्तियों के दावों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है।

इसे दो प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है: पहला न्यायिक और दूसरा गैर-न्यायिक। इन्हें नियंत्रित करने के बहुत सारे तरीके हैं।

न्यायिक नियंत्रण

न्यायपालिका को दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर्वप्रथम, उसे विधायिका को निर्देशित करना चाहिए कि वह कार्यपालिका को विस्तृत और असीमित विवेकाधिकार न प्रदान करे, और दूसरा बिंदु यह है कि विवेक के अधीन किए गए प्रत्येक कार्य को न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत आना चाहिए। इस प्रकार न्यायपालिका विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में व्यवस्था दी है कि:

- प्रशासनिक विवेकाधिकार का विवेक, न्याय के नियमों के अनुसार हो न कि निजी राय के अनुसार अर्थात् कानून के अनुसार न कि अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए।
- इसे मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं, बल्कि कानून और विनियम के दायरे में होना चाहिए।

VISION IAS

- इसका ऐसी सीमा के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम ईमानदार व्यक्ति अपने आपको समायोजित कर सके।



गैर-न्यायिक नियंत्रण

हमें ऐसे नियमों का समावेश करना चाहिए जिनका पालन विवेकाधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी के लिए अनिवार्य हो। यदि विधायिका विवेकाधिकार को नियंत्रित करने वाले क़ानून में इस प्रकार के मानदंड बनाए रखने में विफल रहती है, तो प्रत्यायोजित विधायन की सहायता से प्रशासन द्वारा उन मांनदंडों का समावेश किया जाना चाहिए। आचरण संहिता और नीतिपरक आचार संहिता जैसे तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय आत्म अनुशासन का पालन किया जाए। CVC, CBI, लोकपाल आदि जैसे विभिन्न संस्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि विवेकाधिकार के दुरुपयोग की घटना सामने आए और ऐसे अधिकारी को दण्डित किया जाए। ऐसे कदम अंततः भविष्यगामी निवारक के तौर पर कार्य करते हैं।

अत: उपरोक्त तंत्र के माध्यम से, विवेकाधिकार के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है, तथा प्रशासनिक निर्णय लेते समय लचीलापन भी बनाए रखा जा सकता है।



5. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज (UPSC: Case Studies)



1. एक जन सूचना अधिकारी (PIO) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से सम्बन्धित है, जो पूर्णरूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा उसके अन्य मित्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती है, जिसमें दंड भी संभावित है। सूचना प्रकट न करने या आंशिक या छद्मावरित सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड-मुक्ति भी मिल सकती है।
PIO अन्यथा एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है पर यह विशिष्ट निर्णय, जिसके सम्बन्ध में RTI आवेदन दिया गया है, गलत निकला। वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आया है।
नीचे सुझावों के कुछ विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन कीजिए :
   (i) PIO इस मामलें को अपने ज्येष्ठ अधिकारी को उसकी सलाह के लिए संदर्भित करे और कड़ाई से उसी के अनुसार कार्यवाही करे चाहे वह स्वयं उस सलाह से पूर्णतया सहमत न हो।
   (ii) PIO छुट्टी पर चला जाए और मामले को अपने उत्तराधिकारी (कार्यालय में) पर छोड़ दे या सूचना आवेदन को किसी अन्य PIO को स्थानान्तरण का निवेदन करे।
   (iii) PIO सच्चाई के साथ सूचना प्रकट करने व अपनी जीविका पर उसके प्रभाव पर मनन करके इस भांति उत्तर दे जिससे वह या उसकी जीविका पर जोखिम न आए पर साथ ही सूचना की अन्तर्वस्तु पर कुछ समझौता किया जा सकता है।
   (iv) PIO उन सहयोगियों, जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे, से परामर्श करे और उनकी सलाह के अनुरूप कार्यवाही करे।
अनिवार्य रूप से केवल उपरोक्त विकल्पों तक सीमित न रखते हुए आप अपनी सलाह दीजिए और उसके उचित कारण भी बताइए।

2. इंजीनियरी की एक नई स्नातक (ग्रेजुएट) को एक प्रतिष्ठावान रासायनिक उद्योग में नौकरी मिली है। वह कार्य को पसन्द करती है। वेतन भी अच्छा है। फिर भी, कुछ महीनों के पश्चात् इत्तफ़ाक़ से उसने पाया कि उच्च विषाक्त अवशेष को गोपनीय तरीके से नज़दीकी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। यह अनुप्रवाह में रहने वाले ग्रामीणों, जो पानी की आवश्यकता के लिए नदी पर निर्भर हैं, के स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। वह विचलित है और वह अपनी चिन्ता सहकर्मियों को प्रकट करती है, जो लम्बे समय से कम्पनी के साथ रहे हैं। वे उसे चुप रहने की सलाह देते हैं क्योंकि जो भी इस विषय का उल्लेख करता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह अपनी नौकरी खोने का ख़तरा नहीं ले सकती, क्योंकि वह अपने परिवार की एकमात्र जीविका चलाने वाली है तथा उसे अपने बीमार माता-पिता एवं भाई-बहनों का भरण-पोषण करना होता है। प्रथमतः वह सोचती है यदि उसके वरिष्ठ चुप हैं, तो वह ही क्यों अपनी गर्दन बाहर निकाले। परन्तु उसका अन्तःकरण नदी को एवं नदी पर

VISION IAS

निर्भर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। अन्तःकरण से वह महसूस करती है कि उसके मित्रों द्वारा चुप रहने का दिया गया परामर्श उचित नहीं है, यद्यपि वह उसके कारण नहीं बता सकती है। वह सोचती है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तथा वह आपका परामर्श पूछती है।

(a) चुप रहना उसके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है, यह दर्शाने के लिए आप क्या तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं?

(b) आप उसे कौन-सा रास्ता अपनाने की सलाह देंगे और क्यों देंगे?

3. वित्त मंत्रालय में एक वरीय अधिकारी होने के नाते, सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले कुछ नीतिगत निर्णयों की गोपनीय एवं महत्त्वपूर्ण सूचना की आपको जानकारी मिलती है। इन निर्णयों के भवन एवं निर्माण उद्योग पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि भवन निर्माताओं को पहले ही यह जानकारी मिल जाती है, तो वे उससे बड़े लाभ उठा सकते हैं। निर्माताओं में से एक ऐसा है जिसने सरकार के लिए अच्छी गुणवत्ता का काफ़ी काम किया है और वह आपके आसन्न वरिष्ठ अधिकारी का घनिष्ठ है जिन्होंने आपको उक्त सूचना का उस निर्माता को अनावृत करने के लिए संकेत भी दिया है।

(a)आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे। उसके कारण भी बताइए।



6. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज (Vision IAS Test Series Questions: Case Studies)



1. संध्या ने हाल ही में अपना बीकॉम पूरा किया था और अपनी ड्रीम जॉब को ध्यान में रखते हुए एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कार्य करने हेतु अपनी नियुक्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थी। अपने शुरुआती दिनों में उसने अनुदान की राशि के कुप्रबंधन और त्रुटिपूर्ण आबंटन को नोटिस किया। उसके कुछ सहकर्मी भी अपने व्यक्तिगत कार्यों हेतु बैंक की संपत्ति, जैसे- कार, सामग्री आदि का प्रयोग कर रहे थे।

हालाँकि संध्या को सबसे ज्यादा हैरानी कार्यालय में होने वाली भर्ती के तरीकों को देख कर हुई। नौकरियों के आवेदकों को परीक्षा में बैठना होता था जिसकी निगरानी बैंक के कर्मचारी करते थे। संध्या ने देखा कि परीक्षा नियंत्रक ही स्वयं आवेदकों को नक़ल करवा रहे थे क्योंकि इन आवेदकों को पहले से ही चुन लिया गया था। पूर्व चयनित बहुत से इन आवेदकों में से कई बैंक के कार्यरत कर्मचारियों के मित्र थे।

संध्या ने जो देखा था, उसने उसे महेश को बताया जो कि शाखा का सहायक प्रबंधक हैं और जो शाखा प्रबंधक के बाद द्वितीय स्थान के पद पर है। महेश ने संध्या से कहा कि आपने "न हीं कुछ सुना, न हीं आपने कुछ देखा और आप कुछ कहेंगी भी नहीं"। इसे लेकर संध्या एकदम हैरान थी, केवल भ्रष्टाचार के कारण से ही नहीं बल्कि इस कारण से भी कि इसे जानबूझकर दबाया जा रहा था।

संध्या दुविधा की स्थिति में थी। उसे अपने ऋणों की भरपाई के लिए नौकरी की अत्यंत ज़रुरत थी और उसे यह कार्य पसंद भी आ रहा था। उसे इस बात की भी चिंता थी कि एक वर्ष से भी कम समय के अंदर ही नौकरी छोड़ना गलत होगा, साथ ही यह भविष्य में किसी सरकारी संस्थान में नौकरी की सम्भावना को भी धूमिल कर देगा। वहीं, दूसरी तरफ वह भ्रष्टाचार के इस माहौल में अत्यंत ही असहज महसूस कर रही थी।

(a)संध्या के पास में कौन.कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b)इन विकल्पों में से सभी का मूल्यांकन कीजिए और उचित कारण बताते हुए ऐसे विकल्प का चुनाव कीजिए जो आपको स्वीकार्य हो।

उत्तर:

संध्या एक विचित्र दुविधा में है जहां वह अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहती, किन्तु भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे ऐसे कार्यात्मक माहौल का मूक दर्शक भी बन कर नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि इस मुद्दे को अनदेखा करना सार्वजनिक खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा तथा बैंक की कार्यप्रणाली में अकुशलता उत्पन्न करेगा। चूँकि संध्या इस मुद्दे को महेश के सामने लाकर उसका समाधान पाने में असफल रही थी, अतः इस स्थिति में शाखा प्रबंधक को इस मुद्दे के बारे में रिपोर्ट करने का निर्णय सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

संध्या के पास उपलब्ध कुछ विकल्प निम्नलिखित हैं:

(a) चूँकि इस मामले से उस पर कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ता, तथा इस सम्बन्ध में उठाया गया कोई कदम व्यक्तिगत रूप से उस पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। अतः वह इस मुद्दे को पूरी तरह दरकिनार कर सामान्य तरीके से अपना कार्य जारी रख सकती है।

VISION IAS



(b) वह इस मामले को शाखा प्रबंधक को रिपोर्ट करेगी तथा इस बात को उजागर करेगी कि किस प्रकार उसे इस मामले में मुंह बंद रखने को कहा गया था।

(c) चूँकि दोनों पूर्व कदमों में से किसी से भी उसे संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा वह नौकरी से त्यागपत्र दे सकती है।

(d) वह एक व्हिसल ब्लोअर बन सकती है। वह निगरानी विभाग में से किसी भी व्यक्ति को जो बैंक के काम-काज पर नजर रख रहा हो, मामले की जानकारी दे सकती है, क्योंकि यह सार्वजनिक पैसा है जो ऐसी गतिविधियों के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है।

विकल्प (a) यदि हम अधिकार/कर्तव्य, निष्पक्षता और आम दृष्टिकोण के अनुसार बात करें तो यहाँ संध्या का यह कर्तव्य बनता है कि वह बैंकिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा को बरकरार रखे। बर्बाद किया जा रहा पैसा सार्वजनिक राशि है, इसलिए ऐसी कोई भी गतिविधि अंततोगत्वा लोक हित को नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा, त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाएं बैंक की कार्य प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगी तथा इसकी कुशलता एवं प्रभावकारिता को भी हानि पहुंचाएगी जो आगे जा कर जनता और समाज के हितों पर प्रहार करेगा। इसलिए संगठन पर भविष्य में पड़ सकने वाले खतरनाक प्रभावों के डर से मुद्दे की उपेक्षा करना नैतिकता के विरुद्ध होगा।

हालांकि मुद्दे को अनदेखा करना संध्या को किसी विवाद में पड़ने की परेशानी से बचायेगा तथा उसकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा, अंततोगत्वा इसका परिणाम न तो संगठन और न ही संध्या के लिए अच्छा होगा।

विकल्प (b) इसे हम निम्नलिखित के माध्यम से समझ सकते हैं:

सद्गुण दृष्टिकोण: सत्यनिष्ठता एवं सम्मान दो ऐसे गुण हैं, जिसे व्यक्ति को स्वयं में समाहित करना चाहिए और इन्हें विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। व्यक्ति स्वयं से पूछ सकता है कि एक मनुष्य चरित्र के किस उच्चतम स्तर की आकांक्षा कर सकता है? ऐसे में व्यक्ति स्पष्ट रूप से सत्यनिष्ठता एवं ईमानदारी के गुणों को पहचान लेता है। उसी प्रकार, व्यक्ति को स्वयं के मान्य मूल्यों के अनुसार जीने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो इस विशिष्ट मामले में सत्यनिष्ठता एवं शुचिता को बढ़ावा देता है। इसलिए सबसे उपयुक्त विकल्प मामले के बारे में शाखा प्रबंधक को रिपोर्ट करना ही प्रतीत होता है।

विकल्प (c) इस बात पर विचार करते हुए कि संध्या को अपने ऋण का भुगतान करना है तथा इस प्रकार का कोई भी कदम उसके बायोडाटा में अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगा तथा यह उसके भविष्य पर विपरीत असर डालेगा, नौकरी से त्यागपत्र देना सुसंगत नहीं प्रतीत होता। हो सकता है इससे संध्या किसी भी प्रकार की भविष्य की परेशानी से बच जाए, किन्तु यह कदम उसे इससे भी बड़ी परेशानी में धकेल देगा, क्योंकि उसकी नौकरी तो जायेगी हीं, उसके परिवार की आजीविका पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे किसी भी कदम का अर्थ होगा परिस्थिति से पलायन करना तथा दूसरों की गलतियों के लिए स्वयं को दण्डित करना।

विकल्प (d) यह विकल्प भी एक संभावित विकल्प मात्र ही प्रतीत होता है, किन्तु व्हिसल ब्लोविंग भी एक दुधारी तलवार के सामान है तथा इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब अन्य सारे विकल्प आजमाए जा चुके हों। हो सकता है, मुद्दे को शाखा प्रबंधक की निगाह में लाये जाने पर वह इसमें संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करे। बिना इस कदम

VISION IAS

को आजमाए इस मुद्दे की मुखबिरी करना एक जल्दबाजी भरा कदम हो सकता है जिससे बैंक की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है।



2. **बड़े फर्म प्राय: वृहद् अवसंरचना परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्राय: उप-संविदा (सब-कॉन्ट्रैक्ट) प्रदान करती हैं। आप हाल ही में इन संविदाओं को प्रदान करने हेतु एक जिम्मेदार प्रबंधक के तौर पर इस प्रकार की एक फर्म में सम्मिलित हुए हैं। पिछले रिकार्डों को देखने पर आपको ज्ञात होता है कि पिछले कुछ वर्षों में सभी संविदाएँ एक विशिष्ट फर्म X को दी गयी हैं। आपके वरिष्ठ (सीनियर) ने एक भावी संविदा को उसी फर्म को प्रदान करने के लिए आपसे कहा है। यद्यपि बाध्यकारी न होते हुए भी, फर्म उप-संविदात्मक कार्यों को प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करती रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संचालनों एवं वित्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त फर्म को संविदा प्राप्त हो। जब आप अपने वरिष्ठ से इसकी चर्चा करते हैं तो वह जोर देता है कि कम्पनी X को कम्पनी के विधिक मानदण्डों के अनुसार नियुक्त किया गया है और किसी भी आधिकारिक नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। आप X फर्म के मालिक से संपर्क करने का निर्णय करते हैं। ऐसा करने के बाद, आपको ज्ञात होता है कि वह आपके वरिष्ठ अधिकारी का भतीजा है, और उस फर्म में आपके वरिष्ठ की भी हिस्सेदारी (शेयर) हैं।**

(a) इस मामले में समाहित नैतिक मुद्दों को स्पष्ट कीजिए।

(b) क्या दो निजी पक्षों के बीच इस प्रकार के लेन-देन में हितों का टकराव निहित होता है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए।

(c) ऐसी स्थिति में संविदा प्रदान करने के संभावित तरीकों का उनके गुणों एवं अवगुणों के साथ मूल्यांकन कीजिए। साथ ही स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक स्थिति में कौन-सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी।

दृष्टिकोण:

- इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों का उल्लेख कीजिए।
- मूल्यांकन कीजिए कि आपके वरिष्ठ अधिकारी का फर्म X के मालिक से रिश्ते और कंपनी में एक शेयरधारक होने की जानकारी के कारण हितलाभ की स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं।
- ऐसी स्थिति में संविदा प्रदान करने के तरीके का उनके गुणों और अवगुणों सहित उल्लेख करते हुए सुझाव दीजिए।
- इस परिदृश्य में अपनी संभावित कार्यवाही का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

बुनियादी तथ्य: इस स्थिति में, वह कंपनी जहां मैं काम करता हूँ, बार-बार एक निजी फर्म X को प्रतिस्पर्धी निविदा का आयोजन किये बिना उप-संविदा प्रदान कर रही है। कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुसार इस प्रतिस्पर्धी निविदा का आयोजन किया जाना चाहिए। मामला हितों के टकराव के मुद्दे पर प्रकाश डालता है, क्योंकि फर्म X का मालिक मेरे वरिष्ठ अधिकारी का भतीजा है और वह फर्म का एक शेयरधारक भी है।

प्रमुख हितधारक:

- मैं स्वयं, क्योंकि मैं कंपनी का प्रबंधक हूँ और संविदा प्रदान करने की जिम्मेदारी मेरी है।
- मेरे वरिष्ठ अधिकारी, जो फर्म X के एक शेयरधारक हैं और साथ ही साथ उस कंपनी के एक कर्मचारी हैं जहां मैं काम करता हूँ।

VISION IAS



- फर्म X का मालिक क्योंकि हमारी कंपनी द्वारा किए गए फैसले से उसके व्यावसायिक हित प्रभावित होंगे।
- अन्य फर्मों के मालिक जो कंपनी की संविदा प्राप्त करने की होड़ में हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिस्पर्धी निविदा की प्रक्रिया में एक उचित अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है।
- कंपनी के शेयरधारक, जो अनुचित फैसले के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- उपभोक्ता, जो घटिया बुनियादी ढांचे से प्रभावित होंगे।

(a) इस मामले में शामिल कुछ नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **भाई-भतीजावाद और पेशेवर सत्यनिष्ठा से समझौता:** उप-संविदा को प्रतिस्पर्धी निविदा के बिना व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर प्रदान किया जा रहा है। इसके कारण, यहाँ इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्षमता और वित्तीय पहलुओं के मामले में सबसे उपयुक्त फर्म को संविदा मिलेगी।
- **निर्णय लेने में निष्पक्षता का अभाव:** मेरे वरिष्ठ अधिकारी और उनके भतीजे के हित कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस परिदृश्य में अंतर्निहित व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह व्याप्त है।
- **कानूनी बनाम नैतिक पहलू:** यह कानूनी तौर पर सही हो सकता है क्योंकि कंपनी के किसी आधिकारिक नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, लेकिन यह नैतिक रूप से गलत है तथा यह कंपनी की स्थापित कार्यपद्धति के खिलाफ है।

(b) दो निजी पक्षों के बीच लेनदेन हितों का टकराव उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि फर्म X का मालिक मेरे वरिष्ठ अधिकारी का भतीजा है, जिन्होंने बार-बार निर्देश दिया है कि अनुबंध फर्म X को ही प्रदान किया जाए। चूंकि मेरे वरिष्ठ अधिकारी फर्म X में एक शेयरधारक भी हैं, वह व्यापारिक निर्णय व्यक्तिगत संबंधों और संभावित वित्तीय अवसरों के आधार पर ले रहे हैं। कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण वह ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि उनका परिवार लाभान्वित हो रहा है, लेकिन अन्य शेयरधारक और कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। इस प्रकार, निजी हितों का शेयरधारकों के हित के साथ सीधा टकराव है। इसके अलावा, उन उपभोक्ताओं के हितों के साथ भी टकराव है जो गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की उम्मीद कर रहे हैं।

(c) ऐसी स्थिति में संविदा प्रदान करने के कुछ संभावित तरीके हैं:

- मेरे वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव अनुसार फर्म X को उक्त अनुबंध प्रदान करना।
    - **गुण:** वरिष्ठ अधिकारी के साथ मेरे अच्छे संबंध बने रहेंगे, बदले में मुझे त्वरित पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है।
    - **अवगुण:** एक प्रबंधक के रूप में मेरा यह कार्य आचरण अनैतिक सिद्ध होगा। मैं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया में भी बाधा डालूँगा और कंपनी के अधिक पैसे बचा सकने वाले तथा काम को और अधिक कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकने वाले संभावित प्रस्तावों से परहेज करने में भूमिका निभाऊंगा। मैं शेयरधारकों, सहयोगियों एवं उपभोक्ताओं के हितों के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता से समझौता करूँगा।
- अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात खारिज करते हुए फर्म X में उनके हितों का खुलासा करना और साथ ही प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का आयोजन करना।
    - **गुण:** मैं कंपनी की स्थापित कार्यपद्धति का पालन करूँगा एवं मेरी पेशेवर सत्यनिष्ठा बरकरार रहेगी।

VISION IAS



- **अवगुण:** मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की प्रत्यक्ष अवहेलना करूँगा, जिससे कंपनी में मेरी पदोन्नति के अवसरों में बाधा पहुँच सकती है। मैं कंपनी के स्थापित कार्य पदानुक्रम का उल्लंघन भी करूँगा।

- सर्वोत्तम कार्रवाही अपने वरिष्ठ अधिकारी से उत्पन्न हुए इस हितों के टकराव के बारे में बात करना और प्रतिस्पर्धी निविदा कराने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना है। हालांकि, अगर वह अभी भी स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो मैं कंपनी प्रमुख/बोर्ड के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूँगा। यह सुनिश्चित करेगा, कि अन्य प्रबंधक और कनिष्ठ कर्मचारी इस तरह की स्थिति में भविष्य में न पड़ें। इस बीच, मैं प्रतिस्पर्धी निविदा के प्रस्तावों को भी स्वीकार करूँगा और इस कार्य हेतु सबसे उपयुक्त फर्म को संविदा प्रदान करूँगा। यह मेरी पेशेवर सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करेगा एवं सभी हितधारकों के हितों की रक्षा भी होगी।

3. आप एक देश में तेल का अन्वेषण करने के लिए लगाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बोली (नीलामी) में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए अन्य धनी देश भी बोली लगा रहे हैं। आप सुनिश्चित हैं कि तेल अन्वेषण के लिए आपकी बोली अन्यों से बेहतर और साथ ही सस्ती भी है और निश्चित ही आप बोली जीत लेंगे। आप बोली जीत लेंगे। नीलामी से एक दिन पूर्व आपको ज्ञात होता है कि अन्य देश सफल होने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने समेत अन्य कई तरीके अपना रहे हैं। उस (गृह) देश के कुछ अधिकारियों ने भी आपसे संपर्क किया है और भारत को इस बोली में विजय प्राप्त कराने का आश्वासन देने के बदले कुछ मांगें रखी हैं। आप घरेलू आर्थिक एवं रणनीतिक निहितार्थों की दृष्टि से इस बोली के महत्व से अवगत हैं। उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) निर्दिष्ट कीजिए कि इस स्थिति में आप किस/किन नैतिक दुविधा/दुविधाओं का सामना करते हैं।

(b) क्या अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में नैतिक चिंताएँ सचमुच मायने रखती हैं या वे घरेलू हितों की तुलना में गौण (द्वितीयक) हैं?

(c) उपर्युक्त स्थिति में आपकी कार्यवाही क्या होगी? गुणों और अवगुणों सहित उसका औचित्य सिद्ध कीजिए।

दृष्टिकोण:

- उन नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए जिनका सामना आप कर रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के समक्ष घरेलू हित में नैतिक चिंताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए।
- फिर उस कार्यवाही की योजना का उल्लेख कीजिए जिसका आप पालन करेंगे। निर्णय में निहित गुणों और दोषों को ध्यान में रखते हुए इसे उचित सिद्ध कीजिए।

उत्तर:

(a) इस प्रकरण में विद्यमान स्थिति निम्नलिखित नैतिक दुविधाएँ प्रस्तुत करती हैं:

- रिश्वत देने बनाम ईमानदार बने रहने और रिश्वत अदायगी के प्रलोभन से बचे रहने की दुविधा।
    - पहली कार्यवाही द्वारा भारत को नीलामी जीतने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह एक अनैतिक कार्यवाही होगी और इससे लंबे समय में, जब सच सार्वजनिक रूप से बाहर आएगा तब देश की छवि खराब हो सकती है। इसका बोली लगाने की प्रक्रिया में शामिल अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के ऊपर प्रतिकूल परिणाम पड़ेगा। इसके अलावा, यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समान अवसर और नवाचार के प्रतिकूल

VISION IAS



है। इस कार्य द्वारा दूसरों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। यह कार्यवाही केवल अनैतिक ही नहीं बल्कि भारतीय कानूनों की दृष्टि से भी अवैध है। यह मेरे अन्दर उपलब्धि या संतोष की भावना नहीं ला सकेगी।

- दूसरी कार्यवाही के कारण नीलामी की प्रक्रिया में संभावित हार हो सकती है, मेरे कैरियर और देश के आर्थिक एवं रणनीतिक निहितार्थ को झटका लग सकता है। लेकिन अनुसरण करने हेतु यही सही मार्ग है।

(b) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हितों की वकालत करने वालों का तर्क है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा है- "कोई स्थायी सहयोगी या स्थायी दुश्मन नहीं होता है, केवल हित स्थायी होते हैं।" यह तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि किसी देश की सरकार मुख्य रूप से अपने नागरिकों की ओर से कार्य करती है और इस प्रकार यह उनके हितों को बनाए रखने के लिए बाध्य है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को नियमित रूप से आम चुनावों का सामना करना पड़ता है और इसके प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का भी मूल्यांकन करता है। इसलिए, केवल राष्ट्रीय हित को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सर्वोपरि होना चाहिए।

हालांकि, इन तर्कों में कुछ विसंगतियाँ व्याप्त हैं। अगर सिर्फ राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा जाए, तो उपनिवेशवाद, सत्ता परिवर्तन, कमजोर देशों पर अत्याचार आदि जैसी अनुचित कार्यों को उचित ठहराया जा सकेगा। इसके अलावा, एक व्यापक असमानता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है और यदि मजबूत देश अपनी कार्यवाही का औचित्य पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों के आधार पर सिद्ध करने लगे तो आगे यह अंतर और व्यापक हो जाएगा। पुनः, 'ग्लोबल कॉमन्स' अस्तित्व में नहीं बने रह पाएँगे और सतत विकास एक स्वप्न बन जाएगा।

चूंकि, निष्पक्षता, न्याय, उदासीनता, सम्पूर्ण विश्व का सतत विकास, समता आदि नैतिक सिद्धांत वास्तव में राष्ट्रीय हितों के समान महत्वपूर्ण हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्त्व रखते हैं।

(c) ऐसी स्थिति में, मैं निम्नलिखित कार्यवाही का अनुकरण करूँगा:

- अपने स्तर से, नीलामी प्रक्रिया में, रिश्वतखोरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी की सत्यता की जांच करना।
- अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना और उनकी सलाह लेना क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने इस तरह की स्थिति का सामना पूर्व में किया हो।
- नीलामी की पूरी प्रक्रिया देखने वाले अधिकारियों से संपर्क करना और उन्हें अपने संज्ञान में ज्ञात विसंगतियों के बारे में सूचित करना और एक निष्पक्ष और पारदर्शी बोली प्रक्रिया की मांग करना।
- अगर शिकायतों को उस स्तर पर संबोधित नहीं किया जा रहा है, तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में लेने के बाद हम गृह देश के अन्य उच्च प्राधिकरणों, जैसे- न्यायपालिका के हस्तक्षेप की तरफ रुख कर सकते हैं।

मैं यह भी मांग करूँगा कि रिश्वत की मांग की गतिविधियों में शामिल अधिकारियों को दंडित किया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह का कदाचार नहीं दोहराया जा सके। उन राष्ट्रों को जो अनुचित व्यवहार में शामिल हैं उनको भी (जुर्माने के माध्यम से, उन्हें काली सूची में डालने या उनकी बोली को रद्द करने द्वारा) दंडित किया जाना चाहिए।

इस तरह की कार्यवाही का औचित्य

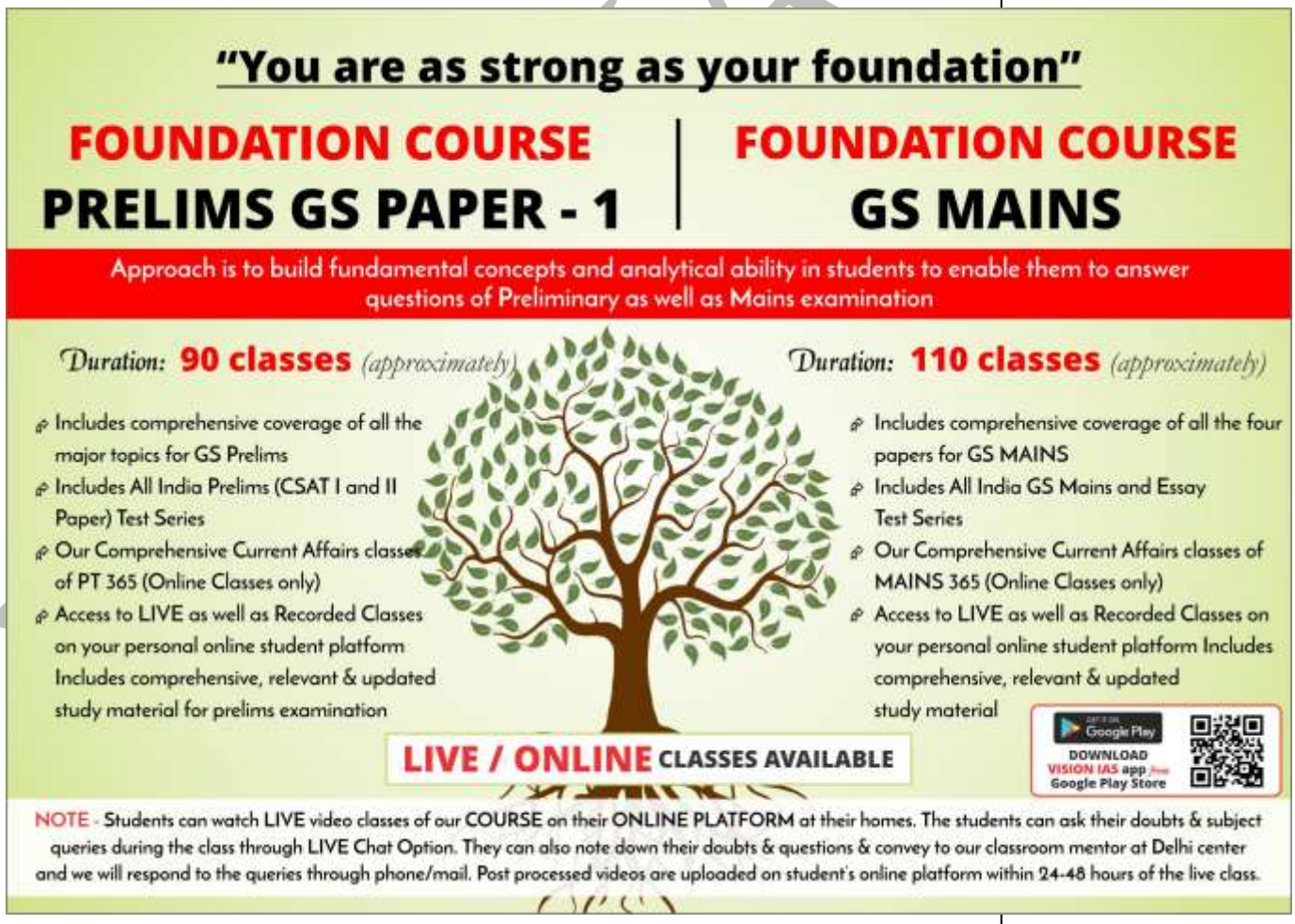
अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में रिश्वतखोरी जैसी अनैतिक कार्यवाही को भी कभी-कभी राष्ट्रीय हित के नाम पर उचित ठहराया जाता है। हालांकि, करीब से देखने पर, इस तरह के कार्य स्पष्ट रूप से

VISION IAS

राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। रिश्वतखोरी में भागीदारी के बारे में रहस्योद्घाटन होने पर यह हमारे देश की भावी पीढ़ियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खतरे में डाल देगा।

इसके अलावा, मात्र एक अनुबंध हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि हम अपने नैतिक मानकों और दीर्घकाल से बनाए रखे गए उच्च मूल्यों का त्याग कर दें। इसके अलावा, भ्रष्टाचार समृद्धि की वास्तविक नींव कभी नहीं हो सकती है। इससे उत्पन्न लाभ पूरे समाज को भ्रष्ट बना देगा।

उल्लिखित कार्यवाही का पालन करके, मैं गृह देश के शासन में विश्वास प्रदर्शित करूँगा, अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखूँगा जिससे वहाँ बोली प्रक्रिया के निष्पक्ष होने की संभावना अधिक हो जाएगी। चूंकि भारत की निविदा बेहतर और सस्ती है, यही भारत की सफलता सुनिश्चित करेगी। यह उस देश के लोगों के मध्य हमारे देश के लिए सद्भावना उत्पन्न करेगी; अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सही मिसाल कायम करेगी। कुल मिलाकर, यह सदाचार की दिशा में एक सही कदम साबित होगा जिसकी उम्मीद हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं।



Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
www.visionias.in

Value Addition Material-2018

PAPER IV : नीतिशास्त्र

शासन में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. परिचय (Introduction) 3

2. पारदर्शिता (Transparency) 4

2.1. पृष्ठभूमि (Background) 4

2.2. परिभाषा (Definition) 5

2.3. पारदर्शिता: सुशासन का एक स्तंभ 6

2.4. पारदर्शी शासन व्यवस्था की विशेषताएं 7

2.4.1. सूचना साझाकरण (Information Sharing) 8

2.4.2. सहभागी शासन व्यवस्था (Participative Governance) 8

2.4.3. उत्तरदायित्व तंत्र (Accountability Mechanisms) 9

2.4.4. व्हिसल ब्लोअर का संरक्षण (Whistleblower's Protection) 12

2.5. भारत में पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे 13

2.6. सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 से सम्बंधित मुद्दे (ARC से उद्धृत) 14

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - विस्तृत विश्लेषण 17

3.1. सूचना का अधिकार- परिवर्तन का एक उपकरण 17

3.2. RTI के कार्यान्वयन में हितधारकों की भूमिका 18

3.3. सफलता की कहानियां (Success Stories) 19

3.4. क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ (Implementation Challenges) 20

3.5. RTI की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग (Harnessing Potential of RTI) 24

4. राष्ट्रीय डेटा साझाकरण एवं अभिगम्यता नीति- 2012 26

5. पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेंस का लाभ उठाना 26

6. निष्कर्ष (Conclusion) 29

7. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न 29

8. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 46

9. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 51

10. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज 51

11. संदर्भ (References) 53

VISION IAS

1. परिचय (Introduction)



"जो समाज स्वयं अपना नियंत्रक बनना चाहता है, उसे ज्ञान की शक्ति से स्वयं को समर्थ बनाना चाहिए"।

- जेम्स मैडिसन

- एक परिपक्व लोकतंत्र में पारदर्शिता और सूचना साझाकरण (अर्थात् सूचना का आदान-प्रदान) सुशासन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों की रचना करते हैं। पारदर्शिता और सूचना साझाकरण, सरकारी कार्यालयों में जवाबदेहिता एवं विश्वास के सृजन हेतु महत्वपूर्ण साधन हैं। सुशासन की स्थापना हेतु ये दोनों अपरिहार्य हैं- चाहे वह परियोजनाओं का समय पर निष्पादन हो, या भ्रष्टाचार अथवा शक्ति के निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध लड़ाई हो। ये नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, सार्वजनिक मामलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, सहभागी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और जन केंद्रित शासन का सूत्रपात करते हैं।
- औपनिवेशिक काल के दौरान, शासन व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य आम जन पर नियंत्रण स्थापित करना तथा इसे और मजबूत करना था एवं जनता के कल्याण की बजाय एक 'शोषणकारी अर्थव्यवस्था' संचालित करना था। भले ही प्रशासन की प्रणाली 'विधि के शासन' और 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पर आधारित थी, परंतु प्रशासन में न केवल भारतीयों के प्रति अविश्वास था, बल्कि इसने निरंतर उनके हितों को भी कमजोर किया और उनकी प्रगति की उपेक्षा की, जैसा कि दादाभाई नौरोजी के 'धन बहिर्गमन का सिद्धांत (ड्रेन थ्योरी)' और रोमेश चंद्र दत्त (भारत का आर्थिक इतिहास) के लेखन द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। अंग्रेजों ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 एवं अन्य कानूनों के माध्यम से गोपनीयता की संस्कृति का समर्थन किया। ये सरकार के लिए आम जनता को सूचना तक पहुँच प्राप्त करने से इनकार करने के एक सुविधाजनक साधन बन गए। इस प्रकार, शासन व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार वह मुख्य आधार था जिस पर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई - जिसका सामान्य सिद्धांत उत्तरदायित्व और वैधता के साथ शक्ति का प्रयोग करना था।
- स्वतंत्रता के पश्चात्, यद्यपि गोपनीयता की औपनिवेशिक विरासत को बहुत कम समर्थन मिला, तथापि ये कानून यथावत बने रहे। हालांकि, समय के साथ निरंतर मुखर होते नागरिक समाज और जागरूक नागरिक वर्ग, और अधिक लोकतंत्रीकरण और शासन प्रक्रिया में खुलापन हेतु विभिन्न तर्कों के साथ दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम जन की सूचनाओं तक सार्वभौमिक पहुँच स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस संदर्भ में, **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** को खुलापन एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने वाला सबसे शक्तिशाली उपकरण माना जा सकता है। विभिन्न हितधारकों के मध्य आँकड़ों की पहुँच और सुगम्य साझाकरण में वृद्धि करने तथा वैज्ञानिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी उद्देश्यों हेतु आँकड़ों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए **राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (National Data Sharing and Accessibility Policy: NDSAP), 2012** का निर्माण किया गया। e-गवर्नेंस और m-गवर्नेंस के रूप में भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का तीव्र विस्तार लोगों को जागरूक, सूचित और सशक्त बनाने के उद्देश्य में योगदान कर रहा है।

VISION IAS

2. पारदर्शिता (Transparency)



2.1. पृष्ठभूमि (Background)

'सूचना की स्वतंत्रता' को सार्वजनिक निकायों द्वारा संघटित सूचना तक पहुँच के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 59 तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 19 द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अनुसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में "मीडिया के किसी भी माध्यम से और सीमाओं पर ध्यान दिए बिना सूचना और विचारों को मांगने, प्राप्त करने और प्रकट करने की स्वतंत्रता समाहित है।' (संयुक्त राष्ट्र)

सूचना का अधिकार एक वैश्विक परिघटना है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने सूचना के अधिकार को किसी न किसी रूप में मान्यता प्रदान की है। इसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा,1966 (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) और मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय,1969 (American Convention on Human Rights, 1969) सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख दस्तावेजों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपसिद्धांत के रूप में भी प्रतिष्ठापित किया गया है।

भारत में, 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकारी कामकाज के सन्दर्भ में सूचना का प्रकटीकरण एक नियम होना चाहिए और गोपनीयता को मात्र एक अपवाद के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। 1986 में, *श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम* वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार है, क्योंकि बगैर सूचना के नागरिकों द्वारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा सकता है।

सर्वप्रथम जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल के पश्चात् (जब इस सरकार ने निजी और पक्षपातपूर्ण प्रयोजनों हेतु सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दे का समाधान करने तथा सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 पर पुनर्विचार करने का वादा किया था) सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 में संशोधनों पर राजनीतिक रूप से चर्चा की गई तथा तत्पश्चात् वी.पी. सिंह सरकार द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। हालांकि, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुशंसा नहीं की गई।

अरुणा रॉय और निखिल डे के नेतृत्व में एक जन संगठन MKSS (मजदूर किसान शक्ति संगठन) के द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के बारे में सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन आरम्भ किया गया। 1996 में, कई अन्य नागरिक समाज समूहों में से एक सूचना के जन अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (National Campaign for People's Right to Information: NCPRI) का गठन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सूचना के अधिकार को विधायी स्वरूप प्रदान करना था। इस सम्बन्ध में WTO और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों की भूमिका भी स्वीकार की जानी चाहिए। हालांकि ये संस्थान, संप्रभु कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे, परन्तु इन्होंने RTI को विभिन्न 'सहायता शर्तों' में से एक के रूप में स्थापित किया।

VISION IAS

MKSS द्वारा आयोजित अभियान का सम्पूर्ण राजस्थान में विस्तार हुआ। यह किसानों और मजदूरों द्वारा संचालित एक आंदोलन था। जिसने गांवों में खातों की सामाजिक लेखापरीक्षा की मांग की और इस प्रकार प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। सूचना के अधिकार के लिए उनका अभियान प्रभावी रूप से ग्रामीण व्यक्ति के आजीविका से संबंधित मुद्दों से जुड़ा था तथा यह सर्वाधिक वंचित ग्रामीण जनसंख्या के अस्तित्व और न्याय के संघर्षों एवं समस्याओं से भी गहन रूप से जुड़ा हुआ था। सूचना के अधिकार के लिए MKSS की लड़ाई की शुरुआत, न्यूनतम मजदूरी की प्राप्ति तथा मस्टर रोल एवं बिल वाउचर के निरीक्षण के माध्यम से अनियंत्रित भ्रष्टाचार की जाँच की मांग से हुई थी। उन्होंने सूचना के अधिकार की प्राप्ति हेतु संघर्ष के लिए 'जन सुनवाई' नामक एक प्रत्यक्ष प्रविधि का उपयोग किया।

संपूर्ण देश में RTI की मांग की जाने लगी। तमिलनाडु 1997 में RTI कानून अधिनियमित करने वाला पहला राज्य बना। राजस्थान ने वर्ष 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया, तथा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 ने जनता के सूचना के अधिकार को अंगीकार नहीं किया और यहाँ तक की इसने न्यायिक अपील प्रक्रिया हेतु कोई प्रावधान नहीं किया था। अपीलें सरकारी विभागों में ही लंबित रहने लगीं एवं इस उद्देश्य हेतु कोई स्वतंत्र निकाय स्थापित नहीं किया गया।

2005 के RTI अधिनियम में इस अंतराल को समाप्त किया गया तथा सूचना के अधिकार के प्रचालन के लिए विधिक ढांचे का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि यह अधिनियम किसी नए अधिकार का सृजन नहीं करता है, बल्कि सूचना के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने हेतु केवल मशीनरी प्रदान करता है। इसने केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की व्यवस्था का प्रावधान किया और प्रत्येक विभाग में जन सूचना अधिकारियों के पदों की स्थापना की। (आगे इस अधिनियम का सविस्तार वर्णन किया गया है)।

2.2. परिभाषा (Definition)

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में राजनीतिक महत्व और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय हितों के बावजूद, वर्तमान में इस शब्द की परिभाषा पर कोई आम सहमति नहीं है। इस प्रकार, पारदर्शिता एक बहुआयामी अवधारणा है।

क्रिस्टोफर हुड व्यापक रूप से इसे खुलेपन के सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके तहत सरकार की सामान्य प्रणाली के पूर्वानुमेय होने और इसके मनमाने ढंग से संचालित होने के बजाय प्रकाशित नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित होने की अपेक्षा की जाती है।

विश्वनाथ और कॉफमन (1999) ने पारदर्शिता को "सभी प्रासंगिक हितधारकों के लिए सुलभ, सामयिक एवं विश्वसनीय सूचना के प्रवाह में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है।" यह परिप्रेक्ष्य न केवल सूचना की उपलब्धता पर बल देता है, बल्कि इसकी विश्वसनीयता और पहुँच पर भी बल देता है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अपनी प्रथम रिपोर्ट, सूचना का अधिकार: सुशासन के लिए मास्टर कुंजी में पारदर्शिता को इस प्रकार परिभाषित करता है:

'...*आम जनता तक सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों के कामकाज के संबंध में स्पष्टता*'

एक पारदर्शी प्रणाली में, किसी भी सरकारी योजना के लिए लाभार्थियों का चयन स्पष्ट रूप से ज्ञात और सार्वजनिक रूप से संप्रेषित मानदंडों पर आधारित होगा; यह भी ज्ञात होगा कि इन नियमों और

VISION IAS

प्रक्रियाओं को कौन लागू करेगा, इन्हें कब और कैसे लागू किया जाएगा तथा उन मानदंडों पर खरे उतरने वाले परिवारों और व्यक्तियों को क्या लाभ मिलेंगे, ये लाभ कब प्राप्त होंगे, किस कीमत या पारस्परिक दायित्वों पर प्राप्त होंगे, इत्यादि।



इस बात को स्पष्टता से समझा जाना चाहिए कि **पारदर्शिता, सूचना साझाकरण से पृथक** है। सूचना साझाकरण में केवल लोगों को प्रासंगिक सूचना या डेटा प्रदान करना शामिल है, जबकि पारदर्शिता एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। पारदर्शी शासन प्रणाली में, निर्णय लेने के मानदंड, प्रक्रियाओं और प्रणालियों से संबंधित जानकारी सभी के लिए खुले तौर पर उपलब्ध होती है। पारदर्शिता के लिए सूचना साझाकरण अपरिहार्य है।

इसलिए, हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से, पारदर्शिता से आशय न केवल खुलेपन, पहुँच और सूचना की विश्वसनीयता के स्तर से है बल्कि सरकार द्वारा कार्य करने की शैली और नीति निर्माण हेतु सहमत प्राथमिकताओं से भी है, जिसमें प्रशासनिक निकायों द्वारा कानूनों और विनियमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए पूर्वानुमेय और निष्पक्ष प्रणाली शामिल है।

2.3. पारदर्शिता: सुशासन का एक स्तंभ

(Transparency: A Pillar of Good Governance)

पारदर्शिता दो महत्वपूर्ण कार्य करती है: व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था में जन भागीदारी को सहज बनाना। जनता, पारदर्शिता का सम्मान करती है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता केवल कुछ कार्यों को पूरा करने का साधन नहीं बल्कि स्वयं एक साध्य है। नियमित निरीक्षण हेतु सरकार के खुलेपन में विश्वास, हमारी सामूहिक चेतना में इस दृढ़ता से अंतर्निहित है कि पारदर्शिता का एक आंतरिक मूल्य है। पिछले कुछ दशकों से, प्रशासन में पारदर्शिता का सूत्रपात करने हेतु शुरू किये गये आंदोलनों को, उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार के लिए तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं आधिकारिक कर्तव्य के नाम पर दण्ड मुक्ति की संस्कृति को समाप्त करने हेतु पारदर्शिता को आवश्यक शर्त मानने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दबाव समूहों से बल मिला है। वास्तव में, पारदर्शिता को अब सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह विधि द्वारा स्थापित नीति, नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर सत्ता के 'मनमाने' प्रयोग करने के विरुद्ध सार्वजनिक नियंत्रण है। यह कार्यकारी निर्णय निर्माण में संशोधन और सुधार को प्रोत्साहित करती है।

इसके संबंध में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार:

'*सूचना तक पहुँच, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में सूचना की मांग करने और इसे प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाती है, इस प्रकार यह उनका कल्याण सुनिश्चित करती है। सुशासन के बिना, विभिन्न विकासशील योजनाओं के आरंभ के बावजूद भी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता है। सुशासन के चार तत्व होते हैं- पारदर्शिता, जवाबदेहिता, पूर्वानुमेयता और भागीदारी।*'

इसके अतिरिक्त, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यह कहता है कि:

'*सूचना का अधिकार, सरकारी रिकॉर्ड को सार्वजनिक जाँच हेतु प्रस्तुत करता है। यह नागरिकों को यह जानने के लिए सक्षम बनाता है कि सरकार क्या करती है और कितनी प्रभावी ढंग से करती है तथा इस*

VISION IAS

प्रकार यह सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाता है। सरकारी संगठनों में पारदर्शिता उन्हें अधिक निष्पक्ष रूप से कार्य करने को प्रेरित करती है नतीज़तन पूर्वानुमेयता में वृद्धि होती है। सरकारी कामकाज़ से संबंधित सूचना, नागरिकों को शासन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाती है। मूल अर्थ में, सूचना का अधिकार, सुशासन की मूलभूत आवश्यकता है।'



पारदर्शिता, नागरिकों को सूचना प्रदान कर सशक्त बनाती है तथा लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण को प्रोत्साहित करती है। मतदाताओं की संसाधनों के आबंटन और पुनर्वितरण से लेकर बाजार अवरोधों एवं प्रतिबंधों, कर एवं सब्सिडी भार आदि से संबंधित सरकारी कार्यों और प्रक्रियाओं में गहरी दिलचस्पी होती है। ये कारक न केवल बाजार गतिविधियों के आर्थिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं बल्कि यह मतदाता द्वारा वर्तमान नीति निर्माताओं को दिए जाने वाले राजनीतिक समर्थन को भी निर्धारित कर सकते हैं। अधिक पारदर्शिता जनता को दंड के विधिक, प्रशासनिक या चुनावी माध्यमों द्वारा सक्षम बनाकर राजनीतिक भ्रष्टाचार के अनुपात को कम करने में मदद कर सकती है। पारदर्शी शासन व्यवस्था से सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि होती है तथा सरकारी कार्यों को वैधता प्राप्त होती है। सूचना वह मुद्रा है जो प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक जीवन एवं समाज के शासन व्यवस्था में भाग लेने हेतु आवश्यक है। नागरिकों की सूचना तक पहुंच जितनी अधिक होगी, समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति सरकार उतनी ही अधिक अनुक्रियाशील होगी। सूचना के बगैर, व्यक्ति एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों का पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है या सूचित विकल्प का चयन नहीं कर सकता है।

सूचना, निर्धन समुदायों को उनके समक्ष उपस्थित परिस्थितियों का सामना करने हेतु सशक्त बना सकती है तथा अल्प विशेषाधिकार प्राप्त लोगों एवं उनकी सरकारों के मध्य विद्यमान असमान शक्ति संरचना को संतुलित करने में मदद कर सकती है। इस संतुलन में सूचना एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु उसका सामयिक, प्रासंगिक, सटीक और पूर्ण होना अनिवार्य है।

सार्वजनिक सेवा प्रदायगी की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु पारदर्शिता आवश्यक है, जिससे नागरिक इतना सक्षम हो सकते हैं कि वे अपने दावों का प्रयोग कर सकें। हालांकि, केवल यह पता होना कि अपेक्षित लाभार्थियों के अधिकार क्या हैं तथा इसे उन्हें प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसे प्राप्त है, यह अपेक्षित लाभार्थियों तक सार्वजनिक सेवाओं की पर्याप्त और प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए काफी नहीं है। अतः शासन प्रणाली में एक जवाबदेही तंत्र का अन्तर्निहित होना आवश्यक है। इस प्रकार, सुशासन के लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता एक दूसरे से निकटता से सम्बद्ध हैं।

2.4. पारदर्शी शासन व्यवस्था की विशेषताएं

(Features of Transparent Governance)

पारदर्शिता अथवा खुलापन, जिसकी स्वाभाविक परिणति पारदर्शी शासन व्यवस्था है, में निम्नलिखित आधारभूत घटकों की अपेक्षा की जा सकती है:

- सूचना साझाकरण या सूचना तक पहुँच;
- सहभागी शासन व्यवस्था;
- जवाबदेही तंत्र; एवं
- व्हिस्ल ब्लोअर की सुरक्षा।

समय के साथ, भारत सरकार ने निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य करते हुए सरकार में इन घटकों को समाविष्ट करने हेतु निरंतर प्रयास किए हैं:

VISION IAS

- **सूचना का अधिकार कानून:** नागरिकों द्वारा माँगी जाने वाली सूचना तक उसकी पहुँच सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक/विधिक अधिकार सुनिश्चित करना;
- **अग्रसक्रिय पारदर्शिता:** सरकारों को सुलभ प्रारूप में यथासंभव अधिक से अधिक सूचना प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध करना; तथा
- **ओपन डेटा दृष्टिकोण:** सभी हितधारकों को सरकारी डेटा को अंत:प्रचालनीय और सुलभ प्रारूपों में पुन: संरचित करने हेतु सक्षम करना।

2.4.1. सूचना साझाकरण (Information Sharing)

विभिन्न शासी निकायों, संगठनों और आम जनता के मध्य डेटा का आदान-प्रदान सूचना साझाकरण कहलाता है। सूचना तक पहुँच, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शायद सबसे बड़ा उपसमुच्चय है।

सूचना के अधिकार और इसके संबंधित पहलू व्यापक रूप से स्वीकृत व अंगीकृत मानवाधिकार दस्तावेजों, जैसे- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights) तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) के रूप में अभिव्यक्त किये गए हैं।

भारतीय संसद ने भी 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act, 2005) के माध्यम से इस अधिकार को संस्थागत स्वरुप दिया है। इस कानून में सरकारी सूचनाओं से सम्बंधित नागरिक अनुरोधों का यथासमय उत्तर देना अनिवार्य बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत में संसदीय परिचर्चाएँ टेलीविजन पर प्रसारित की जाती हैं, सरकारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रकाशित होती है तथा व्यापक रूप से विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर सरकार की स्थिति का वेबसाइट, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। हाल ही में, सरकार ने ओपन डेटा गवर्नमेंट (ODG) को बढ़ावा देने के लिए data.gov.in वेबसाइट लॉन्च की है।

2.4.2. सहभागी शासन व्यवस्था (Participative Governance)

सहभागी शासन व्यवस्था बॉटम-अप अप्रोच (अर्थात् आधार से आरम्भ कर शीर्ष की ओर बढ़ने के दृष्टिकोण) के माध्यम से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के विभिन्न साधनों में से एक है। यह स्थानीय स्व-शासी निकायों को शक्तियां प्रदान कर शक्तियों के विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करता है। ऐसे विकेंद्रीकरण के माध्यम से यह ज़मीनी स्तर पर निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देता है। स्वतंत्रता-पूर्व अवधि में, गांधी जी के सुशासन के दृष्टिकोण का आशय अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण ही था, जिसका अर्थ ग्राम पंचायतों और राजनीतिक पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर स्थित लोगों को शक्तियां प्रदान करना है।

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक प्रस्थिति प्रदान की है। वास्तव में यह एकमात्र महत्वपूर्ण देशव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य शासन के सहभागी स्वरूप के माध्यम से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता अपनाकर उसमें सुधार करना है। लोग अब स्वयं को प्रभावित करने वाले मुद्दों से सम्बंधित निर्णयन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

हालांकि, इस सन्दर्भ में सुधार की अत्यधिक सम्भावनाएँ मौजूद हैं, क्योंकि इस शासकीय ढाँचे के लिए अभी अपनी अभीष्ट क्षमता प्राप्त करना शेष है। सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा, वित्तीय स्वतंत्रता

VISION IAS

की एक अपर्याप्त रूपरेखा और नागरिकों के मध्य जागरूकता की कमी, योजना और निर्णयन में नागरिक समाज की प्रभावी भागीदारी को बाधित करने वाले प्रमुख कारणों के रूप में उद्धृत किए जाते हैं। फिर भी, कई राज्य सरकारों द्वारा इन निकायों को उत्तरोत्तर अधिक सशक्त किया जा रहा है तथा अनुसूची XI और XII के और अधिक विषय इन निकायों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने भी इनके पर्याप्त वित्तपोषण के लिए सुझाव दिए हैं।



सहभागी शासन व्यवस्था की दिशा में की गई कुछ अन्य पहलें निम्नलिखित हैं:

- **सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit):** यह विभिन्न शासी निकायों के कामकाज की निगरानी और मूल्यांकन हेतु नागरिकों को प्रदान किया गया एक शक्तिशाली उपकरण है। 1990 के दशक में MKSS ने 'जन सुनवाई' के रूप में इसका आरम्भ किया था। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे कानूनों में सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार की लेखा परीक्षाओं ने नागरिक भागीदारी में वृद्धि के साथ-साथ व्यवस्था में जाँच एवं संतुलन सुनिश्चित करने में सहायता की है। उदाहरणार्थ- आंध्र प्रदेश में, प्रदेश-व्यापी सामाजिक लेखा परीक्षाओं के दौरान व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी के मामले सामने आये जिसके परिणामस्वरूप लगभग 7,000 अधिकारियों पर प्रशासनिक या आपराधिक आरोप निर्धारित किये गए। इसके साथ ही सामजिक लेखापरीक्षा की यह अवधारणा पर्यावरणीय लोकतंत्र और शासन व्यवस्था में भी प्रवेश कर चुकी है।
- **निवासी कल्याण संघ (Resident Welfare Associations: RWAs):** इसमें समाज के विचारों को शामिल करने या बुनियादी नागरिक कार्यों के लिए निर्णय लेने की शक्ति को नागरिकों को हस्तांतरित करने हेतु राज्य-विशिष्ट प्रोत्साहन शामिल हैं। 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने के लिए आम नागरिकों को शामिल करने के अपने उद्देश्य तथा उसके कार्यान्वयन के लिए इन पहलों की सराहना की गई है।

  दिल्ली सरकार की **भागीदारी योजना** के अंतर्गत समुदाय को अपने संबंधित क्षेत्र की ज़िम्मेदारी लेने के लिए संगठित करने हेतु मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा इसमें RWAs के माध्यम से नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। विकास के सम्बन्ध में तथा अन्य परिवर्तनों की योजना बनाते समय राज्य से जुड़ी संस्थाओं के लिए ये RWAs संपर्क के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
- **केरल का पीपुल्स प्लान कैंपेन (People's Plan Campaign: PPC)** विकेंद्रीकृत नियोजन (1996) से सम्बंधित एक प्रयोग था। इसके अंतर्गत स्थानीय सरकारों को जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ अपनी स्वयं की पंच वर्षीय योजनाएं बनाने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रक्रिया के लिए राज्य के विकास बजट से समुचित धन का भी हस्तांतरण किया गया था। हालांकि, तदुपरांत इस योजना को समाप्त कर दिया गया।

2.4.3. उत्तरदायित्व तंत्र (Accountability Mechanisms)

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व (अथवा जवाबदेही) के मध्य एक जटिल और पारस्परिक सम्बन्ध विद्यमान है। 'उत्तरदायित्व' शब्द अनिवार्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रमुख तत्वों को समाहित करता है;

- उत्तरदेयता (Answerability) अर्थात् शासन व्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं हेतु उनके कार्यवाहियों के लिए औचित्य सिद्ध करने की आवश्यकता;

VISION IAS

- प्रवर्तन (Enforcement) अर्थात् वे प्रतिबन्ध जो कार्यवाही के औचित्य सिद्ध न होने अथवा कार्यवाही के असंतोषजनक पाये जाने पर लगाये जा सकते हैं,
- अनुक्रियाशीलता (Responsiveness) अर्थात् की गयी मांगों के प्रति अनुक्रिया करने के लिए जिन्हें उत्तरदायी बनाया गया है, उनकी क्षमता।



वास्तव में पारदर्शिता की धारणा इन्ही मूल तत्वों में गुंथी हुई है। सूचना की पारदर्शिता उत्तरदायित्व की मांग के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचना के बिना व्यक्ति राज्य द्वारा किए गए अतिक्रमणों या भ्रष्ट अधिकारियों अथवा अन्य लोगों द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अतिरिक्त, सूचना की पारदर्शिता को नागरिकों को अपने **वॉयस पावर (आवाज़ की ताकत)** का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वॉयस पावर को सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए नागरिकों की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी वॉयस पावर के परिणामस्वरुप उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है।

यदि नागरिकों के पास सूचना प्राप्त करने के अपने अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुचित क्षमता या संसाधन नहीं हैं तो सूचना तक पहुंच प्रदान करने वाले कानून अप्रभावी होंगे। इसी प्रकार, इन कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए इनके विषय में जागरूकता बढ़ाना तथा विभिन्न मीडिया साधनों के माध्यम से इनके उपयोग करने के तरीके के बारे में लोगों को जानकारी देना महत्वपूर्ण है।

उत्तरदायित्व के दो पहलू हैं - संस्थाएं जो उत्तरदायित्व तय करती हैं और लागू करती हैं, तथा ऐसे उपकरण या साधन जिनका वे इस संदर्भ में प्रयोग करती हैं। उत्तरदायित्व तय करने वाले ऐसे संस्थान राज्य के भीतर (क्षैतिज उत्तरदायित्व) या राज्य के बाहर (ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व) हो सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं:

i. संगठनात्मक स्तर पर संगठन के प्रमुख;

ii. विभागीय स्तर पर विभागीय प्रमुख;

iii. मंत्रालयी स्तर पर संबंधित मंत्रालय;

iv. राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय कार्यवाही;

v. जनता के स्तर पर सार्वजनिक राय;

vi. सामाजिक स्तर पर मीडिया और सिविल सोसाइटी;

vii. न्यायपालिका; एवं

viii. राज्यों में लोकायुक्त (जिन राज्यों ने प्रासंगिक कानूनों को अधिनियमित किया है)।

इन संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों/तंत्रों में शामिल हैं:

i. सूचना का अधिकार अधिनियम;

ii. सिटीजन चार्टर;

iii. सीमित परिमाण में, सामाजिक लेखा परीक्षा/ नागरिकों की निगरानी समितियों/निगरानी निकायों द्वारा सेवा प्रदायगी का सर्वेक्षण;

iv. प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली, दंड और पुरस्कार, उच्च अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं;

v. नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) और अन्य निकायों द्वारा विभागीय/ आंतरिक लेखा परीक्षा;

vi. शिकायत निवारण तंत्र; एवं

vii. प्रदर्शन प्रबंधन विभाग - मंत्रालयों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए।

VISION IAS



Table 13.1: Institutions and Mechanisms that Promote Accountability	
Outside the State (Vertical)	
• To the people through elections • Through RTI Act to citizens	High effectiveness
• Citizens' oversight committees • Civil society/watchdog bodies • Media	Low effectiveness
• Service delivery surveys • Citizens' charters	Low to medium effectiveness
Within the State (Horizontal)	
External (Outside the Executive)	• Parliament • Judiciary • Lokayukta • CAG • CVC
Internal (Within the Executive)	• Superior officers 1. Rewards/punishments 2. Disciplinary procedures 3. Performance Management System • CBI/police/vigilance • Internal Audit • Grievance Redressal Mechanisms

विभिन्न निकायों द्वारा निम्नलिखित रूप में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है:

- **संविधान, कानून और कार्यकारी नियमों द्वारा** जो सरकारी कर्मचारियों के लिए 'क्या करें' (do's) और 'क्या न करें' (dont's) का निर्धारण करते हैं तथा शासन व्यवस्था में मनमानी को कम करते हैं।
- संसद, न्यायपालिका, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC), लोकपाल इत्यादि जैसे **संस्थान** यह सुनिश्चित करते हैं कि जब भी लोक सेवक विधि के शासन के विरुद्ध कोई कार्य करें तो सुधारात्मक कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जाएं।
- **नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन (NGOs), मास मीडिया और नागरिक** अधिकारियों पर अच्छे प्रदर्शन के मानकों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं। उन्होंने अधिकारियों के निर्णयों पर प्रश्न पूछना आरम्भ कर दिया है और सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तीव्र संचार और 24x7 समाचार के डिजिटल युग में, मीडिया (सामाजिक और पारंपरिक दोनों) शक्तियों के वैध प्रयोग पर नज़र रखने का एक प्रमुख साधन बन गयी है।

शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गईं कुछ पहलें:

i. प्रगति (PRAGATI): यह अग्रसक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु एक बहु-उद्देशीय, बहु-विध (multi-modal) प्लेटफ़ॉर्म है। PRAGATI एक विशिष्ट समेकनकारी और संवादात्मक मंच है। इस मंच का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को संबोधित करना तथा साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा लागू परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। PRAGATI मंच अद्वितीय रूप से तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों; डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को एक साथ लाता है। यह

VISION

सहकारी संघवाद की दिशा में एक अद्वितीय संयोजन भी प्रदान करता है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। साथ ही, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ मुद्दों की विस्तृत जानकारी और ज़मीनी स्थिति के सम्बन्ध में यथार्थ एवं नवीनतम जानकारी के साथ चर्चा करने में समर्थ हैं। यह ई-गवर्नेंस और सुशासन में एक अभिनव परियोजना है।



ii. निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (Performance management division): केंद्र सरकार ने सरकारी निर्णयों के बेहतर परिणामों पर नज़र रखने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रभाग को आरम्भ किया है। यह परिणाम के आधार पर प्रदर्शन पर नज़र रखने के उद्देश्य से सभी मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों का निर्धारण करता है। वस्तुतः यह आवश्यक है कि निर्णयन में देरी की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया जाए ताकि विभिन्न मुद्दों का त्वरित समाधान किया जा सके। यह प्रत्येक निर्णय को अधिक तीव्रता से अपने तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करेगा।

iii. गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (Government e-market place): गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का लक्ष्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, PSUs, स्वायत्त निकायों आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के तरीके को परिवर्तित करना है। यह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच है। GeM एक पूर्णतया पेपरलेस, कैशलेस और प्रणाली संचालित ई-मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से संबंधित विषयों को अब गारंटीकृत सेवा प्रदायगी अधिनियम जैसे कार्यक्रमों में राज्यों द्वारा तेजी से अपनाया जा रहा है, जहाँ सेवा प्रदायगी हेतु निर्धारित समय सीमा के बाद होने वाले किसी भी विलम्ब के लिए (सरकारी अधिकारियों के लिए) दंड का प्रावधान है। यह RTI अधिनियम में किए गए प्रावधान के समान है और इसे दिल्ली, राजस्थान, बिहार एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपनाया गया है।

2.4.4. व्हिसल ब्लोअर का संरक्षण (Whistleblower's Protection)

व्हिसल-ब्लोइंग का अर्थ प्रायः संगठन के सदस्यों द्वारा अपने नियोक्ताओं के नियंत्रण में संचालित अवैध या अनैतिक प्रथाओं को ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के समक्ष प्रकट करने से है जो सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण से आशय व्यक्ति को सूचना का खुलासा करने की अनुमति देने से है, हालांकि यहाँ प्राधिकार प्राप्त लोगों के प्रतिशोध के प्रति उनकी (व्हिसल ब्लोअर) सुभेद्यता विद्यमान होती है।

संसद ने व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 पारित किया है, जो व्हिसल ब्लोअर की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इस कानून के अनुसार, कोई भी लोक सेवक या कोई अन्य व्यक्ति अथवा कोई गैर-सरकारी संगठन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सम्मुख भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग या लोक सेवक द्वारा किए जा रहे आपराधिक कृत्यों का सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण कर सकता है। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

2014 के मौज़ूदा कानून के दायरे से राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा या आर्थिक हितों के मुद्दों को बाहर करने के लिए इसमें संशोधन के उद्देश्य से एक नये विधेयक - व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन (संशोधन) विधेयक, 2015 - को संसद में प्रस्तुत किया गया है। इन प्रावधानों को RTI

VISION IAS

अधिनियम की तर्ज पर आकार दिया गया है। यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और यह अब राज्यसभा में लंबित है। *('शासन व्यवस्था में ईमानदारी' वाले नोट्स में इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।)*



2.5. भारत में पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

(Issues with Respect to Transparency in India)

सामान्यतः, पारदर्शिता वाद-विवाद के कई मुद्दों को समाविष्ट करती है, जैसे:

- पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांतों, किसी व्यक्ति की गोपनीयता और प्रतिस्पर्द्धा के दौर में निगमों की गैर-प्रकटीकरण की नीति के मध्य सीमा रेखा कहाँ खींचनी है;
- सरकारी कार्यालयों को सूचना अग्रसक्रिय रूप से प्रकाशित करनी चाहिए या मात्र विशेष अनुरोध पर सूचना प्रदान करनी चाहिए; तथा
- सूचना प्रदान करने की लागत किसे वहन करनी चाहिए (सार्वजनिक कार्यालय बनाम पहुँच की माँग करने वाले)।

भारत में पारदर्शिता के सम्बन्ध में नीतियां विधिक रूप से तो लागू हैं किन्तु फिर भी उनके वास्तविक कार्यान्वयन और वितरण में भ्रष्टाचार, अनुपस्थिति, उदासीनता, अक्षमता, प्रभावहीनता या पूर्ण विफलता की स्थिति बनी हुई है। इन विफलताओं के केंद्र में उत्तरदायित्व का एक सुव्यवस्थित संकट विद्यमान है। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना तो यह भी है कि इंडियन स्टेट, इसके संस्थानों और इन संस्थानों को नियंत्रित करने वाले नियमों को संरचित ही इस प्रकार किया गया है कि उत्तरदायित्व से बचा जा सके।

2005 में RTI अधिनियम के अधिनियमित होने के बावजूद खुलापन और उत्तरदायित्व तय करने के मध्य अंतराल अभी भी बना हुआ है। RTI अधिनियम, 2005 के अधिदेश के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण अभी भी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत में RTI कार्यकर्ता और व्हिसल ब्लोअर्स सुभेद्य हैं और निरंतर जीवन के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन, व्हिसल ब्लोअर्स के मौजूदा संरक्षण में कमी लाने वाला प्रतीत होता है। (इसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है)।

राजनीतिक दल RTI अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आते हैं। राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता की कमी है जिससे काले धन को बढ़ावा मिलता है।

इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका ने भी स्वयं को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से उन्मुक्ति प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायपालिका को RTI अधिनियम के दायरे में लाने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति के प्रकटीकरण के प्रावधान के सन्दर्भ में अनिच्छुक है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यद्यपि न्यायालय की कार्यवाही या निर्णय सदैव सार्वजनिक डोमेन में रहे हैं, किन्तु न्यायपालिका को RTI के दायरे में लाने का यह आशय कदापि नहीं है।

VISION IAS

हालांकि, ध्यातव्य है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके भागीदारों अर्थात् इसके नागरिकों को इसके कार्यकलापों या कार्यकलाप से सम्बंधित परिवर्तनों, सांतत्य या निर्णय के बारे में प्रत्येक 'क्या, कैसे और क्यों' जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने का अधिकार है। सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है और यह 2005 के RTI अधिनियम द्वारा सांविधिक आधार पर सुनिश्चित किया गया है। भारत में, लोक शक्ति (कार्यकारी, विधायी या न्यायिक शक्ति) के प्रयोग में पारदर्शिता की संस्कृति विकसित होनी चाहिए। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और गोपनीयता एवं रहस्य को मात्र अपवाद स्वरुप हीं प्रयोग किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ई-गवर्नमेंट का यह तात्पर्य हमेशा खुली सरकार नहीं होती है। यदि कोई सरकारी एजेंसी डिजिटल रिकॉर्ड अपनाती है, तो वह वास्तव में दक्षता का लाभ प्राप्त कर सकती है भले ही वह उन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न कराए। किन्तु जब तक सुधारों द्वारा इन अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक यह खुली सरकार की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी।

2011 की 'ओपन गवर्नमेंट डेटा इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि सरकार ने कई ई-गवर्नेंस पहलें आरम्भ की है, किन्तु अभी भी उनमें से अधिकांश पहलों के डेटाबेस सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं कराए गए हैं। सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेसों में से भी कुछ ही डेटा पुन: प्रयोज्यता, आसान पहुंच और बोधगम्यता की दृष्टि से खुले हुए हैं। वास्तव में अपरिष्कृत डेटा का प्रकाशन करना पर्याप्त नहीं है। ओपन गवर्नमेंट डेटा की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार और सिविल सोसायटी संगठनों दोनों द्वारा आम लोगों और वंचित समुदायों के हित में इनका लाभ उठाने हेतु उचित तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इस दिशा में उठाए गए ठोस कदम भारत में निकट भविष्य में ओपन डेटा के स्वप्न को साकार करने में सहायक होंगे।

2.6. सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 से सम्बंधित मुद्दे (ARC से उद्धृत)

(Issues with the Official Secrets Act, 1923 (Excerpts from ARC)

औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियमित सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act: OSA), शासन व्यवस्था में गोपनीयता के सभी मामलों को अभिशासित करता है। यह कानून बड़े पैमाने पर सुरक्षा मामलों से संबंधित है तथा जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर अन्य हमलों से निपटने हेतु एक रुपरेखा प्रदान करता है। हालांकि, लोगों के प्रति अविश्वास के औपनिवेशिक परिवेश और नागरिकों से व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक अधिकारियों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण, OSA ने गोपनीयता की संस्कृति का सृजन किया। इसके परिणामस्वरूप गोपनीयता एक प्रचलन और प्रकटीकरण एक अपवाद बन गया। यद्यपि OSA की धारा



5 स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित उल्लंघनों से निपटने के लिए थी, परन्तु कानून की शैली और औपनिवेशिक काल (जब इसे कार्यान्वित किया गया था), के कारण यह सभी पर लागू होने वाला विधिक प्रावधान बन गया एवं व्यावहारिक रूप से शासन से जुड़ा लगभग प्रत्येक मुद्दा, गोपनीयता के दायरे में आने लगा। सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 के द्वारा इस प्रवृत्ति को और बल मिला क्योंकि इसके द्वारा प्राधिकार के बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के संचार को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 1872 में अधिनियमित, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, विभाग प्रमुख (जिसे इस सन्दर्भ में विवेकाधिकार प्राप्त है) की अनुमति के बिना अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से साक्ष्य देने पर रोक लगाती है।

लोकतंत्र में, जनता संप्रभु होती है और निर्वाचित सरकार एवं उसके कार्यकर्ता जनता के सेवक होते हैं। यह विचार-विमर्श द्वारा निर्मित सरकार और कानून के ढांचे के भीतर एक खुली सरकार होती है। इसलिए पारदर्शिता शासन व्यवस्था के सभी मामलों में आदर्श के तौर पर संस्थापित होनी चाहिए।

हालांकि, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ संवेदनशील मामलों को प्रकट न किया जाना व्यापक लोक हित में होता है। इसी प्रकार, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रि-परिषद की बैठकों में सार्वजनिक मुद्दों पर निर्बाध परिचर्चा की मांग करता है, जो दिन-प्रतिदिन की राजनीतिक खींचतान और दबावों से मुक्त होनी चाहिए। जनता को कैबिनेट के निर्णयों और इन निर्णयों के उत्तरदायी कारणों के बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए, किन्तु साथ ही यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि उस निर्णय प्रक्रिया के दौरान कैबिनेट कक्ष में किन बातों पर विचार किया गया। RTI, अधिनियम राज्य के मामले में इन आवश्यकताओं को चिह्नित करता है और अधिनियम की धारा 8 ऐसे सभी मामलों को प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (2) के अनुसार :

"सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 में उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक अधिकारी को सूचना तक पहुँच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हित के नुकसान से अधिक है।"

अधिनियम के वे प्रावधान जो धारा 8(1) के छूट सम्बन्धी प्रावधानों के साथ द्वन्द की स्थिति में होने के बाद भी सूचना के प्रकटन की अनुमति प्रदान करते हैं; उन्हें इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत अन्य अधिनियमों तथा उपकरणों से प्रतिरक्षा प्राप्त है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार:

"इस अधिनियम के उपबंध सरकारी गोपनीयता अधिनियम ,1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी दस्तावेज में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे"।

इस प्रकार, उपर्युक्त धारा की इस भावना के आधार पर, यदि RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रकटीकरण को स्वीकार किया गया है तो OSA इस सूचना के प्रकटीकरण को अवरोधित नहीं करेगा।

VISION IAS

हालाँकि अन्य नियमों और निर्देशों के साथ OSA सूचना की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इनके कारण ऐतिहासिक रूप से गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण की संस्कृति ही पोषित हुई है, जो कि सूचना के अधिकार की मूल भावना के विरुद्ध है। यहाँ तक कि ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से भी इन्कार किया जा सकता है जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है (यदि सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा उसके पद धारण करने के आधार पर उस सूचना तक पहुँच स्थापित की गयी हो)। इस तरह के अनुदार और कठोर प्रकृति के प्रावधानों ने स्पष्ट रूप से गोपनीयता की संस्कृति को सृजित किया है।

हालांकि, वर्तमान स्थितियों में सूचना का अधिकार अधिनियम उन प्रावधानों पर अधिरोपित होता है जिन्हें सरकारी गोपनीयता अधिनियम द्वारा खुद को प्रकटीकरण से मुक्त नहीं किया गया है, तथापि वास्तविक स्थिति यही है कि विधि की पुस्तकों में उपस्थित OSA अपने वर्तमान स्वरूप में एक प्रकार का अराजकतावाद है।

इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इसके आधार पर प्रोत्साहित गोपनीयता की संस्कृति के समापन हेतु द्वितीय ARC ने अनुशंसा की है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 को समाप्त किया जाए तथा इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980) में एक अध्याय जोड़ा जाये जिसमें आधिकारिक गोपनीयता से संबंधित प्रावधान शामिल हों। हालांकि, सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया है।



3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - विस्तृत विश्लेषण



(Right to Information Act, 2005 – Detailed Analysis)

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार यह सरकार और उसके सहायक निकायों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है।

- इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, कोई भी नागरिक "सार्वजनिक प्राधिकरण" (सरकार का कोई निकाय या "राज्य का उपकरण") से सूचना का अनुरोध कर सकता है, जिसका शीघ्रातिशीघ्र या तीस दिनों के भीतर उत्तर दिया जाना अनिवार्य है।
- इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचनाओं की कुछ श्रेणियों को "अग्रसक्रिय रूप से" प्रकाशित करना अनिवार्य है; ताकि नागरिक औपचारिक रूप से सूचना का अनुरोध बिना किसी सहारे के कर सकें (अर्थात् सरकार के कार्य करने के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण एक अपवाद के बजाय एक नियम होना चाहिए और यह नियम बगैर मांगे अग्रसक्रिय रूप से प्रदान किया जाना चाहिए)।
- यह जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त भारत के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। जम्मू-कश्मीर का अपना स्वयं का 'जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम' है।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को केंद्रीय स्तर पर RTI के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है।
- अधिनियम के अनुसार, सूचना आयुक्तों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे लोक प्राधिकरणों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश/निर्देश जारी करें।

अधिनियम की कार्यप्रणाली (संक्षेप में)

यह अधिनियम दो महत्वपूर्ण अधिकारियों- लोक सूचना अधिकारी (PIOs) और अपीलीय प्राधिकारियों (AAs) से संबंधित है जो इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। PIO किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संपर्क के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। PIO को विभिन्न मुद्दों पर सूचना की मांग करने वाले RTI आवेदनों को संबोधित करना होता है। यदि PIO समय पर सूचना प्रदान करने में विफल रहते हैं या आवेदक प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो AA (सामान्यतः एक वरिष्ठ अधिकारी) इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं।

अपीलीय प्राधिकारी इस मामले पर सुनवाई कर सकता है और निर्देश दे सकता है। इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि आवेदक फिर भी असंतुष्ट है, तो वह सूचना आयोग को सुनवाई के लिए दूसरी अपील हेतु आवेदन कर सकता है। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग (CIC/SIC) का कोई पदानुक्रम नहीं है। CIC केंद्र सरकार के विभागों से और SIC राज्य सरकार के विभागों से सम्बद्ध है। CIC के पास राज्य सूचना आयोग के सन्दर्भ में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और न ही राज्य सूचना आयोग के आदेश के विरुद्ध CIC में शिकायत या अपील दायर की जा सकती है।

3.1. सूचना का अधिकार- परिवर्तन का एक उपकरण

(RTI - An Instrument of Change)

"जहाँ एक समाज ने लोकतंत्र को अपने सुदृढ़ विश्वास के रूप में स्वीकार किया है, वहाँ नागरिकों के लिए यह जानना सर्वाधिक आवश्यक है कि उनकी सरकार क्या कर रही है" - न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती

VISION IAS



एक जागरुक नागरिक के लिए किसी लोकतांत्रिक समाज में आगे बढ़ने हेतु सूचना ऑक्सीजन के समान आवश्यक है। भारत में सूचना का अधिकार (RTI) न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से विकसित किया गया था और बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से इसे उचित स्वरुप दिया गया। वर्तमान में यह अधिनियम भारत के नागरिकों के जानने के अधिकार को बढ़ावा देने तथा उसकी रक्षा करने के लिए अग्रणी साधन बन गया है।

इसके महत्व को रेखांकित करते हुए, द्वितीय ARC में कहा गया है कि RTI सुशासन की मुख्य कुंजी है। RTI प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार और अक्षमता को कम करने में मदद करता है। यह शासन व्यवस्था और निर्णयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

भारत में, औपनिवेशिक शासन से आरम्भ गोपनीयता की संस्कृति ने अनियंत्रित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। सरकार के कामकाज में खुलेपन और उत्तरदायित्व की कमी ने न केवल अक्षमता उत्पन्न की बल्कि निर्धनता के सभी रूपों को भी यथावत बनाये रखा। RTI अधिनियम, सुशासन में बाधा उत्पन्न करने वाले भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों अर्थात् पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को एक साथ लेकर आता है।

यह अधिनियम एक सामान्य व्यक्ति को किसी विशेष सार्वजनिक सेवा का लाभ उठाने के उसके अधिकार को जानने में सक्षम बनाता है तथा कहीं कोई शिकायत हो तो उसके निवारण हेतु सशक्त बनाता है। इसमें 'सुनवाई और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार' भी शामिल है, अर्थात् इसके तहत उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाना भी शामिल है। वास्तव में यह "सहभागी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन" के तर्क पर आधारित है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारियों के आचरण पर भी सवाल उठाया जा सकता है और इस प्रकार उन्हें उत्तरदायी बनाया जाता है।

RTI, सहभागी विकास को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक शासन को सशक्त बनाने और सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी की सुविधा के लिए एक उपकरण बन गया है। इसका ज्ञान आधारित समाज में (जिसमें हम आज रहते हैं) सूचना का अधिग्रहण और उसके आवेदन के बारे में सूचित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र उत्पादकता में वृद्धि के रूप में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार, इस अधिनियम का उद्देश्य शासन व्यवस्था में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

RTI अधिनियम के क्रियान्वयन ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही का सूत्रपात किया है। यह सरकार-प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज में देरी को नियंत्रित करने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। RTI, लोगों को आगे आने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सन्दर्भ में हुई प्रगति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है और इस प्रकार यह भारत के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

3.2. RTI के कार्यान्वयन में हितधारकों की भूमिका

(Role of Stakeholders in RTI Implementation)

यदि RTI से संबंधित हितधारकों और एजेंसियों द्वारा इस अधिनियम की भावना के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाये तो इस अधिनियम में भारतीय नौकरशाही में क्रांति लाने की क्षमता निहित है। अधिकांश कार्यों का निर्वहन उचित सरकारों और सूचना आयोगों को करना होता है।

VISION IAS



प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न एजेंसियों, मीडिया इत्यादि ने अधिनियम के सक्रिय कार्यान्वयन के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य किया है। प्रमुख भूमिका निभाने वाले विभिन्न संस्थाओं की नीचे चर्चा की गई है:

(i) सिविल सोसाइटी संगठन / NGOs

ये जनता के बीच (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) RTI की पहुँच और जागरूकता का प्रसार करने में सहायता करते हैं। हालांकि, देश के भौगोलिक आकार और जनसंख्या को देखते हुए, उनकी पहुँच सीमित है। इन्होंने लोक सूचना अधिकारी (PIO) के प्रशिक्षण में भी योगदान दिया है।

(ii) मीडिया

मीडिया ने समाचार लेखों और टीवी पर आयोजित वाद-विवाद के माध्यम से व्यापक पैमाने पर जागरुकता का प्रसार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। RTI कार्यान्वयन के संदर्भ में, पत्रकारों ने कई बार RTI अधिनियम के उपयोगकर्ताओं के रूप में तथा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और जाँच के माध्यम से निरीक्षक के रूप में; दोहरी भूमिका का निर्वहन किया है।

(iii) राज्य सरकारें

एजेंसियों के साथ नागरिकों की अधिकतम संलग्नता राज्य सरकारों के अधीन होती है। इसलिए, RTI अधिनियम की प्रभावशीलता, राज्य सरकार के विभागों में इस अधिनियम की संवेदनशीलता और कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है।

- **जानकारी कॉल सेंटर:** बिहार सरकार ने 'सिक्स-सीटर कॉल सेंटर' आरम्भ किया है। ये कॉल सेंटर, कॉल करने वाले व्यक्ति को RTI आवेदन तैयार करने में सहायता प्रदान करते हैं और सेवा के लिए निर्धारित शुल्क फोन बिल के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इसी प्रकार, बंगलुरु में RTI हेल्पलाइन द्वारा नागरिकों को RTI सूचना प्रदान की जा रही है।
- **असम में "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें (ट्रेन द ट्रेनर)" की अवधारणा:** असम ने "**ट्रेन द ट्रेनर**" अवधारणा को अपनाया है। यहाँ सरकार RTI की पहुँच को अधिकतम करने हेतु RTI के सन्दर्भ में नागरिकों को प्रशिक्षण देने तथा स्थानीय स्वामित्व एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करती है।

3.3. सफलता की कहानियां (Success Stories)

सूचना का अधिकार (RTI), आम नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई हेतु एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि RTI अधिनियम का प्रयोग बहुधा उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहाँ लोगों को वैसी चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है, जिन पर उनका ही अधिकार है। इस अधिनियम ने अपने क्रियान्वयन के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा इस अवधि में अधिनियम ने सरकारी प्रणाली के कामकाज के तरीकों और विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। इस अधिनियम से पहले भी, RTI का समर्थन करने वाली न्यायिक घोषणाओं ने सामान्य लोगों में प्रश्न पूछने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। आम लोगों के जीवन में RTI के प्रभावों को परिलक्षित करने वाली सफलता की कुछ कहानियां निम्नलिखित हैं:

i. **RTI के माध्यम से करदाताओं के धन के उपयोग का पर्यवेक्षण किया जा रहा है:** राजमार्ग परियोजनाएं, बैंक ऋण, फसल बीमा योजनाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि ऐसी प्रत्येक व्यवस्था, जहाँ सार्वजनिक निधि का उपयोग किया जाता है, RTI के दायरे में आती है। RTI के प्रयोग से, इनसे सम्बंधित बहुत सी अनियमितताओं का पता लगा है और बहुत से घोटालों को सामने लाया गया है।

VISION IAS

ii. **RTI ने मनरेगा में भ्रष्टाचार को प्रकट किया:** कर्नाटक के बीदर जिले के संतपुर गांव में, RTI कार्यकर्ताओं ने मनरेगा में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए इस अधिनियम का इस्तेमाल किया। एक RTI आवेदन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनरेगा की चार परियोजनाओं में नियोजित लोग एक ही थे और वे एक स्थानीय नेता के परिवार से थे तथा उन्होंने कभी भी किसी शारीरिक श्रम में भाग नहीं लिया था।

iii. एक अन्य मामले में, एक रिक्शाचालक से इंदिरा आवास योजना के तहत अपने गृह निर्माण के आवेदन को आगे बढ़ाने के बदले पांच हज़ार रुपये की मांग की गयी, जबकि उसे आवेदन किये पांच वर्ष बीत चुके थे। यह सामाजिक-आर्थिक योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अंततः उस रिक्शाचालक ने एक NGO की सहायता से RTI आवेदन दर्ज किया तथा इसके उपरांत उसे योजना के तहत 15000 रुपये की पहली क़िस्त प्राप्त हुई।

iv. ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग, RTI अधिनियम से लाभान्वित हुए हैं तथा भ्रष्टाचार साथ ही साथ भ्रष्ट लोगों का खुलासा हुआ है और उन्हें दंडित किया गया है। वास्तव में RTI लोगों को सशक्त बना रहा है, ताकि वे कार्यपालिका को उसके कार्यों के प्रति तथा देश के संसाधनों का उपयोग करने के तरीकों के प्रति उत्तरदायी ठहरा सकें।

3.4. क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ (Implementation Challenges)

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने RTI के प्रवर्तन और कार्यान्वयन से सम्बंधित मुद्दों का आकलन करने हेतु एक क्षेत्र सर्वेक्षण (2008 में)आयोजित किया। इसके द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए:

i. **लोगों में जनजागरूकता का अभाव (Low public awareness)**

RTI अधिनियम की धारा 26 में उल्लेख किया गया है कि सम्बंधित सरकारें, लोगों, विशेषकर वंचित समुदायों में इस अधिनियम के तहत परिकल्पित अधिकारों के प्रयोग से संबंधित समझ विकसित करने हेतु कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों का निर्माण एवं आयोजन कर सकती हैं:

- हालाँकि सर्वेक्षण के अनुसार यह भी ज्ञात हुआ कि उत्तर देने वालों में से केवल **15 प्रतिशत** लोग ही RTI अधिनियम से परिचित थे। इस सर्वेक्षण के दौरान, यह भी देखा गया कि इस जागरुकता के प्रमुख स्रोतों में मास मीडिया चैनल, यथा- टेलीविज़न चैनल, समाचार पत्र इत्यादि एवं लोगों के द्वारा आपस में बातचीत से प्रचार शामिल है।
- इसके साथ ही यह भी देखा गया कि वंचित वर्गों, यथा- महिलाओं, ग्रामीण जनसंख्या तथा सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों, यथा- SC/ST/OBCs में जागरुकता का स्तर विशेष रूप से कम है।

ध्यातव्य है कि सम्बंधित सरकारों तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले प्रयास, वेबसाइट्स पर नियमों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के प्रकाशन तक ही सीमित रहे हैं। ये प्रयास RTI अधिनियम के सम्बन्ध में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता के प्रसार में सहायक नहीं रहे हैं।

VISION IAS



ii. **शिकायत दर्ज करने में बाधाएं एवं जटिलताएँ (Constraints or complications in filing complaints)**

- **सूचना की मांग करने वाले लोगों के लिए यूजर गाइड की 'अनुपलब्धता':** सर्वेक्षण में शामिल कुल नागरिकों में से 52% ने सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में यूज़र गाइड/मैन्युअल की उपलब्धता हेतु निवेदन किया।

  यूज़र गाइड की अनुपलब्धता के कारण सूचना की मांग करने वाले लोगों को RTI आवेदन से सम्बंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। इससे उनके द्वारा सूचना के अधिकार का समुचित उपयोग करने में अवरोध उत्पन्न होता है।
- **ऑफ़लाइन RTI आवेदन करने हेतु असुविधाजनक भुगतान चैनल:** इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि स्पष्ट दिशानिर्देशों और अनुदेशों के अभाव में, सार्वजनिक प्राधिकरणों ने स्वीकृत भुगतान चैनलों के एक उपसमुच्चय यथा नकद और डिमांड ड्राफ्ट को अपनाया है, जो नागरिकों के लिए असुविधाजनक है। इसके अतिरिक्त, नकद के माध्यम से शुल्क एकत्र करने की अनिवार्यता के कारण आवेदनकर्ता का राज्य में होना आवश्यक हो जाता है, जबकि अधिनियम में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं आरोपित की गयी है।

  इसके अलावा, सर्वेक्षण से यह भी उजागर हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी (PIO) के कार्यालय के माध्यम से आवेदन जमा करना आवेदन का सबसे प्रचलित तरीका है, अतः अवस्थिति विवरण और PIOs के उपलब्धता समय के साथ "उचित संकेतक" भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, 85 प्रतिशत सूचना की मांग करने वालों ने कहा कि सम्बंधित PIO की अवस्थिति से सम्बंधित कोई संकेतक उपलब्ध नहीं था। इस कारण उन्हें एक RTI आवेदन के लिए PIO के कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते हैं।

iii. **लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन दर्ज करने में समुचित सहायता का अभाव (Lack of assistance by the Public Information Officers in filing the application)**

- एक ऐसे देश में जहाँ साक्षरता दर अत्यंत कम (74.04%) है, प्राधिकरणों का यह कर्तव्य है कि वे लोगों को उनके अधिकारों की प्राप्ति हेतु सहायता प्रदान करें; किन्तु सर्वेक्षण के परिणाम यह नहीं दर्शाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि RTI आवेदन जमा करने की प्रक्रिया नागरिकों की आवश्यकताओं और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं की गई है।

iv. **RTI आवेदन और PIO के उत्तरों के लिए मानक प्रारूप (Standard forms for RTI application and PIO's Replies)**

यद्यपि अधिनियम में किसी मानक आवेदन पत्र की अनिवार्यता निर्धारित नहीं की गयी है तथापि RTI आवेदन के लिए एक मानक आवेदन पत्र निर्धारित करने के महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं; यथा:

- एक मानक आवेदन पत्र से सभी आधारभूत जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इससे PIO को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने तथा आवश्यक संचार हेतु आवेदनकर्ता से संपर्क करने में सहायता मिलती है।
- यदि आधारभूत जानकारी उपलब्ध है तो यह सामान्यतः सार्वजनिक प्राधिकरण में किये जाने वाले सूचना अनुरोधों की प्रकृति की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है, ताकि इसका स्वतः प्रकटन किया जा सके।

VISION IAS

- अब तक केवल दो राज्यों, महाराष्ट्र और ओडिशा ने एक मानक आवेदन पत्र निर्धारित किया है।



v. प्रदत्त सूचना से सम्बंधित मुद्दे (Issues related to information provided):

- **प्रदत्त सूचना की निम्न गुणवत्ता:** अधिकतर उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने आवेदन के जवाब में प्रदत्त जानकारी की गुणवत्ता से असंतुष्ट थे तथा वह जानकारी अधिकांशतः अधूरी और गलत थी।
- **सूचना के एकत्रण और संयोजन से सम्बंधित मुद्दे:** कुछ आवेदनों के लिए PIOs को विगत 10 वर्षों के आंकड़ों का एकत्रण एवं विश्लेषण करना पड़ा। हालाँकि 89% PIOs ने कहा कि उन्होंने अभिलेखों के निरीक्षण के लिए किये गए प्रावधान का प्रयोग नहीं किया। ध्यातव्य है कि PIOs नागरिकों को अभिलेखों के निरीक्षण का विकल्प प्रदान कर सकते हैं बशर्ते इस सन्दर्भ में उन्हें एक समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। इससे आवेदकों को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करने में सहायता मिल सकती है।
- सार्वजनिक प्राधिकरणों में अभिलेखों के प्रबंधन की समुचित प्रक्रियाओं के अभाव के कारण 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने में असफलता देखने को मिली। प्रशिक्षित PIOs तथा सक्षमकारी अवसंरचना (कम्प्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फोटोकॉपी इत्यादि) की अनुपलब्धता के कारण यह परिस्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सर्वेक्षण के अनुसार, किसी भी विभाग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि सर्वेक्षण के दायरे में शामिल अधिकांश PIOs द्वारा RTI आवेदनों की इलेक्ट्रॉनिक सूची का निर्माण नहीं किया जाता है।
- **PIO के प्रशिक्षण, स्थानान्तरण और प्रेरणा का निम्न स्तर:** PIOs का प्रशिक्षण एक बड़ी चुनौती है क्योंकि न सिर्फ़ उनकी संख्या काफी अधिक है, बल्कि प्रायः अलग-अलग पदों पर उनका स्थानांतरण भी किया जाता है। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण से सम्बंधित संसाधनों की अनुपलब्धता भी अवरोध उत्पन्न करती है। बड़ी संख्या में गैर-लाभकारी संगठन भी मौजूद हैं जो आधिकारिक / गैर-आधिकारिक क्षमताओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं - ये अप्रयुक्त संसाधन हैं जिनका उपयोग क्षमता निर्माण के लिए किया जा सकता है।

  महाराष्ट्र के राज्य सूचना आयोग ने अपनी 10वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि-

'यह देखा गया है कि अधिकांश PIOs और AAs, सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदनों का उपयुक्त ढंग से उत्तर देने या सूचना प्रदान करने के तरीकों से अनभिज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त AAs के आदेशों की प्रायः अनदेखी भी कर दी जाती है।'

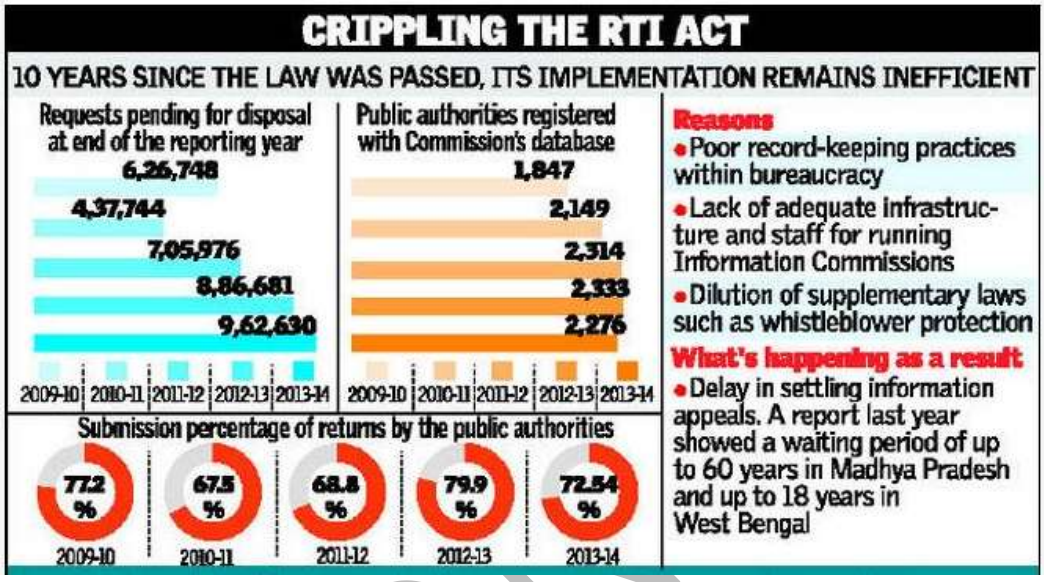
RTI प्रयोगकर्ताओं ने प्रायः यह शिकायत की है कि उनके आवेदनों में मांगी गयी सूचनाओं को प्रायः तुच्छ आधारों पर नकार दिया जाता है। इस समस्या का मुख्य कारण सरकारी कार्यालयों में PIOs और AAs (अपीलीय प्राधिकारी) की बढ़ती संख्या भी है। प्रारम्भ में, जब यह अधिनियम लागू हुआ था तो कुछ ही PIOs और AAs थे, जिनमें से अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी थे तथा उनके द्वारा इस अधिनियम का गंभीरता से क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान में, PIOs और AAs की संख्या में वृद्धि होने से अधिनियम के क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा RTI अधिनियम की धारा 6(3) और धारा 7(9) का प्रायः दुरुपयोग किया जाता है।

VISION IAS

धारा 6(3) के अनुसार "यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी ऐसी सूचना के सन्दर्भ में अनुरोध प्राप्त होता है जो किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में है तो वह इस आवेदन अथवा आवेदन के सम्बंधित भाग को अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित करने में सक्षम होगा"। कुछ प्राधिकरण अपने अभिलेखों की जाँच किये बिना ही आवेदनों को अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित कर देते हैं।

धारा 7(9) के अनुसार "सूचना को सामान्यतः उसी रूप में प्रदान किया जायेगा जिस रूप में इसकी मांग की गयी है, जब तक कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को असमान रूप से नहीं प्रभावित करता अथवा अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक नहीं होता"।



इस सर्वेक्षण में प्रदर्शित मुद्दों के अतिरिक्त यह पाया गया है कि प्रभुत्वशाली लोगों के विरुद्ध सूचना की मांग करने पर RTI कार्यकर्ताओं का जीवन संकट में पड़ जाता है। ये परिस्थितियां सूचना मांगने वाले लोगों को निरुत्साहित करती हैं तथा RTI अधिनियम 2005 के मूल उद्देश्य को कमज़ोर करती हैं।

इसके अतिरिक्त अप्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने के चलते RTI आवेदनों की प्रॉसेसिंग में देरी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सन्दर्भ में सूचीकरण (cataloguing), अनुक्रमण (indexing) और व्यवस्थित भंडारण (orderly storage) जैसी प्रक्रियाओं का भी अभाव है जो RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना अनुरोध के मामले में त्वरित बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि अभिलेखों के संग्रहण के दौरान सुस्पष्ट सूचना की पुनर्प्राप्ति भी एक चुनौती है। ऐसा संभवतः प्रासंगिक एवं यथोचित सूचना के बजाय एक साथ बड़ी मात्रा में अपरिष्कृत सूचनाएँ प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण होता है।

इसके साथ ही कई बार लोक प्राधिकरणों के पास आधारभूत अवसंरचना का भी अभाव होता है। RTI के क्रियान्वयन के अंतर्गत PIOs द्वारा आवेदनकर्ता को फोटोकॉपी, सॉफ्ट कॉपी इत्यादि माध्यमों से सूचना प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जहाँ एक ओर जिला स्तर पर ये सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वहीं प्रखंड/पंचायत स्तरों पर सूचनाओं की प्राप्ति एक चुनौती है।

वस्तुतः पिछले एक दशक में RTI अधिनियम द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस अधिनियम ने सरकारी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण देश में एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन का सूत्रपात किया है। RAAG (RTI एसेस्मेंट एंड एनालिसिस ग्रुप) की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष RTI अधिनियम के अंतर्गत औसतन, 4-5 मिलियन आवेदन किये जाते हैं। हालाँकि इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। अब तक करीब 40 ऐसे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है जिन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण

सूचनाओं की मांग की थी जिसमें सरकार के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा होने की संभावना थी। इसके कारण सूचना कार्यकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुपूरक कानूनों यथा व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून का अधिनियमन आवश्यक हो गया।



इस सन्दर्भ में एक व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया गया जिसने 2 वर्षों तक राज्य सभा में लंबित रहने के पश्चात् अंततः मई 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम का रूप ले लिया। पुनश्च व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 ने जनहित में आवश्यक सूचना का प्रकटीकरण करने वाले सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की सुभेद्यता से संबंधित चिंताओं को नए सिरे से उत्पन्न कर दिया है। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून का मूल उद्देश्य व्यापक जनहित में गलत कार्य के सम्बन्ध में सूचना का प्रकटीकरण करने वाले नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना था। किन्तु ये संशोधन इस कानून की कठोरता को कम करते हैं। संशोधन, व्हिसल ब्लोअर को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के दायरे में लाकर उन्हें प्राप्त प्रतिरक्षा को समाप्त करते हैं।

इस विधेयक में पहले के अनेक प्रावधानों की कठोरता को कम कर दिया गया है तथा RTI अधिनियम की धारा 8(1) के तहत छूट प्राप्त सभी चीजों को व्हिसल-ब्लोइंग के दायरे से बाहर रखा गया है। इस प्रकार अब किसी भी संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

RTI बेहतर शासन का एक उपकरण है। यह सिविल सेवाओं द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं में सुधार हेतु अग्रसक्रिय उपायों की मांग करता है और इसे निर्णय निर्माण के सम्बन्ध में हस्तक्षेप या अवरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

3.5. RTI की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग (Harnessing Potential of RTI)

2005 के सूचना के अधिकार कानून ने हमारी शासन संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन किये हैं तथा राज्य की सभी एजेंसियों को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। इस कानून का प्रभावी कार्यान्वयन निम्नलिखित तीन मौलिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है:

- गोपनीयता की प्रचलित संस्कृति से खुलेपन की एक नई संस्कृति की ओर;
- वैयक्तिक तानाशाही से उत्तरदायित्व युक्त प्राधिकरण की ओर; तथा
- एकपक्षीय निर्णय प्रक्रिया से सहभागी शासन की ओर।

ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर संस्थानों, परंपराओं और प्रथाओं, कानूनों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन तथा जनता एवं सरकारी कर्मचारियों की पर्याप्त भागीदारी पर निर्भर करते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों को सही जानकारी के स्वतः प्रेरित प्रकटीकरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसके साथ ही सार्वजनिक कर्मचारियों के बीच गोपनीयता की औपनिवेशिक मानसिकता की समाप्ति हेतु उनके आचरण में परिवर्तन की आवश्यकता है। वास्तव में, सरकार को अधिकतम प्रकटीकरण के सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और अधिकारियों को सूचना प्रकाशित करने के अपने दायित्व को महसूस करना चाहिए।

सार्वजनिक निकायों में 'खुली सरकार' की अवधारणा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अभिनव तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें सूचना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उनकी बैठकों को जनता के लिए खुला कर देना चाहिए। सूचना अनुरोधों को तीव्रता से और निष्पक्ष रूप से संसाधित किया जाना चाहिए और सूचना प्रकटीकरण से इंकार करने पर स्वतंत्र समीक्षा उपलब्ध होनी चाहिए।

व्यक्तियों को सूचना की मांग करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, RTI कार्यकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स के लिए सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। RTI के प्रयोग के सन्दर्भ में, आमजन के मध्य आत्मविश्वास उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

द्वितीय ARC ने यह निष्कर्ष प्रदान किया कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 वर्तमान समय में उभरती आवश्यकताओं के सन्दर्भ में पुरातन और अनुपयुक्त है और इसलिए, इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक अध्याय अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए जिसमें आधिकारिक गोपनीय सामग्री से संबंधित प्रावधान शामिल हों। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा विलम्ब, उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने हेतु एक स्वतंत्र सार्वजनिक शिकायत निवारण प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए।

ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता के साथ-साथ इसके विवेकपूर्ण उपयोग की ज़िम्मेदारी भी सम्मिलित होती है। यही कारण है कि हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। हालांकि यह सच है कि सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार और कुशासन का सामना करने हेतु आम जनता को प्रदत्त एक सशक्त साधन है, किन्तु इसका सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए और गैर महत्वपूर्ण आवेदन नहीं किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, देश के आंतरिक मामलों में अराजकता उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा सूचना का दुरूपयोग किया जा सकता है। इससे हितधारकों के मध्य अविश्वास और निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो अत्यंत निराशाजनक और हानिकारक हो सकती है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त जांच और संतुलन बनाए रखे जाने की आवश्यकता है कि इस अधिकार या इसके उपयोग करने से प्राप्त सूचना का दुरूपयोग कर किसी भी स्थिति में देश की अखंडता और संप्रभुता पर आक्रमण न किया जा सके।



4. राष्ट्रीय डेटा साझाकरण एवं अभिगम्यता नीति- 2012



{National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP)- 2012}

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, संगठन और संस्थान सार्वजनिक निधियों का उपयोग कर अपने संबंधित क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में डेटा एकत्रित करते हैं। अधिकाँश समय, यह डेटा नागरिक समाज के लिए सुलभ नहीं होता है। हालांकि, सार्वजनिक निवेश के माध्यम से एकत्रित या विकसित डेटा को जब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है तब उनके संभावित मूल्य को पूर्ण रूप से साकार किया जा सकता है। यह नागरिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में तर्कसंगत बहस, बेहतर निर्णयन और उपयोग को सक्षम बना सकता है।

इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा NDSAP तैयार की गई थी।

उद्देश्य

इसका लक्ष्य भारत सरकार के एक नेटवर्क के माध्यम से मानव द्वारा पठनीय और मशीन द्वारा पठनीय दोनों रूपों में सरकार के स्वामित्व वाले तथा साझा करने योग्य डेटा तक अभिगम्यता के लिए नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह कार्य RTI अधिनियम, 2005 में बताए गए व्यापक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक डेटा और सूचना की व्यापक अभिगम्यता एवं इसके उपयोग की अनुमति प्रदान करते हुए किया जाएगा। यह नीति भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, संगठनों और एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक निधि का उपयोग कर सृजित किए गए सभी साझा करने योग्य, गैर-संवेदनशील डेटा पर लागू होती है।

लाभ

- **अभिगम्यता:** सरकार के स्वामित्व वाले डेटा तक पहुँच जो समुदाय के लाभ के लिए एक मूल्यवान सार्वजनिक संसाधन के अधिक व्यापक उपयोग को सक्षम बनाएगा।
- **लागत प्रभाविता:** डेटा को साझा करके अलग-अलग निकायों को एक ही प्रकार के डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता से बचा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप डेटा संग्रहण में महत्वपूर्ण लागत की बचत होती है।
- **अंतर-परिचालनीयता (Inter-operability):** डेटा के संग्रहण और हस्तांतरण के लिए सामान्य मानकों को अपनाने से व्यक्तिगत डेटा सेट का एकीकरण संभव हो सकता है।
- **जवाबदेही:** प्रमुख डेटा सेट के लिए स्वामित्वों की पहचान उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता वाले डेटा संग्रहण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और डेटा मानकों के विकास के लिए उत्तरदायी लोगों की पहचान करने हेतु सूचना उपलब्ध कराती है।

डेटा और सूचना बिना पुनरावृत्ति लागतों के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करती है। पर्यावरण संरक्षण, विकास योजना, संपत्तियों का प्रबंधन, जीवन स्तर में सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदाओं को नियंत्रित करने जैसे कई निर्णय निर्माण वाले कार्यों के लिए मौजूदा मूल्यवान डेटा तक पहुँच आवश्यक है।

5. पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेंस का लाभ उठाना

(Leveraging e-Governance for Transparency)

ई-गवर्नेंस सार्वजनिक सेवा वितरण को सहायता प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई-गवर्नेंस लोगों के लिए पारदर्शिता और बेहतर सेवाओं को सुनिश्चित करती है। यह सार्वजनिक और अन्य एजेंसियों को एक दक्ष, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सूचना प्रसारित करती है तथा सरकार की प्रशासनिक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। सरकार सूचनाओं को लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में

VISION IAS

देश में एक अद्वितीय सार्वजनिक सूचना अवसंरचना का निर्माण करना एक आधारभूत आवश्यकता है। यह अवसंरचना हमारे वर्तमान शासन व्यवस्था और सेवा वितरण प्रतिमान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए ICT का लाभ उठाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा उठाई गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:



i. सोशल मीडिया

- सोशल मीडिया प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। यह सूचना के सुगम प्रकाशन और तीव्र प्रसार को संभव बनाती है। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देती है जो सरकार के प्रति नागरिकों की सद्भावना को सुदृढ़ कर सकती है। नागरिकों के लिए सोशल मीडिया में सरकारी सूचना को अंतः स्थापित करके यह सरकार के लिए अब अप्रत्याशित पहुँच और वास्तविक समय में संपर्क करने के साधन उपलब्ध कराती है। सरकार और उसके अधिकारियों तक पहुँच को आरम्भ करते समय, यह समुदाय संचालित पहलों के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न करती है। सरकार के लिए यह सार्वजनिक प्रवृत्तियों, व्यापक सामाजिक रुझानों का पूर्वानुमान तथा किसी विषय पर तेज़ी से सार्वजनिक मत प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है।
- नागरिक निकायों तथा महानगरीय अधिकारियों ने लोगों से वार्ता करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। कुछ मामलों में, क्षेत्रों में सूक्ष्म बदलावों के लिए लोगों से प्रतिक्रिया मांगी जाती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली और बंगलुरु पुलिस ट्विटर और फेसबुक पर सक्रिय है। दिल्ली नगर निगम के फेसबुक पेज ने 1500 से अधिक शिकायतें संचित कीं हैं जिनमें से अधिकांश का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया गया है।
- हालांकि, इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। हाल ही में, दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे उदाहरणों की सूचना दी जहाँ पारदर्शिता ने 'भ्रामक समाचारों' (fake news') को बढ़ावा दिया। तथ्य आखिर तथ्य ही होते हैं किन्तु वे व्याख्या के लिए खुले होते हैं। उदाहरण के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका (एक ब्रिटिश राजनीतिक परामर्श फर्म) का मामला, जो जनमत को प्रभावित करने तथा उसे आकार देने के लिए रणनीतिक संचार के साथ व्यापक डेटा माइनिंग और विश्लेषण का उपयोग करता था। ऐसे मामले नागरिकों के लिए गोपनीयता और खुलेपन के मध्य संतुलन की मांग करते हैं। ठीक यही तर्क सरकारों में गोपनीयता और खुलेपन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

ii. राष्ट्रीय ई-शासन योजना (National e-Governance Plan: NGeP)

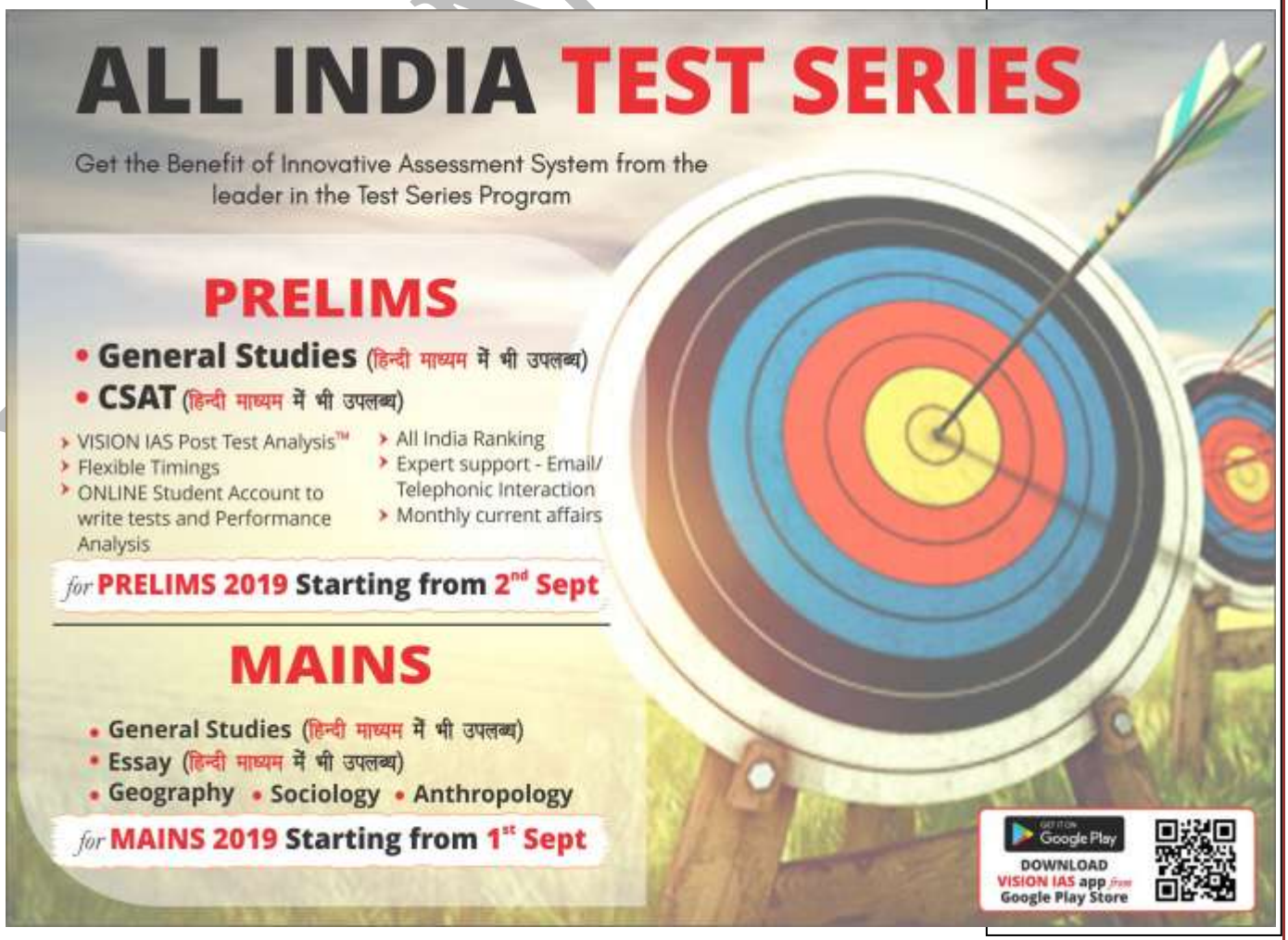
- इस योजना का उद्देश्य **शासन को 'सरल (Simple), नैतिक (Moral), उत्तरदायी (Accountable), अनुक्रियाशील (Responsive) और पारदर्शी (Transparent)' (SMART)** बनाने के लिए ICT का क्रियान्वयन करना है। यह सम्पूर्ण देश में ई-शासन से सम्बंधित प्रयासों को एक सामूहिक दृष्टिकोण और सामूहिक उद्देश्य के अंतर्गत एकीकृत करता है।
- ई-गवर्नेंस शासन प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करती है। इसके तहत सरकार से संबंधित लगभग सभी सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध करायी जाती हैं। जब भी नागरिकों को इसकी आवश्यकता हो वे इस सूचना तक पहुँच सकते हैं। ICT सूचना को छुपाने की संभावनाओं को कम करने के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने में सहायता करती है। एक बार शासी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया जाए तो उसके पश्चात सरकार स्वतः ही उत्तरदायी बन जाती है।
- हालांकि, ई-सरकार 'ई' (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक) के बारे में नहीं बल्कि 'सरकार' के बारे में है। यह न केवल कंप्यूटर और वेबसाइटों के संदर्भ में है, बल्कि सरकार के परिवर्तन, सरकारी

VISION IAS

प्रक्रियाओं और कार्यों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र के बारे में है ताकि सरकार को ऑटो-पायलट (स्वचालित) मोड पर रखा जा सके।

iii. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace: GeM)

- GeM एक स्पेशल पर्पज व्हिकल (विशेष प्रयोजन वाहन) है, जिसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के अन्य शीर्ष स्वायत्त निकायों द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीददारी को सुविधाजनक बनाकर सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह ई-बोली-प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है ताकि सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके धन के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो सके।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) ने ई-गवर्नेंस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएँ की हैं:
  - पुलिस, न्यायपालिका, परिवहन और संपत्तियों के पंजीकरण सहित सभी सार्वजनिक विभागों का कम्प्यूटरीकरण।
  - सभी सार्वजनिक खरीद और अनुबंधों में ई-खरीद का प्रारंभ।
  - नागरिकों को सेवाओं के वितरण हेतु 'टच स्क्रीन सिस्टम' का आरम्भ।
  - सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए 'लोकवाणी' सॉफ्टवेयर की प्रतिकृति।
  - शासन के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और ई-गवर्नेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- इस प्रकार, ई-गवर्नेंस को शासन में सुधार के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है।



6. निष्कर्ष (Conclusion)



निष्कर्षतः यह कहना गलत नहीं होगा **कि सार्वजनिक सूचनाओं की प्राप्ति लोगों का अधिकार है तथा लोगों से संबंधित कार्य सार्वजनिक रूप से ही किये जाने चाहिए। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक अधिकारियों को लोकहित में लिए गए सद्भावनापूर्ण निर्णयों के लिए अभियोजित किये जाने के भय के बिना एक मुक्त वातावरण में कार्य करने की अनुमति दी जाए।**

एक दोधारी तलवार के रूप में RTI: लोकतंत्र में RTI की अपनी सीमाएं हैं। एक प्रबुद्ध नागरिक को RTI का उपयोग लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में करना चाहिए न कि राज्य के कामकाज में बाधा डालने के साधन के रूप में। RTI से संबंधित कार्यकरण के लिए एक अनुकूल परिवेश की आवश्यकता है। इसे सहयोगी संस्थानों एवं शासन प्रणाली की भी आवश्यकता है अन्यथा व्यवस्था से होने वाला रिसाव अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और राज्य की वैधता को कमजोर बना सकता है।

प्रासंगिक, समयबद्ध एवं सटीक सूचना सार्वजनिक हित के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा साथ ही लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए भी आवश्यक हैं। उपर्युक्त वर्णित समस्त रणनीतियों का उद्देश्य वृहत लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक जुड़ाव के माध्यम से शासन व्यवस्था में सुधार करना है। हमारे लोकतंत्र के कार्यवाहकों के रूप में सरकारी नेताओं को सार्वजनिक हित में वृद्धि करने हेतु सूचनाओं तक बेहतर पहुंच और सूचना तथा उस सूचना के निर्वचन के साधनों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार की खुली पहलें लोगों को यह जानने में सक्षम बनाती हैं कि सरकार क्या कर रही है। इसके साथ ही ये पहलें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करती हैं तथा सरकारों को अपने समुदायों के नागरिक जीवन से पूर्णतः संबद्ध करती हैं। ICT और इंटरनेट हमारे सूचना लोकतंत्र के इन महत्वपूर्ण तत्वों को प्रोत्साहित करते रहेंगे क्योंकि इससे नागरिक अधिक सूचना-संपन्न बनेंगे और सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में तथा उत्तरदायित्व के अन्य मानकों में भागीदारी करने में सक्षम होंगे।

चूंकि इस फ्रेमवर्क के अनुपालन एवं इसके लाभों के लिए अभी भी अपनी लक्षित क्षमता प्राप्त करना शेष है, अतः इसमें सुधार की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। नियोजन और निर्णय निर्माण में सिविल सोसाइटी की प्रभावी भागीदारी में बाधा डालने वाले कारणों में सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा, वित्तीय स्वतंत्रता का अपर्याप्त ढांचा और नागरिकों के मध्य जागरूकता की कमी इत्यादि प्रमुख हैं। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि वर्तमान स्थितियों में लोग अपने अधिकारों के प्रति तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को लेकर अधिक मुखर हुए हैं। इसके फलस्वरूप सरकारें उनकी आवाज़ों को सुनने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हुई हैं।

7. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न

(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions)

1. **प्रभावी लोक सेवा प्रदायगी हेतु, जवाबदेहिता की पारंपरिक प्रणाली के स्थान पर अधिकाधिक नागरिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक जवाबदेही प्रणाली की ओर अग्रसर होना वर्तमान समय की आवश्यकता है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।**

दृष्टिकोण:

- सामाजिक जवाबदेहिता की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
- पारंपरिक जवाबदेही के साथ इसकी तुलना कर इसके लाभों पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
- कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।

VISION IAS

उत्तर:



सरकार का काम इतना व्यापक तथा जटिल होता है कि इसकी शक्तियों तथा गतिविधियों पर किसी नियंत्रण की आवश्यकता सदैव होती है। जवाबदेहिता से यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा लिए गए निर्णय निगरानी का विषय हैं ताकि यह गारंटी दी जा सके कि सरकारी पहलें अपने उद्देश्यों पर खरी उतरेंगी तथा जिस समुदाय के लाभ के लिए उन्हें आरम्भ किया गया है, उसकी आवश्यकताओं के प्रति उपयुक्त अनुक्रिया करेंगी। इस प्रकार बेहतर शासन व्यवस्था की स्थापना और निर्धनता को कम करने में मदद मिलती है। यह नियंत्रक व्यवस्था जवाबदेहिता की विविध प्रणालियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। जवाबदेहिता की पारंपरिक प्रणालियों में विधायी नियंत्रण, प्रशासकीय नियंत्रण, न्यायिक उपचार, विभागीय श्रेणीक्रम, निगरानी व्यवस्थाएं इत्यादि सम्मिलित हैं। हालाँकि ऐसी नियंत्रण प्रणालियाँ प्रायः कार्य हो जाने के बाद जांच कर पाती हैं तथा कार्य की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में कम प्रभावी होती हैं। इससे सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

विश्व बैंक सामाजिक जवाबदेहिता को नागरिक भागीदारी पर आधारित एक जवाबदेह व्यवस्था (अर्थात् जिसमें सामान्य नागरिक और नागरिक समाज जवाबदेही के अनुपालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं) के निर्माण की ओर अग्रसर एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करता है। यह नागरिकों, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों को संबद्ध करती है। ये हितधारक किसी विशिष्ट परियोजना, कार्यक्रम या नीति की निगरानी या मूल्यांकन में संलग्न होते हैं, संसाधनों पर नियंत्रण में भागीदार होते हैं, फीडबैक प्रदान करते हैं तथा आवश्यकता होने पर सुधार कार्यों में भी संलग्न होते हैं। इस प्रकार ये स्थानीय स्तर पर नागरिकों को बेहतर सेवाओं की मांग के लिए गतिशील करते हैं, जिससे सेवाएं और अधिक प्रभावी तथा आर्थिक रूप से लाभप्रद हो जाती हैं। इससे सुशासन की स्थापना सुनिश्चित होती है तथा समुदाय को भागीदारी, स्वामित्व तथा सशक्तीकरण का बोध होता है।

विभिन्न स्थानों पर क्रियान्वित सामाजिक जवाबदेही के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- सहभागी नियोजन तथा नीति निर्माण (केरल, ब्राज़ील, बांग्लादेश);
- सहभागी बजट विश्लेषण (गुजरात);
- सहभागी व्यय निगरानी व्यवस्था (युगांडा, दिल्ली, राजस्थान);
- नागरिक सर्वेक्षण/नागरिक रिपोर्ट कार्ड (बंगलुरु, महाराष्ट्र, युक्रेन, फिलीपींस, पाकिस्तान);
- नागरिक अधिकार-पत्र (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक); और
- सामुदायिक स्कोरकार्ड (मलावी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश)।

यह बात सु-स्थापित है कि जवाबदेहिता की सामाजिक प्रणालियाँ शासन व्यवस्था में सुधार करने, विकास की गति में तीव्रता लाने, बेहतर सेवा वितरण तथा सशक्तीकरण के माध्यम से प्रभावपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करने में योगदान कर सकती हैं। इन पद्धतियों तथा साधनों के अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए अभियान, जन हित याचिका, सामाजिक लेखा परीक्षा, स्वतंत्र मूल्यांकन इत्यादि साधन भी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। राज्य स्तर पर नागरिकों की अधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रायः जनता दरबार तथा मोहल्ला सभाओं का आयोजन किया जाता है।

VISION IAS



राज्य की जवाबदेहिता संबंधी प्रणालियों के पारदर्शी होने तथा नागरिकों की अधिक सहभागिता के सुनिश्चित होने की स्थिति में ये पहलें अधिक प्रभावी सिद्ध होती हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से वे यह सुनिश्चित करती हैं कि एक आवश्यकता आधारित बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि आधारभूत स्तर की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान हो सके। इन प्रणालियों से पारदर्शिता लाने, समय-बद्ध सेवा प्रदायगी, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के चरण में सार्वजनिक भागीदारी, अधिक सावधानी व अंतिम बिंदु तक पहुँच सुनिश्चित करने में सहायता मिली है, साथ ही नौकरशाही के दृष्टिकोण में बदलाव भी आया है।

2. देश में शासन व्यवस्था में सुधार लाने में सूचना के अधिकार (RTI) की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। परीक्षण कीजिए कि जिन उद्देश्यों के लिए इसे लाया गया था, क्या यह उनको पूरा कर पाया है?

दृष्टिकोण:

- शासन व्यवस्था में सुधार, प्रशासन में नैतिकता तथा लोगों के सशक्तिकरण में 'सूचना के अधिकार (RTI)' के प्रभावों को रेखांकित कीजिए।
- अगले भाग में इसके क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- कुछ उपाय सुझाते हुए निष्कर्ष दीजिए।

उत्तर:

RTI अधिनियम के क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं तथा वर्तमान में प्रतिवर्ष कम से कम 50 लाख RTI आवेदन किए जा रहे हैं। इस कानून के निम्नस्तरीय क्रियान्वयन की तमाम शिकायतों के बाद भी लोगों ने इस कानून को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया है। संभवतः इसका कारण यह है कि RTI एक आम भारतीय नागरिक को वास्तविक सशक्तिकरण तथा उम्मीद का भाव प्रदान करता है।

उपलब्धियाँ

- RTI ने नागरिकता तथा सक्रियता की एक नई अवधारणा का विकास किया है क्योंकि इसके द्वारा सवाल पूछने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया है। RTI के माध्यम से व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निजीकरण की पहल, पेंशन, सड़क मरम्मत, बिजली कनेक्शन, दूरसंचार की शिकायतों आदि से संबंधित मुद्दों पर जानकारी मांग रहे हैं।
- यह अफसरशाही के कुकृत्यों का कड़ा प्रतिरोध करता है और इसलिए भ्रष्टाचार को कम करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।

हालांकि इस कानून से निश्चित रूप से सार्वजनिक निकायों में अधिक पारदर्शिता आई है, परंतु अभी भी जवाबदेही समुचित रूप से नहीं बढ़ी है।

- संगठनों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें "लोक प्राधिकरण" की परिभाषा के तहत समाविष्ट किया जाना चाहिए था परंतु ये संगठन अधिनियम के तहत समाविष्ट होने हेतु स्वयं सक्रिय रूप से आगे नहीं आए हैं।
- कई बार प्रदत्त सूचना गुणवत्तापूर्ण नहीं होती हैं, जिसके कारण आवेदक को मजबूरन आगे अपील करनी पड़ती है; वहीं अनेक मामलों में सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान नहीं की जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ इस कानून को प्रयोग करने की प्रेरणा को समाप्त कर देती हैं तथा कानून प्रवर्तन संस्थाओं पर बोझ डालती हैं।

VISION IAS



- ऐसा देखा जाता है कि जन सूचना अधिकारी (PIOs) तथा नौकरशाहों के बीच व्यवहारगत परिवर्तन की कमी है तथा वे प्रायः सूचना देने से बचने के लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम का सहारा लेते हैं। इस प्रकार बिना व्यवहारगत परिवर्तन लाए कानूनी परिवर्तन प्रभावी नहीं रह जाता तथा यह अधिनियम की प्रभावशीलता में कमी लाता है। लोक सेवकों के मध्य पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व के मूल्यों में कमी भी देखी जाती है। RTI की धारा 4(1)(b), सूचना के सक्रिय स्वत: प्रकटीकरण का समर्थन करती है। इस धारा का अप्रभावी कार्यान्वयन भी एक प्रमुख मुद्दा है।
- कानून के प्रवर्तन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है क्योंकि यह स्पष्ट रुप से देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल अधिनियम की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस अधिनियम को राजनीतिक दलों पर भी लागू करने सम्बन्धी केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश के अनुपालन के सन्दर्भ में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
- सूचना के अधिकार को लेकर अभी भी जनजागरुकता में कमी विद्यमान है।

आगे की राह

- लोगों में RTI के प्रयोग के प्रति जागरुकता का प्रसार कर उन्हें इसके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के साथ ही स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएँ।
- PIOs तथा लोक सेवकों को व्यवहारगत प्रशिक्षण दिया जाए।
- केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयुक्तों को अपने आदेशों का अनुपालन करवाने की शक्ति प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्हें अधिनियम के कार्यान्वयन तथा सुधारात्मक उपायों के लिए समुचित जनबल एवं अवसंरचना उपलब्ध कराए जाएं।
- सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- लोक सेवाओं में मानकों हेतु गठित नोलन समिति (Nolan Committee) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार लोक सेवकों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ मूल्यों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

3. प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना नौकरशाही प्रक्रिया में एक और स्तर जोड़ देता है। परीक्षण कीजिए। जवाबदेहिता और ज़िम्मेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे भारत में प्रशासनिक जवाबदेही को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

दृष्टिकोण:

- जवाबदेही को परिभाषित कीजिए। दिए गए कथन की पृष्ठभूमि में निहित तर्क पर चर्चा कीजिए।
- प्रशासकीय तथा नैतिक संदर्भों में जवाबदेहिता और ज़िम्मेदारी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।
- प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए ARC की कुछ अनुशंसाओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

जवाबदेही का अर्थ किसी कार्य के परिणाम का दायित्व स्वीकार करना तथा इसके कारण उत्पन्न मुद्दों से निष्पक्षतापूर्वक तथा बिना किसी विलम्ब के निपटना है। इस प्रकार, इसमें दो भाग संबद्ध होते हैं: उत्तरदेयता तथा आचरण या प्रवर्तन। कभी-कभी, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम कदम के रूप में पारदर्शिता, को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है।

यह तर्क दिया जाता है कि नौकरशाही में एक अन्य स्तर जोड़ कर जवाबदेहिता कार्य-कुशलता को कम कर देती है:

- अधिकारी अपना समय दस्तावेजों को सही रखने तथा RTI के उत्तर देने में ही बिता देते हैं, जिसका उपयोग शासनात्मक कार्यों को करने में भी किया जा सकता है।

VISION IAS

- इससे उनका आचरण यथा-स्थिति बनाए रखने वाला हो जाता है। सार्वजनिक छान-बीन के भय से वे निर्णय लेना कम कर देते हैं।



तथापि, जवाबदेहिता सुशासन की आधारशिलाओं में से एक है। सार्वजनिक अधिकारियों/ निकायों की कार्य-कुशलता का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधानों में व्यय किए गए धन का पूरा प्रतिफल प्रदान कर रहे हैं, सरकार के प्रति विश्वास का संचार कर रहे हैं तथा जिस समुदाय की सेवा में उन्हें लगाया गया है उसके प्रति संवेदनशीलता बरत रहे हैं या नहीं।

एक जवाबदेह पद कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता तथा निष्कपटता प्रदर्शित करता है तथा बाधाओं के बावजूद परिणामों की प्राप्ति पर ध्यान केन्द्रित रखता है। यह प्राथमिकताओं पर बल देता है तथा परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं के अनुकूल शीघ्रतापूर्वक प्रतिक्रया देता है।

जवाबदेहिता तथा ज़िम्मेदारी के मध्य अंतर:

- प्रशासकीय बोल-चाल की भाषा में, ज़िम्मेदारी का आशय किसी विशेष पद/स्थिति पर विद्यमान होने के कारण उससे अपेक्षित कुछ कर्तव्यों के निष्पादन के प्रभार से है। जवाबदेही का दायरा इससे एक कदम आगे तक जाता है। इसमें जवाब देने की बाध्यता भी समाहित है अर्थात् कर्तव्य के सम्पादन से प्राप्त परिणामों से सम्बंधित जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसलिए, किसी व्यक्ति को जवाबदेह, कार्य सम्पादन के बाद ही बनाया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, एक न्यायाधीश फैसला देने के लिए ज़िम्मेदारी होता है, किन्तु परिणामों के अनुकूल न होने की दशा में जवाबदेह नहीं होता। एक जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में RTE का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होने के साथ-साथ जवाबदेह भी होता है।
- विशिष्ट शब्दों में, ज़िम्मेदारी का संबंध स्वयं तथा अन्यों से की गयी अपेक्षा से भी हो सकता है। किसी चीज़ के लिए नैतिक रूप से ज़िम्मेदारी होना, किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार का पात्र हो जाना भी है; यथा किसी कार्य को करने पर प्रशंसा प्राप्त करना या दोषी ठहराया जाना।
- उदाहरण के लिए, किसी दरिद्र व्यक्ति की सहायता करना समृद्ध तथा समानुभूतिपूर्ण लोगों की ज़िम्मेदारी है किन्तु उनकी सहायता न करने की स्थिति में उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि सहायता नहीं करने पर उनकी भर्त्सना की जा सकती है।
- ज़िम्मेदारी किसी अन्य को भी प्रदान किया जा सकता है किन्तु जवाबदेही के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता।

प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित करना

- ह्विसल ब्लोअर को वैधानिक संरक्षण प्रदान करना।
- स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है, यथा- मनरेगा।
- सूचना तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग: इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्रणालियों का उपयोग तथा डिजिटल रिकॉर्ड रखना जवाबदेही के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं।
- नागरिकों की पहल को प्रोत्साहन देना: उदाहरण के लिए, RTI को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना।
- प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में एकाधिकारवादी दृष्टिकोण को हतोत्साहित करना।

VISION IAS

4. सूचना के अधिकार (RTI) की सफलता के लिए एक प्रमुख चुनौती, सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु क्षमताओं का विकास करना है। चर्चा कीजिए। लोक प्राधिकारियों एवं नागरिकों, दोनों की क्षमताओं में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है?



दृष्टिकोण:

- लोक प्राधिकारियों की क्षमताओं से जुड़े पहलू को बताते हुए न केवल भौतिक आधारभूत अवसंरचना बल्कि मानव संसाधनों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- दूसरे भाग में सूचना साक्षरता के प्रति जागरुकता बढ़ाने और इस प्रयोजन से गैर-सरकारी संगठनों जैसी संस्थाओं और सूचना तकनीकी साधनों के उपयोग पर फोकस किया जाना चाहिए।

उत्तर:

सूचना का अधिकार अधिनियम, प्रासंगिक परियोजनाओं के निर्माण एवं उसकी निगरानी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, जवाबदेहिता की सुनिश्चितता और विकास के दायित्व में पारस्परिक सहभागिता हेतु सरकार एवं नागरिकों के इंटरफ़ेस के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकारियों को सेवाओं के वितरण की खुली और पारदर्शी प्रक्रियाएं और विधियाँ अपनाने की आवश्यकता है। विकास में सहभागी लोगों के मध्य सूचना साझाकरण हेतु परिवेश का निर्माण करते हुए सूचना एवं ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करना, विकास के अवसरों में समानता स्थापित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- सरकारी विभागों में अभिलेखों का त्रुटिपूर्ण रखरखाव सूचना की उपलब्धता में एक मुख्य समस्या है। एक समुचित सूचना प्रबंधन प्रणाली (Information Management System: IMS) का अभाव है। इसलिए सूचना की उपलब्धता में देरी होती है, जिसके फलस्वरूप अधिनियम को लागू करने में समस्याएं आती हैं।
- IMS के उपलब्ध होने पर भी, कर्मचारियों को उनके संचालन की जानकारी नहीं होने के कारण सूचना को तीव्रता से खोजना संभव नहीं नहीं हो पाता है।
- समस्या तब और बढ़ जाती है, जब नागरिक असंगत सूचना की मांग करते हैं अथवा कभी-कभी ऐसी सूचना की मांग कर बैठते हैं, जो पहले से ही लोगों को दी जा चुकी होती है या कानून के तहत वर्जित होती है।
- उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होती कि सूचना किस प्रारूप में मांगी जाए और सूचना के लिए किससे संपर्क किया जाए।

इसलिए, लोक प्राधिकारियों और नागरिकों, दोनों की क्षमताओं में वृद्धि हेतु एक द्विआयामी रणनीति की आवश्यकता होगी।

पहली, आंकड़ों और सूचना के संग्रह तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें खोजने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा एक ऐसी व्यापक IMS विकसित की जानी चाहिए, जिसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किया जा सके जो विकास के उद्देश्यों से सूचना की जांच और उपयोग करने की मांग करे। सूचना के वितरण की मांग की पूर्ति करने के लिए न केवल संस्था की क्षमता को बल्कि विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित और आवश्यक साधनों से लैस किया जाना चाहिए।

दूसरी, सूचना की मांग का समुचित ढंग से प्रबंधन करने हेतु आम तौर पर गैर-सरकारी संगठनों और खास तौर पर, नागरिकों में जन जागरूकता का संचार करने के लिए सूचना साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। किस सूचना की कहां से और कैसे मांग की जाए, इसका निर्णय और चयन कैसे करें; इसके लिए लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने हेतु एक बहु स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त,

VISION IAS

आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रभावशाली सहभागिता के लिए सूचना का समुचित उपयोग कैसे करें, इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए।

शिक्षित और अल्पशिक्षित, दोनों प्रकार के नागरिकों के बीच सूचना साक्षरता को बढ़ावा देने का मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास प्रक्रिया को बढ़ाने का दायित्व लोगों और लोक प्राधिकारियों, दोनों का है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 26 के तहत, शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समझ को विकसित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। सूचना साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु सूचना तकनीकी संसाधनों और सभी रूपों तथा स्तरों की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का उपयोग भी किया जाना चाहिए।

5. व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति द्वारा शासन करने वाली एक सरकार के गठन में सबसे बड़ी समस्या सर्वप्रथम सरकार को इस योग्य बनाने की होती है कि वह शासितों पर नियंत्रण कर सके और इसके बाद स्थान आता है स्व-नियंत्रण हेतु स्वयं को बाध्य करने का। भारत में लोक सेवाओं की जवाबदेहिता के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी कीजिए।

दृष्टिकोणः

- प्रस्तुत कथन उस पेचीदगी और जटिल माहौल की बात की करता है जिसमें लोक प्रशासकों को कार्य करना पड़ता है। अतः उत्तर में सर्वप्रथम कथन को विस्तारपूर्वक समझाया जाना चाहिए।
- उत्तर का अगला भाग सरकार द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने की बाध्यता पर केन्द्रित होना चाहिए। आंतरिक जवाबदेहिता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।
- उपर्युक्त बिन्दुओं को उदाहरणों के साथ विस्तारपूर्वक प्रस्तुत कीजिए।

उत्तरः

मनुष्य यदि देवदूत होते तो किसी सरकार की आवश्यकता नहीं होती। यदि देवदूत मनुष्यों पर शासन करें तो किसी बाह्य नियंत्रण या सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों पर निर्भरता निःसन्देह सरकार पर प्राथमिक नियंत्रण है, किन्तु विभिन्न अनुभवों से मनुष्य जाति ने अतिरिक्त सावधानियों की आवश्यकता महसूस की है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे ढाँचों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का निर्माण करे जो समाज में प्रभावी कानून और व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें।

दूसरी तरफ, स्वविवेक के साथ निर्णय और जवाबदेहिता किसी भी सरकार के लिए वास्तविक चुनौतियाँ हैं। यद्यपि भारत में प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित रखने हेतु आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के साथ-साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जवाबदेहिता की धारणाएं स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं, तथापि पिछले 60 वर्षों में उनके कार्यान्वयन ने यह प्रदर्शित किया है कि अधिकांश प्रक्रियाओं का पालन करने की बजाय उनका उल्लंघन किया गया है।

वर्तमान युग में, सूचित नागरिकों और नागरिक समाज की उत्साहपूर्ण सहभागिता के कारण यद्यपि बाह्य जवाबदेहिता प्रक्रियाएँ, जैसे- सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक घोषणापत्र सामान्य बातें हो गयी हैं, फिर भी आंतरिक जवाबदेहिता प्रक्रियाओं (जैसे- कार्य निष्पादन मूल्यांकन) में जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए वस्तुनिष्ठता और उत्प्रेरण का अभाव होता है। उदाहरण के लिए संस्थाओं की आंतरिक सतर्कता समितियों का गठन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने हेतु किया गया है, किन्तु वे भी उसी प्रकार के नियमों और प्रक्रियाओं का शिकार हैं और इसलिए जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना एक सुदूर स्वप्न प्रतीत होता है।

VISION IAS

चारा घोटाला, 2जी घोटाला, कोयला घोटाला आदि घोटाले न केवल ऐसे कृत्यों को रोकने में संस्थागत प्रक्रियाओं की कमी को प्रबल रूप से दर्शाते हैं अपतु वास्तविक जीवन में नैतिकता के पालन के प्रति गहन उदासीनता को भी प्रदर्शित करते हैं।

इसका समाधान समाज में मूल्यों को स्थापित करने में निहित है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार समाज का व्यापक प्रतिबिम्ब है। जब तक नागरिकों के स्वयं के नैतिक मूल्य लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार से कमजोर होना बंद नहीं होंगे, तब तक सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और नैतिकता की समस्या विद्यमान रहेगी। यह अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए कि सुशासन केवल लोक सेवकों का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागारिक का भी दायित्व है।

6. प्रभाविता और जवाबदेही के मध्य एक आधारभूत विरोधाभास नज़र आता है। टिप्पणी कीजिए। सुशासन की राह में जवाबदेही एक आवश्यक बुराई क्यों है, चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- उत्तर के प्रथम भाग में उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि प्रशासन में इस पर विवाद क्यों है।
- उत्तर का दूसरा भाग इस बिंदु पर केन्द्रित होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित करने हेतु जवाबदेही एक आवश्यक शर्त क्यों हैं और उत्तर का अंतिम भाग इस तथ्य पर केन्द्रित होना चाहिए कि प्रभाविता और जवाबदेही, दोनों एक साथ रह सकते हैं और यही वांछित परिणाम भी होना चाहिए।

उत्तर:

जवाबदेही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होने, उन गतिविधियों का उत्तरदायित्व स्वीकार करने और परिणाम को पारदर्शी ढंग से प्रकट करने की बाध्यता है। इसमें धन के प्रति या अन्य सौंपी गयी संपत्ति सम्बन्धी उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है। इस प्रकार जवाबदेहिता शक्ति के दुरुपयोगों, जैसे- भ्रष्टाचार, धोखा, पद के दुरुपयोग, निरंकुश और अनधिकृत प्रभुत्व के प्रयोग, अधिकारों के हनन और कर्तव्यों की अवहेलना पर रोक लगाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ प्रभाविता आकलन के मापदंड निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, वहीं जवाबदेहिता शासन व्यवस्था का एक सार्वभौमिक और शाश्वत गुण है।

प्रभाविता का आशय लक्ष्यों की प्राप्ति के स्तर और उस सीमा से है जिस तक लक्षित समस्याओं का समाधान किया गया हो।

ऐसा देखा गया है कि जवाबदेही पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने से प्रभाविता बाधित होती है। प्रभाविता के लिए व्यापक प्रबंधकीय विवेक की आवश्यकता होती है जबकि जवाबदेही के लिए कठोर केन्द्रीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि पारदर्शिता और जन-समान्य की भागीदारी को बढ़ाने से निर्णयन की प्रक्रिया में सदा ही विलम्ब होता है और जोखिम के प्रति विमुखता को प्रोत्साहन मिलता है। परिणामस्वरुप प्रभाविता से समझौता होता है।

परन्तु, प्रभाविता का यह दृष्टिकोण अदूरदर्शी है।

- जो निर्णय स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया की उपेक्षा करके लिए जाते हैं, वे अल्पकालीन रूप से प्रभावी लग सकते हैं, लेकिन अनेक मामलों में ऐसे निर्णय प्रतिघाती होते हैं। उदाहरण के लिए, बाँधों के निर्माण के मामले में जनमत प्राप्त न करने से या प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास का उचित प्रावधान न होने से विरोध प्रदर्शनों को बल मिलेगा और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होगा। इस प्रकार जवाबदेही के सम्बन्ध में

VISION IAS

किया गया अल्प समझौता कुछ मामलों में प्रभावी लग सकता है, परन्तु अंततोगत्वा यह प्रभाविता को बाधित कर सकता है।

- जवाबदेहिता शक्ति के दुरुपयोग की अवहेलना पर रोक लगाती है।

इसके अतिरिक्त, जवाबदेहिता और प्रभाविता परस्पर विरोधाभासी नही हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए, ई-शासन नागरिक सेवा प्रदायगी में बहुत अधिक प्रभावी रहा है और इसने सरकारी विभागों में उत्तरदायित्व को बनाये रखने के साथ ही सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र को बल प्रदान किया है। सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग, नागरिक घोषणा-पत्र इत्यादि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और भ्रष्टाचार एवं शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाते हैं। इसलिए यह भली-भांति कहा जा सकता है कि जवाबदेहिता और प्रभाविता, दोनों ही सुशासन के अभिन्न अंग है और इनकी उपयोगिता को इनके द्वारा दिए गये दूरगामी परिणामों के सन्दर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

7. "राजनीति में भागीदारी करने से इंकार करने के दंड में से एक यह है कि आप अपने से तुच्छ द्वारा शासित होते हैं। व्याख्या कीजिए। हमारे देश में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए किये जा सकने वाले कुछ उपायों का सुझाव दीजिए।

दृष्टिकोण:

उद्धरण में उच्चतर राजनीतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए राजनीतिक भागीदारी की महत्वपूर्ण आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तदनुसार, उत्तर को निम्न प्रकार से गठित किया जाना चाहिए:

- उत्तर के प्रथम भाग में दिए गए कथन की व्याख्या की जानी चाहिए और राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता पर प्रकाश डालना चाहिए।
- दूसरे भाग में देश में राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के उपायों का सुझाव दिया जाना चाहिए।

उत्तर:

जब शासक स्वयं सही हो तो स्वाभाविक रूप से लोग उसके पथ का अनुगमन करते हैं। यदि लापरवाह लोगों द्वारा शासन किया जा रहा है तो शासित लोग कष्ट में रहेंगे। यदि कोई राजनीति में भागीदारी करने से इंकार करता है तो वह वस्तुतः दूसरों के लिए, कदाचित कम योग्य लोगों के लिए अपने ऊपर शासन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि गुणवान लोग राजनीति में भागीदारी से अस्वीकार कर देते हैं तो आपराधिक पृष्ठभूमि और जनता के प्रति उदासीन रवैया रखने वाले लोगों को राजनीतिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर बैठने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इससे जनता के बीच राजनीति के प्रति और अधिक विरक्ति पैदा हो सकती है। वह व्यक्ति जो अपने गुणों के कारण सरकार या शासन चलाता है, उसकी तुलना ध्रुव तारे से की जा सकती है, जो अपनी स्थिति बनाए रखते हुए अन्य तारों को अपने चारों ओर घूमने देता है। वह शासन को अधिक नैतिक, अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बना सकता है। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जा सकने वाले कुछ उपाय:

- बाहुबल का प्रयोग रोकने हेतु किए गए चुनाव सुधार महिलाओं को चुनावी राजनीति में भागीदारी करने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- धन-बल का अत्यधिक प्रयोग रोकने के उद्देश्य से किए गए चुनाव सुधार, सुविधाहीन व्यक्ति के लिए चुनावी राजनीति में धनवानों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु अधिक अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।
- संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित करना राजनीति में महिलाओं की बड़ी भागीदारी हेतु बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है।

VISION IAS



- राजनीतिक गतिविधियों को और अधिक नैतिक बनाने तथा राजनीतिक दलों के अधिक पारदर्शी तरीके से काम करने से राजनीति के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सकता है, जो इसे व्यापार के रूप में देखते हैं, साथ ही इससे लोगों में व्याप्त उदासीनता में भी कमी आ सकती है। राजनीतिक दलों को स्वयं को RTI अधिनियम के अंतर्गत लाना चाहिए।
- राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और दल के नेताओं की राय को और अधिक महत्व प्रदान करने के लिए दल में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह कार्यकर्ताओं को और अधिक सजग और सक्रिय बना सकता है। लोकतंत्र की भावना को प्रबल करने हेतु विभिन्न विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों हेतु एक आचार-संहिता की अनुशंसा की है। हमारे राजनीतिज्ञों के बीच नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु इन अनुशंसाओं को अवश्य अंगीकृत किया जाना चाहिए। नैतिक राजनीति युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है।
- दोषी राजनीतिज्ञों को दण्डित करने और अच्छे राजनीतिज्ञों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित और प्रभावी क़ानूनी व्यवस्था होनी चाहिए।

8. सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? उत्तरदायित्व की सुनिश्चितता के परम्परागत तरीके की अपेक्षा यह एक अधिक प्रभावी व्यवस्था के रूप में किस प्रकार कार्य कर सकता है? भारत में सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रभाविता में अभिवृद्धि हेतु एक सिविल सेवक कौन-से कदम उठा सकता है?

दृष्टिकोण:

प्रश्न का आधारभूत विषय-वस्तु है "सामाजिक उत्तरदायित्व: इसकी सापेक्षिक प्रभावोत्पादकता और इसे किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है"। तदनुसार, उत्तर को निम्न प्रकार से गठित किया जाना चाहिए:

- सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए।
- उत्तरदायित्व के परम्परागत तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए। सामाजिक उत्तरदायित्व से इनकी तुलना कीजिए, स्पष्ट रूप से यह बताइए कि उत्तरदायित्व की सुनिश्चितता हेतु सामाजिक उत्तरदायित्व किस प्रकार बेहतर है। कुछ प्रासंगिक दृष्टांत प्रस्तुत कीजिए।
- एक सिविल सेवक द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व में सुधार लाने हेतु जो कदम उठाए जा सकते हैं, उनका सुझाव दीजिए।

उत्तर:

सिविल सेवा के सन्दर्भ में, उत्तरदायित्व का अर्थ होता है सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों के सम्बन्ध में जवाबदेही स्वीकार करना। परम्परागत उत्तरदायित्व व्यवस्था में आंतरिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया, यथा- विभागीय पदानुक्रम इत्यादि तथा बाह्य व्यवस्था, जैसे- CAG, CVC, लोकपाल इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

सामाजिक उत्तररदायित्व इससे एक कदम और आगे है, जिसके अंतर्गत प्रशासन में जनता को एक हितधारक के रूप में सम्मिलित किया जाता है। विश्व बैंक इसे "उत्तरदायित्व के प्रति नागरिक संलग्नता पर निर्भर अभिवृत्ति के रूप में परिभाषित करता है, यथा- इसमें

VISION IAS

उत्तरदायित्व की सुनिश्चितता हेतु जन सामान्य या नागरिक समाज प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी करता है"। इसमें नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों, दोनों को रेखांकित किया जाता है ताकि यह अपेक्षा की जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर कार्य करती है।



परम्परागत उत्तरदायित्व व्यवस्थायें, उत्तरदायित्व की सुनिश्चितता हेतु सरकारी तंत्रों पर निर्भर करती हैं। आतंरिक व्यवस्थाएं, यथा- विभागीय पदानुक्रम वस्तुतः पूर्वाग्रह, पक्षपात और बदले की भावना से प्रभावित हो सकती हैं। बाह्य व्यवस्थाओं का एक उतार-चढ़ाव से युक्त इतिहास है। राजनैतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता की कमी के कारण CVC, लोकायुक्त इत्यादि बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। वहीं, न्यायपालिका और CAG का प्रदर्शन अपेक्षाकृत उत्कृष्ट रहा है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदायित्व के स्तरों और विधियों को निर्धारित करने में परम्परागत प्रणालियाँ जन-सामान्य को सम्मिलित नहीं करतीं। साथ ही, परम्परागत प्रणालियाँ 'पोस्ट-हॉक' प्रकृति की हैं यथा वे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात् ही की गयी कार्रवाई के औचित्य की जांच कर सकती हैं। इस प्रकार गलत तो पहले ही हो चुका होता है और इससे राजकोष को हानि भी हो चुकी होती है।

- नागरिकों को प्रदर्शन की निगरानी, पारदर्शिता की मांग और उन्नयन तथा सरकारी विफलताओं और अनुचित कृत्यों के प्रकटीकरण आदि में संलग्न कर सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रणालियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शक्तिशाली साधन हैं। इस प्रकार, यह सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- उन्नत शासन व्यवस्था के अतिरिक्त, यह नागरिकों का सशक्तिकरण भी करता है। इस परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा इच्छित कार्यों और परिणामों में प्रभावी विकल्प चुन पाने की क्षमता से है। सहभागी सार्वजनिक नीति निर्माण, सार्वजनिक व्यय की निगरानी तथा नागरिक रिपोर्ट कार्ड जैसी प्रणालियाँ नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया का एक अंग बनाकर उन्हें क्षमता प्रदान करती हैं जो अन्यथा, अधिकांश के लिए संभव नहीं हो पाता।
- हितधारकों की संलग्नता तथा आम-सहमति से निर्णय लिए जाने के कारण वे किसी निर्णय की असफलता की संभावना को कम करते हैं। इस प्रकार, ऐसे समय में जब विकेंद्रीकरण और सर्वाधिक निचले स्तर तक अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रभावी विकास का सूत्र बन चुका है, यह लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक माध्यम है।

सामाजिक उत्तरदायित्व को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सिविल सेवक निम्न कदम उठा सकते हैं:

- सामाजिक उत्तरदायित्व प्रणालियाँ संस्थागत स्वरूप प्रदान किए जाने के पश्चात सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होती हैं। आदर्श रूप में, यह विधि निर्माण द्वारा व्यवहार में लाया जा सकता है। यद्यपि सिविल सेवक स्वयं के स्तर पर नागरिकों और नागरिक समाज को संलग्न और संगठित करने हेतु व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं।
- उपयुक्त आंकड़े/सूचना को कार्यरूप में उपयोगी बनाने हेतु उसकी व्याख्या और विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह सार्थक परिणामों की प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध होगा जिनका उपयोग हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने में किए जा सकता है।
- सामाजिक उत्तरदायित्व को सक्षम बनाने हेतु सूचना का प्रसार तथा उसके विषय में सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- नागरिकों को उनके अधिकारों तथा दायित्वों का ज्ञान कराना, इससे सामाजिक उत्तरदायित्व में सुधार होता है।

VISION IAS

- गैर-सरकारी संगठनों, सक्रिय नागरिक समाज संगठनों आदि के माध्यम से नागरिकों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।
- नागरिकों और अधिकारियों के बीच विश्वासपूर्ण संबंधों के निर्माण हेतु सिविल सेवक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्णयों में नागरिकों की अनुक्रियाओं को सम्मिलित किया जाए तथा रिपोर्टिंग अधिकारियों के द्वारा उन निर्णयों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी की जाए।

9. सोशल मीडिया का प्रयोग राजनीतिक भागीदारी और नागरिक संलग्नता को कैसे प्रभावित करता है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- संक्षेप में सोशल मीडिया तथा इसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए।
- उदाहरणों का प्रयोग करते हुए इस बात को दर्शाइये कि किस प्रकार सोशल मीडिया का उपयोग राजनीतिक भागीदारी तथा नागरिक संलग्नता में किया जा रहा है।
- दोनों के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं को इंगित करते हुए उत्तर का समापन कीजिए।

उत्तर:

सामान्य शब्दों में सोशल मीडिया को वेब-आधारित संचार साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो लोगों को सूचना साझा करने तथा उसका उपयोग कर एक-दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक जीवन में, जहाँ चुनावों तथा चुनाव अभियानों की मुख्य भूमिका होती है, नागरिक संलग्नता को प्रोत्साहित करने के नए मार्ग प्रदान करते हैं।

राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव डालना

- विभिन्न सोशल मीडिया मंच, यथा- फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, गूगल प्लस इत्यादि का उपयोग चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न उद्देश्यों, जैसे- सामान्य चेतना, संबंधित दलों के द्वारा प्रचार कार्य, लोगों की मनोदशा की सामान्य प्रवृत्ति का पता लगाना आदि के लिए किया जाता है।
- चुनाव आयोग भी कुछ आधारभूत विषयों तथा मतदाता से संबंधित जानकारियों, यथा- मतदान की प्रक्रिया, मतदान के समय आवश्यक दस्तावेज़, मतदान केन्द्रों की भौगोलिक अवस्थिति आदि के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने के लिए ऐसे मंचों का उपयोग करता है।
- भारत में 16वें आम चुनाव में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। राजनीतिज्ञों ने भी तकनीक-प्रयोक्ता करोड़ों शहरी मतदाताओं से जुड़ने के लिए गूगल प्लस हैंगआउट का प्रयोग किया, फेसबुक द्वारा आयोजित टेलीवीज़न पर प्रसारित साक्षात्कारों में भागीदारी की तथा सन्देश भेजने के लिए स्मार्ट फ़ोन एप वाट्सऐप का प्रयोग किया।
- फेसबुक, ट्विटर, गूगल आदि जैसी कंपनियों ने अपनी वेबसाइट्स के होमपेज पर, 2014 के आम चुनाव के प्रयोजन से विशिष्ट रूप से निर्मित कई विशेषताओं को आरम्भ किया था। उदाहरण के लिए, गूगल ने प्लेज टू वोट (Pledge to Vote) अभियान, राजनीतिज्ञों के लिए 'गूगल स्कोर' टूल, सर्च ट्रेंड इन्फोग्राफिक्स, यू-ट्यूब इलेक्शन प्ले-लिस्ट्स, यूजर्स के लिए हैंगआउट्स डिटेल्स आदि चुनाव संबंधी विभिन्न तरीकों को इजाद किया था।

VISION IAS



नागरिक संलग्नता में वृद्धि करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग:

नागरिकों की भागीदारी व नागरिक संलग्नता सुशासन के मूलभूत अंग हैं तथा सोशल मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यथा:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न केवल सामान्य जन की शिकायतों को सामने लाकर बल्कि सरकारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों से संबंधित जानकारियों को प्रसारित करके जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर सकता है।
- यह उपलब्धियों को उजागर करके तथा रियल टाइम में कमियों को इंगित करके दोतरफा फीडबैक प्रदान करने वाले तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है।
- उदाहरण, चेन्नई की बाढ़ के दौरान प्रदत्त सहायता तथा रेलवे मंत्रालय द्वारा ट्विटर का सक्रिय प्रयोग।
- भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा शासन प्रक्रिया में लोगों को संलग्न करने, यथा- उनसे सुझाव मांगने, कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा नीतियों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग एक सशक्त माध्यम के रूप में किया गया है।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सरकारी कार्यों की पारदर्शिता में वृद्धि करने तथा सरकार को न केवल शहरी अपितु देश के किसी भी भाग में उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रहा है।
- आपदा प्रबंधन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, संकट के दौरान समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बेहतर माध्यम सिद्ध हुआ है।

यद्यपि सोशल मीडिया नागरिकों को अभिव्यक्ति प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाता है, तथापि यह एक ऐसा अनियंत्रित माध्यम भी है जहां कभी-कभी गलत तथा अपमानजनक विचारों की भी अभिव्यक्ति होती है, जिससे समाज में क़ानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत के मामले में, इसके दुष्प्रयोग से साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर तनाव भी उत्पन्न हुआ है।

संक्षेप में, सोशल मीडिया का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति नियोजन तथा उनके क्रियान्वयन में कमियों/त्रुटियों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे एजेंसियों को और अधिक नागरिक-हितैषी बनने में मदद प्राप्त हो सके।

10. RTI को सुशासन की मास्टर कुंजी करार दिया गया है। हमारे देश के प्रशासन और शासन व्यवस्था को अधिक नैतिक और उत्तरदायी बनाने में RTI की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

दृष्टिकोण:

- सुशासन की कुंजी के रूप में RTI की संक्षिप्त भूमिका दीजिए।
- इसके पश्चात् प्रशासन और शासन को और अधिक नैतिक बनाने में इसकी भूमिका के संबंध में बताइए।
- तत्पश्चात् अंत में प्रशासन और शासन व्यवस्था को उत्तरदायी बनाने में RTI की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने RTI को सुशासन की मास्टर कुंजी कहा है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता, खुलापन, सहभागी लोकतंत्र तथा जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा

VISION IAS

मिला है। इससे हमारे प्रशासन और शासन व्यवस्था की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।



हमारे देश के प्रशासन और शासन व्यवस्था को और अधिक नैतिक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित कारणों से है:

- सक्रिय RTI कार्यकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग कर सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं के कार्यों पर प्रश्न उठाने की संभावना के कारण उन पर **अप्रत्यक्ष दबाव** बना रहता है। इस प्रकार, इससे पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलता है और मत पेटी जवाबदेहिता के विपरीत प्रशासन और सरकार की अपने निर्णयों के प्रति निरंतर जवाबदेहिता बनी रहती है।
- सरकारी संस्थाओं एवं उनके कार्यों के प्रति **नागरिकों के विश्वास में वृद्धि** होती है। कुछ ही समय पहले, पश्चिमी रेलवे में एक RTI आवेदन के पश्चात्, उसके द्वारा पेंशन की देय राशि का ब्याज सहित फास्ट ट्रैक भुगतान का मामला कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने में RTI के महत्व को उजागर करता है।
- **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण:** देश के सबसे बड़े घोटाले, जैसे- 2G घोटाला, कोयला घोटाला आदि को सामने लाने में RTI का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- **भाई-भतीजावाद को समाप्त करना:** वर्ष 2013 में एक RTI आधारित जांच से पता चला कि बहुत से सांसदों ने अपने निकट सम्बन्धियों, जैसे- पिता, बच्चे, पति/पत्नी को अपने 'व्यक्तिगत सहायक' के रूप में नियुक्त कर रखा था ताकि इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत राशि परिवार में ही रहे और कई सांसदों ने तो DOPT (कार्मिक विभाग) के मानकों का उल्लंघन करते हुए उन्हें अपने व्यक्तिगत स्टाफ के रूप में नियुक्त कर रखा था। इस रिपोर्ट ने राज्य सभा की नैतिक समिति और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया कि वे मंत्रियों द्वारा की जा रही इस तरह की कार्यप्रणाली को समाप्त कर सके।

व्यवस्था के उत्तरदायित्व में वृद्धि करने में निम्नलिखित रूप से इसकी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है:

- **समय से सूचना तक पहुँच:** इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सूचना को सुव्यवस्थित ढंग से रखने, सभी दस्तावेजों को अद्यतित रखने और समुचित संग्रहण तथा समय से पुनः प्राप्ति की व्यवस्था के प्रावधान किये गये हैं। इससे उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है, क्योंकि रिकार्ड्स के संग्रहण में लगने वाला समय कम हो जाता है।
- **नागरिकों की बेहतर सहभागिता:** नागरिकों के पास सभी तथ्यों की जानकारी होने से वे निर्णय प्रक्रिया में बेहतर तरीके से योगदान कर सकते हैं। इससे नागरिकों में प्रश्न पूछने की संस्कृति की शुरुआत हुई है।
- **वर्तमान समय में पारदर्शिता में वृद्धि** एक मानक बन गया है। सरकार द्वारा खदानों एवं स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी का निर्णय हमारे देश के शासन और प्रशासन में निरंतर हो रहे परिवर्तन को उजागर करता है।

45 से अधिक RTI उपयोगकर्ताओं की हत्या इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह अधिनियम किस प्रकार निहित हितों के लिए संकट बन गया है। यह सरकार की निरंकुश शक्ति के विरुद्ध वंचित वर्ग हेतु एक शक्तिशाली हथियार बन गया है।

11. क्या संगठन में की गई गलतियों के संबंध में व्यक्ति को सूचना प्रकट (लीक) करनी चाहिए? क्या यह व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक कार्यक्षेत्र के मध्य हितों का टकराव उत्पन्न करता है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

VISION IAS

दृष्टिकोण:



इस प्रश्न के दो उप-भाग हैं:

- उत्तर के प्रथम भाग में, संगठन में होने वाली गलती के संबंध में सूचना प्रकट (लीक) करने की नैतिकता पर चर्चा कीजिए।
- द्वितीय भाग में, व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक कार्यक्षेत्र की दृष्टि से हितों के टकराव के मुद्दे का सुस्पष्ट उल्लेख कीजिए। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

उत्तर:

प्रथम दृष्टया एक कर्मचारी को अपने नियोक्ताओं के प्रति वफादारी और गोपनीयता के कर्त्तव्य का पालन करना होता है और इस संदर्भ में, सार्वजनिक हित के प्रति व्यक्ति के उच्चतर कर्त्तव्य संबंधी अपवाद के अतिरिक्त सूचना लीक करने के कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

हालाँकि, यह समझना आवश्यक है कि किसी भी संबंध में जहाँ विश्वास की अपेक्षा होती है, दोनों पक्षों की भूमिका होती है और उसमें उनकी परस्पर समृद्धि सम्मिलित होती है। अतः, कर्मचारी केवल तभी इस कर्त्तव्य का पालन करते हैं जब संगठन अपनी स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं के बदले कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं कर रहा हो।

कार्यवाही का प्रथम चरण, संगठन में रोकथाम एवं नियंत्रण की प्रणाली को पुनः बहाल करने का प्रयास करना होना चाहिए।

सूचना लीक करने को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, वह भी तब जब अन्य सभी विकल्प बेकार हो गए हों।

हितों का टकराव

कर्मचारी किसी संगठन में होने वाले गंभीर कदाचार, बेईमानी या अवैध गतिविधि का खुलासा करने को अपना एक नैतिक कर्त्तव्य मान सकते हैं, विशेषकर तब, जब ऐसा आचरण प्रत्यक्ष रुप से सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाने वाला हो।

सूचना लीक करना बहुत ही साहसपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस कार्य के नकारात्मक परिणामों की सूची में समस्या को सुलझाने के झूठे वादे, मोहभंग, अलगाव, अपमान, नौकरी छूट जाना, व्हिसल ब्लोअर के मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न, व्यक्ति के कार्य को अधिक कठिन और/या महत्वहीन बनाने हेतु प्रतिशोधपूर्ण रणनीति, पात्र की हत्या, औपचारिक फटकार और कठिन न्यायिक कार्यवाही आदि सम्मिलित हैं।

व्यक्ति अपने नियोक्ता के प्रति वफ़ादारी और व्यापक रूप से क़ानून और समाज के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता के बीच बंटा होता है। उनके पास इस बात का ठोस तर्क होता है कि वे जो काम कर रहे हैं, वह उनके खुद के साथ-साथ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अहितकारी है। यह विचार करते हुए वे संगठन के द्वारा स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि वे इस उद्देश्य से संगठन में कार्य करने के लिए सम्मिलित नहीं हुए थे।

सूचना लीक करने की प्रेरणा वस्तुतः आत्महित, परोपकारिता और किसी ध्येय के प्रति सशक्त नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। हालांकि सूचना लीक करने के कारण व्यक्ति को कई बार उसकी कीमत (जैसे- कानूनी लड़ाइयां और अलगाव) चुकानी पड़ती है, इसलिए ऐसा करने से पूर्व अवश्य ही व्यक्ति को इसके परिणामों एवं उसके व्यक्तिगत दायित्व (सार्वजनिक हित के प्रति) के बारे में दृढ़तापूर्वक विचार करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति जिम्मेदारी तब लेते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि वैधता और नैतिकता अलग होने लगी हैं और इस प्रक्रिया में सार्वजनिक हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

VISION IAS

इसके लिए कुछ स्वतंत्र एजेंसियां होनी चाहिए जहाँ व्हिसल ब्लोअर बेझिझक रूप से मामलों को दर्ज करा सकें और एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।



12. पारदर्शिता के उच्च मापदंडों का पालन प्राय: गोपनीयता बनाए रखने के कर्त्तव्यों के प्रति संघर्ष उत्पन्न करता है। ऐसी परिस्थितियों के दौरान कर्त्तव्यों के प्रभावी निर्वहन में लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को उदाहरणों सहित सविस्तार बताइए। साथ ही, ऐसी स्थितियों में निर्णय संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने वाले नैतिक ढांचे की चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- भूमिका में यह व्याख्या कीजिए कि सरकारी कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि वह जनहित का समर्थन करे और समाज के व्यापक हित के लिए कार्य करे।
- पारदर्शिता के महत्व की चर्चा कीजिए।
- निजता के मुद्दे और RTI अधिनियम में गैर-प्रकटीकरण के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ गोपनीयता की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- अपने उत्तर में एक सरकारी कर्मचारी की दैनिक कार्य पद्धति से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें पारदर्शिता के साथ गोपनीयता की भी आवश्यकता होती है।
- उत्तर के समापन में व्याख्या कीजिए कि सरकारी कर्मचारी को सदैव पारदर्शिता के मूल्यों का तब तक समर्थन करना चाहिए जब तक कि अत्यधिक मजबूत कारणों से गोपनीयता बनाये रखने की अनिवार्य आवश्यकता न हो।

उत्तर:

लोक सेवक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उन्हें अत्यधिक जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा और न्यायपूर्ण तरीके से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जनहित और समाज की व्यापक भलाई को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, जिसके लिए पारदर्शिता और गोपनीयता के परस्पर विरोधी मूल्यों के मध्य एक सूक्ष्म संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता होती है।

पारदर्शिता, नागरिकों को उन विषयों, जिनसे वो प्रभावित होते हैं, पर अपने विचार रखकर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने और निर्णय निर्माण में संलग्न व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाये रखने में सक्षम बनाती है। एक लोक सेवक को अपने संस्थान की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रखनी पड़ती है, ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो कि संगठन तक कैसे पहुंचा जाए। जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अपने संस्थान के वित्तीय लेन-देन में भी अत्यंत पारदर्शिता रखनी होती है।

गोपनीयता:

सरकारी कर्मचारियों को कानून के अंतर्गत गोपनीयता के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए सरकार में पारदर्शिता के मूल्य को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्ण खुलापन और पारदर्शिता सम्भव नहीं है। सरकार को संधियों और समझौता वार्ताओं में होने वाली मंत्रणाओं के संदर्भ में एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है।

एक मूल्य के रूप में गोपनीयता को प्रायः पारदर्शिता के लिए बाधक माना जाता है, परन्तु इसे यदि सकारात्मक तरीके से समझा जाए तो इससे विश्वास का भी सृजन होता है। मान लीजिए कि एक मंत्री अपने सचिव को यह बता देता है कि सरकार काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बड़ी मूल्य वाली मुद्रा का विमुद्रीकरण करने की योजना बना रही है। कानून के अंर्तगत और जनहित में यह आवश्यक है कि सचिव गोपनीयता बनाये रखे। यदि वह इस जानकारी को प्रकट कर देता है तो मंत्री का उस पर विश्वास भंग हो जायेगा जो कि स्वस्थ कार्य संचालन संबंधों के लिए हितकर नहीं है।

VISION IAS

निजता का मुद्दा:



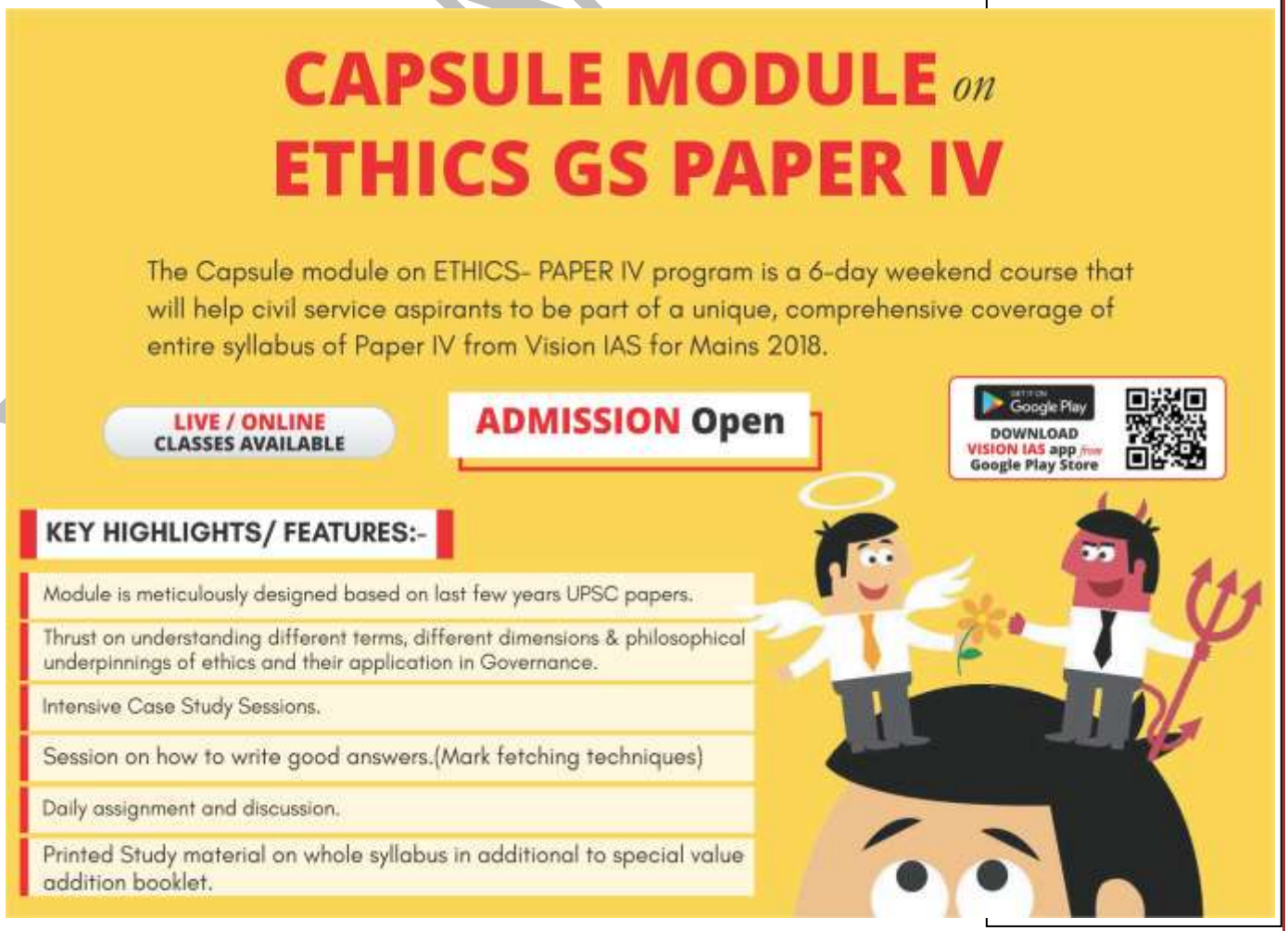
लोक सेवकों की नागरिकों की निजी जानकारी तक पहुंच होती है, अत: इसका अत्यंत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कर अधिकारी, नागरिकों की वार्षिक आय की जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता है।

यहाँ तक कि, पारदर्शिता के नये युग का सूत्रपात करने वाले RTI अधनियम की धारा 8 में भी गोपनीयता और निजता के महत्व को मान्यता प्रदान की गयी है।

नैतिक रुपरेखा:

- लोक सेवक को प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों की जानकारी होनी चाहिए और उसे इनका अक्षरश: पालन करना चाहिए।
- उसे उसके समक्ष उपस्थित समस्या के संबंध में अपने अंत:करण की आवाज पर भी विचार करना चाहिए।
- ऐसा करते समय, उसे अपने निर्णय को जनहित और समाज के व्यापक हित की कसौटी पर भी कस लेना चाहिए।
- सामान्यत:, जब तक गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक मजबूत कारण मौजूद न हों, उसे निजता का सम्मान करते हुए पारदर्शिता का पक्ष लेना चाहिए।

वर्तमान समय में लोक सेवकों के अनेक कर्त्तव्य हैं जो प्राय: जटिल और प्राय: विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, परन्तु सफल लोक सेवक अपनी बहुल भूमिकाओं को समझते हैं और स्वयं को इस हेतु तैयार रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक जनहित और कानून गोपनीयता बनाए रखने हेतु बाध्य नहीं करते, पारदर्शिता ही एक सामान्य कसौटी है।



8. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज



(Previous Years Vision IAS GS Mains Questions: Case Studies)

1. **आप एक ऐसे धनी व्यवसायी से संबंधित एक उच्च स्तरीय मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जिस पर देश में कई निवेशकों का पैसा हड़पने का आरोप है। आप राजनेताओं और औद्योगिक लॉबी की तरफ से अत्यधिक दबाव झेल रहे हैं, जो आपसे उद्योगपति के पक्ष में उदार होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसने देश में लगभग दस लाख रोजगार उत्पन्न किये हैं और उसकी खराब छवि से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचेगा।**
   कुछ वैकल्पिक सुझाव नीचे दिये गये हैं। कृपया सभी विकल्पों के गुणों और दोषों का मूल्यांकन कीजिए:
   (a) वरिष्ठ न्यायाधीश से अपने आपको इस मामले से स्थानांतरित करने के लिए कहेंगे।
   (b) विभिन्न समूहों की सभी दबाव की रणनीतियों को पूर्ण रूप से अनदेखा कर देंगे।
   (c) दबाव को कम करने हेतु, न्यायालय की सुनवाई के समय को आगे बढ़ा देंगे।
   (d) मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर देगें और नियामक संस्था से जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे।
   (e) मीडिया को इस मामले को बढ़-चढ़ कर दिखाने से रोकेंगे।
   इसके साथ ही (केवल ऊपर दिए गए विकल्पों तक सीमित न रहते हुए) उचित तर्क के साथ यह भी बताइए कि आपकी क्या सलाह है।

दृष्टिकोण:

चूंकि छात्रों को विकल्प पहले ही प्रदान किए गए हैं, इसलिए उनसे कुछ विकल्पों का समर्थन करने के पीछे स्पष्ट कारणों का उल्लेख करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें स्थिति को समझने और विवेक के साथ कार्य करने की उनकी क्षमता को दर्शाया जाना चाहिए। हर विकल्प की कुछ गुण और कुछ दोष हैं। किसी विकल्प का चुनाव करते समय उस 'मूल्य' को प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण है जो आपके लिए आधारभूत है।

उत्तर:

प्रश्न में दिए गए विकल्पों के गुणों और दोषों का विश्लेषण करने पर, हम समझते हैं कि:

(a) अपने आपको मामले से स्थानांतरित करने के लिए वरिष्ठ न्यायाधीश से कहना यह सुनिश्चित करेगा कि मुझे जनता के दबाव, मीडिया और औद्योगिक लॉबी द्वारा जनित दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा; यह मुझे दुविधा की स्थिति से राहत दे देगा और मैं इसके बाद दूसरे मामले को अच्छी तरह से देख सकूँगा।
परन्तु ऐसा करके, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा। इससे कर्तव्य की उपेक्षा होगी, इसके अतिरिक्त यदि सभी लोग समान स्थिति का सामना करने पर ऐसे ही कदम की आशा करेंगे, तो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी। जहाँ पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहेगा।

(b) विभिन्न समूहों द्वारा दबाव की रणनीतियों को अनदेखा कर हम वस्तुनिष्ठ ढंग से मामले के गुण और दोषों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे निर्णय की प्रक्रिया में तटस्थता सुनिश्चित होगी, और आगे के निर्णयों के लिए मानदंड निर्धारित होंगे। हालाँकि, ऐसा कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल।

VISION IAS



विभिन्न समूहों की तरफ से सतत दबाव होगा, जो यह कहेंगे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, इससे कई लोगों को रोज़गार का नुकसान हो सकता है, इससे न्यायाधीश की सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न हो सकता है और उसके परिवार को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

(c) दबाव को कम करने के लिए न्यायालय की सुनवाई के समय को आगे बढ़ाने से, न्यायालय को इस मामले का विश्लेषण करने के लिए अधिक समय मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, इससे असंतुष्ट पक्षों को अपने मामले को और अधिक मजबूत करने का समय मिल जायेगा। इसके अलावा, समय के साथ लोगों की ओर से आने वाला दबाव कम हो जाएगा, जिससे इस मामले में सबसे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। परन्तु ऐसे कदम उठाने से, यह न्याय में देरी का मामला हो जाएगा और दृढ़ता से ऐसा विश्वास माना जाता है कि न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है। हालांकि, यहाँ भी यह सुनिश्चित नहीं है कि भविष्य की किसी सुनवाई के दौरान वापस से दबाव नहीं आएगा। साथ ही, इससे न्यायाधीश की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो जाएगी, और यह भविष्य के लिए देश में गलत मिसाल कायम कर सकता है, जो पहले से ही एक बड़ी संख्या में न्यायपालिका में लंबित मामलों के बोझ तले दबा हुआ है।

(d) मामलें को कुछ समय के लिए स्थगित करने और एक नियामक संस्था से जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहने से, न्यायाधीश को विषय के विशेषज्ञ की सलाह मिलेगी, इससे एक वस्तुनिष्ठ और बेहतर निर्णय निर्माण में मदद मिल सकती है। यह जनता के दबाव को भी कम करेगा। हालाँकि, इसके अपने ही नुकसान हैं। यदि जाँच रिपोर्ट में एक पूर्ण रूप से अलग ही दृष्टिकोण सामने आता है, तो इससे निर्णय में देरी हो सकती है और निर्णय प्रक्रिया में समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि दोनों में समानता नहीं पाई गयी तो जाँच रिपोर्ट और न्यायालय के निर्णय की तुलना की जा सकती है।

(e) मीडिया को इस मामले को बढ़-चढ़ कर दिखाने से रोकने का निर्देश देकर, कुछ हद तक जनता के दबाव को कम किया जा सकता है। कई पक्ष जो इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं हैं, न्यायालय पर अपना दबाव कम कर देंगे। परन्तु ऐसा करने पर, न्यायपालिका पर मीडिया के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाने की आशंका जताई जा सकती है, और इसके पीछे किये गये कुछ गलत कार्यों की अफवाहें उत्पन्न हो सकती है। साथ ही, यह पारदर्शिता और जवाबदेहिता की बुनियादी विषय-वस्तु के विरुद्ध होगा जो किसी भी सार्वजनिक पद का आधार होते हैं। इस प्रकार, यह देश की न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है।

संभव विकल्पों का विश्लेषण करने पर, जो सबसे बेहतर विकल्प यह होगा कि, यदि विचाराधीन मामले में किसी विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता महसूस हो तो न्यायपालिका को मामले की जांच हेतु जांच समिति गठित करने के लिए कहना चाहिए। न्यायाधीश के पास उपलब्ध रिपोर्ट और दूसरे तथ्यों के आधार पर, बिना किसी बाह्य दबाव के विधि के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

2. अपनी चुनाव डयूटी के दौरान आपने नकदी से भरा एक वाहन पकड़ लिया। जाँच करने पर आपको पता चला कि, वाहन क्षेत्र के एक बहुत लोकप्रिय राजनेता का है और यहाँ तक कि

VISION IAS



एग्जिट पोल उसकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। नेता वाहन छोड़ने के लिए आप पर दबाव बना रहे हैं। सलाह लेने के लिए आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो सका।

(a) आपके पास उपलब्ध विकल्प क्या हैं?

(b) आप क्या कार्यवाही करेंगे?

दृष्टिकोण:

यह एक प्रशासनिक चुनौती है, जिसमें छात्र को, "राजनीतिक दबाव" के ऊपर "कर्त्तव्य की भावना" को चुनने के आधार पर आँका जाता है। उत्तर में छात्र द्वारा कार्यवाही के गुणों व दोषों के आंकलन के आधार पर किसी विशिष्ट कार्यवाही के चयन के पीछे निहित तर्क और कारण की स्पष्ट रूप से चर्चा की जानी चाहिए।

उत्तर:

प्रस्तुत प्रकरण में एक चुनाव अधिकारी एक लोकप्रिय राजनेता के अत्यंत दबाव में है, जो उसके कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यह परिस्थिति एक प्रशासनिक चुनौती को दर्शाती है जहाँ अधिकारी को राजनेता के अधिकारों को चुनौती दिए बगैर, अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए एक उचित विकल्प तलाशना है।

नीचे दी गयी कार्यवाही के विकल्प उसके समक्ष हैं:

चूँकि वरिष्ठ अधिकारी अभी पहुंच से बाहर हैं, अतः निर्णय लेने की ज़िम्मेदारी स्वयं अधिकारी पर ही है।

(a) प्रत्यक्ष रूप से नेता के आदेशों को मानने से इंकार करना

प्रशासनिक व्यवस्था में एक अधीनस्थ के रूप में अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना अधिकारी का कर्तव्य है, किन्तु ऐसा तब तक किया जाना चाहिए जब तक ऐसे आदेश उसे उसकी कर्तव्य की समझ और चेतना से विचलित न करें। चूँकि नेता ने उसे उसके कर्तव्य से हटकर कार्य करने को कहा है, उसको मना करना उसकी शुचिता और ईमानदारी को प्रदर्शित करेगा। हालांकि, इस आकस्मिक और जल्दबाज़ी में किये गये व्यवहार से संगठन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जो ऐसे महत्वपूर्ण समय पर इसकी कार्यशैली को प्रभावित कर सकता है।

(b) नेता के आदेशों को स्वीकार कर लेना

नेता के आदेशों का आँख बंद करके पालन करने से अधिकारी की अपने कनिष्ठों तथा जनता के मध्य छवि ख़राब होगी। अधिकारी को न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना होता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि संगठन की सार्वजनिक छवि धूमिल न हो। इसके अलावा अधीनस्थों को निष्पक्ष चेतना के साथ, अपने कर्तव्यों के पालन हेतु उनके मनोबल को बढ़ावा देना भी ज़रूरी होता है; अन्यथा इससे संगठन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

(c) सर्वोत्तम कार्यवाही यह होगी कि नेता को यह समझाया जाए कि छापामारी के दौरान जब्त धन सरकारी प्रतिभूति में जमा कर दिए गए हैं, और सिर्फ लिखित आदेश ही उसे उस रुपए के पैकेट प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त नेता को यह भी समझाएं कि उसे स्वयं को मीडिया से बचाना भी मुश्किल होगा और ऐसा कोई भी कार्य नेता की छवि को धूमिल कर सकता है और साथ ही समग्र रूप से संगठन की छवि भी धूमिल होगी।

3. आप देश के सबसे निर्धन जिलों में से एक जिले के जिलाधिकारी हैं। व्यापक निर्धनता एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण जिले में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं। जिले में कई निजी चिकित्सक आकर बस गए हैं और लाभदायक व्यवसाय चला रहे हैं। ऐसी

VISION IAS



खबरें हैं कि उनमें से कई नियमित जांच के लिए भी भारी फीस वसूल रहे हैं। साथ ही, जिले में आउट ऑफ़ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

उस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद ने चिकित्सकों द्वारा सर्वाधिक सामान्य चिकित्सीय उपचार हेतु मरीजों से ली जाने वाली फीस निश्चित कर दी है। निर्धारित दरें गरीब जनता की वहन क्षमता के भीतर हैं और इससे चिकित्सकों की आय पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई चिकित्सक निर्धारित दरों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सक समुदाय ने जबरन आरोपित की जाने वाली इन युक्तियों का विरोध किया है। परिस्थिति का समाधान निकालने हेतु उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है।

(a) आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए और सर्वोत्तम कार्यवाही का सुझाव दीजिए।

दृष्टिकोण:

उत्तर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित होने चाहिए:

- प्रकरण के तथ्य।
- आपके पास उपलब्ध विभिन्न विकल्प और उनका विश्लेषण।
- आप किस कार्यवाही वाले विकल्प का चयन करेंगे और क्यों?

उत्तर:

प्रकरण के तथ्य हैं:

- जिले में जन स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति।
- कुछ चिकित्सक बहुत ऊँची फीस वसूल रहे हैं।
- सर्वाधिक सामान्य चिकित्सीय उपचार के लिए सांसद के द्वारा दर निश्चित कर दी गयी हैं, जो चिकित्सक अपने रोगियों से वसूल कर सकते हैं।
- ये दरें गरीब जनता की वहन क्षमता के भीतर हैं और चिकित्सकों की आय को भी प्रभावित नहीं करेंगी।
- चिकित्सक समुदाय सांसद द्वारा निर्धारित की गई दरों के विरोध में है।

मेरे पास उपलब्ध विकल्प हैं:

i. चिकित्सकों को दर सूची का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाए – चूंकि जिले में जन स्वास्थ्य बहुत ही खराब स्थिति में है, इसलिए चिकित्सा प्रभार को सीमित करना एक उत्तम विकल्प है। सांसद एक निर्वाचित प्रतिनिधि है और उसके आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। किन्तु सांसद द्वारा की गई एकतरफा घोषणा स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार के कड़े आदेश निरंकुशता के प्रतीक हैं न कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के। अतः, यह कार्यवाही उपयुक्त नहीं है।

ii. सांसद से अपना आदेश रद्द करने को कहा जाए – सांसद ने जिले की दयनीय स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए संविधानेत्तर उपायों का सहारा लिया है। यद्यपि उसके इस कृत्य का अन्तर्निहित उद्देश्य नेक है, परन्तु प्रयुक्त तरीका उचित नहीं है। किन्तु सांसद को अपने कड़े आदेश को वापस लेने को कहना केवल आंशिक समाधान है क्योंकि यह नियमित चिकित्सीय जांच के लिए चिकित्सकों द्वारा ली जा रही ऊँची फीस की समस्या का समाधान नहीं करता। अतः, यह विकल्प भी उपयुक्त नहीं है।

iii. प्रकरण में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर देना – इस स्थिति में हस्तक्षेप करने से मना कर देने से, मैं सांसद की नाराजगी से बच जाऊँगा। यह भविष्य में मेरे करियर के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किन्तु वास्तव में एक जिलाधिकारी के रूप में, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। यह मेरी दृढ़ता की कमी को प्रदर्शित करता है। साथ ही चिकित्सक हड़ताल पर जा सकते हैं या फिर अपनी शिकायत के समाधान के लिए

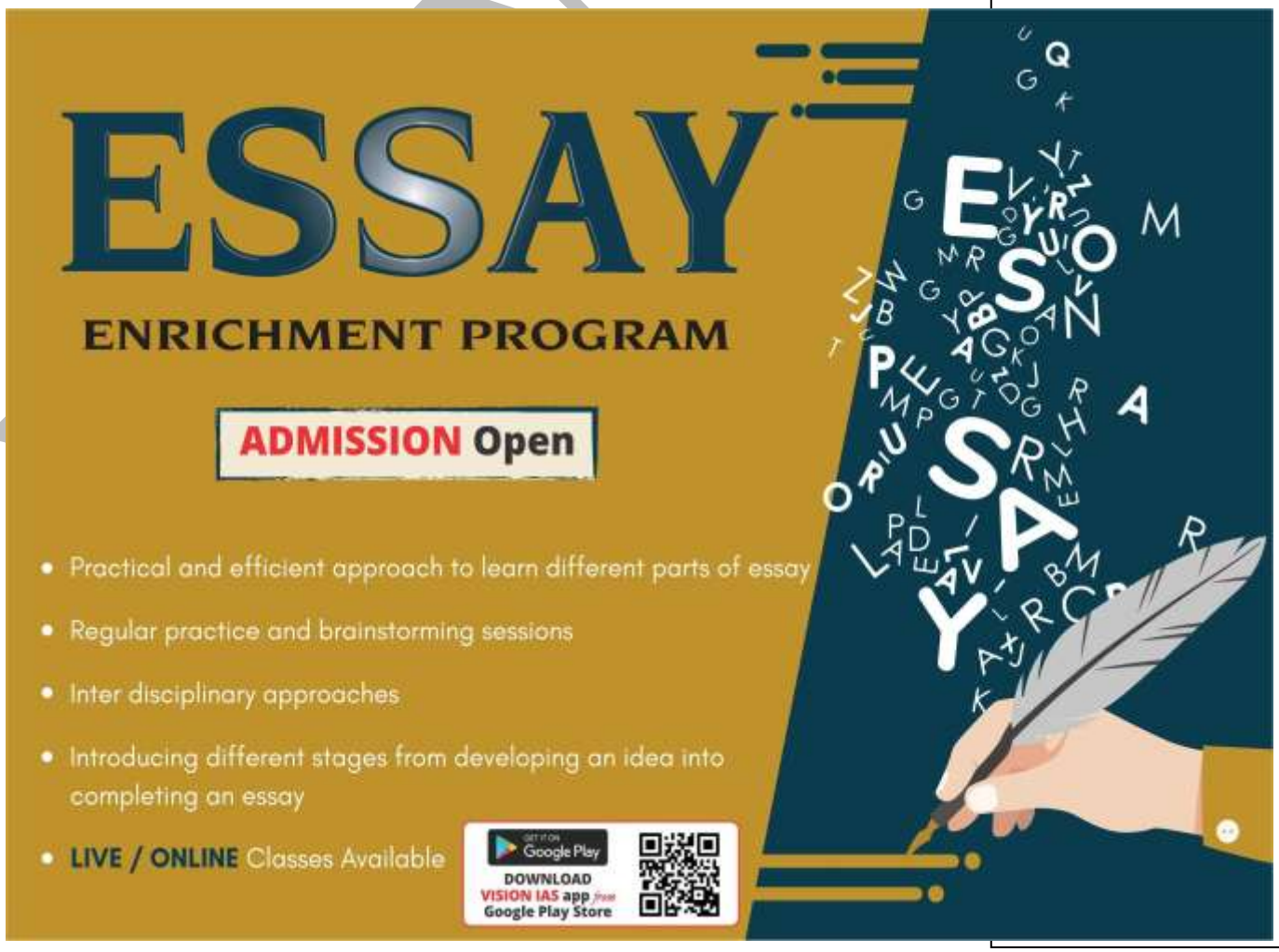
VISION IAS

अदालत जा सकते हैं, जो मेरे लिए एक और बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। अतः, यह भी एक उपयुक्त विकल्प नहीं है।

iv. प्रकरण के समाधान के लिए सांसद और चिकित्सक समुदाय के मध्य एक बैठक की व्यवस्था की जाए – यहाँ मैंने चिकित्सक समुदाय की शिकायतों और साथ ही सांसद द्वारा जिले की दयनीय जन स्वास्थ्य की चिंताओं, दोनों को ध्यान में रखकर मध्यम मार्ग को अनुसरण किया है। मैं बातचीत के माध्यम से एक ऐसे समाधान की कोशिश करूंगा जिससे कि चिकित्सकों के व्यवसाय की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और साथ ही चिकित्सक समुदाय के प्रतिनिधियों को उच्च शुल्क वसूलने से बचने का परामर्श दूँगा। इसके बाद भी यदि सांसद अपने सख्त आदेश को वापस लेने के लिए सहमत नहीं होता है तो मैं चिकित्सकों को आश्वस्त करूँगा कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। साथ ही, उच्च शुल्क वसूलने का अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधित नहीं हुआ तो मैं पथभ्रष्ट चिकित्सकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करूँगा।

मैं चौथे विकल्प का पालन करूंगा। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि चिकित्सक और सांसद दोनों के पास उपयुक्त रास्ता हो। चिकित्सक स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करने में सक्षम होंगे और उन्हें उच्च शुल्क प्रभारित करने से भी रोका जाएगा, जिससे सांसद भी संतुष्ट होंगे।

साथ ही, मैं सांसद से सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार के लिए NRHM के तहत नए अस्पताल खोलने और CHCs, PHCs में सुधार के लिए अपनी MPLAD योजना से धन उपलब्ध कराने का आग्रह करूंगा।



9. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न



(Previous Years UPSC Mains Questions)

1. लोक-सेवा के सन्दर्भ में 'जवाबदेही' का क्या अर्थ है? लोक-सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?
2. 'शासन', 'सुशासन' और नैतिक शासन' शब्दों से आप क्या समझते हैं?
3. हाल में हुई कुछ प्रगतियाँ, जैसे कि सूचना का अधिकार (आर० टी० आई०) अधिनियम, मीडिया और न्यायिक सक्रियता इत्यादि, सरकार के कार्यों में पहले से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सहायक साबित हो रही हैं। फिर भी, यह भी देखा जा रहा है कि कभी-कभार इन साधनों का दुरुपयोग किया जाता हैं। एक अन्य नकारात्मक प्रभाव यह है कि अधिकारीगण अब शीघ्र निर्णय लेने से डरते हैं। इस स्थिति का विस्तारपूर्वक विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि इस द्विभाजन का हल किस प्रकार निकाला जा सकता है। सुझाइए कि इन नकारात्मक प्रभाव को किस प्रकार न्यूनतमीकृत किया जा सकता है।
4. आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता सेलों/आयोग की स्थापना, आर० टी० आई०, सक्रिय मीडिया और विधिक यांत्रिकत्वों के प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचारपूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे हैं।
   (a) इन उपायों की प्रभावशीलता का औचित्य बताते हुए मूल्यांकन कीजिए।
   (b) इस खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइए।

10. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज

(Previous Years UPSC Mains Questions: Case Studies)

1. आप एक सरकारी विभाग में सार्वजनिक जनसूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) हैं। आप जानते हैं कि 2005 का आर.टी.आई. अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही की परिकल्पना करता है। अधिनियम आमतौर पर कदाचित मनमाना प्रशासनिक व्यवहार एवं कार्यों पर रोक लगाने में कार्यरत है। किन्तु एक पी.आई.ओ. के रूप में आपने देखा है कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपने लिए याचिका फाइल करने के बजाय दूसरे हितधारकों के लिए याचिका फाइल करते हैं और इसके द्वारा अपने स्वार्थ को आगे करते हैं। साथ-साथ ऐसे आर.टी.आई. भरने वाले कुछ लोग भी हैं जो नियमित रूप से आर.टी.आई. याचिकाएँ भरते रहते हैं और निर्णयकर्ताओं से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की आर.टी.आई. गतिविधियों ने प्रशासन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और सम्भवतः विशुद्ध याचिकाओं को जोख़मि में डाल दिया है जिनका लक्ष्य न्याय प्राप्त करना है। वास्तविक और

VISION IAS

अवास्तविक याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे? अपने सुझावों के गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए।



2. वित्त मंत्रालय में एक वरीय अधिकारी होने के नाते, सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले कुछ नीतिगत निर्णयों की गोपनीय एवं महत्त्वपूर्ण सूचना की आपको जानकारी मिलती है। इन निर्णयों के भवन एवं निर्माण उद्योग पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि भवन निर्माताओं को पहले ही यह जानकारी मिल जाती है, तो वे उससे बड़े लाभ उठा सकते हैं। निर्माताओं में से एक ऐसा है जिसने सरकार के लिए अच्छी गुणवत्ता का काफ़ी काम किया है और वह आपके आसन्न वरिष्ठ अधिकारी का घनिष्ठ है जिन्होंने आपको उक्त सूचना का उस निर्माता को अनावृत करने के लिए संकेत भी दिया है।

(a) आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे। उसके कारण भी बताइए।

3. एक जन सूचना अधिकारी (PIO) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से सम्बन्धित है, जो पूर्णरूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा उसके अन्य मित्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती है, जिसमें दंड भी संभावित है। सूचना प्रकट न करने या आंशिक या छद्मावरित सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड-मुक्ति भी मिल सकती है। PIO अन्यथा एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है पर यह विशिष्ट निर्णय, जिसके सम्बन्ध में RTI आवेदन दिया गया है, गलत निकला। वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आया है। नीचे सुझावों के कुछ विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन कीजिए :

(i) PIO इस मामलें को अपने ज्येष्ठ अधिकारी को उसकी सलाह के लिए संदर्भित करे और कड़ाई से उसी के अनुसार कार्यवाही करे चाहे वह स्वयं उस सलाह से पूर्णतया सहमत न हो।

(ii) PIO छुट्टी पर चला जाए और मामले को अपने उत्तराधिकारी (कार्यालय में) पर छोड़ दे या सूचना आवेदन को किसी अन्य PIO को स्थानान्तरण का निवेदन करे।

(iii) PIO सच्चाई के साथ सूचना प्रकट करने व अपनी जीविका पर उसके प्रभाव पर मनन करके इस भांति उत्तर दे जिससे वह या उसकी जीविका पर जोखिम न आए पर साथ ही सूचना की अन्तर्वस्तु पर कुछ समझौता किया जा सकता है।

(iv) PIO उन सहयोगियों, जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे, से परामर्श करे और उनकी सलाह के अनुरूप कार्यवाही करे।

अनिवार्य रूप से केवल उपरोक्त विकल्पों तक सीमित न रखते हुए आप अपनी सलाह दीजिए और उसके उचित कारण भी बताइए।

VISION IAS

11. संदर्भ (References)

1. Website of Right to Information - http://rti.gov.in/
2. Website of central Information Commission- http://www.cic.gov.in/
3. Right to Information report – By the Second Administrative Reform Commission
4. Institutionalizing Transparency and Accountability in Indian Governance: Understanding the Impact of Right to Information – By Dr. Roopinder Oberoi, Assistant Professor, Department of Political Science, University of Delhi
5. NDSAP Report- http://www.dst.gov.in/NDSAP.pdf
6. Transparency for Inclusive Governance report- By the Global Agenda Council on India, World Economic Forum
7. Website of Government e-Marketplace - https://gem.gov.in/aboutus



VISIONIAS
www.visionias.in

Value Addition Material-2018

PAPER IV : नीतिशास्त्र

सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य एवं सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. अभिरुचि (Aptitude) 3

1.1. अभिरुचि के प्रकार 4

1.1.1. सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि (Aptitude for Civil Services) 5

1.2. अन्य गुणों के साथ अभिरुचि का संबंध 5

1.2.1. अभिरुचि और रुचि (Aptitude and Interest) 5

1.2.2. अभिरुचि एवं क्षमता (Aptitude & Ability) 5

1.2.3. अभिरुचि एवं बुद्धिमत्ता (Aptitude and Intelligence) 6

1.2.4. अभिरुचि और अभिवृत्ति (Aptitude and Attitude) 6

1.2.5. अभिरुचि एवं मूल्य (Aptitude and Values) 6

1.2.6. अभिरुचि, निपुणता तथा उपलब्धि 7

2. सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्य 8

2.1. ये मूल्य क्या हैं? (What are they?) 8

2.2. हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? (Why we need them?) 8

2.3. बुनियादी मूल्यों के प्रकार 9

2.4. सिविल सेवाओं के लिए मुख्य बुनियादी मूल्य 9

3. सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्यों का सविस्तार वर्णन 12

3.1. सत्यनिष्ठा (Integrity) 12

3.2. वस्तुनिष्ठता (Objectivity) 17

3.3. लोक सेवा के प्रति समर्पण (Dedication to Public Service) 18

3.4. समानुभूति (Empathy) 19

3.5. संवेदना (Compassion) 20

3.6. निष्पक्षता (भेदभाव रहित) तथा गैर-तरफदारी 20

3.7. तटस्थता (Neutrality) 23

3.8. सहिष्णुता (Tolerance) 26

3.9. अनामिकता (Anonymity) 27

3.10. जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व (Accountability and Responsibility) 29

3.11. विविध मूल्य (Miscellaneous Values) 32

3.12. मूल्यों के क्षरण के परिणाम (Consequences of Erosion of Values) 33

4. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न 34

5. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज़ 47

6. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 53

7. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडी 53

VISION IAS

खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दें।

– महात्मा गांधी



1. अभिरुचि (Aptitude)

पृष्ठभूमि

हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कुछ निश्चित गतिविधियों/कार्यों/व्यवसायों के लिए कुछ खास कौशल या प्रवृत्ति के साथ जन्म लेता है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि कुछ कार्यों के लिए प्राथमिकताएं विकसित करने में किसी व्यक्ति के शैशव काल से ही हुए अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य होती है। इसके अतिरिक्त, दो व्यक्ति यदि समान अनुभवों से गुजरें तो उनमें सदैव एक जैसी भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होगी। इसके साथ ही किसी विशिष्ट घटना से विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वास्तविकता को अपनी दृष्टि से देखता है, अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर उस पर प्रतिक्रिया करता है और अंत में उससे निष्कर्ष रूप में केवल वही अनुभव प्राप्त करता है जो वह उचित समझता है। इस प्रकार हमारे पुराने अनुभव हमारे वर्तमान दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं और हमारी प्रवृत्ति का विकास करते हैं कि भविष्य में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। उदाहरण के लिए, जब बलात्कार जैसा जघन्य अपराध घटित होता है तो कुछ लोग पीड़िता को दोषी ठहराते हैं तथा अन्य लोग पुलिस, परिवार और समाज आदि को जिम्मेदार मानते हैं। घटना वही है किन्तु अलग-अलग लोग इसे अलग-अलग ढंग से देखते हैं। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग लोग एक ही घटना से अलग-अलग प्रकार की सीख प्राप्त करते हैं। संभव है कि कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से पुलिस बल का भाग बनना चाहे तो कोई अन्य व्यक्ति पीड़िता की दुर्दशा से द्रवित हो जाए और पुनर्वास केंद्र खोलने को तैयार हो जाए। संभव है कि कोई महिलाओं के व्यापक मुद्दों के लिए अभियान चलाने का इच्छुक हो और कोई अन्य व्यक्ति केवल महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहे। व्यापक तथ्य यह है कि – हमारे अनुभव हमारी विचार प्रणाली को विशिष्ट रूप से आकार प्रदान करते हैं। यह अवचेतन विचार प्रणाली हमारी वरीयताओं को आकार प्रदान करती है और इस प्रकार अंतत: भविष्य में किसी घटना के प्रति अनुक्रिया करने की हमारी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है (किन्तु निर्धारित नहीं करती)।

परिभाषा और व्याख्या

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'अभिरुचि' कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता या स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यहाँ पर 'स्वाभाविक' (natural) शब्द इसके (अभिरुचि के) साधारण अर्थ 'जन्म से' (by birth) के बजाये व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण अनुभवों को अधिक संदर्भित करता है। मुक्केबाजी के लिए अभिरुचि धारण करने वाले व्यक्ति को, यदि आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, तो वह उस क्षमता को अत्यधिक विकसित कर सकता है। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति में मुक्केबाजी के लिए अभिरुचि ही नहीं है तो उसे चाहे कितना भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए फिर भी उसके प्रदर्शन में कोई भी प्रशंसनीय सुधार नहीं आ सकता। अभिरुचि ऐसी *पैदाइशी या अर्जित क्षमताओं और अन्य विशेषताओं का संयोजन है, जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने में व्यक्ति की क्षमता की संकेतक मानी जाती हैं।* यह किसी विशेष क्षेत्र में कौशल अथवा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता को संदर्भित करती है, जिसके आधार पर भविष्य के प्रदर्शनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

VISION IAS



शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश (1960) के अनुसार, अभिरुचि को 'किसी कार्य के निष्पादन, जिसके संदर्भ में एक व्यक्ति पास अल्प या किसी भी प्रकार का पूर्व प्रशिक्षण नहीं है, के लिए एक निश्चित सीमा तक अधिक अथवा कमतर सुपरिभाषित पैटर्न या व्यवहार के अभिग्रहण हेतु एक व्यक्ति की क्षमता या परिकल्पित सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।' साधारण शब्दों में, अभिरुचि ऐसे अभिलक्षणों का समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की क्षमता के सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार इसका भविष्यवादी संदर्भ होता है। दूसरी ओर कौशल को प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अभिरुचि कौशल नहीं है। कौशल अर्जित किया जाता है और प्रशिक्षण एवं अधिगम के माध्यम से उसे निरंतर उन्नत किया जाता है। अभिरुचि पहले से विद्यमान होती है किन्तु इसे पोषित किया जा सकता है।

जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है कि 'अभिरुचि न तो पूर्णतः जन्मजात (innate) होती है और न ही पूर्णतः अर्जित'। यह कुछ सीमा तक जन्मजात होती है, किन्तु साथ ही यह जन्मजात और आस-पास के परिस्थितियों के अंतर्संबंध का उत्पाद भी होती है। अभिरुचि का स्तर सभी व्यक्तियों में एकसमान नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी विशिष्ट कार्य के लिए कुछ अभिरुचि होती है; किन्तु लोगों में किसी विशिष्ट कार्य हेतु अभिरुचि का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, अनेक लोग सशस्त्र बलों में अधिकारी बनना चाहते हैं किन्तु उनमें से केवल कुछ ही लोग अपने प्रयास में सफल हो पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुणों के पूर्व निर्धारित समुच्चय के आधार पर सशस्त्र बलों हेतु सेवा चयन बोर्ड (SSB) द्वारा असफल अभ्यर्थियों को अपेक्षित अभिरुचि के मामले में दूसरों की तुलना में कमतर आंका जाता है। अभिरुचि किसी के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वरीयता मात्र नहीं है। यह कुछ ऐसे गुणों को धारण करना है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य में दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करते हैं।

रक्षा या पुलिस सेवाओं में अधिकारी बनने के लिए किसी व्यक्ति में शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की अभिरुचियों का होना आवश्यक है। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को मनोप्रेरणा (psycho-motor) समन्वय संबंधी अभिरुचि की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में होता है जो उसकी अभिरुचि के अनुरूप नहीं है तो समस्या उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति केवल इसलिए क्रिकेटर बनना चाहे कि उसके पिता बेहतरीन क्रिकेटर थे, तो हो सकता है कि वह श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में सक्षम न हो सके जब तक कि उसमें स्वयं ही उस खेल के लिए आवश्यक अभिरुचि न हो। यह सदैव याद रखना चाहिए कि अभिरुचि भावी संभावनाओं को देखती है। हालांकि, यह **वर्तमान स्थिति - वर्तमान में विद्यमान और भविष्य की संभावनाओं के संकेतक माने जाने वाले लक्षणों (विशिष्टताओं) के पैटर्नों,** को संदर्भित करती है।

1.1. अभिरुचि के प्रकार

अभिरुचि को सामान्यतः **शारीरिक** या **मानसिक** अभिरुचि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

शारीरिक अभिरुचि (अभिक्षमता) से तात्पर्य कुछ विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक शारीरिक विशेषताओं से है। उदाहरण के लिए, सशस्त्र बलों को शारीरिक विशेषताओं के एक विशिष्ट समुच्चय, जैसे- लंबाई, बल आदि की आवश्यकता होती है।

मानसिक अभिरुचि से आशय मानसिक गुणों के एक विशिष्ट समुच्चय से है जो कुछ कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने हेतु आवश्यक होते हैं। विशेषताओं के आधार पर इसे सामान्य मानसिक

VISION IAS

क्षमता और मूल्य-अभिमुखता (value-orientation) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य मानसिक क्षमता का आशय तर्कसंगत रूप से विचार करने की क्षमता से है, जबकि मूल्य-अभिमुखता में कुछ मूल्य आधारित व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं, जैसे- सहानुभूति, करुणा, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, उत्तरदायित्व आदि द्वारा निर्देशित किए जाने वाले व्यवहार।



इस अंतर को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ- एक बैंकर को संख्याओं के मामले में कुशल होना चाहिए जबकि एक प्रभावी नेता वह होता है जो सहानुभूति रखने वाला और ईमानदार हो। दूसरी ओर एक चोर को संभवत: झूठ बोलने की कला में कुशल होना चाहिए।

1.1.1. सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि (Aptitude for Civil Services)

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिविल सेवकों में तीन प्रकार की अभिरुचियाँ होनी चाहिए: **बौद्धिक**, **भावनात्मक और नैतिक**। ये अभिरुचियाँ सिविल सेवक को पेशेवर मूल्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाती हैं।

बौद्धिक अभिरुचि यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित सिविल सेवक तर्कसंगत ढंग से विचार करे, उद्देश्यपूर्ण रूप से कार्रवाई करे और अपने आस-पास के परिवेश के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करे। इस प्रकार, इसे साधन-अभिमुख अभिरुचि (means oriented aptitude) माना जा सकता है।

भावनात्मक अभिरुचि अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों और जनता के साथ सिविल सेवकों के प्रभावी आचरण को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार इसे व्यवहार-अभिमुख अभिरुचि (behavior oriented aptitude) माना जा सकता है।

नैतिक अभिरुचि में वांछनीय मूल्यों, जैसे- न्याय, सहानुभूति, करुणा आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसे सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्य भी कहा जाता है और यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक अपने कर्तव्यों का निष्पादन न केवल कुशलता से अपितु जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ढंग से भी करें। इस प्रकार इसे लक्ष्य-अभिमुख अभिरुचि माना जा सकता है।

1.2. अन्य गुणों के साथ अभिरुचि का संबंध

(Relationship of Aptitude with Other Qualities)

1.2.1. अभिरुचि और रुचि (Aptitude and Interest)

लोगों की कई बातों में रुचि होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके पास उसके लिए अभिरुचि है। किसी को क्रिकेट बहुत पसंद हो सकता है– लेकिन टेलीविजन पर देखने के स्थान पर मैदान पर इसे खेलना बहुत अलग बात है। किसी व्यक्ति में अच्छी कमेंट्री करने की अधिक अभिरुचि हो सकती है या लेखन कौशल हो सकता है और उसके बाद कोई व्यक्ति ऐसा व्यवसाय चुन सकता/सकती है जिसमें उसकी रूचि और अभिरुचि मेल खाती हो, जैसे- कमेंट्रेटर या खेल पत्रकार बनना।

1.2.2. अभिरुचि एवं क्षमता (Aptitude & Ability)

अभिरुचि को प्राय: मानसिक क्षमता के ऐसे विशिष्ट उपसमुच्चय का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है जो विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार के संबंध में, व्यक्ति की क्षमता के विषय में उपयोगी जानकारी प्रदान करता हो। क्षमता बुद्धिमत्ता के बहुत निकट होती है। यह वर्तमान से संबंधित होती है। यह कौशल, अभ्यासों (आदतों) और शक्तियों का ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति में वर्तमान में विद्यमान है और उसे कुछ करने में सक्षम बनाता है। अभिरुचि यह संकेत करती है कि व्यक्ति क्या सीखने/करने में सक्षम होगा और क्षमता इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है कि कोई व्यक्ति वर्तमान में (या भविष्य में बिना अतिरिक्त प्रशिक्षण के) क्या करने में सक्षम है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से, किसी व्यक्ति ने पहले से जो

VISION IAS

प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उसके स्तर पर विचार किए बिना अभिरुचि का मापन असंभव है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले कुछ अनुभव, अभिरुचि का मापन करने के दौरान इसमें वृद्धि कर देते हैं।



उदाहरण के लिए, सिविल सेवाओं के लिए किसी उम्मीदवार की अभिरुचि का परीक्षण करने के प्रयोजन से आयोजित की जाने वाली **सिविल सर्विसेज अभिरुचि परीक्षण (CSAT)** परीक्षा अभ्यास न करने वाले उम्मीदवारों की तुलना में अभ्यास करने वालों के लिए बेहतर स्कोर प्रदर्शित करेगी। यह उम्मीदवारों को सिविल सेवक बनने के बाद अनुभव किए जाने वाले दबाव की परिस्थिति में लाकर (सीमित समय में अनेक प्रश्नों को हल करवाकर) अभिरुचि का परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त, जिस व्यक्ति ने इसका अभ्यास किया है उसके लिए यह परिक्षण उसकी तैयारी और परिश्रम को बताते हैं, जो पुन: एक सिविल सेवक में वांछनीय विशेषताएं होती हैं। इसलिए यद्यपि इसका प्रयोजन अभिरुचि का मापन करना होता है लेकिन यह क्षमता का भी मापन करती है। इस प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्षमता में अभिरुचि एवं उपलब्धि समाविष्ट होती है। क्षमता संदर्भित करती है कि व्यक्ति आज क्या कर सकता है। यह एक निश्चित समय पर, किसी कार्य का निष्पादन करने की शक्ति होती है।

1.2.3. अभिरुचि एवं बुद्धिमत्ता (Aptitude and Intelligence)

अभिरुचि भविष्य में उचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने पर, व्यक्ति में कुछ कार्य करने हेतु विद्यमान *जन्मजात क्षमता* होती है। बुद्धिमत्ता का प्रमुख अवयव अपने वर्तमान परिवेश में तर्कसंगत रूप से विचार करने, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने एवं प्रभावी रूप से व्यवहार करने की क्षमता है। बुद्धिमत्ता का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि यह सामान्य मानसिक क्षमता से संबंधित होती है। दूसरी ओर, अभिरुचि का कार्यक्षेत्र संकीर्ण होता है – यह कार्य-विशिष्ट होती है। यह किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी कार्य को सम्पन्न करने की एक विशिष्ट क्षमता को संदर्भित करते हुए, बुद्धिमत्ता को विभिन्न अभिलक्षणों में विभाजित करती है। इस प्रकार, अभिरुचि बुद्धिमत्ता के समान नहीं होती है। एक समान बौद्धिक स्तर (IQ) वाले दो लोगों की अभिरुचि भिन्न-भिन्न हो सकती है, उदाहरण के लिए, एक की अभिरुचि वैज्ञानिक बनने की और दूसरे की उपन्यासकार बनने की हो सकती है।

1.2.4. अभिरुचि और अभिवृत्ति (Aptitude and Attitude)

अभिरुचि भविष्य में उचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने पर, व्यक्ति में कुछ कार्य करने हेतु विद्यमान जन्मजात क्षमता होती है। अभिवृत्ति वस्तुतः लोगों (स्वयं को सम्मिलित करते हुए), विषय-वस्तुओं या समस्याओं का स्थायी व सामान्य मूल्यांकन होता है। यह एक विशिष्ट प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति अर्थात् किसी निश्चित विचार, वस्तु, व्यक्ति, या स्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। अभिवृत्ति को कुछ अर्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यदि अभिरुचि पहले से विद्यमान नहीं है तो उसे विकसित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जन्मजात (स्वाभाविक) क्षमता भी है।

1.2.5. अभिरुचि एवं मूल्य (Aptitude and Values)

मूल्य, अभिरुचि से इस दृष्टि से भिन्न होते हैं कि मूल्यों के माध्यम से किसी वस्तु या कार्य के महत्व के स्तर का बोध होता है। मूल्यों का उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि कौन-सा कार्य सर्वश्रेष्ठ है या कौन-सी जीवन शैली सर्वोत्तम है। यद्यपि मूल्य "सकारात्मक" या "नकारात्मक" हो सकते हैं, जैसे- कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति सकारात्मक है जबकि अपनी ही जाति को सर्वोच्च मानना नकारात्मक

VISION IAS

है। लेकिन आम तौर पर मूल्यों का सन्दर्भ सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों के रूप में ही लिया जाता है। अतः, वे सही आचरण एवं एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का इस रूप में निर्धारण करते हैं कि किसी उच्च, या कम से कम अपेक्षाकृत उच्च मूल्यपरक कार्य को नैतिक रूप से "अच्छा" माना जा सकता है। इसी प्रकार निम्न मूल्यपरक कार्य, या कुछ हद तक अपेक्षाकृत निम्न मूल्यपरक कार्य को "बुरा" माना जा सकता है। इसलिए, मूल्यों को उपयुक्त कार्यवाहियों या परिणामों से संबंधित व्यापक वरीयताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार, मूल्य किसी व्यक्ति के सही और गलत के विवेक या क्या "उचित होना चाहिए" को प्रतिबिंबित करते हैं। "सभी के लिए समान अधिकार", "उत्कृष्टता प्रशंसा की अधिकारी है" तथा "लोगों के साथ आदर और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए" आदि मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मूल्यों में अभिवृत्ति और व्यवहार को प्रभावित करने की प्रवृत्ति होती है। मूल्यों के प्रकारों में नीतिपरक/नैतिक मूल्य, सैद्धांतिक/वैचारिक (धार्मिक, राजनीतिक) मूल्य, सामाजिक मूल्य एवं सौन्दर्यपरक मूल्य सम्मिलित हैं। अगले खण्ड में हम "सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्यों" पर चर्चा करेंगे।

1.2.6. अभिरुचि, निपुणता तथा उपलब्धि

(Aptitude, Proficiency & Achievement)

निपुणता का तात्पर्य किसी कार्य को सरलता तथा सटीकता के साथ निष्पादित कर पाने की क्षमता से है। वहीं उपलब्धियों का संबंध अतीत में निष्पादित एवं संपन्न कार्यों से है।



2. सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्य

(Foundational Values for Civil Services)



2.1. ये मूल्य क्या हैं? (What are they?)

मूल्य, मानदंडों के वे समुच्चय होते हैं जिनके आधार पर हम किसी कार्य के उचित या अनुचित होने की जांच करते हैं। मूल्यों के अनेक प्रकार हैं और उन्हें एक पदानुक्रम में रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, गांधी जी ने सत्य को परम (सर्वोच्च) मूल्य माना और उसके बाद अहिंसा को स्थान दिया। सिविल सेवाओं से संबंधित मूल्य किसी संस्कृति के संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं, यथा- लोकतांत्रिक संस्कृति सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है। जनता ने इस शक्ति को राज्य को सौंप रखा है जिसका उपयोग राज्य अपने अधिकारियों (नियुक्त तथा निर्वाचित) के माध्यम से जनता के सर्वोत्तम हित में करता है। मूल्य, समय के संदर्भ में भी प्रासंगिक या अप्रासंगिक हो सकते हैं अर्थात् वे विकसित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, सिविल सेवाओं में वर्तमान में कामकाज संबंधी परिवेश को उन्नत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है जबकि पूर्व में ऐसा नहीं था।

2.2. हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? (Why we need them?)

सिविल सेवक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण (विश्वास संबंधी) पद धारण करते हैं। उन्हें व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उनके विशेष कर्तव्य भी होते हैं क्योंकि उन्हीं पर समुदाय द्वारा सौंपे गए संसाधनों को प्रबंधित करने का उत्तरदायित्व होता है। वे समुदाय को सेवाएं प्रदान करते हैं और सेवाओं का वितरण करते हैं तथा सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाले निर्णय भी लेते हैं। इसके चलते, समुदाय को यह अपेक्षा करने का अधिकार होता है कि सिविल सेवक न्यायपूर्वक, निष्पक्ष ढ़ंग से तथा दक्षता से कार्य करें।

यह आवश्यक है कि समुदाय का सिविल सेवा की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता में विश्वास हो। स्वयं सिविल सेवा के भीतर भी यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सिविल सेवकों के निर्णय और कार्यवाहियों से तात्कालिक सरकार की नीतियाँ तथा सरकारी सेवक के रूप में समुदाय द्वारा अपेक्षित मानक प्रतिबिंबित हों। ध्यातव्य है कि सिविल सेवकों से उत्तरोत्तर आने वाली राजनीतिक सरकारों के तहत कार्य करते हुए दक्षता, अनुक्रियाशीलता तथा भेदभाव-रहित होने के एकसमान मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा; हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की कार्यपद्धति का मुख्य तत्व है।

एक लोकतंत्र में, किसी कुशल सिविल सेवा में मूल्यों का ऐसा समुच्चय अवश्य निहित होना चाहिए जो इसे अन्य व्यवसायों से पृथक करता हो। सत्यनिष्ठा, लोक सेवाओं के प्रति समर्पण भाव, भेदभाव-रहित होना, राजनीतिक तटस्थता, अनामिता इत्यादि किसी भी कुशल सिविल सेवा के विशिष्ट तत्व होते हैं। सिविल सेवकों को संविधान तथा विधि को बनाए रखना होता है; इसलिए उन्हें अपने आचरणों को निर्देशित करने हेतु कुछ मूल्यों की आवश्यकता होती है। संविधान, विधि, नियम तथा विनियम सिविल सेवकों में इन अपेक्षित मूल्यों का समावेश करते हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि स्वयं सिविल सेवक इन मूल्यों में विश्वास करें तथा इन्हें व्यवहार में भी अपनाएं। इसके अतिरिक्त, उन परिस्थितियों में जहां विवेकाधीन निर्णय लेने होते हैं, वहां भी यह अपेक्षा की जाती है कि सिविल सेवक

VISION IAS

इन मूल्यों द्वारा निर्देशित हों। इस प्रकार के मूल्यों के अभाव में, संज्ञानात्मक असंगति (cognitive dissonance) तथा सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं।



विनीत नारायण निर्णय में न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा द्वारा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को लेकर निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए, "सार्वजनिक पद धारक को शक्तियाँ केवल सार्वजनिक हित में उपयोग करने हेतु प्रदान की जाती हैं। इसलिए, वे लोगों के विश्वास के तहत पद धारण करते हैं। अत: किसी भी सिविल सेवक का न्याय के मार्ग से विचलित होना विश्वासघात के समान है तथा ऐसे मामलों को नज़रअंदाज़ कर दिए जाने की अपेक्षा उनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए।"

2.3. बुनियादी मूल्यों के प्रकार

(Types of Foundational Values)

सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्यों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

i. लक्ष्य-उन्मुख मूल्य (End-oriented values): ये मूल्य सिविल सेवकों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। इनका संबंध अंतिम परिणामों से होता है तथा उनकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति राज्य की नीति के निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल मूल्यों के रूप में की जा सकती है।

ii. साधन-उन्मुख मूल्य (Means-oriented values): ये उन तरीकों से संबंधित हैं जिस तरीके से सिविल सेवक व्यवहार करते हैं या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान कार्य करते हैं। इनका संबंध साधनों से होता है तथा इसके अंतर्गत पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, दक्षता आदि मूल्य सम्मिलित हैं।

2.4. सिविल सेवाओं के लिए मुख्य बुनियादी मूल्य

(Major Foundational Values for Civil Services)

भारत में, नैतिक मानदंडों का वर्तमान समुच्चय केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में निहित आचरण नियमावली है तथा इसके समान नियम अखिल भारतीय सेवाओं अथवा विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू हैं। आचरण नियमावली में व्यवहार संहिता जिसमें कुछ साधारण मानदंड, यथा- 'सत्यनिष्ठा बनाए रखना तथा कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव', सरकारी कर्मचारियों को अनुचित आचरणों से दूर रहना आदि सम्मिलित हैं। सामान्यत: यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अवांछित समझी जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है। यह आचरण नियमावली नैतिक संहिता की स्थापना नहीं करती है। लोक सेवा विधेयक, 2007 के मसौदा में, नैतिक संहिता के विकास हेतु आवश्यक प्रथम चरण की अनुशंसा की गयी है। इसमें लोक सेवा संबंधी मूल्यों को एक ऐसे मूल्यों समुच्चय के रूप में वर्णित किया गया है जो लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में निर्देशित करते हैं। ये निम्नलिखित हैं:

i. देशभक्ति तथा राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना;

ii. संविधान तथा राष्ट्रीय कानूनों के प्रति निष्ठा;

iii. निष्पक्षता, भेदभाव-रहित, ईमानदारी, कर्मठता, विनम्रता तथा पारदर्शिता; तथा

iv. पूर्ण सत्यनिष्ठता बनाए रखना।

VISION IAS

सिविल सेवाओं में नैतिक संहिता के अभाव के बावजूद, ऐसे कई विभिन्न स्रोत हैं जिनमें सिविल सेवकों के लिए अपेक्षित मूल्यों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समावेश है। इन मूल्यों का सबसे प्रमुख स्रोत भारत का संविधान है।



मुख्य संवैधानिक मूल्य

हमारा संविधान प्रस्तावना द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार अपने नागरिकों के लिए कुछ मूल्यों/सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान एक सिविल सेवक से इन मूल्यों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। ये हैं:

- **संप्रभुता:** इसका मतलब यह है कि इस देश के लोग संप्रभु हैं तथा सर्वोत्तम संभव तरीके से स्वयं पर शासन करने हेतु अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं।
- **समाजवाद:** इसका अर्थ यह है कि एक समतावादी समाज के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखती है।
- **पंथनिरपेक्ष:** राज्य को किसी भी धर्म के प्रति नकारात्मक या सकारात्मक भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- **लोकतंत्र:** जनता का शासन।
- **गणतंत्र:** इसका अर्थ है- 'सर्वोच्च शक्ति का जनता में निहित होना'। राज्य प्रमुख को निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है तथा उसका पद राजतंत्र की भांति एक वंशानुगत संस्था नहीं होता है।
- **न्याय:** इसका अर्थ है- सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक की प्राप्ति। इसका मूल अर्थ यही है कि किसी भी वर्ग को वंचित छोड़े बिना संपूर्ण समाज की एक साथ प्रगति तथा संपूर्ण देश में विधि का शासन स्थापित हो।
- **समानता:** इसका तात्पर्य स्थिति और अवसर की समानता के माध्यम से कुछ सकारात्मक कार्रवाई के साथ समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों को सशक्त बनाने से है।
- **भ्रातृत्व:** इसका अर्थ है सभी देशवासियों के मध्य भ्रातृत्व की भावना, ताकि सभी की गरिमा सुनिश्चित हो सके।

सिविल सेवा मूल्यों का सामान्य सिंहावलोकन

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने अपनी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' में सिविल सेवकों में अपेक्षित मूल्यों का सविस्तार वर्णन किया है। साथ ही उसने UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों की सिविल सेवाओं का भी संदर्भ लिया है।

नोलन समिति (UK) द्वारा यथा अनुशंसित सिविल सेवा मूल्य

यूनाइटेड किंगडम में सार्वजनिक जीवन के मानदंडों पर समिति (Committee on Standards in Public Life) को लोकप्रिय रूप से **नोलन समिति** के रूप में जाना जाता है। नोलन समिति ने इस विषय में सर्वाधिक व्यापक विवरण प्रस्तुत किया था कि कौन-कौन से घटक सार्वजनिक पदधारकों के लिए नैतिक मानदंडों का गठन करते हैं । इसने सार्वजनिक जीवन के निम्नलिखित सात सिद्धांतों को रेखांकित किया है:

i. निःस्वार्थता (Selflessness): सार्वजनिक पदधारकों को पूर्णतया सार्वजनिक हित में निर्णय लेना चाहिए। उन्हें निर्णय लेते समय स्वयं, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के विषय में नहीं सोचना चाहिए।

ii. सत्यनिष्ठा (Integrity): सार्वजनिक पदधारकों को स्वयं को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के प्रति किसी भी ऐसे वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना चाहिए जो उन्हें अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में बाधा डाले।

iii. वस्तुनिष्ठता (Objectivity): सार्वजनिक नियुक्तियां करने, ठेके देने, या पुरस्कार और लाभ के लिए लोगों को अनुशंसित करने सहित सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सार्वजनिक पदधारकों को योग्यता के आधार पर निर्णय करना चाहिए।

iv. जवाबदेही (Accountability): सार्वजनिक पदधारक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनके पद के लिए जो भी संवीक्षा उचित हो, उसके लिए उन्हें अपने आपको प्रस्तुत करना चाहिए।

VISION IAS

v. खुलापन (Openness): सार्वजनिक पदधारकों को स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों और संपादित कृत्यों के संबंध में जितना संभव हो उतना खुला होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के कारण बताने चाहिए और जानकारी केवल तभी रोकना चाहिए जब व्यापक सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना स्पष्ट रूप से आवश्यक हो।



vi. ईमानदारी (Honesty): सार्वजनिक पदधारकों का कर्त्तव्य है कि वे उनके सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करें और उत्पन्न होने वाले हितों के किसी भी टकराव का समाधान करने हेतु ऐसे कदम उठाएं जिनसे सार्वजनिक हितों की रक्षा हो।

vii. नेतृत्व (Leadership): सार्वजनिक पदधारकों को नेतृत्व प्रदान करके और स्वयं उदाहरण स्थापित करके इन सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए।

"शासन में नैतिकता" पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की रिपोर्ट में एक व्यापक सिविल सेवा संहिता के संबंध में चर्चा की गई है जिसकी संकल्पना तीन स्तरों पर की जा सकती है। **शीर्ष स्तर पर,** किसी सिविल सेवक द्वारा आत्मसात करने योग्य मूल्यों और नैतिक मानदंडों का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। इन मूल्यों को राजनीतिक निष्पक्षता, उच्च नैतिक मानदंडों के अनुरक्षण और कार्यों के लिए जवाबदेही के संदर्भ में किसी सिविल सेवक से जनता द्वारा की जाने वाली अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। **दूसरे स्तर पर,** सिविल सेवकों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया जा सकता है। इससे नीतिपरक आचार संहिता (Code of Ethics) का निर्माण होगा। **तीसरे स्तर पर,** सटीक और स्पष्ट तरीके से निर्धारित एक विशिष्ट आचरण संहिता (Code of Conduct) होनी चाहिए। जिसमें स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार और कार्यों की एक स्पष्ट सूची हो। द्वितीय ARC ने यह भी अनुशंसा की है कि मूल्यों और नीतिपरक आचार संहिता को प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक में सम्मिलित कर इन्हें सांविधिक समर्थन प्रदान किया जाए।



3. सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्यों का सविस्तार वर्णन



(Foundational Values for Civil Services in Detail)

3.1. सत्यनिष्ठा (Integrity)

'सत्यनिष्ठा के लिए अंग्रेजी शब्द 'इंटेग्रिटी (Integrity)' लैटिन शब्द 'इन्टिजर (Integer)' से बना है। इसका अर्थ संपूर्ण या पूर्ण होना है। नीतिशास्त्र में, सत्यनिष्ठ होने का अर्थ ईमानदारी तथा अपरिवर्तनशील दृढ़ नैतिक सिद्धांतों का गुण रखने वाला व्यक्ति होना है। इसका अर्थ दृढ़ नैतिक मानदंड रखना और उनको कमजोर नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित होना है। सत्यनिष्ठा को कार्यों, मूल्यों, पद्धतियों, उपायों, सिद्धांतों, अपेक्षाओं और परिणामों के साथ सामंजस्य या संगतता की अवधारणा की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नीतिशास्त्र में, सत्यनिष्ठा का तात्पर्य ईमानदारी और किसी व्यक्ति के कार्यों की सत्यता या परिशुद्धता से है। यहाँ मुख्य पद 'संगतता' (consistency), 'ईमानदारी', और 'किसी व्यक्ति के कार्यों की सत्यता या परिशुद्धता' हैं। संगतता से आशय स्थिति से निरपेक्ष रहते हुए एकसमान होना है। किसी एक दिन शांत और रचनात्मक तरीके से निर्णय लेने वाले और दूसरे दिन जल्दीबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति को संगत नहीं कहा जा सकता है। नेतृत्वकर्ता अपने दृष्टिकोण में ऐसे समय में भी स्थिर बने रहते हैं जब स्थिति उसके प्रतिकूल हो (कृपया यह ध्यान दें कि संगतता अनम्यता नहीं है)।

ईमानदारी, सत्यता और किसी के कार्यों की परिशुद्धता, अच्छे मंतव्य और विचार की मांग करती है। दूसरों के साथ कोई व्यक्ति कितना ईमानदार और सच्चा है, यह उसके मंतव्य पर निर्भर करता है – इसलिए कार्यों को व्यक्ति के शब्दों के साथ समन्वयित होना चाहिए और शब्दों को व्यक्ति के विचारों के साथ समन्वयित होना चाहिए। इसलिए, सत्यनिष्ठा में विचार, वाणी एवं कार्यों में इस प्रकार की संगतता का एक महत्वपूर्ण घटक शामिल होता है जिससे कि व्यक्ति की आदर्श स्थिति और उसकी वास्तविक स्थिति के बीच कोई अंतर न रह जाए; अर्थात् हमारी सोच के अनुसार आचरण का जो वांछनीय तरीका है तथा जो हमारा वास्तविक आचरण है, उनके बीच का अंतर समाप्त हो जाए। यह व्यक्तित्व की वह विशेषता है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास एक नैतिक दिग्दर्शक है जो किसी भी परिस्थिति में अनुचित मार्ग नहीं दिखाता। इसका अर्थ आदर्शों, आस्था, मानदंडों, मान्यताओं और व्यवहार का एकीकरण भी है। इसलिए, पूर्ण सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति कभी भी प्रलोभन और बाह्य दबाव से प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा के अनुरूप ही अनुक्रिया करता है। ध्यान दें कि भौतिक वस्तुएं भी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर सकती हैं - यदि आप किसी जर्जर पुराने पुल से गुजर रहे हैं जो हवा के प्रवाहित होने पर झूलने लगता है तो आप इसकी संरचनात्मक सत्यनिष्ठा (अखंडता) पर संदेह कर सकते हैं।

सारतः, सत्यनिष्ठा का आशय सिद्धांतों का पालन करने से है। यह तीन चरणीय प्रक्रिया है: आचरण के उचित तरीके का चयन; इस चयन के संगत कार्यकरण - यहां तक कि जब ऐसा करना असुविधाजनक या लाभहीन हो ऐसी स्थिति में भी; तथा प्रत्यक्ष रूप से घोषित करना कि आपका मत क्या है। तदनुसार, सत्यनिष्ठा को नैतिक भावना, प्रतिबद्धताओं के प्रति दृढ़ता, विश्वसनीयता के समतुल्य माना जा सकता है। ये तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं- चोर अपने विचारों और कार्यों में संगत हो सकता है, परन्तु उसका नैतिक मानदंड निम्न स्तर का होता है और उसने सही कार्य नहीं चुना होता है। यहाँ यह महत्व

VISION IAS

नहीं रखता कि वह स्वयं इसे सही मानता है या नहीं। यदि यह देखें कि उसने 'क्या सही और क्या गलत है' इसका पता लगाने प्रयास किया अथवा नहीं, तो शायद हम पाएंगे कि उसने ऐसा नहीं किया। किसी भी स्थिति में, वह विश्वसनीयता के परीक्षण में भी विफल रहता है।



इसके अतिरिक्त, सत्यनिष्ठा में 'अखंडता' की अवधारणा संपूर्णता से निहित होती है। यदि व्यक्ति सत्यनिष्ठ है तो यह उसके कार्यों, शब्दों, निर्णयों, पद्धतियों और परिणामों के माध्यम से लोगों को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। जब आप 'अखंड' एवं सुसंगत होते हैं तो आपका व्यक्तित्व एकसमान रहता है। किसी भी परिस्थिति में आप अपना एक समान व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं। आप अपने व्यक्तित्व का कोई भी अंश कहीं छोड़कर नहीं आते- आप 'काम करते समय', 'परिवार के साथ' या 'सामाजिक रूप में' भिन्न-भिन्न नहीं होते हैं तथा प्रत्येक समय एक ही व्यक्ति अर्थात् सदैव 'केवल आप' होते हैं।

हर समय सौ प्रतिशत संपूर्ण होना कठिन है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति के सत्यनिष्ठा संबंधी मानदंडों को संदर्भित करते हैं तो हम विशेषक के रूप में 'उच्च' और 'निम्न' शब्दों का उपयोग करते हैं।

हाफोन (Halfon) सत्यनिष्ठा को, नैतिक जीवन के अनुगमन के प्रति व्यक्ति के समर्पण और इस प्रकार के जीवन की मांगों को समझने के प्रयास में उनके बौद्धिक उत्तरदायित्व के रूप में संदर्भित करते हैं। वह लिखते हैं कि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति:

"...*नैतिक दृष्टिकोण को अंगीकृत करता है जो उसे अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होने, तार्किक रूप से स्थिर रहने, प्रासंगिक अनुभवजन्य साक्ष्य से अवगत होने और प्रासंगिक नैतिक मान्यताओं को स्वीकार करने के साथ-साथ उनका मूल्यांकन करने का आग्रह करता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति इन प्रतिबंधों को अपने ऊपर आरोपित करते हैं क्योंकि वे न केवल किसी भी नैतिक दृष्टिकोण को अपनाने, बल्कि जो सर्वोत्तम है उसका पालन करने की प्रतिबद्धता का अनुगमन करने के प्रति चिन्तनशील होते हैं।*"

नोलन समिति द्वारा सिविल सेवक के लिए सत्यनिष्ठा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है: 'सार्वजनिक पदधारकों को स्वयं को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के प्रति किसी भी ऐसे वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना चाहिए जो उन्हें उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन को प्रभावित करे'। यह देखा जा सकता है कि एक सत्यनिष्ठ सिविल सेवक होने के लिए (i) किसी व्यक्ति का नैतिक मानदंड उच्च होना चाहिए (ii) उसे अपने उद्देश्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, (iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुसंगत होना चाहिए - उसे न केवल ईमानदार और सत्यवादी होना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा समझा भी जाना चाहिए। यह सार्वजनिक विश्वास की आधारशिला है, जो सार्वजनिक पदधारण करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उन्हें अपने लिए, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए न तो कोई ऐसा कार्य करना चाहिए न ही उनके पक्ष में स्वार्थवश निर्णय लेने चाहिए। उन्हें किसी भी हित और संबंध की घोषणा और तत्संबंधी समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।

यह ईमानदारी से किस प्रकार भिन्न है?

ईमानदारी: इसका अर्थ तथ्यों को उसी रूप में बनाए रखना है, जिस रूप में वे हैं, अर्थात् सत्य को बनाए रखना है। यदि आप सत्य बोलते हैं, तो आप ईमानदारी का गुण रखते हैं। ईमानदार होने का अर्थ किसी भी प्रकार से झूठ न बोलने, चोरी न करने, धोखा न देने या छल न करने के विकल्प का चयन करना होता है।

VISION IAS



सत्यनिष्ठा: इसका अर्थ हर समय जो सही है वही सोचना और करना, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। आप के अंदर सत्यनिष्ठा होने पर किसी के द्वारा न देखे जाने की स्थिति में भी आप अपने मानदंडों और मान्यताओं के अनुसार जीने के इच्छुक होते हैं; आप इस प्रकार जीना चाहते हैं कि आपके विचार और व्यवहार हमेशा परस्पर सुसंगत बने रहें। अतः सत्यनिष्ठा के लिए न केवल सत्यता (ईमानदारी) बल्कि सभी परिस्थितियों में जो सही है, वही करने की विशेषता की भी आवश्यकता होती है।

सत्यनिष्ठा के उप-समूह के रूप में ईमानदारी: सत्यनिष्ठा में विश्वसनीयता अर्थात् अपने सिद्धांतों और मूल्यों में संगतता निहित होती है। ऐसे में ईमानदारी सत्यनिष्ठा का एक आवश्यक मानदंड बन जाती है, हालांकि यह पूर्णतया पर्याप्त मानदंड नहीं होती है। सत्यनिष्ठ होने के लिए व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन केवल ईमानदार होने से व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं हो जाता। साधारण शब्दों में कहा जाए तो, कोई भी व्यक्ति किसी एक कार्य में ईमानदार हो सकता है, लेकिन सत्यनिष्ठा के लिए उसे अपने समग्र आचरण में सत्यनिष्ठ होने की आश्यकता होती है।

सत्यनिष्ठा के बिना ईमानदारी: सत्यनिष्ठा व्यक्ति से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की मांग करती है। उदाहरण के लिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भ्रमित था कि क्या धर्म/सच्चाई/कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए या संबंधों/लगाव का अनुसरण करना चाहिए। कर्त्तव्य (जो सही कार्य है) और लगाव के बीच इस प्रकार का संघर्ष यह निर्धारित करने का महत्वपूर्ण परीक्षण है कि व्यक्ति की सत्यनिष्ठा उच्च है या निम्न है। वहीं दूसरी ओर ईमानदारी के लिए इस प्रकार के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति अनिवार्य रूप से सत्यनिष्ठा प्रदर्शित किए बिना भी दैनिक जीवन में ईमानदार हो सकता है। सत्यनिष्ठा का अर्थ नैतिक चरित्र की सुदृढ़ता के साथ-साथ ईमानदारी है - सत्यनिष्ठा में ईमानदारी के अतिरिक्त कुछ और भी शामिल होता है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बीच बड़ा अंतर यह है कि व्यक्ति सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक गहन चिंतन और उसके परिलक्षित होने के बिना भी पूरी तरह से ईमानदार हो सकता है। ईमानदार व्यक्ति किसी बात के सही या गलत के अग्रिम निर्धारण के बिना भी सत्यतापूर्वक यह बता सकता है कि वह किसे मानता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहे कि "सभी एथलीट छल करते हैं" और वह वास्तव में इस कथन में विश्वास भी करता हो तो यह ईमानदारी है। लेकिन, यह निर्धारित करने का प्रयास नहीं करना कि यह दावा सही है या नहीं, सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ हुए बिना भी ईमानदार हो सकता है।

सत्यनिष्ठा के प्रकार

ऊपर प्रस्तुत सत्यनिष्ठा का विचार नैतिक उद्देश्य और एक समग्र सद्गुण के रूप में सत्यनिष्ठा का वर्णन करता है। उदारता जैसे गुण हमें किसी विशिष्ट विचार की ओर ले जाते हैं। किन्तु सत्यनिष्ठा के गुण में विशेष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं होता जो इसे धारण करने वाले को किसी विशिष्ट विचार की ओर प्रेरित करे। तथापि, सत्यनिष्ठा एक विलक्षण गुण है जो किसी भी विशिष्ट अभिप्रेरणा और विचारों से संबंधित नहीं है। यह एक विशेष प्रकार की विशेषता और समूहबद्ध अवधारणा है और इस प्रकार इसमें अनेक अभिप्रेरणाएं और विचार सम्मिलित हैं।

चूंकि सत्यनिष्ठा में विभिन्न प्रतिबद्धताओं और मूल्यों का प्रबन्धन सम्मिलित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सत्यनिष्ठा के ऐसे विभिन्न प्रकार किसी व्यक्ति की समग्र सत्यनिष्ठा, या उसकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ मात्र हैं। हालाँकि, कभी-कभी यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में बौद्धिक सत्यनिष्ठा तो है परन्तु उसके पास व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की कमी है या व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की तुलना में बौद्धिक सत्यनिष्ठा अधिक है। यदि यह सत्य है और सत्यनिष्ठा के उन प्रकारों में मौलिक भेद है जिनकी जीवन के एक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में मांग होती है तो समग्र सत्यनिष्ठा या व्यक्तिगत

VISION IAS



सत्यनिष्ठा कमजोर पड़ सकती है या उसे गम्भीर चुनौती मिल सकती है। उदाहरण के लिए, सत्यनिष्ठा के विभिन्न प्रकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो सकता है, जैसे- बौद्धिक और नैतिक सत्यनिष्ठा के मध्य। इस प्रकार, यदि हम इसे विभिन्न प्रकारों में विभाजित करते हैं तो "पूर्णता" और "संगतता" पर आधारित सत्यनिष्ठा कमजोर पड़ सकती है। हालाँकि, मानवीय क्षमता और वर्गीकरण की आवश्यकता के कारण या लोगों के जीवन के विभिन्न भागों को मनोवैज्ञानिक रूप से पृथक करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की सत्यनिष्ठाओं का निर्धारण कर सकते हैं, जैसे:

i. नैतिक सत्यनिष्ठा: इसका अर्थ उन मानकों में संगतता और ईमानदारी से है, जिनका उपयोग कोई व्यक्ति दूसरों के साथ-साथ स्वयं के उचित या अनुचित होने का आकलन करने के लिए करता है। यह सत्यनिष्ठा का सर्वाधिक व्यापक प्रकार है तथा यही ऊपर वर्णित व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा भी है।

ii. पेशेवर सत्यनिष्ठा: इसका तात्पर्य संबंधित पेशे की नैतिक संहिता, मानदंडों, मानकों और मूल्यों का अनुपालन करने से है। इस प्रकार इसका सम्बन्ध उस पेशेवर से है जो अपने चयनित पेशे में निरंतर और स्वेच्छापूर्वक निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है।

पेशेवर सत्यनिष्ठा नैतिक सत्यनिष्ठा से कमजोर होती है। उदाहरण के लिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि पेशेवर सत्यनिष्ठा का पालन करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व अर्द्ध-नैतिक होता है या वे वास्तविक रूप से नैतिक नहीं होते हैं क्योंकि इस प्रकार की नैतिकता पेशे का आंतरिक विषय है। तथापि, यह स्वीकार्य प्रतीत होता है कि पेशेवर सत्यनिष्ठा को नैतिक जीवन जीने हेतु एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में समझा जाना बेहतर होगा। पेशेवर सत्यनिष्ठा किसी पेशेवर क्षेत्र के लिए विशिष्ट तो होती है, परन्तु नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती।

iii. **बौद्धिक सत्यनिष्ठा:** बौद्धिक सत्यनिष्ठा' पद, बुद्धि की सत्यनिष्ठा और बुद्धिजीवी की सत्यनिष्ठा के मध्य की एक अस्पष्ट स्थिति को वर्णित करता है। व्यापक अर्थ में, बौद्धिक सत्यनिष्ठा विचार करने में सक्षम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है और इसलिए यह अत्यधिक सामान्य हो जाती है। विशिष्ट रूप से समझने हेतु, बौद्धिक सत्यनिष्ठा एक अकादमिक गुण के रूप में सत्यनिष्ठा है। बुद्धिजीवियों में बौद्धिक गुणों, जैसे- ईमानदारी, निष्पक्षता, वस्तुस्थिति का सम्मान करने और आलोचनात्मक विचारों के लिए खुलेपन के स्तरों में भिन्नता हो सकती है। ऐसे में बौद्धिक सत्यनिष्ठा को एक ऐसे व्यापक गुण के रूप में माना जा सकता है जो इन व्यक्तिगत गुणों को सक्षम बनाए, उनके मध्य उचित संतुलन बनाए रखे और उन्हें बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, सुकरात बौद्धिक सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। उनमें सत्य और ज्ञान की खोज करने की प्रतिबद्धता थी और उन्होंने स्वयं पर लग रहे आक्षेपों के बावजूद अपनी बौद्धिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखा। बौद्धिक सत्यनिष्ठा की अवधारणा के केंद्र में रहने वाले कुछ सामान्य रूप से उद्धृत बौद्धिक सद्गुण निम्नलिखित हैं – ईमानदारी, साहस, निष्पक्षता, संवेदनशीलता, बोध क्षमता या कुशाग्रता, बौद्धिक विनम्रता, दृढ़ता, अनुकूलन क्षमता और संवादशीलता। किसी व्यक्ति में बौद्धिक सत्यनिष्ठा के होने का अर्थ उसमें इन सद्गुणों की विद्यमानता है। हालाँकि, किसी व्यक्ति की समग्र बौद्धिक सत्यनिष्ठा को कमजोर किए बिना ये उनमें भिन्न-भिन्न परिमाण में विद्यमान हो सकते हैं। साथ ही, बौद्धिक सत्यनिष्ठ व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के कार्यों की अपेक्षा की जा सकती है; उदाहरण के लिए- साहित्यक चोरी का विरोध करना, प्रतिवादों को न दबाना और सहायता के लिए सदैव आभार व्यक्त करना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बौद्धिक सत्यनिष्ठा वह गुण है जो किसी व्यक्ति को बौद्धिक कार्यों की विभिन्न मांगों को संतुलित करने और इन सद्गुणों को उचित क्रम में अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाता है।

VISION IAS



iv. कलात्मक (Artistic) सत्यनिष्ठा: यह अनिवार्य रूप से एक कलाकार द्वारा अपने कार्य के प्रति प्रदर्शित सत्यनिष्ठा है। कार्य की सम्पूर्णता - सटीकता, सावधानीपूर्वक निष्पादन, किसी भी घटक को उसके स्थान से इतर प्रदर्शित न करना आदि कलात्मक सत्यनिष्ठा की कसौटियां हैं। एक चित्रकार के उदाहरण पर विचार कीजिए। वह अपना परिवार, घर, देश आदि को छोड़ कर विदेश चला जाता है ताकि वह कैनवास पर चित्रित करने हेतु असाधारण दृष्टिकोण की खोज कर सके। क्या वह व्यक्ति सत्यनिष्ठा के अनुरूप आचरण कर रहा है? क्या अपने चयनित व्यवसाय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उसके परिवार/देश के प्रति उसके उत्तरदायित्व का स्थान ले लेना चाहिए। इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यदि उसकी कलात्मक योजना विफल हो जाती है तो हम उसे नैतिक रूप से कमजोर मान सकते हैं, अन्यथा हमारे द्वारा उसके कार्यों को अधिक अनुकूल नैतिक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की सम्भावना है। हालाँकि, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि वह केवल तभी सफल हो सकता है जब वह अपने घर को छोड़ देगा। किसी भी मामले में, उसकी कलात्मक सत्यनिष्ठा के संबंध में हमारा मूल्यांकन उसे व्यक्तिगत/नैतिक सत्यनिष्ठा की कमी से दोषमुक्त नहीं करता है।

नैतिक मूल्य, जिन्हें कलाकार द्वारा निर्मित या प्रोत्साहित किया जाता है, कलात्मक सत्यनिष्ठा पर विचार करने हेतु प्रासंगिक होते हैं। इस प्रकार, विशेष रूप से कलात्मक सत्यनिष्ठा के मानकों के उच्च होने की स्थिति में कलात्मक और नैतिक सत्यनिष्ठा का अतिव्यापन हो सकता है। दूसरी ओर, अत्यधिक दबाव की स्थितियों में कलात्मक और नैतिक सत्यनिष्ठा में टकराव भी उत्पन्न हो सकता है। परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं और उनके साथ सत्यनिष्ठा में कठिनाई और उसके गुणों को लेकर हमारे आकलन, दोनों में भिन्नता हो सकती है। एक सर्वसत्तावादी (totalitarian) राज्य में रिपोर्टिंग करने वाला एक पत्रकार पर्याप्त दबाव में होता है। उसे अपने कार्यों में कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी नैतिक सत्यनिष्ठा को कलात्मक सत्यनिष्ठा से अधिक आँक सकता है – संभव है कि उसके द्वारा कोई समझौता किया गया हो जिससे एक कलाकार (पत्रकार) के रूप में उसकी सत्यनिष्ठा प्रभावित हुई हो।

सत्यनिष्ठा के स्रोत

सत्यनिष्ठा एक ऐसा मूल्य है, जिसे किसी बाहरी नियंत्रण के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके स्रोत लाभ-हानि के तर्कों के विपरीत नैतिक तर्कों पर आधारित होते हैं।

सत्यनिष्ठा को कैसे विकसित किया जाए?

हालाँकि, हमारे व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सत्यनिष्ठा का स्रोत नैतिक तर्क होता है, परन्तु यह एक मूल्य है जिसे अन्य मूल्यों की भांति विकसित किया जा सकता है। उनमें कुछ की चर्चा नीचे की गयी है:

i. मॉडल लर्निंग के माध्यम से: यदि किसी युवा नव नियुक्त व्यक्ति की पहली पोस्टिंग एक ईमानदार अधिकारी के अधीन की जाती है, तो एक अच्छे रोल मॉडल के द्वारा निर्देशन प्रदान किए जाने के कारण उसके ईमानदार बने रहने की संभावना अधिक होगी।

ii. पुरस्कार और दंड: नए विकसित मूल्य को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रमशः उचित व्यवहार को पुरस्कृत और अनुचित व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। इसे 'पुरस्कार एवं दंड' की नीति कहा जाता है।

iii. संवेदनशीलता प्रशिक्षण: इस प्रकार के प्रशिक्षण के अंतर्गत, किसी व्यक्ति को भूमिका-निर्वहन के माध्यम से वांछित मूल्यों को सिखाया जाता है, ताकि वह इनके मध्य के सूक्ष्म अंतरों को समझ सके।

VISION IAS

iv. नैतिक संहिता और आचार संहिता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकार के सभी विभागों के लिए नैतिक संहिता की संस्तुति की गई थी। इस संहिता में व्यापक सिद्धांत शामिल होंगे, जिनका अनुपालन सभी सहभागियों को करना होगा। इससे संबंधित रिपोर्टें प्रदान की जाएंगी जिनका मूल्यांकन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।



3.2. वस्तुनिष्ठता (Objectivity)

वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है- तथ्यों अर्थात् साक्ष्यों के साथ जुड़े रहना। इसका अर्थ साक्ष्यों द्वारा निर्देशित होना और यह मानना कि कोई घटना सत्य के उतना ही समीप होगी, जितने उसके समर्थन में साक्ष्य होंगे। यह व्यक्ति की वह विशेषता है जिसमें तथ्यों पर विचार-विमर्श एवं उन्हें प्रस्तुत करते समय व्यक्ति के निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका अर्थ बिना किसी पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत मान्यताओं, भावनाओं या बाह्य प्रभाव के तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से किसी स्थिति का आकलन करना है। इसलिए यह तर्कसंगत और अधिकांशतः प्रकृति में अनुभवजन्य होती है। यह व्यक्तिनिष्ठता, अर्थात् भावनाओं, मूल्यों, मनोभावों आदि के विपरीत है। व्यवहार में सिविल सेवकों को सार्वजनिक नियुक्तियां करने, ठेके देने या पुरस्कार और लाभ के लिए लोगों को अनुशंसित करने सहित सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए योग्यता के आधार पर निर्णय करना चाहिए।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

सिविल सेवक स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये नियम उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं और साथ ही इनके निर्वहन हेतु आवश्यक अधिकार भी प्रदान करते हैं। किसी लोक पद में वैधता और सार्वजनिक विश्वास अन्तर्निहित होता है क्योंकि इसमें निहित उत्तरदायित्व और अधिकार निरंकुश नहीं होते हैं (मैक्स वेबर की लीगल-रैशनल अथॉरिटी)। इसलिए लोक पद पर आसीन होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति निर्णय निर्माण में स्वेच्छाचारी होने के स्थान पर तार्किक हों। तर्कसंगतता पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों पर आधारित होती है, दूसरे शब्दों में व्यक्ति के मस्तिष्क को किसी पूर्व-निर्धारित धारणाओं से प्रभावित हुए बिना खुले दिमाग से तथ्यों का आकलन करना चाहिए। पूर्वाग्रह हमें विवेकशून्य बना देते हैं और निर्णय लेने एवं उनके निष्पादन में बाधक के रूप में कार्य करते हैं। नोलन समिति ने वस्तुनिष्ठता के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया है:

'लोक पद के कर्त्तव्य अर्थात् नियुक्तियां करने, अनुबंध प्रदान करने, लाभ की अनुशंसा करने आदि समेत निर्णय लेने की शक्तियाँ उसके धारक में निहित होती हैं। योग्यता के अतिरिक्त किसी भी अन्य मानदंड पर चयन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निर्णय तर्क आधारित एवं आवेग रहित होने चाहिए। कार्यकारी अपनी प्रत्येक कार्यवाही के लिए स्व-प्रेरित तर्क प्रदान करने की न्यायपालिका की परंपरा का अनुकरण कर सकते हैं। तर्कों को रिकार्ड करने की आवश्यकता ही अपने आप में एक बड़ा रक्षोपाय है, जो निर्णयकर्ता को व्यक्तिनिष्ठ होने से रोकता है।'

इसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करने हेतु सिविल सेवकों से कुछ लिखित नियमों, विनियमों और कानूनों के आधार पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ताकि विवेकाधिकारों को समाप्त या कम किया जा सके। उन स्थितियों में जहाँ विवेकाधिकार से निर्णय लिए जाने हैं, निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए न कि व्यक्तिगत मान्यताओं या किसी अन्य विचार पर।

VISION IAS

इसे कैसे विकसित किया जा सकता है?



- **पारदर्शिता (Transparency):** यदि निर्णयों एवं उनके पीछे के तर्कों को सार्वजनिक किया जाता है, तो सिविल सेवक अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के स्थान पर तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए और अधिक सतर्क रहेंगे। उदाहरण के लिए, RTI एक्ट के अधिनियमन के साथ इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है।
- **सूचना प्रबन्धन प्रणाली (Information Management System: IMS):** यदि संगठन घटनाओं, सूचनाओं एवं आंकड़ों का अभिलेखन और दस्तावेजीकरण नहीं करता है तो वह उचित जानकारी के आधार पर निर्णय-निर्माण में सक्षम नहीं होगा ।

3.3. लोक सेवा के प्रति समर्पण (Dedication to Public Service)

समर्पण वस्तुत: किसी विशेष गतिविधि, व्यक्ति या कारण के प्रति अपने समय, ध्यान अथवा स्वयं को पूर्णतः संलग्न करने में सक्षम होने का गुण है। यह किसी औपचारिक बाह्य माध्यम के बिना व्यक्तिगत इच्छा और अंतःकरण के आधार पर किसी कार्य को संपन्न करने की प्रतिबद्धता है। हालाँकि वास्तव में समर्पण, प्रतिबद्धता से भिन्न है। जहाँ प्रतिबद्धता में औपचारिक रूप से बाध्यता/विवशता शामिल होती है, वहीं समर्पण कर्तव्य की भावना से निर्देशित होता है तथा राज्य या समाज के आदर्शों से प्रेरित होता है। इस प्रकार समर्पण व्यक्ति के किसी औपचारिक प्रतिबद्धता या बाह्य पुरस्कार की अनुपस्थिति में भी अपने कार्य में संलग्न रहने को सुनिश्चित करता है।

सिविल सेवाओं में, समर्पण व्यक्ति को सार्वजनिक कल्याण/हित के विचार से एकीकृत कर देता है। इस प्रकार समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक के कर्तव्य की भावना उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व के साथ एकीकृत हो तथा इसके परिणामस्वरूप सिविल सेवक अरुचिकर, अवांछित, थकानभरे या शत्रुतापूर्ण परिवेश में भी अपना कार्य जारी रख सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका कर्तव्य उसका उद्देश्य बन जाता है और वह 'कांट' के "कर्तव्य के लिए कर्तव्य" के सिद्धांत को वास्तविकता में चरितार्थ करता है।

वस्तुतः जनता तथा राष्ट्र के प्रति सेवा भावना तथा बलिदान की भावना सार्वजनिक सेवा के आवश्यक तत्व हैं और सिविल सेवकों को इस तथ्य से प्रोत्साहित और प्रेरित होना चाहिए कि वे अपना जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर रहे हैं (यदि उन्होंने इसका भाग बनना चुना है)।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

i. इसके बिना सिविल सेवकों के लिए जटिल परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना कठिन होगा।

ii. सिविल सेवकों को उनके कार्य में प्रभावी और लोगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण बनाने के लिए।

iii. संविधान में उल्लिखित आदर्शों, जैसे- न्याय, समानता आदि को प्राप्त करने के लिए।

इसे कैसे विकसित करें?

लोक सेवा के प्रति समर्पण एक प्रकार से अभिरुचि के समान है। इसलिए यह अन्तः प्रेरणा का एक घटक है, जो यदि उपस्थित नहीं है तो विकसित करना कठिन है। हालाँकि समर्पित सिविल सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:

i. परीक्षा पद्धति को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि सम्भावित रूप से नियोजित होने वाले सदस्यों के दृष्टिकोण का आकलन किया जा सके।

ii. जनसंख्या के विभिन्न वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं एवं उनके सम्बन्ध में सिविल सेवकों के संभावित योगदान आदि से सम्बंधित संवेदनशीलता का प्रशिक्षण प्रदान करके।

VISION IAS

3.4. समानुभूति (Empathy)



इसका आशय है- किसी व्यक्ति की परिस्थिति को उसके परिप्रेक्ष्य से समझना। साधारण शब्दों में, समानुभूति का अर्थ स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति में रखकर उसके द्वारा सामना की जाने वाली परिस्थितियों की अनुभूति प्राप्त करना है।

कभी-कभी इसे सहानुभूति (sympathy) मान लिया जाता है, लेकिन यह सहानुभूति से इस अर्थ में भिन्न है कि सहानुभूति सामायिक रूप से स्वतः प्रवृत्त होती है और मुख्य रूप से संज्ञानात्मक पहलू (cognitive aspect) को समाविष्ट करती है। उदाहरण के लिए, शीतऋतु की वर्षा वाली रात्रि में एक निर्धन व्यक्ति को देखकर आप उसके लिए कुछ करने की सोचेंगे, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप कुछ करें भी। आप दया या पश्चाताप व्यक्त करते हुए उसकी परिस्थिति के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। लेकिन समानुभूति इससे कहीं अधिक तीव्र होती है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक पहलू के अतिरिक्त भावनाएं भी शामिल होती हैं। किसी व्यक्ति के प्रति समानुभूति रखने का अर्थ है कि आप उस परिस्थिति को उसके परिप्रेक्ष्य से देखने में सक्षम हैं और आपको उसकी परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का ज्ञान है। आप एक अमूर्त या निर्लिप्त भाव से समानुभूति नहीं रख सकते – आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि वह कौन है, वह क्या करने का प्रयास कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसलिए, यह आपको उसकी समस्याओं, कारणों एवं परिणामों को समझकर उनकी अनुभूति करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, यह सहानुभूति से एक कदम आगे है। समानुभूति, सहानुभूति की तुलना में अधिक सशक्त अभिवृत्ति है, अत: यह व्यवहार का बेहतर संकेतक है।

इस अंतर को समझने के लिए जलवायु परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है। विकसित देश बढ़ते समुद्री जलस्तर एवं तापमान के कारण उत्पन्न तात्कालिक खतरों का सामना कर रहे विकासशील देशों के साथ बेहतर रूप से सहानुभूति रख सकते हैं। हालाँकि, कई परस्पर विरोधी उद्देश्यों (निर्धनता उन्मूलन बनाम पर्यावरण संरक्षण) को पूरा करने के लिए संघर्षरत विकासशील देशों की परिस्थिति में स्वयं को रखने की विकसित देशों की क्षमता के अभाव के कारण जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्याप्त जलवायु-संबंधी वित्तपोषण प्रदान करने हेतु आवश्यक उपायों को क्रियान्वित करने में धीमी प्रगति हुई है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में विकसित देशों में समानुभूति का अभाव देखा गया है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- नौकरशाही प्रणाली इतनी जटिल हो गई है कि नियमों के अनुपालन के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले **साध्य** के स्थान पर नियमों का अनुपालन करना ही स्वयं में साध्य बन गया है। लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के स्थान पर अधिकांश समय औपचारिकता संबंधी कार्यकलापों में व्यतीत हो जाता है।
- समानुभूति हमें अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में सहायता करती है। इसलिए, स्वयं की भावनात्मक समझ (EI) को विकसित करने हेतु व्यक्ति को समानुभूति की आवश्यकता होती है।
- समानुभूति का अभाव सामाजिक अशांति तथा महिलाओं/अल्पसंख्यकों/बच्चों/दिव्यांग जनों के प्रति असहिष्णुता का कारण बन सकता है क्योंकि समानुभूति के अभाव में हम उनकी वास्तविक समस्याओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते।
- समावेशी विकास की ओर अग्रसर होने के लिए समानुभूतिपूर्ण सिविल सेवा वर्तमान समय की आवश्यकता है।

इसे किस प्रकार विकसित किया जा सकता है?

- **संवेदनशीलता का प्रशिक्षण:** भूमिका निर्वहन संबंधी अभिनय (नाट्य-कला आदि) के माध्यम से स्वयं को अन्य लोगों की परिस्थितियों में रखकर विचार करना।

VISION IAS

- **खुला संवाद:** जब विभिन्न वर्गों के सदस्य खुले परिवेश में परस्पर संवाद करते हैं तो दीर्घकालिक पूर्वाग्रह समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार सहानुभूति विकसित होती है।
- **सर्वधर्म समभाव:** जब विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के सदस्य एक-दूसरे के सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेते हैं तो परस्पर सहिष्णुता का विकास होता है और इस प्रकार सहानुभूति विकसित होती है।
- **कला और साहित्य:** कला और साहित्य भी कुछ विशिष्ट समूहों की परिस्थितियों के संबंध में लोगों को संवेदनशील बना सकते हैं।
- **अन्य संस्कृतियों के प्रति रुचि का संवर्धन करना।**

3.5. संवेदना (Compassion)

यह किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा या विपत्ति के प्रति दुःख और दया की भावना है, जिसमें इस पीड़ा को कम करने की इच्छा भी शामिल होती है। इस प्रकार, समानुभूति के विपरीत, संवेदना न केवल दूसरों की समस्याओं को समझने का प्रयास है अपितु उन्हें कम करने की सक्रिय इच्छा भी है। इस प्रकार, यह समानुभूति से एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें प्रबल कार्यवाही संबंधी घटक भी शामिल होता है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- लोगों एवं लोक सेवकों के मध्य अलगाव की भावना को कम करने हेतु यह आवश्यक है, क्योंकि संवेदना के अभाव में लोक सेवकों के लिए कमजोर और दबे-कुचले लोगों के लिए कुछ कर पाना कठिन होगा।
- सामान्यत: भारतीय समाज कर्मफल के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति निर्धन या शारीरिक रूप से अक्षम है तो हम यह मानते हैं कि यह उसके स्वयं के कर्मों का परिणाम है। संवेदना के अभाव में हम किसी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलने में उसकी सहायता करने हेतु प्रयत्नशील नहीं होंगे।

इसका विकास किस प्रकार किया जाए?

- कमजोर और दबे-कुचले लोगों के घरों, मलिन बस्तियों आदि का दौरा करके प्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित सूचना प्राप्त करनी चाहिए।
- संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- धार्मिक शिक्षाओं, जैसे- बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य (दुःख का अस्तित्व, इसका कारण, इसका निरोध, इसके निरोध का मार्ग) आदि के माध्यम से।

3.6. निष्पक्षता (भेदभाव रहित) तथा गैर-तरफदारी

(Impartiality and Non-Partisanship)

निष्पक्षता न्याय पर आधारित एक व्यापक अवधारणा है जिसे सामान्यतः न्याय के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह किसी व्यक्ति या समूह को किसी अन्य की तुलना में अधिक समर्थन न करने के तथ्य को संदर्भित करती है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ किसी का भी पक्ष न लेना होता है। निष्पक्ष-मनःस्थिति के समानार्थी के रूप में यह इस पर बल देती है कि निर्णय वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होने चाहिए न कि पूर्वाग्रह या पक्षपात पर, और न ही किसी व्यक्ति को अनुपयुक्त कारणों से अन्यों की तुलना में लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

हालांकि, निष्पक्ष होना अत्यंत कठिन है। अधिकांश मामलों में लोगों के पास स्वयं के पूर्वाग्रह होते हैं। लोक सेवकों, राजनीतिज्ञों और न्यायपालिका के लिए निष्पक्ष होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सामान्यत: इनके द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लाभ

VISION IAS



पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी नहीं मान सकता है कि वह किसी विशिष्ट समुदाय से संबंधित है। यह विधि की सम्यक प्रक्रिया से समझौता करना होगा। इसी प्रकार, एक लोक सेवक केवल अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की तुलना में वरीयता प्रदान नहीं कर सकता है। इसके उचित व तार्किक मानदंड होने चाहिए। 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए भूमि अधिग्रहण पर विचार कीजिए। वे लोग कौन हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा? वे शहर के बाह्य क्षेत्र की भूमि पर कृषि करने वाले किसान हो सकते हैं या ये भूमि अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला एक पुरवा हो सकता है अथवा ये किसी धार्मिक संस्था की भूमि हो सकती है। जिला मजिस्ट्रेट की किसी समूह के प्रति स्वयं की चिंताएं या वरीयताएँ हो सकती हैं, लेकिन निर्णय निष्पक्ष मानदंड, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर करना होगा - वह केवल भूमि स्वामी के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन या नियमों के अनुप्रयोग में पक्षपात नहीं कर सकता/सकती। प्रभावित लोगों के मत का पता लगाया जाना चाहिए तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप उनकी आपत्तियों का समाधान किया जाना चाहिए।

लोक सेवकों के लिए निष्पक्षता निम्नलिखित दो विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है:

राजनीतिक निष्पक्षता (Political Impartiality)

चूंकि, निष्पक्ष होना पूर्ण रूप से किसी मामले के गुण-दोषों पर आधारित होता है, इसलिए इसमें लोक सेवक को स्वयं की व्यक्तिगत राय पर विचार किए बिना, विभिन्न राजनीतिक धारणाओं वाली सरकारों की समान रूप से सेवा करना अंतर्निहित होता है। एक लोक सेवक को इस प्रकार कार्य करना होता है जो उसके लिए निर्धारित हैं तथा साथ ही उसे मंत्रियों के विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। इसका आशय यह भी है कि लोक सेवक द्वारा राजनीतिक गतिविधि के संबंध में उसके लिए निर्धारित प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही, लोक सेवकों पर मंत्रियों के 'विचारों' का बचाव करने का कोई दायित्व भी नहीं होता है, लेकिन मंत्रियों द्वारा लिए गए 'निर्णयों' का क्रियान्वयन लोक सेवकों को पूर्ण वस्तुनिष्ठ और भेदभाव-रहित होकर तथा स्वयं की सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ करना चाहिए।

सार्वजनिक निष्पक्षता (Public Impartiality)

सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष होने का आशय यह है कि एक लोक सेवक स्वयं के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष, न्यायोचित, वस्तुनिष्ठ और न्यायसंगत रूप से करता है। उसे इस प्रकार कार्य नहीं करना चाहिए जो विशिष्ट व्यक्तियों या हितों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण तरीके से पक्षपात या भेदभाव करता हो। सार्वजनिक निष्पक्षता का सिद्धांत भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित योग्यता, समानता व न्याय के मूल्यों से भी व्युत्पन्न होता है।

दूसरे शब्दों में, निष्पक्ष होने का आशय यह है कि लोक सेवक को खरीद, भर्ती, सेवाओं के वितरण जैसे कार्यों सहित अपने आधिकारिक कार्यों के निष्पादन हेतु केवल मेरिट (योग्यता या गुणों) के आधार पर ही निर्णय करना चाहिए।

गैर-तरफदारी (Non-Partisanship)

गैर-तरफदारी को राजनीतिक तटस्थता (आगे विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है) भी कहा जा सकता है। गैर-तरफदारी से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक अधिकारी को अपना कार्य किसी राजनीतिक दल के भय के बिना या पक्षपात रहित होकर करना चाहिए, भले ही उसका किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति दृढ़ विश्वास क्यों न हो। प्रशासक के मूल्यों का स्रोत संविधान होना चाहिए न कि किसी राजनीतिक दल का दर्शन। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद लोक सेवक राजनीतिक कार्यकारिणी को समान रूप से अपनी सेवाएँ प्रदान करते रहेंगे।

VISION IAS

निष्पक्षता और गैर-तरफदारी में क्या अंतर है?



तटस्थता एक संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसका सरोकार केवल राजनीतिक कार्यकारिणी के साथ लोक अधिकारियों के संबंध से है तथा इसे गैर-तरफदारी भी कहा जाता है। जबकि, निष्पक्ष होना एक व्यापक शब्द है तथा इसका सरोकार लोक अधिकारियों के उनके संपूर्ण परिवेश के साथ संबंध से है, जिसके अंतर्गत न केवल राजनीतिक कार्यकारिणी बल्कि अन्य हितधारक अर्थात् जनता भी शामिल है। व्यावहारिक रूप से यह कहा जा सकता है कि गैर-तरफदारी एक प्रकार की अभिवृत्ति है, जबकि निष्पक्षता का संबध किसी विशेष परिस्थिति में किए जाने वाले व्यवहार से अधिक होता है।

इनकी आवश्यकता क्यों है?

i. इनसे लोक सेवा की कार्यप्रणाली के प्रति जनता में विश्वसनीयता एवं भरोसा उत्पन्न होता है।

ii. ये लोक सेवकों को केवल सक्षम बनने के स्थान पर साहसी बनाती हैं, ताकि वे नीति, कानून आदि के संबंध में प्रासंगिक प्रश्नों को उठा सकें। सक्षम होने और साहसी होने के मध्य अंतर यह है कि सक्षमता यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक कार्यों का सही प्रकार से निष्पादन करें, जबकि साहसी होना यह सुनिश्चित करता है कि वे सही कार्यों का निष्पादन करें।

iii. इनसे समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य समानता और न्याय सुनिश्चित होता है।

iv. ये सिविल सेवाओं का मनोबल बढ़ाती हैं तथा उसकी प्रभावकारिता और दक्षता सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि इनसे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किसी लोक सेवक का स्थानांतरण, पदस्थापन (पोस्टिंग) आदि किन्हीं बाह्य कारकों के स्थान पर केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाए।

इन्हें किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

i.केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968: लोक सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए आचरण नियमावली को 1964 में अधिसूचित किया गया था, जिसके अंतर्गत लोक सेवकों के लिए अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ निष्पादन करने हेतु कुछ दिशा-निर्देशों का निर्धारण किया गया है तथा लोक सेवकों को जनता के साथ व्यवहार के क्रम में किसी प्रकार की विलंबकारी युक्तियों का प्रयोग न करने तथा रिश्वत लेने इत्यादि जैसी किसी भी प्रकार अनुचित गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत निष्पक्षता और गैर-तरफदारी स्वाभाविक रूप से निहित हैं।

ii.यद्यपि हमारे पास लोक सेवकों के लिए उनके कर्तव्य का निर्वहन करने के संबंध में कुछ दिशा-निर्देशों के रूप में आचरण नियमावलियाँ विद्यमान हैं, तथापि वे नैतिक आचार संहिता के रूप में ऐसे मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण नहीं करती हैं जो लोक सेवकों को लोक सेवा के साथ न्याय करने हेतु अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करने चाहिए।

iii.नैतिक आचार संहिता, 1997: यह भारत में लोक सेवकों के लिए नैतिक आचार संहिता लागू करने हेतु की गई प्रथम पहल थी, जिसे शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम माना गया था। इस संहिता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

- विधि के शासन को बनाए रखना तथा मानवाधिकारों का सम्मान करना।
- लोगों के साथ अपने आचरण तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में वस्तुनिष्ठता एवं पारदर्शिता बनाए रखना।
- सेवा मामलों के संदर्भ में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना।

VISION IAS

3.7. तटस्थता (Neutrality)



सरदार पटेल ने स्वतंत्रता पूर्व की सिविल सेवा संरचना को बनाए रखने का समर्थन करते हेतु संविधान सभा में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे:

"इस बात पर बल दिए जाने की शायद ही कोई आवश्यकता है कि एक कुशल, अनुशासित और संतुष्ट सिविल सेवा, जो अपने परिश्रम और ईमानदारी से किए गए कार्य के परिणामस्वरूप अपनी संभावनाओं के प्रति आश्वस्त होती है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समर्थ प्रशासन के लिए एक सत्तावादी शासन की तुलना में अधिक आवश्यक है। सेवाएं राजनीतिक दलों से ऊपर होनी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भर्ती में अथवा उनके अनुशासन और नियंत्रण में राजनीतिक हस्तक्षेप को यदि पूरी तरह समाप्त न किया जा सके तो उन्हें न्यूनतम किया जाए।"

सिविल सेवा की तटस्थता राजनीतिक निष्पक्षता को संदर्भित करती है। जैसे ऊपर परिभाषित किया गया है, निष्पक्षता एक व्यापक अवधारणा है, जबकि तटस्थता विशिष्ट रूप से सिविल सेवकों और सरकारों/राजनेताओं के मध्य संबंधों को संदर्भित करती है। इसके अतिरिक्त न्याय में निष्पक्षता का अर्थ है न्यायिक निर्णय का पक्षपातपूर्ण न होना। तटस्थता का तात्पर्य राजनीतिक कार्यपालिका को तथ्यों, प्रतिपुष्टि, विचार आदि प्रदान करने में पक्षपाती न होना, साथ ही, सरकार द्वारा आदेशित कार्यों का कर्मठता से पालन करना, चाहे शासन किसी भी दल का हो। इसका तात्पर्य यह है कि लोक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, एक सिविल सेवक राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती रहेगा। उसे एक प्रकार से *राजनीतिक बंध्याकरण* (political sterilization) के रूप से कार्य करना है अर्थात् नौकरशाहों को राजनीतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहना चाहिए। इसके विपरीत *उन्हें प्रदत्त नीति को यथावत* बिना किसी व्यक्तिगत विचारधारा के कार्यान्वित करना है।

मौलिक विचार यह है कि राजनीतिक कार्यपालिका ही जनता की राय का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि उसका चुनाव वर्तमान सार्वजनिक मुद्दों के प्रति उनके समर्थन या विरोध के आधार पर ही होता है। कानून और नीतियाँ परामर्श प्रक्रिया का ही परिणाम हैं, जिनमें राजनीतिक कार्यपालिका, संबंधित अधिकारी और हितधारक सम्मिलित होते हैं। एक बार तैयार होने के पश्चात, उन्हें सिविल सेवकों और राज्य की कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए नीति निर्धारण का विशेषाधिकार केवल राजनीतिक कार्यपालक को ही प्राप्त है और सिविल सेवकों का कार्य उसे बिना कोई प्रश्न किए कार्यान्वित करना है। प्रशासनिक भाषा में इसे *राजनीति-प्रशासन द्विभाजन* (politics-administration dichotomy) का नाम दिया जाता है। इसके साथ ही नौकरशाह को राजनेता को सही राह दिखाने या ईमानदारी से अपनी राय प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसका कार्य राजनेता का 'पिट्ठू' या 'प्रतिबद्ध नौकरशाह' (बाद में व्याख्या की गयी है) बन कर कार्य करना नहीं है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए गए हैं:

"सिविल सेवा का यह तटस्थ दृष्टिकोण, दुर्भाग्यवश वर्तमान में अब मायने नहीं रखता है, विशेष रूप से राज्य स्तर पर सरकारों में परिवर्तन प्रायः सिविल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण का कारण बनता है। सिविल सेवकों के, सही या गलत कारणों से राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध होने के कारण राजनीतिक तटस्थता अब एक स्वीकार्य मानदंड नहीं रह गया है। ऐसी धारणा है कि अधिकारियों को संघीय सरकार में भी उपयुक्त पद पाने हेतु राजनेताओं से संबंध बनाना एवं उनका संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। परिणामस्वरूप आम धारणा में इसे सिविल सेवाओं के राजनीतिकरण के रूप में देखा जाता है।

इसमें आगे कहा गया है कि:

VISION IAS



आयोग का मत है कि, सिविल सेवाओं की राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसका भार राजनीतिक कार्यपालिका और सिविल सेवकों पर समान रूप से है। आयोग ने "शासन में नैतिकता" पर अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि मंत्रियों के लिए एक नैतिक संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

"मंत्रियों को सिविल सेवकों की राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए और सिविल सेवकों से इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए नहीं कहना चाहिए, जिससे सिविल सेवकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में विवाद उत्पन्न हो सके।"

महत्वपूर्ण रूप से, इसमें पॉल ऐपल्बी का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि -

'सिविल सेवकों को 'कार्यकरण तटस्थता' (programme neutrality)और 'राजनीतिक तटस्थता' (political neutrality) में भ्रमित नहीं होना चाहिए। नीति निर्माण करने के चरण में, सिविल सेवकों की भूमिका स्वतंत्र और स्पष्ट परामर्श देने की है, जो किसी भी राजनीतिक विचारधारा द्वारा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी नीति या कार्यक्रम को निर्वाचित सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ईमानदारी और उत्साहपूर्ण तरीके से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना सिविल सेवकों का कर्तव्य है। इस कृत्य को सही भावना से कार्यान्वित न करना कदाचार कहा जायेगा और इस संबंध में उचित कार्यवाही की जा सकती है।'

राजनीतिक कार्यपालिका और सिविल सेवकों के मध्य द्वंद्व के क्षेत्र

भारत के संदर्भ में सिविल सेवकों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति तटस्थ रहने की अवधारणा पर चर्चा की गई है। सरकारों के परिवर्तन के बावजूद एक प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग, यद्यपि बहुत स्पष्ट नहीं, तो अंतर्निहित तो रही ही है। इसके अतिरिक्त, कार्य प्रणाली में तटस्थता की सीमा क्या है? सिविल सेवकों और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संभावित संघर्ष उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

i. किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है इस संबंध में विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक सहमति भिन्न-भिन्न होती है। पश्चिमी देशों में, विकास के लक्ष्यों पर एक निश्चित सहमति है। सामाजिक गठन में भी एक निश्चित कोटि की एकरूपता पाई जाती है। लक्ष्यों और विकास के मार्ग पर सर्वसम्मति का अभाव, प्राथमिकताओं में अस्पष्टता उत्पन्न करता है। इससे तदर्थवाद (adhocism) बढ़ता है, जो स्थायी कार्यपालिका को स्पष्ट दिशा प्रदान नहीं कर पाता है। इसके विपरीत राजनीतिक प्रक्रिया सिविल सेवकों का स्थान लेने (अर्थात् उनके कार्यों में अधिक हस्तक्षेप करने) लगती है। इससे स्थायी कार्यपालिका एवं राजनीतिक कार्यपालिका के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है।

ii. राजनीतिक कार्यपालिका सिविल सेवकों या स्थायी कार्यपालिका पर स्वयं अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने हेतु दबाव डाल सकती है। सिविल सेवक नियम आधारित व्यवस्था से बंधे होने के कारण इस दबाव का प्रतिरोध करते हैं। यह दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बन सकता है।

iii. साझे विश्वास प्रणाली की उपस्थिति: इसका अर्थ है कि महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के संबंध में एक साझा विश्वास प्रणाली होती है। यह विश्वास व्यवस्था विभिन्न कारकों का उत्पाद है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं – संस्कृति, समाज और परिवेश जिसमें किसी का पालन-पोषण हुआ है, शिक्षा प्रणाली जिसमें व्यक्ति शिक्षित होता है आदि। भारत में सिविल सेवा में अधिकांश लोग शहरी मध्यम वर्ग से आते हैं, वहीं राजनीतिक वर्ग अधिक विविध है। यद्यपि, नौकरशाही का चरित्र परिवर्तित हो रहा है, लेकिन यह परिवर्तन अत्यंत मंद है। राजनीतिक कार्यपालिका के अधिकांश सदस्य, विशेषकर राज्य स्तर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से आते हैं, शीर्ष और मध्यम स्तर के प्रशासक शहरी मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग से

VISION IAS

आते हैं - सिविल सेवाओं के लिए उत्तीर्ण होने वाले अधिकतर लोग शहरों व कस्बों से आते हैं, जबकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समान रूप से वितरण होता है, और चूंकि लगभग 32 प्रतिशत जनसंख्या शहरी है, सीटों का वितरण भी समान ही होगा। यह अंतर उनकी जीवन शैली, संप्रेषण के तरीकों, वस्तुओं को देखने का नजरिए और उनके व्यवहार से अभिव्यक्त होता है। इन दोनों के मध्य के संबंध अंशतः मूल्य व्यवस्था के इस कारक से आकार ग्रहण करते हैं।



इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया जाता है कि विकासशील समाजों में, यदि निर्मित नीतियाँ निर्धनों की आवश्यकताओं के अनुरूप न हों तो प्रशासन द्वारा उनके लिए उपयुक्त नीति का समर्थन किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों में से एक ने कहा था, "विकासशील देशों में, सिविल सेवकों को वास्तविक रूप से तटस्थ होने के लिए, उन्हें निर्धनों का पक्ष लेना चाहिए।"

हालाँकि, यह स्मरण रखना चाहिए की तटस्थता, प्रजातंत्र के अन्य आदर्शों की भांति ही एक आदर्श सिद्धांत है, अब चूंकि यह मात्र एक 'आदर्श' है इसलिए यह अपनी पूर्णता के साथ विद्यमान नहीं हो सकता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इसका इस कारण मात्र से परित्याग कर दें। जिस प्रकार लोकतंत्र की अनुपस्थिति व्यक्तिगत अधिकारों के विनाश का कारण बनती है, वैसे ही तटस्थता की अनुपस्थिति सार्वजनिक प्रशासन के कार्यकरण में अराजकता का कारण बनती है। यह आदर्श, उचित सांस्कृतिक संदर्भ में सदैव पालन करने योग्य है।

प्रतिबद्ध नौकरशाही (Committed Bureaucracy)

इसे दो परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है:

i. सकारात्मक: इसका तात्पर्य है कि सिविल सेवकों को राष्ट्र व संविधान के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और यदि वे वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यक्रम और प्रयोजन में विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार के प्रतिबद्ध नौकरशाह को अपने कार्यकरण में पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल अपने राजनीतिक अधिकारी के मनो-मस्तिष्क को समानुभूति द्वारा समझने और राजनीतिक रूप से अनुक्रियाशील होने की आवश्यकता है। इसलिए, उसे सत्ताधारी दल के राजनीतिक दर्शन के अनुरूप तकनीकी परामर्श देने की आवश्यकता है।

ii. नकारात्मक: इसका तात्पर्य राजनीतिकृत नौकरशाही से है, जहाँ प्रशासन केवल सत्ताधारी दल के संकुचित हितों के लिए ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए, नाजी जर्मनी में प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य-पद्धति।

सामान्यतः, प्रतिबद्ध नौकरशाही को नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है – एक ऐसी नौकरशाही जो लोगों की बजाय, राजनीतिक दल/नेता के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होती है।

तटस्थता के प्रकार

कभी-कभी इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है:

i. निष्क्रिय तटस्थता: इसके तहत एक लोक अधिकारी वह सभी कार्य करेगा जिसके लिए राजनीतिक कार्यकारी द्वारा उसे आदेश दिया जाएगा। परन्तु ऐसे में वह कुछ विधिक/संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है। इसी तटस्थता को नाजी नौकरशाही द्वारा वास्तविकता प्रदान की गयी। इसलिए निष्क्रिय तटस्थता अवांछनीय है।

ii. सक्रिय तटस्थता: इसके तहत एक अधिकारी किसी भी विशेष दल का अनुसरण किए बिना, संविधान, नियम और कार्यालय नियमावली के अनुसार कार्य करता है। कभी-कभी, यह सिविल सेवा सक्रियता (civil services activism) को बढ़ावा देता है।

VISION IAS

तटस्थता के लिए आचरण नियम



केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली 1968 में सिविल सेवकों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए।
- उन्हें राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा/सहायता नहीं देनी चाहिए।
- वे मतदान कर सकते हैं, परन्तु अन्य लोगों को अपनी प्राथमिकता नहीं बतानी चाहिए।
- उन्हें स्वयं, अपने वाहन अथवा घर पर किसी चुनावी प्रतीक को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
- सरकारी अनुमति के बिना, उन्हें रैलियों और प्रदर्शनों में भाग नहीं लेना चाहिए।

तटस्थता के समक्ष चुनौतियाँ

- स्थानातंरण, पद स्थापन (पोस्टिंग) और अन्य सेवा शर्तों के लिए एक स्वतंत्र संस्था का अभाव है। फलस्वरूप, सिविल सेवक अपनी पसंद की पोस्टिंग और अन्य भत्तों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को किसी दल के साथ संरेखित कर लेते हैं।
- सरकारी कार्यकरण में गोपनीयता, इसके चलते राजनीतिक कार्यपालिका और सिविल सेवक अपनी अवैध तुष्टि के लिए गठजोड़ कर लेते हैं।
- एक ही सेवा के अंतर्गत और अंतर-सेवा प्रतिद्वंदिता: प्रत्येक सरकारी सेवा में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर विभिन्न गुट विद्यमान हैं। अपने-अपने गुट के लिए पदोन्नति और भत्ते प्राप्त करने के लिए वे राजनेताओं की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं।
- प्रतिबद्ध नौकरशाही की गलत धारणा, जिसमें सिविल सेवक किसी विशेष राजनीतिक दल के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
- चुनाव और भ्रष्टाचार: मंत्रियों को अपने चुनाव अभियान के वित्त पोषण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे अपनी सुविधानुसार अधीनस्थों को वरीयता देते हैं। साथ ही उन अधिकारियों को पसंद नहीं करते जो स्वतंत्र और स्पष्ट राय देते हैं।

इस मूल्य क्षरण की रोकथाम कैसे करें?

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, सेवा मामलों में निष्पक्षता और राजनीतिक विचारधारा से परे स्वतंत्र रूप से विचार करने हेतु स्वतंत्र सिविल सेवा बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिए।
- आधिकारिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए, गठजोड़ को तोड़ने के लिए तथा अग्रसक्रिय प्रकटीकरण के लिए RTI अधिनियम को गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वित करना।
- किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा सिविल सेवकों के प्रभावी प्रदर्शन मूल्यांकन और इसे उनकी पदोन्नति, प्रोत्साहन और अन्य सेवा शर्तों से संबद्ध करना।

3.8. सहिष्णुता (Tolerance)

सहिष्णुता के अंतर्गत व्यक्तियों को उनके धार्मिक या संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग की स्वीकृति प्रदान करना सम्मलित है। यह उस स्पेक्ट्रम का मध्य बिंदु है जिसका विस्तार निषेध/अस्वीकृति से लेकर स्वीकृति तक है। उदाहरण के लिए, एक शाकाहारी इस बात से सहमत हो सकता है कि जानवरों को खाना गलत है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति मांसाहार को अपने जीवन में कभी भी स्वीकार नहीं करे। फिर भी, ऐसा संभव है कि वह दूसरों को मांस खाने से रोकना न चाहे।

यह हमें संवेदनशील मामलों में संयमित रहने का पाठ सिखाती है। सहिष्णुता को उन लोगों के प्रति न्यायसंगत और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी जीवनशैली किसी अन्य व्यक्ति/समुदाय से भिन्न होती है। यह उस कौशल को संदर्भित करता है जो व्यक्ति को सभी के साथ

VISION IAS

मिलकर शांतिपूर्वक जीवन यापन हेतु सक्षम बनाता है। जैन धर्म में सहिष्णुता को **स्यादवाद** के आदर्श रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है "सभी का दृष्टिकोण उनके परिप्रेक्ष्य से सही है, परन्तु कोई भी विशिष्ट दृष्टिकोण पूर्णतः सही नहीं है।"



इसका अर्थ है, अन्य लोगों या समूहों के मूलवंश, लिंग, मत, धर्म और विचारधाराओं का सम्मान करना और दूसरों के अच्छे गुणों व अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना एवं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक सभ्य और सम्मानजनक रूप से अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

i. सहिष्णुता और सामंजस्य के बिना, समाज में स्थायी शांति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

ii. सहिष्णुता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है, जो सत्य और प्रगति के अवलोकन हेतु आवश्यक है। इसके अभाव में भिन्न-भिन्न विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता और समाज की स्थिति यथास्थितिवादी और पतनोन्मुख हो जाएगी, जहाँ नवाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

iii. प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक मूल्य को बनाए रखना आवश्यक है, जैसा कि जे. एस. मिल कहते हैं, सभी व्यक्तियों के नैतिक मूल्य समान हैं और इसलिए बिना किसी बाधा के दूसरों को उनके विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

iv.मानव विकास केवल तभी सम्भव है जब हम सभी को अपने विचार व्यक्त करने और अपनी अभिरूचि का अनुकरण करने की अनुमति प्रदान करें।

v. हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में सिविल सेवकों को सभी वर्गों की समान रूप से सेवा करने की आवश्यकता है और यदि वे सहिष्णु नहीं हैं तो यह सम्भव नहीं होगा।

vi. वास्तव में सहिष्णुता के बिना न्याय, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के मूल्य संभव नहीं हैं।

इसे कैसे विकसित किया जाए?

- संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।
- सर्वधर्म-समभाव की धारणा को बढ़ावा देना, इसके लिए हमें समाज के विभिन्न वर्गों के सांस्कृतिक त्योहारों में भाग लेना चाहिए।
- दूसरों के लिए समानुभूति का विकास करने से सहिष्णुता का गुण स्वतः ही विकसित होगा।

3.9. अनामिकता (Anonymity)

सिविल सेवकों की अनामिकता या पहचान जाहिर किये बिना कार्य करने को पारंपरिक रूप से हमारी संवैधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। मंत्रीगण केन्द्रीय कार्यपालिका के पदानुक्रम में शीर्ष पर स्थित होते हैं और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे न केवल अपने आचरण एवं कार्यों के लिए बल्कि उनके नेतृत्व वाले विभागों के साथ-साथ उनका संचालन करने वाली स्थायी कार्यपालिका समूह के कृत्यों के लिए भी जवाबदेह होते हैं। अतः सिविल सेवकों की कोई स्वतंत्र स्थिति (राष्ट्रपति शासन लागू होने के अतिरिक्त) नहीं होती है। वे राजनीतिक कार्यपालिका के नेतृत्व में एक टीम के रूप में कार्य करते हैं।

अनामिकता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि स्थायी कार्यपालिका को अपनी पहचान जाहिर किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से बचना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी कार्य को करने या न करने, दोनों का पूर्ण उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका उपलब्धियों का श्रेय तथा असफलताओं का उत्तरदायित्व स्वीकार करती है। चुनावी व्यवस्था के माध्यम से जनता राजनीतिक कार्यपालिका या कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों को पुरस्कृत या दण्डित करती है। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के समग्र निर्देशन में कार्य करना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका से न केवल कार्य करवाने बल्कि उसे पुरस्कृत या दण्डित करने का पूर्ण अधिकार होता है। इस व्यवस्था के तहत उत्तरदायित्व इस प्रकार से वितरित होता है कि जहां

VISION IAS



राजनीतिक कार्यपालिका जनता के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह होती है, वहीं स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है। यही कारण है कि अनामिकता को राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिकाओं के मध्य संबंधों के संचालन मानदंडों में से एक समझा जाता है।

सिविल सेवाओं की अनामिकता दो अवधारणाओं से संबद्ध है: स्थायित्व तथा तटस्थता। सिविल सेवकों में से अनेक विभिन्न सरकारों के दौरान अपनी नौकरी पर बने रहते हैं, इसलिए उन्हें नीतियों के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों को परामर्श प्रदान करना होता है। उनके द्वारा मंत्रियों को यह परामर्श स्वतंत्र रूप से तथा प्रतिकूल सार्वजनिक या राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के भय तथा भविष्य में होने वाली करियर की क्षति के भय से मुक्त होकर प्रदान किये जाने की आवश्यकता होती है। यह मंत्रालयी उत्तरदायित्व से संबद्ध है, जिसके अनुसार मंत्रियों को अपने तथा अपने विभागों के कार्यों व निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करने की परम्परा रही है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- यह लोक सेवकों को बिना किसी भय या भेदभाव के कार्य करने में सक्षम बनाती है।
- यह सरकार के संसदीय स्वरुप के अनुरूप होती है, जिसमें मंत्री लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं।
- यह अनुशासन, शिष्टता तथा सेवाओं से संबंधित मनोबल को सुनिश्चित करती है।

इसे किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है?

इसे सिविल सेवा आचरण नियमावली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- अधिकारी नेकनीयती के तहत या विधि/विभागीय नियमों के द्वारा आवश्यक होने के अतिरिक्त अपनी आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान प्राप्त सूचनाओं को अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रकट नहीं करेगा।
- अधिकारी को साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक प्रकाशित करने/समाचार पत्र में लिखने/टेलिविज़न या रेडियो पर प्रस्तुत होने से पूर्व सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- सरकारी अनुमति के बिना उसे स्वयं के सम्मान (या किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान) में आयोजित किसी समारोह, सभा, रैली में न तो सम्मिलित होना चाहिए और न ही कोई सम्मान स्वीकार करना चाहिए।
- **आधिकारिक कार्यवाहियों का अनुमोदन:** मान लीजिए जनता/प्रेस द्वारा उसके आधिकारिक आचरण के विरुद्ध कोई टिप्पणी की जाती है, तो वह सरकारी अनुमति के बिना न तो इसके विरुद्ध कोई मानहानि का मुकदमा कर सकता है और न ही प्रेस में कोई टिप्पणी कर सकता है।

अनामिकता के समक्ष चुनौतियां

हाल के वर्षों में कई कारणों से सिविल सेवा अनामिकता का ह्रास हुआ है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

- मंत्रियों को दी गई सलाह के संबंध में सांसद प्रायः सिविल सेवकों से प्रश्न करते रहते हैं।
- सरकारी मामलों में मीडिया की बढ़ती रुचि, जिसके चलते कुछ विशेष वरिष्ठ सिविल सेवकों की पहचान उजागर होने की संभावना बढ़ जाती है।
- अपनी विभागीय कार्रवाई के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के बजाय सिविल सेवकों पर "दोषारोपण" करने की मंत्रियों की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- कुछ सिविल सेवकों द्वारा अपनी शिकायतों को प्रकट करने तथा राजनीतिक कार्यपालिका के दुर्व्यवहारों को उजागर करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के समक्ष अपने विचार व्यक्त कर दिए जाते हैं।

अनामिकता बनाम तटस्थता (Anonymity v/s Neutrality)

इन दोनों मानदंडों में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? क्या राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा वांछित जवाबदेही के परिप्रेक्ष्य में तटस्थ रह पाना संभव हो सकता है – अर्थात् यदि स्थायी कार्यपालिका पूर्ण रूप से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो क्या राजनीतिक

VISION IAS



कार्यपालिका पूर्णतः तटस्थ हो सकती है? यदि इसका अर्थ यह है कि उन्हें सत्तासीन राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए, तो क्या स्थायी कार्यपालिका के लिए यह संभव हो पाएगा कि वह विभिन्न सरकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में परिवर्तन करती रहें? या फिर स्थायी कार्यपालिका के सदस्य अपनी तटस्थता को इस स्तर तक बनाये रखें कि वे विभिन्न सरकारों के प्रति उदासीन तक हो जाएं। इनका उत्तर है, नहीं! दोनों मूल्यों का एक साथ पालन किया जाना होता है। तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशल राजनीतिक नहीं होते हैं। प्रशासन के साधन अर्थात् कार्यों को अधिक कुशलता तथा प्रभावी तरीके से करने की पद्धतियाँ राजनीतिक रूप से तटस्थ होती हैं। वस्तुतः इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए तत्परता के सम्बन्ध में मानवीय पक्षपात होता है। अनामिकता और इस प्रकार जवाबदेही इस पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु आवश्यक है। गैर-राजनीतिक समझे जाने वाले कौशल तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग किसी भी विचारधारा वाली सरकार द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लेनिन द्वारा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पूँजीवाद के कई पहलुओं को समाविष्ट किया गया था या चीन द्वारा अपनी राजव्यवस्था में साम्यवाद को बनाए रखते हुए पूँजीवाद के तत्वों को अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है।

3.10. जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व (Accountability and Responsibility)

जवाबदेहिता

जवाबदेहिता का अर्थ लोक अधिकारियों को उनके व्यवहार के लिए जवाबदेह और उस संस्था, जिससे वे अपना प्रधिकार प्राप्त करते हैं, के प्रति प्रतिक्रियाशील बनाना है। सार्वजनिक पदधारक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं और उन्हें इसे सुनिश्चित करने वाली आवश्यक समीक्षा के लिए अपने आपको प्रस्तुत करना चाहिए। जवाबदेहिता का अर्थ लोक अधिकारियों के प्रदर्शन को मापने हेतु मानदंड स्थापित करने के साथ-साथ इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक पर्यवेक्षण तंत्र स्थापित करना है।

लोक सेवाओं में यह एक विधिक अवधारणा है, क्योंकि इसकी रूपरेखा विधि द्वारा निश्चित की गई है। आदर्श रूप से इसमें निम्नलिखित तीन अवधारणाएँ सम्मिलित हैं:

i. उत्तरदेयता (Answerability) : इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपने कृत्यों और चूकों/गलतियों के संबंध में उत्तर देने के लिए बाध्य है।

ii. प्रवर्तनीयता (Enforceability): इसका अर्थ है कि संबंधित सिविल सेवक यदि अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाया जाता है तो वह कानून के अनुसार दंडित किए जाने का पात्र है।

iii. शिकायत निवारण (Grievance redressal): इसका अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए पर्याप्त संस्थागत तंत्र होना चाहिए।

जवाबदेहिता सरकार, उसकी एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों को उनके निर्णयों और कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें जनता और जवाबदेहिता का पर्यवेक्षण करने वाले संस्थानों के समक्ष उचित ठहराने के दायित्व को संदर्भित करती है।

प्रवर्तनीयता का आशय यह है कि जनता या जवाबदेहिता तय करने के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ अपराधी पक्ष को प्रतिबंधित कर सकती हैं या उल्लंघनकारी व्यवहार के लिए कोई समाधान प्रदान कर सकती हैं। इस प्रकार, जवाबदेहिता तय करने वाली विभिन्न संस्थाएं इन दोनों चरणों में से किसी एक या दोनों के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। पारदर्शिता के बिना जवाबदेहिता का कुछ भी अर्थ नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण और सही जानकारी के बिना जवाबदेहिता का मूल्य कुछ नहीं होगा। जवाबदेहिता केवल 'किसके प्रति' और 'कैसे' नहीं है, बल्कि यह 'किस लिए' भी है। पारदर्शिता के माध्यम से 'किस लिए' सम्बन्धी पहलू प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अधिकांशत: एक साथ सन्दर्भ लिया जाता है।

कृत्यों और अकर्मण्यता के लिए लोक सेवकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं

i. संगठनात्मक स्तर पर संगठन का प्रमुख।

VISION IAS



ii. विभागीय स्तर पर विभागीय प्रमुख।

iii. मंत्रालयी स्तर पर संबंधित मंत्रालय।

iv. राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय कार्यवाही।

v. लोकप्रिय स्तर पर जनमत।

vi.सामाजिक स्तर पर मीडिया और नागरिक समाज।

vii.न्यायिक स्तर पर न्यायालय।

इसलिए दोनों प्रकार की जवाबदेहियाँ मौजूद हैं- एक नियमित जवाबदेही जो अधिकांशत: विभागीय प्रकृति की होती है और दूसरी बाह्य रूप से प्रवर्तित जवाबदेही जो आवश्यकता पड़ने पर तय की जाती है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

लोक अधिकारियों या सार्वजनिक निकायों की सतत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने से यह सुनिश्चित होता है कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, लोक सेवाओं को उपलब्ध कराने के औचित्य को पूरा कर रहे हैं, सरकार में जनता के विश्वास में वृद्धि कर रहे हैं और संबंधित समुदाय के प्रति उत्तरदायी हैं।

i.यह लोक सेवाओं को अत्याचारी होने से रोकती है, क्योंकि यह उनके कृत्यों और कुकृत्यों के लिए उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है।

ii.हितों के संघर्ष से सुरक्षा प्रदान करती है - जवाबदेहिता निर्धारित करने से व्यक्ति का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है।

iii.लोक सेवाओं की प्रथम और अंतिम लाभार्थी जनता ही है, क्योंकि लोक सेवाकों को जनता के हित में कार्य करना होता है और वे जनता को अपने कृत्यों के लिए जवाब देने हेतु बाध्य होते हैं।

iv.यह न्याय, समानता, और समतावाद को बढ़ावा देती है क्योंकि लोक सेवकों के लिए इन संवैधानिक आदर्शों को पूरा करना आवश्यक होता है और साथ ही वे अपने कार्यों के लिए जवाब देने हेतु बाध्य भी होते हैं।

v.यह लोक सेवाओं को वैधता प्रदान करती है- जवाबदेहिता सेवा के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देती है क्योंकि यह कार्यों का परिकलन सावधानीपूर्वक करती है तथा मनमाने और दुष्कल्पित कार्यों और नीतियों पर नियंत्रण रखती है।

vi. चाहे यह कानूनी परिणामों का भय हो या किसी व्यक्ति की नैतिकता का परिणाम, अपने कार्यों के लिए जवाबदेहिता लोकसेवकों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दक्षता के साथ उनके कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करती है।

इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

किसी भी देश में जवाबदेही तंत्र को व्यापक रूप से राज्य के भीतर और बाहर स्थित तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संसद और देश के नागरिकों के प्रति सरकार की कार्यकारी शाखा की जवाबदेही निश्चित रूप से लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है।

लोकतंत्र में जवाबदेही की अभिव्यक्ति आवधिक चुनावों के माध्यम से होती है। ये चुनाव वर्तमान सरकार को दंडित एवं पुरस्कृत करने का साधन होते हैं। अतः, ये जवाबदेहिता के आधारभूत साधन के रूप में कार्य करते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को मूर्त रूप देती है और यह किसी भी लोकतांत्रिक देश में विद्यमान नियंत्रण एंव संतुलन की प्रणाली में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। भारत में, संवैधानिक और सांविधिक निकाय, जैसे- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का पद अन्य निरीक्षण तंत्रों के उदाहरण हैं, जो स्वायत्त हैं परन्तु राज्य के ढांचे के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषकों ने इन जवाबदेही तंत्रों को "क्षैतिज" जवाबदेही तंत्रों और 'लंबवत' जवाबदेही तंत्रों में वर्गीकृत किया है। "क्षैतिज" जवाबदेही तंत्र राज्य के

VISION IAS

अंतर्गत स्थित तंत्रों को संदर्भित करता है जबकि "लंबवत" जवाबदेही तंत्र राज्य के बाहर स्थित तंत्रों को संदर्भित करता है जिसमें मीडिया, नागरिक समाज और नागरिक सम्मिलित हैं।



- पारदर्शिता को प्रोत्साहन प्रदान कर: RTI के निष्पक्षतापूर्ण कार्यान्वयन, विशेष रूप से अग्रसक्रिय प्रकटीकरण से सरकारी अधिकारी कानून और संविधान की मूल भावना के अनुसार दृढ़तापूर्वक कार्य करने के लिए अधिक सावधान होंगे। दूसरे, यह व्यक्तियों को उनके अधिकारों, पात्रताओं और इनकी पूर्ति के संदर्भ में जागरुक बनाएगा।

टेबल 13.1: जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करने वाले संस्थान और तंत्र

राज्य के बाहर स्थित (लम्बवत)	
• चुनावों के माध्यम से लोगों के प्रति • सूचना के अधिकार (RTI) के माध्यम से नागरिकों के प्रति	उच्च प्रभावकारिता
• नागरिकों से संबंधित निगरानी समितियां • नागरिक समाज/प्रहरी निकाय • मीडिया	निम्न प्रभावकारिता
• सेवा वितरण सर्वेक्षण • सिटीजन चार्टर	निम्न से मध्यम प्रभावकारिता
राज्य के भीतर स्थित (क्षैतिज)	
बाह्य (कार्यपालिका से बाहर)	• संसद • न्यायपालिका • लोकायुक्त • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) • केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
आंतरिक (कार्यपालिका के भीतर)	• वरिष्ठतम अधिकारी 1. पुरस्कार/दंड 2. अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं 3. प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली • कन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)/पुलिस/ सतर्कता • आंतरिक लेखा परीक्षा • शिकायत निवारण तंत्र

- अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में सरकारी अधिकारियों से प्रश्न करने के लिए हितधारकों का क्षमता निर्माण। उदाहरण के लिए, MGNREGA के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधारणा।
- भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन।

ज़िम्मेदारी

इसका अर्थ स्वयं के प्रति उत्तरदायी होने से है, अर्थात् आंतरिक उत्तरदायित्व। यह एक नैतिक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति अपने सभी कार्यों के लिए स्वयं के प्रति उत्तरदायी महसूस करता है, भले ही किसी भी कानून के अंतर्गत उसके लिए उत्तरदायित्व न तय की गयी हो। यह जवाबदेही से अधिक चिरस्थायी होती है क्योंकि यह नैतिक तर्क पर आधारित होती है। ज़िम्मेदारी का निर्वहन करने वाला व्यक्ति सदा उचित कार्य करता है, भले ही उसके कार्यों की निगरानी करने के लिए वहां कोई भी न हो, क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रति उत्तरदायी मानता है। इसमें व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करता है।

हालांकि, इन शब्दों का परस्पर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों के मध्य एक सूक्ष्म अंतर विद्यमान है। जवाबदेहिता व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्यों या निर्णयों के परिणामों के लिए जवाबदेह बनाती है। इसके विपरीत, ज़िम्मेदारी का परिणाम से आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं होता है। साथ ही, जवाबदेहिता व्यक्ति से उसके द्वारा किये गये कृत्यों के लिए उत्तरदेयता की मांग करती है। इसके विपरीत, ज़िम्मेदारी के अंतर्गत एक व्यक्ति से भरोसेमंद होने की अपेक्षा की जाती है तथा उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए उसपर विश्वास किया जाता है।

ज़िम्मेदारी को नैतिक परिपक्वता से अंतर्संबंधित माना जाता है। इसलिए ज़िम्मेदारी की भावना के सृजन हेतु प्रशिक्षण, भूमिका निर्वहन आदि के माध्यम से नैतिक, नीतिशास्त्रीय मूल्य आदि प्रदान करने की आवश्यकता होती है।



3.11. विविध मूल्य (Miscellaneous Values)

नवाचारिता और सृजनात्मकता (Innovativeness and Creativity)

प्रति दिन नई ICT प्रौद्योगिकियों के साथ तीव्रता से परिवर्तनशील होते परिवेश में सिविल सेवकों को अपने प्रशासनिक कार्यों को तीव्र, सुचारू और अधिक कुशल तरीके से निर्वहन करने के लिए इनका उपयोग करने हेतु नवाचारी और सृजनात्मक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रशासन को परिवेश आधारित होना चाहिए और जब परिवेश तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है तो सिविल सेवकों को इस परिवर्तनशील परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त सृजनात्मक होना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का नवाचारी रूप से निर्वहन कर सकें। उदाहरण स्वरुप, तीव्र गति से परिवर्तित होते प्रौद्योगिकी युग में सिविल सेवकों को तकनीक में प्रगति के प्रभाव को पहले समझने और फिर उन पर नीति निर्माण के लिए अत्यंत कम समय होता है। इसके बजाय उन्हें परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने और पहले से ही नीति निर्माण में संलग्न होना चाहिए।

साहस और बहादुरी (Courage and bravery)

यह दृढ़ नौकरशाहों की एक अन्य विशेषता है, क्योंकि वे केवल तभी परिवर्तनकारी कदम उठा सकते हैं, जब उनमें विफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस हो। इसके अतिरिक्त, सत्यनिष्ठा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए, उन्हें साहसी होना चाहिए, अन्यथा वे अति दुर्बल बने रहेंगे, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है।

अनुक्रियाशीलता (Responsiveness)

उन्हें प्रति दिन सृजित होने वाले नए अवसरों और चुनौतियों के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए और जनता की नवीन आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए।

दृढ़ता (Fortitude)

इसका तात्पर्य पीड़ादायक अथवा विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन करने से है। यह दीर्घावधि तक साहस को बनाए रखता है। सिविल सेवक परिवर्तित परिवेश में कार्य करते हैं जहां उन्हें विभिन्न बाह्य प्रभावों और दबावों का समाना करना पड़ सकता है। उन्हें निष्ठा और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए जिसका वे पालन करते हैं।

गम्भीरता और अटलता (Perseverance and Tenacity)

इसका अर्थ है- निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प। इसका तात्पर्य कठिनाइयों अथवा सफलता प्राप्ति में विलंब के बावजूद निरंतर प्रयास करते रहने से है। अनेक वर्षों तक एक ही प्रयोग को दोहराते रहने वाले शोधकर्ताओं का लगातार एक ही दिशा में संपूर्ण फोकस बनाए रखना, गम्भीरता का एक अच्छा उदाहरण है। सिविल सेवाओं के लिए, गम्भीरता एक महत्वपूर्ण मूल्य है। नीतियों द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तन, उदाहरण के लिए- खुले में शौच से मुक्ति अथवा किसी जिले में लिंग अनुपात में सुधार लाना ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें रातों-रात प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनेक लोगों द्वारा ऐसी योजनाओं का विरोध किया जा सकता है क्योंकि ये एक वर्ष या दो वर्ष में परिणाम प्रदान नहीं करती हैं। सिविल सेवकों को गम्भीर होना चाहिए यदि उन्हें ईमानदारी-पूर्वक यह विश्वास है कि वर्तमान नीति/योजना वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है, हालांकि तत्काल रूप से दृश्य प्रभाव नहीं भी हो सकते हैं।

अटलता भी इससे काफी मिलता-जुलता है- यह दृढ़ संकल्पी होने, डटे रहने का गुण है।

लचीलापन (Resilience)

लचीलापन वस्तुतः शीघ्रता से संभलने और वापसी करने का गुण है। यह संकट की स्थिति में स्वयं को अनुकूलित करने और बेहतर तैयारी के साथ संकट पूर्व स्थिति में पुनः वापसी की व्यक्तिगत क्षमता है।

VISION IAS

ऐसे कार्य में विफलता अपरिहार्य है जिसमें अनिश्चितता विद्यमान हो और अपूर्ण जानकारी के आधार पर निर्णय लिया गया हो। सिविल सेवकों का कार्य प्रयासों की संभावित विफलता से हार मान लेना नहीं है बल्कि असफलता के कारणों का अवलोकन करना और भविष्य के निर्णयों में सुधार लाने के लिए नकारात्मक प्रतिपुष्टि (negative feedback) को सम्मिलित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना है। सकारात्मक दृष्टिकोण, भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता और आशावादी होना नम्य व्यक्तियों के प्रमुख गुण हैं।

3.12. मूल्यों के क्षरण के परिणाम (Consequences of Erosion of Values)

i. भ्रष्टाचार तथा जन सेवा (जो किसी भी प्रशासनिक प्रणाली के लिए सर्वप्रमुख है) की अनुपस्थिति।

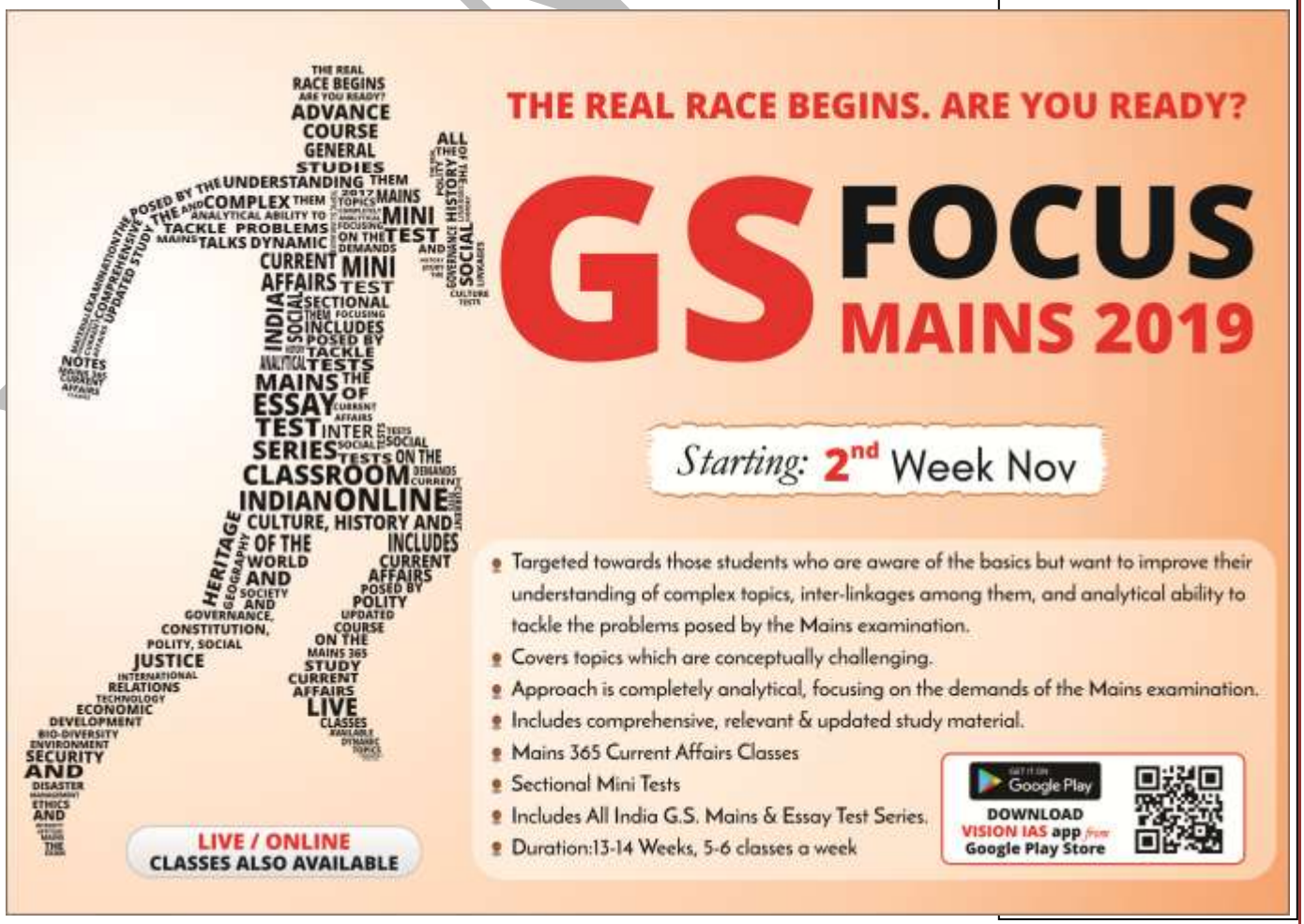
ii. प्रशासन जनता की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन बन जाता है, क्योंकि यह संबद्ध राजनीतिक दलों के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है।

iii. इसके परिणामस्वरूप मेरिटोक्रेसी (जहां योग्यता को पुरस्कृत किया जाता है और सभी सेवा शर्तें योग्यता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होती हैं) का विनाश होता है। इसलिए, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि सिविल सेवक की क्षमता के बजाय पूर्णतः संबद्धताओं से निर्देशित होती हैं। इसके परिणामस्वरुप अक्षमता, अप्रभाविता एवं मनोबल का अभाव उत्पन्न होता है।

iv. इससे लोक सेवाओं में जन सामान्य का विश्वास कम हो जाता है, जिससे लोक सेवाओं की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचती है।

(इस विषय में अधिक जानकारी के लिए, 'लोक प्रशासन में नैतिकता' वाले नोट्स को देखें।)

मूल्यों का समावेशन: समावेशन की विशिष्ट विधियों के लिए उपर्युक्त प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्य का संदर्भ लीजिए।



4. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न



(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions)

1. **कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना का मूल्य नम्यता का समावेश करके लोक सेवक के कार्यकरण की सीमाओं को बढ़ाता है, परन्तु यह वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत को कमजोर करता है। चर्चा कीजिए। यदि संवेदना के मूल्य तथा वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत के मध्य द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो आप एक लोक सेवक के रूप में इस स्थिति का समाधान किस प्रकार करेंगे।**

दृष्टिकोण:

- संवेदना एवं वस्तुनिष्ठता के मूल्यों की व्याख्या कीजिए।
- विस्तृत वर्णन कीजिए कि क्या इस प्रकार के द्वंद्व विद्यमान होते हैं।
- यदि किसी प्रकार का द्वंद्व हैं तो व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों है तथा इसके समाधान के लिए कार्यवाही का सुझाव दीजिए।

उत्तर:

एक लोक सेवक में संवेदना के मूल्य का होना अति आवश्यक है ताकि वह वंचित वर्ग के लोगों के कष्टों के प्रति चिंतित हो। संवेदना की भावना उसे कमजोर वर्गों की सहायता करने हेतु विशेष प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए उसे अपने कार्यकरण में नम्य (लोचशील) होना चाहिए और नियमों की सीमा के अंतर्गत सख्ती से कार्य करने के बदले नियमों के इर्द-गिर्द रहकर कार्य करना चाहिए। लेकिन, इससे उसकी वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो सकती है।

वस्तुनिष्ठता का आशय यह है कि लोक सेवक के निर्णय और कार्यवाहियां मेरिट और निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए। इसमें सम्मान, समानता और निष्पक्षता सम्मिलित हैं। इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति निर्धन है अथवा संपन्न, उनके साथ अनिवार्य रुप से निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

परन्तु, एक लोक सेवक के द्वारा कुछ कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करते समय उनके प्रति झुकाव का प्रदर्शन किया जा सकता है। इसके कारण कुछ नीतियां और निर्णय अलाभकारी और अनुपयोगी सिद्ध हो सकते हैं तथा यहां तक कि कुछ अपेक्षाकृत संपन्न जनसंख्या के लिए प्रतिकूल भी हो सकते हैं, लेकिन वह जरुरतमंदों की सहायता करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाने की चाह रख सकता है। साथ ही, यदि उसके निर्णय आगे चलकर गलत सिद्ध होते हैं तो नियमों की अनदेखी करने के लिए उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार, इससे द्वंद्व की स्थिति बन सकती है।

ऐसी स्थिति में, निम्नलिखित विकल्पों का अनुसरण किया जा सकता है:

- अपने विवेक के अनुसार कार्य करना और यह निर्णय करना कि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आवश्यक है अथवा नहीं।
- विचार-विमर्श करना कि संवेदना की भावना से की गई कार्यवाही जनता के अहित में नहीं है।
- नियमों से विचलन न्यूनतम होना चाहिए और किसी भी प्रकार के विचलन होने की स्थिति में उससे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए और यदि समयाभाव हो तो कोशिश की जानी चाहिए की सूचना को यथासंभव शीघ्रतापूर्वक संप्रेषित कर दिया जाए।

VISION IAS

- अनुभव से सीखने का उपयोग नियम आधारित तंत्र निर्मित करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि ऐसी कोई स्थिति भविष्य में अपने लिए या किसी अन्य अधिकारी के लिए द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न न करे।



2. सत्यनिष्ठा के बिना ईमानदारी संभव है, लेकिन ईमानदारी के बिना सत्यनिष्ठा संभव नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरणों के साथ अपने मत का औचित्य सिद्ध कीजिए।

दृष्टिकोण:

- ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।
- व्याख्या कीजिए कि वे किस प्रकार संबंधित हैं और इनमें से कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों।
- उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को प्राय: एक दूसरे का समानार्थी माना जाता है लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता है। सत्यनिष्ठा अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसका आशय दृढ़ नैतिक सिद्धांतों और आचरण के अनुपालन से है।

एक ईमानदार व्यक्ति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं:

- दूसरों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार और न्यायप्रियता;
- असत्य नहीं बोलना, धोखा न देना, चोरी न करना तथा आचरण में सादगी; एवं
- विश्वसनीय, निष्ठावान, निष्पक्ष और निष्कपट।

परन्तु, सत्यनिष्ठा का तात्पर्य सिद्धांतों का पालन होता है। यह एक तीन चरणीय प्रक्रिया है:

- आचरण की सही कार्यप्रणाली का चयन करना;
- चयनित विकल्प से सुसंगत कार्रवाई करना- यहाँ तक कि जब ऐसा करना असुविधाजनक या अलाभप्रद हो तब भी; तथा
- अपने मत की खुले तौर पर घोषणा करना।

तदनुसार, सत्यनिष्ठा नैतिक भावना, प्रतिबद्धताओं के प्रति दृढ़ता व विश्वसनीयता के समतुल्य होती है।

यहाँ यह 'ईमानदारी' के दृष्टिकोण के समान है।

ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मध्य प्रमुख अंतर यह है कि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठा हेतु आवश्यक विचार और भावनाओं को प्रदर्शित किए बगैर पूरी तरह से ईमानदार हो सकता है। उदाहरण के लिए, संभव है कि कोई व्यक्ति अपने वरिष्ठ के प्रति ईमानदार और निष्ठावान हो परन्तु वह उसे दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में संलिप्त होने में सहायता भी करता हो। यहां, उस व्यक्ति की ईमानदारी के व्यक्तिगत लाभ हैं। उसने अपने पद की गरिमा के साथ समझौता किया है और इसीलिए यहाँ उसमें सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाएगा।

ईमानदारी का अस्तित्व सत्यनिष्ठा के बिना भी हो सकता है क्योंकि सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए निरंतर उदार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से व्यवहार करना; और लोक सेवा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना।

सत्यनिष्ठा का अस्तित्व ईमानदारी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यनिष्ठा में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं;

- लोकहित बनाए रखने के लिए ईमानदार और स्पष्ट राय प्रदान करना।

VISION IAS

- सभी परिस्थितियों में विश्वसनीयता बनाए रखना।
- लिए गये निर्णयों के राजनीतिक निहितार्थों को साझा करने के माध्यम से पूर्ण प्रकटीकरण करना।
- ऐसी संस्कृति का निर्माण करना जो खुले, ईमानदार और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती हो।
- लोगों के साथ किसी राजनीतिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय, भौगोलिक परिस्थिति या पूर्वाग्रह के बिना भेदभाव रहित व्यवहार करना।

किसी भी परिस्थिति में, सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव ईमानदारी के मूल्य को स्वतः बनाए रखता है।

3. समानुभूति व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का केवल एक महत्वपूर्ण अवयव ही नहीं अपितु उसका संकेतक भी है। विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

दृष्टिकोण:

समानुभूति की अवधारणा को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए और तत्पश्चात विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए कि किस प्रकार समानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है।

उत्तर:

किसी व्यक्ति की मानसिकता और उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली परिस्थितियों को वास्तविक रूप में समझना ही समानुभूति है। समानुभूति दूसरे व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों और भावनाओं को समझकर संप्रेषण (विचारों के आदान-प्रदान) करने एवं उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता है। समानुभूति दीर्घकाल से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आधारशिला रही है। समानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ऐसा घटक है जो सरकारी कर्मचारियों को समाज में वंचितों की समस्याओं का समाधान करने हेतु समर्थ बनाती है। भारत जैसे समाज में जहाँ रूढ़िवादियों की बहुलता है, समानुभूति व्यक्ति को बेहतर तरीके से समाज की समस्याओं को समझने में सहायता कर सकती है। समानुभूतिपूर्ण सुनवाई प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह हमारे समक्ष अन्य लोगों के साथ घटित होने वाली परिस्थितियों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। जब हम अपने विचारों एवं इच्छाओं को अन्य व्यक्तियों पर थोपने से मुक्त हो जाते हैं तो इससे हमें अन्य व्यक्तियों की वास्तविक मनःस्थिति और अनुभूतियों को नए सिरे से अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। समान स्तर की जन्मजात भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों के मध्य, जिस व्यक्ति ने व्यापक और विविध प्रकार के अनुभवों, जैसे कि गहन निराशा एवं संतुष्टि के चरम आनन्द का वास्तव में अनुभव किया होता है, वही व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित अधिकाधिक लोगों के साथ समानुभूति प्रकट करने में सबसे अधिक समर्थ होता है। दूसरी ओर, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति 'अन्य लोगों से समानुभूति नहीं रख सकता' तो इसका कारण संभवत: यह है कि उसने स्वयं विभिन्न भावनाओं को कभी अनुभूत, अभिस्वीकृत या स्वीकार नहीं किया होता है। समानुभूति किसी लोक सेवक को नागरिकों की अनुभूतियों को गहराई से समझने में समर्थ बनाती है। ऐसा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के विचारों, अनुभूतियों और भावनाओं का धैर्यपूर्वक अन्वेषण करता है। कुछ हद तक, यह उन्हें नागरिकों के साथ संपर्क (संबंध) स्थापित करने में समर्थ बनाती है। यहाँ भावनात्मक बुद्धिमत्ता उस संपर्क को अधिक सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करती है। जहाँ समानुभूति लोक सेवक को नागरिकों की अनुभूतियों को समझने में सक्षम बनाती है, वहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन्हें यह संप्रेषित करने में सक्षम करती है कि वे उन भावनाओं और उनके निहितार्थों को समझते हैं।

VISION IAS



ये सभी क्षमताएँ मिलकर किसी लोक सेवक को न केवल दूसरे व्यक्ति के शाब्दिक संप्रेषण अपितु शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को समझने में भी सक्षम बनाती हैं। किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, उसकी अनुभूतियों और भावनाओं को समझने का प्रयास करना तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ संप्रेषण करना विश्वास के सृजन की आधारशिला है।

ये गुण सफल सिविल सेवकों में देखे जा सकते हैं। इन्हें उस समय देखा जा सकता है जब नागरिक लोक सेवक के साथ खुलकर अपनी समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों को साझा करते हैं। इसे कुछ बेहतर करने का दृष्टिकोण विकसित करने हेतु, नागरिकों के साथ अपने संबंध का उपयोग कर नागरिकों की भावनात्मक स्थिति के प्रबंधन में सहायता करने की लोक सेवक की क्षमता में देखा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लोक सेवक किसी व्यक्ति की अनुभूति को महसूस कर सकते हैं तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए उसके साथ-साथ अन्य लोगों से संप्रेषण करने हेतु अपनी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की क्षमता का लाभ उठाते हैं।

4. सत्यनिष्ठा की अवधारणा पर चर्चा कीजिए और बताईए कि किस प्रकार यह न तो एकल चारित्रिक लक्षण है और न ही किसी विशिष्ट भूमिका तक ही सीमित है।

दृष्टिकोण:

- सत्यनिष्ठा की अवधारणा के बारे में बताईए।
- उसके बाद प्रश्न के दूसरे भाग पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

उत्तर:

- सत्यनिष्ठा का विकास उस समय होता है जब कोई व्यक्ति निरंतर उचित तर्क और प्रभावी आत्मविश्वास का समावेश करने वाली पद्धति से कार्रवाई करने का एक पैटर्न विकसित करता है।
- सत्यनिष्ठ व्यक्ति समझ-बूझ के साथ और व्यवस्थित रूप से निर्णय संबंधी विकल्पों का आकलन कर सकता है। वह प्रत्येक विकल्प का आकलन स्वयं के तर्कों की दृढ़ता और अपेक्षित भावनाओं की गुणवत्ता के संदर्भ में करता है। परिणामस्वरूप वह ऐसे सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं के स्रोतों की पहचान करने में भी सक्षम हो सकता है।
- दूसरी ओर, जिनके कार्य उनकी धारणाओं से मेल नहीं खाते, उनमें सत्यनिष्ठा का अभाव होता है। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इतनी कमजोर होती है कि उनका व्यवहार अप्रत्याशित और असंगत होता है।
- उच्च कोटि के व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व को बनाए रखना न केवल परिपूर्णता, आत्मसम्मान और पहचान की भावना के लिए महत्वपूर्ण है – जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है - अपितु अपने वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- ऐसा माना जाता है कि सत्यनिष्ठा में न केवल हमारे अंतरतम की अपितु हमारे संबंधों की परिपूर्णता भी समाहित होती है।
- इसके अतिरिक्त, सत्यनिष्ठा न तो एकल चारित्रिक लक्षण है और न ही किन्हीं विशेष भूमिकाओं तक सीमित है, बल्कि यह "जगत में अनुभवों का प्रसंस्करण करने की एक परिष्कृत स्थिति है जो नैतिक निर्णय, रचनात्मकता तथा सहज ज्ञान युक्त क्षमता और साथ ही तर्कसंगत विश्लेषणात्मक शक्तियों को समाविष्ट करती है"।

VISION IAS



- सत्यनिष्ठा को विभिन्न रूपों में समझा जा सकता है: (i) स्वयं के एकीकरण के रूप में सत्यनिष्ठा; (ii) पहचान बनाए रखने के रूप में सत्यनिष्ठा; (iii) किसी मत पर दृढ़ रहने की सत्यनिष्ठा; (iv) नैतिक उद्देश्य के रूप में सत्यनिष्ठा; और (v) एक गुण के रूप में सत्यनिष्ठा ।
- इस प्रकार सत्यनिष्ठा न तो एकल चारित्रिक लक्षण है और न ही किसी विशिष्ट भूमिका तक सीमित है।
- सत्यनिष्ठ प्रशासकों पर लोग एवं उनके सहकर्मी विश्वास करते हैं क्योंकि उनकी कथनी और करनी में सुसंगतता होती है। विश्वास का यही भाव वस्तुत: किसी संगठन को एकीकृत बनाता है।

5. सत्यनिष्ठा ईमानदारी से भिन्न है तथा एक सिविल सेवक के लिए कदाचित यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

दृष्टिकोण:

सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी को नीतिशास्त्र के अनुसार अलग-अलग परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात, उनके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। पुनः एक सिविल सेवक के परिप्रेक्ष्य से इन दोनों विशेषताओं की चर्चा कीजिए और अंततः सत्यनिष्ठा को सर्वाधिक वांछित गुण के रूप में स्थापित कीजिए।

उत्तर:

सत्यनिष्ठा को किसी व्यक्ति के द्वारा धारित आचरण, मूल्यों, विधियों, उपायों तथा सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का आचरण सिद्धांतों के आंतरिक सुसंगत ढाँचे के अनुरूप है तो कहा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति में सत्यनिष्ठा का गुण विद्यमान है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति में संगठित मूल्य व्यवस्था विद्यमान है तथा वह इस प्रदत्त सीमा के भीतर समनुरूप ढंग से आचरण करता है तो उसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा जाएगा।

इस प्रकार, सत्यनिष्ठा का संबंध व्यक्ति के चरित्र से है, जबकि ईमानदारी एक गुण मात्र है। चूँकि चरित्र ऐसे ही व्यक्तिगत गुणों का योग होता है, अतः ईमानदारी को सत्यनिष्ठता का एक अंग माना जा सकता है। ईमानदारी सच्चाई के साथ कार्य तथा संवाद करने का मानवीय गुण है। यह एक मूल्य के रूप में सत्य से संबंधित है। इसमें सुनना तथा मानवीय गतिविधियों के प्रदर्शन के साथ-साथ बोलना भी सम्मिलित है। सामान्यतः ईमानदारी का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी दृढ़ मान्यताओं के साथ तथ्यों एवं विचारों को प्रस्तुत करना है। इसमें दूसरों और स्वयं दोनों के प्रति तथा अपने उद्देश्यों एवं आंतरिक यथार्थ के प्रति अपनाई गई ईमानदारी सम्मिलित होती है।

सत्यनिष्ठता का एक उदाहरण, बिना रेफ़री के खेल खेलते समय अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। गलतियाँ करने पर, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा तथा सत्यनिष्ठा से रहित व्यक्ति उसे अस्वीकार करेगा।

एक मित्र दूसरे से कहता है कि, "केवल निर्धन लोग ही कूड़ा उठाने वाले ट्रकों पर काम करते हैं"। अपनी इस धारणा की सत्यता की जांच किए बिना भी वह अपनी धारणा के प्रति ईमानदार हो सकता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी धारणा की वास्तविकता की जाँच करने का प्रयास करता है तो वह सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन करता है।

इस प्रकार, इन परिभाषाओं से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सत्यनिष्ठता का उपयोग व्यक्ति के "कार्यों अथवा निष्पादन प्रक्रिया" के स्तर पर होता है, जबकि ईमानदारी सोच तथा व्यवहार के प्राथमिक स्तर पर अधिक विद्यमान होती है। एक सिविल सेवक से सार्वजनिक हित को सर्वोच्च

VISION IAS



प्राथमिकता देने तथा अपनी सेवा के स्तर पर सही तथा ईमानदार बने रहने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह न केवल इन सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहे, बल्कि सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं का सामना करने की क्षमता भी रखे। इसके लिए साहस और दबाव का सामना करने की क्षमता के साथ-साथ उत्तरदायित्व की व्यापक समझ होने जैसे अतिरिक्त गुणों की आवश्यकता होती है।

सिविल सेवाओं तथा सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी को सिविल सेवक के उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में नोलन समिति के नाम से चर्चित 'कमिटी ऑन स्टैण्डर्ड इन पब्लिक लाइफ' सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित करती है:

सत्यनिष्ठा: सार्वजनिक पदधारकों को स्वयं को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के प्रति किसी भी ऐसे वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना चाहिए जो उन्हें अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में बाधा डाले।

ईमानदारी: सार्वजनिक पदधारकों का कर्त्तव्य है कि वे उनके सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करें और उत्पन्न होने वाले हितों के किसी भी टकराव का समाधान करने हेतु ऐसे कदम उठाएं जिनसे सार्वजनिक हितों की रक्षा हो।

इस प्रकार, सत्यनिष्ठा किसी भी सिविल सेवक के सर्वाधिक वांछित गुणों में से एक है। यदि किसी सिविल सेवक पर किसी विशेष ढंग से कार्य करने के लिए अनुचित राजनीतिक दबाव हो, जो निष्पक्षता, न्याय तथा उसके कर्तव्यों के लिए प्रदत्त अधिदेश के मूल्यों का विरोधाभासी है, तो उसे पद के प्रति सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए ईमानदारी के अपने व्यक्तिगत मूल्य के साथ समझौता करना पड़ सकता है। इस प्रकार, लोक सेवकों को इस विश्वास के साथ अपना पद धारण करना चाहिए जिससे वे सार्वजनिक पद का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे, निष्पक्षतापूर्वक अपना कार्य करेंगे तथा किसी निजी संगठन या व्यक्ति को वरीयता नहीं देंगे। केवल अपनी सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करके ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा हो सकता है तथा यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक-मात्र उपाय है।

6. सिविल सेवाओं में तटस्थता से आप क्या समझते हैं? एक सिविल सेवक के लिए तटस्थता सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्यों में से एक क्यों है?

दृष्टिकोण:

- उत्तर में निम्नलिखित भाग समाविष्ट होने चाहिए:
  - सिविल सेवाओं में तटस्थता की व्याख्या कीजिए।
  - सिविल सेवाओं में इस मूल्य के क्या लाभ हैं?
  - तटस्थता के अनुपालन न करने से क्या हानि हो सकती है?

उत्तर:

सिविल सेवाओं में तटस्थता किसी सिविल सेवक द्वारा आत्मसात की जाने वाले आधारभूत मूल्यों में से एक है। तटस्थता से तात्पर्य है कि किसी सिविल सेवक की कोई राजनीतिक सम्बद्धता नहीं होनी चाहिए तथा राजनीतिक नेतृत्व को निष्पक्ष तकनीकी परामर्श प्रदान करने वाले एक सिविल सेवक पर राजनीतिक नेतृत्व के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तटस्थता हेतु यह आवश्यक है कि कोई भी सिविल सेवक चुनाव प्रचार अभियानों या राजनीतिक दलों में शामिल नहीं हो सकता। उसे सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बिना किसी भय या पक्षपात की भावना से रहित होकर कार्य करना चाहिए।

VISION IAS



- **सिविल सेवाओं में तटस्थता ने योग्यता आधारित प्रणाली के विकास में सहयोग** किया है। जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति ही सिविल सेवा का अंग बन सकते हैं।
- एक तटस्थ सिविल सेवक अपने द्वारा प्रदत्त परामर्श की निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता द्वारा ही अपने राजनीतिक वरिष्ठ का विश्वास प्राप्त कर सकेगा। उसके द्वारा प्रदान की गई सलाह को उचित महत्व प्रदान किया जायेगा। लोकतंत्र में, राजनीतिक कार्यपालिका समय-समय पर बदलती रहती है, किन्तु तटस्थ स्थायी कार्यपालिका प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखने हेतु आवश्यक होती है।
- यदि सिविल सेवकों द्वारा तटस्थता का अनुपालन न किया जाए तो भाई-भतीजावाद की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा लोक सेवाओं की गुणवत्ता का शीघ्र ही पतन हो जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप सिविल सेवक एवं मंत्री के मध्य परस्पर संबंधों में गिरावट आएगी तथा सिविल सेवकों में मंत्रियों का भरोसा एवं विश्वास कम हो जाएगा। किसी भी प्रणाली के कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए टीम के सदस्यों को एक समूह के रूप में कार्य करना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब उनमें से प्रत्येक एक-दूसरे के प्रयोजनों पर विश्वास करेंगे। तटस्थता के अभाव में यह विश्वास कभी स्थापित नहीं हो सकता।

स्थानान्तरण और पद स्थापन (पोस्टिंग) के रूप में भ्रष्ट अधिकारियों को पुरस्कृत तथा ईमानदार अधिकारियों को दण्डित करने का हालिया तरीका सिविल सेवाओं में तटस्थता के लिए एक बड़ा ख़तरा है। इस प्रवृत्ति को रोके जाने की आवश्यकता है। सिविल सेवकों तथा मंत्रियों दोनों के मध्य विश्वास को बनाए रखने हेतु एक सुदृढ़ एवं प्रवर्तनीय नैतिक संहिता की आवश्यकता है।

प्रत्येक चुनाव के साथ दलों की विचारधारा परिवर्तित होती रहती है। इस परिदृश्य में, एक तटस्थ तथा गैर-राजनीतिक नौकरशाही की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इसलिए, सभी सिविल सेवकों को अपनी उचित योग्यता के अनुसार इस तंत्र को संचालित करने हेतु सर्वप्रथम तटस्थता के मूल्य को आत्मसात करना चाहिए।

7. 'वस्तुनिष्ठता' और 'तटस्थता' सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों में से हैं। उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- अपने उत्तर को वस्तुनिष्ठता और तटस्थता का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रारंभ कीजिए। इसके अतिरिक्त, चर्चा कीजिए कि कैसे इन मूल्यों को सिविल सेवाओं के आधारभूत मूल्यों के रूप में माना जाता है। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनके महत्व को दर्शाइए। साथ ही इस तथ्य को भी रेखांकित कीजिए कि ये सरकार में विश्वास निर्मित करने तथा उसकी दक्षता में सुधार करने में किस प्रकार सहायता करते हैं। ऐसे परिस्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें इन मूल्यों का अनुकरण किया जाना चाहिए।

उत्तर:

सिविल सेवा के मूल्य ऐसे स्वीकृत सिद्धांत और मानक हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा लोक सेवकों से की जाती है। वे आंतरिक नैतिक दिग्दर्शक की तरह कार्य करते हैं और लोक सेवकों को विशेष रूप से सार्वजनिक कर्तव्य और व्यक्तिगत हित के बीच विरोध या दुविधा की स्थिति का सामना करने व सार्वजनिक हित में निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

सिविल सेवा के कई अन्य मूल्यों में दो केन्द्रीय मूल्य, यथा- वस्तुनिष्ठता एवं तटस्थता सम्मिलित हैं। यूनाइटेड किंगडम के सिविल सेवा कोड में **वस्तुनिष्ठता** को परिभाषित करते

VISION IAS



हुए कहा गया है कि यह *"साक्ष्यों के कठोर विश्लेषण पर आधारित व्यक्ति के परामर्श एवं निर्णय को इंगित करता है*" ब्रिटेन की लॉर्ड नोलन समिति ने 1995 में वस्तुनिष्ठता को सिविल सेवा के सात आधारभूत मूल्यों में सम्मिलित किया। इसने वस्तुनिष्ठता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है:

"सार्वजनिक नियुक्तियां करने, ठेके देने, या पुरस्कार और लाभ के लिए लोगों को अनुशंसित करने सहित सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सार्वजनिक पदधारकों को योग्यता के आधार पर निर्णय करना चाहिए।"

यदि सिविल सेवक वस्तुनिष्ठता का अनुपालन करता है तो वह मंत्रियों को दी जाने वाली सलाह सहित समस्त सूचना साक्ष्यों के आधार पर प्रदान करेगा; विकल्पों और तथ्यों को सटीक रूप से प्रस्तुत करेगा; मामलों में मेरिट के आधार पर निर्णय लेगा; तथा विशेषज्ञ और पेशेवर सलाह पर उचित ध्यान देगा। वह सलाह प्रदान करने या निर्णय लेते समय आवश्यक तथ्यों या प्रासंगिक विचारों की उपेक्षा नहीं करेगा या निर्णय लिए जाने के बाद निर्णय के अनुसार की जाने वाली कार्रवाइयों को करने से इन्कार करके या अलग रह कर नीतियों के क्रियान्वयन को विफल नहीं करेगा।

आत्मनिष्ठ विचारों, जैसे- भावनाओं, पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत रुचियों आदि के आधार पर लिए गए निर्णय के स्थान पर वस्तुनिष्ठ निर्णय के सफल होने और उसके द्वारा सार्वजनिक हित की पूर्ति किए जाने की संभावना सदैव अधिक होती है। भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में, जहां एक सामान्य राजनेता का मार्गदर्शन विशेषज्ञ सिविल सेवक द्वारा किया जाता है, यह मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मंत्री को आश्वस्त करता है कि सिविल सेवक सार्वजनिक हित में सलाह दे रहा है और उसका कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। जनता सरकार के निर्णयों की गुणवत्ता के संदर्भ में आश्वस्त होगी और भले ही लिए गए निर्णय अपेक्षित परिणाम प्रदान न करें, सरकारी निर्णयों की ईमानदारी और प्रयोजन के संदर्भ में लोगों के मध्य भ्रम नहीं उत्पन्न होगा।

तटस्थता *को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय सिविल सेवक की ओर से किसी भी प्रकार की राजनीतिक संबद्धता या पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है।* एक सिविल सेवक को भेदभाव-रहित होकर कार्य करना होता है तथा राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीतियों के तर्कसंगत अनुप्रयोग से पेशेवर रूप से स्वयं को संबद्ध रखना होता है।

तटस्थता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक भय या पक्षपात के बिना नैतिक आचरण का पालन कर सके। लोकतंत्र में सरकार सार्वजनिक निधि के न्यासी के रूप में कार्य करती है तथा यह निरंकुश नहीं होती है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान किए जाएँ। यह एक भेदभाव-रहित नागरिक प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता के समान, यह राजनीतिक कार्यपालिका को आश्वस्त करती है कि सिविल सेवकों द्वारा गुण-दोषों पर आधारित स्वतंत्र, स्पष्ट और निष्पक्ष सलाह प्रदान की जा रही है और वह सलाह गैर-राजनीतिक प्रकृति की है। तटस्थ प्रशासक सत्ताधारी दल की विचारधारा को आगे बढ़ाने के स्थान पर समाज के वृहत्तर हित में सलाह देने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। नागरिक आश्वस्त रहते हैं कि चाहे जो भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, शासन संविधान और विधि के शासन के अनुरूप ही होगा। यह परिवर्तन के साथ निरंतरता को भी सुनिश्चित करती है अर्थात् सरकारें परिवर्तित हो सकती हैं लेकिन प्रशासन और नीतियों में व्यापक रूप से निरंतरता विद्यमान रहती है।

VISION IAS



तटस्थता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे प्राय: भ्रम वश नीति और मूल्य के प्रति तटस्थता के रूप में समझ लिया जाता है अर्थात् लोक सेवक अपने मूल्यों पर आधारित निर्णयों एवं नीतिगत मूल्यांकनों पर विश्वास नहीं करते बल्कि राजनीतिक कार्यपालिका के आदेशों का अंधानुकरण करने लगते हैं। इसलिए सकारात्मक तटस्थता का पालन करने की आवश्यकता होती है। सिविल सेवा में यह मूल्य इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाता है, साथ ही साथ यह ऐसे मूल्यों की मांग भी करता है जो समाज को लाभान्वित करें। इस मूल्य के तहत सिविल सेवा राजनीतिक कार्यपालिका के अनैतिक निर्णयों के प्रति निष्क्रिय नहीं होती है।

स्पेक्ट्रम आवंटन या कोयला ब्लॉक नीलामी के मामलों में, वस्तुनिष्ठता और तटस्थता की कमी देखी गयी जिसके कारण सार्वजनिक कोष को अपार क्षति हुई। नौकरशाहों ने राजनीतिक कार्यकारिणी के साथ सांठ-गांठ कर ली और ऐसे निर्णय सुझाए जो मेरिट पर आधारित नहीं थे अपितु सत्ताधारी दल का हितसाधन करने के प्रयोजन से थे। यदि वस्तुनिष्ठता और तटस्थता के सिद्धांत का अनुपालन किया गया होता तो सार्वजनिक निधि के साथ-साथ शासन में लोक विश्वास की भी क्षति नहीं होती।

इस प्रकार, ये आधारभूत मूल्य सुशासन को समर्थन प्रदान करते हैं और सिविल सेवा द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों में यथासंभव उच्चतम मानकों की उपलब्धि को सुनिश्चित करते हैं। यह उपलब्धि बदले में सिविल सेवा को मंत्रियों, संसद, जनता एवं लाभार्थियों का सम्मान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में सहायता करती है।

8. अभिरुचि से आप क्या समझते हैं? सिविल सेवा के लिए किस प्रकार की अभिरुचि को महत्वपूर्ण माना जाता है? एक सिविल सेवक बनने हेतु योग्य होने के लिए आपने कौन-से उपाय अपनाये हैं?

दृष्टिकोण:

- उत्तर को अभिरुचि की परिभाषा और इसके कुछ प्रकारों के साथ आरम्भ करना चाहिए। उत्तर के दूसरे भाग में एक प्रभावी सिविल सेवक होने के लिए आवश्यक अभिरुचि/गुणों पर चर्चा करनी चाहिए। उत्तर के अंतिम भाग में इस दिशा में किये गए कुछ व्यक्तिगत प्रयासों पर चर्चा की जानी चाहिए। इस विचार के साथ उत्तर समाप्त किया जा सकता है कि चूँकि अभिरुचि जन्मजात भी होती है इसिलए पूरी तरह से अनुपस्थित होने पर इसे विकसित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वह पहले से विद्यमान है तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पोषित या संवर्द्धित कर सकता है।

उत्तर:

अभिरुचि को 'किसी कार्य के निष्पादन, जिसके संदर्भ में एक व्यक्ति पास अल्प या किसी भी प्रकार का पूर्व प्रशिक्षण नहीं है, के लिए एक निश्चित सीमा तक अधिक अथवा कमतर सुपरिभाषित पैटर्न या व्यवहार के अभिग्रहण हेतु एक व्यक्ति की क्षमता या परिकल्पित सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।' अभिरुचि न तो पूर्णतः जन्मजात (innate) होती है और न ही पूर्णतः अर्जित। यह कुछ सीमा तक जन्मजात होती है, किन्तु साथ ही यह जन्मजात और आस-पास के परिस्थितियों के अंतर्संबंध का उत्पाद भी होती है। अभिरुचि शारीरिक या मानसिक हो सकती है। अभिरुचि कोई विकसित ज्ञान, सीखी या अर्जित की गई क्षमताएँ (कौशल) या अभिवृत्ति नहीं है। अभिरुचि की सहज प्रकृति अधिगम के माध्यम से प्राप्त ज्ञान या क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाली उपलब्धि के विपरीत होती है। अभिरुचि की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

VISION IAS

- अभिरुचि भविष्य की कुछ संभाव्यताओं को संदर्भित करती है।
- अभिरुचि जन्मजात क्षमता होती है।
- अभिरुचि का निहितार्थ प्रश्नगत गतिविधियों के लिए उपयुक्तता या अनुकूलता है।



व्यापक रूप से, सिविल सेवा के लिए दो प्रकार की अभिरुचियों की आवश्यकता होती है:

- **शारीरिक अभिरुचि:** यह अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निष्पादित करने के लिए शारीरिक योग्यता होती है। यह उन सेवाओं के लिए अधिक प्रासंगिक होती है, जिनके लिए फील्ड वर्क की आवश्यकता होती है।
- **मानसिक अभिरुचि:** यह उन गुणों को सम्मिलित करती है, जो मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ संबद्ध होते हैं। इसे सभी प्रकार की सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा सिविल सेवा के लिए अपेक्षाकृत और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आगे निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- **सामान्य मानसिक योग्यता:** यह किसी भी बौद्धिक कार्य के लिए आवश्यक मूलभूत वैचारिक क्षमता है। यही वह आधार है जिस पर अभिरुचि के अन्य घटक आधारित होते हैं।
- **उपयुक्त मूल्य प्रणाली:** यह समानुभूति, निष्पक्षता, गैर-तरफदारी, प्रतिबद्धता, संवेदना जैसे वांछित मूल्यों का संयोजन है। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि का यह अवयव, अपने कार्य को न केवल दक्षतापूर्वक अपितु प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

सिविल सेवा के उम्मीदवार के रूप में, अपने आपको योग्य बनाने के लिए मैंने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- चूँकि, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है; इसलिए, स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मैं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करता हूँ।
- हालाँकि, सामान्य मानसिक क्षमता लगभग पूरे जीवन भर स्थिर रहती है, मूल्यनिष्ठा के पहलू का विकास विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जा सकता, जैसे- महान व्यक्तित्वों, दार्शनिकों और प्रशासनिक विचारकों की शिक्षाओं से सीखना; अपने मित्र-समूह को बदलना और ऐसे मित्र बनाना जो कि सिविल सेवा हेतु अधिक योग्य और उपयुक्त हों, क्योंकि हम अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं (अल्बर्ट बन्दूरा); एक सिविल सेवक द्वारा वांछित कुछ गतिविधियों का संपादन करना, जैसे- दूसरों के प्रति समानुभूति रखना, सदाचार/नैतिकता के मानदण्डों को बनाए रखना, देश के कानून का पालन करना आदि।

हालांकि, इन मूल्यों की बात करना उन्हें आचरण में लाने की अपेक्षा आसान है। किसी के लिए सदैव इनका पालन और अभ्यास करते रहना बहुत कठिन है। इसलिए, अपने आप को अभिप्रेरित रखने के लिए, जब भी मैं ऊपर उल्लिखित कोई भी कार्य करता हूँ, तो स्वयं को पुरस्कृत करता हूँ। उचित अभिवृत्ति विकसित करने के कुछ अन्य तरीकों में पुस्तकें पढ़ना, सिविल सेवकों से मिलना और उनके अनुभवों के विषय में बात करना, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के माध्यम से जीवन-यापन करने वाले लोगों के परिप्रेक्ष्य और विचारों को समझने के लिए उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना आदि सम्मिलित हैं।

चूँकि, अभिरुचि एक जन्मजात क्षमता भी होती है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक (psycho-physical) तंत्र में कोई अभिरुचि पूरी तरह से अनुपस्थित है तो वह उस अभिरुचि को विकसित नहीं कर सकता है। लेकिन, यदि किसी को यह पहले से प्राप्त है तो वह अपनी इस क्षमता का संवर्द्धन कर सकता/सकती है।

VISION IAS

9. सिविल सेवक के लिए एक मूल्य के रूप में कर्मठता के महत्व की व्याख्या कीजिए। सिविल सेवकों में इसे कैसे विकसित किया जा सकता है?



दृष्टिकोण:

- प्रश्न की मूल विषयवस्तु स्पष्ट और स्वयं-सिद्ध है अर्थात् कार्यों के निष्पादन में कर्मठता का महत्व एवं सिविल सेवक के लिए इसकी उपयोगिता। तदनुसार, उत्तर को निम्नलिखित तरीके से सुसंरचित किया जा सकता है:
  - कर्मठता को परिभाषित कीजिए और सिविल सेवक के जीवन में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए।
  - इस मूल्य को विकसित करने में परिवार, विद्यालय और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

कर्मठता वस्तुतः सक्रिय सहभागिता प्रदर्शित करते हुए एवं प्रत्येक विवरण पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए किसी कार्य को संपन्न करने में दृढ़ होकर लगे रहने का गुण है। कार्य की जटिलता और उसके साथ आने वाली बड़ी ज़िम्मेदारी पर विचार करते हुए, यह गुण प्रत्येक सिविल सेवक के लिए अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप, जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लागू करने, जहां भ्रष्टाचार जीवन शैली का एक अंग बन गया है, तथा आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों का संचालन करने जैसे कार्यों के लिए व्यक्ति को दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ अत्यंत सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता होती है। कर्मठता सिविल सेवकों को दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन इस मूल्य को विकसित करना भी उतना ही अधिक कठिन है क्योंकि आधुनिक जीवन शैली की प्रवृत्ति कठोर परिश्रम के स्थान पर सुख-सुविधा को अधिक महत्ता देने की है।

हालांकि, इस तरह के मूल्य को सिविल सेवकों में निम्नलिखित तरीकों से विकसित किया जा सकता है:

- **रोल मॉडल का अनुकरण करके:** ऐसे कई लोक व्यक्तित्व रहें हैं जिन्होंने अपने सेवा काल मे कर्मठता के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए- ई. श्रीधरन, टी.एन. शेषन, जे. लिंगदोह आदि। ऐसे व्यक्तित्वों के कार्यों के विषय में सिविल सेवकों को जागरुक करके इन्हें उनके लिए रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- **कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले सिविल सेवकों को सामाजिक मान्यता:** ऐसे मूल्यों को धारण करने वाले तथा कार्यक्षेत्र में उनका प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाना और पुरस्कृत करना। यह सहकर्मी सिविल सेवकों को ऐसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
- **सिविल सेवक को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करना:** राजनीतिक दबाव से मुक्ति, सिविल सेवक को सक्रिय रूप से अपने कार्य निष्पादन में संलग्न होने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी।
- **पर्याप्त संसाधन प्रदान करना:** कर्मठता हेतु न केवल व्यक्तिगत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है अपितु कार्य को पूरा करने के लिए सूचना और साधनों के रूप में संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। पर्याप्त संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से कर्मठता को व्यावहारिक मूल्य के रूप में विकसित करने हेतु अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होगा।

VISION IAS

10. **"यदि आप दूसरों को ख़ुश देखना चाहते हैं, तो संवेदनापूर्वक व्यवहार कीजिए। यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं, तो भी संवेदनापूर्वक व्यवहार कीजिए"। लोक सेवा लक्ष्यों को साकारित करने हेतु एक संवेदनशील लोक अधिकारी किस प्रकार से अधिक उपयोगी हो सकता है?**



दृष्टिकोण:

- संवेदना के अर्थ को परिभाषित करते हुए उत्तर आरम्भ कीजिए।
- चर्चा कीजिए कि किस प्रकार संवेदना ख़ुशी प्रदान करती है।
- व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार संवेदना लोक सेवाओं के लिए प्रासंगिक है।
- उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

संवेदना को ऐसी अनुभूति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दूसरों को पीड़ाग्रस्त देखकर जाग्रत होती है और यह अनुभूति आपको पीड़ित व्यक्ति को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह "दूसरों के कल्याण की निःस्वार्थ चिंता" है। संवेदना में समानुभूति की भावना के आधार पर कार्रवाई समाविष्ट होती है। इसमें स्वयं और दूसरों को सम्मिलित किया जाता है और इस प्रकार इसमें सभी को खुश करने की क्षमता विद्यमान होती है। संवेदना हमें खुशी प्रदान करती है, इसका एक कारण यह है कि यह हमारे संकीर्ण स्व के दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है। साथ ही दूसरों के प्रति समानुभूति से प्रेरित होकर किए गए हमारे कार्य, निम्नलिखित के माध्यम से दूसरों को खुशी प्रदान करते हैं:

- स्वयं और दूसरों के प्रति दयाभाव में वृद्धि करके।
- विकट परिस्थितियों में धैर्य और नम्यता के गहरे स्तर का विकास करके।
- मन:स्थिति को शांत करने और विचारों को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने में सहायता करके।
- ध्यान केंद्रित करने और अधिक प्रभावी होने की क्षमता को बढ़ाकर।
- विभिन्न प्रकार के स्व-देखभाल कौशलों और तकनीकों तक पहुँच प्रदान करके।

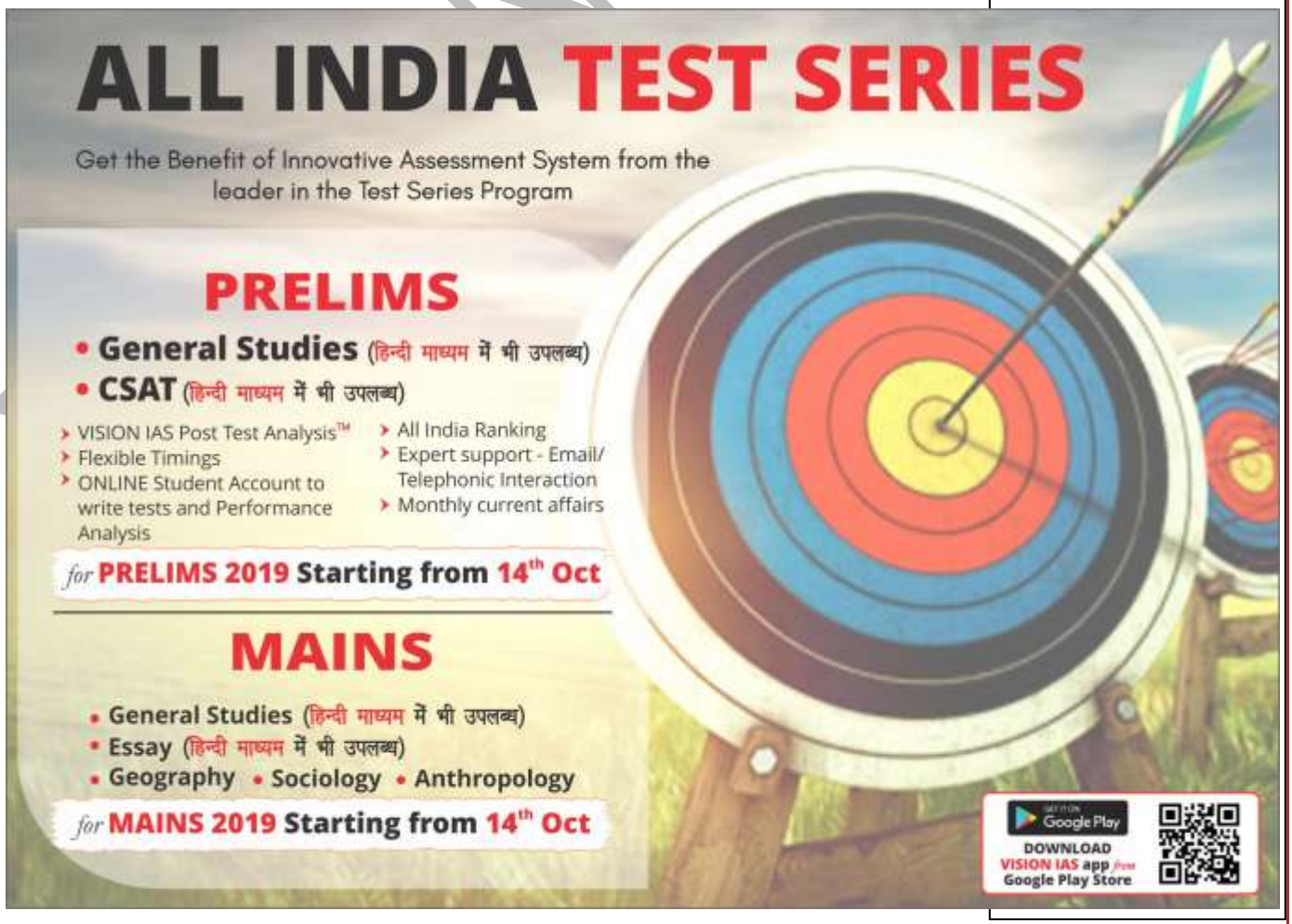
उदाहरण के लिए, शीतकाल के दौरान लोक सेवकों या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आश्रय घरों की स्थापना करना संवेदनापूर्वक कार्यवाही का उदाहरण है। यह प्रदान करने वाले और प्राप्तकर्ता, दोनों को खुशी प्रदान करता है।

लोक सेवा में संवेदना की उपयोगिता

- यह तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता में वृद्धि करती है। इस प्रकार की तनावपूर्ण परिस्थितियाँ एक लोक सेवक के दिन-प्रतिदिन के कार्य संचालन में बहुत ही सामान्य बात है। उदाहरण के लिए, विपत्ति के समय या सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के प्रति नम्यता।
- सेवा प्राप्तकर्ताओं के साथ बेहतर संलग्नता व सहयोग को बढ़ावा देती है।
- समकक्षों और सहकर्मियों के साथ बेहतर अंतर्दृष्टि, विचार-विमर्श और नवाचार को बढ़ावा देती है।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर रणनीतिक सोच और निर्णयन कौशल बनाए रखती है।
- कार्य के दबाव में कमी तथा कार्य संतुष्टि में वृद्धि करती है।

VISION IAS

- संवेदना युक्त व्यक्ति कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधिगम (सीखने), अनुकूलनशीलता और विकास को महत्व प्रदान करते हैं।
- यह कम होते बजट, सामुदायिक पहुंच के नए तरीकों को विकसित करने और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अनुक्रिया करने जैसी विभिन्न चुनौतीपूर्ण समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है।
- संवेदना को विकसित करने का प्रशिक्षण विभिन्न सार्वजनिक और लोक सेवा अधिकारियों, जैसे- सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, लोक सेवा परामर्शदाताओं एवं पेशेवरों, यथा- चिकित्सकों आदि की कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। संवेदना को विकसित करने का प्रशिक्षण लोगों को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने, ध्यान देने और अपने आंतरिक संसाधनों के विषय में जागरुक बनने जैसे नए तरीकों से कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- केरल में कोझिकोड के जिला प्रशासन द्वारा गांधीजी के मूलमंत्र का उपयोग कर 'कम्पैशनेट कोझिकोड' परियोजना प्रारंभ की गई है, जो मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, बाल-गृहों, वृद्धाश्रमों जैसे संस्थानों की सहायता करती है। यह इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि संवेदना लोक सेवा का प्रभावी तत्व हो सकती है।



5. विगत वर्षों में Vision IAS GS मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न: केस स्टडीज़



(Previous Year Vision IAS GS Mains Test Series Questions: Case Studies)

1. **आपको भारत के एक जिले में जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको यह सूचना दी गई है कि एक धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा उचित अनुमति प्राप्त किए बिना सार्वजनिक भूमि पर एक संरचना का निर्माण किया गया है। सार्वजनिक भूमि पर किसी भी स्थायी धार्मिक संरचना के निर्माण को अस्वीकृत करने संबंधी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आप इसे हटाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, संबंधित समुदाय के नेताओं ने आपको यह निवेदन करते हुए संरचना की अनुमति देने का अनुरोध किया है कि यह केवल महीने भर चलने वाले धार्मिक उत्सव के लिए निर्मित की गयी है। इसके अतिरिक्त, उनका कहना है कि कोई अन्य निकटवर्ती धार्मिक स्थान नहीं है जहां समुदाय के सदस्य अपने उत्सव का आयोजन कर सकें। आपके वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र के राजनीतिक नेता भी उनके विचारों का समर्थन करते हैं। हालांकि, आपको इस बात का संदेह है कि उत्सव समाप्त होने के बाद, बड़े पैमाने पर समुदाय के सदस्यों की भागीदारी के कारण सार्वजनिक भूमि से धार्मिक संरचना को हटाना सरल नहीं होगा।**

i. मामले का वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण कीजिए।

ii. ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

उत्तर:

वस्तुनिष्ठ विश्लेषण

- भारत का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव किए बगैर, विधि के समक्ष सभी के प्रति समान व्यवहार का प्रावधान करता है। इस प्रकार, संबंधित धार्मिक समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का विशेष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- एक सिविल सेवक के रूप में किसी अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी है।
- यदि वह कानून का उल्लंघन करता है तो उसे इस प्रकार के उल्लंघन हेतु अपने वरिष्ठ को उत्तर देना होगा।
- धार्मिक समुदाय भी भारतीय जनसंख्या का भाग हैं। इसलिए, उनके रीति-रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण

भारत में धर्म लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि धार्मिक संरचना हटा दी जाती है, तो कार्रवाई को सांप्रदायिक रूप दिया जा सकता है। चूंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष मॉडल सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, इसलिए उनकी भावना का भी सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सिविल सेवा से संबंधित नेतृत्व का गुण भी किसी भी समुदाय विशेष में अविश्वास और बैर पैदा न करने की मांग करता है।

कार्यवाही

प्रथम दृष्टिकोण

सर्वप्रथम, समुदाय के नेताओं को सहमत किया जाना चाहिए कि यद्यपि जिला प्रशासन उनके धर्म के मूल्यों और रीति-रिवाजों का पूर्ण रूप से सम्मान करता है, तथापि संरचना को हटाना

VISION IAS

होगा अन्यथा सख्त दिशा-निर्देशों के कारण प्रशासकों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।



यदि नेता सहमत नहीं होते हैं, तो इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए कि क्या ऐसा कोई प्राधिकरण है जो इसकी अनुमति दे सकता है। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो उस संरचना को हटाना ही श्रेयस्कर कदम होगा।

यदि संरचना को हटाना संभव नहीं है, तो मुझे देखना होगा कि क्या कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और समुदाय के नेताओं की सहायता से उत्सव में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सीमित किया जा सकता है? यदि यह संभव है तो उस समुदाय को उत्सव का आयोजन करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि यदि सम्मिलित लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है तो संरचना को बाद में हटाया जा सकता है। यदि यह संभव नहीं है, तो संरचना को हटा दिया जाना चाहिए।

द्वितीय दृष्टिकोण

सरकारी भूमि पर सामुदायिक गतिविधियों को आयोजित किया जा सकता है परन्तु उसके लिए उचित अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं उस समुदाय से लिखित रूप से आवश्यक अनुमति लेने के लिए कहूँगा।

जिला अधिकारी के रूप में मेरा यह दायित्व है कि जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे और साथ ही समुदाय की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। इसलिए इस प्रकार का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्सव के महीने तक अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। हालाँकि, उसके बाद धार्मिक समुदाय के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ वार्ता के आधार पर उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत संरचना को ध्वस्त कर दिया जाएगा, ताकि शांति भंग न हो।

2. **आप एक नियामक एजेंसी में एक इकाई के निदेशक हैं, जिसे संभावित रूप से हानिकारक वाणिज्यिक रसायनों के उपयोग की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। आपके पर्यवेक्षण के अधीन कनिष्ठ परियोजना प्रबंधक गीता एक व्यापक स्पेक्ट्रम वाले कीटनाशक का अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी है जिसका न केवल छोटे खाद्यान्न उत्पादक किसानों और कपास उत्पादक किसानों द्वारा कृषि में, बल्कि पशुधन क्षेत्र में एनिमल स्प्रे (animal spray) के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उसे यह निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि इस उत्पाद को बाजार से हटाया जाना चाहिए या नहीं। एक सामाजिक कार्यक्रम में, गीता की भेंट सिद्धार्थ नामक एक व्यक्ति से होती है। गीता को बाद में यह ज्ञात होता है कि सिद्धार्थ उस कीटनाशक निर्माता की मुंबई शाखा का प्रतिनिधि है। सिद्धार्थ से कई बार मिलने के बाद, गीता का उसके प्रति कुछ लगाव हो जाता है और वह इस संबंध को और आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि, गीता अनुभव करती है कि उनकी व्यावसायिक भूमिकाओं ने उसके लिए हितों का संभावित संघर्ष उत्पन्न कर दिया है और वह आपको इस स्थिति के संबंध में बताने का निर्णय करती है। वह सिद्धार्थ से मिलना जारी रखना चाहती है और कहती है कि वह अपने व्यावसायिक और निजी जीवन के मध्य पृथकता बनाए रखने के लिए अपने आपको पर्याप्त परिपक्व मानती है। गीता दृढ़ता से कहती है कि सिद्धार्थ के लिए उसकी भावनाएं किसी भी प्रकार से उसके व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी; वास्तव में उसने और सिद्धार्थ ने कभी भी प्रश्नगत रसायन के संबंध में चर्चा तक नहीं की है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके द्वारा अपने लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करते समय, निर्णय लेने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कौन-से नैतिक नियम और सिद्धांत आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकते हैं?**

VISION IAS

उत्तर:



दृष्टिकोण

इस प्रकरण में नैतिक स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं है। क्या गीता ने कुछ भी ऐसा किया है जो पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करता है? सिद्धार्थ के साथ उसके संबंधों के कारण, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना उसके लिए थोड़ा कठिन हो भी सकता है और संभवतः नहीं भी; क्योंकि लोगों की इस प्रकार के तनावों का प्रबंधन करने की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। ऐसे में आपका उत्तरदायित्व क्या है? क्या आपके लिए अपने संगठन के भीतर संभावित अनैतिक आचरण की एक झलक से भी बचना अधिक महत्वपूर्ण है या अपने कर्मचारी के निजी जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करना अधिक महत्वपूर्ण है? क्या गीता पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसका व्यवहार अन्यथा न हो? अपने विकल्पों का परीक्षण कीजिए और एक उपयुक्त निष्कर्ष दीजिए।

उत्तर:

प्रथम दृष्टिकोण

मुझे इस संबंध में विचार करना होगा कि इस अत्यधिक संवेदनशील स्थिति का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए। ऐसे में कुछ विकल्प तत्काल ही मेरे समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं:

i. गीता को सिद्धार्थ से मिलना बंद करने का आदेश देना।

ii. उसे दूसरे कार्य में स्थानांतरित कर देना।

iii. इस प्रकरण पर अपने वरिष्ठ से चर्चा करना।

iv. गीता पर विश्वास करना कि उसके द्वारा अपने संबंध से प्रभावित हुए बिना कार्य किया जायेगा।

इसके उपरांत में निम्नलिखित संभावित परिणामों पर विचार कर सकता हूँ:

- गीता त्यागपत्र दे सकती है।
- रसायन की जाँच संबंधी प्रगति में विलंब हो सकता है।
- मीडिया द्वारा इस प्रकरण को उठाया जा सकता है।
- रसायन के संबंध में पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है जिसके जनता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- यदि मेरे द्वारा सूचित किए बिना इस संबंध के विषय में मेरे वरिष्ठ को पता चलता है तो मुझ पर गैर-ज़िम्मेदारीपूर्ण आचरण का आरोप लगाया जा सकता है।
- जैसे-जैसे मैं विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन करूंगा, निर्णय तक पहुंचने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में विभिन्न नैतिक नियम और सिद्धांत मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकते हैं, यथा:
- "मुझे अपने पर्यवेक्षण के अधीन कार्यरत अधीनस्थों के साथ निष्पक्ष होना चाहिए।" क्या मैं इस स्थिति का समाधान किसी भिन्न पद्धति से करता यदि इसमें मेरा कोई पुरुष अधीनस्थ सम्मिलित होता?
- "किसी हानि की संभावना से भी बचना।"

  भले ही गीता वस्तुनिष्ठ व पेशेवर तरीके से कार्य करे, लेकिन यदि इस प्रकरण को मीडिया द्वारा उठाया जाता है तो क्या मेरे संगठन की विश्वसनीयता का क्षरण होगा?
- "ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।"

यदि मैं ऐसी कोई भी कार्रवाई करता हूँ जिसे गीता, दंड या अविश्वास के रूप में समझे, तो क्या इससे मेरे कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला ईमानदार संवाद हतोत्साहित होगा? क्या

VISION IAS

मुझे अपने वरिष्ठ को बताना चाहिए अथवा गीता का विश्वास बनाए रखना चाहिए और स्वयं स्थिति से निपटने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए?



जब हम एक ओर प्रकरण के तथ्यों, कार्रवाई के विकल्पों और उनके संभावित परिणामों की समीक्षा करते हैं और दूसरी ओर उन्हें प्रासंगिक नैतिक नियमों के अपने संग्रह से संबद्ध करते हैं, तो विकल्पों का क्षेत्र संकीर्ण होने लगता है और एक या दो नियम निर्णायक रूप में उभरकर सामने आते हैं। हम व्यावहारिक परिणामों और संबंधित नैतिक औचित्य के साथ किसी ऐसे निर्णय की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जो हमें स्वीकार्य हो सके।

यथासंभव वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति और नैतिक मुद्दे को परिभाषित करने के बाद, सर्वाधिक कठिन स्थिति दो विरोधाभासी विकल्पों पर विचार करने की है, अर्थात् दो परस्पर विपरीत विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। या तो मैं गीता को सिद्धार्थ से मिलना बंद करने के लिए कहूँ या उस पर पेशेवर तरीके से संबंध निभाने के लिए विश्वास करूँ। दोनों विकल्पों में से एक का चयन करने समस्या नीतिशास्त्रीय प्रक्रिया में सर्वाधिक सामान्य दुविधा है। शायद ही कभी ऐसे नैतिक मुद्दे के केवल दो या तीन संभावित समाधान होते हों: यदि मैं गीता को सिद्धार्थ से मिलना बंद करने के लिए कहता हूँ तो संभावित परिणाम क्या होगा? क्या होगा यदि मैं उसे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दूँ? क्या किसी अन्य सदस्य को उसके साथ कार्य करने के लिए निर्देश दूँ? उसके कार्य की निगरानी को अधिक कठोर बना दूँ? इससे किस तरह की घटनाओं की शृंखला का आरम्भ होगा और यह कहाँ तक जाएगी?

इस प्रकरण पर लागू होने वाले हितों के संघर्ष से संबंधित कुछ विनियम भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निजता के सम्मान के साथ व्यक्तिगत गरिमा के महत्व को भी स्वीकार किया जाना चाहिए: ये वे मूल्य हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न केवल यह नहीं है कि मुझे नियमों का पालन करना चाहिए या गीता की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए। बल्कि, विचारणीय पहलू यह है कि किस प्रकार गीता की गरिमा और निजता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विनियम का मंतव्य बनाए रखा जा सकता है।किसी वरिष्ठ अधिकारी के लिए इन दोनों दायित्वों के मध्य विद्यमान तनाव का समाधान करना तथा इस संबंध में अपना मत प्रकट करना एक अधिक बेहतर विकल्प है। गीता को सिद्धार्थ से मिलना बंद करने का आदेश देना गीता से असंवेदनशील और अपमानजनक तरीके से व्यवहार करना होगा, लेकिन उसकी बात को पूर्णतया स्वीकार लेना हितों के वास्तविक या कथित संघर्ष का खतरा उत्पन्न करेगा।

इस प्रकार एक समाधान यह आश्वासन देते हुए उसके साथ बात करना हो सकता है कि मैं उसकी दुविधा को समझता हूँ और सहायता करना चाहता हूँ। साथ ही मैं कानून के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसकी गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करने हेतु विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर सकता हूँ। मेरे द्वारा ऐसे लाभप्रद समाधान की खोज की जानी चाहिए, जिससे गीता को पेशेवर जीवन से इतर निजी जीवन जीने के लिए दंडित न किया जाए।

द्वितीय दृष्टिकोण

विश्लेषण

- नियामक संगठन इस सन्दर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला व्यक्तियों और पशुओं के जीवन और पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। गीता के संबंध का हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- यदि यह मुद्दा सार्वजनिक हो जाता है तो देश के नियामकीय ढांचे में जनता का विश्वास समाप्त हो सकता है।
- हालांकि सिद्धार्थ ने उससे इस प्रकरण में सहायता करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा होने की संभावना हो सकती है।
- यदि उसे उसका संबंध जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इससे उसकी कार्यदक्षता प्रभावित हो सकती है।

VISION IAS

मेरी कार्रवाई



सर्वप्रथम, मैं पता करूँगा कि संगठन की आचार संहिता या नीतिपरक आचार संहिता स्पष्ट रूप से इस प्रकार के संबंधों का निषेध करती है या नहीं। यदि ऐसा है तो मैं गीता को इस संदर्भ में सूचित करूँगा। मैं उसे नियामकीय कार्यों में तटस्थ रहने के महत्व को भी समझाऊंगा। इसके अतिरिक्त उसे किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित करने के विकल्पों पर विचार करूंगा। यदि कोई अन्य समाधान नहीं मिलता है तो मैं उससे संबंध और पद के मध्य किसी एक का चयन करने के लिए कहूँगा।

यदि कोई संहिता इस प्रकार के संबंध के विषय में कहीं भी उल्लेख नहीं करती है, तब भी मेरा यह दायित्व होगा कि स्वायत्तता और निष्पक्षता के साथ नियामकीय कार्य संपन्न हों। इस उत्तरदायित्व के तहत, मैं सिद्धार्थ की कंपनी के उत्पाद का निरीक्षण कार्य गीता के बजाय किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर दूंगा।

3. एक कनिष्ठ कर्मचारी अपनी वृद्ध मां की देखभाल करने के लिए विशेष छुट्टी लेने के पश्चात हाल ही में कार्य पर लौट आई है। वित्तीय कारणों से वह पूर्णकालिक कार्य करना चाहती है। उसे अपनी मां की उचित देखभाल के लिए व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वह टीम की महत्वपूर्ण बैठकों (सामान्यत: प्रत्येक दिन के आरंभ में होने वाली) में अनुपस्थित रहती है और उसे कार्यालय को समयपूर्व छोड़ कर जाना पड़ता है। वह अपने कार्य में अत्यधिक निपुण है लेकिन उसकी अनुपस्थिति से उसके स्वयं के साथ-साथ उसके सहकर्मियों पर भी अतिरिक्त कार्यभार का दबाव पड़ रहा है। आप उसके प्रबंधक होने के नाते इस बात से अवगत हैं कि इस कारण से कार्य की निरंतरता पर दबाव बढ़ रहा है। उसके एक पुरुष सहकर्मी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियां की जाने लगी हैं कि "एक महिला का स्थान घर में है" तथा प्रत्येक संभव अवसर पर उसे कमजोर सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है तथा यह स्थिति उस पर और अधिक दबाव उत्पन्न कर रही है। आप इस स्थिति से किस प्रकार निपटेंगे?

उत्तर:

आधारभूत सिद्धांत

i. सत्यनिष्ठा: मुझे इसमें शामिल सभी लोगों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदारी-पूर्वक कार्य करना चाहिए।

ii. गोपनीयता: मेरा कर्तव्य है कि मैं सम्मिलित स्टाफ की गोपनीयता बनाए रखूँ।

iii .पेशेवर व्यवहार: मेरे द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए कि मेरे, मेरे पेशे की या मेरे द्वारा किये जाने वाले कार्य की अवमानना न हो सके।

प्रासंगिक तथ्यों की पहचान करना

कंपनी की नीतियों (यदि आवश्यक हो तो विधिक सहायता के साथ), प्रयोज्य विधियों और विनियमों पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रभावित पक्षों की पहचान करना

i. कनिष्ठ स्टाफ

ii. स्वयं मैं

iii. सदस्य स्टाफ

iv. पुरुष सहकर्मी और HR

VISION IAS

इसके समाधान हेतु किसे शामिल किया जाना चाहिए?

मुझे न सिर्फ इस पर विचार करना चाहिए कि इसके समाधान हेतु किसे सम्मिलित किया जाए, बल्कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि उन्हें क्यों और कब सम्मिलित किया जाए। मुझे यह देखना होगा क्या मेरी HR विभाग में उपयुक्त स्टाफ तक पहुंच है? क्या मैं कार्यालय में किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से परामर्श कर सकता हूँ?

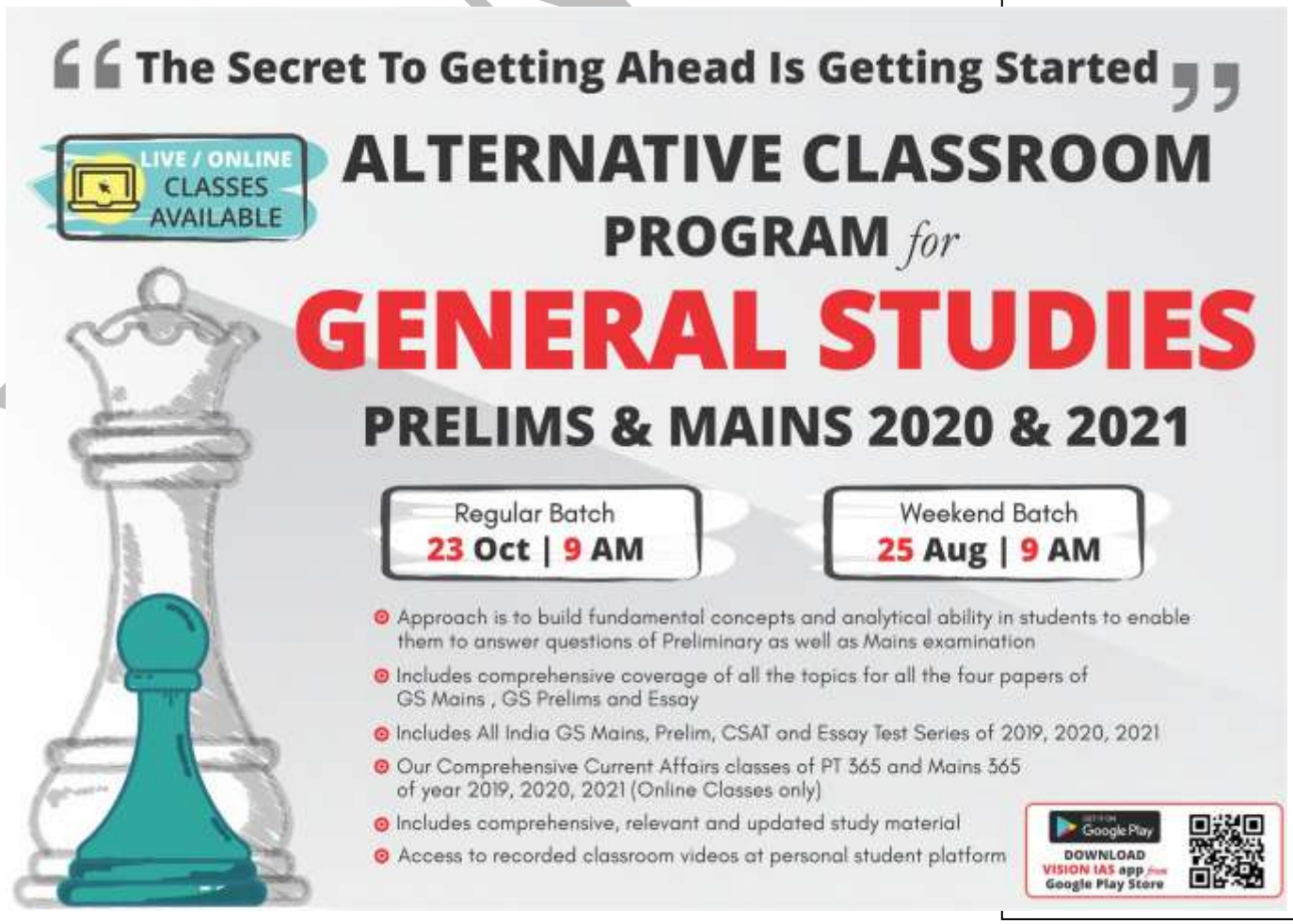
संभावित कार्यवाही

i. प्रासंगिक तथ्यों की जांच करना: वरिष्ठ HR प्रबंधक के साथ कर्मचारी संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट करना। यदि आवश्यक हो तो विधिक परामर्श लेना।

ii. इस प्रकरण पर स्टाफ के सदस्यों से चर्चा करना: टीम की बैठकों के लिए और अधिक नम्य दृष्टिकोण सुझाना - यह भी संभव है कि बैठकों को प्रतिदिन सुबह के ही समय करना आवश्यक न हो। यदि संभव हो तो घर से कार्य करना कनिष्ठ स्टाफ के लिए एक विकल्प हो सकता है।

iii. स्टाफ के उस पुरुष सदस्य को उचित आचरण के सन्दर्भ में अवगत कराया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार उसका व्यवहार उत्पीड़न का कारण बन सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनी की प्रतिष्ठा खराब होने के साथ-साथ उसे कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है।

iv. इस प्रक्रिया के दौरान मुझे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए: स्टाफ की कनिष्ठ सदस्य (जो अपनी मां की देखभाल के लिए उत्तरदायी है) और स्टाफ के अन्य सदस्यों, दोनों के प्रति निष्पक्ष रूप से कार्रवाई का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।



6. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न



(Past Year UPSC Questions)

1. (a) लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं?
   - (i) सत्यनिष्ठा
   - (ii) अध्यवसाय
   - (iii) सेवा की भावना
   - (iv) प्रतिबद्धता
   - (v) दृढ़ विश्वास का साहस

   (b) दो ऐसे अन्य गुण बताइए जिन्हें आप लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने उत्तर का औचित्य समझाइए।
2. विश्वसनीयता और सहन-शक्ति के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए।
3. क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में, आधारभूत मूल्य समझना चाहिए? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ सुस्पष्ट कीजिए।
4. सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए :
   - (a) पारदर्शिता
   - (b) जवाबदेही
   - (c) निष्पक्षता तथा न्याय
   - (d) दृढ़ विश्वास का साहस
   - (e) सेवा भाव
5. समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है। इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए।

7. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न: केस स्टडी

(Past Year UPSC Questions: Case Studies)

1. मान लीजिए कि आपके निकट मित्रों में से एक, जो स्वयं सिविल सेवा में जाने के लिए प्रयत्नशील है, वह लोक-सेवा में नैतिक आचरण से सम्बन्धित कुछ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके पास आता है। वह निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाता है:

   (i) आज के समय में, जब अनैतिक वातावरण काफ़ी फैला हुआ है, नैतिक सिद्धान्तों से चिपके रहने के व्यक्तिगत प्रयास, व्यक्ति के कैरियर में अनेक समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। ये परिवार के सदस्यों पर कष्ट पैदा करने और साथ ही साथ स्वयं के जीवन पर जोखिम का कारण भी बन

VISION IAS



सकते हैं। हम क्यों न व्यावहारिक बनें और न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते का अनुसरण करें, और जितना अच्छा हम कर सकें, उसे ही करके प्रसन्न रहें?

(ii) जब इतने अधिक लोग गलत साधनों को अपना रहे हैं और तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा। यदि केवल कुछ-एक लोग ही नैतिकता की चेष्टा करें, वे अप्रभावी ही रहेंगे और निश्चित रूप से अनन्तः निराश हो जाएंगे।

(iii) यदि हम नैतिक सोच-विचार के बारे में अधिक बतंगड़ बनाएंगे तो क्या इससे देश की आर्थिक उन्नति में रुकावट नहीं आएगी? असलियत में, उच्च प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में, हम विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने को सहन नहीं कर सकते।

(iv) यह तो समझ आता है कि भारी अनैतिक तौर-तरीकों में हमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे-मोटे उपहारो को स्वीकार करना और छोटी-मोटी तरफदारियां करना सभी के अभिप्रेरण में वृद्धि कर देता है। यह तंत्र को और भी अधिक सुचारू बना देता है। ऐसे तौर-तरिकों को अपनाने में गलत क्या है?

उपरोक्त दृष्टिकोण का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस विश्लेषण के आधार पर अपने मित्र को आपकी क्या सलाह रहेगी?

2. कल्पना करें कि आप एक सामाजिक सेवा योजना की क्रियान्विती के कार्य प्रभारी हैं, जिससे बूढ़ी एवं निराश्रय महिलाओं की सहायता प्रदान करनी है। एक बूढ़ी एवं अशिक्षित महिला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास आती है। यद्यपि, उसके पास पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाले काग़जात दिखाने के लिए नहीं हैं। परन्तु उससे मिलने एवं उसे सुनने से आप यह महसूस करते हैं कि उसे सहायता की निश्चित रूप से आवश्यकता है। आपकी जाँच में यह भी आया है कि वास्तव में वह दयनीय दशा में निराश्रित जीवन व्यतीत कर रही है। आप इस धर्मसंकट में हैं कि क्या किया जाए। उसे बिना आवश्यक कागजात के योजना में सम्मिलित किया जाना, नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होगा। उसे सहायता के लिए मना करना भी निर्दयता एवं अमानवीय होगा।

(a) क्या आप इस धर्मसंकट के समाधान के लिए कोई तार्किक तरीका सोच सकते हैं?

(b) इसके लिए अपने कारण बतलाइए।

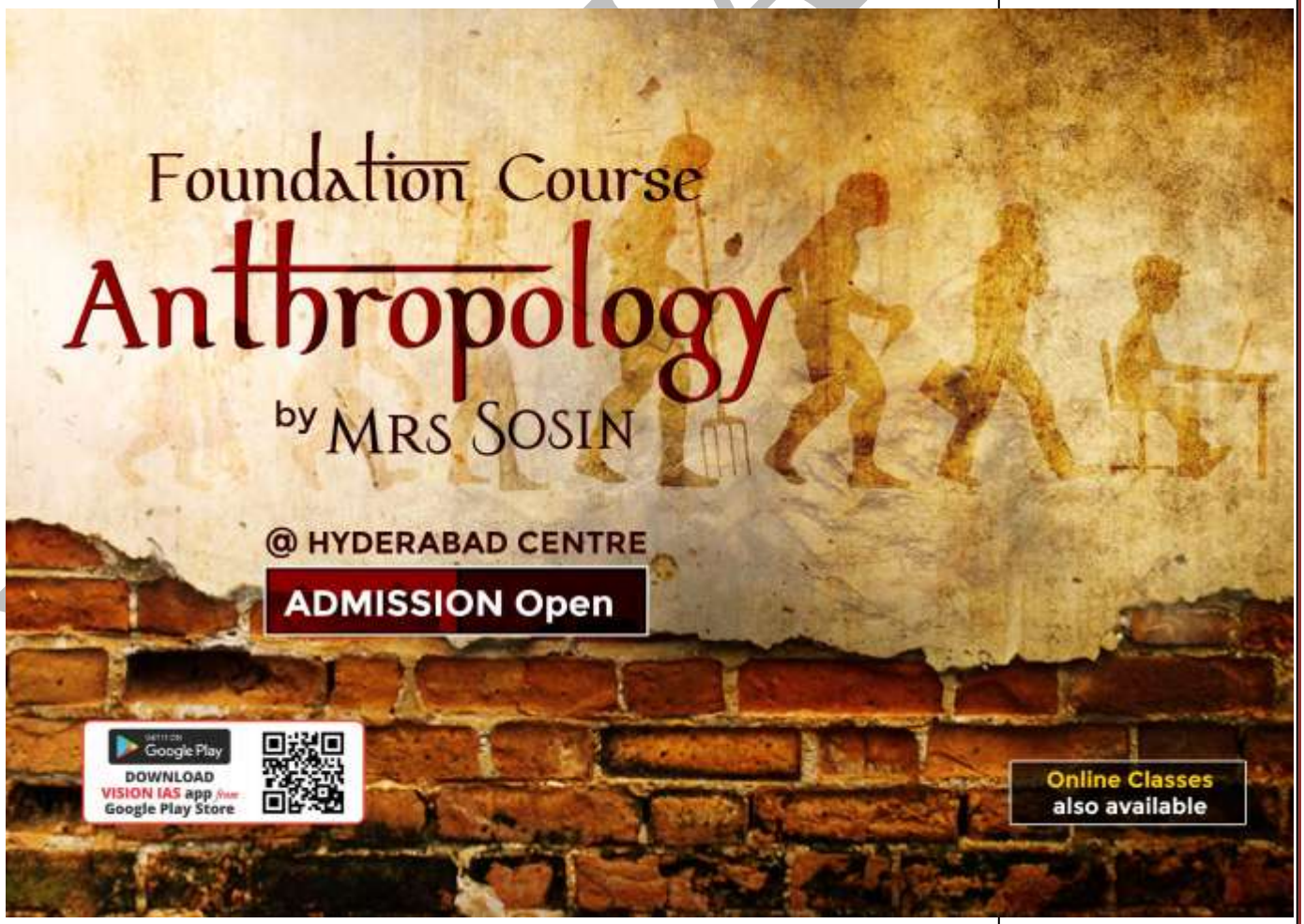
3. रामेश्वर ने गौरवशाली सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया और वह ऐसे सुअवसर से अभिभूत था जो सिविल सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए उसको मिलने वाला था। परन्तु, सेवा का कार्यग्रहण करने के शीघ्र बाद उसने महसूस किया कि वस्तुस्थिति उतनी सुन्दर नहीं हैं जितनी उसने कल्पना की थी।

उसने अपने विभाग में व्याप्त अनेक अनाचार पाए। उदाहरण के रूप में, विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के अधीन निधियाँ दुर्विनियोजित की जा रही थीं। सरकारी सुविधाओं का अक्सर अधिकारियों और स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ समय के बाद उसने यह भी देखा कि स्टाफ को भर्ती करने की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण थी। भावी उम्मीदवारों को एक परीक्षा लिखनी होती थीं जिसमें काफ़ी नक़लबाज़ी

VISION IAS

चलती थी। कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा में बाह्य सहायता भी प्रदान की जाती थी। रामेश्वर ऐसी घटनाओं को अपने वरिष्ठों की नज़र में लाया। परन्तु, इस पर उसको अपनी आँखें, कान और मुख बंद रखने और इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज़ करने की सलाह दी गई। यह बताया गया कि सब उच्चतर अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। इससे रामेश्वर का भ्रम टूटा और वह व्याकुल रहने लगा। वह सलाह के लिए आपके पास आता है।

ऐसे विभिन्न विकल्प सुझाइए, जो आपके विचार में, ऐसी परिस्थिति में रामेश्वर के लिए उपलब्ध हैं। इन विकल्पों का मूल्यांकन करने और सर्वाधिक उचित रास्ता अपनाने में आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे?



0Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.